



# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९



अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,  
नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई



# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९



अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,  
नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.



## प्रस्तावना

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग 'महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी' हे प्रकाशन राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सादर करण्यासाठी दरवर्षी तयार करते. सदर प्रकाशन २०१८-१९ या वर्षासाठी तयार करण्यात आले असून मालिकेतील हा ५८ वा अंक आहे.

२. या प्रकाशनात अर्थव्यवस्थेतील विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रांच्या स्थितीबाबतची माहिती व संदर्भासाठी शक्य त्या ठिकाणी निर्देशांक व स्थितीदर्शक कल देण्यात आले आहेत. हे प्रकाशन राज्याच्या महत्वाच्या सांख्यिकीची समयमालिकानिहाय अद्ययावत माहिती आणि भारतातील सर्व राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक उपलब्ध करून देते. अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नामुळे या प्रकाशनात समाविष्ट केलेली काही आकडेवारी / अंदाज अस्थायी स्वरूपातील आहेत.

३. राज्य व केंद्र शासनाचे संबंधित विभाग, कार्यालये व उपक्रम यांनी उपयुक्त माहिती या संचालनालयास वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे हे प्रकाशन तयार करणे शक्य झाले, त्याबद्दल हे संचालनालय त्यांचे आभारी आहे.

र.र. शिंगे  
संचालक,  
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,  
महाराष्ट्र शासन

मुंबई

दिनांक : १७ जून, २०१९



# महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

| अनुक्रमणिका |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | विषय                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ क्रमांक |
|             | राज्याचा संक्षिप्त आढावा                                                                                                                                                                                       | १             |
| अ.          | दृष्टीक्षेपात महाराष्ट्र                                                                                                                                                                                       | ३             |
| ब.          | महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती                                                                                                                                                                        | ६             |
| १.          | राज्य अर्थव्यवस्था                                                                                                                                                                                             | ९             |
| २.          | लोकसंख्या                                                                                                                                                                                                      | १७            |
| ३.          | राज्य उत्पन्न                                                                                                                                                                                                  | २५            |
| ४.          | किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था<br>किंमती<br>सार्वजनिक वितरण व्यवस्था                                                                                                                                        | ४३            |
| ५.          | लोकवित्त                                                                                                                                                                                                       | ६९            |
| ६.          | संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार                                                                                                                                                                     | ८३            |
| ७.          | कृषि व संलग्न कार्ये<br>कृषि<br>सिंचन<br>फलोत्पादन<br>पशुसंवर्धन<br>दुग्ध विकास<br>मत्स्यव्यवसाय<br>वने व सामाजिक वनीकरण                                                                                       | ९३            |
| ८.          | उद्योग आणि सहकार<br>उद्योग<br>सहकार                                                                                                                                                                            | १२९           |
| ९.          | पायाभूत सुविधा<br>ऊर्जा<br>वाहतूक व दळणवळण                                                                                                                                                                     | १५३           |
| १०.         | सामाजिक क्षेत्र<br>शिक्षण<br>सार्वजनिक आरोग्य<br>महिला व बाल कल्याण<br>रोजगार व दारिद्र्य<br>गृहनिर्माण<br>पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता<br>पर्यावरण संवर्धन<br>सामाजिक न्याय<br>मानव विकास आणि शाश्वत विकास ध्येये | १८१           |
| ११.         | विशेष अभ्यास                                                                                                                                                                                                   | २५३           |
|             | व्याख्या सूची                                                                                                                                                                                                  | २६१           |
| क.          | भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक                                                                                                                                                             | २६८           |

## परिशिष्टे

|           | विषय                                                                                                                                        | पृष्ठ क्र. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| परि. २.१  | महाराष्ट्राची व भारताची जनगणनांवर आधारित लोकसंख्या                                                                                          | २३         |
| परि. २.२  | जनगणनांवर आधारित राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्या                                                                                        | २३         |
| परि. २.३  | जनगणना २०११ नुसार जिल्हानिहाय लोकसंख्येचे निर्देशक                                                                                          | २४         |
| परि. ३.१  | मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (चालू किंमतीनुसार)                        | ३१         |
| परि. ३.२  | मूळ किंमतीनुसार वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न (स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)             | ३२         |
| परि. ३.३  | मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक निव्वळ राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक निव्वळ राज्य उत्पन्न (चालू किंमतीनुसार)                      | ३३         |
| परि. ३.४  | मूळ किंमतीनुसार वास्तविक निव्वळ राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक निव्वळ राज्य उत्पन्न (स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)           | ३४         |
| परि. ३.५  | मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (चालू किंमतीनुसार)              | ३५         |
| परि. ३.६  | मूळ किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)   | ३६         |
| परि. ३.७  | मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत निव्वळ मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न (चालू किंमतीनुसार)            | ३७         |
| परि. ३.८  | मूळ किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत निव्वळ मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न (स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार) | ३८         |
| परि. ३.९  | सांकेतिक स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (चालू किंमतीनुसार)                                                                                        | ३९         |
| परि. ३.१० | वास्तविक स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (स्थिर किंमतीनुसार)                                                                                       | ४०         |
| परि. ३.११ | सांकेतिक दरडोई स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (चालू किंमतीनुसार)                                                                                  | ४१         |
| परि. ४.१  | महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकरिता ग्राहक किंमतीचे गटवार निर्देशांक                                                                           | ५२         |
| परि. ४.२  | महाराष्ट्रातील नागरी भागाकरिता ग्राहक किंमतीचे गटवार निर्देशांक                                                                             | ५३         |
| परि. ४.३  | केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालयाने परिगणित केलेला ग्राहक किंमती निर्देशांक                                                                      | ५४         |
| परि. ४.४  | महाराष्ट्र व अखिल भारतातील शेतमजुरांकरिता व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक                                                    | ५५         |
| परि. ४.५  | औद्योगिक कामगारांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक                                                                               | ५६         |
| परि. ४.६  | महाराष्ट्रातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक                                                         | ५७         |
| परि. ४.७  | महाराष्ट्रातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक                                                         | ५८         |
| परि. ४.८  | अखिल भारतीय घाऊक किंमतीचे निर्देशांक                                                                                                        | ५९         |
| परि. ४.९  | महत्वाच्या किंमती निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचे दर                                                                                         | ६०         |
| परि. ४.१० | जिल्हावार शिधापत्रिकांची संख्या (३१ मार्च, २०१९ रोजी)                                                                                       | ६१         |
| परि. ४.११ | अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांना वाटप केलेला तांदूळ व गहू                                                                              | ६२         |
| परि. ४.१२ | भारत सरकारकडून राज्याला मिळालेले नियतन                                                                                                      | ६२         |
| परि. ४.१३ | जिल्हावार उपलब्ध गोदामांची संख्या, क्षमता, रास्त भाव दुकानांची संख्या                                                                       | ६३         |
| परि. ४.१४ | अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ करिता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वाटप                                              | ६४         |



|           | विषय                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ क्र. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| परि. ४.१५ | अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ करीता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वाटप                                                                                                      | ६६         |
| परि. ५.१  | दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प                                                                                                                                                                            | ७७         |
| परि. ५.२  | अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील जमेतील कल                                                                                                                                                 | ७८         |
| परि. ५.३  | अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील खर्चाचे कल                                                                                                                                                | ७९         |
| परि. ५.४  | कर्जे व इतर दायित्वे                                                                                                                                                                                | ८०         |
| परि. ५.५  | शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंतिम खर्च व भांडवल निर्मितीवरील खर्च                                                                                                                                   | ८१         |
| परि. ६.१  | सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्ज                                                                                                                                                       | ९०         |
| परि. ६.२  | जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजना (२०१८-१९)                                                                                                                                                            | ९१         |
| परि. ६.३  | जिल्हानिहाय प्रधान मंत्री जन-धन योजना                                                                                                                                                               | ९२         |
| परि. ७.१  | कृषि गणनांनुसार राज्यातील एकूण वहिती खातेदार, वहितीचे एकूण क्षेत्र व सरासरी क्षेत्र                                                                                                                 | ११९        |
| परि. ७.२  | राज्यातील जमिनीच्या वापराची आकडेवारी                                                                                                                                                                | १२०        |
| परि. ७.३  | राज्यातील मुख्य पिकांखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि प्रति हेक्टर उत्पादकता                                                                                                                              | १२१        |
| परि. ७.४  | राज्यातील कृषि उत्पादनाचे पीकनिहाय निर्देशांक                                                                                                                                                       | १२४        |
| परि. ७.५  | राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र                                                                                                                                                                       | १२५        |
| परि. ७.६  | सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी                                                                                                                                                 | १२६        |
| परि. ७.७  | राज्यातील पशुधन आणि कुक्कुटादी पक्षी                                                                                                                                                                | १२७        |
| परि. ८.१  | राज्यातील उद्योगांच्या महत्त्वाच्या बाबी (वार्षिक उद्योग पाहणीवर आधारीत)                                                                                                                            | १४६        |
| परि. ८.२  | भारतातील औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक                                                                                                                                                            | १४८        |
| परि. ८.३  | राज्यातील खनिजांचे उत्पादन                                                                                                                                                                          | १४९        |
| परि. ८.४  | राज्यातील सहकारी संस्थांचा तपशील                                                                                                                                                                    | १५०        |
| परि. ९.१  | राज्यातील विजेचा पुरवठा व वापर                                                                                                                                                                      | १७६        |
| परि. ९.२  | राज्यातील रस्त्यांची प्रकारांनुसार लांबी (सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्या देखभालीखालील)                                                                                             | १७७        |
| परि. ९.३  | जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या लांबीचे रुंदीनुसार वर्गीकरण (सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखभालीखालील)                                                                                                    | १७८        |
| परि. ९.४  | राज्यातील वापरात असलेली मोटार वाहने                                                                                                                                                                 | १७९        |
| परि. १०.१ | विभागनिहाय व शैक्षणिक स्तरनिहाय संस्था, पटसंख्या व शिक्षकांची संख्या                                                                                                                                | २३७        |
| परि. १०.२ | सन २०१८-१९ मधील आरोग्य विज्ञान संस्थांची संख्या, प्रवेश क्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या                                                                                       | २३८        |
| परि. १०.३ | सन २०१८-१९ मधील तंत्रशिक्षण संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या                                                                                   | २३९        |
| परि. १०.४ | सन २०१८-१९ मधील कला, विज्ञान, वाणिज्य, इतर बिगर- कृषि अभ्यासक्रम, विधी, शिक्षणशास्त्र व ललित कला अभ्यासक्रमांकरीता एकूण संस्था, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या | २४०        |
| परि. १०.५ | सन २०१८-१९ मध्ये कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान अभ्यासक्रमांकरीता संस्था, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या                                                           | २४१        |

|            | विषय                                                                                                                                          | पृष्ठ क्र. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| परि. १०.६  | राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा (सार्वजनिक, स्थानिक संस्था आणि विश्वस्थ संस्था रुग्णालये)                                                    | २४२        |
| परि. १०.७  | राज्याचे नमुना नोंदणी पाहणीवर आधारित जन्मदर, मृत्युदर, अर्भक मृत्युदर व एकूण जननदर                                                            | २४३        |
| परि. १०.८  | काम करणाऱ्या लोकांची जनगणना २०११ नुसार आर्थिक वर्गवारी                                                                                        | २४४        |
| परि. १०.९  | राज्यातील विविध उद्योगांतील सरासरी दैनिक रोजगार                                                                                               | २४५        |
| परि. १०.१० | राज्यातील कार्यरत कारखाने व त्यातील रोजगार                                                                                                    | २४६        |
| परि. १०.११ | राज्यातील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या, अधिसूचित केलेली रिक्त पदे व भरलेली पदे | २४७        |
| परि. १०.१२ | कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांच्या चालू नोंदवहीत ३१ डिसेंबर, २०१८ अखेर असलेल्या व्यक्तींची संख्या                       | २४८        |
| परि. १०.१३ | राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली घेण्यात आलेल्या विविध कामांच्या प्रकारानुसार संख्या व त्यावरील खर्च            | २४९        |
| परि. १०.१४ | राज्यातील औद्योगिक विवाद **                                                                                                                   | २५०        |
| परि. १०.१५ | जिल्हानिहाय मानव विकास निर्देशांक २०११                                                                                                        | २५१        |

## राज्याचा संक्षिप्त आढावा

देशाच्या पश्चिम व मध्य भागात वसलेल्या महाराष्ट्राला अरबी समुद्राचा ७२० किमी लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असून सह्याद्री व सातपुडा या पर्वतरांगांची नैसर्गिक तटबंदी लाभली आहे. राज्याच्या वायव्येस गुजरात, उत्तरेस मध्य प्रदेश, पूर्वेस छत्तीसगड, आग्नेयेस तेलंगणा, दक्षिणेस कर्नाटक व नैऋत्येस गोवा आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी राज्याची विभागणी ३६ जिल्हे व ६ महसूल विभागांत (कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर) करण्यात आली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ११.२४ कोटी लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य लोकसंख्येनुसार देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे तर क्षेत्रफळानुसार ३.०८ लाख चौरस किमी भौगोलिक क्षेत्रफळासह तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्याचे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाले असून ४५.२ टक्के जनता शहरात राहते.

राज्याचे हवामान उष्ण कटिबंधीय मोसमी आहे. मार्चपासून सुरु होणाऱ्या व अंगाची काहिली करणाऱ्या उन्हाळ्या पाठोपाठ जूनच्या सुरुवातीला पाऊस येतो. महाराष्ट्राला लाभलेला निसर्गाचा वरदहस्त हा त्याच्या घनदाट व संपन्न जंगलांमध्ये दिसून येतो आणि राज्यात ६ मुख्य व्याघ्र प्रकल्प व ६ राष्ट्रीय उद्याने आहेत.

राज्याची राजधानी मुंबई ही फक्त अग्रेसर कार्पोरेट संस्थांच्या व कंपन्यांच्या मुख्य कार्यालयांचे माहेरघर नसून आशिया खंडातील सर्वात जुना शेअर बाजार, मुंबई शेअर बाजार, हा देखील याच शहरात दिमाखात उभा आहे.

उद्योग क्षेत्रात व्यावसायिक सुलभता वाढविण्यासाठी राज्याने विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात पुढाकार घेतला आहे. नाविन्यपूर्ण व सृजनशील उद्योगांकरिता अग्रगण्य स्टार्ट अप धोरण जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे उद्योन्मुख उद्योजकांना संस्थात्मक व बौद्धिक आधार देण्याचा उद्देश आहे. या धोरणाद्वारे नोकऱ्या मागणाऱ्यांपेक्षा नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन बेरोजगारीच्या मोठ्या आव्हानास सामोरे जाण्याचा राज्याचा प्रयत्न अधोरेखित होतो. स्वतःचे एरोस्पेस व संरक्षण उत्पादन धोरण आणि फिनटेक धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य आहे.

उत्तम पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानातील प्रगती, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, प्रमुख भागांशी संपर्क व्यवस्था आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मुबलकता यामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी कायमच पसंतीचे राज्य राहिले असून नुकत्याच झालेल्या 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र गुंतवणूक शिखर संमेलनाला' मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हेच सिद्ध करतो.

हवामानातील बदल व वैश्विक तापमानवाढ हे जगासमोर व राज्यासमोर उभे ठाकलेले मोठे संकट आहे. हे लक्षात घेऊन पाच लाख विद्युत वाहनांची निर्मिती व वापर करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले विद्युत वाहन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेस प्रोत्साहन देऊन राज्याने पर्यावरणपूरक इंधन आणि वैश्विक तापमानवाढीच्या प्रश्नास हाताळणे याबाबत आपली बांधिलकी दर्शविली आहे.

महाराष्ट्र ही फक्त एक भौगोलिक संज्ञा नसून लोकांच्या एकतेने व कष्टाने उभे राहिलेले एक राज्य आहे. राज्यात विविध चालीरीतींचे व परंपरांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. आपल्या समृद्ध संगीत व नृत्य परंपरेसाठी राज्याचे नाव देशात आदराने घेतले जाते. पोवाडा, भारुड, गोंधळ आणि लावणीद्वारे लोककलेमध्ये केलेल्या भरीव योगदानासाठी राज्य जाणले जाते. राज्यात सर्व जाती व पंथांचे सणसमारंभ उत्साहाने व एकत्रितपणे साजरे केले जातात. देशाच्या सामाजिक व राजकीय प्रगतीमध्ये राज्याचा बहुमोल वाटा आहे.

अजंठा, वेरूळ व घारापुरीच्या लेण्या, गेट वे ऑफ इंडिया आणि चैत्य व विहार सारखी वास्तुकलेचा उत्तम नमुना असलेली स्थळे ही कायमच जगभरातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिली आहेत व बहुतांश काळ पर्यटकांच्या गर्दीने फुललेली असतात. राज्याने साहित्य, कला, क्रीडा व सामाजिक सेवा यांमध्ये आपला स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. सिनेजगतात जागतिक स्तरावर नावारूपाला आलेले व आता आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताची ओळख व ताकद बनलेले, बॉलीवूड हे देखील राज्याचाच एक हिस्सा आहे.

काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रगतिशील राहून आपले पुरोगामित्व सिद्ध करणारे महाराष्ट्र राज्य हे आज शाश्वत विकासाच्या वाटेवर दमदार पाऊले टाकत आहे आणि प्रगती करीत आहे.

\*\*\*\*\*



# अ. दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

३

| बाब<br>(१)                                                              | १९६०-६१<br>(२) | १९७०-७१<br>(३) | १९८०-८१<br>(४) | १९९०-९१<br>(५) | २०००-०१<br>(६) | २०१०-११<br>(७) | २०१७-१८<br>(८) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| १. भौगोलिक क्षेत्र - (हजार चौ. किमी.)                                   | ३०६            | ३०८            | ३०८            | ३०८            | ३०८            | ३०८            | ३०८            |
| २. प्रशासकीय रचना -                                                     |                |                |                |                |                |                |                |
| महसूली विभाग                                                            | ४              | ४              | ६              | ६              | ६              | ६              | ६              |
| जिल्हे                                                                  | २६             | २६             | २८             | ३१             | ३५             | ३५             | ३६             |
| तालुके                                                                  | २२९            | २३५            | ३०१            | ३०३            | ३५३            | ३५५@@          | ३५५@@          |
| वस्ती असलेली गावे                                                       | ३५,८५१         | ३५,७७८         | ३९,३५४         | ४०,४१२         | ४१,०९५         | ४०,९५९         | ४०,९५९         |
| वस्ती नसलेली गावे                                                       | ३,०१६          | २,८८३          | २,४७९          | २,६१३          | २,६१६          | २,७०६          | २,७०६          |
| शहरे #                                                                  | २६६            | २८९            | ३०७            | ३३६            | ३७८            | ५३४            | ५३४            |
| ३. जनगणनेनुसार लोकसंख्या - (हजार)                                       | (१९६१)         | (१९७१)         | (१९८१)         | (१९९१)         | (२००१)         | (२०११)         | (२०११)         |
| एकूण                                                                    | ३९,५५४         | ५०,४१२         | ६२,७८४         | ७८,९३७         | ९६,८७९         | १,१२,३७४       | १,१२,३७४       |
| पुरुष                                                                   | २०,४२९         | २६,११६         | ३२,४१५         | ४०,८२६         | ५०,४०१         | ५८,२४३         | ५८,२४३         |
| स्त्रिया                                                                | १९,१२५         | २४,२९६         | ३०,३६९         | ३८,१११         | ४६,४७८         | ५४,१३१         | ५४,१३१         |
| ग्रामीण                                                                 | २८,३९१         | ३४,७०१         | ४०,७९१         | ४८,३९५         | ५५,७७८         | ६१,५५६         | ६१,५५६         |
| नागरी                                                                   | ११,१६३         | १५,७११         | २१,९९३         | ३०,५४२         | ४१,१०१         | ५०,८१८         | ५०,८१८         |
| अनुसूचित जाती                                                           | २,२२७          | ३,१७७          | ४,४८०          | ८,७५८          | ९,८८२          | १३,२७६         | १३,२७६         |
| अनुसूचित जमाती                                                          | २,३९७          | ३,८४१          | ५,७७२          | ७,३१८          | ८,५७७          | १०,५१०         | १०,५१०         |
| लोकसंख्येची घनता (प्रती चौ. किमी.)                                      | १२९            | १६४            | २०४            | २५७            | ३१५            | ३६५            | ३६५            |
| साक्षरतेचे प्रमाण (टक्के)                                               | ३५.१           | ४५.८           | ५७.१           | ६४.९           | ७६.९           | ८२.३           | ८२.३           |
| स्त्री-पुरुष प्रमाण<br>(स्त्रिया प्रति हजार पुरुष)                      | ९३६            | ९३०            | ९३७            | ९३४            | ९२२            | ९२९            | ९२९            |
| नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण (टक्के)                                        | २८.२२          | ३१.१७          | ३५.०३          | ३८.६९          | ४२.४३          | ४५.२           | ४५.२           |
| ४. सांकेतिक राज्य उत्पन्न -                                             |                |                |                |                |                |                |                |
| राज्य उत्पन्न (₹ कोटी)                                                  | २,२४९          | ५,७८०          | १९,३७७         | ६८,८६१         | २,४३,५८४       | ९,५०,७७१       | २१,३९,३७८++    |
| कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र (₹ कोटी)                                   | ५८५            | १,०७८          | ३,७५६          | १२,३२६         | ३२,७११         | १,२२,९३२       | २,३२,४४६+++    |
| उद्योग क्षेत्र (₹ कोटी)                                                 | ५५३            | १,७३२          | ६,२२४          | २२,५५४         | ६४,९४२         | २,६३,५१२       | ५,६८,७०४+++    |
| सेवा क्षेत्र (₹ कोटी)                                                   | १,१११          | २,९६९          | ९,३९७          | ३३,९८१         | १,४५,९३१       | ५,६४,३२६       | १०,२६,८८५+++   |
| दरडोई राज्य उत्पन्न (₹)                                                 | ५७६            | १,१६८          | ३,११२          | ८,८११          | २८,५४०         | ८४,८५८         | १,७६,१०२+      |
| ५. पर्जन्य सरासरीशी तुलना (टक्के)                                       |                |                |                |                |                | १०२.३          | ७३.६           |
| ६. कृषि - (क्षेत्र हजार हेक्टर)                                         |                |                |                |                |                |                |                |
| निव्वळ पेरणी क्षेत्र                                                    | १७,८७८         | १७,६६८         | १८,२९९         | १८,५६५         | १७,८४४         | १७,४०६         | उ ना           |
| पिकांखालील स्थूल क्षेत्र                                                | १८,८२३         | १८,७३७         | १९,६४२         | २१,८५९         | २१,६१९         | २३,१७५         | उ ना           |
| स्थूल सिंचित क्षेत्र                                                    | १,२२०          | १,५७०          | २,४१५          | ३,३१९          | ३,८५२          | @              | @              |
| त्यापेकी लाभ क्षेत्र ^                                                  | २२६\$          | ४२२            | ७१८            | १,०७६\$\$      | १,७६४##        | २,९५५##        | ३,९५०####      |
| स्थूल सिंचित क्षेत्राचे पिकांखालील एकूण स्थूल क्षेत्राशी प्रमाण (टक्के) | ६.५            | ८.४            | १२.३           | १५.२           | १७.८           | उ ना           | उ ना           |
| ७. प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र - (हजार हेक्टर)                            |                |                |                |                |                |                |                |
| तांदूळ                                                                  | १,३००          | १,३५२          | १,४५९          | १,५९७          | १,५१२          | १,५१६          | १,४५१          |
| गहू                                                                     | ९०७            | ८१२            | १,०६३          | ८६७            | ७५४            | १,३०७          | १,१३८          |
| ज्वारी                                                                  | ६,२८४          | ५,७०३          | ६,४६९          | ६,३००          | ५,०९४          | ४,०६०          | ३,४६४          |
| बाजरी                                                                   | १,६३५          | २,०३९          | १,५३४          | १,९४०          | १,८००          | १,०३५          | ७८८            |
| सर्व तृणधान्ये                                                          | १०,६०६         | १०,३२०         | १०,९७६         | ११,१३६         | ९,८२४          | ८,९८५          | ८,०६३          |
| सर्व कडधान्ये                                                           | २,३४९          | २,५६६          | २,७१५          | ३,२५७          | ३,५५७          | ४,०३८          | ४,५७७          |
| सर्व अन्नधान्ये                                                         | १२,९५५         | १२,८८६         | १३,६९१         | १४,३९३         | १३,३८२         | १३,०२३         | १२,६४०         |

उ ना - उपलब्ध नाही @@ मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमधील ३ तालुके वाळून # गणना शहरांसह + पहिले सुधारित अंदाज (पायाभूत वर्ष २०११-१२)

† बाजार किमतीनुसार अंदाज ++ मूळ किमतीनुसार अंदाज टीप: राज्य उत्पन्नाचे १९६०-६१ ते २०१०-११ चे अंदाज घटक खर्चावर आधारित आहेत.

@ जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या दि. २६ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये माहिती संकलनाच्या पद्धतीबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

\$ १९६१-६२ \$\$ १९९१-९२ ## प्रकल्प कालव्यावरील उपसा व धरणातून नदी नाल्यांमध्ये सोडलेल्या पाण्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र समाविष्ट

^ जलसंपदा विभागाकडून निर्मित लाभक्षेत्र ++ आधार : जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद

## अ. दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

| बाब<br>(१)                                      | १९६०-६१<br>(२) | १९७०-७१<br>(३) | १९८०-८१<br>(४) | १९९०-९१<br>(५) | २०००-०१<br>(६) | २०१०-११<br>(७) | २०१७-१८<br>(८) |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ऊस क्षेत्र                                      | १५५            | २०४            | ३१९            | ५३६            | ६८७            | १,०४१          | उ ना           |
| ऊस तोडणी क्षेत्र                                | १५५            | १६७            | २५८            | ४४२            | ५९५            | ९६५            | ९०२            |
| कापूस                                           | २,५००          | २,७५०          | २,५५०          | २,७२१          | ३,०७७          | ३,९४२          | ४,३५१          |
| भूईमूग                                          | १,०८३          | ९०४            | ६९५            | ८६४            | ४९०            | ३९५            | २९१            |
| <b>८. प्रमुख पिकांचे उत्पादन -</b><br>(हजार टन) |                |                |                |                |                |                |                |
| तांदूळ                                          | १,३६९          | १,६६२          | २,३१५          | २,३४४          | १,९३०          | २,६९१          | २,७३१          |
| गहू                                             | ४०१            | ४४०            | ८८६            | ९०९            | ९४८            | २,३०१          | १,८८५          |
| ज्वारी                                          | ४,२२४          | १,५५७          | ४,४०९          | ५,९२९          | ३,९८८          | ३,४५२          | २,३९०          |
| बाजरी                                           | ४८९            | ८२४            | ६९७            | १,११५          | १,०८७          | १,१२३          | ६६९            |
| सर्व तृणधान्ये                                  | ६,७५५          | ४,७३७          | ८,६४७          | १०,७४०         | ८,४९७          | १२,३१७         | १०,९४४         |
| सर्व कडधान्ये                                   | ९८९            | ६७७            | ८२५            | १,४४१          | १,६३७          | ३,०९६          | ३,६८४          |
| सर्व अन्नधान्ये                                 | ७,७४४          | ५,४१४          | ९,४७२          | १२,१८१         | १०,१३४         | १५,४१३         | १४,६२८         |
| ऊस                                              | १०,४०४         | १४,४३३         | २३,७०६         | ३८,१५४         | ४९,५६९         | ८५,६९१         | ८३,१३८         |
| कापूस (रुई)#                                    | १,६७३          | ४८४            | १,२२४          | १,८७५          | १,८०३          | ७,४७३          | ६,०९४          |
| भूईमूग                                          | ८००            | ५८६            | ४५१            | ९७९            | ४७०            | ४७०            | ३४५            |
| <b>९. कृषि उत्पादनाचा निर्देशांक@ -</b>         | --             | --             | --             | १३६.५          | १२७.४          | २२३.८          | २१५.४          |
| <b>१०. कृषि गणना -</b>                          |                | (१९७०-७१)      | (१९८०-८१)      | (१९९०-९१)      | (२०००-०१)      | (२०१०-११)      | (२०१५-१६)      |
| वहितीच्या खातेदारांची संख्या<br>(हजार)          | --             | ४,९५१          | ६,८६३          | ९,४७०          | १२,१३८         | १३,६९९         | १५,२८५         |
| वहितीचे क्षेत्र (हजार हेक्टर)                   | --             | २१,१७९         | २१,३६२         | २०,९२५         | २०,१०३         | १९,७६७         | २०,५०६         |
| वहितीचे सरासरी क्षेत्र (हेक्टर)                 | --             | ४.२८           | ३.११           | २.२१           | १.६६           | १.४४           | १.३४           |
| <b>११. पशुधन गणना -</b>                         | (१९६१)         | (१९६६)         | (१९७८)         | (१९८७)         | (१९९७)         | (२००७)         | (२०१२)         |
| एकूण पशुधन (हजार)                               | २६,०४८         | २५,४४९         | २९,६४२         | ३४,२५५         | ३९,६३८         | ३५,९५५         | ३२,४८९         |
| एकूण कुक्कुटादी पक्षी +<br>(हजार)               | १०,५७८         | ९,९०२          | १८,७५१         | २४,८३०         | ३५,३९२         | ६४,७५६@@       | ७७,७९५@@       |
| ट्रॅक्टर                                        | १,४२७          | ३,२७४          | १२,९१७         | ३४,५२९         | ७९,८९३         | १,०५,६११       | १,०५,६११       |
| <b>१२. वन क्षेत्र (चौ. किमी.)</b>               | ६३,५४४         | ६२,३११         | ६४,२२२         | ६३,७९८         | ६१,९३५         | ६१,९३९         | ६१,८५१*        |
| <b>१३. औद्योगिक गुंतवणूक -</b>                  |                |                |                |                |                | (२०१७) \$      | (२०१९) \$\$    |
| मंजूर प्रकल्प (संख्या)                          | --             | --             | --             | --             | --             | १९,८२६         | २०,३२३         |
| प्रस्तावित गुंतवणूक (₹ कोटी)                    | --             | --             | --             | --             | --             | ११,८९,८१५      | १२,८६,६९६      |
| <b>१४. वीज - (दशलक्ष कि.वॅ.तास)</b>             |                |                |                |                |                |                |                |
| एकूण निर्मिती                                   | ३,२६८          | ७,९२५          | १७,८६४         | ३६,४३०         | ६१,२०९         | ८३,०१७         | १,५४,२१४       |
| एकूण वापर                                       | २,७२०          | ७,६५०          | १४,०३४         | २९,९७१         | ४७,२८९         | ८७,३९६         | १,१८,५६६       |
| औद्योगिक वापर                                   | १,८५३          | ५,३१२          | ८,१३०          | १४,७०६         | १८,३६३         | ३४,४१६         | ३९,२४६         |
| कृषि वापर                                       | १५             | ३५६            | १,७२३          | ६,६०४          | ९,९४०          | १६,२५७         | ३०,३०७         |
| घरगुती वापर                                     | २६०            | ७३२            | १,७७९          | ५,०६५          | ११,१७२         | १९,५४६         | २८,१७२         |

\* अस्थायी      # कापसाचे उत्पादन १७० किलोची एक गासडी याप्रमाणे हजार गासड्यांमध्ये      @ पाया - त्रैवार्षिक सरासरी १९७९-८२ = १००  
 \$ ऑगस्ट, १९९१ ते डिसेंबर      \$\$ ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी      @@ एकूण कुक्कुटादी पक्ष्यांमध्ये कुक्कुटपालन केंद्रामधील पक्षी समाविष्ट आहेत.  
 + एकूण कुक्कुटादी पक्ष्यांमध्ये टर्को, क्वेल व इतर कुक्कुटादी पक्षी समाविष्ट आहेत.      उ ना उपलब्ध नाही

अ. दृष्टिक्षेपात महाराष्ट्र

५

| बाब<br>(१)                                | १९६०-६१<br>(२) | १९७०-७१<br>(३) | १९८०-८१<br>(४) | १९९०-९१<br>(५) | २०००-०१<br>(६) | २०१०-११<br>(७) | २०१७-१८<br>(८)         |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>१५. बँका - (अनुसूचित वाणिज्यिक)</b>    |                | (जून, १९७१)    | (जून, १९८१)    | (जून, १९९१)    | (जून, २००१)    | (जून, २०१०)    | (३१ मार्च, २०१८)       |
| बँक कार्यालये                             | उ ना           | १,४७१          | ३,६२७          | ५,५९१          | ६,२९४          | ८,०३७          | १२,३१७                 |
| ग्रामीण लोकसंख्येसाठी बँक कार्यालये       | उ ना           | ४५०            | १,३५५          | २,७४९          | २,२९४          | २,१७०          | ३,०९८                  |
| <b>१६. शिक्षण<sup>+</sup> -</b>           |                |                |                |                |                |                |                        |
| प्राथमिक शाळा                             | ३४,५९४         | ४४,५३५         | ५१,०४५         | ५७,७४४         | ६५,९६०         | ७५,६९५         | १,०६,५४६               |
| विद्यार्थी (हजार)                         | ४,१७८          | ६,५३९          | ८,३९२          | १०,४२४         | ११,८५७         | १०,६२६         | १५,९१२                 |
| माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकसह)           | २,४६८          | ५,३१३          | ६,११९          | १०,५१९         | १५,३८९         | २१,३५७         | २६,८५७                 |
| विद्यार्थी (हजार)                         | ८५८            | १,९८५          | ३,३०९          | ६,२६०          | ९,२६७          | १०,७११         | ६,६४८                  |
| <b>१७. आरोग्य -</b>                       |                | (१९७१)         | (१९८१)         | (१९९१)         | (२००१)         | (२०११)         | (२०१७)                 |
| रुग्णालये                                 | उ ना           | २९९            | ५३०            | ७६८            | १,१०२          | १,३६८          | १,४०२                  |
| दवाखाने                                   | उ ना           | १,३७२          | १,७७६          | १,८९६          | १,५४४          | ३,०१२          | ३,०८७                  |
| दर लाख लोकसंख्येमागे खाटा                 | उ ना           | ८८             | ११४            | १४४            | १०६            | १०३            | १०१                    |
| जन्मदर <sup>@</sup>                       | ३४.७           | ३२.२           | २८.५           | २६.२           | २०.७           | १६.७           | १५.७                   |
| मृत्युदर <sup>@</sup>                     | १३.८           | १२.३           | ९.६            | ८.२            | ७.५            | ६.३            | ५.७                    |
| अर्भक मृत्युदर <sup>@</sup>               | ८६             | १०५            | ७९             | ६०             | ४५             | २५             | १९                     |
| <b>१८. वाहतूक -</b>                       |                |                |                |                |                |                |                        |
| रेल्वे मार्गाची लांबी (किमी)              | ५,०५६          | ५,२२६          | ५,२३३          | ५,४३४          | ५,४५९          | ५,९८४          | ६,११४                  |
| एकूण रस्त्यांची लांबी (किमी) <sup>†</sup> | ३९,२४१         | ६५,३६४         | १,४१,१३१       | १,७२,९६५       | २,१६,९६८       | २,४१,७१२       | ३,०४,०४५               |
| त्यापैकी पृष्ठांकित                       | २४,८५२         | ३५,८५३         | ६६,६१६         | १,३२,०४८       | १,७८,९९९       | २,२१,१८२       | २,५९,४३७               |
| मोटर वाहने (हजार)                         | १००            | ३१२            | ८०५            | २,६४१          | ६,६०७          | १६,९९०         | ३२,१९७                 |
| <b>१९. सहकार -</b>                        |                |                |                |                |                |                |                        |
| प्राथमिक कृषि पतसंस्था                    | २१,४००         | २०,४२०         | १८,५७७         | १९,५६५         | २०,५५१         | २१,४५१         | २१,१०२*                |
| सभासद (लाख)                               | २२             | ३८             | ५४             | ७९             | १०१            | १५०            | १५०*                   |
| सहकारी संस्थांची संख्या                   | ३१,५६५         | ४२,५९७         | ६०,७४७         | १,०४,६२०       | १,५८,०१६       | २,२४,३०६       | १,९८,२५२*              |
| सभासद (लाख)                               | ४२             | ८६             | १४८            | २६९            | ४३०            | ५३०            | ५१७*                   |
| सहकारी संस्थांचे खेळते भांडवल (₹ कोटी)    | २९१            | १,४८९          | ५,२१०          | २४,२८४         | १,३४,४४०       | २,४८,४३४       | ३,६५,६९७*              |
| <b>२०. स्थानिक स्वराज्य संस्था -</b>      |                |                |                |                |                |                | (२०१८-१९) <sup>§</sup> |
| जिल्हा परिषदा                             | २५             | २५             | २५             | २९             | ३३             | ३३             | ३४                     |
| ग्रामपंचायती                              | २१,६३६         | २२,३००         | २४,२८१         | २५,८२७         | २७,७३५         | २७,९१३         | २७,८९६                 |
| पंचायत समित्या                            | २९५            | २९६            | २९६            | २९८            | ३२१            | ३५१            | ३५१                    |
| नगर परिषदा                                | २१९            | २२१            | २२०            | २२८            | २२८            | २२२            | २४१                    |
| महानगरपालिका                              | ३              | ४              | ५              | ११             | १५             | २३             | २७                     |
| नगर पंचायत                                | --             | --             | --             | --             | ३              | ४              | १२६                    |
| कटक मंडळे                                 | ७              | ७              | ७              | ७              | ७              | ७              | ७                      |

\* अस्थायी

@ नमुना नोंदणी पाहणी

उ ना उपलब्ध नाही

† सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्ते \$ राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार (दि. ३१.१२.२०१८ रोजीची)

+ वर्ष २०११-१२ पासून सदर माहितीचा आधार बदलला असल्यामुळे सदर माहिती प्राथमिक शाळा (१ ते ८) व माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकसह) (९ ते १२) या स्वरूपात प्राप्त झाली असून पूर्वीची माहिती प्राथमिक शाळा (१ ते ७) व माध्यमिक शाळा (उच्च माध्यमिकसह) (८ ते १२) या स्वरूपात आहे. तसेच सदर माहितीचा आधार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद आहे.

## ब. महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती

| बाब<br>(१)                                                             | परिमाण<br>(२)                                | महाराष्ट्र<br>(३) | भारत<br>(४) | भारताशी<br>तुलना<br>(टक्केवारी)<br>(५) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>१. लोकसंख्या (२०११)</b>                                             |                                              |                   |             |                                        |
| १.१ एकूण लोकसंख्या                                                     | हजार                                         | १,१२,३७४          | १२,१०,८५५   | ९.३                                    |
| (अ) पुरुष                                                              | -"-                                          | ५८,२४३            | ६,२३,२७०    | ९.३                                    |
| (ब) स्त्रिया                                                           | -"-                                          | ५४,१३१            | ५,८७,५८५    | ९.२                                    |
| १.२ (अ) ग्रामीण लोकसंख्या                                              | हजार                                         | ६१,५५६            | ८,३३,७४९    | ७.४                                    |
| (ब) ग्रामीण लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण                        | टक्के                                        | ५४.८              | ६८.९        | --                                     |
| १.३ (अ) नागरी लोकसंख्या                                                | हजार                                         | ५०,८१८            | ३,७७,१०६    | १३.५                                   |
| (ब) नागरी लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण                          | टक्के                                        | ४५.२              | ३१.१        | --                                     |
| १.४ स्त्री-पुरुष प्रमाण                                                | दर हजार<br>पुरुषांमागे<br>स्त्रियांची संख्या | ९२९               | ९४३         | --                                     |
| १.५ लोकसंख्येचा दशवार्षिक वृद्धिदर (२००१-२०११)                         | टक्के                                        | १६.०              | १७.७        | --                                     |
| १.६ साक्षरतेचे प्रमाण                                                  | -"-                                          | ८२.३              | ७३.०        | --                                     |
| १.७ अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्या                        | हजार                                         | २३,७८६            | ३,०५,९२४    | ७.८                                    |
| १.८ एकूण काम करणारे                                                    | -"-                                          | ४९,४२८            | ४,८१,८८९    | १०.३                                   |
| १.९ भौगोलिक क्षेत्र                                                    | लाख चौ. किमी.                                | ३.०८              | ३२.९        | ९.४                                    |
| <b>२. कृषि (२०१४-१५)</b>                                               |                                              |                   |             |                                        |
| २.१ निव्वळ पेरणी क्षेत्र                                               | हजार हेक्टर                                  | १७,३४५            | १,४०,१३०    | १२.४                                   |
| २.२ पिकांखालील स्थूल क्षेत्र                                           | -"-                                          | २३,४७४            | १,९८,३६०    | ११.८                                   |
| २.३ स्थूल सिंचित क्षेत्र                                               | -"-                                          | उ ना              | ९६,४५७      | --                                     |
| २.४ स्थूल सिंचित क्षेत्राची एकूण पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी | टक्के                                        | उ ना              | ४८.६        | --                                     |
| २.५ प्रमुख पिकांखालील क्षेत्र (२०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षांची सरासरी)  |                                              |                   |             |                                        |
| (१) तांदूळ                                                             | हजार हेक्टर                                  | १,५३०             | ४३,८६८      | ३.५                                    |
| (२) गहू                                                                | -"-                                          | १,०८३             | ३०,८९०      | ३.५                                    |
| (३) ज्वारी                                                             | -"-                                          | ३,१८६             | ५,९५४       | ५३.५                                   |
| (४) बाजरी                                                              | -"-                                          | ८३४               | ७,३०२       | ११.४                                   |
| (५) एकूण तृणधान्ये                                                     | -"-                                          | ७,९०९             | ९९,६१३      | ७.९                                    |
| (६) एकूण अन्नधान्ये (तृणधान्ये व कडधान्ये)                             | -"-                                          | ११,६८०            | १,२५,५८३    | ९.३                                    |
| (७) ऊस क्षेत्र                                                         | -"-                                          | उ ना              | ४,८१०       | --                                     |
| तोडणी क्षेत्र                                                          | -"-                                          | ८८३               | उ ना        | --                                     |
| (८) कापूस                                                              | -"-                                          | ४,०६६             | ११,९७९      | ३३.९                                   |
| (९) भूईमूग                                                             | -"-                                          | ३३०               | ४,९०१       | ६.७                                    |

उ ना उपलब्ध नाही



## महाराष्ट्र आणि भारताची तुलनात्मक माहिती

| बाब<br>(१)                                                                                             | परिमाण<br>(२)         | महाराष्ट्र<br>(३)      | भारत<br>(४)              | भारताशी<br>तुलना<br>(टक्केवारी)<br>(५) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>३. पशुधन गणना</b>                                                                                   |                       |                        |                          |                                        |
| ३.१ एकूण पशुधन (२०१२)                                                                                  | हजार                  | ३२,४८९                 | ५,१२,०५७                 | ६.३                                    |
| ३.२ व्हील ट्रॅक्टर्स (२००३)                                                                            | -"-                   | १०६                    | २,३६१                    | ४.५                                    |
| ३.३ सिंचनाकरिता वापरलेली डिझेल इंजिने व<br>इलेक्ट्रीक पंप (२००३)                                       | -"-                   | १,१७४                  | १५,६८४                   | ७.५                                    |
| <b>४. वने</b>                                                                                          |                       |                        |                          |                                        |
| ४.१ एकूण वन क्षेत्र (२०१७)                                                                             | चौ. किमी.             | ६१,७२४*                | ७,६७,४१९                 | ८.०                                    |
| <b>५. उद्योग</b>                                                                                       |                       |                        |                          |                                        |
| ५.१ औद्योगिक गुंतवणूक \$\$                                                                             |                       |                        |                          |                                        |
| (अ) मंजूर प्रकल्प                                                                                      | संख्या                | २०,३२३                 | १,१३,०९३                 | १८.०                                   |
| (ब) प्रस्तावित गुंतवणूक                                                                                | ₹ कोटी                | १२,८६,६९६              | १,२३,४३,२७५              | १०.४                                   |
| <b>६. वीज (२०१७-१८)</b>                                                                                |                       |                        |                          |                                        |
| ६.१ एकूण निर्मिती                                                                                      | दशलक्ष कि. वॅ.<br>तास | १,५४,२१४               | १३,०३,४५४                | ११.८                                   |
| ६.२ एकूण वापर#                                                                                         | -"-                   | १,१८,५६६               | ९,७३,१३१                 | १२.२                                   |
| ६.३ (अ) औद्योगिक वापर                                                                                  | -"-                   | ३९,२४६                 | ३,१८,३१७                 | १२.३                                   |
| (ब) औद्योगिक वापराची एकूण वापराशी टक्केवारी                                                            | टक्के                 | ३३.१                   | ३२.७                     | --                                     |
| <b>७. बँका (अनुसूचित वाणिज्यिक) (मार्च, २०१८)</b>                                                      |                       |                        |                          |                                        |
| ७.१ बँक कार्यालये                                                                                      | संख्या                | १२,३१७                 | १,४०,१३३                 | ८.८                                    |
| ७.२ ग्रामीण बँक कार्यालये (मार्च, २०१८)                                                                | -"-                   | ३,०९८                  | ४९,३८४                   | ६.३                                    |
| <b>८. राज्य / राष्ट्रीय उत्पन्न (२०१७-१८)</b>                                                          |                       |                        |                          |                                        |
| ८.१ सांकेतिक (नॉमिनल) उत्पन्न                                                                          | ₹ कोटी                | २१,३९,३७८ <sup>+</sup> | १,५१,२८,४७४ <sup>+</sup> | १४.१                                   |
| ८.२ चालू किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न                                                                     | ₹                     | १,७६,१०२ <sup>+</sup>  | १,१४,९५८ <sup>+</sup>    | --                                     |
| ८.३ सांकेतिक (नॉमिनल) स्थूल राज्य उत्पन्न /<br>सांकेतिक (नॉमिनल) देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न <sup>†</sup> | ₹ कोटी                | २४,११,६०० <sup>+</sup> | १,७०,९५,००५ <sup>+</sup> | १४.१                                   |

\$\$ ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९ + पहिले सुधारित अंदाज

† स्थूल राज्य उत्पन्न व देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न बाजार किंमतीनुसार

# वितरण परवानाधारकांमार्फत ग्राहकांना केलेली वीज विक्री

\* अस्थायी



१  
राज्य अर्थव्यवस्था



# १. राज्य अर्थव्यवस्था

## राज्य उत्पन्न

१.१ सन २०१८-१९ च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ७.५ टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०१८-१९ मध्ये कमी पाऊस (सरासरी पावसाच्या ७३.६ टक्के) पडल्याने 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्रात ०.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०१८-१९ मध्ये 'उद्योग' व 'सेवा' क्षेत्रात अनुक्रमे ६.९ टक्के व ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन २०१८-१९ साठी सांकेतिक ('नॉमिनल') चालू किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २६,६०,३१८ कोटी अपेक्षित आहे, तर वास्तविक ('रिअल') (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २०,८८,८३५ कोटी अपेक्षित आहे.

- सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक (१४.४ टक्के) आहे.
- सन २०१७-१८ पेक्षा सन २०१८-१९ च्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात ₹ २,४८,७१८ कोटी वाढ अपेक्षित आहे.
- सन २०१८-१९ चे दरडोई उत्पन्न ₹ १,९१,८२७ अपेक्षित असून ते २०१७-१८ मध्ये ₹ १,७६,१०२ होते (८.९ टक्के जास्त)
- सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न सन २०१४-१५ मध्ये ₹ १७,७९,१३८ कोटी होते तर २०१८-१९ मध्ये ते ₹ २६,६०,३१८ आहे.

१.२ पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन २०१७-१८ चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २४,११,६०० कोटी होते, तर ते सन २०१६-१७ मध्ये ₹ २१,८८,५३२ कोटी होते. सन २०१७-१८ चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ १९,४२,७६९ कोटी होते व ते सन २०१६-१७ साठी ₹ १८,०६,५८१ कोटी होते. सन २०१७-१८ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ₹ १,७६,१०२ होते तर ते सन २०१६-१७ मध्ये ₹ १,६२,००५ होते.

### दरडोई राज्य उत्पन्न आणि सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न

| तपशील                                    | २०११-१२                | २०१२-१३   | २०१३-१४   | २०१४-१५               | २०१५-१६ <sup>+++</sup> | २०१६-१७ <sup>++</sup> | २०१७-१८ <sup>+</sup> | २०१८-१९ <sup>\$</sup> |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| चालू किंमतीनुसार दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) | ९९,५६४                 | १,११,९८०  | १,२५,०३५  | १,३२,४७६              | १,४६,२५८               | १,६२,००५              | १,७६,१०२             | १,९१,८२७              |
| सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न (₹ कोटी)    | १२,८०,३६९              | १४,५९,६२९ | १६,४९,६४७ | १७,७९,१३८             | १९,६६,१४७              | २१,८८,५३२             | २४,११,६००            | २६,६०,३१८             |
| +++ तिसरे सुधारित अंदाज                  | ++ दुसरे सुधारित अंदाज |           |           | + पहिले सुधारित अंदाज |                        |                       | \$ पूर्वानुमान       |                       |

### निवडक राज्यांचे दरडोई उत्पन्न - २०१८-१९

| (पायाभूत वर्ष २०११-१२)  |                           |          |             |            |           |          |              |
|-------------------------|---------------------------|----------|-------------|------------|-----------|----------|--------------|
| तपशील                   | आंध्र प्रदेश <sup>@</sup> | कर्नाटक  | मध्य प्रदेश | महाराष्ट्र | तामिळनाडू | तेलंगणा  | उत्तर प्रदेश |
| दरडोई राज्य उत्पन्न (₹) | १,४३,९३५                  | २,०७,०६२ | ९०,९९८      | १,९१,८२७   | १,८६,१७८  | २,०६,१०७ | ६१,३५१       |

@ सन २०१७-१८ करिता

### जागतिक स्थूल उत्पादनाचे वृद्धिदर - २०१९

| तपशील                             | जागतिक | विकसित अर्थव्यवस्था | विकसनशील अर्थव्यवस्था | अल्प विकसित अर्थव्यवस्था | अमेरिकेची संयुक्त राज्ये | जपान | चीन | भारत <sup>\$</sup> | महाराष्ट्र <sup>\$</sup> |
|-----------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------|-----|--------------------|--------------------------|
| स्थूल उत्पादनाचे वृद्धिदर (टक्के) | २.७    | १.८                 | ४.१                   | ४.६                      | २.३                      | ०.८  | ६.३ | ६.८ <sup>^</sup>   | ७.५ <sup>^^</sup>        |

\$ सन २०१८-१९ करिता <sup>^</sup> केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांचेकडील अस्थायी अंदाज शासन)

<sup>^^</sup> पुर्वानुमान अंदाज (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र

## किंमती

१.३ राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष: २००३) एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत अनुक्रमे २७५.१ व २६६.६ होता तर एप्रिल, २०१७ ते मार्च, २०१८ या कालावधीत अनुक्रमे २७०.४ व २६०.० होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात १.७ टक्के व नागरी भागात २.५ टक्के होता, तर एप्रिल, २०१७ ते मार्च, २०१८ या कालावधीत तो अनुक्रमे १.७ टक्के व २.० टक्के होता.

१.४ मार्च, २०१९ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या २.७८ कोटी शिधापत्रिकांपैकी सुमारे २.४२ कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे.

१.५ मे, २०१८ मध्ये राज्याने सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (एईपीडीएस) तसेच संपूर्ण राज्यात पोर्टेबिलिटी सुरू केली. त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या निवासी क्षेत्राखेरीज राज्याच्या इतर कोणत्याही रास्त भाव दुकानांमधून अन्नधान्य मिळणे शक्य झाले आहे.

१.५.१ या प्रकल्पांतर्गत, सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये ई-पीओएस उपकरणे बसवून त्यांचे कार्यान्वयन व लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने खातरजमा करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वस्तुंचे वितरण केले जाते. मार्च, २०१९ मध्ये सुमारे १.२९ कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला.

## लोकवित्त

- सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.१ टक्के तसेच ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १५.६ टक्के असून हे दोन्ही वित्तीय निर्देशक १४ व्या वित्त आयोगाने घालून दिलेल्या राजकोषीय मर्यादेत आहेत
- मागील पाच वर्षांमध्ये विकास खर्च १६.२ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदराने वाढत आहे
- सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार विकास खर्चाचे एकूण महसुली खर्चातील प्रमाण ७०.७ टक्के आहे
- सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ३३,८९४ कोटी तर सन २०१८-१९ (सुधारित अंदाज) मध्ये ₹ ३२,७८९ कोटी अर्थसहाय्य दिली आहेत

१.६ राज्याची सन २०१८-१९ सुधारित अंदाजानुसार महसुली जमा ₹ २,८६,५०० कोटी, तर सन २०१७-१८ करिता ₹ २,४३,६५४ कोटी आहे. सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल अनुक्रमे ₹ २,३०,९८२ कोटी आणि ₹ ५५,५१८ कोटी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा ₹ १,८९,९९५ कोटी (सुधारित अंदाजाच्या ६६.३ टक्के) असून ती सन २०१७-१८ च्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत १४.५ टक्के अधिक आहे.

१.७ सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार राज्याचा महसुली खर्च ₹ ३,०१,४६० कोटी असून सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २,४१,५७१ कोटी आहे.

१.८ सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार महसुली तूट, वित्तीय तूट आणि ऋणभार अनुक्रमे ₹ १४,९६० कोटी, ₹ ५६,०५३ कोटी व ₹ ४,१४,४११ कोटी आहे.

१.९ सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार भांडवली जमेचा एकूण जमेतील आणि भांडवली खर्चाचा एकूण खर्चातील हिस्सा अनुक्रमे १६.७ टक्के व १२.६ टक्के आहे.

### ऋणभाराची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी

| तपशील                                                                           | २०१४-१५ | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ <sup>#</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| ऋणभाराची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी                                       | १६.५    | १६.५    | १६.७    | १६.७    | १५.६                 |
| एकत्रित वित्तीय सुधारणेचा मार्ग अंतर्गत घालून दिलेल्या राजकोषीय मर्यादा (टक्के) | २४.३    | २१.९    | २२.१    | २२.२    | २२.३                 |

# सुधारित अंदाज

## संस्थांद्वारे वित्तपुरवठा

१.१० राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ३१ मार्च, २०१८ रोजी एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे अनुक्रमे ₹ २२.८९ लाख कोटी व ₹ २४.०५ लाख कोटी होते. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांचे ३१ मार्च, २०१८ रोजी कर्ज-ठेवी प्रमाण १०५.० टक्के होते तर ते ३१ मार्च, २०१७ रोजी १०६.३ टक्के होते.

१.११ प्राधान्य क्षेत्रासाठी सन २०१८-१९ च्या वार्षिक कर्ज योजनेंतर्गत 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राचा हिस्सा १९.७ टक्के आणि 'एमएसएमई (अति लघु, लघु, मध्यम उद्योग, खादी उद्योग)' क्षेत्राचा हिस्सा ५६.६ टक्के आहे.

१.१२ प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत राज्यात १५ मे, २०१९ पर्यंत एकूण २.५० कोटी बँक खाती उघडण्यात आली असून त्यामध्ये एकूण ₹ ५,८९० कोटी ठेवी होत्या.

- देशातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे यामध्ये राज्यातील बँकांचा हिस्सा दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी अनुक्रमे १९.९ टक्के व २७.७ टक्के होता
- प्राधान्य क्षेत्रासाठी सन २०१८-१९ ची राज्याकरिता वार्षिक कर्ज योजना ₹ ४.३५ लाख कोटी असून ती मागील वर्षापेक्षा ४९.५ टक्के जास्त आहे
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत राज्यात सन २०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीत ₹ ६४,९८४ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आली

१.१३ प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राज्यापैकी एक आहे. सदर योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात ३५.९७ लाख लाभार्थ्यांना [‘शिशु’ (₹ ५०,००० पर्यंत) अंतर्गत ३१.४६ लाख, ‘किशोर’ (₹ ५०,००० ते ₹ ५ लाख) अंतर्गत ३.५५ लाख व ‘तरुण’ (₹ ५ लाख ते ₹ १० लाख) अंतर्गत ०.९६ लाख] एकूण ₹ २२,२६६ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले. सन २०१८-१९ मध्ये ४३.८६ लाख (‘शिशु’ अंतर्गत ३७.५१ लाख, ‘किशोर’ अंतर्गत ५.१० लाख व ‘तरुण’ अंतर्गत १.२५ लाख) लाभार्थ्यांना एकूण ₹ २५,७४२ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले.

#### प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित कर्ज (₹ कोटी)

| वर्ष    | शिशु   | किशोर  | तरुण   | एकूण   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| २०१६-१७ | ६,९०९  | ४,९४७  | ५,१२०  | १६,९७६ |
| २०१७-१८ | ७,९८०  | ७,३४३  | ६,९४३  | २२,२६६ |
| २०१८-१९ | १०,०५२ | ८,२८७  | ७,४०३  | २५,७४२ |
| एकूण    | २४,९४१ | २०,५७७ | १९,४६६ | ६४,९८४ |

#### कृषि व संलग्न कार्ये

१.१४ सन २०१८ मध्ये सरासरी पावसाच्या केवळ ७३.६ टक्के पाऊस पडला. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तालुके वगळून) १९२ मध्ये अपुरा पाऊस, १३८ मध्ये सरासरी आणि २५ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त पाऊस पडला.

१.१५ कृषी गणना २०१५-१६ नुसार सरासरी वहिती क्षेत्रामध्ये राज्याचा (१.३४ हेक्टर) सर्व राज्यांमध्ये अकरावा क्रमांक आहे. अल्प व अत्यल्प (२.० हेक्टर पर्यंत) वहिती खातेदारांचे एकूण क्षेत्र ९२.२० लाख हेक्टर असून एकूण क्षेत्राच्या ४५.० टक्के आहे, तर अल्प व अत्यल्प वहिती खातेदारांची संख्या १२१.५५ लाख असून, ती एकूण वहिती खातेदारांच्या ७९.५ टक्के आहे.

१.१६ सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये १५१.०३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे सहा टक्के व ३५ टक्के घट अपेक्षित असून तेलबिया, कापूस आणि उसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे १६ टक्के, १७ टक्के व १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

१.१७ सन २०१८-१९ मध्ये रब्बी पिकांखालील क्षेत्र ३३.८३ लाख हेक्टर असून मुख्यत्वेकरून सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे ते गतवर्षीच्या तुलनेत ५० टक्के आहे.

१.१८ सन २०१८-१९ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र १६.४३ लाख हेक्टर असून २२४.१७ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे, तर सन २०१७-१८ मध्ये १७.२२ लाख हेक्टर क्षेत्रात २४८.५३ लाख मे. टन उत्पादन झाले.

#### राज्यातील पाऊस व पीक उत्पादन

| तपशील                               | २०११-१२                           | २०१२-१३ | २०१३-१४ | २०१४-१५ | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ <sup>#</sup> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| पावसाची सरासरीच्या तुलनेत टक्केवारी | १०२.३                             | ९०.३    | १२४.६   | ७०.२    | ५९.४    | ९४.९    | ८४.३                 |
| पीक                                 | उत्पादन ('००० मे.टन) <sup>९</sup> |         |         |         |         |         |                      |
| तृणधान्ये                           | १०,२७६                            | ८,६६७   | १०,६७७  | ९,२५९   | ७,२१०   | १२,६४६  | १०,९४४               |
| कडधान्य                             | २,२२५                             | २,२६२   | ३,११४   | २,०१९   | १,५४५   | ४,५८४   | ३,६८४                |
| एकूण अन्नधान्ये                     | १२,५०१                            | १०,९२९  | १३,७९१  | ११,२७८  | ८,७५५   | १७,२३०  | १४,६२८               |
| तेलबिया                             | ४,४८५                             | ५,०८७   | ५,२९४   | २,८५०   | २,४३६   | ५,११३   | ४,२०८                |
| ऊस                                  | ८६,७३३                            | ६९,६४८  | ७६,९०१  | ८४,६९९  | ७३,६८०  | ५४,२३७  | ८३,१३८               |
| कापूस (रुई) <sup>@</sup>            | ७,२००                             | ७,६५५   | ८,८३४   | ७,०००   | ७,५००   | १०,७५५  | ६,०९४                |
| फळे                                 | १०,५३८                            | ९,७८५   | १३,४५८  | ११,०९०  | ९,७५०   | १०,६३०  | ११,७२९               |
| भाजीपाला                            | ८,७७८                             | ८,००८   | १०,१६२  | ८,७८३   | ९,४५२   | १०,५२०  | १२,३०७               |

\$ खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अंतर्भूत

@ १७० किलोची एक गासडी याप्रमाणे कापसाचे उत्पादन '००० गासड्यांमध्ये

# अंतिम अंदाज

- सन २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्षारोपणाचे लक्ष्य
- वनाच्छादनाच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र हरित सेनेची स्थापना व ५ जून, २०१९ पर्यंत सुमारे ६१ लाख स्वयंसेवकांची नोंदणी
- वनाच्छादनाच्या वाढीसाठी मराठवाड्यात इको- बटालियनची स्थापना
- बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ व महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठानाची स्थापना

१.१९ मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये मिळून एकत्रितपणे १५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी एकूण उपयुक्त जलसाठा २७,६०७ दशलक्ष घनमीटर होता व तो प्रकल्प आराखड्यानुसार उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या ६३.१ टक्के होता.

१.२० 'जलयुक्त शिवार अभियान' अंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये निवडण्यात आलेल्या एकूण ५,०२८ गावांमध्ये ४,७६३.७ लाख घन मीटर जलसाठ्याच्या निर्मितीद्वारे ४,२९८ गावे पाणी टंचाईमुक्त करण्यात आली. या अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ६,०७२ गावे निवडण्यात आली.

१.२१ सन २०१८-१९ मध्ये वित्तीय संस्थांद्वारे ₹ ३१,२८२ कोटी पीक कर्ज वाटप करण्यात आले तर सन २०१७-१८ मध्ये ते ₹ २५,३२२ कोटी होते. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ३६,६३२ कोटी रकमेचे कृषी मुदत कर्ज वाटप करण्यात आले तर सन २०१७-१८ मध्ये ते ₹ २५,६९५ कोटी होते.

१.२२ वार्षिक कर्ज योजनेतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्रासाठी वार्षिक लक्ष्य ₹ ८५,४६४ कोटी होते. प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी सन २०१७-१८ मध्ये शेतकऱ्यांना एकूण ₹ १४,५७३ कोटी कर्ज वितरित केले.

१.२३ एप्रिल, २०१८ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे ५,०९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते, त्याकरिता डिसेंबर, २०१८ मध्ये ₹ ८.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. मे, २०१८ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे १,७४१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले, त्याकरिता डिसेंबर, २०१८ मध्ये ₹ २.९३ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. खरीप २०१८-१९ च्या हंगामात २६ जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीमुळे एकूण १५१ तालुके बाधित झाले. त्यापैकी, ११२ तालुक्यात तीव्र व ३९ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ होता. त्यामुळे एकूण ८५.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्यासाठी ₹ ४,९०९.५० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले.

१.२४ सन २०१७-१८ मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन १११.०२ लाख मे. टन होते तर सन २०१६-१७ मध्ये ते १०४.०२ लाख मे. टन होते. शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांचे दैनिक सरासरी दूध संकलन सन २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ०.८९ लाख लिटर व ४९.१६ लाख लिटर होते, तर ते सन २०१६-१७ मध्ये अनुक्रमे ०.८२ लाख लिटर आणि ४४.६७ लाख लिटर होते.

१.२५ सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन (अस्थायी) सन २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे ४.६ लाख मे. टन व १.३ लाख मे. टन होते. सन २०१७-१८ मध्ये सदर उत्पादन अनुक्रमे ४.७५ लाख मे. टन व १.३१ लाख मे. टन होते.

## उद्योग व सहकार

१.२६ व्यावसायिक सुलभता म्हणजेच व्यवसायांकरिता सोपे, जलद व विनासायास नियमन होय. याअंतर्गत केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व ३७२ सुधारणांची अंमलबजावणी राज्याने केली आहे.

१.२७ शासनाने राज्यात १४ वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन केली असून या संकुलांमध्ये एकूण २५,५७६ रोजगार असलेले ६३१ घटक कार्यरत आहेत.

१.२८ ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत राज्यात ₹ १२,८६,६९६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या एकूण २०,३२३ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ₹ ३,०६,८२५ कोटी (२३.८ टक्के) गुंतवणुकीचे ९,०९८ प्रकल्प (४४.८ टक्के) कार्यान्वित झाले व त्याद्वारे सुमारे १३.२३ लाख रोजगार निर्मिती झाली.

१.२९ एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक ₹ ६,९०,३२३ कोटी असून ती देशातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या ३० टक्के आहे.



- राज्यास जागतिक गुंतवणूक, उत्पादन व तांत्रिक केंद्र बनविणे हे महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१९ चे व्हिजन आहे
- फिनटेक धोरण घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून मुंबई महानगर प्रदेशात जागतिक फिनटेक संकुल स्थापन करण्यात येईल
- नाविन्यपूर्ण उद्योग आधारीत अर्थव्यवस्था निर्माण करणे व राज्यात सर्वत्र उद्योजकतेचे वातावरण निर्माण करणे या दृष्टीकोनातून 'महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण २०१८' आखण्यात आले आहे
- राज्यात जून, २०१८ व जानेवारी, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र स्टार्ट-अप सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये २,५०० पेक्षा जास्त स्टार्ट-अप्स सहभागी झाले असून पहिल्या ४८ स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या नव कल्पनांना राज्यात राबविण्यासाठी शासनाकडून कार्यादेश प्राप्त झाले. स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टलवर डिसेंबर, २०१८ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या १४,६०० स्टार्ट-अप्स पैकी २,५८७ स्टार्ट-अप्स राज्यामधून असून ते सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहेत
- सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील थेट विदेशी गुंतवणूक ₹ ८०,०१३ कोटी होती

१.३० मार्च, २०१९ अखेर राज्यात एकूण ₹ १,६०,०१६ कोटी गुंतवणूक व ५७.५१ लाख रोजगार क्षमतेच्या ९.८६ लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांनी (८.५८ लाख सूक्ष्म, १.२३ लाख लघु व ०.०५ लाख मध्यम उपक्रम) उद्योग आधार क्रमांक प्राप्त केले आहेत.

१.३१ वार्षिक उद्योग पाहणी २०१६-१७ नुसार स्थूल मूल्यवृद्धित (₹ २,४२,१५२ कोटी) राज्य अग्रस्थानी आहे व देशाच्या स्थूल मूल्यवृद्धित राज्याचा हिस्सा १७.७ टक्के आहे.

१.३२ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून 'कामावर चालत जाणे' (वॉक टू वर्क) या संकल्पनेवर आधारित सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर अशा राज्यातील १०,००० एकर क्षेत्रात औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास केला जात आहे. गुंतवणुकदारांना ऑरिकमधील सुमारे ३५ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत.

१.३३ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी सुमारे ५.१७ कोटी सभासद असलेल्या १.९८ लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी ११ टक्के कृषि पतपुरवठा, १० टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा तर ७९ टक्के इतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या. एकूण सहकारी संस्थांपैकी १८.१ टक्के संस्था तोट्यात होत्या, त्यापैकी कृषि पतपुरवठा संस्थांचे प्रमाण ३३.१ टक्के होते.

## पायाभूत सुविधा

### ऊर्जा

- राज्यात नोव्हेंबर, २०१८ पासून मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतर्गत येत्या तीन वर्षात एक लाख सौर कृषि पंप कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे
- सुमारे २.४९ लाख कृषी पंपांना वीजपुरवठा करण्यासाठी ₹ ५,०४८ कोटी प्रकल्प किंमत असलेली उच्चदाब वितरण प्रणाली मे, २०१८ मध्ये सुरु

१.३४ सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १,१४,१९९ दशलक्ष युनिट्स वीज निर्मिती झाली असून सन २०१८-१९ सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील एकूण विजेचा वापर ४५,१७४ दशलक्ष युनिट्स होता.

१.३५ महावितरणची सन २०१७-१८ मध्ये १७,४१२ मेगावॅट विजेची सरासरी कमाल मागणी होती व १९४ मेगावॅट वीज शिल्लक होती. सन २०१८-१९ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत १८,५०४ मेगावॅट विजेची सरासरी कमाल मागणी होती व २२६ मेगावॅट वीज शिल्लक होती.

१.३६ सन २०१७-१८ मध्ये महापारेषणची पारेषण हानी, महावितरणची वितरण हानी आणि 'एकत्रित तांत्रिक व व्यावसायिक' हानी अनुक्रमे ३.३ टक्के, १३.९ टक्के व १७.४ टक्के होती.

## परिवहन

- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (अंदाजित किंमत ₹ १५,१४९ कोटी) विकसित करण्यात येत आहे
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत रस्त्यांनी न जोडलेल्या वस्त्यांना जोडणे व ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने ₹ ३,७५० कोटी कर्ज राज्य शासनास मंजूर केले आहे
- मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द (₹ १७,३९६ कोटी), कुलाबा-वांद्रे-सिद्धा (₹ २३,१३६ कोटी), वडाळा-कासारवडवली-गायमुख (₹ १५,४९८ कोटी), ठाणे-भिवंडी-कल्याण (₹ ८,४१६.५ कोटी), लोखंडवाला-जोगेश्वरी-कांजूरमार्ग (₹ ६,७९६ कोटी) व अंधेरी ते दहिसर-मिरा भाईंदर (₹ १२,८१५ कोटी) चे काम प्रगतीपथावर आहे
- नागपूर मेट्रो (अंदाजित किंमत ₹ ८,६८० कोटी) व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प (अंदाजित किंमत ₹ ११,४२० कोटी) यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. नागपूर मेट्रोने मार्च, २०१९ पासून प्रवासी वाहतूक सुरु केली आहे
- प्रवासी वाहतूक सुकर व्हावी व नवी मुंबईची झपाट्याने वाढ व्हावी यासाठी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प (अंदाजित किंमत ₹ १७,८४३ कोटी) प्रस्तावित आहे

१.३७ मार्च, २०१८ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे ३.०४ लाख किमी होती.

१.३८ मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा 'महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग' हा आठ पदरी (७०१ किमी लांब व १२० मीटर रुंद) द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित असून या महामार्गामुळे सदर अंतर आठ तासात गाठता येईल. या प्रकल्पाचा एकूण अपेक्षित खर्च ₹ ५५,३३५.३२ कोटी आहे. या महामार्गासाठी एकूण ९,५९९.९९ हेक्टर जमीन आवश्यक असून ८,२५९.८७ हेक्टर (८६ टक्के) भूसंपादन झाले आहे.

१.३९ राज्यातील रस्त्यावरील वाहनांची संख्या १ जानेवारी, २०१९ रोजी ३४९ लाख (प्रति लाख लोकसंख्येमागे २८,३८० वाहने आणि प्रति किमी रस्त्यामागे ११५ वाहने) होती, तर १ जानेवारी, २०१८ रोजी ३२२ लाख (प्रति लाख लोकसंख्येमागे २६,१९१ वाहने आणि प्रति किमी रस्त्यामागे १०६ वाहने) होती.

१.४० नागपूर मेट्रो अंतर्गत खापरी ते सिताबर्डी दरम्यान प्रवासी वाहतूक मार्च, २०१९ पासून सुरु झाली आहे.

१.४१ सन २०१७-१८ मध्ये मोठी बंदरे व लहान बंदरे यांच्या मार्फत झालेली एकत्रित मालवाहतूक १,६६१.९९ लाख मे. टन होती, तर ती मागील वर्षी १,६००.९३ लाख मे. टन होती.

१.४२ सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील विमानतळांवरून झालेली देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक अनुक्रमे ३.११ लाख मे. टन व ६.४९ लाख मे. टन होती तर सन २०१६-१७ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे २.७९ लाख मे. टन व ५.४८ लाख मे. टन होती. सन २०१७-१८ मध्ये देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरून झालेली प्रवासी वाहतूक अनुक्रमे ४५३.२८ लाख व १३८.२९ लाख होती तर सन २०१६-१७ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ४१५.०५ लाख व १२६.१० लाख होती.

१.४३ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सन २०१७-१८ मध्ये प्रती दिवस सरासरी १६,४२४ बसेसमधून ५५.७२ लाख किमी प्रवास करून ६६.९८ लाख प्रवासी वाहतूक केली आहे.

## सामाजिक क्षेत्र

१.४४ सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १,०६,५४६ प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शाळा आहेत व त्यातील पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या १५९.१२ लाख आहे. सन २०१७-१८ मध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ९ वी ते १२ वी) २६,८५७ शाळा आहेत व त्यातील पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या ६६.४८ लाख आहे.

१.४५ अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी अहवालानुसार सन २०१७-१८ मधील उच्च शिक्षणातील पटसंख्या ४१.३१ लाख होती. सन २०१७-१८ करिता उच्च शिक्षणातील स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक ०.९१ होता.

- सन २०१७ मध्ये अर्भक मृत्यूदर १९ होता
- सन २०१६ मध्ये पाच वर्षांखालील अर्भक मृत्यूदर, नवजात शिशु मृत्यूदर व एकूण जनन दर हे अनुक्रमे २१, १३ व १.८ होते
- सन २०१४-१६ मध्ये माता मृत्यूप्रमाण ६१ होते
- शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर व माता मृत्यू प्रमाण याकरीता निश्चित करण्यात आलेली लक्ष्ये राज्याने साध्य केली आहेत
- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ९०,७४१ स्वसहाय्यता गटांना ₹ १,३७३.२७ कोटी पतपुरवठा करण्यात आला
- राज्यात तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत
- राज्यात पहिले समूह विद्यापीठ मुंबई येथे स्थापन झाले आहे

१.४६ स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यातील सर्व ३४ जिल्हे, ३५१ पंचायत समिती आणि २७,६६७ ग्राम पंचायती १८ एप्रिल, २०१८ रोजी खुली हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.

१.४७ स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ३८४ शहरे १ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी खुली हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली असून त्यापैकी १४२ शहरे खुली हागणदारीमुक्त+ झाली आहेत.

१.४८ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ५.५१ लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले व त्यावर ₹ १,०८९.०३ कोटी खर्च झाला, तर सन २०१७-१८ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ४.९५ लाख व ₹ १,००६.७२ कोटी होती.

१.४९ महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील अतिमागास १२५ तालुक्यांमधील ग्रामीण भाग व त्या भागातील 'क' वर्ग नगरपालिकांमध्ये राबविण्यात येत आहे. दारिद्र्याची समस्या हाताळण्यासाठी उपजिविकेच्या संधी प्राधान्याने निर्माण करण्यावर भर देऊन कार्यवाही करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यांच्या सहकार्याने प्राथम्याने २७ तालुक्यांसाठी 'दारिद्र्य कमी करण्यासाठी कृतीकक्ष' स्थापन करण्यात आला आहे.

\* \* \* \* \*



## २ लोकसंख्या





## २. लोकसंख्या

२.१ जनगणना २०११ नुसार राज्याची लोकसंख्या ११.२४ कोटी असून ती अखिल भारताच्या लोकसंख्येच्या ९.३ टक्के आहे. महाराष्ट्र हे देशामध्ये उत्तर प्रदेश नंतर सर्वात जास्त लोकसंख्येचे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. राज्यातील लोकसंख्येची घनता ३६५ प्रति चौ. किमी असून ती अखिल भारतीय लोकसंख्येच्या ३८२ प्रति चौ. किमी घनतेपेक्षा कमी आहे. नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण व साक्षरता या दोन बाबींमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर राज्य अनुक्रमे पाचव्या व सहाव्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्र आणि अखिल भारताची जनगणनानिहाय लोकसंख्या तक्ता २.१ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता २.१ जनगणनानिहाय लोकसंख्या**

(कोटी)

| लोकसंख्या      |         | महाराष्ट्र |       | अखिल भारत |        |
|----------------|---------|------------|-------|-----------|--------|
|                |         | २००१       | २०११  | २००१      | २०११   |
| ग्रामीण        | पुरुष   | २.८५       | ३.१५  | ३८.१६     | ४२.७८  |
|                | स्त्री  | २.७३       | ३.००  | ३६.०९     | ४०.६०  |
|                | व्यक्ती | ५.५८       | ६.१५  | ७४.२५     | ८३.३८  |
| नागरी          | पुरुष   | २.१९       | २.६७  | १५.०६     | १९.५५  |
|                | स्त्री  | १.९२       | २.४१  | १३.५६     | १८.१६  |
|                | व्यक्ती | ४.११       | ५.०८  | २८.६२     | ३७.७१  |
| एकूण           | पुरुष   | ५.०४       | ५.८२  | ५३.२२     | ६२.३३  |
|                | स्त्री  | ४.६५       | ५.४१  | ४९.६५     | ५८.७६  |
|                | व्यक्ती | ९.६९       | ११.२४ | १०२.८७    | १२१.०९ |
| अनुसूचित जाती  | पुरुष   | ०.५१       | ०.६८  | ८.६१      | १०.३५  |
|                | स्त्री  | ०.४८       | ०.६५  | ८.०५      | ९.७९   |
|                | व्यक्ती | ०.९९       | १.३३  | १६.६६     | २०.१४  |
| अनुसूचित जमाती | पुरुष   | ०.४४       | ०.५३  | ४.२६      | ५.२५   |
|                | स्त्री  | ०.४२       | ०.५२  | ४.१७      | ५.२०   |
|                | व्यक्ती | ०.८६       | १.०५  | ८.४३      | १०.४५  |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

टीप: आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही

२.२ निवडक राज्यांचे लोकसंख्या विषयक महत्वाचे निर्देशक तक्ता २.२ मध्ये दिले आहेत. महाराष्ट्राची व भारताची जनगणनांवर आधारित लोकसंख्या परिशिष्ट २.१ मध्ये दिली आहे, तर जनगणनांवर आधारित महाराष्ट्रातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्या परिशिष्ट २.२ मध्ये दिली असून जनगणना २०११ नुसार जिल्हानिहाय लोकसंख्येचे निर्देशक परिशिष्ट २.३ मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता २.२ निवडक राज्यांचे लोकसंख्या विषयक महत्वाचे निर्देशक**

| राज्य                     | दशवार्षिक वृद्धीदर<br>(टक्के) |             | लोकसंख्येची घनता <sup>१</sup> |            | नागरी लोकसंख्या<br>(टक्के) |             | झोपडपट्ट्यांतील<br>लोकसंख्येची नागरी<br>लोकसंख्येशी टक्केवारी |             |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
|                           | २००१                          | २०११        | २००१                          | २०११       | २००१                       | २०११        | २००१                                                          | २०११        |
| आंध्र प्रदेश <sup>@</sup> | १४.६                          | ११.०        | २७७                           | ३०८        | २७.३                       | ३३.४        | २४.९                                                          | ३६.१        |
| गुजरात                    | २२.७                          | १९.३        | २५८                           | ३०८        | ३७.४                       | ४२.६        | ९.९                                                           | ६.५         |
| कर्नाटक                   | १७.५                          | १५.६        | २७६                           | ३१९        | ३४.०                       | ३८.७        | ७.८                                                           | १३.९        |
| केरळ                      | ९.४                           | ४.९         | ८१९                           | ८६०        | २६.०                       | ४७.७        | ०.८                                                           | १.३         |
| मध्य प्रदेश               | २४.३                          | २०.४        | १९६                           | २३६        | २६.५                       | २७.६        | १५.१                                                          | २८.४        |
| <b>महाराष्ट्र</b>         | <b>२२.७</b>                   | <b>१६.०</b> | <b>३१५</b>                    | <b>३६५</b> | <b>४२.४</b>                | <b>४५.२</b> | <b>२७.३</b>                                                   | <b>२३.३</b> |
| राजस्थान                  | २८.४                          | २१.३        | १६५                           | २००        | २३.४                       | २४.९        | ९.८                                                           | १२.१        |
| उत्तर प्रदेश              | २५.९                          | २०.२        | ६९०                           | ८२९        | २०.८                       | २२.३        | १२.७                                                          | १४.०        |
| <b>अखिल भारत</b>          | <b>२१.५</b>                   | <b>१७.७</b> | <b>३२५</b>                    | <b>३८२</b> | <b>२७.८</b>                | <b>३१.१</b> | <b>१४.९</b>                                                   | <b>१७.४</b> |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

<sup>१</sup> लोकसंख्या प्रती चौ. किमी

<sup>@</sup> तेलंगणासह

## नागरी लोकसंख्या

२.३ जनगणना २०११ नुसार राज्याची ४५ टक्के तर देशाची ३१ टक्के लोकसंख्या नागरी आहे. गेल्या दोन दशकांत राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये नागरी लोकसंख्या वेगाने वाढली आहे. तथापि, सन १९९१-२००१ शी तुलना करता सन २००१-२०११ या दशकात नागरी लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी झाला आहे. नागरी लोकसंख्येचा सर्वात मोठा हिस्सा कोकण विभागात आहे. राज्यातील विभागानिहाय नागरी लोकसंख्या तक्ता २.३ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता २.३ राज्यातील विभागानिहाय नागरी लोकसंख्या

(लाख)

| विभाग             | १९९१          | २००१          | २०११          | शेकडा वाढ<br>१९९१-२००१ | शेकडा वाढ<br>२००१-२०११ |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| कोकण              | १३८.४९        | १८६.९०        | २२२.९८        | ३५                     | १९                     |
| नाशिक             | ३२.९७         | ४४.४३         | ५६.९९         | ३५                     | २८                     |
| पुणे              | ५३.४२         | ७५.०८         | ९६.७०         | ४१                     | २९                     |
| औरंगाबाद          | २८.०१         | ३८.३४         | ५०.८०         | ३७                     | ३२                     |
| अमरावती           | २०.९७         | २६.३६         | ३१.१५         | २६                     | १८                     |
| नागपूर            | ३१.५६         | ३९.९०         | ४९.५५         | २६                     | २४                     |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>३०५.४२</b> | <b>४११.०१</b> | <b>५०८.१८</b> | <b>३५</b>              | <b>२४</b>              |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

टीप: आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही

## साक्षरता दर

२.४ साक्षरता आणि शैक्षणिक स्तर हे सामाजिक विकासाचे मूलभूत निर्देशक आहेत. सन १९६१ मध्ये ३५.१ टक्के असलेला राज्याचा साक्षरता दर सातत्याने वाढत जाऊन सन २०११ मध्ये ८२.३ टक्के झाला तर अखिल भारतीय स्तरावर सन १९६१ मध्ये २८.३ टक्के असणारा साक्षरता दर सन २०११ मध्ये ७३ टक्के झाला. 'प्राथमिक', 'मॅट्रीक/माध्यमिक' आणि 'पदवी व त्यापेक्षा अधिक' असे शैक्षणिक स्तर असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे १७ टक्के, १४ टक्के आणि नऊ टक्के आहे. शैक्षणिक स्तरानुसार राज्यातील लोकसंख्येची टक्केवारी तक्ता २.४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता २.४ शैक्षणिक स्तरानुसार राज्यातील लोकसंख्येची टक्केवारी

(टक्के)

| शैक्षणिक स्तर              | २००१    |    |        |       |    |        |      |    |        | २०११    |    |        |       |    |        |      |    |        |
|----------------------------|---------|----|--------|-------|----|--------|------|----|--------|---------|----|--------|-------|----|--------|------|----|--------|
|                            | ग्रामीण |    |        | नागरी |    |        | एकूण |    |        | ग्रामीण |    |        | नागरी |    |        | एकूण |    |        |
|                            | ए       | पु | स्त्री | ए     | पु | स्त्री | ए    | पु | स्त्री | ए       | पु | स्त्री | ए     | पु | स्त्री | ए    | पु | स्त्री |
| निरक्षर                    | ३०      | १८ | ४२     | १५    | ९  | २१     | २३   | १४ | ३३     | २३      | १५ | ३२     | ११    | ८  | १५     | १८   | १२ | २४     |
| साक्षर                     | ७०      | ८२ | ५८     | ८५    | ९१ | ७९     | ७७   | ८६ | ६७     | ७७      | ८५ | ६८     | ८९    | ९२ | ८५     | ८२   | ८८ | ७६     |
| शैक्षणिक स्तराशिवाय साक्षर | २       | २  | १      | १     | १  | १      | २    | २  | १      | ५       | ५  | ५      | ४     | ४  | ४      | ४    | ४  | ४      |
| पूर्व प्राथमिक             | २२      | २४ | २०     | १५    | १५ | १६     | १९   | २० | १९     | १८      | १९ | १८     | १२    | १२ | १२     | १६   | १६ | १५     |
| प्राथमिक                   | २०      | २१ | १९     | १९    | १९ | २०     | २०   | २० | १९     | १८      | १७ | १८     | १६    | १५ | १७     | १७   | १६ | १८     |
| उच्च प्राथमिक              | १०      | १३ | ८      | १३    | १४ | १२     | ११   | १३ | १०     | १३      | १४ | ११     | १३    | १४ | १२     | १३   | १४ | १२     |
| मॅट्रीक/माध्यमिक           | १०      | १३ | ६      | १७    | १९ | १४     | १३   | १५ | १०     | १२      | १४ | १०     | १६    | १७ | १५     | १४   | १६ | १२     |
| उच्च माध्यमिक / पदवीपूर्व  | ४       | ६  | २      | १०    | ११ | ८      | ७    | ८  | ४      | ८       | १० | ५      | १४    | १५ | १२     | १०   | १२ | ८      |
| पदवी व त्यापेक्षा अधिक     | २       | ४  | १      | १०    | १२ | ९      | ६    | ७  | ४      | ४       | ५  | २      | १५    | १६ | १४     | ९    | १० | ७      |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

ए एकूण पु पुरुष स्त्री स्त्रिया

टीप: आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही



## स्त्री-पुरुष प्रमाण

२.५ जनगणना २०११ नुसार राज्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाण ९२९ असून अखिल भारतीय स्तरावर ते ९४३ आहे. गेल्या दशकात राज्यातील तसेच देशातील स्त्री-पुरुष प्रमाणात वाढ झाली आहे. निवडक राज्यांतील स्त्री-पुरुष प्रमाण तक्ता २.५ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता २.५ निवडक राज्यांतील स्त्री-पुरुष प्रमाण<sup>१</sup>

| राज्य                     | १९६१       | १९७१       | १९८१       | १९९१       | २००१       | २०११       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| आंध्र प्रदेश <sup>@</sup> | ९८१        | ९७७        | ९७५        | ९७२        | ९७८        | ९९३        |
| गुजरात                    | ९४०        | ९३४        | ९४२        | ९३४        | ९२०        | ९१९        |
| कर्नाटक                   | ९५९        | ९५७        | ९६३        | ९६०        | ९६५        | ९७३        |
| केरळ                      | १,०२२      | १,०१६      | १,०३२      | १,०३६      | १,०५८      | १,०८४      |
| मध्य प्रदेश               | ९३२        | ९२०        | ९२१        | ९१२        | ९१९        | ९३१        |
| <b>महाराष्ट्र</b>         | <b>९३६</b> | <b>९३०</b> | <b>९३७</b> | <b>९३४</b> | <b>९२२</b> | <b>९२९</b> |
| राजस्थान                  | ९०८        | ९११        | ९१९        | ९१०        | ९२१        | ९२८        |
| उत्तर प्रदेश              | ९०७        | ८७६        | ८८२        | ८७६        | ८९८        | ९१२        |
| <b>अखिल भारत</b>          | <b>९४१</b> | <b>९३०</b> | <b>९३४</b> | <b>९२७</b> | <b>९३३</b> | <b>९४३</b> |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

\$दर हजार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या

@ तेलंगणासह

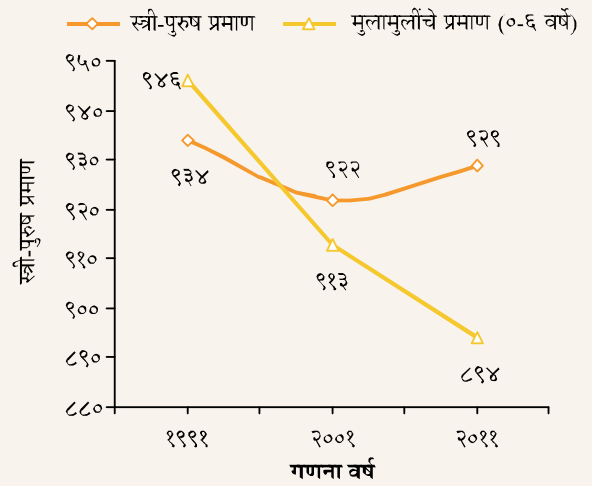
२.५.१ राज्यातील सर्व जिल्ह्यांपैकी केवळ रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांतील स्त्री-पुरुष प्रमाण १००० पेक्षा जास्त, १२ जिल्ह्यांत ९५० ते १००० दरम्यान, १८ जिल्ह्यांत ९०० ते ९५० दरम्यान आणि ठाणे, मुंबई उपनगर व मुंबई शहर या तीन जिल्ह्यांत ते ९०० पेक्षा कमी आहे.

### मुलामुलींचे प्रमाण

२.६ राज्यातील मुलामुलींचे प्रमाण सन १९९१ मधील ९४६ वरून सन २०११ मध्ये ८९४ पर्यंत कमी झाले आहे. जनगणना २०११ नुसार अरुणाचल प्रदेश मध्ये मुलामुलींचे प्रमाण (९७२) सर्वाधिक आहे. निवडक राज्यांतील मुलामुलींचे प्रमाण तक्ता २.६ मध्ये दिले आहे.

२.६.१ जनगणना २०११ नुसार केवळ चंद्रपूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये मुलामुलींच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे वगळता राज्यातील सर्व उर्वरीत जिल्ह्यांमध्ये मुलामुलींचे प्रमाण ९५० पेक्षा कमी आहे.

आलेख २.१ : राज्यातील स्त्री-पुरुष प्रमाण व मुलामुलींचे प्रमाण



### तक्ता २.६ निवडक राज्यांतील मुलामुलींचे प्रमाण<sup>१</sup>

| राज्य                     | ग्रामीण    |            |            | नागरी      |            |            | एकूण       |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | १९९१       | २००१       | २०११       | १९९१       | २००१       | २०११       | १९९१       | २००१       | २०११       |
| आंध्र प्रदेश <sup>@</sup> | ९७९        | ९६३        | ९४१        | ९६२        | ९५५        | ९३५        | ९७५        | ९६१        | ९३९        |
| गुजरात                    | ९३६        | ९०६        | ९१४        | ९०९        | ८३७        | ८५२        | ९२८        | ८८३        | ८९०        |
| कर्नाटक                   | ९६३        | ९४९        | ९५०        | ९५१        | ९४०        | ९४६        | ९६०        | ९४६        | ९४८        |
| केरळ                      | ९५८        | ९६१        | ९६५        | ९५८        | ९५८        | ९६३        | ९५८        | ९६०        | ९६४        |
| मध्य प्रदेश               | ९४४        | ९३९        | ९२३        | ९३१        | ९०७        | ९०१        | ९४१        | ९३२        | ९१८        |
| <b>महाराष्ट्र</b>         | <b>९५३</b> | <b>९१६</b> | <b>८९०</b> | <b>९३४</b> | <b>९०८</b> | <b>८९९</b> | <b>९४६</b> | <b>९१३</b> | <b>८९४</b> |
| राजस्थान                  | ९१९        | ९१४        | ८९२        | ९०९        | ८८७        | ८७४        | ९१६        | ९०९        | ८८८        |
| उत्तर प्रदेश              | ९२७        | ९२१        | ९०६        | ९२८        | ८९०        | ८८५        | ९२७        | ९१६        | ९०२        |
| <b>अखिल भारत</b>          | <b>९४८</b> | <b>९३४</b> | <b>९२३</b> | <b>९३५</b> | <b>९०६</b> | <b>९०५</b> | <b>९४५</b> | <b>९२७</b> | <b>९१८</b> |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

\$ ०-६ वर्षे वयोगटातील दर हजार मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या

@ तेलंगणासह

## वयोगटानुसार लोकसंख्येचे वर्गीकरण

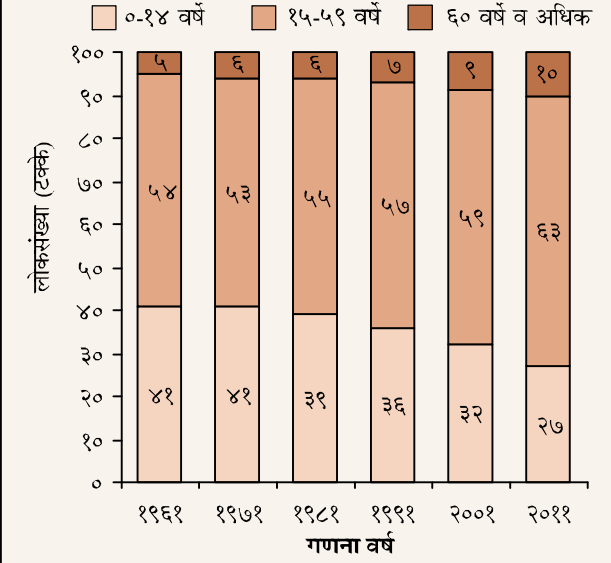
२.७ राज्याच्या ०-१४ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण सन २०११ मध्ये २७ टक्के आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय वयोगटातील (१५-५९ वर्षे) लोकसंख्येचे प्रमाण सन १९६१ मधील ५४ टक्क्यांवरून सन २०११ मध्ये ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. वय ६० वर्षे व अधिक या लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण सन १९६१ मधील पाच टक्क्यांवरून सन २०११ मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

### जननक्षमता

२.८ स्थूल जन्मदर आणि एकूण जननदर हे जननक्षमतेचे दोन महत्त्वाचे निर्देशक आहेत.

२.८.१ सन २००७ ते २०१७ या कालावधीत राज्याचा स्थूल जन्मदर १८.१ वरून १५.७ पर्यंत पर्यंत कमी झाला. स्थूल जन्मदर नागरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात कमी झाला आहे. निवडक राज्यांतील स्थूल जन्मदर तक्ता २.७ मध्ये दिले आहेत.

आलेख २.२ : वयोगटानुसार लोकसंख्येची टक्केवारी



तक्ता २.७ निवडक राज्यांतील स्थूल जन्मदर

| राज्य        | ग्रामीण |      | नागरी |      | एकूण  |      |
|--------------|---------|------|-------|------|-------|------|
|              | २००७    | २०१७ | २००७  | २०१७ | २००७  | २०१७ |
| आंध्र प्रदेश | १९.५@   | १६.५ | १६.७@ | १५.५ | १८.७@ | १६.२ |
| गुजरात       | २४.५    | २१.८ | २०.७  | १७.६ | २३.०  | १९.९ |
| कर्नाटक      | २१.२    | १८.२ | १७.५  | १६.१ | १९.९  | १७.४ |
| केरळ         | १४.८    | १४.१ | १४.५  | १४.२ | १४.७  | १४.२ |
| मध्य प्रदेश  | ३०.५    | २६.८ | २१.५  | १९.४ | २८.५  | २४.८ |
| महाराष्ट्र   | १८.७    | १६.० | १७.३  | १५.४ | १८.१  | १५.७ |
| राजस्थान     | २९.२    | २५.० | २३.७  | २१.५ | २७.९  | २४.१ |
| तेलंगणा      | -       | १७.५ | -     | १६.८ | -     | १७.२ |
| उत्तर प्रदेश | ३०.५    | २७.० | २५.५  | २२.६ | २९.५  | २५.९ |
| अखिल भारत    | २४.७    | २१.८ | १८.६  | १६.८ | २३.१  | २०.२ |

आधार : नमुना नोंदणी पद्धती, भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

@ तेलंगणासह

२.८.२ सन २००६ ते २०१६ या कालावधीत राज्याचा एकूण जननदर २.१ वरून १.८ पर्यंत कमी झाला आहे. एकूण जननदर नागरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात कमी झाला आहे. सन २०१६ मधील १.८ या एकूण जननदरासह, राज्याचा जननदर लोकसंख्या स्थिर राखण्याच्या स्तरापेक्षा कमी झाला आहे. निवडक राज्यांतील एकूण जननदर तक्ता २.८ मध्ये दिला आहे.

तक्ता २.८ निवडक राज्यांतील एकूण जननदर

| राज्य        | ग्रामीण |      | नागरी |      | एकूण |      |
|--------------|---------|------|-------|------|------|------|
|              | २००६    | २०१६ | २००६  | २०१६ | २००६ | २०१६ |
| आंध्र प्रदेश | २.१@    | १.७  | १.६@  | १.५  | २.०@ | १.७  |
| गुजरात       | ३.०     | २.५  | २.३   | १.९  | २.७  | २.२  |
| कर्नाटक      | २.३     | १.९  | १.७   | १.६  | २.१  | १.८  |
| केरळ         | १.७     | १.८  | १.७   | १.८  | १.७  | १.८  |
| मध्य प्रदेश  | ३.९     | ३.१  | २.४   | २.१  | ३.५  | २.८  |
| महाराष्ट्र   | २.३     | १.९  | १.८   | १.६  | २.१  | १.८  |
| राजस्थान     | ३.८     | २.८  | २.७   | २.३  | ३.५  | २.७  |
| तेलंगणा      | -       | १.८  | -     | १.६  | -    | १.७  |
| उत्तर प्रदेश | ४.४     | ३.४  | ३.२   | २.४  | ४.२  | ३.१  |
| अखिल भारत    | ३.१     | २.५  | २.०   | १.८  | २.८  | २.३  |

आधार : नमुना नोंदणी पद्धती, भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

@ तेलंगणासह

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## वैवाहिक स्थिती आणि स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळचे सरासरी वय

२.९ वैवाहिक स्थिती आणि स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळचे सरासरी वय हे जननदर आणि लोकसंख्या वाढ या दोन्हीवर नियंत्रण ठेवणारे आवश्यक मूलभूत घटक आहेत. नमुना नोंदणी पद्धती अहवाल, २०१६ नुसार राज्यातील अविवाहित, विवाहित आणि विधवा/घटस्फोटीत/विभक्त लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे ४८.२ टक्के, ४७.९ टक्के आणि ३.८ टक्के आहे. राज्यातील २.४ टक्के स्त्रियांचे लग्न वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी, ३६.५ टक्के स्त्रियांचे लग्न १८ ते २० वर्षे या वयात आणि ६१.१ टक्के स्त्रियांचे लग्न २१ वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त वयात झाले आहे. राज्यातील स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळचे सरासरी वय सन २००१ मधील १९.९ वर्षांवरून वाढून सन २०१६ मध्ये २२.४ वर्षे झाले आहे. निवडक राज्यांतील लोकसंख्येची वैवाहिक स्थितीनुसार टक्केवारी तक्ता २.९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता २.९ निवडक राज्यांतील लोकसंख्येची वैवाहिक स्थितीनुसार टक्केवारी, २०१६**

(टक्के)

| राज्य             | अविवाहित    |             |             | विवाहित     |             |             | विधवा / घटस्फोटीत / विभक्त |            |            |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|------------|
|                   | पुरुष       | स्त्री      | एकूण        | पुरुष       | स्त्री      | एकूण        | पुरुष                      | स्त्री     | एकूण       |
| आंध्र प्रदेश      | ४६.१        | ३६.९        | ४१.६        | ५१.६        | ५५.६        | ५३.६        | २.३                        | ७.५        | ४.९        |
| गुजरात            | ५१.३        | ४२.४        | ४७.०        | ४६.७        | ५१.०        | ४८.७        | २.०                        | ६.६        | ४.२        |
| कर्नाटक           | ५४.२        | ४१.४        | ४८.०        | ४४.३        | ५०.२        | ४७.१        | १.५                        | ८.४        | ४.९        |
| केरळ              | ५०.३        | ३५.८        | ४२.७        | ४८.५        | ५४.७        | ५१.८        | १.२                        | ९.५        | ५.५        |
| मध्य प्रदेश       | ५५.३        | ४६.९        | ५१.३        | ४२.६        | ४७.८        | ४५.१        | २.१                        | ५.३        | ३.७        |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>५३.५</b> | <b>४२.५</b> | <b>४८.२</b> | <b>४५.०</b> | <b>५१.१</b> | <b>४७.९</b> | <b>१.५</b>                 | <b>६.४</b> | <b>३.८</b> |
| राजस्थान          | ५४.८        | ४५.४        | ५०.३        | ४३.८        | ४९.६        | ४६.६        | १.४                        | ४.९        | ३.१        |
| तेलंगणा           | ५०.५        | ४०.५        | ४५.६        | ४७.५        | ५२.२        | ४९.८        | २.०                        | ७.३        | ४.६        |
| उत्तर प्रदेश      | ५९.७        | ५१.१        | ५५.६        | ३८.५        | ४५.१        | ४१.६        | १.८                        | ३.७        | २.७        |
| <b>अखिल भारत</b>  | <b>५४.५</b> | <b>४४.८</b> | <b>४९.८</b> | <b>४३.८</b> | <b>४९.३</b> | <b>४६.५</b> | <b>१.७</b>                 | <b>५.८</b> | <b>३.७</b> |

आधार : नमुना नोंदणी पद्धती, भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

## भाषा

२.१० जनगणना २०११ नुसार राज्याच्या लोकसंख्येची मातृभाषेनुसार टक्केवारी तक्ता २.१० मध्ये दिले आहे.

**तक्ता २.१० राज्याच्या लोकसंख्येची मातृभाषेनुसार टक्केवारी**

(टक्के)

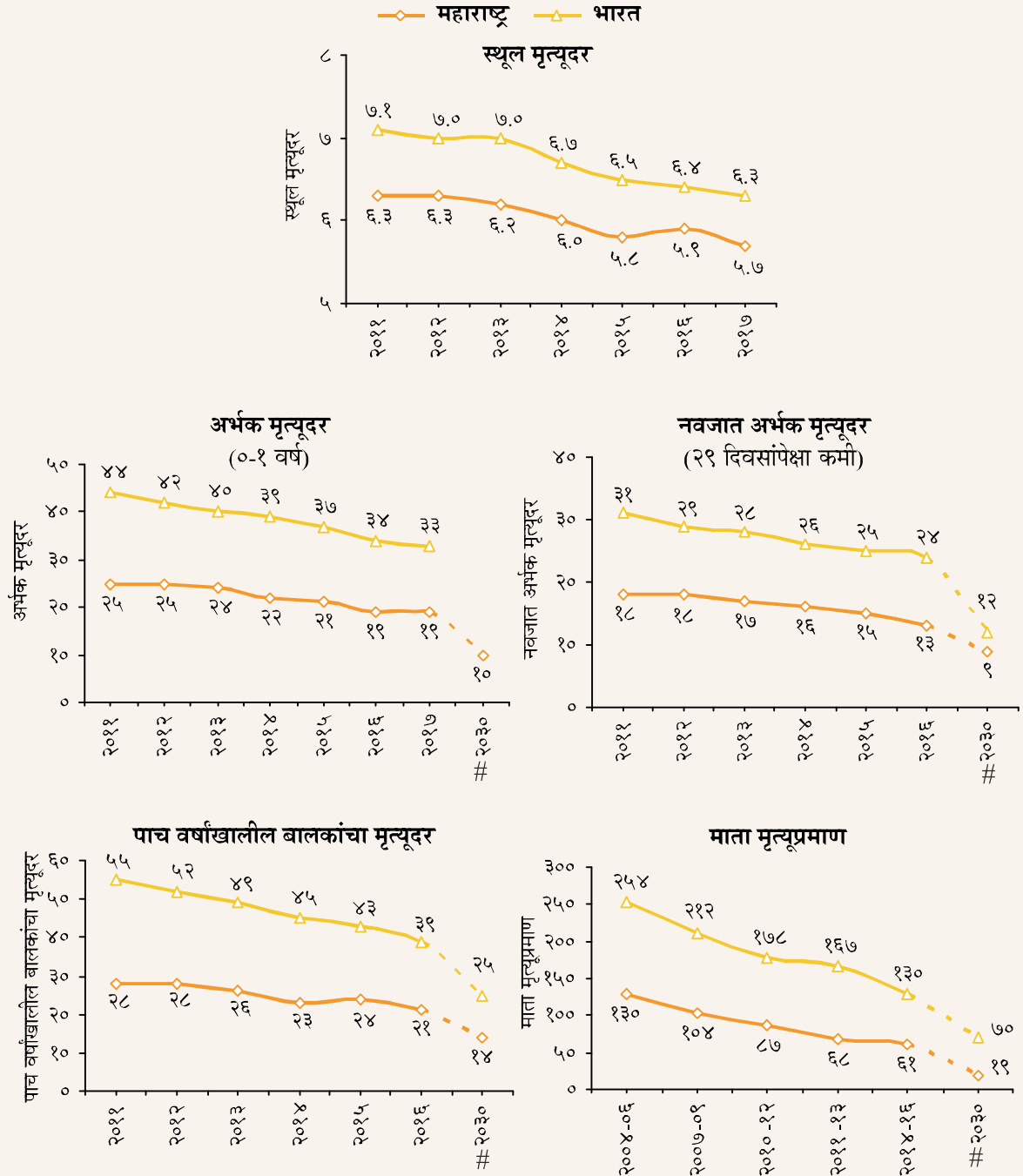
| मातृभाषा    | १९७१         | १९८१         | १९९१         | २००१         | २०११         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| मराठी       | ७६.५         | ७२.८         | ७३.३         | ६८.८         | ६८.९         |
| हिंदी       | ५.०          | ६.६          | ७.८          | ११.०         | १२.९         |
| उर्दु       | ७.३          | ६.९          | ७.३          | ७.१          | ६.७          |
| गुजराथी     | २.८          | २.७          | २.५          | २.४          | २.१          |
| इतर         | ८.४          | ११.०         | ९.१          | १०.७         | ९.४          |
| <b>एकूण</b> | <b>१००.०</b> | <b>१००.०</b> | <b>१००.०</b> | <b>१००.०</b> | <b>१००.०</b> |

आधार : भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

## मृत्यू

२.११ मृत्यू लोकसंख्येतील बदलास कारणीभूत असणाऱ्या मूलभूत घटकांपैकी एक आहे आणि त्याबाबतची माहिती लोकसंख्याशास्त्राच्या अभ्यासासाठी व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आहे. स्थूल मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर, नवजात अर्भक मृत्यूदर, पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर आणि माता मृत्यूप्रमाणे यांसारख्या मृत्यू विषयक बहुतांशी निर्देशकांमध्ये राज्यात तसेच अखिल भारतीय स्तरावर घट झाली आहे.

### आलेख २.३ : विविध मृत्युदर



# अखिल भारतासाठी शाश्वत विकास ध्येये २०३० ची आणि राज्यासाठी विजन २०३० ची उद्दीष्टे

\* \* \* \* \*

## परिशिष्ट २.१

## महाराष्ट्राची व भारताची जनगणनांवर आधारित लोकसंख्या

| जनगणना वर्ष | लोकसंख्या (कोटी) |                    | दशवार्षिक वृद्धीदर (टक्के) |                   | साक्षरतेची टक्केवारी <sup>££</sup> |                   |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|             | महाराष्ट्र       | भारत               | महाराष्ट्र                 | भारत              | महाराष्ट्र                         | भारत              |
| (१)         | (२)              | (३)                | (४)                        | (५)               | (६)                                | (७)               |
| १९६१        | ३.९६             | ४३.९२              | २३.६                       | २१.५              | ३५.१                               | २८.३              |
| १९७१        | ५.०४             | ५४.८२              | २७.५                       | २४.८              | ४५.८                               | ३४.५              |
| १९८१        | ६.२८             | ६८.५२              | २४.५                       | २५.०              | ५७.२                               | ४३.७ <sup>§</sup> |
| १९९१        | ७.८९             | ८४.६३ <sup>£</sup> | २५.७                       | २३.९ <sup>£</sup> | ६४.९                               | ५२.२ <sup>@</sup> |
| २००१        | ९.६९             | १०२.८७             | २२.७                       | २१.५              | ७६.९                               | ६४.८              |
| २०११        | ११.२४            | १२१.०९             | १६.०                       | १७.७              | ८२.३                               | ७३.०              |

आधार — भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

£ जम्मू व काश्मीरची प्रक्षेपित लोकसंख्या धरून

££ १९६१ व १९७१ ची साक्षरतेची टक्केवारी ५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकसंख्येसाठी आहे. १९८१, १९९१, २००१ व २०११ ची साक्षरतेची टक्केवारी ७ वर्षे व अधिक लोकसंख्येसाठी आहे.

§ साक्षरतेची टक्केवारी आसाम आणि जम्मू व काश्मीर वगळून

@ साक्षरतेची टक्केवारी जम्मू व काश्मीर वगळून

## परिशिष्ट २.२

## जनगणनांवर आधारित राज्यातील ग्रामीण व नागरी लोकसंख्या

| वर्ष | लोकसंख्या (कोटी) |       |       |       |          | नागरी लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | स्त्री-पुरुष प्रमाण |       |      | लोकसंख्येची घनता (प्रति चौकिमी) |
|------|------------------|-------|-------|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------|-------|------|---------------------------------|
|      | ग्रामीण          | नागरी | एकूण  | पुरुष | स्त्रिया |                                              | ग्रामीण             | नागरी | एकूण |                                 |
| (१)  | (२)              | (३)   | (४)   | (५)   | (६)      | (७)                                          | (८)                 | (९)   | (१०) | (११)                            |
| १९६१ | २.८४             | १.१२  | ३.९६  | २.०४  | १.९१     | २८.२                                         | ९९५                 | ८०१   | ९३६  | १२९                             |
| १९७१ | ३.४७             | १.५७  | ५.०४  | २.६१  | २.४३     | ३१.२                                         | ९८५                 | ८२०   | ९३०  | १६४                             |
| १९८१ | ४.०८             | २.२०  | ६.२८  | ३.२४  | ३.०४     | ३५.०                                         | ९६७                 | ८५०   | ९३७  | २०४                             |
| १९९१ | ४.८४             | ३.०५  | ७.८९  | ४.०८  | ३.८१     | ३८.७                                         | ९७२                 | ८७५   | ९३४  | २५७                             |
| २००१ | ५.५८             | ४.११  | ९.६९  | ५.०४  | ४.६५     | ४२.४                                         | ९६०                 | ८७३   | ९२२  | ३१५                             |
| २०११ | ६.१६             | ५.०८  | ११.२४ | ५.८२  | ५.४१     | ४५.२                                         | ९५२                 | ९०३   | ९२९  | ३६५                             |

आधार — भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

टीप — आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट २.३

## जनगणना २०११ नुसार जिल्हानिहाय लोकसंख्येचे निर्देशक

| अनु.<br>क्र. | जिल्हा                  | लोकसंख्या ('०००) |               |                 | दशवार्षिक<br>वृद्धिदर<br>(टक्के)<br>(२००१-<br>२०११) | साक्षरता दर (टक्के) |             |             | स्त्री - पुरुष<br>प्रमाण | बालकांमधील<br>स्त्री-पुरुष<br>प्रमाण (० -६<br>वर्षे वयोगट) |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                         | पुरुष            | स्त्री        | एकूण            |                                                     | पुरुष               | स्त्री      | एकूण        |                          |                                                            |
| (१)          | (२)                     | (३)              | (४)           | (५)             | (६)                                                 | (७)                 | (८)         | (९)         | (१०)                     | (११)                                                       |
| १            | मुंबई शहर               | १,६८५            | १,४०१         | ३,०८५           | (-) ७.६                                             | ९१.५                | ८६.५        | ८९.२        | ८३२                      | ९१४                                                        |
| २            | मुंबई उपनगर             | ५,०३१            | ४,३२६         | ९,३५७           | ८.३                                                 | ९२.९                | ८६.४        | ८९.९        | ८६०                      | ९१३                                                        |
| ३            | ठाणे #                  | ५,८६५            | ५,१९५         | ११,०६०          | ३६.०                                                | ८८.७                | ७९.८        | ८४.५        | ८८६                      | ९२४                                                        |
| ४            | रायगड                   | १,३४४            | १,२९०         | २,६३४           | १९.३                                                | ८९.१                | ७६.९        | ८३.१        | ९५९                      | ९३५                                                        |
| ५            | रत्नागिरी               | ७६१              | ८५४           | १,६१५           | (-) ४.८                                             | ९०.९                | ७४.५        | ८२.२        | १,१२२                    | ९३६                                                        |
| ६            | सिंधुदुर्ग              | ४१७              | ४३२           | ८५०             | (-) २.२                                             | ९१.६                | ७९.८        | ८५.६        | १,०३६                    | ९२२                                                        |
|              | <b>कोकण विभाग</b>       | <b>१५,१०४</b>    | <b>१३,४९८</b> | <b>२८,६०१</b>   | <b>१४.९</b>                                         | <b>९०.७</b>         | <b>८२.०</b> | <b>८६.६</b> | <b>८९४</b>               | <b>९२१</b>                                                 |
| ७            | नाशिक                   | ३,१५७            | २,९५०         | ६,१०७           | २२.३                                                | ८८.२                | ७६.१        | ८२.३        | ९३४                      | ८९०                                                        |
| ८            | धुळे                    | १,०५४            | ९९७           | २,०५१           | २०.१                                                | ७९.५                | ६५.८        | ७२.८        | ९४६                      | ८९८                                                        |
| ९            | नंदुरबार                | ८३३              | ८१५           | १,६४८           | २५.७                                                | ७२.२                | ५६.५        | ६४.४        | ९७८                      | ९४४                                                        |
| १०           | जळगाव                   | २,१९७            | २,०३३         | ४,२३०           | १४.९                                                | ८५.४                | ७०.६        | ७८.२        | ९२५                      | ८४२                                                        |
| ११           | अहमदनगर                 | २,३४३            | २,२००         | ४,५४३           | १२.४                                                | ८६.८                | ७०.९        | ७९.१        | ९३९                      | ८५२                                                        |
|              | <b>नाशिक विभाग</b>      | <b>९,५८५</b>     | <b>८,९९५</b>  | <b>१८,५७९</b>   | <b>१८.१</b>                                         | <b>८४.९</b>         | <b>७०.७</b> | <b>७८.०</b> | <b>९३८</b>               | <b>८७६</b>                                                 |
| १२           | पुणे                    | ४,९२४            | ४,५०५         | ९,४२९           | ३०.४                                                | ९०.८                | ८१.१        | ८६.२        | ९१५                      | ८८३                                                        |
| १३           | सातारा                  | १,५११            | १,४९३         | ३,००४           | ६.९                                                 | ८९.४                | ७६.३        | ८२.९        | ९८८                      | ८९५                                                        |
| १४           | सांगली                  | १,४३६            | १,३८६         | २,८२२           | ९.२                                                 | ८८.२                | ७४.६        | ८१.५        | ९६६                      | ८६७                                                        |
| १५           | सोलापूर                 | २,२२८            | २,०९०         | ४,३१८           | १२.२                                                | ८५.०                | ६८.५        | ८७.०        | ९३८                      | ८८३                                                        |
| १६           | कोल्हापूर               | १,९८१            | १,८९५         | ३,८७६           | १०.०                                                | ८८.६                | ७४.२        | ८१.५        | ९५७                      | ८६३                                                        |
|              | <b>पुणे विभाग</b>       | <b>१२,०७९</b>    | <b>११,३७०</b> | <b>२३,४४९</b>   | <b>१७.३</b>                                         | <b>८८.९</b>         | <b>७६.२</b> | <b>८२.७</b> | <b>९४१</b>               | <b>८८०</b>                                                 |
| १७           | औरंगाबाद                | १,९२४            | १,७७७         | ३,७०१           | २७.८                                                | ८७.४                | ७०.१        | ७९.०        | ९२३                      | ८५८                                                        |
| १८           | जालना                   | १,०११            | ९४८           | १,९५९           | २१.५                                                | ८१.५                | ६१.०        | ७१.५        | ९३७                      | ८७०                                                        |
| १९           | परभणी                   | ९४३              | ८९३           | १,८३६           | २०.२                                                | ८२.६                | ६३.६        | ७३.३        | ९४७                      | ८८४                                                        |
| २०           | हिंगोली                 | ६०६              | ५७१           | १,१७७           | १९.३                                                | ८६.९                | ६९.०        | ७८.२        | ९४२                      | ८८२                                                        |
| २१           | बीड                     | १,३४९            | १,२३६         | २,५८५           | १९.६                                                | ८५.६                | ६७.८        | ७७.०        | ९१६                      | ८०७                                                        |
| २२           | नांदेड                  | १,७३०            | १,६३१         | ३,३६१           | १६.९                                                | ८४.३                | ६६.१        | ७५.५        | ९४३                      | ९१०                                                        |
| २३           | उस्मानाबाद              | ८६२              | ७९६           | १,६५८           | ११.५                                                | ८५.८                | ७०.५        | ७८.४        | ९२४                      | ८६७                                                        |
| २४           | लातूर                   | १,२७३            | १,१८१         | २,४५४           | १८.०                                                | ८४.४                | ६९.६        | ७७.३        | ९२८                      | ८८९                                                        |
|              | <b>औरंगाबाद विभाग</b>   | <b>९,६९९</b>     | <b>९,०३३</b>  | <b>१८,७३२</b>   | <b>१९.९</b>                                         | <b>८४.९</b>         | <b>६७.४</b> | <b>७६.४</b> | <b>९३१</b>               | <b>८७०</b>                                                 |
| २५           | बुलढाणा                 | १,३३८            | १,२४९         | २,५८६           | १५.८                                                | ९०.५                | ७५.८        | ८३.४        | ९३४                      | ८५५                                                        |
| २६           | अकोला                   | ९३२              | ८८२           | १,८१४           | ११.३                                                | ९२.३                | ८३.५        | ८८.०        | ९४६                      | ९१२                                                        |
| २७           | वाशिम                   | ६२०              | ५७७           | १,१९७           | १७.३                                                | ९०.५                | ७५.५        | ८३.२        | ९३०                      | ८६३                                                        |
| २८           | अमरावती                 | १,४८१            | १,४०८         | २,८८८           | १०.८                                                | ९१.५                | ८३.१        | ८७.४        | ९५१                      | ९३५                                                        |
| २९           | यवतमाळ                  | १,४२०            | १,३५२         | २,७७२           | १२.८                                                | ८९.४                | ७५.९        | ८२.८        | ९५२                      | ९२२                                                        |
|              | <b>अमरावती विभाग</b>    | <b>५,७९१</b>     | <b>५,४६७</b>  | <b>११,२५८</b>   | <b>१३.२</b>                                         | <b>९०.८</b>         | <b>७९.०</b> | <b>८५.०</b> | <b>९४४</b>               | <b>९००</b>                                                 |
| ३०           | वर्धा                   | ६६८              | ६३२           | १,३०१           | ५.२                                                 | ९१.९                | ८१.८        | ८७.०        | ९४६                      | ९१९                                                        |
| ३१           | नागपूर                  | २,३८५            | २,२६९         | ४,६५४           | १४.४                                                | ९२.१                | ८४.५        | ८८.४        | ९५१                      | ९३१                                                        |
| ३२           | भंडारा                  | ६०६              | ५९५           | १,२००           | ५.६                                                 | ९०.४                | ७७.१        | ८३.८        | ९८२                      | ९५०                                                        |
| ३३           | गोंदिया                 | ६६२              | ६६१           | १,३२३           | १०.१                                                | ९२.०                | ७७.९        | ८५.०        | ९९९                      | ९५६                                                        |
| ३४           | चंद्रपूर                | १,१२४            | १,०८०         | २,२०४           | ६.४                                                 | ८६.८                | ७३.०        | ८०.०        | ९६१                      | ९५३                                                        |
| ३५           | गडचिरोली                | ५४१              | ५३२           | १,०७३           | १०.६                                                | ८२.३                | ६६.३        | ७४.४        | ९८२                      | ९६१                                                        |
|              | <b>नागपूर विभाग</b>     | <b>५,९८६</b>     | <b>५,७६९</b>  | <b>११,७५४</b>   | <b>१०.०</b>                                         | <b>९०.०</b>         | <b>७८.९</b> | <b>८४.५</b> | <b>९६४</b>               | <b>९४१</b>                                                 |
|              | <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>५८,२४३</b>    | <b>५४,१३१</b> | <b>१,१२,३७४</b> | <b>१६.०</b>                                         | <b>८८.४</b>         | <b>७५.९</b> | <b>८२.३</b> | <b>९२९</b>               | <b>८९४</b>                                                 |

आधार - भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

# अविभाजित ठाणे जिल्हा

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

# ૩ રાજ્ય ઉત્પન્ન







## ३. राज्य उत्पन्न

३.१ स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न/ स्थूल राज्य उत्पन्न हा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्देशक असून अर्थव्यवस्थेची स्थिती व दिशा दर्शवितो. शाश्वत विकास ध्येय 'चांगल्या दर्जाचे काम आणि आर्थिक वाढ' करिताच्या फलनिष्पत्ती निर्देशकांपैकी 'दरडोई वास्तविक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न/स्थूल राज्य उत्पन्नाचा वार्षिक वृद्धिदर' हा एक निर्देशक आहे.

३.२ अर्थव्यवस्थेत होत असलेले संरचनात्मक बदल विचारात घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या 'राष्ट्रीय लेखा पद्धती' व वापर करण्यात येत असलेल्या कार्यपद्धतीच्या आधारे केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न / स्थूल राज्य उत्पन्न परिगणनेचे पायाभूत वर्ष ठराविक कालावधीनंतर सुधारित करण्यात येत असते. केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालयाने पायाभूत वर्ष २००४-०५ वरून २०११-१२ असे सुधारित केले असून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रनिहाय अंदाज मूळ किंमतीवर आधारित स्थूल मूल्यवृद्धिच्या स्वरूपात तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादन बाजार किंमतीवर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे राज्यासाठी क्षेत्रनिहाय अंदाज मूळ किंमतीवर आधारित स्थूल मूल्यवृद्धिच्या स्वरूपात व स्थूल राज्य उत्पन्नाचे अंदाज बाजार किंमतीवर आधारित आहेत. चालू वर्षाच्या किंमतीवर आधारित अंदाजांना 'सांकेतिक' ('नॉमिनल') अंदाज तर पायाभूत वर्षातील किंमतीवर आधारित अंदाजांना 'वास्तविक' ('रियल') अंदाज असे संबोधण्यात येत आहे.

### राज्य अर्थव्यवस्था

#### स्थूल राज्य उत्पन्न पूर्वानुमान (सन २०१८-१९)

३.३ तुरळक व असमान पावसामुळे असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची विकासाची गती २०१८-१९ मध्ये मागील वर्षाइतकीच अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन २०१८-१९ मधील सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २६,६०,३१८ कोटी अपेक्षित असून ते मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.३ टक्क्यांनी अधिक आहे तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न सन २०१७-१८ च्या तुलनेत ७.५ टक्के अपेक्षित वाढीसह ₹ २०,८८,८३५ कोटी अंदाजित आहे.

३.३.१ सन २०१८-१९ मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात ०.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे पीक उत्पादनात घट अपेक्षित असल्याने 'पीक' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित (-)८.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'पशुसंवर्धन', 'वने व लाकूड तोडणी' आणि 'मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती' या क्षेत्रांत अनुक्रमे १३.९ टक्के, १६.४ टक्के व ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'वस्तुनिर्माण' क्षेत्रातील ७.१ टक्के वाढीसह 'उद्योग' क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.९ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 'सेवा' क्षेत्रात ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

#### स्थूल राज्य उत्पन्न (सन २०१७-१८)

३.४ पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार सन २०१७-१८ चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २४,११,६०० कोटी असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.२ टक्क्यांनी जास्त आहे. वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ १९,४२,७६९ कोटी अंदाजित असून ते सन २०१६-१७ च्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न, वास्तविक स्थूल मूल्यवृद्धि आणि दरडोई वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न यांचे वार्षिक वृद्धिदर तक्ता ३.१ मध्ये दिले आहेत.

३.४.१ 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित ३.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात झालेल्या पावसाचे प्रमाण साधारण (सरासरीच्या ८४.३ टक्के) असून वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत १०.७ टक्के कमी होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत अन्नधान्य, तेलबिया व कापसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे १५.१ टक्के, १७.७ टक्के व ४३.३ टक्के घट झाली तर ऊस, फळे व भाज्यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ५३.३ टक्के, १०.३ टक्के व १७.० टक्के वाढ झाली आहे. 'पीक' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित ०.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'पशुसंवर्धन', 'वने व लाकूड तोडणी' व 'मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ८.५ टक्के, ८.१ टक्के व (-)११.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

३.४.२ 'उद्योग' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित सन २०१७-१८ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'खाण व दगड खाणकाम' आणि 'वस्तुनिर्माण' या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ७.२ टक्के व ७.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर 'वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा' आणि 'बांधकाम' या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ६.५ टक्के व ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

**तक्ता ३.१ वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न, वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व दरडोई वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नाचे वार्षिक वृद्धिदर**

(टक्के)

| तपशील                                                                                     | वृद्धिदर      |             |                |                        |                       |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                           | २०१२-१३       | २०१३-१४     | २०१४-१५        | २०१५-१६ <sup>+++</sup> | २०१६-१७ <sup>++</sup> | २०१७-१८ <sup>+</sup> | २०१८-१९ <sup>\$</sup> |
| <b>स्थूल राज्य उत्पन्न</b>                                                                | <b>६.१</b>    | <b>६.९</b>  | <b>६.३</b>     | <b>७.२</b>             | <b>९.२</b>            | <b>७.५</b>           | <b>७.५</b>            |
| <b>स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि</b>                                                            | <b>६.०</b>    | <b>६.८</b>  | <b>६.२</b>     | <b>६.७</b>             | <b>९.१</b>            | <b>७.४</b>           | <b>७.५</b>            |
| <b>कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र</b>                                                       | <b>(-)०.४</b> | <b>१२.३</b> | <b>(-)१०.७</b> | <b>(-)३.७</b>          | <b>२३.७</b>           | <b>३.१</b>           | <b>०.४</b>            |
| i) पीक                                                                                    | (-)१.८        | १८.६        | (-)१६.७        | (-)७.६                 | २५.२                  | ०.८                  | (-)८.०                |
| ii) पशुसंवर्धन                                                                            | ३.८           | १.१         | ४.०            | ४.८                    | ११.४                  | ८.५                  | १३.९                  |
| iii) वने व लाकूड तोडणी                                                                    | ०.८           | (-)३.३      | २.८            | ३.४                    | ३९.८                  | ८.१                  | १६.४                  |
| iv) मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                                            | ०.९           | २.०         | ७.०            | (-)४.२                 | २१.२                  | (-)११.७              | ३.४                   |
| <b>उद्योग क्षेत्र</b>                                                                     | <b>५.१</b>    | <b>३.१</b>  | <b>८.०</b>     | <b>८.८</b>             | <b>६.७</b>            | <b>७.६</b>           | <b>६.९</b>            |
| i) खाण व दगड खाणकाम                                                                       | ४.२           | (-)२५.४     | २३.६           | १०.८                   | ३.८                   | ७.२                  | २.९                   |
| ii) वस्तुनिर्माण                                                                          | ८.२           | १०.०        | ५.१            | १०.८                   | ८.०                   | ७.७                  | ७.१                   |
| iii) वीज, वायू, पाणी पुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा                                           | ५.१           | (-)४.४      | १४.७           | ४.८                    | ३.०                   | ६.५                  | ४.३                   |
| iv) बांधकाम                                                                               | (-)३.८        | ३.८         | ७.९            | १.९                    | ५.२                   | ७.९                  | ९.९                   |
| <b>सेवा क्षेत्र</b>                                                                       | <b>८.३</b>    | <b>८.१</b>  | <b>९.१</b>     | <b>७.४</b>             | <b>८.०</b>            | <b>८.१</b>           | <b>९.२</b>            |
| i) व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे, वाहतूक, साठवण, दळणवळण व प्रसारणा संबंधित सेवा | ९.६           | १.३         | ६.१            | ५.५                    | ७.६                   | ७.६                  | ८.१                   |
| ii) वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा                                            | ८.३           | १२.२        | १०.८           | ८.१                    | ७.५                   | ७.६                  | ९.४                   |
| iii) सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व इतर सेवा                                                | ६.३           | ७.३         | ८.६            | ८.२                    | १०.०                  | १०.४                 | १०.६                  |
| <b>दरडोई वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न</b>                                                 | <b>४.८</b>    | <b>५.६</b>  | <b>५.१</b>     | <b>५.९</b>             | <b>७.९</b>            | <b>६.३</b>           | <b>६.३</b>            |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन +++ तिसरे सुधारित अंदाज ++ दुसरे सुधारित अंदाज + पहिले सुधारित अंदाज \$ पूर्वानुमान

टीप : १) स्थूल राज्य उत्पन्न = मूळ किंमतीवर आधारित स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि + उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर - उत्पादित वस्तू व सेवांवरील अनुदान

२) क्षेत्रांचे वृद्धिदर स्थूल राज्य मूल्यवृद्धिवर आधारित असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदर स्थूल राज्य उत्पन्नावर आधारित आहे.

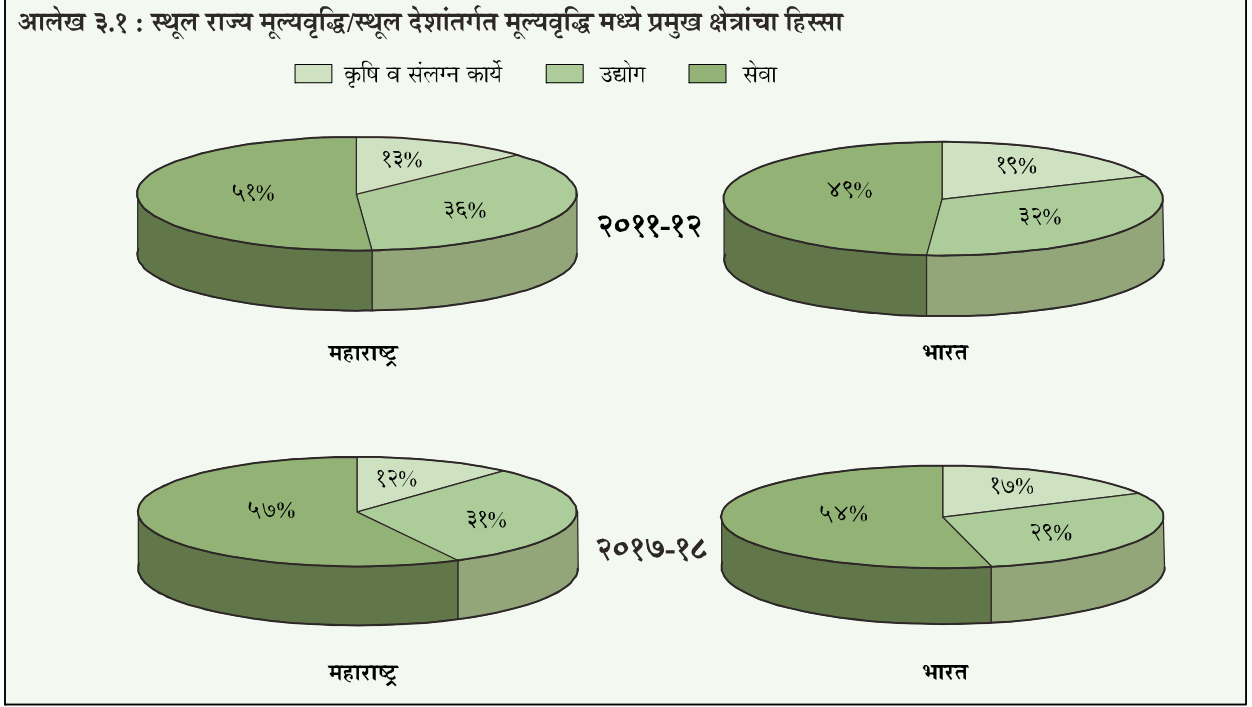
३.४.३ 'सेवा' क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित मागील वर्षाच्या तुलनेत ८.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे' या क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित ८.६ टक्के तर 'वाहतूक, साठवण, दळणवळण व प्रसारणा संबंधित सेवा' या क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा', 'सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण' आणि 'इतर सेवा' या क्षेत्रात अनुक्रमे ७.६ टक्के, ७.८ टक्के व ११.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

### चालू मालिकेतील क्षेत्रनिहाय सरासरी हिस्सा व सरासरी वार्षिक वृद्धि

३.५ सन २०११-१२ ते २०१८-१९ मध्ये भारताच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात (पायाभूत वर्ष २०११-१२) राज्याचे योगदान सरासरी १४.४ टक्के असून देशात सर्वाधिक आहे. राज्याच्या स्थूल राज्य मूल्यवृद्धिमध्ये सर्वात जास्त सरासरी हिस्सा सेवा क्षेत्राचा (५५.० टक्के) असून त्याखालोखाल 'उद्योग' (३३.१ टक्के) आणि 'कृषि व संलग्न कार्ये' (११.९ टक्के) ही क्षेत्र आहेत.

३.६ सन २०१२-१३ ते २०१८-१९ मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्र, 'उद्योग' क्षेत्र आणि 'सेवा' क्षेत्रातील स्थूल राज्य मूल्यवृद्धितील (पायाभूत वर्ष २०११-१२) सरासरी वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे ३.५ टक्के, ६.६ टक्के व ८.३ टक्के आहे.

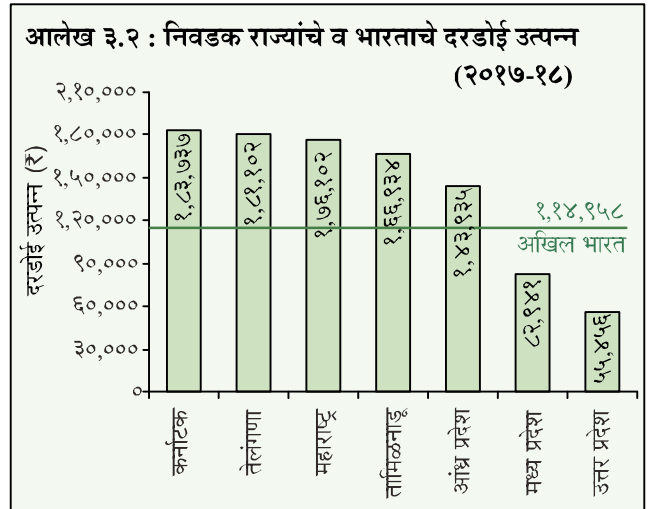
३.७ उपक्षेत्र स्तरावर 'पीक' क्षेत्राचा (सरासरी हिस्सा ७.७ टक्के) सरासरी वार्षिक वृद्धिदर १.५ टक्के आहे. 'खाण व दगड खाणकाम' (सरासरी हिस्सा ३.६ टक्के), 'वस्तुनिर्माण' (सरासरी हिस्सा २०.९ टक्के) व 'बांधकाम' (सरासरी हिस्सा ६.१ टक्के) या क्षेत्रांचा सरासरी वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे ३.९ टक्के, ८.१ टक्के व ४.७ टक्के अपेक्षित आहे. 'व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे' (सरासरी हिस्सा ९.४ टक्के), 'वाहतूक, साठवण, दळणवळण व प्रसारण संबंधित सेवा' (सरासरी हिस्सा ५.६ टक्के) आणि 'वित्तीय सेवा' (सरासरी हिस्सा १०.० टक्के) या क्षेत्रांचा सरासरी वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे ५.४ टक्के, ८.३ टक्के व ७.१ टक्के अपेक्षित आहे. 'स्थावर मालमत्ता, राहत्या घराची मालकी व व्यावसायिक सेवा' (सरासरी हिस्सा १९.७ टक्के) या क्षेत्राचा सरासरी वार्षिक वृद्धिदर १०.३ टक्के अपेक्षित आहे.



### राज्य उत्पन्न (२०१७-१८)

३.८ पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार सन २०१७-१८ मधील सांकेतिक राज्य उत्पन्न म्हणजे 'चालू किंमतीनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न' ₹ २१,३९,३७८ कोटी आहे व ते सन २०१६-१७ मध्ये ₹ १९,४४,९५३ कोटीच्या तुलनेत १०.० टक्के वाढ दर्शविते. वास्तविक राज्य उत्पन्न म्हणजे 'स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार निव्वळ राज्य उत्पन्न' सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १७,१४,७९० कोटी अपेक्षित असून ते मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.५ टक्के जास्त आहे. स्थूल व निव्वळ राज्य उत्पन्नाचा तपशील परिशिष्ट ३.१ ते ३.४ मध्ये दिला आहे.

३.८.१ चालू किंमतीनुसार सन २०१७-१८ चे अंदाजित दरडोई राज्य उत्पन्न (म्हणजेच दरडोई सांकेतिक निव्वळ राज्य उत्पन्न) ₹ १,७६,१०२ असून सन २०१६-१७ मध्ये ते ₹ १,६२,००५ होते.



### जिल्हानिहाय स्थूल मूल्यवृद्धि

३.९ पायाभूत वर्ष (२००४-०५ वरून २०११-१२) सुधारित झाल्याने कार्यपद्धती व परिभाषा यामध्ये बदल झाले. स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धिचे अंदाज तयार करण्यासाठी 'उत्पन्न स्रोत पद्धती' चा अवलंब करण्यात येत असून त्यास अंगभूत मर्यादा लागू आहेत. वस्तु उत्पादन क्षेत्रासाठी जिल्हास्तरीय माहिती उपलब्ध आहे परंतु इतर क्षेत्रांकरिता स्थूल राज्य मूल्यवृद्धिचे अंदाज जिल्ह्यांत वाटप करण्यासाठी अनुरूप निर्देशकांचा वापर करावा लागतो. हे जिल्हास्तरीय अंदाज केवळ जिल्हा स्तरावरील अर्थव्यवस्थेची ढोबळमानाने कल्पना यावी यासाठी वापरले जाऊ शकतात. चालू व स्थिर किंमतीनुसार स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि अंदाज व चालू किंमतीनुसार दरडोई स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि अंदाज परिशिष्ट ३.९ ते ३.११ मध्ये देण्यात आले आहेत.

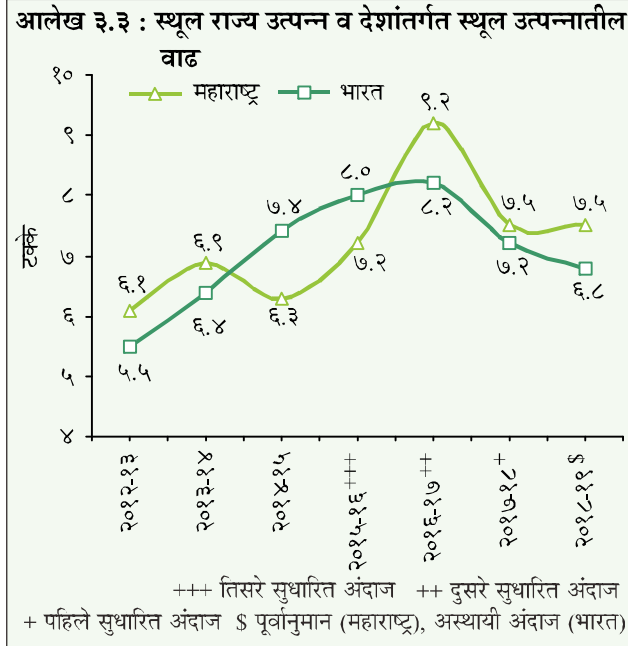
## भारतीय अर्थव्यवस्था

### देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (सन २०१८-१९)

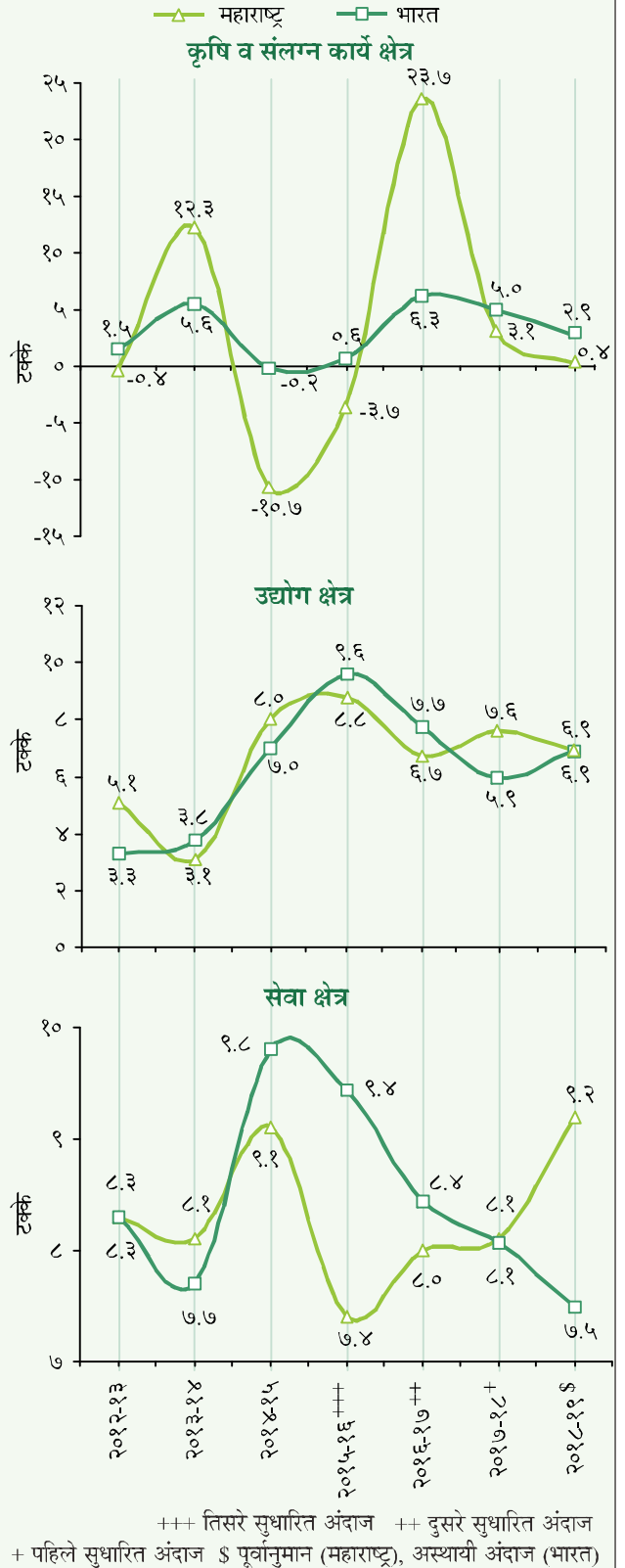
३.१० केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या सन २०१८-१९ च्या अस्थायी अंदाजांनुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न ₹ १,९०,१०,१६४ कोटी अपेक्षित असून वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न ₹ १,४०,७७,५८६ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०१८-१९ करिता वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचा वृद्धिदर ६.८ टक्के अपेक्षित आहे. 'कृषि व संलग्न कार्ये', 'उद्योग' व 'सेवा' या क्षेत्रांच्या वास्तविक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धित सन २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे २.९ टक्के, ६.९ टक्के व ७.५ टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे.

### देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (सन २०१७-१८)

३.११ पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार, सन २०१७-१८ मध्ये सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न ₹ १,७०,९५,००५ कोटी अपेक्षित असून वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न ₹ १,३१,७९,८५७ कोटी अपेक्षित आहे. वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात सन २०१७-१८ मध्ये ७.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 'कृषि व संलग्न कार्ये', 'उद्योग' व 'सेवा' क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ५.० टक्के, ५.९ टक्के आणि ८.१ टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे.



### आलेख ३.४ : स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धितील वाढ



## चालू मालिकेत क्षेत्रनिहाय सरासरी हिस्सा व सरासरी वार्षिक वृद्धि

३.१२ चालू मालिकेत (पायाभूत वर्ष २०११-१२), वर्ष २०११-१२ ते २०१८-१९ मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राच्या (सरासरी १७.८ टक्के हिस्सा) स्थूल मूल्यवृद्धि ३.१ टक्के सरासरी वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. 'उद्योग' क्षेत्राच्या (सरासरी हिस्सा ३०.४ टक्के) मूल्यवृद्धि ६.३ टक्के सरासरी वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. सेवा क्षेत्राच्या (सरासरी हिस्सा सर्वाधिक ५१.८ टक्के) स्थूल मूल्यवृद्धि ८.५ टक्के सरासरी वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न, वास्तविक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व दरडोई देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचे वार्षिक वृद्धिदर तक्ता ३.२ मध्ये दिले आहेत. देशांतर्गत स्थूल व निव्वळ उत्पन्नाचा तपशील परिशिष्ट ३.५ ते ३.८ मध्ये दिला आहे.

### राष्ट्रीय उत्पन्न

३.१३ सांकेतिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.४ टक्के वाढून सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १,६९,१०,१९२ कोटी अंदाजित आहे. सांकेतिक निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.३ टक्के वाढून सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १,५१,२८,४७४ कोटी अंदाजित आहे. वास्तविक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.२ टक्क्यांनी वाढून सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १,३०,३४,१२१ कोटी अंदाजित आहे. वास्तविक निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ७.० टक्क्यांनी वाढून सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १,१५,३१,१५९ कोटी अंदाजित आहे.

३.१३.१ दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (म्हणजेच दरडोई सांकेतिक निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न) सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १,१४,९५८ अपेक्षित असून ते सन २०१६-१७ मध्ये ₹ १,०४,६५९ होते.

### तक्ता ३.२ वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न, वास्तविक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व दरडोई देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाचे वार्षिक वृद्धिदर

(टक्के)

| तपशील                                                                                        | वृद्धिदर |         |         |                        |                       |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                              | २०१२-१३  | २०१३-१४ | २०१४-१५ | २०१५-१६ <sup>+++</sup> | २०१६-१७ <sup>++</sup> | २०१७-१८ <sup>+</sup> | २०१८-१९ <sup>\$</sup> |
| देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न                                                                     | ५.५      | ६.४     | ७.४     | ८.०                    | ८.२                   | ७.२                  | ६.८                   |
| देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि                                                                 | ५.४      | ६.१     | ७.२     | ८.०                    | ७.९                   | ६.९                  | ६.६                   |
| कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्र                                                                 | १.५      | ५.६     | (-)०.२  | ०.६                    | ६.३                   | ५.०                  | २.९                   |
| i) पीक                                                                                       | ०.२      | ५.४     | (-)३.७  | (-)२.९                 | ५.०                   | ३.८                  | उ.ना.                 |
| ii) पशुसंवर्धन                                                                               | ५.२      | ५.६     | ७.४     | ७.५                    | ९.९                   | ७.०                  | उ.ना.                 |
| iii) वने व लाकूड तोडणी                                                                       | ०.२      | ५.९     | १.९     | १.७                    | १.४                   | २.१                  | उ.ना.                 |
| iv) मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                                               | ४.९      | ७.२     | ७.५     | ९.७                    | १०.०                  | ११.९                 | उ.ना.                 |
| उद्योग क्षेत्र                                                                               | ३.३      | ३.८     | ७.०     | ९.६                    | ७.७                   | ५.९                  | ६.९                   |
| i) खाण व दगड खाणकाम                                                                          | ०.६      | ०.२     | ९.७     | १०.१                   | ९.५                   | ५.१                  | १.३                   |
| ii) वस्तुनिर्माण                                                                             | ५.५      | ५.०     | ७.९     | १३.१                   | ७.९                   | ५.९                  | ६.९                   |
| iii) वीज, वायू, पाणी पुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा                                              | २.७      | ४.२     | ७.२     | ४.७                    | १०.०                  | ८.६                  | ७.०                   |
| iv) बांधकाम                                                                                  | ०.३      | २.७     | ४.३     | ३.६                    | ६.१                   | ५.६                  | ८.७                   |
| सेवा क्षेत्र                                                                                 | ८.३      | ७.७     | ९.८     | ९.४                    | ८.४                   | ८.१                  | ७.५                   |
| i) व्यापार, दुरूस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे, वाहतूक, साठवण आणि दळणवळण व प्रसारणा संबंधित सेवा | ९.८      | ६.५     | ९.४     | १०.२                   | ७.७                   | ७.८                  | ६.९                   |
| ii) वित्त, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा                                                 | ९.७      | ११.२    | ११.०    | १०.७                   | ८.७                   | ६.२                  | ७.४                   |
| iii) सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व इतर सेवा                                                   | ४.३      | ३.८     | ८.३     | ६.१                    | ९.२                   | ११.९                 | ८.६                   |
| दरडोई वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न                                                      | ४.२      | ५.०     | ६.१     | ६.६                    | ६.८                   | ५.८                  | ५.५                   |

आधार : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार    +++ तिसरे सुधारित अंदाज    ++ दुसरे सुधारित अंदाज    + पहिले सुधारित अंदाज    \$ अस्थायी अंदाज

## जागतिक अर्थव्यवस्था

३.१४ 'युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स, अँज ऑफ मीड-२०१९' या अहवालानुसार जागतिक स्थूल उत्पादनाची वाढ सन २०१८ मधील ३.० टक्क्यांच्या तुलनेत सन २०१९ मध्ये २.७ टक्के अपेक्षित आहे. जागतिक स्थूल उत्पादनातील वाढ तक्ता ३.३ मध्ये दिली आहे.

३.१४.१ विकसित देशांचा वृद्धिदर सन २०१८ मध्ये २.२ टक्के व सन २०१९ मध्ये १.८ टक्के अपेक्षित आहे. विकसनशील देशांचा वृद्धिदर सन २०१८ मध्ये ४.३ टक्के व सन २०१९ मध्ये ४.१ टक्के अपेक्षित आहे. दक्षिण आशियाई देशांचा वृद्धिदर सन २०१८ मध्ये ५.७ टक्के व सन २०१९ मध्ये ५.० टक्के अपेक्षित आहे.

### तक्ता ३.३ जागतिक स्थूल उत्पादनातील वाढ

| तपशील                    | वार्षिक टक्केवारीतील बदल |      |                  |
|--------------------------|--------------------------|------|------------------|
|                          | २०१७                     | २०१८ | २०१९             |
| जग                       | ३.१                      | ३.०  | २.७              |
| विकसित अर्थव्यवस्था      | २.३                      | २.२  | १.८              |
| अमेरिकेची संयुक्त राज्ये | २.२                      | २.९  | २.३              |
| जपान                     | १.९                      | ०.८  | ०.८              |
| युरोपियन युनियन          | २.४                      | १.९  | १.५              |
| संक्रमणशील अर्थव्यवस्था  | २.०                      | २.७  | २.०              |
| विकसनशील अर्थव्यवस्था    | ४.४                      | ४.३  | ४.१              |
| दक्षिण आशिया             | ६.३                      | ५.७  | ५.०              |
| भारत <sup>#</sup>        | ७.१                      | ७.२  | ६.८ <sup>†</sup> |
| पूर्व आशिया              | ६.०                      | ५.८  | ५.५              |
| चीन                      | ६.८                      | ६.६  | ६.३              |
| अल्प विकसित देश          | ४.२                      | ४.८  | ४.६              |

† केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार कडील दि.३१ मे, २०१९ च्या प्रेसनोटनुसार अस्थायी अंदाज  
# आर्थिक वर्ष

आधार : युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन अँड प्रॉस्पेक्ट्स, अँज ऑफ मीड - २०१९ अहवाल

\* \* \* \* \*

**परिशिष्ट ३.१**  
**मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न**  
**(चालू किंमतीनुसार)**

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                               | २०११-१२<br>(३)                     | २०१२-१३<br>(४)                     | २०१३-१४<br>(५)                     | २०१४-१५<br>(६)                     | २०१५-१६ <sup>+++</sup><br>(७)      | २०१६-१७ <sup>++</sup><br>(८)       | २०१७-१८ <sup>+</sup><br>(९)        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| १             | पीक                                                         | १,०१,९३०                           | १,०८,२९५                           | १,३६,७७६                           | १,१५,१४१                           | १,१४,७२५                           | १,५१,८८३                           | १,४६,७६२                           |
| २             | पशुसंवर्धन                                                  | २८,५५७                             | ३२,८२६                             | ३५,१७१                             | ३९,९१७                             | ४४,१२१                             | ५१,३५०                             | ५७,७०५                             |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                           | १६,६०१                             | १८,२८०                             | १६,५१८                             | १७,४६६                             | १७,२०१                             | २८,७८४                             | ३३,६१८                             |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                  | २,९३९                              | ३,५१६                              | ३,८५२                              | ४,७५१                              | ४,७२९                              | ६,२७४                              | ६,२५०                              |
| ५             | <b>कृषि व संलग्न कार्ये</b><br><b>(उप-बेरीज-१+२+३+४)</b>    | <b>१,५०,०२७</b><br><b>(१३.१)</b>   | <b>१,६२,९१७</b><br><b>(१२.६)</b>   | <b>१,९२,३१८</b><br><b>(१३.१)</b>   | <b>१,७७,२७५</b><br><b>(११.२)</b>   | <b>१,८०,७७६</b><br><b>(१०.५)</b>   | <b>२,३८,२९१</b><br><b>(१२.५)</b>   | <b>२,४४,३३५</b><br><b>(११.६)</b>   |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                            | ५६,४९३                             | ५८,९२१                             | ४८,२३२                             | ५३,४९७                             | ५९,६१५                             | ६०,२३५                             | ६१,७८१                             |
| ७             | <b>प्राथमिक क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ५+६)</b>          | <b>२,०६,५२०</b>                    | <b>२,२१,८३८</b>                    | <b>२,४०,५४९</b>                    | <b>२,३०,७७१</b>                    | <b>२,४०,३९०</b>                    | <b>२,९८,५२६</b>                    | <b>३,०६,११६</b>                    |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                                | २,४६,०३२                           | २,८२,०३२                           | ३,२४,२३७                           | ३,४१,९८०                           | ३,७२,९१७                           | ३,७७,०६९                           | ४,१०,९४७                           |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा                   | २६,८०५                             | २९,२४८                             | ४०,३२३                             | ३९,१२२                             | ४१,३६०                             | ३९,६०४                             | ५१,७५८                             |
| १०            | बांधकाम                                                     | ८०,५५२                             | ८३,९६२                             | ९२,५३६                             | १,०१,१५१                           | १,००,४१०                           | १,०८,७२४                           | १,२१,३३०                           |
| ११            | <b>द्वितीय क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ८+९+१०)</b>        | <b>३,५३,३८९</b>                    | <b>३,९५,२४२</b>                    | <b>४,५७,०९६</b>                    | <b>४,८२,२५३</b>                    | <b>५,१४,६८७</b>                    | <b>५,२५,३९६</b>                    | <b>५,८४,०३५</b>                    |
| १२            | <b>उद्योग</b><br><b>(उप-बेरीज - ६+११)</b>                   | <b>४,०९,८८२</b><br><b>(३५.८)</b>   | <b>४,५४,१६३</b><br><b>(३५.१)</b>   | <b>५,०५,३२७</b><br><b>(३४.४)</b>   | <b>५,३५,७४९</b><br><b>(३३.८)</b>   | <b>५,७४,३०२</b><br><b>(३३.४)</b>   | <b>५,८५,६३१</b><br><b>(३०.८)</b>   | <b>६,४५,८१६</b><br><b>(३०.७)</b>   |
| १३            | व्यापार, दुरूस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे                     | १,०५,६०९                           | १,२७,७९२                           | १,३६,३३३                           | १,४८,७२३                           | १,५६,१९३                           | १,७७,३२०                           | २,००,१७३                           |
| १४            | रेल्वे                                                      | ५,९८७                              | ६,४९०                              | ६,८५५                              | ८,३०४                              | ९,१५७                              | १०,१८४                             | १२,९६३                             |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                  | ४१,६९६                             | ४९,३३१                             | ५०,८९१                             | ५६,२७६                             | ६१,४९०                             | ६५,४६०                             | ७०,९६६                             |
| १६            | साठवण                                                       | ९२५                                | १,०१९                              | १,१४८                              | १,२५८                              | १,३०८                              | १,३६६                              | १,६२८                              |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                               | १५,८९२                             | १८,०१२                             | २१,७३२                             | २४,६९६                             | २९,०४१                             | २८,९२९                             | २८,५६४                             |
| १८            | वित्तीय सेवा                                                | १,१७,८३६                           | १,२९,०९१                           | १,४९,७३०                           | १,६४,०७९                           | १,७८,२३९                           | १,८३,१९९                           | २,०५,५०४                           |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची मालकी व व्यावसायिक सेवा     | १,९०,८७०                           | २,२४,५३८                           | २,६५,८१२                           | ३,१२,४०८                           | ३,५१,६११                           | ४,०४,०२९                           | ४,५५,९३३                           |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                           | ३९,०७०                             | ४३,३७१                             | ४७,९४०                             | ५१,८०२                             | ५६,७८९                             | ६३,५८६                             | ७१,३२४                             |
| २१            | इतर सेवा                                                    | ६६,६२५                             | ७८,३१८                             | ९०,८८२                             | १,०६,३६८                           | १,२१,५०४                           | १,४०,८८१                           | १,६३,०५३                           |
| २२            | <b>तृतीय / सेवा क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - १३ ते २१)</b> | <b>५,८४,५०९</b><br><b>(५१.१)</b>   | <b>६,७७,९६२</b><br><b>(५२.४)</b>   | <b>७,७१,३२३</b><br><b>(५२.५)</b>   | <b>८,७३,९१३</b><br><b>(५५.१)</b>   | <b>९,६५,३३३</b><br><b>(५६.१)</b>   | <b>१०,७४,९५२</b><br><b>(५६.६)</b>  | <b>१२,१०,९०७</b><br><b>(५७.६)</b>  |
| २३            | <b>एकूण स्थूल मूल्यवृद्धि</b><br><b>(५+१२+२२)</b>           | <b>११,४४,४१८</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१२,९५,०४२</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१४,६८,९६८</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१५,८६,९३७</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१७,२०,४१०</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१८,९८,८७४</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>२१,००,२५८</b><br><b>(१००.०)</b> |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                               | १,६२,०८५                           | १,९८,३०४                           | २,१६,३२२                           | २,२८,८०८                           | २,७६,६८०                           | ३,१७,६२२                           | ३,४०,३०८                           |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील अनुदान                       | २६,१३४                             | ३३,७१७                             | ३५,६४३                             | ३६,६०७                             | ३०,९४३                             | २७,९६४                             | २८,९६७                             |
| २६            | <b>स्थूल राज्य उत्पन्न</b><br><b>(२३+२४-२५)</b>             | <b>१२,८०,३६९</b>                   | <b>१४,५९,६२९</b>                   | <b>१६,४९,६४७</b>                   | <b>१७,७९,१३८</b>                   | <b>१९,६६,१४७</b>                   | <b>२१,८८,५३२</b>                   | <b>२४,११,६००</b>                   |
| २७            | <b>दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न (₹)</b>                        | <b>१,१३,१५४</b>                    | <b>१,२७,४७७</b>                    | <b>१,४२,३७७</b>                    | <b>१,५१,७४५</b>                    | <b>१,६५,७२१</b>                    | <b>१,८२,२९४</b>                    | <b>१,९८,५१०</b>                    |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन    +++ तिसरे सुधारित अंदाज    ++ दूसरे सुधारित अंदाज    + पहिले सुधारित अंदाज  
टीप - कंसातील आकडे स्थूल मूल्यवृद्धिशी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

**परिशिष्ट ३.२**  
**मूळ किंमतीनुसार वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न**  
**(स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)**

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                               | २०११-१२<br>(३)                     | २०१२-१३<br>(४)                     | २०१३-१४<br>(५)                     | २०१४-१५<br>(६)                     | २०१५-१६ <sup>+++</sup><br>(७)      | २०१६-१७ <sup>++</sup><br>(८)       | २०१७-१८ <sup>+</sup><br>(९)        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| १             | पीक                                                         | १,०१,९३०                           | १,००,०५७                           | १,१८,६५४                           | ९८,८३३                             | ९१,३५२                             | १,१४,३६८                           | १,१५,२७१                           |
| २             | पशुसंवर्धन                                                  | २८,५५७                             | २९,६३८                             | २९,९५५                             | ३१,१४०                             | ३२,६४२                             | ३६,३७८                             | ३९,४६८                             |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                           | १६,६०१                             | १६,७३१                             | १६,१७२                             | १६,६२३                             | १७,१८५                             | २४,०२३                             | २५,९६४                             |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                  | २,९३९                              | २,९६५                              | ३,०२५                              | ३,२३८                              | ३,१०३                              | ३,७६२                              | ३,३२२                              |
| ५             | <b>कृषि व संलग्न कार्ये</b><br><b>(उप-बेरीज-१+२+३+४)</b>    | <b>१,५०,०२७</b><br><b>(१००.०)</b>  | <b>१,४९,३९२</b><br><b>(९९.६)</b>   | <b>१,६७,८०६</b><br><b>(१११.९)</b>  | <b>१,४९,८३५</b><br><b>(९९.९)</b>   | <b>१,४४,२८२</b><br><b>(९६.२)</b>   | <b>१,७८,५३०</b><br><b>(११९.०)</b>  | <b>१,८४,०२६</b><br><b>(१२२.७)</b>  |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                            | ५६,४९३                             | ५८,८९३                             | ४३,९४७                             | ५४,३३४                             | ६०,२०३                             | ६२,४७१                             | ६६,९४४                             |
| ७             | <b>प्राथमिक क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ५+६)</b>          | <b>२,०६,५२०</b>                    | <b>२,०८,२८५</b>                    | <b>२,११,७५३</b>                    | <b>२,०४,१६९</b>                    | <b>२,०४,४८५</b>                    | <b>२,४१,००२</b>                    | <b>२,५०,९६९</b>                    |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                                | २,४६,०३२                           | २,६६,१६६                           | २,९२,७६२                           | ३,०७,६५१                           | ३,४०,८८२                           | ३,६७,९८४                           | ३,९६,४६२                           |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा                   | २६,८०५                             | २८,१७०                             | २६,९३७                             | ३०,८९३                             | ३२,३६२                             | ३३,३३५                             | ३५,४९०                             |
| १०            | बांधकाम                                                     | ८०,५५२                             | ७७,५१७                             | ८०,४६७                             | ८६,८०७                             | ८८,४७३                             | ९३,०४१                             | १,००,३७६                           |
| ११            | <b>द्वितीय क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ८+९+१०)</b>        | <b>३,५३,३८९</b>                    | <b>३,७१,८५३</b>                    | <b>४,००,१६६</b>                    | <b>४,२५,३५२</b>                    | <b>४,६१,७१८</b>                    | <b>४,९४,३५९</b>                    | <b>५,३२,३२७</b>                    |
| १२            | <b>उद्योग</b><br><b>(उप-बेरीज - ६+११)</b>                   | <b>४,०९,८८२</b><br><b>(१००.०)</b>  | <b>४,३०,७४६</b><br><b>(१०५.१)</b>  | <b>४,४४,११२</b><br><b>(१०८.४)</b>  | <b>४,७९,६८६</b><br><b>(११७.०)</b>  | <b>५,२१,९२१</b><br><b>(१२७.३)</b>  | <b>५,५६,८३१</b><br><b>(१३५.९)</b>  | <b>५,९९,२७१</b><br><b>(१४६.२)</b>  |
| १३            | व्यापार, दुरूस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे                     | १,०५,६०९                           | १,१६,८१५                           | १,१५,१३२                           | १,१८,८७३                           | १,१९,४०६                           | १,२९,७३४                           | १,४०,८५२                           |
| १४            | रेल्वे                                                      | ५,९८७                              | ६,२०९                              | ६,४१६                              | ७,२५०                              | ७,७९०                              | ९,१७९                              | ११,०२७                             |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                  | ४१,६९६                             | ४५,८६३                             | ४७,५५९                             | ५२,४८१                             | ५८,५८१                             | ६३,६६९                             | ६९,०८४                             |
| १६            | साठवण                                                       | ९२५                                | ९४०                                | ९९९                                | १,०४९                              | १,०६१                              | १,०६५                              | १,२१०                              |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                               | १५,८९२                             | १६,६७०                             | १८,८१०                             | २०,७२१                             | २४,५९१                             | २३,७९८                             | २२,६३८                             |
| १८            | वित्तीय सेवा                                                | १,१७,८३६                           | १,२७,४०१                           | १,४४,३७७                           | १,५५,६०६                           | १,६५,११०                           | १,७०,२२७                           | १,७७,३७१                           |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची मालकी व व्यावसायिक सेवा     | १,९०,८७०                           | २,०६,९४१                           | २,३०,६१२                           | २,५९,८८२                           | २,८४,०००                           | ३,१२,५५५                           | ३,४२,२४४                           |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                           | ३९,०७०                             | ३९,८०८                             | ४०,७८४                             | ४१,७९०                             | ४३,९१८                             | ४७,१८८                             | ५०,८५७                             |
| २१            | इतर सेवा                                                    | ६६,६२५                             | ७२,५९७                             | ७९,८२२                             | ८९,२०३                             | ९७,७५०                             | १,०८,७१२                           | १,२१,२९६                           |
| २२            | <b>तृतीय / सेवा क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - १३ ते २१)</b> | <b>५,८४,५०९</b><br><b>(१००.०)</b>  | <b>६,३३,२४५</b><br><b>(१०८.३)</b>  | <b>६,८४,५०९</b><br><b>(११७.१)</b>  | <b>७,४६,८५४</b><br><b>(१२७.८)</b>  | <b>८,०२,२०८</b><br><b>(१३७.२)</b>  | <b>८,६६,१२७</b><br><b>(१४८.२)</b>  | <b>९,३६,५७८</b><br><b>(१६०.२)</b>  |
| २३            | <b>एकूण स्थूल मूल्यवृद्धि</b><br><b>(५+१२+२२)</b>           | <b>११,४४,४१८</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१२,१३,३८२</b><br><b>(१०६.०)</b> | <b>१२,९६,४२८</b><br><b>(११३.३)</b> | <b>१३,७६,३७४</b><br><b>(१२०.३)</b> | <b>१४,६८,४११</b><br><b>(१२८.३)</b> | <b>१६,०१,४८८</b><br><b>(१३९.९)</b> | <b>१७,१९,८७४</b><br><b>(१५०.३)</b> |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                               | १,६२,०८५                           | १,७७,१५५                           | १,८७,८८९                           | १,९८,५४१                           | २,१२,२१०                           | २,२८,६७८                           | २,४६,६१५                           |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील अनुदान                       | २६,१३४                             | ३२,५९५                             | ३२,७०२                             | ३१,७५०                             | २६,४११                             | २३,५८४                             | २३,७२०                             |
| २६            | <b>स्थूल राज्य उत्पन्न</b><br><b>(२३+२४-२५)</b>             | <b>१२,८०,३६९</b>                   | <b>१३,५७,९४२</b>                   | <b>१४,५१,६१५</b>                   | <b>१५,४३,१६५</b>                   | <b>१६,५४,२०९</b>                   | <b>१८,०६,५८१</b>                   | <b>१९,४२,७६९</b>                   |
| २७            | <b>दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न (₹)</b>                        | <b>१,१३,१५४</b>                    | <b>१,१८,५९७</b>                    | <b>१,२५,२८५</b>                    | <b>१,३१,६१९</b>                    | <b>१,३९,४२९</b>                    | <b>१,५०,४७९</b>                    | <b>१,५९,९१८</b>                    |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन    +++ तिसरे सुधारित अंदाज    ++ दूसरे सुधारित अंदाज    + पहिले सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.



**परिशिष्ट ३.३**  
**मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक निव्वळ राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक निव्वळ राज्य उत्पन्न**  
**(चालू किंमतीनुसार)**

| (₹ कोटी)      |                                                         |                            |                             |                             |                             |                               |                              |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                           | २०११-१२<br>(३)             | २०१२-१३<br>(४)              | २०१३-१४<br>(५)              | २०१४-१५<br>(६)              | २०१५-१६ <sup>+++</sup><br>(७) | २०१६-१७ <sup>++</sup><br>(८) | २०१७-१८ <sup>+</sup><br>(९) |
| १             | पीक                                                     | ९६,१५३                     | १,०१,७०६                    | १,२९,०५३                    | १,०६,६१७                    | १,०५,५४२                      | १,४१,९५५                     | १,३६,२२२                    |
| २             | पशुसंवर्धन                                              | २८,१५३                     | ३२,३६०                      | ३४,६६८                      | ३९,३७३                      | ४३,५९४                        | ५०,७७८                       | ५७,०८५                      |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                       | १६,४३५                     | १८,११५                      | १६,३३३                      | १७,२८३                      | १७,०३९                        | २८,५६९                       | ३३,३७३                      |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                              | २,५९१                      | ३,११८                       | ३,४४३                       | ४,३०४                       | ४,३०५                         | ५,७६२                        | ५,७६७                       |
| ५             | <b>कृषि व संलग्न कार्ये</b><br>(उप-बेरीज-१+२+३+४)       | <b>१,४३,३३१</b><br>(१४.५)  | <b>१,५५,२९८</b><br>(१३.९)   | <b>१,८३,४९७</b><br>(१४.५)   | <b>१,६७,५७६</b><br>(१२.३)   | <b>१,७०,४८०</b><br>(११.४)     | <b>२,२७,०६४</b><br>(१३.७)    | <b>२,३२,४४६</b><br>(१२.७)   |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                        | ४९,६७४                     | ५१,७५८                      | ४१,५५२                      | ४४,६३८                      | ५६,१९७                        | ५७,६५९                       | ५९,५७०                      |
| ७             | <b>प्राथमिक क्षेत्र</b><br>(उप-बेरीज - ५+६)             | <b>१,९३,००५</b>            | <b>२,०७,०५६</b>             | <b>२,२५,०४९</b>             | <b>२,१२,२१५</b>             | <b>२,२६,६७७</b>               | <b>२,८४,७२३</b>              | <b>२,९२,०१६</b>             |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                            | २,०६,८०४                   | २,३६,१५८                    | २,७९,०२२                    | २,९३,०७४                    | ३,२३,१११                      | ३,२९,९४६                     | ३,५९,८६८                    |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा               | १८,०२१                     | १९,३७६                      | २६,८६८                      | २५,८८१                      | २७,८४१                        | २६,३०४                       | ३५,६४६                      |
| १०            | बांधकाम                                                 | ७६,८४१                     | ७९,६४२                      | ८६,६५०                      | ९५,२०६                      | ९४,४४६                        | १,०२,०६१                     | १,१३,६२१                    |
| ११            | <b>द्वितीय क्षेत्र</b><br>(उप-बेरीज -८+९+१०)            | <b>३,०१,६६६</b>            | <b>३,३५,१७५</b>             | <b>३,९२,५४०</b>             | <b>४,१४,१६१</b>             | <b>४,४५,३९८</b>               | <b>४,५८,३१२</b>              | <b>५,०९,१३५</b>             |
| १२            | <b>उद्योग</b><br>(उप-बेरीज - ६+११)                      | <b>३,५१,३४०</b><br>(३५.५)  | <b>३,८६,९३३</b><br>(३४.६)   | <b>४,३४,०९२</b><br>(३४.२)   | <b>४,५८,७९९</b><br>(३३.७)   | <b>५,०१,५९५</b><br>(३३.७)     | <b>५,१५,९७०</b><br>(३१.२)    | <b>५,६८,७०४</b><br>(३१.१)   |
| १३            | व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे                 | ९८,०६१                     | १,१८,५९८                    | १,२५,७७६                    | १,३६,७२७                    | १,४३,४६२                      | १,६२,९८१                     | १,८३,२९१                    |
| १४            | रेल्वे                                                  | ५,१२५                      | ५,५५१                       | ५,७५९                       | ६,९५७                       | ७,६०७                         | ८,४४३                        | ११,०२३                      |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                              | ३५,८०१                     | ४२,५८०                      | ४२,९२९                      | ४८,०१५                      | ५३,३०१                        | ५६,५७८                       | ६०,६८४                      |
| १६            | साठवण                                                   | ७९२                        | ८८२                         | ९७१                         | १,०६३                       | १,०९९                         | १,१४७                        | १,३७४                       |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                           | १२,८८३                     | १४,७४५                      | १६,३७०                      | १८,८२६                      | २२,४७३                        | २१,७०६                       | २०,३३२                      |
| १८            | वित्तीय सेवा                                            | १,१५,९७६                   | १,२६,८०४                    | १,४७,२२५                    | १,६१,०५९                    | १,७४,५७४                      | १,७९,१५६                     | २,००,९७७                    |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची मालकी व व्यावसायिक सेवा | १,४१,०८७                   | १,६५,४६१                    | १,९५,४२९                    | २,२८,१७२                    | २,६१,४८६                      | ३,०४,८१३                     | ३,४४,१८३                    |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                       | २७,८४४                     | ३१,३१५                      | ३४,९७२                      | ३८,२७०                      | ४३,०४०                        | ४८,९५१                       | ५६,२७४                      |
| २१            | इतर सेवा                                                | ५८,४०३                     | ६९,४२४                      | ८१,०२२                      | ९५,५५२                      | १,१०,३७८                      | १,२८,४८४                     | १,४८,७४८                    |
| २२            | <b>तृतीय / सेवा क्षेत्र</b><br>(उप-बेरीज -१३ ते २१)     | <b>४,९५,९७२</b><br>(५०.१)  | <b>५,७५,३६१</b><br>(५१.५)   | <b>६,५०,४५३</b><br>(५१.३)   | <b>७,३४,६४१</b><br>(५४.०)   | <b>८,१७,४१८</b><br>(५४.९)     | <b>९,१२,२६०</b><br>(५५.१)    | <b>१०,२६,८८५</b><br>(५६.२)  |
| २३            | <b>एकूण निव्वळ मूल्यवृद्धि</b><br>(५+१२+२२)             | <b>९,९०,६४४</b><br>(१००.०) | <b>११,१७,५९३</b><br>(१००.०) | <b>१२,६८,०४१</b><br>(१००.०) | <b>१३,६१,०१६</b><br>(१००.०) | <b>१४,८९,४९३</b><br>(१००.०)   | <b>१६,५५,२९५</b><br>(१००.०)  | <b>१८,२८,०३६</b><br>(१००.०) |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                           | १,६२,०८५                   | १,९८,३०४                    | २,१६,३२२                    | २,२८,८०८                    | २,७६,६८०                      | ३,१७,६२२                     | ३,४०,३०८                    |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील अनुदान                   | २६,१३४                     | ३३,७१७                      | ३५,६४३                      | ३६,६०७                      | ३०,९४३                        | २७,९६४                       | २८,९६७                      |
| २६            | <b>निव्वळ राज्य उत्पन्न</b><br>(२३+२४-२५)               | <b>११,२६,५९५</b>           | <b>१२,८२,१८०</b>            | <b>१४,४८,७२०</b>            | <b>१५,५३,२१७</b>            | <b>१७,३५,२३०</b>              | <b>१९,४४,९५३</b>             | <b>२१,३९,३७८</b>            |
| २७            | <b>दरडोई राज्य उत्पन्न (₹)</b>                          | <b>९९,५६४</b>              | <b>१,११,९८०</b>             | <b>१,२५,०३५</b>             | <b>१,३२,४७६</b>             | <b>१,४६,२५८</b>               | <b>१,६२,००५</b>              | <b>१,७६,१०२</b>             |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन    +++ तिसरे सुधारित अंदाज    ++दुसरे सुधारित अंदाज    + पहिले सुधारित अंदाज  
टीप - कंसातील आकडे निव्वळ मूल्यवृद्धिशी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

**परिशिष्ट ३.४**  
**मूल किंमतीनुसार वास्तविक निव्वळ राज्य मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक निव्वळ राज्य उत्पन्न**  
**(स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)**

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                             | २०११-१२<br>(३)                    | २०१२-१३<br>(४)                     | २०१३-१४<br>(५)                     | २०१४-१५<br>(६)                     | २०१५-१६ <sup>+++</sup><br>(७)      | २०१६-१७ <sup>++</sup><br>(८)       | २०१७-१८ <sup>+</sup><br>(९)        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| १             | पीक                                                       | ९६,१५३                            | ९३,९५५                             | १,१२,०५३                           | ९१,८९०                             | ८४,१८८                             | १,०६,८९५                           | १,०७,५१८                           |
| २             | पशुसंवर्धन                                                | २८,१५३                            | २९,२०६                             | २९,५०९                             | ३०,६७२                             | ३२,१७०                             | ३५,८७६                             | ३८,९५७                             |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                         | १६,४३५                            | १६,५७७                             | १६,००८                             | १६,४६६                             | १७,०४२                             | २३,८३८                             | २५,७६४                             |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                | २,५९१                             | २,५९०                              | २,६६६                              | २,८४३                              | २,७३३                              | ३,३०५                              | २,८९२                              |
| ५             | <b>कृषि व संलग्न कार्ये</b><br><b>(उप-बेरीज-१+२+३+४)</b>  | <b>१,४३,३३१</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१,४२,३२९</b><br><b>(९९.३)</b>   | <b>१,६०,२३५</b><br><b>(१११.८)</b>  | <b>१,४१,८७१</b><br><b>(९९.०)</b>   | <b>१,३६,१३३</b><br><b>(९५.०)</b>   | <b>१,६९,९१५</b><br><b>(११८.५)</b>  | <b>१,७५,१३१</b><br><b>(१२२.२)</b>  |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                          | ४९,६७४                            | ५२,०७३                             | ३७,८२९                             | ४६,७०५                             | ५७,३४३                             | ६०,३५०                             | ६५,१७१                             |
| ७             | <b>प्राथमिक क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ५+६)</b>        | <b>१,९३,००५</b>                   | <b>१,९४,४०२</b>                    | <b>१,९८,०६५</b>                    | <b>१,८८,५७७</b>                    | <b>१,९३,४७६</b>                    | <b>२,३०,२६५</b>                    | <b>२,४०,३०२</b>                    |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                              | २,०६,८०४                          | २,२२,०२१                           | २,५०,४७९                           | २,६३,६९१                           | २,९६,२६८                           | ३,२५,७२६                           | ३,५१,७३८                           |
| ९             | बीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर उपयोगिता सेवा                 | १८,०२१                            | १८,६५४                             | १४,३१६                             | १९,०५७                             | २०,२५३                             | २१,४१८                             | २१,३८८                             |
| १०            | बांधकाम                                                   | ७६,८४१                            | ७३,३९६                             | ७४,९२९                             | ८१,२९३                             | ८२,९१२                             | ८६,६८४                             | ९३,१०३                             |
| ११            | <b>द्वितीय क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज - ८+९+१०)</b>      | <b>३,०१,६६६</b>                   | <b>३,१४,०७०</b>                    | <b>३,३९,७२३</b>                    | <b>३,६४,०४१</b>                    | <b>३,९९,४३२</b>                    | <b>४,३३,८२९</b>                    | <b>४,६६,२२९</b>                    |
| १२            | <b>उद्योग</b><br><b>(उप-बेरीज - ६+११)</b>                 | <b>३,५१,३४०</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>३,६६,१४४</b><br><b>(१०४.२)</b>  | <b>३,७७,५५३</b><br><b>(१०७.५)</b>  | <b>४,१०,७४६</b><br><b>(११६.९)</b>  | <b>४,५६,७७५</b><br><b>(१३०.०)</b>  | <b>४,९४,१७९</b><br><b>(१४०.७)</b>  | <b>५,३१,४००</b><br><b>(१५१.२)</b>  |
| १३            | व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपाहारगृहे                   | ९८,०६१                            | १,०८,१५३                           | १,०५,५२२                           | १,०८,३४१                           | १,०८,०१८                           | १,१७,०३२                           | १,२६,५३८                           |
| १४            | रेल्वे                                                    | ५,१२५                             | ५,३२८                              | ५,४१६                              | ६,०७८                              | ६,४४१                              | ७,६८५                              | ९,४१७                              |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                | ३५,८०१                            | ३९,३९४                             | ४०,१६५                             | ४४,८४१                             | ५१,०२२                             | ५५,५९२                             | ५९,९७५                             |
| १६            | साठवण                                                     | ७९२                               | ८११                                | ८३८                                | ८७८                                | ८७५                                | ८७१                                | ९९७                                |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                             | १२,८८३                            | १३,४८०                             | १३,५७१                             | १५,६१३                             | १९,०२६                             | १७,६३२                             | १५,७२३                             |
| १८            | वित्तीय सेवा                                              | १,१५,९७६                          | १,२५,१८४                           | १,४१,९९४                           | १,५२,९२९                           | १,६१,९२८                           | १,६६,६९०                           | १,७३,५१०                           |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची मालकी व व्यावसायिक सेवा   | १,४१,०८७                          | १,५१,९८४                           | १,६७,६८७                           | १,८८,००१                           | २,०७,०८७                           | २,२९,०९४                           | २,५२,४२५                           |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                         | २७,८४४                            | २८,२२३                             | २८,६८९                             | २९,५५१                             | ३१,३९९                             | ३३,८९३                             | ३७,५८३                             |
| २१            | इतर सेवा                                                  | ५८,४०३                            | ६४,१२१                             | ७०,६९४                             | ७९,७०१                             | ८७,९३८                             | ९७,८३८                             | १,०९,१९७                           |
| २२            | <b>तृतीय / सेवा क्षेत्र</b><br><b>(उप-बेरीज-१३ ते २१)</b> | <b>४,९५,९७२</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>५,३६,६७८</b><br><b>(१०८.२)</b>  | <b>५,७४,५७६</b><br><b>(११५.८)</b>  | <b>६,२५,९३३</b><br><b>(१२६.२)</b>  | <b>६,७३,७३२</b><br><b>(१३५.८)</b>  | <b>७,२६,३२७</b><br><b>(१४६.४)</b>  | <b>७,८५,३६५</b><br><b>(१५८.३)</b>  |
| २३            | <b>एकूण निव्वळ मूल्यवृद्धि</b><br><b>(५+१२+२२)</b>        | <b>९,९०,६४४</b><br><b>(१००.०)</b> | <b>१०,४५,१५१</b><br><b>(१०५.५)</b> | <b>११,१२,३६४</b><br><b>(११२.३)</b> | <b>११,७८,५५१</b><br><b>(११९.०)</b> | <b>१२,६६,६४०</b><br><b>(१२७.९)</b> | <b>१३,९०,४२१</b><br><b>(१४०.४)</b> | <b>१४,९१,८९५</b><br><b>(१५०.६)</b> |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                             | १,६२,०८५                          | १,७७,१५५                           | १,८७,८८९                           | १,९८,५४१                           | २,१२,२१०                           | २,२८,६७८                           | २,४६,६१५                           |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील अनुदान                     | २६,१३४                            | ३२,५९५                             | ३२,७०२                             | ३१,७५०                             | २६,४११                             | २३,५८४                             | २३,७२०                             |
| २६            | <b>निव्वळ राज्य उत्पन्न</b><br><b>(२३+२४-२५)</b>          | <b>११,२६,५९५</b>                  | <b>११,८९,७११</b>                   | <b>१२,६७,५५१</b>                   | <b>१३,४५,३४१</b>                   | <b>१४,५२,४३९</b>                   | <b>१५,९५,५१४</b>                   | <b>१७,१४,७९०</b>                   |
| २७            | <b>दरडोई राज्य उत्पन्न (₹)</b>                            | <b>९९,५६४</b>                     | <b>१,०३,९०४</b>                    | <b>१,०९,३९९</b>                    | <b>१,१४,७४६</b>                    | <b>१,२२,४२२</b>                    | <b>१,३२,८९९</b>                    | <b>१,४१,१५२</b>                    |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

+++ तिसरे सुधारित अंदाज

++ दूसरे सुधारित अंदाज

+ पहिले सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

## परिशिष्ट ३.५

मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न  
(चालू किंमतीनुसार)

(₹ कोटी)

| अ. क्र. | उद्योग                                                     | २०११-१२              | २०१२-१३              | २०१३-१४                | २०१४-१५                | २०१५-१६ <sup>+++</sup> | २०१६-१७ <sup>++</sup>  | २०१७-१८ <sup>+</sup>   |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (१)     | (२)                                                        | (३)                  | (४)                  | (५)                    | (६)                    | (७)                    | (८)                    | (९)                    |
| १       | पीक                                                        | ९,८२,१५१             | १०,८८,८१४            | १२,४८,७७६              | १२,९२,८७४              | १३,२७,९९२              | १४,७६,२६८              | १५,४६,८०८              |
| २       | पशुसंवर्धन                                                 | ३,२७,३३४             | ३,६८,८२३             | ४,२२,७३३               | ५,१०,४११               | ५,८२,४१०               | ६,७२,८२९               | ७,५८,४१७               |
| ३       | वने व लाकूड तोडणी                                          | १,२४,४३६             | १,३७,५५८             | १,५६,६७४               | १,७३,७६०               | १,८४,४११               | १,९२,८४०               | १,८९,३४८               |
| ४       | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                 | ६८,०२७               | ७९,९११               | ९८,१९०                 | १,१६,५६७               | १,३२,७२०               | १,५४,४२१               | १,७५,५७३               |
| ५       | कृषि व संलग्न कार्ये<br>(उप-बेरीज-१+२+३+४)                 | १५,०१,९४७<br>(१८.५)  | १६,७५,१०७<br>(१८.२)  | १९,२६,३७२<br>(१८.६)    | २०,९३,६१२<br>(१८.२)    | २२,२७,५३३<br>(१७.७)    | २४,९६,३५८<br>(१७.९)    | २६,७०,१४७<br>(१७.२)    |
| ६       | खाण व दगड खाणकाम                                           | २,६१,०३५             | २,८५,८४२             | २,९५,७९४               | ३,०८,४७६               | २,९४,०११               | ३,२१,८७२               | ३,५१,०५८               |
| ७       | प्राथमिक क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ५+६)                       | १७,६२,९८२            | १९,६०,९४९            | २२,२२,१६६              | २४,०२,०८८              | २५,२१,५४४              | २८,१८,२३०              | ३०,२१,२०५              |
| ८       | वस्तुनिर्माण                                               | १४,०९,९८६            | १५,७२,८३७            | १७,१३,४५२              | १८,७८,३६९              | २१,४६,१८९              | २३,३५,०६८              | २५,४२,०८९              |
| ९       | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर<br>उपयोगिता सेवा               | १,८६,६६८             | २,१५,३५०             | २,६०,१५५               | २,८२,२५८               | ३,३४,९६५               | ३,५३,४६८               | ४,२३,०८९               |
| १०      | बांधकाम                                                    | ७,७७,३३५             | ८,४९,३६५             | ९,२१,४७०               | ९,७९,०८६               | ९,९१,०८४               | १०,८२,४६६              | १२,१३,६२८              |
| ११      | द्वितीय क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ८+९+१०)                     | २३,७३,९८९            | २६,३७,५५२            | २८,९५,०७७              | ३१,३९,७१३              | ३४,७२,२३८              | ३७,७१,००२              | ४१,७८,८०६              |
| १२      | उद्योग<br>(उप-बेरीज - ६+११)                                | २६,३५,०२४<br>(३२.५)  | २९,२३,३९४<br>(३१.८)  | ३१,९०,८७१<br>(३०.८)    | ३४,४८,१८९<br>(३०.०)    | ३७,६६,२४९<br>(३०.०)    | ४०,९२,८७४<br>(२९.४)    | ४५,२९,८६४<br>(२९.३)    |
| १३      | व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व<br>उपाहारगृहे                 | ८,८३,५८२             | १०,५४,५३३            | ११,८४,५६०              | १३,२०,८३३              | १४,३३,९६९              | १६,०८,९१६              | १८,३३,७२०              |
| १४      | रेल्वे                                                     | ६१,१५०               | ७२,२९६               | ७८,७२४                 | ९२,४५९                 | १,००,४५१               | १,०६,८३५               | १,१६,०२४               |
| १५      | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                 | ३,३७,३४७             | ३,८८,०२४             | ४,२७,३५४               | ४,८१,४५५               | ५,१५,७९०               | ५,६८,४१५               | ६,२२,९८१               |
| १६      | साठवण                                                      | ५,१०८                | ६,१६५                | ६,०२६                  | ६,४०७                  | ७,०२१                  | ७,३७७                  | ८,३७७                  |
| १७      | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित<br>सेवा                           | १,२५,९३०             | १,४२,९६९             | १,७७,८०४               | २,०६,४४२               | २,३७,२८२               | २,४६,७२६               | २,४२,१६१               |
| १८      | वित्तीय सेवा                                               | ४,८०,२२६             | ५,३६,८१९             | ५,९९,३४१               | ६,६१,४११               | ७,२६,२८६               | ७,५०,२२४               | ८,४१,९७७               |
| १९      | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची<br>मालकी व व्यावसायिक सेवा | १०,५०,६५१            | १२,३९,८१३            | १४,७०,१६७              | १७,०१,९३५              | १८,९९,८५२              | २१,६१,६७७              | २४,१०,८१३              |
| २०      | सार्वजनिक प्रशासन                                          | ४,९१,१५५             | ५,४६,२३१             | ६,०१,९१२               | ६,७६,८१८               | ७,३१,५७८               | ८,२६,९६२               | ९,५५,२०५               |
| २१      | इतर सेवा                                                   | ५,३४,८२७             | ६,१७,३४३             | ७,००,०२३               | ८,१४,७१८               | ९,२८,४८९               | १०,६९,५५५              | १२,५१,४४६              |
| २२      | तृतीय / सेवा क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - १३ ते २१)              | ३९,६९,१७६<br>(४९.०)  | ४६,०४,१९३<br>(५०.०)  | ५२,४५,९११<br>(५०.६)    | ५९,६२,४७८<br>(५१.८)    | ६५,८०,७१८<br>(५२.३)    | ७३,४६,६८७<br>(५२.७)    | ८२,८२,७०४<br>(५३.५)    |
| २३      | मूळ किंमतीनुसार एकूण स्थूल<br>मूल्यवृद्धि (५+१२+२२)        | ८१,०६,९४६<br>(१००.०) | ९२,०२,६९२<br>(१००.०) | १,०३,६३,१५३<br>(१००.०) | १,१५,०४,२७९<br>(१००.०) | १,२५,७४,४९९<br>(१००.०) | १,३९,३५,९१७<br>(१००.०) | १,५४,८२,७१५<br>(१००.०) |
| २४      | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                              | ८,९०,०६०             | १०,५७,९७७            | ११,८०,४४४              | १२,९१,६६२              | १५,१८,४९६              | १७,४६,२८८              | १९,७१,२२३              |
| २५      | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील<br>अनुदान                   | २,६०,६७७             | ३,१६,६५६             | ३,१०,०७५               | ३,२७,९८२               | ३,२१,१२०               | ३,१९,८१९               | ३,५८,९३३               |
| २६      | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न<br>(जी.डी.पी.) (२३+२४-२५)         | ८७,३६,३२९            | ९९,४४,०१३            | १,१२,३३,५२२            | १,२४,६७,९५९            | १,३७,७१,८७४            | १,५३,६२,३८६            | १,७०,९५,००५            |
| २७      | परदेशातून प्राप्त प्राथमिक उत्पन्न                         | (-)७६,८२४            | (-)१,१६,७६३          | (-)१,३९,८८४            | (-)१,४७,४३०            | (-)१,५९,७७९            | (-)१,७६,४००            | (-)१,८४,८१३            |
| २८      | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न<br>(जी.एन.आय.) (२६+२७)            | ८६,५९,५०५            | ९८,२७,२५०            | १,१०,९३,६३८            | १,२३,२०,५२९            | १,३६,१२,०९५            | १,५१,८५,९८६            | १,६९,१०,१९२            |
| २९      | दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)                          | ७०,९८०               | ७९,५७३               | ८८,६७८                 | ९७,२४२                 | १,०६,०९६               | १,१६,९०५               | १,२८,४९७               |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

+++ तिसरे सुधारित अंदाज

++ दुसरे सुधारित अंदाज

+ पहिले सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे स्थूल मूल्यवृद्धिशी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

## परिशिष्ट ३.६

मूळ किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत स्थूल मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न  
(स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                              | २०११-१२<br>(३)       | २०१२-१३<br>(४)       | २०१३-१४<br>(५)       | २०१४-१५<br>(६)       | २०१५-१६***<br>(७)      | २०१६-१७**<br>(८)       | २०१७-१८*<br>(९)        |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| १             | पीक                                                        | ९,८२,१५१             | ९,८३,८०९             | १०,३७,०६०            | ९,९८,४२५             | ९,६९,३४४               | १०,१८,१६८              | १०,५६,५६०              |
| २             | पशुसंवर्धन                                                 | ३,२७,३३४             | ३,४४,३७५             | ३,६३,५५८             | ३,९०,४४९             | ४,१९,६३७               | ४,६१,१७१               | ४,९३,६७६               |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                          | १,२४,४३६             | १,२४,७४३             | १,३२,०९३             | १,३४,६०९             | १,३६,९६०               | १,३८,९०५               | १,४१,७८५               |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                 | ६८,०२७               | ७१,३६२               | ७६,४८७               | ८२,२३२               | ९०,२०५                 | ९९,२२४                 | १,११,०१८               |
| ५             | कृषि व संलग्न कार्ये<br>(उप-बेरीज-१+२+३+४)                 | १५,०१,९४७<br>(१००.०) | १५,२४,२८८<br>(१०१.५) | १६,०९,१९८<br>(१०७.१) | १६,०५,७१५<br>(१०६.९) | १६,१६,१४६<br>(१०७.६)   | १७,१७,४६७<br>(११४.३)   | १८,०३,०३९<br>(१२०.०)   |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                           | २,६१,०३५             | २,६२,६०९             | २,६३,१०७             | २,८८,६८५             | ३,१७,९७४               | ३,४८,०८९               | ३,६५,६७७               |
| ७             | प्राथमिक क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ५+६)                       | १७,६२,९८२            | १७,८६,८९७            | १८,७२,३०५            | १८,९४,४००            | १९,३४,१२०              | २०,६५,५५६              | २१,६८,७१६              |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                               | १४,०९,९८६            | १४,८६,८७३            | १५,६०,७०९            | १६,८३,९३८            | १९,०३,८५०              | २०,५५,०४३              | २१,७६,९२३              |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर<br>उपयोगिता सेवा               | १,८६,६६८             | १,९१,६३५             | १,९९,६०१             | २,१४,०४७             | २,२४,१५८               | २,४६,४९१               | २,६७,७२०               |
| १०            | बांधकाम                                                    | ७,७७,३३५             | ७,८०,०५०             | ८,००,७७१             | ८,३५,२२९             | ८,६५,३३५               | ९,१७,७५४               | ९,६९,१९४               |
| ११            | द्वितीय क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ८+९+१०)                     | २३,७३,९८९            | २४,५८,५५८            | २५,६१,०८१            | २७,३३,२१४            | २९,९३,३४३              | ३२,१९,२८८              | ३४,१३,८३७              |
| १२            | उद्योग<br>(उप-बेरीज - ६+११)                                | २६,३५,०२४<br>(१००.०) | २७,२१,१६७<br>(१०३.३) | २८,२४,१८८<br>(१०७.२) | ३०,२१,८९९<br>(११४.७) | ३३,११,३१७<br>(१२५.७)   | ३५,६७,३७७<br>(१३५.४)   | ३७,७९,५१४<br>(१४३.४)   |
| १३            | व्यापार, दुरूस्ती, हॉटेल्स व<br>उपाहारगृहे                 | ८,८३,५८२             | ९,८१,६२०             | १०,३४,५०६            | ११,३५,८४१            | १२,६१,४२६              | १३,८९,१७६              | १५,२८,४२१              |
| १४            | रेल्वे                                                     | ६१,१५०               | ६९,१६२               | ७३,६८५               | ८०,७२०               | ८५,४५२                 | ८२,१६१                 | ८८,५३३                 |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                 | ३,३७,३४७             | ३,६०,१४०             | ३,८२,६३०             | ४,०९,५५१             | ४,३८,४५९               | ४,६४,८०७               | ४,९५,१८२               |
| १६            | साठवण                                                      | ५,१०८                | ५,७१६                | ५,२१०                | ५,५२९                | ६,२४५                  | ६,०६२                  | ६,६६१                  |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                              | १,२५,९३०             | १,३४,५०५             | १,५६,०३१             | १,७६,०४७             | २,०१,२४३               | २,०३,२०९               | १,९३,४१८               |
| १८            | वित्तीय सेवा                                               | ४,८०,२२६             | ५,२९,७९२             | ५,७७,९१४             | ६,२७,२५५             | ६,७२,७८८               | ६,९७,१०३               | ७,२६,७०९               |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची<br>मालकी व व्यावसायिक सेवा | १०,५०,६५१            | ११,५०,२३९            | १२,८९,४९३            | १४,४६,४६०            | १६,२१,९९९              | १७,९७,३४१              | १९,२२,४३७              |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                          | ४,९१,१५५             | ५,०१,३८३             | ५,१०,०४६             | ५,४३,८५३             | ५,६५,१०६               | ६,१३,८९६               | ६,८३,६२८               |
| २१            | इतर सेवा                                                   | ५,३४,८२७             | ५,६८,२६२             | ६,००,७४८             | ६,५९,२६२             | ७,११,६९१               | ७,८०,३७३               | ८,७६,६२४               |
| २२            | तृतीय / सेवा क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - १३ ते २१)              | ३९,६९,९७६<br>(१००.०) | ४३,००,८९९<br>(१०८.३) | ४६,३०,२६३<br>(११६.६) | ५०,८४,५१८<br>(१२८.१) | ५५,६४,४०९<br>(१४०.२)   | ६०,३४,१२८<br>(१५२.०)   | ६५,२१,६१३<br>(१६४.३)   |
| २३            | मूळ किंमतीनुसार एकूण स्थूल<br>मूल्यवृद्धि (५+१२+२२)        | ८१,०६,९४६<br>(१००.०) | ८५,४६,२७५<br>(१०५.४) | ९०,६३,६४९<br>(१११.८) | ९७,१२,१३३<br>(११९.८) | १,०४,९१,८७०<br>(१२९.४) | १,१३,१८,९७२<br>(१३९.६) | १,२१,०४,१६५<br>(१४९.३) |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                              | ८,९०,०६०             | ९,६०,८११             | १०,०८,९१३            | १०,९२,४३०            | ११,४५,५५८              | १२,३९,११८              | १३,५६,३०१              |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील<br>अनुदान                   | २,६०,६७७             | २,९४,०७०             | २,७१,१९२             | २,७६,८८९             | २,६७,९३५               | २,५९,७६२               | २,८०,६०९               |
| २६            | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न<br>(जी.डी.पी.) (२३+२४-२५)         | ८७,३६,३२९            | ९२,१३,०१७            | ९८,०१,३७०            | १,०५,२७,६७४          | १,१३,६९,४९३            | १,२२,९८,३२७            | १,३१,७९,८५७            |
| २७            | परदेशातून प्राप्त प्राथमिक उत्पन्न                         | (-)७६,८२४            | (-)१,०८,३५४          | (-)१,२२,३४३          | (-)१,२४,६८७          | (-)१,३४,९२२            | (-)१,४४,५७३            | (-)१,४५,७३६            |
| २८            | देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न<br>(जी.एन.आय) (२६+२७)             | ८६,५९,५०५            | ९१,०४,६६२            | ९६,७९,०२७            | १,०४,०२,९८७          | १,१२,३४,५७१            | १,२१,५३,७५४            | १,३०,३४,१२१            |
| २९            | दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)                          | ७०,९८०               | ७३,७२२               | ७७,३७०               | ८२,१०७               | ८७,५६५                 | ९३,५६२                 | ९९,०४३                 |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

+++ तिसरे सुधारित अंदाज

++ दुसरे सुधारित अंदाज

+ पहिले सुधारित अंदाज

टोप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

## परिशिष्ट ३.७

मूळ किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत निव्वळ मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार सांकेतिक देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न  
(चालू किंमतीनुसार)

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                              | २०११-१२<br>(३)       | २०१२-१३<br>(४)       | २०१३-१४<br>(५)       | २०१४-१५<br>(६)         | २०१५-१६***<br>(७)      | २०१६-१७**<br>(८)       | २०१७-१८+<br>(९)        |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| १             | पीक                                                        | १,००,९७५             | १,९३,४८०             | ११,३७,६०५            | ११,६८,०६१              | ११,९१,९०३              | १३,२८,२७०              | १३,८८,३६९              |
| २             | पशुसंवर्धन                                                 | ३,२२,१८५             | ३,६२,७६९             | ४,१५,७६३             | ५,०२,७९८               | ५,७४,७६४               | ६,६४,६५३               | ७,४९,४०५               |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                          | १,२३,०७०             | १,३६,०४५             | १,५५,०४५             | १,७२,०४९               | १,८२,६७९               | १,९०,९५३               | १,८७,२५५               |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                 | ६०,०३९               | ७१,१०७               | ८८,२२०               | १,०५,५९२               | १,२०,७९४               | १,४१,८१७               | १,६१,९८४               |
| ५             | कृषि व संलग्न कार्ये<br>(उप-बेरीज-१+२+३+४)                 | १४,०६,२६८<br>(१९.६)  | १५,६३,४०१<br>(१९.२)  | १७,९६,६३३<br>(१९.६)  | १९,४८,५००<br>(१९.२)    | २०,७०,१४०<br>(१८.६)    | २३,२५,६९३<br>(१८.८)    | २४,८७,०९३<br>(१८.२)    |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                           | २,२९,१८६             | २,४९,७७१             | २,५२,७८५             | २,६१,७८७               | २,४४,५८५               | २,७०,२६४               | २,९६,१३३               |
| ७             | प्राथमिक क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ५+६)                       | १६,३५,४५४            | १८,१३,१७२            | २०,४९,४१८            | २२,१०,२८७              | २३,१४,७२५              | २५,९५,९५७              | २७,८३,१४६              |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                               | ११,४६,९२८            | १२,८९,१२५            | १४,११,६५७            | १५,५४,६५६              | १८,०२,६९४              | १९,६९,८८२              | २१,४४,२८०              |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व इतर<br>उपयोगिता सेवा               | १,२३,८११             | १,४०,१७८             | १,७३,५७४             | १,८२,७२८               | २,२५,५५२               | २,३४,७८७               | २,९१,३९९               |
| १०            | बांधकाम                                                    | ७,३८,१७८             | ७,९६,८४९             | ८,६६,६१०             | ९,२०,९४१               | ९,३१,९९२               | १०,१६,०७६              | ११,३६,४४६              |
| ११            | द्वितीय क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ८+९+१०)                     | २०,०८,९१७            | २२,२६,१५२            | २४,५१,८४१            | २६,५८,३२५              | २९,६०,२३८              | ३२,२०,७४५              | ३५,७२,१२५              |
| १२            | उद्योग<br>(उप-बेरीज - ६+११)                                | २२,३८,१०३<br>(३१.१)  | २४,७५,९२३<br>(३०.४)  | २७,०४,६२६<br>(२९.५)  | २९,२०,११२<br>(२८.७)    | ३२,०४,८२३<br>(२८.८)    | ३४,९१,००९<br>(२८.३)    | ३८,६८,२५८<br>(२८.२)    |
| १३            | व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व<br>उपाहारगृहे                 | ८,३८,११४             | ९,९७,२५३             | ११,२०,४५१            | १२,४७,३७१              | १३,५२,२३२              | १५,१४,५०७              | १७,२२,३६३              |
| १४            | रेल्वे                                                     | ४८,५३२               | ५७,२९७               | ६१,४४९               | ७०,४५७                 | ७६,०४१                 | ७९,३९४                 | ८४,८३३                 |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                 | २,८८,०६१             | ३,३०,४१०             | ३,६८,४५४             | ४,१८,६५४               | ४,४८,३५४               | ४,९०,९५३               | ५,३१,०४३               |
| १६            | साठवण                                                      | ४,३५२                | ५,३३१                | ५,११६                | ५,३७०                  | ५,९०५                  | ६,१९३                  | ७,०७०                  |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित सेवा                              | १,०२,७७६             | १,१६,६६९             | १,३३,०५८             | १,५७,२८५               | १,८२,३३४               | १,८५,२३६               | १,७२,४८५               |
| १८            | वित्तीय सेवा                                               | ४,७३,३९९             | ५,२८,३२९             | ५,८९,१३२             | ६,४९,२९५               | ७,११,६२२               | ७,३३,७३०               | ८,२३,४९२               |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची<br>मालकी व व्यावसायिक सेवा | ८,९७,८९७             | १०,४८,८११            | १२,४४,०४६            | १४,२३,५७७              | १५,९३,१८१              | १८,१६,३०३              | २०,१४,९०९              |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                          | ४,०५,५९२             | ४,५४,१४४             | ५,०३,१८८             | ५,७१,७५५               | ६,२३,३१६               | ७,१३,१२६               | ८,३१,९३६               |
| २१            | इतर सेवा                                                   | ४,८६,६७७             | ५,६४,२१९             | ६,४१,०२५             | ७,४९,६१४               | ८,५६,८५४               | ९,८९,०४९               | ११,५७,५९४              |
| २२            | तृतीय / सेवा क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - १३ ते २१)              | ३५,४५,४००<br>(४९.३)  | ४१,०२,४६४<br>(५०.४)  | ४६,६५,९२१<br>(५०.९)  | ५२,९३,३७७<br>(५२.१)    | ५८,४९,८३९<br>(५२.६)    | ६५,२८,४९१<br>(५२.९)    | ७३,४५,७२७<br>(५३.६)    |
| २३            | मूळ किंमतीनुसार एकूण<br>निव्वळ मूल्यवृद्धि (५+१२+२२)       | ७१,८९,७७१<br>(१००.०) | ८१,४१,७८७<br>(१००.०) | ९१,६७,१७८<br>(१००.०) | १,०१,६१,९८८<br>(१००.०) | १,११,२४,८०२<br>(१००.०) | १,२३,४५,१९२<br>(१००.०) | १,३७,००,९९६<br>(१००.०) |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                              | ८,९०,०६०             | १०,५७,९७७            | ११,८०,४४४            | १२,९१,६६२              | १५,१८,४९६              | १७,४६,२८८              | १९,७१,२२३              |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व सेवांवरील<br>अनुदान                   | २,६०,६७७             | ३,१६,६५६             | ३,१०,०७५             | ३,२७,९८२               | ३,२१,१२०               | ३,१९,८१९               | ३,५८,९३३               |
| २६            | देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न<br>(एन.डी.पी) (२३+२४-२५)         | ७८,१९,१५४            | ८८,८३,१०८            | १,००,३७,५४७          | १,११,२५,६६८            | १,२३,२२,१७७            | १,३७,७१,६६१            | १,५३,१३,२८६            |
| २७            | परदेशातून प्राप्त प्राथमिक उत्पन्न                         | (-)७६,८२४            | (-)१,१६,७६३          | (-)१,३९,८८४          | (-)१,४७,४३०            | (-)१,५९,७७९            | (-)१,७६,४००            | (-)१,८४,८१३            |
| २८            | देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न<br>(एन.एन.आय) (२६+२७)            | ७७,४२,३३०            | ८७,६६,३४५            | ९८,९७,६६३            | १,०९,७८,२३८            | १,२१,६२,३९८            | १,३५,९५,२६१            | १,५१,२८,४७४            |
| २९            | दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)                                | ६३,४६२               | ७०,९८३               | ७९,११८               | ८६,६४७                 | ९४,७९७                 | १,०४,६५९               | १,१४,९५८               |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

+++ तिसरे सुधारित अंदाज

++ दुसरे सुधारित अंदाज

+ पहिले सुधारित अंदाज

टीप - कंसातील आकडे निव्वळ मूल्यवृद्धिशी टक्केवारी दर्शवितात. आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

## परिशिष्ट ३.८

मूळ किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत निव्वळ मूल्यवृद्धि व बाजार किंमतीनुसार वास्तविक देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न  
(स्थिर (२०११-१२) किंमतीनुसार)

|               |                                                            | (₹ कोटी)             |                      |                      |                      |                      |                      |                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| अ.क्र.<br>(१) | उद्योग<br>(२)                                              | २०११-१२<br>(३)       | २०१२-१३<br>(४)       | २०१३-१४<br>(५)       | २०१४-१५<br>(६)       | २०१५-१६***<br>(७)    | २०१६-१७**<br>(८)     | २०१७-१८+<br>(९)        |
| १             | पीक                                                        | ९,००,९७५             | ८,९६,३६६             | ९,४१,९२४             | ८,९६,७८५             | ८,६३,३३९             | ९,०६,८९३             | ९,४०,२३५               |
| २             | पशुसंवर्धन                                                 | ३,२२,१८५             | ३,३८,७८६             | ३,५७,४३८             | ३,८३,८६५             | ४,१२,७८७             | ४,५४,००३             | ४,८६,२४६               |
| ३             | वने व लाकूड तोडणी                                          | १,२३,०७०             | १,२३,३४३             | १,३०,६६१             | १,३३,१३४             | १,३५,४२९             | १,३७,२७६             | १,४०,०७७               |
| ४             | मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती                                 | ६०,०३९               | ६२,९१५               | ६७,४३६               | ७२,५३५               | ७९,७८३               | ८८,००१               | ९८,८९७                 |
| ५             | कृषि व संलग्न कार्ये<br>(उप-बेरीज-१+२+३+४)                 | १४,०६,२६८<br>(१००.०) | १४,२१,४०९<br>(१०१.१) | १४,९७,४५८<br>(१०६.५) | १४,८६,३१९<br>(१०५.७) | १४,९१,३३७<br>(१०६.०) | १५,८६,१७३<br>(११२.८) | १६,६५,४५५<br>(११८.४)   |
| ६             | खाण व दगड खाणकाम                                           | २,२९,१८६             | २,२८,४०५             | २,२४,३३२             | २,४८,४७९             | २,७६,५७९             | ३,०५,६००             | ३,२१,६६०               |
| ७             | प्राथमिक क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ५+६)                       | १६,३५,४५४            | १६,४९,८१४            | १७,२१,७९०            | १७,३४,७९८            | १७,६७,९१६            | १८,९१,७७३            | १९,८७,११५              |
| ८             | वस्तुनिर्माण                                               | ११,४६,९२८            | १२,१३,९०३            | १२,७८,८३२            | १३,९३,१५८            | १५,९५,४०६            | १७,२७,५९८            | १८,२८,५५८              |
| ९             | वीज, वायू, पाणीपुरवठा व<br>इतर उपयोगिता सेवा               | १,२३,८११             | १,१९,३३८             | १,१८,०७६             | १,२५,०८८             | १,२५,९९८             | १,४०,१५३             | १,५२,४६३               |
| १०            | बांधकाम                                                    | ७,३८,१७८             | ७,२८,६९१             | ७,४७,२१०             | ७,८१,२८९             | ८,०९,८५३             | ८,५४,४१३             | ८,९६,३७७               |
| ११            | द्वितीय क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - ८+९+१०)                     | २०,०८,९१७            | २०,६१,९३२            | २१,४४,११८            | २२,९९,५३५            | २५,३१,२५७            | २७,२२,१६४            | २८,७७,३९८              |
| १२            | उद्योग<br>(उप-बेरीज - ६+११)                                | २२,३८,१०३<br>(१००.०) | २२,९०,३३७<br>(१०२.३) | २३,६८,४५०<br>(१०५.८) | २५,४८,०१४<br>(११३.८) | २८,०७,८३६<br>(१२५.५) | ३०,२७,७६४<br>(१३५.३) | ३१,९९,०५८<br>(१४२.९)   |
| १३            | व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व<br>उपाहारगृहे                 | ८,३८,११४             | ९,२७,७४४             | ९,७६,६३७             | १०,७१,२८९            | ११,८८,०२६            | १३,०५,५४६            | १४,३४,०१४              |
| १४            | रेल्वे                                                     | ४८,५३२               | ५४,८९१               | ५७,७७३               | ६१,५७१               | ६४,१६६               | ५८,६०८               | ६२,६२९                 |
| १५            | परिवहन (रेल्वे व्यतिरिक्त)                                 | २,८८,०६१             | ३,०३,६०६             | ३,२६,०१८             | ३,५१,६३५             | ३,७६,०७२             | ३,९४,४०५             | ४,१३,७९९               |
| १६            | साठवण                                                      | ४,३५२                | ४,९३१                | ४,३९१                | ४,६२९                | ५,२४३                | ५,०१६                | ५,५६६                  |
| १७            | दळणवळण व प्रसारणासंबंधित<br>सेवा                           | १,०२,७७६             | १,०८,९०५             | १,१२,६१७             | १,३३,५५३             | १,५४,२१६             | १,५०,७१०             | १,३४,८९८               |
| १८            | वित्तीय सेवा                                               | ४,७३,३९९             | ५,२१,५८९             | ५,६८,३४८             | ६,१६,५८२             | ६,५९,९१०             | ६,८२,६७२             | ७,१०,९४५               |
| १९            | स्थावर मालमत्ता, राहत्या घरांची<br>मालकी व व्यावसायिक सेवा | ८,९७,८९७             | ९,७१,३१५             | १०,८६,२८२            | १२,०८,९६१            | १३,५९,७४३            | १५,०७,०१८            | १६,०२,७८६              |
| २०            | सार्वजनिक प्रशासन                                          | ४,०५,५९२             | ४,१३,२३४             | ४,१८,३८२             | ४,४८,७८७             | ४,६६,३७९             | ५,१०,४८३             | ५,७४,९०९               |
| २१            | इतर सेवा                                                   | ४,८६,६७७             | ५,१७,६५२             | ५,४६,६८३             | ६,०२,१५१             | ६,४८,०५३             | ७,०९,६२२             | ७,९७,१४४               |
| २२            | तृतीय / सेवा क्षेत्र<br>(उप-बेरीज - १३ ते २१)              | ३५,४५,४००<br>(१००.०) | ३८,२३,८६८<br>(१०७.९) | ४०,९७,१३१<br>(११५.६) | ४४,९९,१५८<br>(१२६.९) | ४९,२१,८०७<br>(१३८.८) | ५३,२४,०८१<br>(१५०.२) | ५७,३६,६८९<br>(१६१.८)   |
| २३            | मूळ किंमतीनुसार एकूण<br>निव्वळ मूल्यवृद्धि<br>(५+१२+२२)    | ७१,८९,७७१<br>(१००.०) | ७५,३५,६१४<br>(१०४.८) | ७९,६३,०३९<br>(११०.८) | ८५,३३,४८९<br>(११८.७) | ९२,२०,९८०<br>(१२८.३) | ९९,३८,०१८<br>(१३८.२) | १,०६,०१,२०३<br>(१४७.४) |
| २४            | उत्पादित वस्तू व सेवांवरील कर                              | ८,९०,०६०             | ९,६०,८११             | १०,०८,९१३            | १०,९२,४३०            | ११,४५,५५८            | १२,३९,११८            | १३,५६,३०१              |
| २५            | वजा उत्पादित वस्तू व<br>सेवांवरील अनुदान                   | २,६०,६७७             | २,९४,०७०             | २,७१,१९२             | २,७६,८८९             | २,६७,९३५             | २,५९,७६२             | २,८०,६०९               |
| २६            | देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न<br>(एन.डी.पी) (२३+२४-२५)         | ७८,१९,१५४            | ८२,०२,३५६            | ८७,००,७६०            | ९२,४९,०२९            | १,००,९८,६०३          | १,०९,१७,३७३          | १,१६,७६,८९६            |
| २७            | परदेशातून प्राप्त प्राथमिक<br>उत्पन्न                      | (-)७६,८२४            | (-)१,०८,३५४          | (-)१,२२,३४३          | (-)१,२४,६८७          | (-)१,३४,९२२          | (-)१,४४,५७३          | (-)१,४५,७३६            |
| २८            | देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न<br>(एन.एन.आय) २६+२७              | ७७,४२,३३०            | ८०,९४,००१            | ८५,७८,४१७            | ९२,२४,३४३            | ९९,६३,६८१            | १,०७,७२,८००          | १,१५,३१,१५९            |
| २९            | दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (₹)                                | ६३,४६२               | ६५,५३८               | ६८,५७२               | ७२,८०५               | ७७,६५९               | ८२,९३१               | ८७,६२३                 |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

+++ तिसरे सुधारित अंदाज

++ दुसरे सुधारित अंदाज

+ पहिले सुधारित अंदाज

टोप - कंसातील आकडे स्तंभ (३) शी टक्केवारी दर्शवितात.

आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

**परिशिष्ट ३.९**  
**सांकेतिक स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (चालू किंमतीनुसार)**

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | जिल्हा<br>(२)         | २०११-१२<br>(३)  | २०१२-१३<br>(४)  | २०१३-१४<br>(५)  | २०१४-१५<br>(६)  | २०१५-१६<br>(७)  | २०१६-१७<br>(८)  | २०१७-१८<br>(९)  |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| १             | मुंबई <sup>#</sup>    | २,२०,९७५        | २,५१,४७३        | २,८३,५८०        | ३,१३,६४०        | ३,४२,२२१        | ३,६९,३७३        | ४,१२,६३३        |
| २             | ठाणे <sup>§</sup>     | १,६३,७६१        | १,८६,२०३        | २,०९,६७७        | २,३१,६८८        | २,५२,४४३        | २,७३,९९८        | ३,०५,८५१        |
| ३             | रायगड                 | २९,५७६          | ३३,६७९          | ३७,९९५          | ४२,८८६          | ४७,०२८          | ५०,२८६          | ५६,४४५          |
| ४             | रत्नागिरी             | १३,८४२          | १५,७२८          | १८,१७२          | २२,२३८          | २१,७९५          | २५,४०८          | २८,८००          |
| ५             | सिंधुदुर्ग            | ८,०३३           | ९,१५३           | १०,३१६          | ११,१७४          | ११,९८७          | १४,३०८          | १८,२४३          |
|               | <b>कोकण विभाग</b>     | <b>४,३६,१८६</b> | <b>४,९६,२३६</b> | <b>५,५९,७४०</b> | <b>६,२१,६२६</b> | <b>६,७५,४७४</b> | <b>७,३३,३७३</b> | <b>८,२१,९७३</b> |
| ६             | नाशिक                 | ५५,२८९          | ६६,४८१          | ७७,२२७          | ७८,४२८          | ८३,१०६          | ८९,०५४          | १,०३,४३५        |
| ७             | धुळे                  | १४,५६४          | १६,४०८          | १८,९०६          | २१,०६८          | २२,२५९          | २४,०११          | २७,३३५          |
| ८             | नंदुरबार              | ८,०१०           | ८,९९६           | १०,३७४          | १०,०१७          | ११,०४५          | १२,५३१          | १३,६२१          |
| ९             | जळगाव                 | २९,६५७          | ३१,९१२          | ३७,३८७          | ४०,५३६          | ४२,५५४          | ४७,९२८          | ५१,९००          |
| १०            | अहमदनगर               | ३७,२१९          | ४०,२१३          | ४७,००७          | ५१,९६२          | ५६,१७७          | ६०,०९१          | ६९,०७२          |
|               | <b>नाशिक विभाग</b>    | <b>१,४४,७४०</b> | <b>१,६४,०१०</b> | <b>१,९०,९०१</b> | <b>२,०२,०११</b> | <b>२,१५,१४३</b> | <b>२,३३,६१५</b> | <b>२,६५,३६४</b> |
| ११            | पुणे                  | १,३१,१४५        | १,४८,८२०        | १,६७,७५५        | १,८४,५७५        | २,००,७२२        | २,१७,४३०        | २,४१,४४४        |
| १२            | सातारा                | २५,६८४          | २८,४३२          | ३२,४१५          | ३४,८६२          | ३८,६४१          | ४१,२७५          | ४७,०४६          |
| १३            | सांगली                | २६,०६६          | २८,२४४          | ३२,४६२          | ३५,६३७          | ३७,८३४          | ४२,५००          | ४६,००५          |
| १४            | सोलापूर               | ३९,४५९          | ४२,६३३          | ४७,४७४          | ५३,९१७          | ५७,८४१          | ६२,१३८          | ७०,४६३          |
| १५            | कोल्हापूर             | ४०,७३२          | ४६,३१४          | ५१,३३५          | ५५,९६७          | ६०,८८१          | ६६,३७८          | ७४,३२४          |
|               | <b>पुणे विभाग</b>     | <b>२,६३,०८६</b> | <b>२,९४,४४४</b> | <b>३,३१,४४१</b> | <b>३,६४,९५९</b> | <b>३,९५,९१८</b> | <b>४,२९,७२१</b> | <b>४,७९,२८२</b> |
| १६            | औरंगाबाद              | ३१,५१९          | ३४,४७७          | ४०,३९४          | ४२,८०५          | ४७,३८९          | ५१,९३०          | ५७,०२४          |
| १७            | जालना                 | १३,१७८          | १३,६३१          | १८,३२८          | १५,८८४          | १६,५३९          | २०,६४३          | २०,८२३          |
| १८            | परभणी                 | १२,१५०          | १३,९६२          | १५,५७५          | १५,९३३          | १५,५६१          | १९,६२९          | २०,१४२          |
| १९            | हिंगोली               | ५,९९४           | ७,०९०           | ७,५४०           | ८,६९१           | ८,०६४           | ९,५५१           | १०,१०७          |
| २०            | बीड                   | १५,७१०          | १६,६३६          | १९,५९९          | १९,४८५          | २०,७६२          | २५,१६२          | २६,७६१          |
| २१            | नांदेड                | २०,९९८          | २४,०६९          | २७,०७४          | २६,७९३          | २९,५२२          | ३४,८२८          | ३७,१७६          |
| २२            | उस्मानाबाद            | ११,७३३          | ११,५५८          | १४,४४७          | १२,९४४          | १३,३८४          | १५,६५०          | १७,२९६          |
| २३            | लातूर                 | १६,८८५          | १९,८५८          | २२,८५६          | २१,३०३          | २२,५०९          | २८,४०८          | ३०,१५१          |
|               | <b>औरंगाबाद विभाग</b> | <b>१,२८,१६७</b> | <b>१,४१,२८०</b> | <b>१,६५,८१३</b> | <b>१,६३,८३७</b> | <b>१,७३,७३०</b> | <b>२,०५,८०१</b> | <b>२,१९,४७९</b> |
| २४            | बुलढाणा               | १२,९२४          | १४,७१७          | १७,७९१          | १६,६२४          | १८,०९३          | २२,३६५          | २२,१०८          |
| २५            | अकोला                 | १३,०३०          | १५,१६७          | १६,९५१          | १७,४०८          | १९,२३१          | २२,९२७          | २३,६४५          |
| २६            | वाशिम                 | ६,२६२           | ७,०६७           | ७,९६८           | ७,०२८           | ८,१५०           | ९,६४७           | ९,५७०           |
| २७            | अमरावती               | १८,८९३          | २२,३४७          | २५,०७०          | २७,०११          | २९,७७२          | ३४,९१८          | ३५,५७४          |
| २८            | यवतमाळ                | १५,६८२          | १८,७३०          | १९,३४६          | २०,२०२          | २३,४८४          | २७,८१६          | २८,३३७          |
|               | <b>अमरावती विभाग</b>  | <b>६६,७९१</b>   | <b>७८,०२७</b>   | <b>८७,१२६</b>   | <b>८८,२७३</b>   | <b>९८,७३०</b>   | <b>१,१७,६७४</b> | <b>१,१९,२३४</b> |
| २९            | वर्धा                 | १०,०६०          | ११,६०४          | १२,४८१          | १३,५१८          | १५,६६०          | १७,९१७          | १९,१४८          |
| ३०            | नागपूर                | ५६,०२८          | ६३,८३१          | ७१,७३१          | ७८,९७६          | ८७,३५७          | ९५,४१९          | १,०५,३५२        |
| ३१            | भंडारा                | ८,०६१           | ९,१८९           | १०,३४९          | ११,१९३          | ११,८९९          | १३,४५१          | १४,३७१          |
| ३२            | गोंदिया               | ८,५३९           | १०,००५          | १०,९६९          | ११,९९७          | १२,७९३          | १४,३५२          | १५,१६६          |
| ३३            | चंद्रपूर              | १६,९४०          | १९,७६३          | २१,४६८          | २३,२०८          | २५,८६६          | २९,०३१          | ३१,१९९          |
| ३४            | गडचिरोली              | ५,८२१           | ६,६५३           | ६,९४९           | ७,३४०           | ७,८३८           | ८,५२०           | ९,६९१           |
|               | <b>नागपूर विभाग</b>   | <b>१,०५,४४९</b> | <b>१,२१,०४४</b> | <b>१,३३,९४७</b> | <b>१,४६,२३३</b> | <b>१,६१,४१४</b> | <b>१,७८,६९१</b> | <b>१,९४,९२६</b> |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

# - मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा

§ पालघर अंतर्भूत

टोप - (१) आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

(२) २०११-१२ ते २०१७-१८ ची आकडेवारी अस्थायी आहे.

(३) सुधारीत पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या कार्यपद्धती व परिभाषा मधील बदलामुळे स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धीचे अंदाज पायाभूत वर्ष २००४-०५ मालिकेतील परिगणित करण्यात आलेल्या अंदाजाशी तुलना करता येत नाही.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

**परिशिष्ट ३.१०**  
**वास्तविक स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (स्थिर किंमतीनुसार)**

(₹ कोटी)

| अ.क्र.<br>(१) | जिल्हा<br>(२)         | २०११-१२<br>(३)  | २०१२-१३<br>(४)  | २०१३-१४<br>(५)  | २०१४-१५<br>(६)  | २०१५-१६<br>(७)  | २०१६-१७<br>(८)  | २०१७-१८<br>(९)  |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| १             | मुंबई <sup>#</sup>    | २,२०,९७५        | २,३६,३२४        | २,५०,६३०        | २,७२,६२१        | २,९४,०३८        | ३,१६,०१४        | ३,४०,९२९        |
| २             | ठाणे <sup>§</sup>     | १,६३,७६१        | १,७४,९४३        | १,८५,२६८        | २,०१,०५१        | २,१६,५५५        | २,३३,०५४        | २,५१,३१५        |
| ३             | रायगड                 | २९,५७६          | ३१,५४०          | ३३,३८७          | ३७,००७          | ३९,८५५          | ४२,७१२          | ४६,०७६          |
| ४             | रत्नागिरी             | १३,८४२          | १४,६८८          | १५,७५०          | १८,४११          | १७,९३५          | २०,०३१          | २२,०६३          |
| ५             | सिंधुदुर्ग            | ८,०३३           | ८,४९५           | ८,९५५           | ९,२८२           | ९,७८२           | ११,१३६          | १३,२७५          |
|               | <b>कोकण विभाग</b>     | <b>४,३६,१८६</b> | <b>४,६५,९९०</b> | <b>४,९३,९९०</b> | <b>५,३८,३७२</b> | <b>५,७८,१६४</b> | <b>६,२२,९४६</b> | <b>६,७३,६५७</b> |
| ६             | नाशिक                 | ५५,२८९          | ६१,२२१          | ६६,०५१          | ६८,४५६          | ७२,४८९          | ७८,५६४          | ८६,४२४          |
| ७             | धुळे                  | १४,५६४          | १५,३६४          | १६,५९८          | १८,१७५          | १८,५६६          | १९,९२८          | २१,८४७          |
| ८             | नंदुरबार              | ८,०१०           | ८,५०६           | ९,४००           | ८,८६४           | ९,५४२           | १०,६१६          | ११,२२०          |
| ९             | जळगाव                 | २९,६५७          | ३०,३५६          | ३३,८२५          | ३५,६०४          | ३६,०१७          | ४०,२४९          | ४२,२१६          |
| १०            | अहमदनगर               | ३७,२१९          | ३८,१४५          | ४२,०३६          | ४४,७९४          | ४६,१२७          | ४९,८८३          | ५५,३२३          |
|               | <b>नाशिक विभाग</b>    | <b>१,४४,७४०</b> | <b>१,५३,५९२</b> | <b>१,६७,९०९</b> | <b>१,७५,८९३</b> | <b>१,८२,७४२</b> | <b>१,९९,२४०</b> | <b>२,१७,०३०</b> |
| ११            | पुणे                  | १,३१,१४५        | १,३९,३२९        | १,४८,०९५        | १,६०,११२        | १,७१,३६०        | १,८४,०६८        | १,९८,३०८        |
| १२            | सातारा                | २५,६८४          | २६,४८५          | २८,७४८          | ३०,०१६          | ३२,६६१          | ३४,५११          | ३७,८३३          |
| १३            | सांगली                | २६,०६६          | २६,५९८          | २८,८८५          | ३०,४३७          | ३१,८५७          | ३५,१०८          | ३६,७९०          |
| १४            | सोलापूर               | ३९,४५९          | ४०,११२          | ४२,५९८          | ४८,०४७          | ४९,९४६          | ५२,४९९          | ५८,०९३          |
| १५            | कोल्हापूर             | ४०,७३२          | ४३,१५१          | ४५,२७९          | ४८,३०६          | ५१,५७४          | ५५,६४७          | ६०,०८६          |
|               | <b>पुणे विभाग</b>     | <b>२,६३,०८६</b> | <b>२,७५,६७६</b> | <b>२,९३,६०५</b> | <b>३,१६,९१८</b> | <b>३,३७,३९९</b> | <b>३,६१,८३४</b> | <b>३,९१,११०</b> |
| १६            | औरंगाबाद              | ३१,५१९          | ३२,२२७          | ३५,८०८          | ३७,२२७          | ४०,५२८          | ४३,९९५          | ४६,८८८          |
| १७            | जालना                 | १३,१७८          | १२,७५७          | १६,६४९          | १३,४७७          | १४,२६९          | १६,८८८          | १७,०६८          |
| १८            | परभणी                 | १२,१५०          | १३,०७०          | १३,७४८          | १३,८६४          | १३,३५३          | १६,६१६          | १६,७०९          |
| १९            | हिंगोली               | ५,९९४           | ६,७७५           | ६,७४४           | ७,४९६           | ६,७८०           | ७,७५९           | ८,३२७           |
| २०            | बीड                   | १५,७१०          | १५,७२५          | १७,३८५          | १७,००९          | १७,७०२          | २०,८०३          | २२,१०३          |
| २१            | नांदेड                | २०,९९८          | २२,३२९          | २३,७४६          | २३,२७६          | २५,१६८          | २८,८०९          | ३०,३२५          |
| २२            | उस्मानाबाद            | ११,७३३          | १०,९४६          | १२,८०६          | ११,३०८          | ११,५१९          | १२,९४८          | १४,१७०          |
| २३            | लातूर                 | १६,८८५          | १८,२८६          | २०,००९          | १८,४८२          | १९,२४०          | २३,०६२          | २४,६४०          |
|               | <b>औरंगाबाद विभाग</b> | <b>१,२८,१६७</b> | <b>१,३२,११४</b> | <b>१,४६,८९३</b> | <b>१,४२,१४१</b> | <b>१,४८,५६०</b> | <b>१,७०,८७९</b> | <b>१,८०,२३०</b> |
| २४            | बुलढाणा               | १२,९२४          | १३,५१०          | १५,०९६          | १३,९८६          | १५,०९९          | १७,६५१          | १७,६९८          |
| २५            | अकोला                 | १३,०३०          | १४,२२५          | १५,००१          | १५,१७४          | १६,३०९          | १८,४६२          | १९,१८०          |
| २६            | वाशिम                 | ६,२६२           | ६,६३०           | ७,१९१           | ६,०५५           | ६,८१८           | ८,३२२           | ८,३७७           |
| २७            | अमरावती               | १८,८९३          | २०,९३९          | २२,०७१          | २३,७०६          | २५,६०४          | २९,१२०          | २९,५३४          |
| २८            | यवतमाळ                | १५,६८२          | १७,३५९          | १६,९१४          | १७,६१९          | २०,१६९          | २२,८३०          | २२,७३०          |
|               | <b>अमरावती विभाग</b>  | <b>६६,७९१</b>   | <b>७२,६६३</b>   | <b>७६,२७३</b>   | <b>७६,५४१</b>   | <b>८४,०००</b>   | <b>९६,३८५</b>   | <b>९७,५१९</b>   |
| २९            | वर्धा                 | १०,०६०          | १०,८३२          | ११,००८          | ११,८०३          | १३,१३२          | १४,७९६          | १५,६४९          |
| ३०            | नागपूर                | ५६,०२८          | ६०,००६          | ६३,२८१          | ६८,५८७          | ७४,८०४          | ८१,०८७          | ८६,५५२          |
| ३१            | भंडारा                | ८,०६१           | ८,५६५           | ८,९५८           | ९,४८२           | ९,९९०           | ११,०८१          | ११,६०६          |
| ३२            | गोंदिया               | ८,५३९           | ९,२७८           | ९,५०९           | १०,१६४          | १०,८३९          | ११,८७१          | १२,५९६          |
| ३३            | चंद्रपूर              | १६,९४०          | १८,४५०          | १८,९४५          | २०,१६२          | २२,०४६          | २४,२९७          | २५,७९७          |
| ३४            | गडचिरोली              | ५,८२१           | ६,२१६           | ६,०५७           | ६,३१०           | ६,७३३           | ७,०७४           | ८,१२८           |
|               | <b>नागपूर विभाग</b>   | <b>१,०५,४४९</b> | <b>१,१३,३४७</b> | <b>१,१७,७५७</b> | <b>१,२६,५१०</b> | <b>१,३७,५४५</b> | <b>१,५०,२०५</b> | <b>१,६०,३२९</b> |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

# - मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा

§ पालघर अंतर्भूत

टीप - (१) आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

(२) २०११-१२ ते २०१७-१८ ची आकडेवारी अस्थायी आहे.

(३) सुधारीत पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या कार्यपद्धती व परिभाषा मधील बदलामुळे स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धीचे अंदाज पायाभूत वर्ष २००४-०५ मालिकेतील परिगणित करण्यात आलेल्या अंदाजाशी तुलना करता येत नाही.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९



**परिशिष्ट ३.११**  
**सांकेतिक दरडोई स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धि (चालू किंमतीनुसार)**

(₹)

| अ.क्र.<br>(१) | जिल्हा<br>(२)         | २०११-१२<br>(३)  | २०१२-१३<br>(४)  | २०१३-१४<br>(५)  | २०१४-१५<br>(६)  | २०१५-१६<br>(७)  | २०१६-१७<br>(८)  | २०१७-१८<br>(९)  |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| १             | मुंबई <sup>#</sup>    | १,७५,७४२        | १,९६,४३३        | २,१७,५७२        | २,३६,३६४        | २,५३,३३१        | २,६८,५९७        | २,९४,७६४        |
| २             | ठाणे <sup>§</sup>     | १,४६,७३८        | १,६४,२९५        | १,८२,१८०        | १,९८,२३०        | २,१२,६९१        | २,२७,३३२        | २,४९,८९७        |
| ३             | रायगड                 | १,११,५६६        | १,२५,६६७        | १,४०,२३४        | १,५६,५७१        | १,६९,८३३        | १,७९,६३४        | १,९९,४५२        |
| ४             | रत्नागिरी             | ८५,२७७          | ९६,०६८          | १,१०,०५०        | १,३३,५३४        | १,२९,७६२        | १,४९,९८८        | १,६८,५६९        |
| ५             | सिंधुदुर्ग            | ९४,०९१          | १,०६,३४७        | १,१८,८९२        | १,२७,७३४        | १,३५,९२६        | १,६०,९३५        | २,०३,५४८        |
|               | <b>कोकण विभाग</b>     | <b>१,५१,१३०</b> | <b>१,६९,२८७</b> | <b>१,८८,०१२</b> | <b>२,०५,५८८</b> | <b>२,१९,९६४</b> | <b>२,३५,१५२</b> | <b>२,५९,५२१</b> |
| ६             | नाशिक                 | ८९,९२५          | १,०६,८८७        | १,२२,७३९        | १,२३,२१८        | १,२९,०७१        | १,३६,७२२        | १,५६,९७९        |
| ७             | धुळे                  | ७०,६०७          | ७८,७६४          | ८९,८६३          | ९९,१५८          | १,०३,७३७        | १,१०,८०३        | १,२४,९०५        |
| ८             | नंदुरबार              | ४८,३५२          | ५३,८३९          | ६१,५५६          | ५८,९२४          | ६४,४२२          | ७२,४६२          | ७८,०९५          |
| ९             | जळगाव                 | ६९,६९२          | ७४,२२०          | ८६,०६१          | ९२,३५४          | ९५,९५८          | १,०६,९६७        | १,१४,६४४        |
| १०            | अहमदनगर               | ८१,४९४          | ८७,२६२          | १,०१,०९२        | १,१०,७५०        | १,१८,६६४        | १,२५,७९९        | १,४३,३११        |
|               | <b>नाशिक विभाग</b>    | <b>७७,४४१</b>   | <b>८६,८६२</b>   | <b>१,००,०७८</b> | <b>१,०४,८२९</b> | <b>१,१०,५११</b> | <b>१,१८,७८४</b> | <b>१,३३,५६०</b> |
| ११            | पुणे                  | १,३७,९८०        | १,५४,४५९        | १,७१,७५७        | १,८६,४२३        | १,९९,९९०        | २,१३,७१०        | २,३४,१०८        |
| १२            | सातारा                | ८५,०६६          | ९३,३३७          | १,०५,४७१        | १,१२,४३५        | १,२३,५२४        | १,३०,७८४        | १,४७,७६१        |
| १३            | सांगली                | ९१,८४६          | ९८,५६८          | १,१२,२०८        | १,२२,००४        | १,२८,२९०        | १,४२,७३६        | १,५३,०३४        |
| १४            | सोलापूर               | ९०,८३५          | ९७,१२७          | १,०७,०३८        | १,२०,३०९        | १,२७,७३१        | १,३५,८०३        | १,५२,४०७        |
| १५            | कोल्हापूर             | १,०४,४५८        | १,१७,५५४        | १,२८,९६१        | १,३९,१५५        | १,४९,८१९        | १,६१,६७३        | १,७९,१७०        |
|               | <b>पुणे विभाग</b>     | <b>१,११,४५२</b> | <b>१,२३,३३३</b> | <b>१,३७,२४६</b> | <b>१,४९,४१४</b> | <b>१,६०,२५३</b> | <b>१,७१,९६५</b> | <b>१,८९,६२६</b> |
| १६            | औरंगाबाद              | ८४,५८०          | ९१,४४२          | १,०५,८९३        | १,१०,९०९        | १,२१,३६१        | १,३१,४४६        | १,४२,६६५        |
| १७            | जालना                 | ६६,९१७          | ६८,६०८          | ९१,४२७          | ७८,५३६          | ८१,०५२          | १,००,२७२        | १,००,२५३        |
| १८            | परभणी                 | ६५,७७८          | ७४,८१९          | ८२,६१६          | ८३,६५०          | ८०,८७०          | १,००,९७०        | १,०२,५५३        |
| १९            | हिंगोली               | ५०,६५९          | ५९,४२२          | ६२,६५९          | ७१,६२२          | ६५,८९७          | ७७,४०३          | ८१,२२४          |
| २०            | बीड                   | ६०,४५५          | ६३,४४५          | ७४,०७९          | ७२,९९३          | ७७,०८२          | ९२,५८९          | ९७,५९५          |
| २१            | नांदेड                | ६२,११३          | ७०,५०४          | ७८,५३२          | ७६,९६०          | ८३,९७४          | ९८,१०२          | १,०३,६९५        |
| २२            | उस्मानाबाद            | ७०,४२९          | ६८,७८०          | ८५,२३६          | ७५,७१०          | ७७,६१६          | ८९,९७८          | ९८,५९०          |
| २३            | लातूर                 | ६८,४१७          | ७९,६९१          | ९०,८४७          | ८३,८६७          | ८७,७७०          | १,०९,७१४        | १,१५,३३६        |
|               | <b>औरंगाबाद विभाग</b> | <b>६८,०३२</b>   | <b>७४,२६२</b>   | <b>८६,३०८</b>   | <b>८४,४४९</b>   | <b>८८,६७७</b>   | <b>१,०४,०२५</b> | <b>१,०९,८६०</b> |
| २४            | बुलढाणा               | ४९,७०६          | ५६,०८९          | ६७,१९०          | ६२,२१२          | ६७,०९७          | ८२,१९०          | ८०,५०८          |
| २५            | अकोला                 | ७१,३६८          | ८२,१४५          | ९०,७८३          | ९२,१९१          | १,००,७१०        | १,१८,७२७        | १,२१,०७९        |
| २६            | वाशिम                 | ५२,०४२          | ५८,२२०          | ६५,०७२          | ५६,९०१          | ६५,४११          | ७६,७५८          | ७५,४८९          |
| २७            | अमरावती               | ६४,९९८          | ७६,०५५          | ८४,४१०          | ८९,९६७          | ९८,१०१          | १,१३,८२४        | १,१४,७१६        |
| २८            | यवतमाळ                | ५६,२६६          | ६६,५८५          | ६८,१४९          | ७०,५१६          | ८१,२२७          | ९५,३३५          | ९६,२४०          |
|               | <b>अमरावती विभाग</b>  | <b>५८,९८७</b>   | <b>६८,२३४</b>   | <b>७५,४४४</b>   | <b>७५,६८८</b>   | <b>८३,८२६</b>   | <b>९८,९३१</b>   | <b>९९,२६२</b>   |
| २९            | वर्धा                 | ७६,८७०          | ८७,७४८          | ९३,४०२          | १,००,११९        | १,१४,७८४        | १,२९,९६६        | १,३७,४५९        |
| ३०            | नागपूर                | १,१९,३८७        | १,३४,०६४        | १,४८,४९९        | १,६१,१५६        | १,७५,७०५        | १,८९,१७४        | २,०५,८७८        |
| ३१            | भंडारा                | ६६,८०७          | ७५,४८०          | ८४,२५३          | ९०,३१४          | ९५,१६४          | १,०६,६२४        | १,१२,९०६        |
| ३२            | गोंदिया               | ६४,२३८          | ७४,६१९          | ८१,११०          | ८७,९४९          | ९२,९७९          | १,०३,४१५        | १,०८,३४१        |
| ३३            | चंद्रपूर              | ७६,३७३          | ८८,१५०          | ९४,७३३          | १,०१,३२२        | १,११,७२५        | १,२४,०६०        | १,३१,९०८        |
| ३४            | गडचिरोली              | ५४,००४          | ६१,२२९          | ६३,४४९          | ६६,४९०          | ७०,४४१          | ७५,९७१          | ८५,७२७          |
|               | <b>नागपूर विभाग</b>   | <b>८९,११०</b>   | <b>१,०१,१२०</b> | <b>१,१०,६२०</b> | <b>१,१९,३८६</b> | <b>१,३०,२७४</b> | <b>१,४२,५७०</b> | <b>१,५३,७४६</b> |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

# - मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा

\$ पालघर अंतर्भूत

टीप - (१) २०११-१२ ते २०१७-१८ ची आकडेवारी अस्थायी आहे.

(२) सुधारीत पायाभूत वर्ष २०११-१२ च्या कार्यपद्धती व परिभाषा मधील बदलामुळे स्थूल जिल्हा मूल्यवृद्धीचे अंदाज पायाभूत वर्ष २००४-०५ मालिकेतील परिगणित करण्यात आलेल्या अंदाजाशी तुलना करता येत नाही.



४

## किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था





## ४. किंमती व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

४.१ अत्यावश्यक वस्तू व सेवांच्या किंमतीतील वाढ सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन घरखर्च तसेच राहणीमानावर परिणाम करते. याशिवाय दीर्घ कालावधीत चलनवाढीने विशिष्ट पातळी ओलांडल्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो. यास्तव वस्तूंच्या किंमतीतील होणाऱ्या चढ उतारावर शासन लक्ष ठेऊन आवश्यकतेनुसार उपाययोजना व हस्तक्षेप करते. साठेबाजार आणि अवैध विक्रीवर नियंत्रण व्यतिरिक्त चलनवाढीचा परिणाम रोखण्याकरिता राज्य शासन कार्यक्षम सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था राबविते.

### किंमती

४.२ शासन ग्राहक किंमती निर्देशांक व घाऊक किंमती निर्देशांकाच्या माध्यमातून चलनवाढीवर नियमितपणे देखरेख ठेवते. ग्राहक किंमती निर्देशांक हा सर्वसाधारण राहणीमानामध्ये होणाऱ्या बदलांचे मापन करतो तर अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या चलनवाढीचे मापन घाऊक किंमती निर्देशांक करतो.

### राज्याचे ग्राहक किंमती निर्देशांक

४.३ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाकरिता दरमहा ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३) परिगणित करते. याकरिता निवडण्यात आलेल्या बाजारपेठांमधून ग्रामीण भागातील ६८ केंद्रांमधून १०६ बाबींचा आणि नागरी भागातील ७४ केंद्रांमधून १२७ बाबींचा किरकोळ किंमती नियमितपणे संकलित करण्यात येतात.

४.४ एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत ग्रामीण व नागरी भागांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे २७५.१ व २६६.६ होता. याच कालावधीत खाद्यपदार्थ गटाचा ग्रामीण भागाकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक २७१.९ व नागरी भागाकरिता २७८.० होता, तर गतवर्षी याच कालावधीमध्ये तो अनुक्रमे २७०.४ व २७८.५ होता. इंधन, वीज व दिवाबत्ती गटाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक ग्रामीण भागाकरिता ५१२.९ व नागरी भागाकरिता ५०२.८ होता, तर गतवर्षी याच कालावधीमध्ये तो अनुक्रमे ४९८.० व ४६१.६ होता. ग्रामीण व नागरी भागाकरिता गटवार ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे परिशिष्ट ४.१ व परिशिष्ट ४.२ मध्ये दिले आहेत.

४.५ एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागाकरिता १.७ टक्के तर नागरी भागासाठी तो २.५ टक्के होता. याच कालावधीकरिता खाद्यपदार्थ गटाचा वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागासाठी ०.५ टक्के आणि नागरी भागासाठी (-) ०.२ टक्के होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित खाद्यपदार्थ गटातील उपगटनिहाय चलनवाढ तक्ता ४.१ मध्ये दिला आहे.

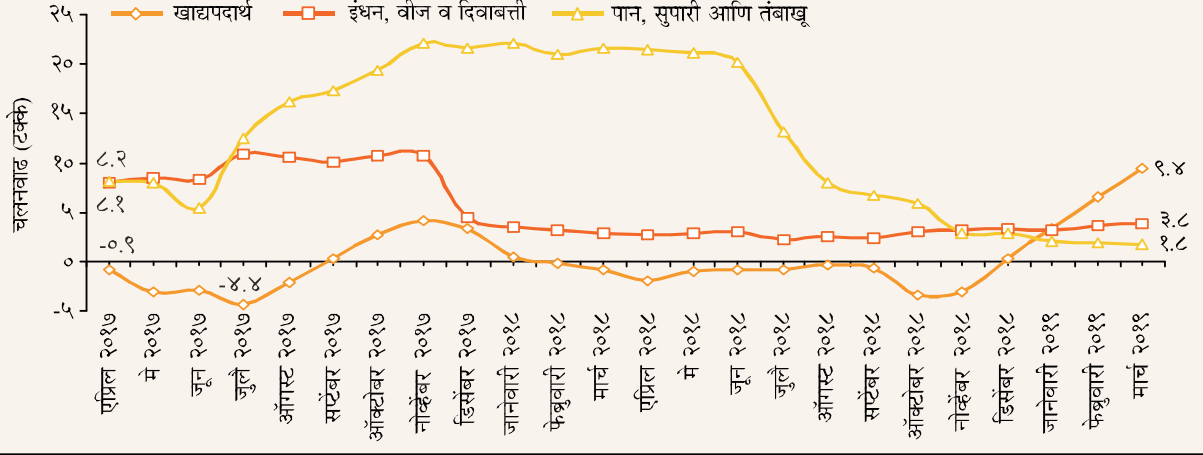
#### तक्ता ४.१ सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित खाद्यपदार्थ गटातील उपगटनिहाय चलनवाढ

(टक्के)

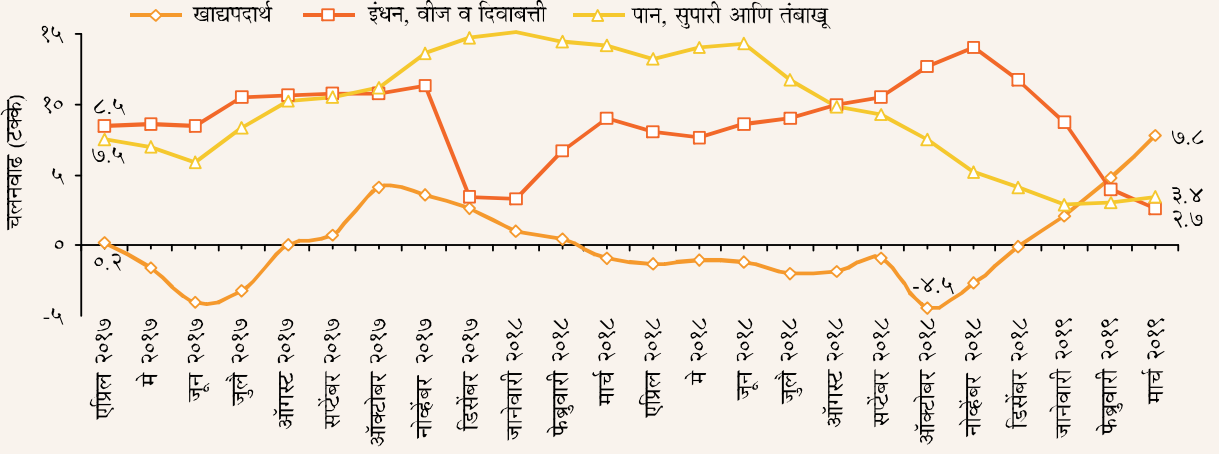
| गट                       | ग्रामीण  |         | नागरी    |         |
|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                          | २०१७-१८  | २०१८-१९ | २०१७-१८  | २०१८-१९ |
| खाद्यपदार्थ गट           | (-) ०.४  | ०.५     | ०.१      | (-) ०.२ |
| तृणधान्ये व उत्पादने     | २.१      | ६.७     | २.७      | ८.०     |
| कडधान्ये व उत्पादने      | (-) ३०.० | (-) ९.७ | (-) ३१.७ | (-) ६.९ |
| दूध व दुग्धजन्य पदार्थ   | ५.६      | २.४     | ५.०      | १.६     |
| खाद्य तेल                | ०.३      | (-) १.९ | (-) ०.८  | (-) १.६ |
| अंडी, मांस व मासे        | ३.७      | ३.३     | १.३      | ३.४     |
| भाज्या व फळे             | ८.०      | (-) १.२ | ७.९      | (-) ६.५ |
| मसाले व मसाल्याचे पदार्थ | (-) ७.४  | (-) ०.५ | (-) १३.० | (-) ३.७ |
| इतर खाद्यपदार्थ          | ३.९      | (-) ४.७ | ३.०      | (-) १.० |

आधार: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

आलेख ४.१ : राज्याकरिता प्रमुख गटांसाठी गटनिहाय ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ (ग्रामीण)



आलेख ४.२ : राज्याकरिता प्रमुख गटांसाठी गटनिहाय ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ (नागरी)



### इतर संस्थांद्वारे परिगणित करण्यात येणारे ग्राहक किंमती निर्देशांक

४.६ केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार यांचेमार्फत अखिल भारतीय आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाकरिता ग्रामीण, नागरी व एकत्रित भागाकरिता मासिक ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २०१२) परिगणित व प्रकाशित केले जातात. याकरिता १,१८१ ग्रामीण केंद्रांमधून २८१ बाबी व १,११४ नागरी केंद्रांमधून २८७ बाबींच्या किंमती संकलित केल्या जातात. निवडण्यात आलेल्या एकूण केंद्रांपैकी राज्याच्या ग्रामीण भागातील ६६ आणि नागरी भागातील ८६ केंद्रांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्याकरिता एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत परिगणित केलेला सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक ग्रामीण भागाकरिता १४२.६, नागरी भागाकरिता १३३.७ आणि एकत्रित भागाकरिता १३६.७ असून त्यांच्या चलनवाढीचा दर अनुक्रमे १.६ टक्के, ४.० टक्के व ३.१ टक्के होता.

४.७ श्रम केंद्र, भारत सरकार यांचेमार्फत पायाभूत वर्ष १९८६-८७ वर आधारित शेत मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक दरमहा प्रकाशित केले जातात. किंमतीचे संकलन ६०० केंद्रांमधून केले जात असून त्यापैकी ५४ केंद्रे राज्यातील आहे. एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ करिता राज्यासाठी शेत मजुरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक आणि ग्रामीण मजुरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे ९६७.२ आणि ९६३.३ होते, याच कालावधीकरिता चलनवाढीचा दर अनुक्रमे १.१ टक्के आणि १.३ टक्के होता. राज्यासाठी शेत मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.४ मध्ये दिले आहेत.

४.८ औद्योगिक कामगारांकरिताचा ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००१) चा वापर करून मजुरी व वेतनावरील महागाई भत्ता निर्धारित करण्यात येतो. तसेच सदर निर्देशांक नियत कार्य क्षेत्रातील रोजगाराकरिता किमान मजुरी दर निश्चिती व वेतन संरचना करण्याकरिता वापरला जातो. सदर निर्देशांकाची दरमहा परिगणना व प्रकाशित करावयाचे काम श्रम केंद्र, भारत सरकार करते. औद्योगिक कामगारांकरिताचा ग्राहक किंमती निर्देशांक हा भारतातील औद्योगिकदृष्ट्या विकसित अशा निवडक ७८ केंद्रांमधील जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा यांच्या किरकोळ किंमतींवर आधारित असून यामध्ये राज्यातील पाच केंद्रांचा समावेश आहे. या पाच केंद्रांबरोबरच राज्यातील पाच अतिरिक्त केंद्रांसाठी कामगार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक स्वतंत्रपणे परिगणित करण्यात येतात. राज्यातील केंद्रांसाठी औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.७ मध्ये दिला आहे.

## अखिल भारतीय ग्राहक किंमती निर्देशांक

४.९ एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीकरिता केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने परिगणित केलेला अखिल भारतीय सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २०१२) ग्रामीण भागाकरिता १४१.३, नागरी भागाकरिता १३७.७ आणि एकत्रित भागाकरिता १३९.६ होता. सदर कालावधीतील चलनवाढीचा दर अनुक्रमे ३.० टक्के, ३.९ टक्के व ३.४ टक्के होता. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून परिगणित राज्यनिहाय ग्रामीण, नागरी व एकत्रित ग्राहक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.३ मध्ये देण्यात आले आहेत.

४.१० श्रम केंद्र, भारत सरकार यांच्याकडून एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत परिगणित केलेले अखिल भारतीय शेत मजुरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक आणि ग्रामीण मजुरांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे ९०७.३ आणि ९१५.१ असून गतवर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या चलनवाढीचा दर अनुक्रमे २.१ टक्के आणि २.२ टक्के होता. अखिल भारतीय शेत मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक आणि ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.४ मध्ये देण्यात आले आहेत.

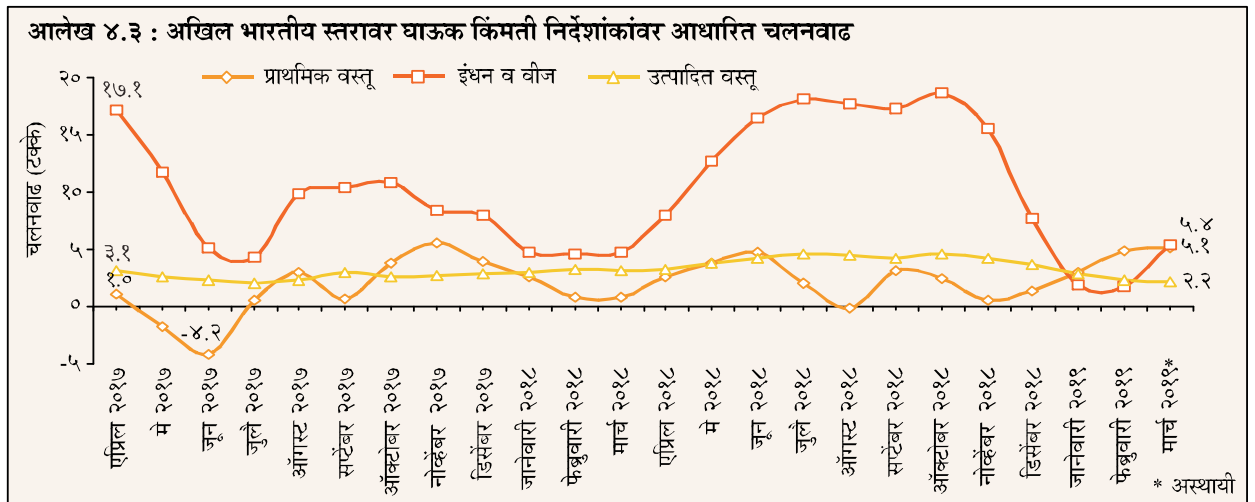
४.११ एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीतील श्रम केंद्र, भारत सरकार यांच्याकडून परिगणित व प्रकाशित करण्यात येणारा अखिल भारतीय औद्योगिक कामगारांकरिता सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक २९९.९ असून गतवर्षीच्या तुलनेत तो ५.४ टक्के चलनवाढ दर्शवितो. अखिल भारतीय औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक व राज्यातील निवडक केंद्रांसाठी औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक अनुक्रमे परिशिष्ट ४.५ व परिशिष्ट ४.६ मध्ये देण्यात आले आहेत.

## अखिल भारतीय घाऊक किंमती निर्देशांक

४.१२ घाऊक किंमती निर्देशांक हा ठराविक कालावधीतील देशांतर्गत सर्व वस्तूंच्या घाऊक व्यवहारांच्या किंमतींतील बदलांचे मापन करतो. आर्थिक सल्लागार यांचे कार्यालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत सदर निर्देशांक परिगणित व प्रकाशित केले जातात. घाऊक किंमती निर्देशांक परिगणित करण्याकरिता विचारात घेतल्या जाणाऱ्या विविध वस्तूंचे वर्गीकरण प्राथमिक वस्तू, इंधन व वीज आणि उत्पादित वस्तू या गटांत केले जाते.

४.१३ सर्वसाधारण घाऊक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २०११-१२) एप्रिल, २०१८ मधील ११७.३ पासून मार्च, २०१९ मध्ये १२०.० पर्यंत वाढला. याच कालावधीत प्राथमिक वस्तू गटाच्या निर्देशांकात १३०.७ पासून १३४.७ पर्यंत, इंधन व वीज या गटात ९९.० पासून १०३.३ पर्यंत आणि उत्पादित वस्तू गटात ११६.३ पासून ११८.३ पर्यंत वाढ झाली आहे. गटनिहाय घाऊक किंमती निर्देशांक परिशिष्ट ४.८ मध्ये देण्यात आले आहेत.

४.१४ घाऊक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१८ मधील ३.६ टक्क्यांवरून मार्च, २०१९ मध्ये ३.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. प्राथमिक वस्तू गटाकरिता चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१८ मधील २.६ टक्क्यांवरून मार्च, २०१९ मध्ये तो ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. उत्पादित वस्तू गटाकरिता चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१८ मधील ३.३ टक्क्यांवरून मार्च, २०१९ मध्ये २.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. इंधन व वीज गटाकरिता चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१८ मधील ८.० टक्क्यांवरून मार्च, २०१९ मध्ये ५.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. प्राथमिक वस्तू गटातील खाद्यपदार्थ उपगटाचा चलनवाढीचा दर एप्रिल, २०१८ मधील ०.९ टक्क्यांवरून वाढ होऊन तो मार्च, २०१९ मध्ये ५.७ टक्के झाला. अखिल भारतीय स्तरावर विविध महत्त्वाच्या किंमती निर्देशांकांवर आधारित चलनवाढीचे दर परिशिष्ट ४.९ मध्ये दिले आहेत.



## सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

४.१५ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियमित वितरणाद्वारे समाजातील वंचित गटाला अन्न सुरक्षा तसेच जीवनावश्यक वस्तु रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याची हमी देते. लाभार्थी निश्चित करणे, अन्नधान्याची खरेदी आणि रास्त भाव दुकानांच्या स्थापित नेटवर्कद्वारे वितरण ह्या जबाबदाऱ्या केंद्र शासन आणि राज्य शासन एकत्रितरित्या पार पाडत आहेत. गहू, तांदूळ, साखर, केरोसिन इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण रास्त भाव दुकानांद्वारे केले जाते. रास्त भाव दुकानांतर्गत लाभार्थ्यांना त्यांची बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी करून धान्याचे वाटप पॉईंट ऑफ सेल (पी. ओ. एस.) उपकरणाद्वारे करण्यात येते.

४.१५.१ अन्न सुरक्षा हमी वाढ करणे व गैरव्यवहारास आळा घालण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने सक्षम आणि पारदर्शी अशी लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था स्थापित केली आहे. या दृष्टीकोनातून, राज्य शासन केंद्र शासनाकडून उचल ते लाभार्थ्यांना वितरण करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रियेचे संगणकीकरण माहिती व संगणक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करीत आहे.

४.१६ रास्त भाव दुकाने ही वस्तूंचे वितरण करण्याचे माध्यम आहे. राज्यात ३१ मार्च, २०१९ रोजी ५१,९२२ रास्त भाव दुकाने कार्यरत असून त्यामध्ये आदिवासी भागात ५,४२७ व २८ फिरती रास्त भाव दुकाने यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे कार्य प्रभावीपणे होण्याकरिता रास्त भाव दुकानांना परवाने देताना सार्वजनिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रास्त भाव दुकानांची मालकी प्रकारानुसार संख्या तक्ता ४.२ व निवडक राज्यांमधील रास्त भाव दुकानांची संख्या तक्ता ४.३ मध्ये देण्यात आली आहे.

### तक्ता ४.२ रास्त भाव दुकानांची मालकी प्रकारानुसार संख्या

(३१ मार्च, २०१९ रोजी)

| मालकीचा प्रकार            | रास्त भाव दुकाने<br>(संख्या) |
|---------------------------|------------------------------|
| वैयक्तिक (सर्वसाधारण)     | २९,९५३                       |
| अनुसूचित जाती             | ३,३३१                        |
| अनुसूचित जमाती            | ३,४५१                        |
| माजी सैनिक                | २४६                          |
| महिलांचे स्व-सहाय्यता गट  | ५,२२२                        |
| पुरुषांचे स्व-सहाय्यता गट | १२९                          |
| ग्रामपंचायत               | १८७                          |
| नागरी स्थानिक संस्था      | १५७                          |
| सहकारी                    | ७,९९१                        |
| इतर                       | १,२५५                        |
| <b>एकूण</b>               | <b>५१,९२२</b>                |

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

### तक्ता ४.३ निवडक राज्यांमधील रास्त भाव दुकानांची संख्या

(२० मे, २०१९ रोजी)

| राज्य             | रास्त भाव दुकाने<br>(संख्या) |
|-------------------|------------------------------|
| आंध्र प्रदेश      | २९,७५३                       |
| गुजरात            | १५,८७४                       |
| कर्नाटक           | १९,९७१                       |
| केरळ              | १४,२२६                       |
| मध्य प्रदेश       | २४,७१३                       |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>५१,९२२</b>                |
| राजस्थान          | २६,७४९                       |
| तेलंगणा           | १७,०४५                       |
| उत्तर प्रदेश      | ७६,६३९                       |
| <b>अखिल भारत</b>  | <b>५,३१,७६३</b>              |

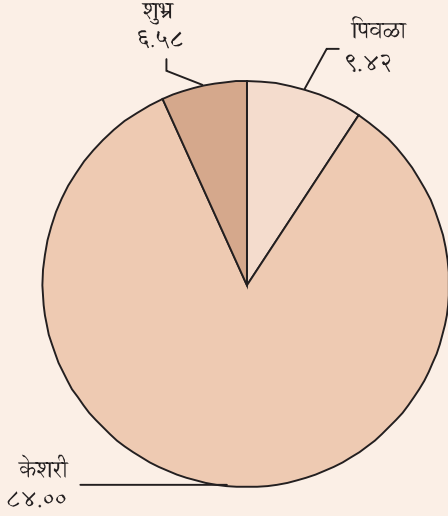
आधार: १. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, केंद्र शासन

२. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

४.१६.१ गुणवत्तापूर्ण अन्नधान्याच्या नियमित पुरवठा खात्रीशीर करण्यासाठी व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी रास्त भाव दुकानांची वर्षभरात नियमित निरीक्षणे घेतली जातात. एप्रिल, २०१८ ते मार्च, २०१९ या कालावधीत ६,२६९ रास्त भाव दुकानांची निरीक्षणे घेण्यात आली. या निरीक्षणांतर्गत २० रास्त भाव दुकानांचे परवाने रद्द, २१ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले व एकूण ₹ ८.७७ लाख दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर आणि संनियंत्रणामध्ये जनतेचा खात्रीशीर सहभाग असण्यासाठी राज्यात निरनिराळ्या स्तरावर दक्षता समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.



आलेख ४.४ : ३१ मार्च, २०१९ रोजी प्रकारानुसार शिधापत्रिकाधारकांची टक्केवारी



४.१७ मार्च, २०१९ अखेर एकूण २.७८ कोटी शिधापत्रिकाधारक असून त्यापैकी २६.१९ लाख 'अंत्योदय अन्न योजना' (अंअयो) शिधापत्रिकाधारक होते. केंद्रपुरस्कृत अन्नपूर्णा योजना राज्यात १ एप्रिल, २००१ पासून राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन किंवा राज्य निवृत्ती वेतन या योजनांतर्गत लाभ मिळत नसलेल्या ६५ वर्ष व त्यावरील वयाच्या निराधार वृद्धांना या योजनेअंतर्गत दरमहा १० किलो अन्नधान्य मोफत पुरविण्यात येते. या व्यतिरिक्त राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना त्यातील व्यक्तीमागे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दिलेल्या दराने दरमहा प्रत्येकी १५ किलो अन्नधान्याचे वितरणासाठी केंद्र शासन अतिरिक्त नियतन मंजूर करते. मार्च, २०१९ अखेर अन्नपूर्णा शिधापत्रिकाधारकांची संख्या १,६१३ होती. शिधापत्रिकाच्या प्रकारानुसार धारकांची संख्या तक्ता ४.४ मध्ये व शिधापत्रिकाधारकांची जिल्हानिहाय संख्या परिशिष्ट ४.१० मध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता ४.४ शिधापत्रिकाच्या प्रकारानुसार शिधापत्रिकाधारकांची संख्या

| वर्ष    | शिधापत्रिका प्रकार |        |       |                   |
|---------|--------------------|--------|-------|-------------------|
|         | पिवळा              | केशरी  | शुभ   | एकूण <sup>+</sup> |
| २०१६-१७ | ८०.५२              | १४६.८८ | २१.४६ | २४९.३९            |
| २०१७-१८ | ६४.४४              | १५८.९६ | २१.८० | २४५.५७            |
| २०१८-१९ | २६.२०              | २३३.७० | १८.३० | २७८.२१            |

आधार : अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

+ अन्नपूर्णा लाभार्थ्यांच्या संख्येसह

### राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थी

४.१८ राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ ची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून होत आहे. सदर अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना त्यांच्या अन्नाची गरज भागविण्याकरिता पुरेसे दर्जेदार अन्नधान्य रास्त दराने उपलब्ध होण्यासाठी अन्न व पोषण सुरक्षा पुरविणे असा आहे. यामुळे राज्यातील गरजू जनतेला अनुदानित दरामध्ये खात्रीशीररित्या अन्नधान्य उपलब्ध होत आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागातील सुमारे ४.७ कोटी (७६.३ टक्के) व नागरी भागातील सुमारे २.३ कोटी (४५.३ टक्के) लोकसंख्या अनुदानित दराने धान्य मिळण्यास पात्र आहे. या अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांचे अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब असे गट करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील वार्षिक उत्पन्न ₹ ४४,००० पर्यंत असलेली २१६.८५ लाख कुटुंब, तसेच नागरी भागातील वार्षिक उत्पन्न ₹ ५९,००० पर्यंत असलेली १८३.२२ लाख कुटुंबांना प्राधान्य गटातील कुटुंब संबोधण्यात येते.

४.१८.१ या अधिनियमानुसार, अंत्योदय अन्न योजनेखालील लाभार्थी प्रतिमाह प्रति कुटुंब ३५ किलो आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह ५ किलो धान्य मिळविण्यास पात्र आहेत. सदर अधिनियमानुसार लाभार्थी तीन रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ, दोन रुपये प्रति किलो दराने गहू व रुपये एक प्रति किलो दराने भरडधान्य मिळविण्यास पात्र आहेत. सदर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम अंतर्गत रास्त भाव दुकानांना अन्नधान्याचे नियतन, उचल व केलेले वितरणाचा तपशील तक्ता ४.५ मध्ये देण्यात आला आहे. सन २०१७-१८ करिता जिल्हानिहाय अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण परिशिष्ट ४.१४ मध्ये व सन २०१८-१९ करिताचा तपशील परिशिष्ट ४.१५ मध्ये दिला आहे. निवडक राज्यांकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट व्यक्ती आणि शिधापत्रिकांची संख्या तक्ता ४.६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ४.५ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण**

(लाख मे.टन)

| लाभार्थी         | वर्ष    | तांदूळ                 |                          |                                  | गहू                    |                          |                                  |
|------------------|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                  |         | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण |
| प्राधान्य कुटुंब | २०१६-१७ | १५.१७                  | १४.१८                    | १४.११                            | २०.३६                  | १९.०४                    | १८.९५                            |
|                  | २०१७-१८ | १५.३५                  | १४.२१                    | १४.२६                            | २०.१८                  | १८.५४                    | १८.५०                            |
|                  | २०१८-१९ | १४.६८                  | १२.६६                    | १२.४१                            | २०.८४                  | १७.५७                    | १७.३७                            |
| अंअयो            | २०१६-१७ | ५.०४                   | ४.८७                     | ४.८३                             | ५.४८                   | ५.२२                     | ५.२१                             |
|                  | २०१७-१८ | ४.८६                   | ४.६४                     | ४.६९                             | ५.६६                   | ५.३३                     | ५.३१                             |
|                  | २०१८-१९ | ५.५२                   | ५.१०                     | ४.९९                             | ५.००                   | ४.४३                     | ४.३४                             |

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

**तक्ता ४.६ निवडक राज्यांकरिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट व्यक्ती आणि शिधापत्रिकांची संख्या**

(लाख )

| राज्य        | निश्चित करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या |          |          | शिधापत्रिका (२० मे, २०१९ रोजी ) |                  |          |
|--------------|-------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|------------------|----------|
|              | ग्रामीण                                   | नागरी    | एकूण     | अंअयो                           | प्राधान्य कुटुंब | एकूण     |
| आंध्र प्रदेश | २००.२०                                    | ६८.०३    | २६८.२३   | ९.०८                            | ८३.८५            | ९२.९३    |
| गुजरात       | २५८.७८                                    | १२४.०६   | ३८२.८५   | ८.०८                            | ५८.१८            | ६६.२६    |
| कर्नाटक      | २८५.५५                                    | ११६.३८   | ४०१.९३   | ७.७०                            | ११६.७९           | १२४.४८   |
| केरळ         | ९१.८७                                     | ६२.९३    | १५४.८०   | ५.८९                            | ३०.७५            | ३६.६४    |
| मध्य प्रदेश  | ४२०.८३                                    | १२५.५९   | ५४६.४२   | १३.८३                           | १०३.६५           | ११७.४८   |
| महाराष्ट्र   | ४६९.७१                                    | २३०.४५   | ७००.१७   | २४.०१                           | १२१.९८           | १४५.९९   |
| राजस्थान     | ३५६.०९                                    | ९०.५३    | ४४६.६२   | ६.६७                            | ९९.३३            | १०६.००   |
| तेलंगणा      | १४३.०८                                    | ४८.६२    | १९१.७०   | ५.१४                            | ४४.५९            | ४९.७३    |
| उत्तर प्रदेश | १,२३४.०६                                  | २८६.५२   | १,५२०.५९ | ४०.८१                           | ३१२.८५           | ३५३.६६   |
| अखिल भारत    | ६,२४९.३०                                  | १,८८५.६१ | ८,१३४.९१ | २२९.५३                          | २,०८९.८०         | २,३१८.७२ |

आधार : अन्न सुरक्षा पोर्टल, केंद्र शासन

टिप : आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे एकूण बेरजा जुळतीलच असे नाही.

**राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम व्यतिरिक्त लाभार्थी**

४.१९ राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट नसलेले औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा या जिल्ह्यांमधील दारिद्र्य रेषेवरील शेतकऱ्यांना (सुमारे ५१.२९ लाख केशरी शिधापत्रिकाधारक) ऑगस्ट, २०१५ पासून प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना लागू असलेल्या दराने व परिमाणानुसार अन्नधान्याचा पुरवठा राज्य शासनाच्या खर्चाने करण्यात येत आहे. दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण तक्ता ४.७ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ४.७ दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण**

(लाख मे.टन )

| वर्ष    | तांदूळ                 |                          |                                  | गहू                    |                          |                                  |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|         | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण |
| २०१६-१७ | १.३५                   | १.२४                     | १.२१                             | २.१६                   | २.०२                     | १.९२                             |
| २०१७-१८ | १.३०                   | १.१४                     | १.१७                             | २.१३                   | १.८८                     | १.७९                             |
| २०१८-१९ | १.१८                   | ०.९८                     | ०.९६                             | २.०५                   | १.७८                     | १.७२                             |

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## भरड धान्याचे वितरण

४.२० राज्यातील प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्यांना तांदुळ आणि गहू या व्यतिरिक्त भरड धान्यही वितरीत करण्यात येते. भरड धान्याचे नियतन, उचल व रास्तभाव दुकानांना केलेले वितरण तक्ता ४.८ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ४.८ भरड धान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण

('००० मे.टन)

| वर्ष    | ज्वारी                 |                          |                                  | मका                    |                          |                                  |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|         | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण |
| २०१६-१७ | १६.५७                  | १४.२७                    | १४.०३                            | ०.०१                   | ०.०१                     | ०.०१                             |
| २०१७-१८ | ३.७३                   | ३.७३                     | ३.७२                             | १२.१८                  | १२.१८                    | ११.९८                            |
| २०१८-१९ | १३.७१                  | १३.७१                    | १२.७६                            | ५४.६८                  | ५४.६८                    | ५४.०५                            |

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांना अन्नधान्य वितरण

४.२१ राज्यातील विविध कुटुंबांकरिता रास्त भाव दुकानांना वितरणव्यतिरिक्त शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांना (आश्रमशाळा, वसतिगृह इत्यादी कल्याणकारी संस्था) केंद्र शासनामार्फत अन्नधान्याचे नियतन मंजूर करण्यात येते. या संस्थांना १५ किलो प्रति निवासी अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येते. शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांची संख्या ४,५७४ असून त्यातील निवासी संख्या ४.८० लाख आहे. शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांकरिता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व केलेले वितरण तक्ता ४.९ मध्ये देण्यात आले आहे.

### तक्ता ४.९ शिधापत्रिकाधारक आस्थापनांकरिता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व केलेले वितरण

('००० मे.टन)

| वर्ष                 | तांदूळ                 |                          |       | गहू                    |                          |       |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-------|
|                      | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | वितरण | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | वितरण |
| २०१६-१७              | ३९.२१                  | २५.१३                    | १५.६१ | १७.१२                  | १३.३२                    | १९.०० |
| २०१७-१८ <sup>+</sup> | निरंक                  | निरंक                    | निरंक | निरंक                  | निरंक                    | निरंक |
| २०१८-१९              | १६.४२                  | १३.५१                    | ७.९१  | २४.६४                  | १९.९७                    | ९.५६  |

+ कल्याणकारी योजनेतर्गत केंद्र शासनाकडून नियतन प्राप्त झाले नसल्याने माहिती निरंक

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## खरेदीचे विकेंद्रीकरण

४.२२ सन २०१६-१७ पासून राज्यात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी धान/ भरड धान्य यासाठी विकेंद्रित खरेदी योजना राज्य शासन राबवित आहे. राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्यादित, मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक या दोन्ही संस्था धान/ भरडधान्य खरेदी करीत आहेत. राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी नॅशनल इ-मार्केट लिमिटेड (एनईएमएल) कंपनीमार्फत करण्यात येत असून खरेदी प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत आहे. खरेदी करण्यात आलेले धान भरडाई साठी गिरणी मालकांना दिल्यानंतर प्राप्त होणारा कस्टम मिलर राईस (सीएमआर) भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामाएवजी तो संबंधित गिरणी मालकांमार्फत राज्य शासकीय गोदामात जमा करण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये १.८८ लाख शेतकऱ्यांकडून ₹ १,११०.०२ कोटी रकमेचे ६३.४३ लाख क्विंटल धान्य खरेदी करण्यात आले. सदर योजनेतील भांडवली खर्चाचा परतावा केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतो.

## साखर

४.२३ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत जून, २०१७ पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक आणि अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारकांना साखर वितरीत करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जुलै, २०१७ पासून फक्त अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारकांना साखरेचे वाटप करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने राज्यास प्रतिमाह २,५०५ मे. टन साखरेचे नियतन करण्याचे निश्चित केले आहे. साखरेची विक्री किंमत ₹ २० प्रति किलो असून प्रत्येक कुटुंबास प्रतिमाह एक किलो साखर वाटप करण्यात येते. साखरेचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण तक्ता ४.१० मध्ये देण्यात आले आहे.

## केरोसिन

४.२४ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत एलपीजी गॅस जोडणी असलेले सर्व शिधापत्रिकाधारक वगळून उर्वरित शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिनचा पुरवठा केला जातो. महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू किरकोळ व्यापार परवाना आदेश, १९७९ अन्वये केरोसिनचा साठा व व्यापार करण्याकरीता परवाना आवश्यक आहे. राज्यात ६१,७४१ केरोसिन विक्री परवानाधारक असून त्यापैकी ६६९ घाऊक, १,५३७ निम्न-घाऊक आणि ५९,५३५ किरकोळ विक्रेते आहेत.

४.२४.१ एक, दोन आणि तीन व त्यापेक्षा जास्त सदस्य नोंदणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमाह पुरविण्यात येणाऱ्या केरोसिनचे परिमाण अनुक्रमे दोन, तीन व चार लिटर आहे. राज्यातील निरनिराळ्या जिल्ह्यांमध्ये केरोसिनची किरकोळ विक्री किंमत ₹ २८.९० ते ₹ ३१.१० प्रति लिटर या दरम्यान आहे. केरोसिनचे नियतन, उचल व वितरण तक्ता ४.११ मध्ये देण्यात आले आहे.

## गोदामे

४.२५ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करावयाच्या अन्नधान्याची उचल भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमधून करण्यात येते. राज्याच्या स्वतःच्या अथवा भाड्याने घेतलेल्या गोदामांमध्ये सदर अन्नधान्याची उचल झाल्यानंतर साठवणूक केली जाते. राज्य शासनाची स्वतःची विविध क्षमतेची डिसेंबर, २०१८ अखेर एकूण (७.४५ लाख मे. टन क्षमतेची) १,१३९ गोदामे आहेत. यापैकी १.०९ लाख मे. टन क्षमतेची २४४ गोदामे अन्नधान्य साठविण्यासाठी उपयुक्त नसून ०.१६ लाख मे. टन क्षमतेची २१ गोदामे भाडेतत्वावर देण्यात आली आहेत. राज्याने एकूण ०.६१ लाख मे. टन क्षमतेची ८५ गोदामे भाडेतत्वावर घेतली आहेत.

४.२५.१ अन्नधान्य सुरक्षित साठविणे व अन्नधान्याची नासाडी टाळण्याकरिता नाबार्ड संस्थेने दिलेल्या अर्थ सहाय्याने राज्य शासनाने नवीन गोदामे बांधण्याच्या कार्यक्रमास सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकूण ३.६३ लाख मे. टन क्षमतेच्या २५० गोदामांच्या बांधकामाकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी १८१ गोदामे बांधून पूर्ण झाली, २४ गोदामांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून उर्वरित ४५ गोदामांची कामे विविध कारणांमुळे अद्याप सुरु झाली नाहीत. जिल्हानिहाय गोदामांची संख्या व त्यांची क्षमता परिशिष्ट ४.१३ मध्ये देण्यात आली आहे.

## अन्नधान्याकरिता अनुदान

४.२६ अन्नधान्याकरीता अर्थसहाय्य केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पुरविण्यात येते.

४.२६.१ सन २०१८-१९ साठी सुधारित अंदाजानुसार अन्नधान्याकरिता अनुदान ₹ १,९५५ कोटी असून मागील वर्षी सुधारित अनुदान ₹ १,६७३ कोटी प्राप्त होते.

### तक्ता ४.१० साखरेचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण

(लाख मे.टन)

| वर्ष    | केंद्र शासनाकडून नियतन | राज्य शासनाने केलेली उचल | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण |
|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| २०१६-१७ | १.७४                   | १.७४                     | १.७४                             |
| २०१७-१८ | ०.५९                   | ०.५९                     | ०.५९                             |
| २०१८-१९ | १.०४                   | १.०४                     | १.०३                             |

, आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

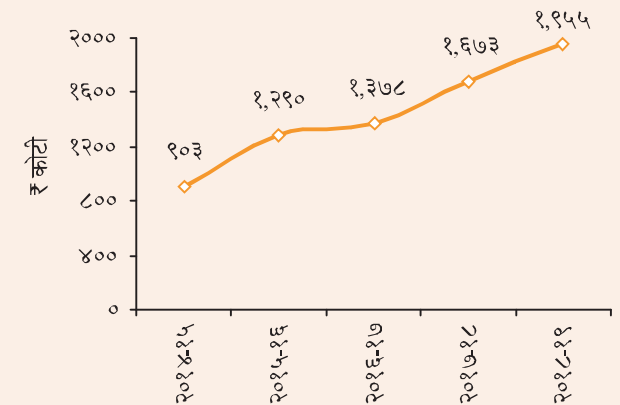
### तक्ता ४.११ केरोसिनचे नियतन, उचल व वितरण

(लाख किलो लिटर)

| वर्ष    | नियतन | उचल  | रास्त भाव दुकानांना केलेले वितरण |
|---------|-------|------|----------------------------------|
| २०१६-१७ | ५.३४  | ५.२२ | ५.२२                             |
| २०१७-१८ | २.८९  | २.८५ | २.८५                             |
| २०१८-१९ | २.५९  | २.४२ | २.४२                             |

आधार: अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

### आलेख ४.५ : अन्नधान्याकरिता अनुदान



## सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण

४.२७ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्याचे लाभार्थ्यांना निपक्ष आणि सुलभ वितरण खात्रीपूर्वक होण्यासाठी, नवीन संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. भविष्यातील वास्तविक नियोजनाच्या अचूक मागणी व पुरवठ्यासाठी ही प्रणाली सहाय्यभूत होणार आहे. संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीमुळे खालील ध्येये साध्य झाली आहेत.

- सुमारे २.४२ कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत एकूण १४३.०५ लाख शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली आहे.
- १४ अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील ३५.९४ लाख शेतकऱ्यांच्या शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली आहे.
- सुमारे १० लाख अनधिकृत/खोटे/व्दिरुक्ती झालेले आणि ३२ लाख लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शोधून काढण्यात आले.
- सन २०१७-१८ मध्ये पीओएस उपकरणाद्वारे अन्नधान्याचे वितरण केल्याने एकूण धान्य उचलीमध्ये सुमारे १० टक्के घट (३,६४,८०० मे. टन) दिसून आली.
- दि. ०१ जून, २०१८ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई व ठाणे क्षेत्रातील रास्त भाव दुकानांतील केरोसिन/ रॉकेल पीओएसद्वारे वितरण केल्याने एकूण वितरणात ३० टक्के घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

४.२७.१ मे, २०१८ पर्यंत राज्याने सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (ईपीडीएस) कार्यान्वित केली आणि संपूर्ण राज्यात पोर्टेबिलिटी सुरू केली, यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या निवासी क्षेत्राखेरीज राज्याच्या इतर कोणत्याही रास्त भाव दुकानांमधून अन्नधान्य मिळणे शक्य झाले आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्व रास्त भाव दुकानांमधील पीओएस उपकरणांचे स्थापितीकरण, कार्यान्वयन आणि लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख प्रमाणित करून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे वस्तूंचे वितरण केले जाते. मार्च, २०१९ मध्ये सुमारे १.२९ कोटी कुटुंबांनी आधार आधारीत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला. आधार संलग्न रोख रक्कम प्रदान प्रणाली (ईपीएस) ची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केल्यामुळे आधार संलग्न वितरणामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

४.२७.२ लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेसाठी अर्ज व त्यामध्ये दुरुस्ती करिता राज्य शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने शिधापत्रिका अर्ज प्रणाली विकसित केली असून ती सध्या अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

## राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग

४.२९ राज्याने ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग स्थापन केला आहे. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून औरंगाबाद आणि नागपूर या दोन ठिकाणी खंडपीठे आहेत. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी तसेच त्या व्यतिरिक्त तक्रारींचा ओघ विचारात घेऊन मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर येथे जिल्हा मंच स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्य आयोगाकडून ₹ २० लाख ते ₹ एक कोटीपर्यंतच्या रकमेच्या तक्रारींचे निवारण केले जाते. तर जिल्हा मंचांकडून ₹ २० लाख व त्यापेक्षा कमी रकमेच्या तक्रारींचे निवारण केले जाते. आयोगाच्या स्थापनेपासून मार्च, २०१९ पर्यंत आयोग व ४० जिल्हा मंचांकडे ४,०१,७६० तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यापैकी २,६४,४२३ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले.

\* \* \* \* \*

## परिशिष्ट ४.१

## महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकरिता ग्राहक किंमतीचे गटवार निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२००३)

| वर्ष/ महिना     | खाद्यपदार्थ  | पान, सुपारी व मादक पदार्थ | इंधन, वीज व दिवाबत्ती | कापड, बिछाना व पादत्राणे | संकीर्ण      | सर्व वस्तू    | वर्ष-ते-वर्ष चलन वाढीचा दर |
|-----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| (१)             | (२)          | (३)                       | (४)                   | (५)                      | (६)          | (७)           | (८)                        |
| <b>भारांक</b>   | <b>५२.८५</b> | <b>२.१५</b>               | <b>१०.६७</b>          | <b>८.५३</b>              | <b>२५.८०</b> | <b>१००.००</b> | <b>--</b>                  |
| २००५-०६         | १०९          | १०९                       | १०८                   | १०३                      | १०५          | १०७           | ३.८                        |
| २००६-०७         | ११८          | ११७                       | १३२                   | १०५                      | १०८          | ११६           | ७.८                        |
| २००७-०८         | १२८          | १२६                       | १७६                   | १०७                      | ११५          | १२८           | १०.३                       |
| २००८-०९         | १४२          | १३९                       | २३८                   | ११०                      | १२५          | १४५           | १३.२                       |
| २००९-१०         | १६६          | १५६                       | २६१                   | १११                      | १३६          | १६३           | १२.८                       |
| २०१०-११         | १८४          | १७४                       | २९७                   | ११४                      | १५०          | १८१           | १०.९                       |
| २०११-१२         | २०१          | २०५                       | ३२६                   | ११९                      | १६२          | १९८           | ९.१                        |
| २०१२-१३         | २२२          | २४३                       | ३८३                   | १२५                      | १७२          | २१८           | १०.५                       |
| २०१३-१४         | २४२          | २६४                       | ४३४                   | १३१                      | १९२          | २४१           | १०.२                       |
| २०१४-१५         | २४९          | २९३                       | ४६७                   | १३३                      | २००          | २५१           | ४.२                        |
| २०१५-१६         | २६२          | ३२५                       | ४४६                   | १३५                      | २०५          | २५८           | २.८                        |
| २०१६-१७         | २७१          | ३५२                       | ४६३                   | १३७                      | २०९          | २६६           | ३.२                        |
| २०१७-१८         | २७०          | ४१०                       | ४९८                   | १३९                      | २०८          | २७०           | १.७                        |
| २०१८-१९         | २७२          | ४४४                       | ५१३                   | १४३                      | २१३          | २७५           | १.७                        |
| एप्रिल २०१८     | २६०          | ४४३                       | ५०३                   | १४१                      | २०६          | २६६           | ०.२                        |
| मे २०१८         | २६४          | ४४३                       | ५०३                   | १४२                      | २०६          | २६८           | ०.७                        |
| जून २०१८        | २६८          | ४४२                       | ५०४                   | १४२                      | २०७          | २७०           | ०.७                        |
| जुलै २०१८       | २६९          | ४४२                       | ५१२                   | १४२                      | २१३          | २७३           | ०.८                        |
| ऑगस्ट २०१८      | २७२          | ४४३                       | ५१२                   | १४२                      | २१४          | २७५           | १.३                        |
| सप्टेंबर २०१८   | २७०          | ४४३                       | ५१३                   | १४३                      | २१४          | २७४           | ०.९                        |
| ऑक्टोबर २०१८    | २७३          | ४४६                       | ५१७                   | १४३                      | २१४          | २७७           | (-) ०.३                    |
| नोव्हेंबर २०१८  | २७३          | ४४५                       | ५१८                   | १४४                      | २१५          | २७७           | (-) ०.२                    |
| डिसेंबर २०१८    | २७४          | ४४६                       | ५१८                   | १४४                      | २१५          | २७७           | १.६                        |
| जानेवारी २०१९   | २७६          | ४४७                       | ५१७                   | १४४                      | २१६          | २७९           | ३.३                        |
| फेब्रुवारी २०१९ | २८०          | ४४७                       | ५१९                   | १४५                      | २१७          | २८१           | ५.३                        |
| मार्च २०१९      | २८४          | ४४८                       | ५१९                   | १४५                      | २१७          | २८४           | ६.८                        |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

टीप - चलनवाढ दर = मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधीतील निर्देशांकापेक्षा चालू कालावधीतील निर्देशांकात झालेली टक्केवारीतील वाढ

## परिशिष्ट ४.२

## महाराष्ट्रातील नागरी भागाकरिता ग्राहक किंमतींचे गटवार निर्देशांक

| (पायाभूत वर्ष - २००३) |              |                           |                       |                          |              |               | वर्ष-ते-वर्ष  |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| वर्ष/ महिना           | खाद्यपदार्थ  | पान, सुपारी व मादक पदार्थ | इंधन, वीज व दिवाबत्ती | कापड, बिछाना व पादत्राणे | संकीर्ण      | सर्व वस्तू    | चलन वाढीचा दर |
| (१)                   | (२)          | (३)                       | (४)                   | (५)                      | (६)          | (७)           | (८)           |
| <b>भारांक</b>         | <b>४५.८०</b> | <b>१.५४</b>               | <b>१०.२८</b>          | <b>७.५१</b>              | <b>३४.८७</b> | <b>१००.००</b> | <b>--</b>     |
| २००५-०६               | १०९          | १०७                       | १०७                   | १०३                      | १०७          | १०८           | ३.२           |
| २००६-०७               | १२०          | ११२                       | १२४                   | १०५                      | ११०          | ११५           | ७.२           |
| २००७-०८               | १२८          | १२१                       | १६२                   | १०६                      | ११५          | १२५           | ८.७           |
| २००८-०९               | १४२          | १३४                       | २२४                   | १०९                      | १२३          | १४१           | १२.९          |
| २००९-१०               | १६५          | १४७                       | २४५                   | ११३                      | १३१          | १५७           | ११.४          |
| २०१०-११               | १८६          | १६९                       | २७८                   | ११८                      | १४३          | १७५           | ११.४          |
| २०११-१२               | २०१          | २०५                       | २९७                   | १२६                      | १५४          | १८९           | ७.९           |
| २०१२-१३               | २२४          | २३३                       | ३४९                   | १३२                      | १६०          | २०८           | १०.१          |
| २०१३-१४               | २४८          | २६२                       | ३९६                   | १३७                      | १७५          | २३०           | १०.३          |
| २०१४-१५               | २५४          | २८८                       | ४२९                   | १३९                      | १८५          | २४०           | ४.५           |
| २०१५-१६               | २६८          | ३२२                       | ४०८                   | १४२                      | १९१          | २४७           | ३.०           |
| २०१६-१७               | २७८          | ३४७                       | ४२६                   | १४५                      | १९४          | २५५           | ३.२           |
| २०१७-१८               | २७८          | ३८६                       | ४६२                   | १४६                      | १९५          | २६०           | २.०           |
| २०१८-१९               | २७८          | ४१७                       | ५०३                   | १४७                      | २०१          | २६७           | २.५           |
| एप्रिल २०१८           | २६९          | ४०९                       | ४८७                   | १४७                      | १९७          | २५९           | १.५           |
| मे २०१८               | २७२          | ४१३                       | ४८५                   | १४७                      | १९७          | २६१           | १.४           |
| जून २०१८              | २७६          | ४१४                       | ४८८                   | १४७                      | १९८          | २६३           | १.७           |
| जुलै २०१८             | २८१          | ४१६                       | ५००                   | १४७                      | २०१          | २६८           | १.७           |
| ऑगस्ट २०१८            | २७९          | ४१६                       | ५०५                   | १४७                      | २०२          | २६७           | २.०           |
| सप्टेंबर २०१८         | २७६          | ४१६                       | ५०८                   | १४७                      | २०३          | २६७           | २.७           |
| ऑक्टोबर २०१८          | २७८          | ४१६                       | ५१९                   | १४७                      | २०३          | २६९           | १.२           |
| नोव्हेंबर २०१८        | २७९          | ४१७                       | ५२६                   | १४८                      | २०२          | २७०           | २.२           |
| डिसेंबर २०१८          | २७८          | ४१९                       | ५१५                   | १४८                      | २०२          | २६८           | ३.१           |
| जानेवारी २०१९         | २७९          | ४२०                       | ५०१                   | १४८                      | २०२          | २६७           | ३.७           |
| फेब्रुवारी २०१९       | २८२          | ४२३                       | ४९७                   | १४८                      | २०३          | २६८           | ४.१           |
| मार्च २०१९            | २८८          | ४२४                       | ५००                   | १४८                      | २०३          | २७२           | ५.३           |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

टीप - चलनवाढ दर = मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधीतील निर्देशांकापेक्षा चालू कालावधीतील निर्देशांकात झालेली टक्केवारीतील वाढ

## परिशिष्ट ४.३

## केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालयाने परिगणित केलेला ग्राहक किंमती निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२०१२)

| राज्य                 | ग्रामीण      |              |            | नागरी        |              |            | एकत्रित      |              |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                       | २०१७-१८      | २०१८-१९      | टक्के      | २०१७-१८      | २०१८-१९      | टक्के      | २०१७-१८      | २०१८-१९      | टक्के      |
| (१)                   | (२)          | (३)          | (४)        | (५)          | (६)          | (७)        | (८)          | (९)          | (१०)       |
| अंदमान व निकोबार बेटे | १४१.१        | १५२.२        | ७.९        | १२९.९        | १३७.५        | ५.८        | १३५.४        | १४४.७        | ६.९        |
| आंध्र प्रदेश          | १४१.८        | १४१.८        | ०.०        | १३४.५        | १३८.५        | ३.०        | १३९.१        | १४०.६        | १.१        |
| अरुणाचल प्रदेश        | १४४.६        | १५७.५        | ८.९        | उ ना         | उ ना         | उ ना       | १४७.९        | १५५.२        | ४.९        |
| आसाम                  | १३३.६        | १४२.२        | ६.४        | १३०.५        | १३५.८        | ४.१        | १३३.०        | १४०.९        | ५.९        |
| बिहार                 | १३७.४        | १४२.५        | ३.७        | १३०.०        | १३६.४        | ४.९        | १३६.३        | १४१.६        | ३.९        |
| चंदीगड                | १३९.७        | १४०.९        | ०.८        | १२९.४        | १३४.८        | ४.२        | १३०.०        | १३५.२        | ४.०        |
| छत्तीसगड              | १४०.८        | १४१.८        | ०.७        | १३१.२        | १३८.१        | ५.२        | १३७.१        | १४०.४        | २.४        |
| दादरा व नगर हवेली     | १३९.१        | १३९.०        | (-) ०.१    | १२७.९        | १३१.५        | २.८        | १३१.६        | १३४.०        | १.८        |
| दमण आणि दिव           | १६१.९        | १५३.९        | (-) ४.९    | १२९.५        | १३३.८        | ३.४        | १४८.३        | १४५.५        | (-) १.९    |
| दिल्ली                | १३२.१        | १३६.८        | ३.५        | १३६.३        | १३९.९        | २.६        | १३६.१        | १३९.७        | २.७        |
| गोवा                  | १४७.७        | १५०.६        | २.०        | १३०.५        | १३४.५        | ३.१        | १३७.२        | १४०.७        | २.६        |
| गुजरात                | १३९.१        | १४१.१        | १.४        | १२७.८        | १३२.१        | ३.३        | १३२.७        | १३६.०        | २.५        |
| हरियाणा               | १३४.३        | १३६.६        | १.७        | १२९.६        | १३५.१        | ४.२        | १३२.१        | १३५.९        | २.९        |
| हिमाचल प्रदेश         | १३८.१        | १३७.५        | (-) ०.४    | १२९.९        | १३६.३        | ४.९        | १३६.६        | १३७.३        | ०.५        |
| जम्मू व काश्मीर       | १४३.५        | १५०.२        | ४.७        | १३१.६        | १४०.२        | ६.५        | १३९.३        | १४६.७        | ५.३        |
| झारखंड                | १४०.८        | १४५.०        | २.९        | १३०.३        | १३७.०        | ५.१        | १३६.८        | १४१.९        | ३.७        |
| कर्नाटक               | १३९.४        | १४३.१        | २.६        | १३८.५        | १४४.०        | ३.९        | १३८.९        | १४३.६        | ३.३        |
| केरळ                  | १३९.९        | १४६.९        | ५.०        | १३७.७        | १४४.२        | ४.८        | १३९.१        | १४६.०        | ४.९        |
| लक्षद्वीप             | १३३.३        | १३७.८        | ३.४        | १२५.२        | १३५.२        | ८.०        | १२९.२        | १३६.५        | ५.७        |
| मध्य प्रदेश           | १३१.८        | १३५.२        | २.६        | १३२.०        | १३८.४        | ४.८        | १३१.९        | १३६.५        | ३.५        |
| <b>महाराष्ट्र</b>     | <b>१४०.४</b> | <b>१४२.६</b> | <b>१.६</b> | <b>१२८.६</b> | <b>१३३.७</b> | <b>४.०</b> | <b>१३२.५</b> | <b>१३६.७</b> | <b>३.१</b> |
| मणिपूर                | १५०.९        | १६६.१        | १०.१       | १३१.२        | १३८.२        | ५.३        | १४४.६        | १५७.३        | ८.७        |
| मेघालय                | १३७.२        | १३९.५        | १.७        | १२७.८        | १३२.२        | ३.५        | १३४.३        | १३७.२        | २.२        |
| मिझोराम               | १३५.८        | १३८.६        | २.१        | १२६.५        | १३०.१        | २.८        | १३०.२        | १३३.४        | २.५        |
| नागालॅंड              | १४५.३        | १५६.१        | ७.४        | १३३.३        | १३८.४        | ३.९        | १४०.२        | १४८.६        | ६.०        |
| ओडिशा                 | १४०.०        | १४२.९        | २.१        | १३०.५        | १३५.४        | ३.७        | १३७.३        | १४०.८        | २.६        |
| पुडुचेरी              | १४०.२        | १४३.४        | २.३        | १३३.०        | १३९.५        | ४.९        | १३४.८        | १४०.५        | ४.२        |
| पंजाब                 | १३३.९        | १३९.७        | ४.३        | १२९.१        | १३२.९        | ३.०        | १३१.७        | १३६.७        | ३.८        |
| राजस्थान              | १३८.१        | १४०.१        | १.५        | १३४.४        | १३९.६        | ३.८        | १३६.८        | १३९.९        | २.३        |
| सिक्कीम               | १४४.३        | १४९.४        | ३.६        | १३९.२        | १४५.८        | ४.७        | १४२.६        | १४८.२        | ३.९        |
| तामिळनाडू             | १३८.२        | १४३.८        | ४.१        | १३६.८        | १४१.५        | ३.४        | १३७.४        | १४२.५        | ३.७        |
| तेलंगणा               | १३९.३        | १४२.९        | २.६        | १३४.३        | १३७.८        | २.६        | १३६.५        | १४०.१        | २.६        |
| त्रिपूरा              | १४२.६        | १४८.६        | ४.३        | १३७.०        | १४३.०        | ४.४        | १४१.१        | १४७.२        | ४.३        |
| उत्तरप्रदेश           | १३२.३        | १३६.६        | ३.२        | १३२.६        | १३९.०        | ४.८        | १३२.४        | १३७.४        | ३.८        |
| उत्तराखंड             | १३०.९        | १३५.१        | ३.२        | १२६.५        | १३३.२        | ५.२        | १२९.३        | १३४.४        | ४.०        |
| पश्चिम बंगाल          | १३६.१        | १४४.०        | ५.८        | १३२.९        | १३८.६        | ४.३        | १३४.६        | १४१.४        | ५.१        |
| <b>अखिल भारत</b>      | <b>१३७.२</b> | <b>१४१.३</b> | <b>३.०</b> | <b>१३२.५</b> | <b>१३७.७</b> | <b>३.९</b> | <b>१३५.०</b> | <b>१३९.६</b> | <b>३.४</b> |

आधार : केंद्रिय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

उ ना उपलब्ध नाही

टीप : प्रत्येक राज्यासाठी वस्तुसूची वेगवेगळी आहे.



## परिशिष्ट ४.४

## महाराष्ट्र व अखिल भारतातील शेत मजुरांकरिता व ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष - १९८६-८७)

| वर्ष / महिना    | शेत मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक |                       |                |                       | ग्रामीण मजुरांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक |                       |                |                       |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                 | महाराष्ट्र                               |                       | अखिल भारत      |                       | महाराष्ट्र                                   |                       | अखिल भारत      |                       |
|                 | खाद्यपदार्थ गट                           | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट                               | सर्वसाधारण निर्देशांक | खाद्यपदार्थ गट | सर्वसाधारण निर्देशांक |
| (१)             | (२)                                      | (३)                   | (४)            | (५)                   | (६)                                          | (७)                   | (८)            | (९)                   |
| २०००-०१         | ३१६                                      | ३०५                   | ३०३            | ३०५                   | ३१६                                          | ३०५                   | ३०३            | ३०७                   |
| २००१-०२         | ३०७                                      | ३०३                   | ३०२            | ३०९                   | ३०८                                          | ३०४                   | ३०३            | ३११                   |
| २००२-०३         | ३२२                                      | ३१७                   | ३१२            | ३१९                   | ३२२                                          | ३१७                   | ३१३            | ३२१                   |
| २००३-०४         | ३४२                                      | ३३२                   | ३२५            | ३३१                   | ३४१                                          | ३३२                   | ३२६            | ३३३                   |
| २००४-०५         | ३५७                                      | ३४६                   | ३३३            | ३३९                   | ३५६                                          | ३४६                   | ३३४            | ३४१                   |
| २००५-०६         | ३६५                                      | ३६२                   | ३४४            | ३५३                   | ३६४                                          | ३६२                   | ३४५            | ३५५                   |
| २००६-०७         | ४०२                                      | ३९४                   | ३७६            | ३८०                   | ४००                                          | ३९२                   | ३७६            | ३८२                   |
| २००७-०८         | ४३७                                      | ४२३                   | ४०६            | ४०९                   | ४३४                                          | ४२०                   | ४०६            | ४०९                   |
| २००८-०९         | ४८४                                      | ४६४                   | ४५२            | ४५०                   | ४८०                                          | ४६०                   | ४५२            | ४५१                   |
| २००९-१०         | ५७४                                      | ५४०                   | ५२२            | ५१३                   | ५७१                                          | ५३५                   | ५२३            | ५१३                   |
| २०१०-११         | ६३३                                      | ६००                   | ५७२            | ५६४                   | ६२९                                          | ५९५                   | ५७३            | ५६४                   |
| २०११-१२         | ७०४                                      | ६७६                   | ६०२            | ६११                   | ६९७                                          | ६६८                   | ६०३            | ६११                   |
| २०१२-१३         | ७७०                                      | ७४४                   | ६५८            | ६७२                   | ७६३                                          | ७३७                   | ६६०            | ६७३                   |
| २०१३-१४         | ८१८                                      | ७९३                   | ७३७            | ७५०                   | ७९३                                          | ७८६                   | ७३९            | ७५१                   |
| २०१४-१५         | ८७३                                      | ८४८                   | ७७८            | ८००                   | ८६१                                          | ८४१                   | ७८२            | ८०१                   |
| २०१५-१६         | ९३०                                      | ८९७                   | ८०७            | ८३५                   | ९१५                                          | ८८७                   | ८१०            | ८३६                   |
| २०१६-१७         | ९९३                                      | ९५०                   | ८४१            | ८७०                   | ९८१                                          | ९४३                   | ८४७            | ८७५                   |
| २०१७-१८         | ९७५                                      | ९५७                   | ८४६            | ८८९                   | ९६३                                          | ९५१                   | ८५२            | ८९५                   |
| २०१८-१९         | ९६३                                      | ९६७                   | ८५०            | ९०७                   | ९५०                                          | ९६३                   | ८५५            | ९१५                   |
| एप्रिल २०१८     | ९३१                                      | ९३९                   | ८३१            | ८८८                   | ९२१                                          | ९३६                   | ८३६            | ८९६                   |
| मे २०१८         | ९४१                                      | ९४७                   | ८३४            | ८९१                   | ९३१                                          | ९४४                   | ८४०            | ८९९                   |
| जून २०१८        | ९३९                                      | ९४७                   | ८३७            | ८९४                   | ९२७                                          | ९४३                   | ८४३            | ९०२                   |
| जुलै २०१८       | ९४५                                      | ९५४                   | ८४६            | ९०२                   | ९३२                                          | ९४९                   | ८५३            | ९१०                   |
| ऑगस्ट २०१८      | ९५१                                      | ९५९                   | ८५३            | ९०७                   | ९३९                                          | ९५५                   | ८५९            | ९१५                   |
| सप्टेंबर २०१८   | ९५३                                      | ९६२                   | ८५४            | ९१०                   | ९४१                                          | ९५८                   | ८५९            | ९१७                   |
| ऑक्टोबर २०१८    | ९५७                                      | ९६६                   | ८५६            | ९१३                   | ९४५                                          | ९६३                   | ८६१            | ९२०                   |
| नोव्हेंबर २०१८  | ९६९                                      | ९७४                   | ८५६            | ९१४                   | ९५६                                          | ९७१                   | ८६१            | ९२१                   |
| डिसेंबर २०१८    | ९७७                                      | ९७९                   | ८५४            | ९१३                   | ९६३                                          | ९७५                   | ८५९            | ९२१                   |
| जानेवारी २०१९   | ९८७                                      | ९८६                   | ८५५            | ९१५                   | ९७३                                          | ९८३                   | ८६०            | ९२३                   |
| फेब्रुवारी २०१९ | ९९७                                      | ९९३                   | ८५७            | ९१७                   | ९८१                                          | ९८८                   | ८६२            | ९२५                   |
| मार्च २०१९      | १,००६                                    | १,०००                 | ८६५            | ९२४                   | ९९२                                          | ९९५                   | ८७०            | ९३२                   |

आधार - श्रम केंद्र, सिमला, भारत सरकार.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## परिशिष्ट ४.५

## औद्योगिक कामगारांकरिता अखिल भारतीय ग्राहक किंमतींचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष -२००१)

| वर्ष/ महिना     | खाद्यपदार्थ  | पान, सुपारी,<br>तंबाखू व मादक<br>पदार्थ | इंधन व<br>दिवाबत्ती | निवास        | कापड,<br>बिछाना व<br>पादत्राणे | संकीर्ण      | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| (१)             | (२)          | (३)                                     | (४)                 | (५)          | (६)                            | (७)          | (८)                      |
| <b>भारांक</b>   | <b>४६.१९</b> | <b>२.२७</b>                             | <b>६.४३</b>         | <b>१५.२७</b> | <b>६.५८</b>                    | <b>२३.२६</b> | <b>१००.००</b>            |
| २००५-०६         | ११५          | ११२                                     | १२३                 | ११८          | ११०                            | १२०          | ११७                      |
| २००६-०७         | १२६          | ११६                                     | १३०                 | १२६          | ११४                            | १२६          | १२५                      |
| २००७-०८         | १३६          | १२८                                     | १३३                 | १३१          | ११८                            | १३१          | १३३                      |
| २००८-०९         | १५३          | १३८                                     | १४४                 | १३७          | १२२                            | १४१          | १४५                      |
| २००९-१०         | १७६          | १५०                                     | १४९                 | १६६          | १२८                            | १४९          | १६३                      |
| २०१०-११         | १९४          | १६८                                     | १६३                 | २०१          | १३६                            | १५७          | १८०                      |
| २०११-१२         | २०६          | १९४                                     | १८८                 | २२२          | १५५                            | १६८          | १९५                      |
| २०१२-१३         | २३०          | २२३                                     | २१४                 | २३८          | १७०                            | १८२          | २१५                      |
| २०१३-१४         | २५९          | २४९                                     | २३०                 | २५४          | १८१                            | १९५          | २३६                      |
| २०१४-१५         | २८०          | २८४                                     | २४३                 | २७३          | १९२                            | २१०          | २५४                      |
| २०१५-१६         | २९३          | ३०५                                     | २४९                 | २८५          | १९८                            | २१६          | २६५                      |
| २०१६-१७         | ३०५          | ३२७                                     | २४९                 | २९८          | २०६                            | २२६          | २७६                      |
| २०१७-१८         | ३१०          | ३५६                                     | २६०                 | ३१३          | २१४                            | २३५          | २८४                      |
| २०१८-१९         | ३१२          | ३७९                                     | २७१                 | ३८२          | २२१                            | २४६          | ३००                      |
| एप्रिल २०१८     | ३०५          | ३७३                                     | २६७                 | ३३४          | २२०                            | २४१          | २८८                      |
| मे २०१८         | ३०७          | ३७५                                     | २६५                 | ३३४          | २२०                            | २४१          | २८९                      |
| जून २०१८        | ३११          | ३७५                                     | २६८                 | ३३४          | २२०                            | २४३          | २९१                      |
| जुलै २०१८       | ३१४          | ३७६                                     | २७०                 | ३८७          | २२१                            | २४३          | ३०१                      |
| ऑगस्ट २०१८      | ३१४          | ३७७                                     | २७०                 | ३८७          | २२०                            | २४४          | ३०१                      |
| सप्टेंबर २०१८   | ३१२          | ३७९                                     | २७२                 | ३८७          | २२१                            | २४६          | ३०१                      |
| ऑक्टोबर २०१८    | ३१४          | ३७९                                     | २७३                 | ३८७          | २२१                            | २४७          | ३०२                      |
| नोव्हेंबर २०१८  | ३१४          | ३७९                                     | २७४                 | ३८७          | २२१                            | २४७          | ३०२                      |
| डिसेंबर २०१८    | ३११          | ३८०                                     | २७४                 | ३८७          | २२२                            | २४८          | ३०१                      |
| जानेवारी २०१९   | ३११          | ३८३                                     | २७३                 | ४२१          | २२२                            | २४९          | ३०७                      |
| फेब्रुवारी २०१९ | ३१२          | ३८४                                     | २७४                 | ४२१          | २२३                            | २५०          | ३०७                      |
| मार्च २०१९      | ३१५          | ३८४                                     | २७४                 | ४२१          | २२३                            | २५०          | ३०९                      |

आधार - श्रम केंद्र, सिमला, भारत सरकार.

## परिशिष्ट ४.६

## महाराष्ट्रातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष - २००१) (केंद्रीय केंद्रे)

| वर्ष / महिना    | मुंबई       |               | सोलापूर     |               | नागपूर      |               | पुणे        |               | नाशिक       |               |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | खाद्यपदार्थ | सर्वसाधारण    | खाद्यपदार्थ | सर्वसाधारण    | खाद्यपदार्थ | सर्वसाधारण    | खाद्यपदार्थ | सर्वसाधारण    | खाद्यपदार्थ | सर्वसाधारण    |
|                 | गट          | निर्देशांक    | गट          | निर्देशांक    | गट          | निर्देशांक    | गट          | निर्देशांक    | गट          | निर्देशांक    |
| (१)             | (२)         | (३)           | (४)         | (५)           | (६)         | (७)           | (८)         | (९)           | (१०)        | (११)          |
| <b>भारांक</b>   | <b>४८.९</b> | <b>१००.००</b> | <b>५४.७</b> | <b>१००.००</b> | <b>४३.१</b> | <b>१००.००</b> | <b>३९.८</b> | <b>१००.००</b> | <b>४१.४</b> | <b>१००.००</b> |
| २००५-०६         | ११५         | ११८           | ११३         | ११५           | ११५         | ११९           | १२०         | ११९           | ११९         | ११८           |
| २००६-०७         | १२६         | १२८           | १२६         | १२७           | १३३         | १३४           | १३४         | १३०           | १३१         | १२६           |
| २००७-०८         | १३६         | १३६           | १४९         | १४२           | १४६         | १४२           | १४५         | १३८           | १४०         | १३२           |
| २००८-०९         | १५१         | १४८           | १५९         | १५१           | १६६         | १५५           | १६०         | १५०           | १५५         | १४२           |
| २००९-१०         | १७३         | १६३           | १७६         | १६६           | १९२         | १८३           | १८३         | १६७           | १८३         | १६५           |
| २०१०-११         | १९१         | १७८           | १८९         | १८२           | २०५         | २०७           | २०३         | १८५           | २०२         | १८६           |
| २०११-१२         | २०८         | १९६           | २१४         | २०४           | २१६         | २२४           | २२६         | २०४           | २१६         | २०८           |
| २०१२-१३         | २३२         | २१८           | २२८         | २२०           | २४४         | २४६           | २४७         | २२१           | २३३         | २२८           |
| २०१३-१४         | २६०         | २४२           | २६०         | २४६           | २८०         | २६८           | २८०         | २४२           | २५८         | २४४           |
| २०१४-१५         | २८४         | २६२           | २८३         | २६५           | २९४         | २८१           | २९९         | २५७           | २८०         | २६१           |
| २०१५-१६         | ३०६         | २८०           | ३०६         | २८४           | ३१७         | २९८           | ३१६         | २६९           | २८९         | २७४           |
| २०१६-१७         | ३१२         | २८६           | ३१६         | २९४           | ३२५         | ३०८           | ३३१         | २७७           | ३०३         | २८७           |
| २०१७-१८         | ३१४         | २९१           | ३११         | २९५           | ३२४         | ३१७           | ३२३         | २८०           | ३०५         | २९७           |
| २०१८-१९         | ३१४@        | २९७           | ३१८@        | ३११           | ३२२@        | ३५९           | ३४१@        | ३१६           | ३०३@        | ३३३           |
| एप्रिल २०१८     | ३०८         | २९०           | ३०२         | २९४           | ३१३         | ३२५           | ३२८         | २९३           | २९३         | ३०३           |
| मे २०१८         | ३०९         | २८९           | ३१२         | ३००           | ३१६         | ३२७           | ३३१         | २९८           | २९६         | ३०५           |
| जून २०१८        | ३१५         | २९३           | ३१५         | ३०१           | ३२१         | ३२९           | ३३७         | ३००           | ३०२         | ३०७           |
| जुलै २०१८       | ३१८         | २९८           | ३१६         | ३१०           | ३२४         | ३६१           | ३४८         | ३१७           | ३००         | ३३५           |
| ऑगस्ट २०१८      | ३१७         | २९७           | ३१५         | ३०९           | ३२४         | ३६१           | ३३४         | ३१४           | २९९         | ३३४           |
| सप्टेंबर २०१८   | ३१२         | २९५           | ३२२         | ३१३           | ३३१         | ३६६           | ३३७         | ३१७           | ३०१         | ३३६           |
| ऑक्टोबर २०१८    | ३१५         | २९८           | ३२२         | ३१३           | ३२१         | ३६१           | ३४६         | ३२०           | ३११         | ३४०           |
| नोव्हेंबर २०१८  | ३१६         | २९८           | ३२२         | ३१३           | ३२१         | ३६१           | ३४६         | ३१९           | ३०७         | ३३८           |
| डिसेंबर २०१८    | ३१२         | २९७           | ३२१         | ३१५           | ३२२         | ३६२           | ३४८         | ३२०           | ३०२         | ३३६           |
| जानेवारी २०१९   | ३१४         | ३००           | ३२०         | ३२०           | ३२१         | ३८३           | ३४८         | ३३०           | ३०४         | ३५३           |
| फेब्रुवारी २०१९ | ३१५         | ३०२           | ३२७         | ३२४           | ३३०         | ३८७           | ३४७         | ३२९           | ३१४         | ३५७           |
| मार्च २०१९      | --          | ३०५           | --          | ३२४           | --          | ३८६           | --          | ३३१           | --          | ३५७           |

आधार - श्रम केंद्र, सिमला, भारत सरकार

@ ११ महिन्यांची सरासरी

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## परिशिष्ट ४.७

## महाराष्ट्रातील निवडक केंद्रांमधील औद्योगिक कामगारांकरिता ग्राहक किंमतीचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष - २००१) (राज्य केंद्रे)

| वर्ष / महिना    | अकोला             |                          | कोल्हापूर         |                          | जळगाव             |                          | नांदेड            |                          | औरंगाबाद          |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                 | खाद्यपदार्थ<br>गट | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक | खाद्यपदार्थ<br>गट | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक | खाद्यपदार्थ<br>गट | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक | खाद्यपदार्थ<br>गट | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक | खाद्यपदार्थ<br>गट | सर्वसाधारण<br>निर्देशांक |
| (१)             | (२)               | (३)                      | (४)               | (५)                      | (६)               | (७)                      | (८)               | (९)                      | (१०)              | (११)                     |
| <b>भारांक</b>   | <b>४५.८८</b>      | <b>१००.००</b>            | <b>४८.२२</b>      | <b>१००.००</b>            | <b>४७.७६</b>      | <b>१००.००</b>            | <b>४९.०५</b>      | <b>१००.००</b>            | <b>४०.७९</b>      | <b>१००.००</b>            |
| २००८-०९         | १३४               | १४४                      | १५०               | १४९                      | १५१               | १५०                      | १५३               | १५४                      | १४८               | १५०                      |
| २००९-१०         | १५६               | १६१                      | १६९               | १६४                      | १७२               | १६७                      | १६९               | १७४                      | १७१               | १६४                      |
| २०१०-११         | १७०               | १७५                      | १९१               | १८४                      | १९५               | १८६                      | १८७               | २००                      | १८८               | १८३                      |
| २०११-१२         | १८३               | १८८                      | २१७               | २०७                      | २१८               | २०६                      | २१५               | २२७                      | २१२               | २०६                      |
| २०१२-१३         | २१०               | २१६                      | २३६               | २२६                      | २४१               | २३०                      | २३२               | २५१                      | २३९               | २३४                      |
| २०१३-१४         | २३१               | २३८                      | २५८               | २४५                      | २६२               | २५१                      | २६१               | २७५                      | २६६               | २५८                      |
| २०१४-१५         | २२०               | २४३                      | २६२               | २५५                      | २६६               | २६१                      | २७०               | २८९                      | २७६               | २७३                      |
| २०१५-१६         | २५०               | २६२                      | २७६               | २७०                      | २७८               | २७२                      | ३०४               | ३१४                      | २९६               | २९२                      |
| २०१६-१७         | २६७               | २८२                      | २८८               | २८१                      | २८६               | २८५                      | ३१८               | ३३१                      | ३०३               | ३०८                      |
| २०१७-१८         | २७६               | ३११                      | २८४               | २९६                      | २८२               | ३०३                      | ३०५               | ३४३                      | २९३               | ३२४                      |
| २०१८-१९*        | २७७               | ३३२                      | २८४               | ३१०                      | २८५               | ३१८                      | ३०५               | ३५९                      | २९४               | ३३७                      |
| एप्रिल २०१८     | २७३               | ३१८                      | २७७               | ३००                      | २८१               | ३०९                      | २९०               | ३४१                      | २८७               | ३२८                      |
| मे २०१८         | २७४               | ३१९                      | २८५               | ३०३                      | २८३               | ३१०                      | २९८               | ३४५                      | २९०               | ३२९                      |
| जून २०१८        | २७८               | ३२२                      | २८५               | ३०५                      | २८४               | ३१२                      | ३०३               | ३४८                      | २९०               | ३३०                      |
| जुलै २०१८       | २७८               | ३२६                      | २८४               | ३०६                      | २८३               | ३१४                      | ३००               | ३५३                      | २९०               | ३३२                      |
| ऑगस्ट २०१८      | २७९               | ३२८                      | २८४               | ३०९                      | २८४               | ३१५                      | ३००               | ३५४                      | २९५               | ३३५                      |
| सप्टेंबर २०१८   | २७६               | ३२९                      | २८२               | ३०९                      | २८२               | ३१५                      | २९८               | ३५४                      | २९८               | ३३७                      |
| ऑक्टोबर २०१८    | २७१               | ३३९                      | २७८               | ३१२                      | २८०               | ३२३                      | ३०७               | ३६४                      | २९७               | ३४४                      |
| नोव्हेंबर २०१८  | २७१               | ३३८                      | २८२               | ३१४                      | २८२               | ३२४                      | ३११               | ३६६                      | ३००               | ३४५                      |
| डिसेंबर २०१८    | २७२               | ३३७                      | २८६               | ३१३                      | २९०               | ३२५                      | ३१०               | ३६५                      | ३००               | ३४३                      |
| जानेवारी २०१९   | २७७               | ३४१                      | २८२               | ३१३                      | २८९               | ३२४                      | ३०८               | ३६९                      | २८८               | ३३९                      |
| फेब्रुवारी २०१९ | २८७               | ३४४                      | २८६               | ३१४                      | २९३               | ३२५                      | ३१८               | ३७३                      | २९६               | ३४१                      |
| मार्च २०१९*     | २८४               | ३४५                      | २९१               | ३१७                      | २८८               | ३२४                      | ३२१               | ३७५                      | ३०१               | ३४४                      |

आधार - कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

\* अस्थायी

## परिशिष्ट ४.८

## अखिल भारतीय घाऊक किंमतींचे निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष - २०११-१२)

| वर्ष/ महिना<br>(१) | प्राथमिक वस्तू<br>(२) | इंधन व वीज<br>(३) | निर्मित वस्तू<br>(४) | सर्व वस्तू<br>(५) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>भारांक</b>      | <b>२०.१२</b>          | <b>१४.९१</b>      | <b>६४.९७</b>         | <b>१००.००</b>     |
| २००५-०६            | १०४.३                 | ११३.६             | १०२.४                | १०४.५             |
| २००६-०७            | ११४.३                 | १२०.९             | १०८.२                | १११.४             |
| २००७-०८            | १२३.९                 | १२१.०             | ११३.४                | ११६.६             |
| २००८-०९            | १३७.५                 | १३५.०             | १२०.४                | १२६.०             |
| २००९-१०            | १५४.९                 | १३२.१             | १२३.१                | १३०.८             |
| २०१०-११            | १८२.४                 | १४८.३             | १३०.१                | १४३.३             |
| २०११-१२            | २००.३                 | १६९.०             | १३९.५                | १५६.१             |
| २०१२-१३            | २२०.०                 | १८६.५             | १४७.१                | १६७.६             |
| २०१३-१४            | २४१.६                 | २०५.४             | १५१.५                | १७७.६             |
| २०१४-१५            | २४८.८                 | २०३.५             | १५५.१                | १८१.२             |
| २०१५-१६            | २४९.६                 | १७९.८             | १५३.४                | १७६.७             |
| २०१६-१७            | १२८.९                 | ८६.३              | ११०.७                | १११.६             |
| २०१७-१८            | १३०.६                 | ९३.३              | ११३.८                | ११४.९             |
| २०१८-१९*           | १३४.२                 | १०४.१             | ११७.९                | ११९.८             |
| एप्रिल २०१८        | १३०.७                 | ९९.०              | ११६.३                | ११७.३             |
| मे २०१८            | १३१.४                 | १०२.४             | ११६.९                | ११८.३             |
| जून २०१८           | १३२.५                 | १०४.४             | ११७.३                | ११९.१             |
| जुलै २०१८          | १३५.३                 | १०४.४             | ११७.७                | ११९.९             |
| ऑगस्ट २०१८         | १३५.२                 | १०४.९             | ११७.८                | १२०.१             |
| सप्टेंबर २०१८      | १३५.५                 | १०७.८             | ११८.४                | १२०.९             |
| ऑक्टोबर २०१८       | १३७.२                 | १११.३             | ११८.९                | १२२.०             |
| नोव्हेंबर २०१८     | १३६.८                 | १०९.३             | ११८.८                | १२१.६             |
| डिसेंबर २०१८       | १३३.५                 | १०२.८             | ११८.३                | ११९.७             |
| जानेवारी २०१९      | १३३.८                 | ९९.३              | ११८.१                | ११९.२             |
| फेब्रुवारी २०१९    | १३४.१                 | १००.५             | ११८.२                | ११९.५             |
| मार्च २०१९*        | १३४.७                 | १०३.३             | ११८.३                | १२०.०             |

आधार - आर्थिक सल्लागारांचे कार्यालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

\* अस्थायी

## परिशिष्ट ४.९

## महत्वाच्या किंमती निर्देशांकांवर आधारित चलनवाढीचे दर

| वर्ष / महिना    | चलनवाढीचे दर                               |                                                                    |                                                              |                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 | अखिल भारतीय<br>घाऊक किंमती<br>निर्देशांक # | औद्योगिक कामगारांसाठी<br>अखिल भारतीय ग्राहक<br>किंमती निर्देशांक + | शेत मजुरांकरिता अखिल<br>भारतीय ग्राहक किंमती<br>निर्देशांक + | ग्रामीण मजुरांकरिता<br>अखिल भारतीय ग्राहक<br>किंमती निर्देशांक + |
| (१)             | (२)                                        | (३)                                                                | (४)                                                          | (५)                                                              |
| २०००-०१         | ७.१३                                       | ३.८२                                                               | (-) ०.३३                                                     | ०.०३                                                             |
| २००१-०२         | ३.६२                                       | ४.३१                                                               | १.०९                                                         | १.३३                                                             |
| २००२-०३         | ३.३८                                       | ३.९८                                                               | ३.१६                                                         | ३.१३                                                             |
| २००३-०४         | ५.४९                                       | ३.८५                                                               | ३.९०                                                         | ३.७९                                                             |
| २००४-०५         | ६.४८                                       | ३.८३                                                               | २.६०                                                         | २.५८                                                             |
| २००५-०६         | ४.४७                                       | ४.४१                                                               | ३.८५                                                         | ३.८५                                                             |
| २००६-०७         | ६.५९                                       | ६.८३                                                               | ७.८५                                                         | ७.५२                                                             |
| २००७-०८         | ४.७४                                       | ६.४०                                                               | ७.४५                                                         | ७.१८                                                             |
| २००८-०९         | ८.०५                                       | ९.०९                                                               | १०.२३                                                        | १०.१९                                                            |
| २००९-१०         | ३.८०                                       | १२.३७                                                              | १३.९१                                                        | १३.७६                                                            |
| २०१०-११         | ९.५६                                       | १०.४५                                                              | १०.००                                                        | १०.०१                                                            |
| २०११-१२         | ८.९४                                       | ८.३९                                                               | ८.१९                                                         | ८.३५                                                             |
| २०१२-१३         | ७.३६                                       | १०.४४                                                              | १०.०३                                                        | १०.१९                                                            |
| २०१३-१४         | ५.९८                                       | ९.६८                                                               | ११.७४                                                        | ११.४७                                                            |
| २०१४-१५         | २.००                                       | ७.८६                                                               | ६.६४                                                         | ६.८८                                                             |
| २०१५-१६         | (-) २.४९                                   | ५.६५                                                               | ४.४३                                                         | ४.६४                                                             |
| २०१६-१७         | १.७३                                       | ४.१२                                                               | ४.१८                                                         | ४.२४                                                             |
| २०१७-१८         | २.९२                                       | ३.०८                                                               | २.१९                                                         | २.३०                                                             |
| २०१८-१९         | ४.२९*                                      | ५.४५                                                               | २.०७                                                         | २.२३                                                             |
| एप्रिल २०१८     | ३.६२                                       | ३.९७                                                               | २.०७                                                         | २.२८                                                             |
| मे २०१८         | ४.७८                                       | ३.९६                                                               | २.१८                                                         | २.३९                                                             |
| जून २०१८        | ५.६८                                       | ३.९३                                                               | १.९४                                                         | २.०४                                                             |
| जुलै २०१८       | ५.२७                                       | ५.६१                                                               | २.०४                                                         | २.२५                                                             |
| ऑगस्ट २०१८      | ४.६२                                       | ५.६१                                                               | १.४५                                                         | १.६७                                                             |
| सप्टेंबर २०१८   | ५.२२                                       | ५.६१                                                               | १.९०                                                         | २.००                                                             |
| ऑक्टोबर २०१८    | ५.५४                                       | ५.२३                                                               | १.३३                                                         | १.४३                                                             |
| नोव्हेंबर २०१८  | ४.४७                                       | ४.८६                                                               | ०.९९                                                         | १.२१                                                             |
| डिसेंबर २०१८    | ३.४६                                       | ५.२४                                                               | १.४४                                                         | १.६६                                                             |
| जानेवारी २०१९   | २.७६                                       | ६.६०                                                               | २.२३                                                         | २.४४                                                             |
| फेब्रुवारी २०१९ | २.९३                                       | ६.९७                                                               | ३.१५                                                         | ३.२४                                                             |
| मार्च २०१९*     | ३.१८*                                      | ७.६७                                                               | ४.१७                                                         | ४.२५                                                             |

आधार - # आर्थिक सल्लागार यांचे कार्यालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

\* अस्थायी

+ श्रम केंद्र, सिमला, भारत सरकार.

टीप - चलनवाढ दर = मागील वर्षाच्या तत्सम कालावधीतील निर्देशांकापेक्षा चालू कालावधीतील निर्देशांकात झालेली टक्केवारीतील वाढ

**परिशिष्ट ४.१०**  
**जिल्हावार शिधापत्रिकांची संख्या (३१ मार्च, २०१९ रोजी)**

| जिल्हा                        | पिवळी            | केशरी                  |                         |                             | अन्नपूर्णा   | शुभ्र            | एकूण शिधापत्रिका   |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|
|                               |                  | प्राधान्य कुटुंब केशरी | प्राधान्य कुटुंब शेतकरी | बिगर प्राधान्य कुटुंब केशरी |              |                  |                    |
| (१)                           | (२)              | (३)                    | (४)                     | (५)                         | (६)          | (७)              | (८)                |
| मुंबई / ठाणे शिधावाटप क्षेत्र | १९,४४५           | २१,२३,७००              | ०                       | १४,१४,५५३                   | ३०१          | ७,५९,०२१         | ४३,१७,०२०          |
| ठाणे                          | ४५,९०३           | ९४,०१०                 | ०                       | ५०,१२०                      | ०            | ३,६५०            | १,९३,६८३           |
| पालघर                         | ९०,२७३           | ३,३२,३२२               | १                       | १,७९,३९१                    | ३८३          | २६,२२२           | ६,२८,५९२           |
| रायगड                         | ८३,०६४           | २,९९,८१०               | ०                       | १,८१,०४०                    | ०            | २४,७८८           | ५,८८,७०२           |
| रत्नागिरी                     | ४१,१७५           | २,४०,२३७               | ०                       | १,११,००३                    | ०            | ४५,५०१           | ४,३७,९१६           |
| सिंधुदुर्ग                    | २४,०५१           | १,५१,०३८               | ०                       | ४७,५०८                      | ७७           | १८,६२१           | २,४१,२९५           |
| नाशिक                         | १,७२,७०८         | ५,८५,२३०               | ०                       | ४,९७,००६                    | २            | ४०,३७७           | १२,९५,३२३          |
| धुळे                          | ७६,७०७           | २,२०,२९३               | ०                       | १,५२,१३६                    | ०            | २,२८०            | ४,५१,४१६           |
| नंदुरबार                      | ९८,३५५           | १,५२,५९२               | ०                       | ७१,७४६                      | ३०           | ८,२८३            | ३,३१,००६           |
| जळगाव                         | १,३६,८३८         | ४,७०,५४१               | ०                       | २,५७,०३०                    | २            | १७,१२५           | ८,८१,५३६           |
| अहमदनगर                       | ८१,३९८           | ५,६२,४५९               | ०                       | २,७६,८४०                    | ११           | ४३,१६८           | ९,६३,८७६           |
| पुणे                          | १,०८,४८७         | १५,१०,७६०              | ०                       | १३,९२,९५२                   | २            | ३,००,५१६         | ३३,१२,७१७          |
| सातारा                        | २७,८४७           | ३,५०,५८०               | ०                       | २,२८,४०४                    | ६            | २८,१०९           | ६,३४,९४६           |
| सांगली                        | ३०,१३४           | ३,४६,१८३               | ०                       | १,७७,७६२                    | ०            | ८१,९०२           | ६,३५,९८१           |
| सोलापूर                       | १,२७,२६३         | ८,७७,०६४               | १०                      | ७,४१,५३४                    | ११९          | १,१८,८७६         | १८,६४,८६६          |
| कोल्हापूर                     | ५३,६९७           | ४,९५,५६२               | ०                       | २,८९,१२३                    | ०            | ६६,२९८           | ९,०४,६८०           |
| औरंगाबाद                      | ६४,७२४           | ३,६८,७८९               | ८५,१८४                  | २,१२,६८६                    | २            | ३,०८३            | ७,३४,४६८           |
| जालना                         | ३८,२८५           | २,५६,६१६               | ३१,९९५                  | ३०,१८५                      | ०            | १,५५९            | ३,५८,६४०           |
| परभणी                         | ४३,९३८           | २,०२,८२५               | ५५,०६६                  | ४२,९९३                      | ०            | १,७८२            | ३,४६,६०४           |
| हिंगोली                       | २८,८५५           | १,४६,४१६               | ३७,४१९                  | २२,३२६                      | २०           | १,६२६            | २,३६,६६२           |
| बीड                           | ३७,५२६           | ६,७८,८६२               | १,२५,४३०                | ६२,२७८                      | ०            | ३,३७९            | ९,०७,४७५           |
| नांदेड                        | ७६,०९८           | ४,०२,३९०               | १,०५,५०७                | ४४,६०३                      | ४            | ८,७३८            | ६,३७,३४०           |
| उस्मानाबाद                    | ३५,९९५           | १,९०,०१३               | ७१,३८२                  | ३६,५५६                      | ०            | ९,०८८            | ३,४३,०३४           |
| लातूर                         | ३९,४०६           | २,७१,५३१               | ६२,४३३                  | ३६,५६३                      | ०            | ९,९७३            | ४,१९,९०६           |
| बुलढाणा                       | ६७,६७२           | ३,२२,९४६               | ८६,६५७                  | ७१,५०३                      | ५७९          | ११,९१३           | ५,६१,२७०           |
| अकोला                         | ४४,९६१           | १,९४,२३७               | ४२,२०९                  | ८५,३४७                      | ६९           | १३,८४२           | ३,८०,६६५           |
| वाशिम                         | ४५,२२८           | १,५७,६०५               | ४२,८३६                  | २६,९१३                      | ५            | १०,८१९           | २,८३,४०६           |
| अमरावती                       | १,२२,९१६         | २,६९,४६३               | १,०२,०६५                | ९२,३२६                      | ०            | ९,६४९            | ५,९६,४१९           |
| यवतमाळ                        | १,२७,५६४         | ३,२५,४२२               | ८४,९२५                  | ८९,७५०                      | ०            | १२,०४६           | ६,३९,७०७           |
| वर्धा                         | ४३,१४१           | १,८०,५३५               | ३१,७७४                  | २४,१८०                      | ०            | ३,९१७            | २,८३,५४७           |
| नागपूर                        | २,१७,३३६         | १०,७४,१९४              | २                       | ७,८९,४३४                    | १            | १,०६,११०         | २१,८७,०७७          |
| भंडारा                        | ६४,९८६           | १,४५,६३०               | ०                       | ३१,०८४                      | ०            | ९,३४९            | २,५१,०४९           |
| गोंदिया                       | ७७,५४९           | १,३३,६४७               | ०                       | ६९,७३६                      | ०            | ४,७११            | २,८५,६४३           |
| चंद्रपुर                      | १,३४,६०६         | २,१६,८६९               | ०                       | ९५,४८८                      | ०            | २०,२८५           | ४,६७,२४८           |
| गडचिरोली                      | ९१,७७३           | ९८,४६५                 | ०                       | २३,८९७                      | ०            | ३,२५८            | २,१७,३९३           |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b>       | <b>२६,१९,९०४</b> | <b>१,४४,४८,८३६</b>     | <b>९,६४,८९५</b>         | <b>७९,५५,९९६</b>            | <b>१,६१३</b> | <b>१८,२९,८६४</b> | <b>२,७८,२१,१०८</b> |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## परिशिष्ट ४.११

## अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांना वितरण केलेला तांदूळ व गहू

(लाख मे.टन)

| वर्ष                                                  | तांदूळ                    |            |                   | गहू                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|
|                                                       | मुंबई<br>शिधावाटप क्षेत्र | इतर जिल्हे | एकूण<br>(२) + (३) | मुंबई<br>शिधावाटप क्षेत्र | इतर जिल्हे | एकूण<br>(५) + (६) |
| (१)                                                   | (२)                       | (३)        | (४)               | (५)                       | (६)        | (७)               |
| २००१-०२ (एकूण)                                        | ०.०२                      | ५.१६       | ५.१८              | ०.०५                      | ८.४८       | ८.५३              |
| पैकी, लसाविव्य                                        | ०.०२                      | ५.००       | ५.०२              | ०.०४                      | ८.२७       | ८.३१              |
| २०१२-१३ (एकूण)                                        | १.०१                      | १५.५३      | १६.५४             | १.८५                      | २०.२८      | २२.१३             |
| पैकी, लसाविव्य                                        | ०.१४                      | १३.३५      | १३.४९             | ०.०६                      | १४.१६      | १४.२२             |
| २०१३-१४ (एकूण)                                        | १.६८                      | १५.९२      | १७.६०             | १.९५                      | १८.५१      | २०.४६             |
| पैकी, लसाविव्य/राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा<br>अधिनियम, २०१३ | ०.४८                      | १२.३४      | १२.८२             | ०.५५                      | १३.५८      | १४.१३             |
| २०१४-१५ (एकूण)                                        | २.१३                      | १७.९२      | २०.०५             | २.९३                      | २२.७२      | २५.६५             |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३             | १.८३                      | १६.७७      | १८.६०             | २.६०                      | २१.२२      | २३.८२             |
| २०१५-१६ (एकूण)                                        | २.२८                      | १९.१५      | २१.४३             | २.९२                      | २२.१७      | २५.०९             |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३             | २.२८                      | १८.३४      | २०.६२             | २.९२                      | २०.९१      | २३.८३             |
| २०१६-१७ (एकूण)                                        | २.०२                      | १८.१३      | २०.१५             | ३.०१                      | २३.०७      | २६.०८             |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३             | २.०२                      | १६.९२      | १८.९४             | ३.०१                      | २१.१५      | २४.१६             |
| २०१७-१८ (एकूण)                                        | २.१४                      | १८.००      | २०.१४             | ३.२०                      | २२.४०      | २५.६०             |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३             | २.१४                      | १६.८१      | १८.९५             | ३.२०                      | २०.६१      | २३.८१             |
| २०१८-१९ (एकूण)                                        | २.१४                      | १६.२२      | १८.३६             | ३.१९                      | २०.२४      | २३.४३             |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३             | २.१४                      | १५.२६      | १७.४              | ३.१९                      | १८.५२      | २१.७१             |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.

टीप - १. लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (लसाविव्य) अंतर्गत व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत आकडेवारीमध्ये अंत्योदय अन्न योजनेची आकडेवारी समाविष्ट केलेली आहे.

२. फेब्रुवारी, २०१४ पासून प्राधान्य गट कुटुंब व अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत नियतन प्राप्त होत आहे.

## परिशिष्ट ४.१२

## भारत सरकारकडून राज्याला मिळालेले नियतन

(लाख मे.टन)

| वर्ष<br>(१)                                          | तांदूळ<br>(२) | गहू<br>(३) |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| २००१-०२ (एकूण)                                       | ९.२३          | १७.१३      |
| पैकी, लसाविव्य                                       | ६.५५          | १२.१६      |
| २०१२-१३ (एकूण)                                       | २०.७४         | ३१.४५      |
| पैकी, लसाविव्य                                       | १५.५१         | १६.५४      |
| २०१३-१४ (एकूण)                                       | २१.९६         | २५.१९      |
| पैकी, लसाविव्य / राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ | १४.४१         | १५.९६      |
| २०१४-१५ (एकूण)                                       | २१.५७         | २७.४७      |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३            | १९.७८         | २५.२८      |
| २०१५-१६ (एकूण)                                       | २१.३०         | २७.३७      |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३            | २०.३०         | २५.८८      |
| २०१६-१७ (एकूण)                                       | २१.५६         | २८.००      |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३            | २०.२१         | २५.८४      |
| २०१७-१८ (एकूण)                                       | २१.५१         | २७.९७      |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३            | २०.२१         | २५.८४      |
| २०१८-१९ (एकूण)                                       | २१.३८         | २७.८९      |
| पैकी, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३            | २०.२०         | २५.८४      |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन.

टीप - १. लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (लसाविव्य) अंतर्गत व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत आकडेवारीमध्ये अंत्योदय अन्न योजनेची आकडेवारी समाविष्ट केलेली आहे.

२. फेब्रुवारी, २०१४ पासून प्राधान्य गट कुटुंब व अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत नियतन प्राप्त होत आहे.



## परिशिष्ट ४.१३

## जिल्हावार उपलब्ध गोदामांची संख्या, क्षमता व रास्त भाव दुकानांची संख्या

| जिल्हा<br>(१)           | उपलब्ध गोदामे (मार्च, २०१९ पर्यंत) |                       | रास्त भाव<br>दुकानांची संख्या<br>(मार्च, २०१९ पर्यंत)<br>(४) |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                         | संख्या<br>(२)                      | क्षमता (मे.टन)<br>(३) |                                                              |
| मुंबई                   | ७                                  | ५,४८१                 | ३,४५५                                                        |
| ठाणे                    | १५                                 | ७,५००                 | ५९१                                                          |
| पालघर                   | २०                                 | ८,६५०                 | १,०८२                                                        |
| रायगड                   | २९                                 | २६,२८५                | १,३९६                                                        |
| रत्नागिरी               | ३२                                 | १७,७१०                | ९४६                                                          |
| सिंधुदुर्ग              | २१                                 | १०,७५०                | ४३०                                                          |
| नाशिक                   | ३०                                 | १६,६५०                | २,६०९                                                        |
| धुळे                    | २३                                 | १५,३२०                | ९८०                                                          |
| नंदुरबार                | २२                                 | ११,०००                | १,०६१                                                        |
| जळगाव                   | ४०                                 | २७,४६०                | १,९३३                                                        |
| अहमदनगर                 | ३५                                 | ३४,१००                | १,८८३                                                        |
| पुणे                    | ४४                                 | ४३,१००                | २,९०६                                                        |
| सातारा                  | ३८                                 | २३,४२०                | १,६५१                                                        |
| सांगली                  | ३०                                 | १९,९३०                | १,३५७                                                        |
| सोलापूर                 | ४८                                 | ५५,८०१                | १,८७२                                                        |
| कोल्हापूर               | २२                                 | १७,५५०                | १,५७२                                                        |
| औरंगाबाद                | २६                                 | २४,८१६                | १,८०१                                                        |
| जालना                   | ११                                 | १६,९००                | १,२८०                                                        |
| परभणी                   | २२                                 | १०,९००                | १,४५१                                                        |
| हिंगोली                 | १२                                 | १३,८४०                | ७९६                                                          |
| बीड                     | ३४                                 | ३०,९६०                | १,९६४                                                        |
| नांदेड                  | ४४                                 | २२,७४०                | १,७२०                                                        |
| उस्मानाबाद              | २४                                 | १७,७००                | १,०७४                                                        |
| लातूर                   | २२                                 | १७,५३०                | १,३५०                                                        |
| बुलढाणा                 | ३६                                 | १४,८३०                | १,७०९                                                        |
| अकोला                   | २७                                 | १५,८१०                | ९६५                                                          |
| वाशिम                   | १७                                 | १०,३२०                | ८७०                                                          |
| अमरावती                 | ३९                                 | २१,१२०                | १,९१५                                                        |
| यवतमाळ                  | ३५                                 | १९,२४०                | १,८८१                                                        |
| वर्धा                   | १४                                 | ८,७८५                 | ८४८                                                          |
| नागपूर                  | ४६                                 | ३२,४७८                | १,९६१                                                        |
| भंडारा                  | १७                                 | १०,१३०                | ८९३                                                          |
| गोंदिया                 | १३                                 | १२,२१०                | ९९८                                                          |
| चंद्रपूर                | २९                                 | १७,९००                | १,५२७                                                        |
| गडचिरोली                | ३५                                 | २१,६००                | १,१९६                                                        |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>९५९</b>                         | <b>६,८०,५१६</b>       | <b>५१,९२२</b>                                                |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट ४.१४

अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ करीता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वितरण (मे.टन)

| जिल्हा<br>(१)           | राज्य शासनाचे नियतन |                 |                  | भारतीय अन्न महामंडळाकडून उचल |                 |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | तांदूळ<br>(२)       | गहू<br>(३)      | एकूण<br>(४)      | तांदूळ<br>(५)                | गहू<br>(६)      | एकूण<br>(७)     |
| मुंबई                   | ३,३५४               | ४,७४०           | ८,०९४            | ३,३३७                        | ४,६४१           | ७,९७८           |
| ठाणे                    | १४,०८८              | ५,६३७           | १९,७२५           | १२,९५३                       | ५,५३१           | १८,४८४          |
| पालघर                   | २८,७८८              | ११,५०८          | ४०,२९६           | २७,८७१                       | ११,४६९          | ३९,३४०          |
| रायगड                   | २४,२७६              | ९,७०८           | ३३,९८४           | २३,४०१                       | ९,३८०           | ३२,७८१          |
| रत्नागिरी               | १२,९१२              | ५,१६०           | १८,०७२           | १२,४४०                       | ५,१६०           | १७,६००          |
| सिंधुदुर्ग              | ७,३३२               | २,९२८           | १०,२६०           | ६,५९४                        | २,६०६           | ९,२००           |
| नाशिक                   | २६,५९८              | ४९,३९८          | ७५,९९६           | २५,२७९                       | ४३,७५३          | ६९,०३२          |
| धुळे                    | ११,५५०              | २०,७७८          | ३२,३२८           | ११,२८१                       | १९,६७१          | ३०,९५२          |
| नंदुरबार                | २९,७१२              | १५,०१२          | ४४,७२४           | २८,७२५                       | १४,११०          | ४२,८३५          |
| जळगाव                   | २०,२२३              | ३७,५४५          | ५७,७६८           | २०,१५५                       | ३६,९१९          | ५७,०७४          |
| अहमदनगर                 | १३,८३९              | २५,६९२          | ३९,५३१           | १३,५२१                       | २४,१९३          | ३७,७१४          |
| पुणे ग्रामीण            | ७,७८५               | १४,९२२          | २२,७०७           | ७,४८३                        | १४,२००          | २१,६८३          |
| पुणे शहर                | १,८१२               | ३,४८०           | ५,२९२            | १,३५३                        | २,७०२           | ४,०५५           |
| सातारा                  | ४,६६५               | ८,९४०           | १३,६०५           | ४,६९७                        | ८,८३४           | १३,५३१          |
| सांगली                  | ४,८३०               | ९,२५५           | १४,०८५           | ४,६६२                        | ९,०४६           | १३,७०८          |
| सोलापुर ग्रामीण         | १०,५६३              | २०,२५३          | ३०,८१६           | १०,२९२                       | १८,७७४          | २९,०६६          |
| सोलापुर शहर             | १,११०               | २,१२७           | ३,२३७            | ९६१                          | १,७७०           | २,७३१           |
| कोल्हापुर               | ८,१९६               | १५,७२०          | २३,९१६           | ७,२५९                        | १५,०९०          | २२,३४९          |
| औरंगाबाद                | १०,१४३              | १९,४४९          | २९,५९२           | ९,८९३                        | १७,८७६          | २७,७६९          |
| जालना                   | ६,३३६               | १२,१३२          | १८,४६८           | ५,९१५                        | १२,०४४          | १७,९६०          |
| परभणी                   | ६,५६४               | १२,५८२          | १९,१४६           | ५,८२९                        | ११,१६०          | १६,९८९          |
| हिंगोली                 | ४,७२२               | ९,०५४           | १३,७७६           | ४,३३४                        | ७,६७९           | १२,०१३          |
| बीड                     | ६,०९९               | ११,६८८          | १७,७८७           | ५,७७४                        | १०,८९४          | १६,६६७          |
| नांदेड                  | ११,९१०              | २२,८३९          | ३४,७४९           | ११,४२०                       | २१,९४६          | ३३,३६६          |
| उस्मानाबाद              | ५,६९७               | १०,९१४          | १६,६११           | ४,९२०                        | ९,४४४           | १४,३६४          |
| लातूर                   | ६,०३९               | ११,५८०          | १७,६१९           | ५,७३४                        | ११,२४२          | १६,९७६          |
| अमरावती                 | २१,५८२              | २९,६२५          | ५१,२०७           | १९,२८८                       | २७,०८९          | ४६,३७७          |
| अकोला                   | ६,५९४               | १२,२४६          | १८,८४०           | ५,१५८                        | ११,३५४          | १६,५१२          |
| वाशिम                   | ६,१८९               | ११,४९३          | १७,६८२           | ६,११५                        | ११,३७७          | १७,४९२          |
| बुलढाणा                 | ९,७७४               | १८,१५०          | २७,९२४           | ८,४३७                        | १७,५७५          | २६,०१२          |
| यवतमाळ                  | २३,०९४              | ३१,६९८          | ५४,७९२           | २१,९६४                       | २८,५३४          | ५०,४९८          |
| नागपुर ग्रामीण          | १३,६९२              | १५,७९८          | २९,४९०           | १३,२६०                       | १५,३७६          | २८,६३६          |
| नागपुर शहर              | ७,६४४               | ८,८२०           | १६,४६४           | ६,६०१                        | ७,४१९           | १४,०२०          |
| वर्धा                   | ८,७३६               | १०,०८०          | १८,८१६           | ८,५७७                        | ९,७७७           | १८,३५४          |
| भंडारा                  | २०,३४९              | ६,७८३           | २७,१३२           | २०,३४९                       | ६,७४७           | २७,०९६          |
| गोंदिया                 | २४,३१५              | ८,१०६           | ३२,४२१           | २४,१७२                       | ८,०६७           | ३२,२३९          |
| चंद्रपुर                | २६,१९६              | ३०,२२८          | ५६,४२४           | २५,६९८                       | ३०,२२८          | ५५,९२६          |
| गडचिरोली                | २९,०७९              | ९,६९३           | ३८,७७२           | २८,६३६                       | ९,६९३           | ३८,३२९          |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>४,८६,३८७</b>     | <b>५,६५,७६१</b> | <b>१०,५२,१४८</b> | <b>४,६४,३३८</b>              | <b>५,३३,३७०</b> | <b>९,९७,७०८</b> |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ४.१४ (पुढे चालू)

अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ करीता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वितरण (मे.टन)

| जिल्हा<br>(१)           | गोदामांमधून रास्त भाव दुकानांद्वारे उचल |                 |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
|                         | तांदूळ<br>(८)                           | गहू<br>(९)      | एकूण<br>(१०)     |
| मुंबई                   | ३,३३७                                   | ४,६४१           | ७,९७८            |
| ठाणे                    | १३,८२३                                  | ५,५१०           | १९,३३३           |
| पालघर                   | २८,१०३                                  | ११,१५९          | ३९,२६२           |
| रायगड                   | २३,५९५                                  | ९,३७९           | ३२,९७४           |
| रत्नागिरी               | १२,२९४                                  | ४,९३९           | १७,२३३           |
| सिंधुदुर्ग              | ६,७१२                                   | २,६८०           | ९,३९२            |
| नाशिक                   | २५,५४९                                  | ४४,४५२          | ७०,००१           |
| धुळे                    | ११,३९६                                  | १९,९११          | ३१,३०७           |
| नंदुरबार                | २८,१९१                                  | १४,२६९          | ४२,४६०           |
| जळगाव                   | १९,७४८                                  | ३६,८९१          | ५६,६३९           |
| अहमदनगर                 | १४,०८८                                  | २२,५१५          | ३६,६०३           |
| पुणे ग्रामीण            | ७,४६९                                   | १४,३२३          | २१,७९२           |
| पुणे शहर                | १,३५३                                   | २,७०२           | ४,०५५            |
| सातारा                  | ४,६९७                                   | ८,८३४           | १३,५३१           |
| सांगली                  | ४,५४५                                   | ८,९३५           | १३,४८०           |
| सोलापुर ग्रामीण         | १०,७०८                                  | १९,६५१          | ३०,३५९           |
| सोलापुर शहर             | ८६२                                     | १,७२०           | २,५८२            |
| कोल्हापुर               | ७,७४६                                   | १५,०३९          | २२,७८५           |
| औरंगाबाद                | ९,५४३                                   | १७,१६४          | २६,७०७           |
| जालना                   | ५,९८७                                   | ११,७१३          | १७,७००           |
| परभणी                   | ५,५१८                                   | १०,७४९          | १६,२६७           |
| हिंगोली                 | ४,५४९                                   | ८,७८५           | १३,३३४           |
| बीड                     | ५,६७६                                   | १०,७६५          | १६,४४१           |
| नांदेड                  | ११,०५१                                  | २१,१५२          | ३२,२०३           |
| उस्मानाबाद              | ५,६५१                                   | ९,२८५           | १४,९३६           |
| लातूर                   | ५,६५७                                   | ११,१२७          | १६,७८४           |
| अमरावती                 | २०,९२९                                  | २७,१५४          | ४८,०८३           |
| अकोला                   | ५,७४६                                   | ११,१८३          | १६,९२९           |
| वाशिम                   | ६,०४९                                   | ११,२२८          | १७,२७७           |
| बुलढाणा                 | ९,१५८                                   | १६,७२७          | २५,८८५           |
| यवतमाळ                  | २१,६८३                                  | २८,३९८          | ५०,०८१           |
| नागपुर ग्रामीण          | १३,६६९                                  | १५,३३०          | २८,९९९           |
| नागपुर शहर              | ६,८७६                                   | ८,०६२           | १४,९३८           |
| वर्धा                   | ८,३३९                                   | ९,७९५           | १८,१३४           |
| भंडारा                  | २०,०९५                                  | ६,६७५           | २६,७७०           |
| गोंदिया                 | २४,१२९                                  | ८,०४९           | ३२,१७८           |
| चंद्रपुर                | २६,१६६                                  | ३०,१८५          | ५६,३५१           |
| गडचिरोली                | २९,०९५                                  | ९,६४८           | ३८,७४३           |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>४,६९,७८२</b>                         | <b>५,३०,७२४</b> | <b>१०,००,५०६</b> |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट ४.१५

अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ करीता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वितरण (मे.टन)

| जिल्हा<br>(१)           | राज्य शासनाचे नियतन |                 |                  | भारतीय अन्न महामंडळाकडून उचल |                 |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | तांदूळ<br>(२)       | गहू<br>(३)      | एकूण<br>(४)      | तांदूळ<br>(५)                | गहू<br>(६)      | एकूण<br>(७)     |
| मुंबई                   | ४,०९७               | ४,१५८           | ८,२५५            | ३,१९८                        | ३,१८७           | ६,३८५           |
| ठाणे                    | १४,०८०              | ५,८३१           | १९,९११           | १३,५९४                       | ५,६०९           | १९,२०३          |
| पालघर                   | २८,६३९              | ११,८६२          | ४०,५०१           | २७,२३८                       | ११,५६७          | ३८,८०५          |
| रायगड                   | २४,२९१              | ९,७१४           | ३४,००५           | २३,५४१                       | ९,४४४           | ३२,९८४          |
| रत्नागिरी               | १२,८५८              | ५,३२५           | १८,१८३           | ११,२६९                       | ४,७५९           | १६,०२८          |
| सिंधुदुर्ग              | ७,२९०               | ३,०१६           | १०,३०६           | ६,६२५                        | २,८१०           | ९,४३५           |
| नाशिक                   | ३५,१३५              | ४०,९३०          | ७६,०६५           | ३२,७५६                       | ३५,५९७          | ६८,३५३          |
| धुळे                    | १६,०२५              | १६,३२५          | ३२,३५०           | १५,१२७                       | १४,०९९          | २९,२२६          |
| नंदुरबार                | ३१,४२६              | १३,३१९          | ४४,७४५           | २९,७९८                       | ११,८८६          | ४१,६८५          |
| जळगाव                   | २६,८३३              | ३०,९५५          | ५७,७८८           | २५,९३८                       | २८,७५९          | ५४,६९७          |
| अहमदनगर                 | १८,४४२              | २१,०७४          | ३९,५१६           | १३,५५४                       | १४,५६२          | २८,११६          |
| पुणे ग्रामीण            | ९,७४१               | १२,९८७          | २२,७२८           | ७,७८६                        | ९,४९१           | १७,२७७          |
| पुणे शहर                | २,१५१               | २,८६८           | ५,०१९            | १,२८५                        | १,७६०           | ३,०४५           |
| सातारा                  | ५,७९९               | ७,७३१           | १३,५३०           | ५,३५३                        | ७,३६५           | १२,७१८          |
| सांगली                  | ५,९९७               | ७,९९८           | १३,९९५           | ५,३८०                        | ७,०५३           | १२,४३३          |
| सोलापूर ग्रामीण         | १२,४७८              | १६,६२९          | २९,१०७           | ८,९६८                        | १२,१२९          | २१,०९७          |
| सोलापूर शहर             | १,३१७               | १,७५२           | ३,०६९            | ७१५                          | १,०५८           | १,७७३           |
| कोल्हापूर               | १०,१४०              | १३,५२४          | २३,६६४           | ९,२२८                        | १२,३०६          | २१,५३४          |
| औरंगाबाद                | १२,९०५              | १६,७११          | २९,६१६           | १०,९०४                       | १३,७५३          | २४,६५७          |
| जालना                   | ८,०५९               | १०,४२८          | १८,४८७           | ५,७५५                        | ७,९००           | १३,६५६          |
| परभणी                   | ८,३५५               | १०,८१९          | १९,१७४           | ६,६२१                        | ८,९८८           | १५,६०९          |
| हिंगोली                 | ६,०१२               | ७,७८७           | १३,७९९           | ५,६४८                        | ७,३६५           | १३,०१३          |
| बीड                     | ७,७५८               | १०,०५०          | १७,८०८           | ७,११२                        | ९,२४८           | १६,३६०          |
| नांदेड                  | १५,०८४              | १९,५४४          | ३४,६२८           | १२,१७०                       | १६,०६२          | २८,२३२          |
| उस्मानाबाद              | ७,२४५               | ९,३८६           | १६,६३१           | ५,८३६                        | ७,७३२           | १३,५६७          |
| लातूर                   | ७,६८५               | ९,९५३           | १७,६३८           | ७,५४८                        | ९,०९५           | १६,६४४          |
| अमरावती                 | २२,५६८              | २८,६६०          | ५१,२२८           | २२,५६८                       | २७,६५३          | ५०,२२१          |
| अकोला                   | ३,३६८               | १५,४९३          | १८,८६१           | ३,३६९                        | १४,४४१          | १७,८१०          |
| वाशिम                   | ३,३४९               | १४,९९०          | १८,३३९           | ३,३५५                        | १४,८०४          | १८,१५९          |
| बुलढाणा                 | ५,३१७               | २२,६१२          | २७,९२९           | ४,६६६                        | १९,३२७          | २३,९९३          |
| यवतमाळ                  | २४,७९९              | ३०,०१४          | ५४,८१३           | २२,८४७                       | २७,६६४          | ५०,५११          |
| नागपूर ग्रामीण          | १७,०७६              | १२,७९८          | २९,८७४           | १६,३७०                       | ११,०३७          | २७,४०७          |
| नागपूर शहर              | ९,४७७               | ७,१०७           | १६,५८४           | ८,९७९                        | ६,६७७           | १५,६५६          |
| वर्धा                   | १०,७८२              | ८,०८८           | १८,८७०           | १०,१३८                       | ८,०८८           | १८,२२६          |
| भंडारा                  | २२,७५३              | ४,३९७           | २७,१५०           | २२,४७६                       | ४,६५६           | २७,१३२          |
| गोंदिया                 | २७,३११              | ५,२९१           | ३२,६०२           | २६,९७९                       | ५,६०९           | ३२,५८८          |
| चंद्रपुर                | ३२,३१६              | २४,२३७          | ५६,५५३           | ३२,२३१                       | २४,१९८          | ५६,४२९          |
| गडचिरोली                | ३३,२७९              | ५,५५०           | ३८,८२९           | ३२,५४६                       | ५,५४८           | ३८,०९४          |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>५,५२,२३७</b>     | <b>४,९९,९१३</b> | <b>१०,५२,१५०</b> | <b>५,०९,४७१</b>              | <b>४,४३,२८५</b> | <b>९,५२,७५६</b> |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ४.१५ (पुढे चालू)

अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ करीता अन्नधान्याचे नियतन, उचल व रास्त भाव दुकानांना वितरण (मे.टन)

| जिल्हा<br>(१)           | गोदामांमधून रास्त भाव दुकानांद्वारे उचल |                 |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                         | तांदूळ<br>(८)                           | गहू<br>(९)      | एकूण<br>(१०)    |
| मुंबई                   | ३,१९८                                   | ३,१८७           | ६,३८५           |
| ठाणे                    | १३,४०२                                  | ५,५५०           | १८,९५२          |
| पालघर                   | २७,२२६                                  | ११,४२३          | ३८,६४९          |
| रायगड                   | २३,५४२                                  | ९,४४४           | ३२,९८५          |
| रत्नागिरी               | १०,६१०                                  | ४,३७४           | १४,९८४          |
| सिंधुदुर्ग              | ६,५५४                                   | २,६९५           | ९,२४९           |
| नाशिक                   | ३२,१९८                                  | ३५,०६०          | ६७,२५९          |
| धुळे                    | १५,१४७                                  | १४,४९५          | २९,६४२          |
| नंदुरबार                | २८,०४७                                  | ११,६०३          | ३९,६५०          |
| जळगाव                   | २४,५०३                                  | २६,८३०          | ५१,३३३          |
| अहमदनगर                 | १३,५५४                                  | १४,५६२          | २८,११६          |
| पुणे ग्रामीण            | ७,७४८                                   | ९,७५४           | १७,५०२          |
| पुणे शहर                | १,२८५                                   | १,७६०           | ३,०४५           |
| सातारा                  | ५,६८९                                   | ७,२६४           | १२,९५३          |
| सांगली                  | ५,२७४                                   | ७,०२१           | १२,२९५          |
| सोलापुर ग्रामीण         | ९,२५५                                   | ११,१२३          | २०,३७८          |
| सोलापुर शहर             | ७८०                                     | १,०५८           | १,८३८           |
| कोल्हापुर               | ९,२२९                                   | १२,३३४          | २१,५६३          |
| औरंगाबाद                | १०,२७५                                  | १३,२५४          | २३,५२९          |
| जालना                   | ५,५४०                                   | ७,३९७           | १२,९३७          |
| परभणी                   | ५,७८८                                   | ८,४५५           | १४,२४३          |
| हिंगोली                 | ५,३०४                                   | ६,९६६           | १२,२७०          |
| बीड                     | ७,०४१                                   | ९,१८३           | १६,२२४          |
| नांदेड                  | ११,२११                                  | १४,६८५          | २५,८९६          |
| उस्मानाबाद              | ५,७९३                                   | ७,६९१           | १३,४८३          |
| लातूर                   | ७,३४७                                   | ९,३७४           | १६,७२१          |
| अमरावती                 | २२,४६१                                  | २७,५७९          | ५०,०४०          |
| अकोला                   | ३,२८५                                   | १४,०२७          | १७,३११          |
| वाशिम                   | ३,०६०                                   | १४,३५१          | १७,४११          |
| बुलढाणा                 | ४,८६७                                   | १८,९०१          | २३,७६८          |
| यवतमाळ                  | २१,३०२                                  | २६,४९५          | ४७,७९७          |
| नागपुर ग्रामीण          | १६,७५७                                  | १२,३१६          | २९,०७३          |
| नागपुर शहर              | ८,८६५                                   | ६,६९५           | १५,५६०          |
| वर्धा                   | ९,६७६                                   | ७,३४६           | १७,०२२          |
| भंडारा                  | २१,९६०                                  | ४,८५७           | २६,८१७          |
| गोंदिया                 | २६,५८६                                  | ५,५१६           | ३२,१०२          |
| चंद्रपुर                | ३१,५१३                                  | २४,०६८          | ५५,५८२          |
| गडचिरोली                | ३२,८०६                                  | ५,४८६           | ३८,२९१          |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>४,९८,६७७</b>                         | <b>४,३४,१७८</b> | <b>९,३२,८५५</b> |

आधार - अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन



# ५ लोकवित्त







## ५. लोकवित्त

५.१ अर्थसंकल्प हे शासकीय कार्याचे वार्षिक वित्तविषयक विवरणपत्र आहे. राज्याचा सातत्यपूर्ण सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य होण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये महत्वाच्या सामाजिक व आर्थिक सेवांकरीता पुरेसा निधी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कर महसूल, महसुली तूट, ऋणस्थिती, राजकोषीय तूट, इत्यादिसारख्या आर्थिक निर्देशकांच्या संनियंत्रणाद्वारे वित्तीय शिस्त राखणे आवश्यक ठरते.

### अर्थसंकल्प २०१८-१९

५.२ सुधारित अंदाज २०१८-१९ नुसार ₹ ७४३ कोटीची अर्थसंकल्पीय तूट दिसून येते. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०१८-१९ (सुअं) मध्ये एकूण उत्पन्न व एकूण खर्च २८.० टक्क्यांनी वाढले आहेत. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये महसुली जमा व महसुली खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुक्रमे १७.६ टक्के व २४.८ टक्क्यांनी वाढले असून ₹ १४,९६० कोटी तूट दर्शवितात. महत्वाचे वित्तीय निर्देशक तक्ता ५.१ मध्ये व दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्पाचा तपशील परिशिष्ट ५.१ मध्ये दिला आहे.

### महसुली जमा

५.३ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये महसुली जमा ₹ २,८६,५०० कोटी असून त्यापैकी राज्याच्या स्वतःच्या स्रोतापासून जमा म्हणजेच स्वतःचा कर महसूल, व्याजाच्या जमा रकमा आणि इतर करेतर महसूल ₹ २,०५,९८९ कोटी (७१.९ टक्के) आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत एकूण कर महसूल १२.६ टक्क्यांनी व एकूण करेतर महसूल ४४.२ टक्क्यांनी वाढले. केंद्रीय अनुदाने व केंद्रीय करातील हिस्सा ₹ ८०,५१८ कोटी आहे. महसुली जमा तक्ता ५.२ मध्ये दिल्या आहेत.

### तक्ता ५.१ महत्वाचे वित्तीय निर्देशक

| तपशील                            | (₹ कोटी)               |                        |                   |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                                  | २०१६-१७<br>(प्रत्यक्ष) | २०१७-१८<br>(प्रत्यक्ष) | २०१८-१९<br>(सुअं) |
| १. महसुली जमा                    | २,०४,६९३               | २,४३,६५४               | २,८६,५००          |
| एकूण जमेशी टक्केवारी             | (८३.५)                 | (९०.७)                 | (८३.३)            |
| २. महसुली खर्च                   | २,१३,२२९               | २,४१,५७१               | ३,०१,४६०          |
| एकूण खर्चाशी टक्केवारी           | (८७.०)                 | (८९.७)                 | (८७.४)            |
| ३. महसुली तूट (२-१)              | ८,५३६                  | (-२,०८२)               | १४,९६०            |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | ०.४                    | (-०.१)                 | ०.६               |
| ४. भांडवली जमा #                 | ४०,४१३                 | २५,०८२                 | ५७,५५७            |
| एकूण जमेशी टक्केवारी             | (१६.५)                 | (९.३)                  | (१६.७)            |
| ५. भांडवली खर्च #                | ३१,८०६                 | २७,८२१                 | ४३,३३९            |
| एकूण खर्चाशी टक्केवारी           | (१३.०)                 | (१०.३)                 | (१२.६)            |
| ६. एकूण जमा (१+४) #              | २,४५,१०६               | २,६८,७३५               | ३,४४,०५६          |
| ७. एकूण खर्च (२+५) #             | २,४५,०३५               | २,६९,३९३               | ३,४४,७९९          |
| ८. अर्थसंकल्पीय तूट (७-६)        | (-७१)                  | ६५७                    | ७४३               |
| ९. राजकोषीय तूट                  | ३८,५९६                 | २३,९६१                 | ५६,०५३            |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | १.८                    | १.०                    | २.१               |
| १०. प्राथमिक तूट                 | १०,०६४                 | (-९,०५७)               | २२,१२४            |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | ०.५                    | (-०.४)                 | ०.८               |

# कर्ज परतावा वजा जाता निव्वळ रकमा

सुअं सुधारित अंदाज

टीप : आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरजा जुळतीलच असे नाही

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

### तक्ता ५.२ महसुली जमा

| (₹ कोटी)       |                  |                        |          |                     |                 |                  |                 |          |
|----------------|------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| वर्ष           | कर महसूल         |                        |          | करेतर महसूल         |                 |                  | एकूण महसुली जमा |          |
|                | स्वतःचा कर महसूल | केंद्रीय करातील हिस्सा | एकूण     | व्याजाच्या जमा रकमा | इतर करेतर महसूल | केंद्रीय अनुदाने |                 |          |
| २०१४-१५        | १,१५,०९०         | १७,६०४                 | १,३२,६९४ | ३,३५१               | ९,२२९           | २०,१४१           | ३२,७२२          | १,६५,४१५ |
| २०१५-१६        | १,२६,६२८         | २८,०८६                 | १,५४,७१४ | ३,०७९               | १०,३४४          | १६,८९९           | ३०,३२२          | १,८५,०३६ |
| २०१६-१७        | १,३६,६१६         | ३३,७१५                 | १,७०,३३१ | ३,२५९               | ९,४५०           | २१,६५३           | ३४,३६२          | २,०४,६९३ |
| २०१७-१८        | १,६७,९४८         | ३७,२०३                 | २,०५,१५१ | ४,१६३               | १२,५१७          | २१,८२३           | ३८,५०३          | २,४३,६५४ |
| २०१८-१९ (सुअं) | १,८८,९३१         | ४२,०५०                 | २,३०,९८२ | २,९०१               | १४,१४९          | ३८,४६८           | ५५,५१८          | २,८६,५०० |

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

टीप : आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरजा जुळतीलच असे नाही

५.३.१ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये कर महसुलामध्ये (८१.८ टक्के) व एकूण महसुली जमेमध्ये (६५.९ टक्के) राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचा सर्वाधिक हिस्सा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्याचा स्वतःचा कर महसूल १२.५ टक्क्यांनी वाढला. राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलामध्ये प्रमुख घटक असलेल्या राज्य वस्तू व सेवा कराचा सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये ४७.७ टक्के हिस्सा असून त्याखालोखाल विक्रीकर आणि मुद्रांक व नोंदणी फी यांचा हिस्सा अनुक्रमे १८.७ टक्के व १३.२ टक्के आहे.

५.३.२ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये राज्याचा स्वतःचा करेतर महसूल ₹ १७,०५० कोटी असून एकूण महसुली जमेत त्याचा हिस्सा ६.० टक्के आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये राज्याचा स्वतःचा करेतर महसूल २.२ टक्क्यांनी वाढला आहे.

५.३.३ १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वाटणीयोग्य कर संकलनातील राज्यांचा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून (१३ व्या वित्त आयोगानुसार) ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यांना केंद्रीय करापासून प्राप्त निधीपैकी वितरणासाठी निश्चित केलेल्या (सेवा करांव्यतिरिक्त) राज्याच्या हिश्यात ५.१९९ टक्क्यांवरून ५.५२१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि राज्याचा सेवा करातील हिस्सा ५.२८१ टक्क्यांवरून वाढून तो ५.६७४ टक्के झाला आहे. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये राज्याचा केंद्रीय करातील हिस्सा ₹ ४२,०५० कोटी असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत १३.० टक्क्यांनी वाढला. केंद्रीय करांमधील निगम कराचा हिस्सा ३४.९ टक्के असून त्याखालोखाल केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचा हिस्सा २७.७ टक्के आहे. केंद्राकडून राज्यास झालेले वित्तीय संसाधनांचे हस्तांतरण तक्ता ५.३ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ५.३ केंद्राकडून राज्यास झालेले वित्तीय संसाधनांचे हस्तांतरण

(₹ कोटी)

| तपशील                  | २०१४-१५       | २०१५-१६       | २०१६-१७       | २०१७-१८       | २०१८-१९ (सुअं) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| केंद्रीय करातील हिस्सा | १७,६०४        | २८,०८६        | ३३,७१५        | ३७,२०३        | ४२,०५०         |
| केंद्रीय अनुदाने       | २०,१४१        | १६,८९९        | २१,६५३        | २१,८२३        | ३८,४६८         |
| कर्जे व आगाऊ रकमा      | ५४२           | ५८४           | ६२७           | १६८           | ८७३            |
| <b>एकूण</b>            | <b>३८,२८७</b> | <b>४५,५६९</b> | <b>५५,९९५</b> | <b>५९,१९४</b> | <b>८१,३९१</b>  |

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

५.३.४ महसुली जमेचा भाग असणारी केंद्रीय अनुदाने सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ७६.३ टक्क्यांनी वाढली. निवडक राज्यांकरीता २०१७-१८(सुअं) करिता महसुली जमा व महसुली खर्च तक्ता ५.४ मध्ये दिले आहेत.

#### तक्ता ५.४ निवडक राज्यांकरीता २०१७-१८(सुअं) करिता महसुली जमा व महसुली खर्च

(₹ कोटी)

| राज्य             | महसुली जमा      | स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी | महसुली खर्च     | स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| आंध्र प्रदेश      | १,२३,२५४        | १५.४                             | १,२७,२७२        | १५.९                             |
| गुजरात            | १,३१,५५१        | १०.१                             | १,२५,५७४        | ९.६                              |
| कर्नाटक           | १,४६,०३३        | ११.५                             | १,४५,६४९        | ११.५                             |
| केरळ              | ८८,२६७          | १३.०                             | १,०१,३४६        | १४.९                             |
| मध्य प्रदेश       | १,३५,०७२        | १९.१                             | १,३४,४९७        | १९.०                             |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>२,५७,६०५</b> | <b>१०.२</b>                      | <b>२,७२,४४८</b> | <b>१०.८</b>                      |
| राजस्थान          | १,३४,६९३        | १६.०                             | १,५४,८५९        | १८.४                             |
| तेलंगणा           | १,०८,१४८        | १४.८                             | १,०६,६०३        | १४.६                             |
| उत्तर प्रदेश      | ३,०५,०२९        | २२.८                             | २,८६,५१४        | २१.४                             |

आधार : भारतीय रिझर्व बँक

#### सन २०१८-१९ मधील महसुली जमा

५.४ सन २०१८-१९ मध्ये डिसेंबर अखेर एकूण प्रत्यक्ष महसुली जमा सन २०१८-१९ (सुअं) च्या ६६.३ टक्के होती, त्यापैकी कर महसूल ८५.१ टक्के होता. डिसेंबर, २०१८ अखेर राज्य वस्तू व सेवा कर महसूल ₹ ६०,४८७ कोटी (सुधारित अंदाजाच्या ६७.१ टक्के) होता. निवडक राज्यांमधील सन २०१८-१९ करिता राज्य वस्तू व सेवा कर महसूल तक्ता ५.५ मध्ये दिला आहे तर सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील महसुली जमा तक्ता ५.६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ५.५ निवडक राज्यांमधील सन २०१८-१९ करिता राज्य वस्तू व सेवा कर महसूल**

(₹ कोटी)

| राज्य             | २०१८-१९ <sup>+</sup> |                                 |
|-------------------|----------------------|---------------------------------|
|                   | प्रत्यक्ष            | अर्थसंकल्पीय अंदाजाशी टक्केवारी |
| आंध्र प्रदेश      | २७,०६७               | १२७.३                           |
| गुजरात            | ३१,५२५               | ७३.७                            |
| कर्नाटक           | ३८,०३१               | ९१.३                            |
| केरळ              | २३,९६७               | ८८.८                            |
| मध्य प्रदेश       | ९,३९२                | ४६.७                            |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>७४,४७६</b>        | <b>७०.७</b>                     |
| राजस्थान          | २०,५९४               | ९८.१                            |
| तेलंगणा           | २६,१८५               | ७६.५                            |
| उत्तर प्रदेश      | ७७,३४३               | ८०.०                            |

आधार: भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे कार्यालय, भारत सरकार + फेब्रुवारीपर्यंत

**१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहाय्यक अनुदाने**

५.५ राज्यास १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण व नागरी स्थानिक संस्थांकरिता मूलभूत अनुदान व कामगिरीवर आधारित अनुदान अनुक्रमे ९०:१० व ८०:२० या प्रमाणात प्राप्त होते. प्राप्त सहाय्यक अनुदाने व खर्च तक्ता ५.७ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता ५.६ सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील महसुली जमा**

(₹ कोटी)

| बाब                                     | प्रत्यक्ष जमा     |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | २०१७ <sup>+</sup> | २०१८ <sup>+</sup> |
| <b>अ) कर महसूल (१ + २)</b>              | <b>१,४१,२६१</b>   | <b>१,६१,६८८</b>   |
| १) स्वतःचा कर महसूल (१ ते ११)           | १,१७,२५९          | १,३४,८८९          |
| १. मूल्यवर्धित कर                       | ४६,५०८            | २६,९७७            |
| २. राज्य वस्तू व सेवा कर                | ३०,१३८            | ६०,४८७            |
| ३. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क              | १८,४३२            | २०,६७०            |
| ४. राज्य उत्पादन शुल्क                  | ९,०९१             | १०,५४५            |
| ५. विजेवरील कर व शुल्क                  | ३,०२६             | ६,१०७             |
| ६. जमीन महसूल                           | ९२१               | ८५०               |
| ७. वाहनांवरील कर                        | ६,२३९             | ६,४९६             |
| ८. उत्पन्न व खर्चावरील इतर कर           | १,५४७             | १,६६२             |
| ९. माल व प्रवासी कर                     | १७७               | २१३               |
| १०. कृषि उत्पन्नावरील कर                | ०                 | ०                 |
| ११. वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क | १,१८०             | ८८२               |
| २) केंद्रीय करांतील हिस्सा              | २४,००२            | २६,७९९            |
| <b>ब) करेतर महसूल (१ + २)</b>           | <b>२४,७४४</b>     | <b>२८,३०७</b>     |
| १) करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदाने वगळून) | ९,६३६             | ८,७६२             |
| २) केंद्रीय सहाय्यक अनुदाने             | १५,१०८            | १९,५४५            |
| <b>एकूण (अ+ब)</b>                       | <b>१,६६,००५</b>   | <b>१,८९,९९५</b>   |

आधार: महालेखापाल यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र + डिसेंबरपर्यंत

**तक्ता ५.७ प्राप्त सहाय्यक अनुदाने व खर्च**

(₹ कोटी)

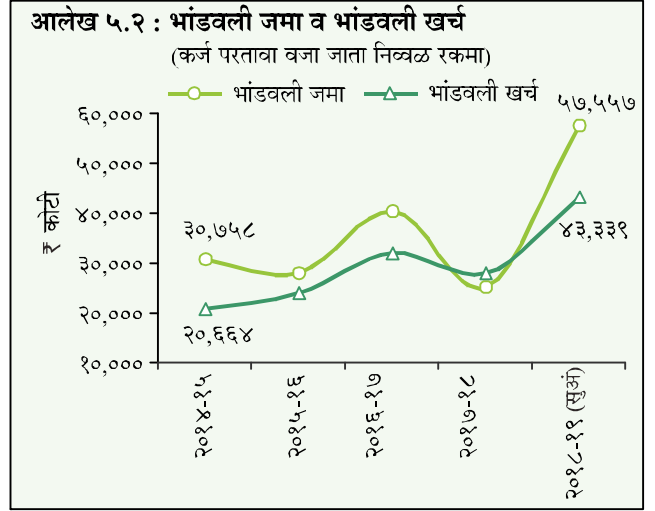
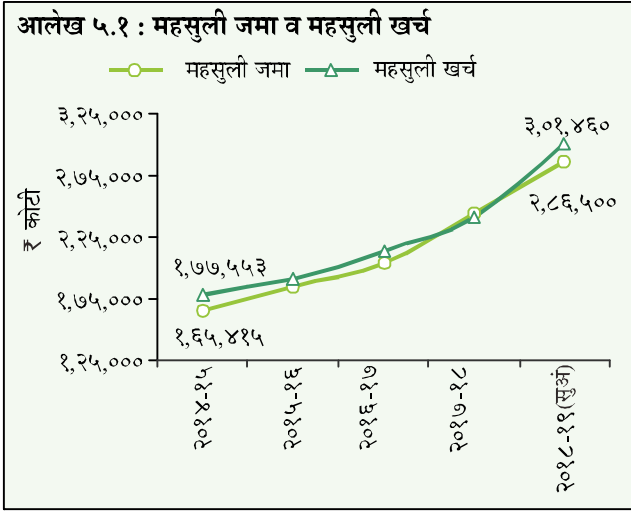
| तपशील                                    | २०१७-१८  |          |          | २०१८-१९  |          |                        |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
|                                          | अपेक्षित | प्राप्त  | खर्च     | अपेक्षित | प्राप्त  | खर्च                   |
| ग्रामीण स्थानिक संस्था                   |          |          |          |          |          |                        |
| अ. मूलभूत अनुदान                         | २,५९७.१० | २,५९७.१० | २,५९७.१० | ३,००४.३७ | ३,००४.३७ | १,५०२.१९ <sup>+</sup>  |
| ब. कामगिरीवर आधारित अनुदान <sup>#</sup>  | ३३३.६६   | ०.००     | ०.००     | ३७८.९१   | ०.००     | ०.००                   |
| नागरी स्थानिक संस्था                     |          |          |          |          |          |                        |
| अ. मूलभूत अनुदान                         | १,९०५.८३ | १,९०५.८३ | १,९०५.८३ | २,२०४.७० | २,२०४.७० | १,१०२.३५ <sup>++</sup> |
| ब. कामगिरीवर आधारित अनुदाने <sup>#</sup> | ५५०.९१   | ०.००     | ०.००     | ६२५.६३   | ०.००     | ०.००                   |

आधार: वित्त विभाग + १५ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ++ २८ नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत # अद्याप अप्राप्त

५.५.१ राज्यास १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्य आपत्ती निवारण निधीकरिता करावयाच्या निधीच्या तरतुदीमध्ये सर्वसाधारण वर्गावरील राज्यांकरिता राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या एकूण आकारमानातील केंद्र व राज्यांच्या हिश्याचे प्रमाण ७५:२५ आहे. राज्यास सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राज्य आपत्ती निवारण निधीतील केंद्राच्या हिश्यापोटी अनुक्रमे ₹ १,२२६.२५ कोटी व ₹ १,२८७.७५ कोटी प्राप्त झाले व ते पूर्णतः खर्च झाले.

**महसुली खर्च**

५.६ विकास खर्चामध्ये सामाजिक, आर्थिक सेवा व स्थानिक संस्था आणि पंचायतराज संस्था यांना सहाय्यक अनुदाने व अंशदाने यावरील खर्चाचा समावेश होतो. सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ (सुअं) मध्ये राज्यातील दरडोई विकास खर्च अनुक्रमे ₹ ११,७९६, ₹ १३,४२० व ₹ १७,३४३ होता. सामाजिक सेवा हा विकास खर्चाचा प्रमुख घटक असून सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये त्याचा हिस्सा ६०.७ टक्के आणि त्याखालोखाल आर्थिक सेवांचा हिस्सा २९.६ टक्के आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये महसुली खर्चामधील विकास



खर्चाचा हिस्सा सुमारे ६५ ते ६७ टक्के होता तर तो सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये ७०.७ टक्के आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवांवरील खर्चात अनुक्रमे ३९.२ टक्के व १६.३ टक्के वाढ झाली. प्रकारानुसार महसुली खर्च तक्ता ५.८ मध्ये दिला आहे.

५.६.१ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये एकूण विकास खर्चातील सामाजिक सेवांमध्ये सर्वसाधारण शिक्षणाचा हिस्सा ४१.० टक्के त्याखालोखाल अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण १२.० टक्के आणि आरोग्य सेवा व सार्वजनिक आरोग्याचा १०.५ टक्के हिस्सा आहे तर आर्थिक सेवांमधील कृषी व संलग्न सेवांचा हिस्सा (३७.२ टक्के) सर्वाधिक आहे.

५.६.२ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये डिसेंबर अखेर राज्याचा एकूण महसुली खर्च ₹ १,६५,१७४ कोटी असून तो सन २०१८-१९ (सुअं) च्या ५४.८ टक्के होता. विकास खर्च ₹ १,०७,६५६ कोटी होता व तो सन २०१८-१९ (सुअं) च्या ५०.५ टक्के होता. एकूण विकास खर्चापैकी सामाजिक सेवांवर झालेला खर्च ₹ ६६,२७३ कोटी असून सन २०१८-१९ (सुअं) च्या ५१.२ टक्के होता.

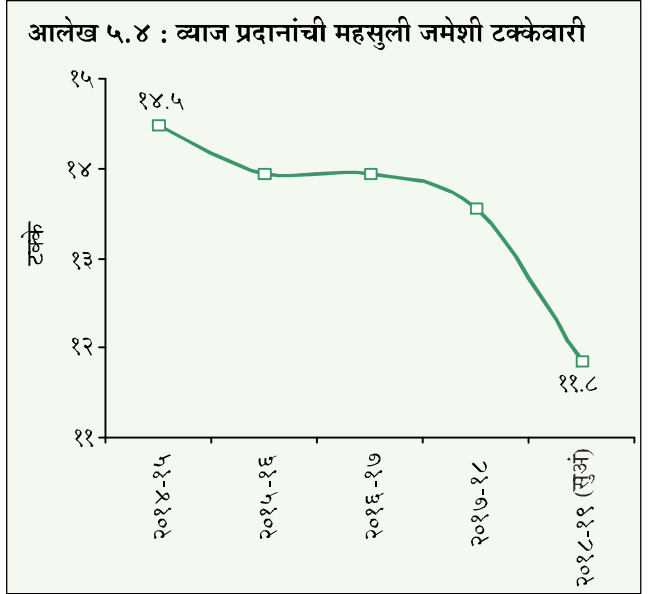
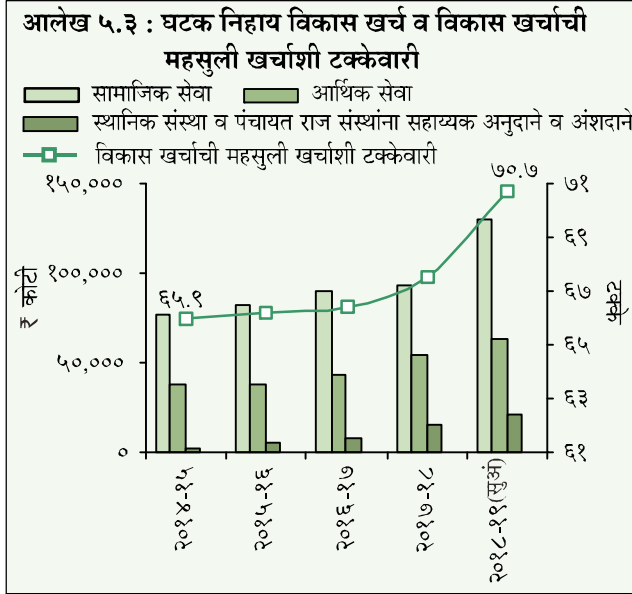
५.६.३ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज प्रदाने यावरील अनिवार्य खर्चाचा महसुली खर्चातील हिस्सा ४९.८ टक्के असून मागील वर्षाच्या तुलनेत तो १३.८ टक्क्यांनी वाढला. व्याज प्रदानांचा महसुली खर्चातील हिस्सा कमी होऊन सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये ११.३ टक्के झाला. घटकनिहाय महसुली खर्च तक्ता ५.९ मध्ये व महसुली खर्चाचा विस्तृत तपशील परिशिष्ट ५.३ मध्ये दिला आहे.

#### तक्ता ५.९ घटकनिहाय महसुली खर्च

| (₹ कोटी)      |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                     |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| वर्ष          | वेतन व मजुरी     | निवृत्ती वेतन    | व्याज            | अर्थसहाय्य       | सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) | इतर              | एकूण महसुली खर्च    |
| २०१४-१५       | ६२,१२३<br>(३५.०) | १७,३८५<br>(९.८)  | २३,९६५<br>(१३.५) | १९,७४३<br>(११.१) | ३२,७३४<br>(१८.४)          | २१,६०३<br>(१२.२) | १,७७,५५३<br>(१००.०) |
| २०१५-१६       | ६८,४५१<br>(३६.०) | १८,६४३<br>(९.८)  | २५,७७१<br>(१३.५) | १७,९८३<br>(९.४)  | ३७,६७८<br>(१९.८)          | २१,८४८<br>(११.५) | १,९०,३७४<br>(१००.०) |
| २०१६-१७       | ७२,०७५<br>(३३.८) | २१,७६०<br>(१०.२) | २८,५३२<br>(१३.४) | २०,९८४<br>(९.८)  | ४३,४१२<br>(२०.४)          | २६,४६६<br>(१२.४) | २,१३,२२९<br>(१००.०) |
| २०१७-१८       | ७५,०८८<br>(३१.१) | २३,८५३<br>(९.९)  | ३३,०१८<br>(१३.७) | ३३,८९४<br>(१४.०) | ५२,६०६<br>(२४.८)          | २३,११२<br>(९.६)  | २,४१,५७९<br>(१००.०) |
| २०१८-१९(सुअं) | ८८,६३०<br>(२९.४) | २७,५६७<br>(९.१)  | ३३,९२९<br>(११.३) | ३२,७८९<br>(१०.९) | ८४,९३४<br>(२८.२)          | ३३,६११<br>(११.१) | ३,०१,४६०<br>(१००.०) |

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

टीप : कंसातील आकडे महसुली खर्चाशी टक्केवारी दर्शवितात



## अर्थसहाय्य

५.७ सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ३३,८९४ कोटी तर सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये ₹ ३२,७८९ कोटी अर्थसहाय्ये दिली आहेत. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये दिलेली प्रमुख अर्थसहाय्ये तक्ता ५.१० मध्ये दिली आहेत.

### तक्ता ५.१० सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये दिलेली प्रमुख अर्थसहाय्ये

(₹ कोटी)

| तपशील                                                                                                                                                                                 | अर्थसहाय्याची रक्कम |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| कृषी व यंत्रमागांसाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित यांना भरपाई                                                                      | ७,७६६               |
| औद्योगिक घटकांसाठी एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम                                                                                                                 | ३,०३५               |
| अन्नधान्य वितरणासाठी आणि अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना व यासारख्या तत्सम योजनांसाठी                                                                                           | १,८७०               |
| प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा हप्ता (राज्य हिस्सा)                                                                                                                         | १,७२४               |
| महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास ज्येष्ठ नागरीक, विद्यार्थी, स्वातंत्र्य सैनिक, इत्यादिसारख्या काही प्रवासी वर्गांना दिलेल्या प्रवास खर्चातील सवलतीमुळे होणा-या तोट्याची भरपाई | १,४८५               |

आधार: वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

५.८ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्र शासन यांच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे महत्वाच्या आर्थिक बाबींनुसार वर्गीकरण करून विश्लेषण केले जाते. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणाद्वारे राज्याच्या अंतिम उपभोग्य बाबींवरील खर्च व भांडवल निर्मिती इत्यादिमध्ये होणारे बदल मापनास मदत होते. शासनाचा अंतिम उपभोग्य बाबींवरील खर्च व भांडवल निर्मितीचा तपशील परिशिष्ट ५.५ मध्ये दिला आहे.

## भांडवली जमा आणि भांडवली खर्च

५.९ भांडवली जमेचे कर्जाची वसुली, इतर जमा जसे आंतर राज्यीय तडजोड, आकस्मिकता निधी व त्यामधून केलेले विनियोजन, इत्यादी आणि कर्जे व इतर दायित्वे हे भाग आहेत. कर्जे व इतर दायित्वे हे (i) राज्याचे अंतर्गत ऋण, (ii) केंद्र शासनाकडील कर्जे व आगाऊ रकमा आणि (iii) लोकलेख्याच्या निव्वळ जमा रकमा यांच्या निव्वळ रकमा आहेत. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये निव्वळ भांडवली जमेमध्ये कर्जे व इतर दायित्वे यांचा ९६ टक्के हिस्सा आहे. एकूण भांडवली जमेमध्ये अंतर्गत ऋणाचा हिस्सा ३८.६ टक्के आहे.

५.१० सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये एकूण खर्चामधील भांडवली खर्चाचा हिस्सा १९.२ टक्के आहे. भांडवली जमा व भांडवली खर्च तक्ता ५.११ मध्ये दिले आहेत.

## तक्ता ५.११ भांडवली जमा व भांडवली खर्च

(₹ कोटी)

| वर्ष           | भांडवली जमा |                     | भांडवली खर्च |              |                     |
|----------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                | एकूण        | त्यापैकी अंतर्गत ऋण | एकूण         | त्यापैकी     |                     |
|                |             |                     |              | भांडवली लेखे | सरकारी ऋणाची परतफेड |
| २०१४-१५        | ४५,९३९      | ३५,१८४              | ४०,१९५       | १९,५२३       | १९,५३१              |
| २०१५-१६        | ३८,२३३      | ३७,३९२              | ३४,९१३       | २२,७९३       | ११,००५              |
| २०१६-१७        | ५२,३००      | ४७,७१०              | ४३,६९३       | २५,५२९       | ११,८८७              |
| २०१७-१८        | ४२,४५८      | ४९,५०२              | ४५,१९८       | २६,८४२       | १७,३७६              |
| २०१८-१९ (सुअं) | ८५,९९२      | ३३,१९०              | ७१,७७५       | ४१,५७३       | २८,४३६              |

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

टीप : आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरजा जुळतीलच असे नाही

## तुटीचे कल

५.११ राज्याने राजकोषीय तुटीची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेली टक्केवारी १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार निश्चित केलेल्या मर्यादेत राखली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीकरिता राज्यांसाठी एकत्रित वित्तीय सुधारणा अंतर्गत निश्चित केलेल्या वित्तीय मर्यादा तक्ता ५.१२ मध्ये दिल्या आहेत.

५.११.१ सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये राजकोषीय तुटीची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी (पायाभूत वर्ष २०११-१२) असलेली टक्केवारी २.१ टक्के आणि राजकोषीय व्यवस्थापनाकरिता सन २०१८-१९(अं) करिता स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेली टक्केवारी १.८१ टक्के हे १४ व्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.७ टक्के या वित्तीय मर्यादेत आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये राज्याची वित्तीय तूट १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत राहिली आहे. अशा प्रकारे वित्त आयोगांनी एकत्रित वित्तीय सुधारणा अंतर्गत निश्चित केलेल्या मर्यादेखाली राहणे राज्याकरीता लाभदायक आहे. निवडक राज्यांकरीता तुटीचे निर्देशक तक्ता ५.१३ मध्ये दिले आहेत.

## ऋणस्थिती

५.१२ राज्याच्या दायित्वांमध्ये (ऋणभार) परतावा न केलेले संचित कर्जे व इतर दायित्वे यांचा समावेश होतो. सन २०१८-१९ (सुअं) नुसार ऋणभार ₹ ४,१४,४११ कोटी असून त्याचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १५.६ टक्के आहे व ते १४ व्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत (२२.३ टक्के) आहे. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये कर्जाचा सरासरी दर ८.४ टक्के आहे. ऋणभार व व्याज प्रदाने तक्ता ५.१४ मध्ये दिली आहेत.

५.१२.१ सन २०१८-१९ (सुअं) नुसार राज्याचे एकूण देशांतर्गत ऋण ₹ ३,३३,०२३ कोटी पर्यंत झाले असून (ऋणभाराच्या ८०.४ टक्के), त्यापैकी खुल्या बाजारातील कर्जे ₹ २,६०,५७७ कोटी आहेत. सन २०१८-१९ (सुअं) मध्ये देशांतर्गत ऋण ₹ ३३,१९० कोटी असून त्यापैकी खुल्या बाजारातील कर्जे ₹ २५,००० कोटी (७५.३ टक्के) आहेत.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## तक्ता ५.१२ राज्यांसाठी एकत्रित वित्तीय सुधारणा अंतर्गत निश्चित केलेल्या मर्यादा

(स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी<sup>१</sup>)

| वर्ष    | राजकोषीय मर्यादा |       |
|---------|------------------|-------|
|         | राजकोषीय तूट     | ऋणभार |
| २०१५-१६ | २.८              | २१.९  |
| २०१६-१७ | २.८              | २२.१  |
| २०१७-१८ | २.८              | २२.२  |
| २०१८-१९ | २.७              | २२.३  |
| २०१९-२० | २.७              | २२.४  |

\$ पायाभूत वर्ष २००४-०५ च्या चालू किंमतीनुसार

आधार : १४ वा वित्त आयोग, भारत सरकार

## तक्ता ५.१३ निवडक राज्यांकरीता तुटीचे निर्देशक

स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (२०१७-१८(सुअं))

| राज्य                          | महसुली तूट | राजकोषीय तूट | प्राथमिक तूट |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| आंध्र प्रदेश                   | ०.५        | ३.४          | १.६          |
| गुजरात                         | (-)०.५     | १.७          | ०.२          |
| कर्नाटक                        | ०.०        | २.८          | १.७          |
| केरळ                           | १.९        | ३.४          | १.४          |
| मध्य प्रदेश                    | (-)०.१     | ३.४          | १.७          |
| <b>महाराष्ट्र</b>              | <b>०.६</b> | <b>१.८</b>   | <b>०.५</b>   |
| राजस्थान                       | २.४        | ३.५          | १.१          |
| तेलंगणा                        | (-)०.२     | ३.२          | १.७          |
| उत्तर प्रदेश                   | (-)१.४     | ३.१          | ०.८          |
| <b>सर्व राज्ये<sup>#</sup></b> | <b>०.४</b> | <b>३.१</b>   | <b>१.३</b>   |

आधार : भारतीय रिझर्व बँक

# देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाशी टक्केवारी

## तक्ता ५.१४ ऋणभार व व्याज प्रदाने

(₹ कोटी)

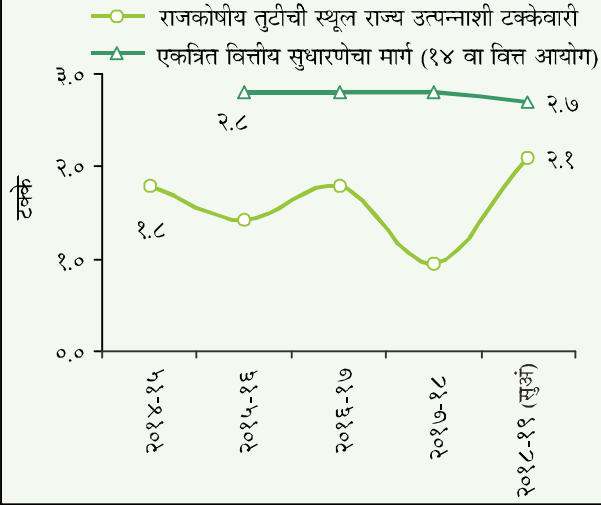
| वर्ष           | ऋणभार    | व्याज प्रदाने | कर्जाचे सरासरी दर <sup>१</sup><br>(टक्के) |
|----------------|----------|---------------|-------------------------------------------|
| २०१४-१५        | २,९४,२६१ | २३,९६५        | ८.९                                       |
| २०१५-१६        | ३,२४,२०२ | २५,७७१        | ८.८                                       |
| २०१६-१७        | ३,६४,८१९ | २८,५३२        | ८.८                                       |
| २०१७-१८        | ४,०२,४२१ | ३३,०१८        | ९.१                                       |
| २०१८-१९ (सुअं) | ४,१४,४११ | ३३,९२९        | ८.४                                       |

\$ कर्जाचे सरासरी दर हे त्या वर्षातील व्याज प्रदानाचे त्या अगोदरच्या वर्षातील एकूण ऋणभाराशी असलेली टक्केवारी होय.

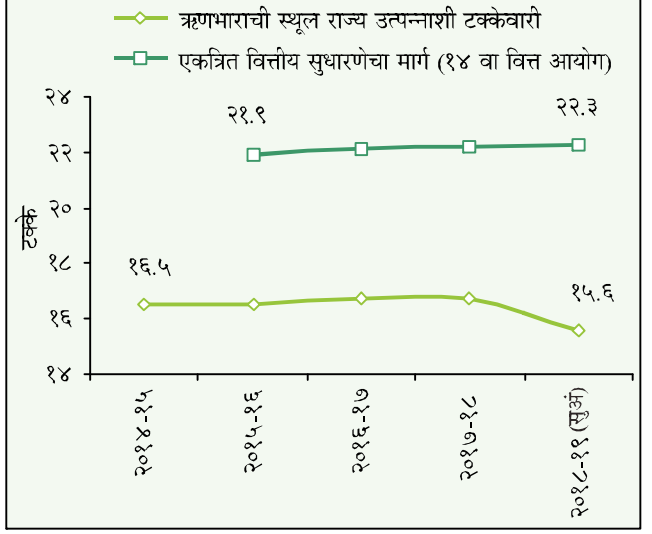
आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन



**आलेख ५.५ : राजकोषीय तुटीची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी**



**आलेख ५.६ : ऋणभाराची स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी**



## विकास कार्यक्रम २०१९-२०

५.१३ विकास कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक कार्यक्रम २०१९-२० करिता प्रस्तावित निधी ₹ ९९,००० कोटी असून तो वार्षिक कार्यक्रम २०१८-१९ पेक्षा ४.२ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यापैकी, ₹ १३,९७७ कोटी निधी जिल्हा कार्यक्रमांकरिता प्रस्तावित आहे. सन २०१८-१९ मध्ये सामाजिक व सामूहिक सेवांवर सर्वाधिक खर्च (एकूण खर्चाच्या ३७.२ टक्के) अपेक्षित आहे. क्षेत्रनिहाय वार्षिक कार्यक्रमावरील खर्च तक्ता ५.१५ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ५.१५ क्षेत्रनिहाय वार्षिक कार्यक्रमावरील खर्च**

(₹ कोटी)

| क्षेत्र                        | २०१७-१८       | २०१८-१९ <sup>#</sup> | २०१९-२०         |              |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|
|                                |               |                      | प्रस्तावित निधी | टक्केवारी    |
| कृषि व संलग्न कार्ये           | २३,००२        | १९,४७२               | ९,५६९           | ९.७          |
| ग्रामविकास                     | २,६९१         | ४,९८५                | ३,६८०           | ३.७          |
| विशेष क्षेत्र विकास            | ६१            | १४१                  | १५१             | ०.२          |
| पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण      | ८,७५१         | ८,७७०                | ९,५६६           | ९.७          |
| ऊर्जा                          | १२,८२५        | १४,६६९               | ८,२१९           | ८.३          |
| उद्योग व खनिजे                 | ३१९           | ९०५                  | ५०९             | ०.५          |
| परिवहन                         | ७,८०७         | १२,६६६               | १४,१७१          | १४.३         |
| दळणवळण                         | ०             | ०                    | ५               | ०.०          |
| विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण | ३५            | १४५                  | २०३             | ०.२          |
| सर्वसाधारण आर्थिक सेवा         | ७३६           | ९९०                  | ९५४             | १.०          |
| सामाजिक व सामूहिक सेवा         | २२,२५३        | ३७,९२९               | ३८,०५४          | ३८.४         |
| सर्वसाधारण सेवा                | २,२७६         | ३,७९४                | ५,१९०           | ५.२          |
| इतर कार्यक्रम                  | ३,३२१         | ३,४८५                | ८,७२९           | ८.८          |
| <b>एकूण</b>                    | <b>८४,०७७</b> | <b>१,०७,९५१</b>      | <b>९९,०००</b>   | <b>१००.०</b> |

आधार: वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

<sup>#</sup> अपेक्षित

## शासनाने दिलेल्या हमी

५.१४ सन २०१६-१७ अखेर राज्याने दिलेल्या हमीची अदत्त रक्कम ₹ ७,३०६ कोटी (एकूण महसुली जमेच्या ३.६ टक्के) असून ती सन २०१५-१६ अखेर ₹ ७,७७७ कोटी होती. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास सर्वाधिक अदत्त हमी (६२.२ टक्के) असून त्या खालोखाल सार्वजनिक बांधकाम विभागास १६.४ टक्के आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास ७.१ टक्के देण्यात आली आहे. सन २०१६-१७ मध्ये शासनाने दिलेल्या हमी तक्ता ५.१६ मध्ये दिल्या आहेत.

### तक्ता ५.१६ सन २०१६-१७ मध्ये शासनाने दिलेल्या हमी

(₹ कोटी)

| विभागाचे नाव                   | वर्षाच्या<br>प्रारंभीची<br>अदत्त रक्कम<br>(अ) | अतिरिक्त हमी    |                                                                                                                                | वर्षात<br>वगळलेल्या<br>रकमा<br>(मागणी केलेल्या<br>रकमां<br>व्यतिरिक्त)<br>(ड) | वर्षात<br>आवाहनीत<br>व दिलेल्या<br>रकमा<br>(ई) | वर्षाअखेरीस<br>अदत्त<br>असलेल्या<br>रकमा<br>(अ)+(ब)-<br>(क)-(ड)-(ई) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                |                                               | वर्षभरात (ब)    | टोक हमी देण्यात<br>आल्यामुळे वर्षामध्ये<br>प्राप्त झालेल्या कर्जाच्या<br>रकमा व सुधारित व्याज<br>दरामुळे बदललेल्या<br>रकमा (क) |                                                                               |                                                |                                                                     |
| सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य   | ४८७.००                                        | ०.००            | ७.५०                                                                                                                           | २४.३९                                                                         | ०.००                                           | ४७०.११                                                              |
| नगरविकास                       | १९८.१९                                        | ०.००            | ३०.००                                                                                                                          | ३२.४६                                                                         | ०.००                                           | १९५.७३                                                              |
| उद्योग, ऊर्जा व कामगार (ऊर्जा) | ३७२.०६                                        | ०.००            | ०.००                                                                                                                           | १५३.६९                                                                        | ०.००                                           | २१८.३७                                                              |
| सार्वजनिक बांधकाम              | १,२०४.६२                                      | ०.००            | ०.००                                                                                                                           | ३.१९                                                                          | ०.००                                           | १,२०१.४३                                                            |
| आदिवासी विकास                  | ३१.९६                                         | ०.००            | १.०७                                                                                                                           | ०.९३                                                                          | ०.००                                           | ३२.१०                                                               |
| सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग      | ४,२७०.७९                                      | १,००५.००        | ३०७.४२                                                                                                                         | १०३९.२०                                                                       | ०.००                                           | ४,५४४.०१                                                            |
| पाणी पुरवठा व स्वच्छता         | ५५१.००                                        | ०.००            | ०.००                                                                                                                           | २९.०४                                                                         | ०.००                                           | ५२१.९६                                                              |
| अल्पसंख्यांक विकास             | ३८.००                                         | ०.००            | ५.२८                                                                                                                           | ५.२०                                                                          | ०.००                                           | ३८.०८                                                               |
| नियोजन                         | ६२२.९५                                        | ०.००            | ०.००                                                                                                                           | ५३८.९७                                                                        | ०.००                                           | ८३.९८                                                               |
| <b>एकूण</b>                    | <b>७,७७६.५७</b>                               | <b>१,००५.००</b> | <b>३५१.२७</b>                                                                                                                  | <b>१,८२७.०७</b>                                                               | <b>०.००</b>                                    | <b>७,३०५.७७</b>                                                     |

आधार : वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

\* \* \* \* \*



**परिशिष्ट ५.१**  
**दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प**

(₹ कोटी)

| बाब<br>(१)                                      | २०१२-१३<br>(२) | २०१३-१४<br>(३) | २०१४-१५<br>(४) | २०१५-१६<br>(५) | २०१६-१७<br>(६) | २०१७-१८<br>(७) | २०१८-१९#<br>(८) |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| १. महसुली जमा (अ + ब)                           | १,४२,९४७       | १,४९,८२२       | १,६५,४१५       | १,८५,०३६       | २,०४,६९३       | २,४३,६५४       | २,८६,५००        |
| अ) कर महसूल                                     | १,१८,६४०       | १,२५,२२८       | १,३२,६९४       | १,५४,७१४       | १,७०,३३१       | २,०५,१५१       | २,३०,९८२        |
| ब) करेतर महसूल                                  | २४,३०७         | २४,५९३         | ३२,७२२         | ३०,३२२         | ३४,३६२         | ३८,५०३         | ५५,५१८          |
| २. महसूली खर्च त्यापैकी                         | १,३८,७३६       | १,५४,९०२       | १,७७,५५३       | १,९०,३७४       | २,१३,२२९       | २,४१,५७१       | ३,०१,४६०        |
| अ) व्याज प्रदाने                                | १९,०७६         | २१,२०७         | २३,९६५         | २५,७७१         | २८,५३२         | ३३,०१८         | ३३,९२९          |
| ब) प्रशासकीय सेवा                               | १२,४७२         | १४,००८         | १५,०८६         | १६,६२८         | १८,५४४         | १८,९२२         | २३,१५५          |
| क) निवृत्ती वेतन आणि<br>संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | ११,६४९         | १३,१६३         | १४,४०७         | १५,४६८         | १६,९९९         | १८,७१६         | २१,१२३          |
| ३. महसूली तूट (२ - १)                           | (-) ४,२११      | ५,०८१          | १२,१३७         | ५,३३८          | ८,५३६          | (-) २,०८२      | १४,९६०          |
| ४. भांडवली जमा त्यापैकी                         | २१,८४२         | ३८,९२८         | ४५,९३९         | ३८,२३३         | ५२,३००         | ४२,४५८         | ८५,९९२          |
| अ) कर्जाची वसुली                                | ८६३            | ७२८            | ९७५            | ८६५            | १,७४६          | १,७७८          | २,२४६           |
| ब) इतर भांडवली जमा                              | ०              | ८५०            | १०             | १७             | ०              | ०              | ०               |
| क) कर्जे व इतर दायित्वे                         | १३,९३५         | २६,७८५         | २९,७८३         | २७,३०८         | ३८,६६७         | २३,३०४         | ५५,३११          |
| ५. भांडवली खर्च                                 | २६,७३३         | ३३,०८०         | ४०,१९५         | ३४,९१३         | ४३,६९३         | ४५,१९८         | ७१,७७५          |
| ६. एकूण जमा (१ + ४)                             | १,६४,७८९       | १,८८,७४९       | २,११,३५५       | २,२३,२६८       | २,५६,९९३       | २,८६,१११       | ३,७२,४९२        |
| ७. एकूण खर्च (२ + ५)                            | १,६५,४६९       | १,८७,९८२       | २,१७,७४८       | २,२५,२८७       | २,५६,९२२       | २,८६,७६९       | ३,७३,२३५        |
| ८. आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन                   | ८७५            | ०              | ४,३५०          | ९६२            | ०              | ०              | ०               |
| ९. अर्थसंकल्पीय तूट (७ - ६ - ८)                 | (-) १९५        | (-) ७६७        | २,०४३          | १,०५७          | (-) ७१         | ६५७            | ७४३             |
| १०. राजकोषीय तूट (९ + ४ क)                      | १३,७४०         | २६,०१८         | ३१,८२७         | २८,३६४         | ३८,५९६         | २३,९६१         | ५६,०५३          |
| ११. प्राथमिक तूट (१०-२(अ))                      | (-) ५,३३६      | ४,८११          | ७,८६२          | २,६१०          | १०,०६४         | (-) ९,०५७      | २२,१२४          |

**स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी (पायाभूत वर्ष २०११-१२)**

|                                                 |         |      |      |      |      |         |      |
|-------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|---------|------|
| १. महसूली जमा (अ + ब)                           | ९.८     | ९.१  | ९.३  | ९.४  | ९.४  | १०.१    | १०.८ |
| अ) कर महसूल                                     | ८.१     | ७.६  | ७.५  | ७.९  | ७.८  | ८.५     | ८.७  |
| ब) करेतर महसूल                                  | १.७     | १.५  | १.८  | १.५  | १.६  | १.६     | २.१  |
| २. महसूली खर्च त्यापैकी                         | ९.५     | ९.४  | १०.० | ९.७  | ९.७  | १०.०    | ११.३ |
| अ) व्याज प्रदाने                                | १.३     | १.३  | १.३  | १.३  | १.३  | १.४     | १.३  |
| ब) प्रशासकीय सेवा                               | ०.९     | ०.८  | ०.८  | ०.८  | ०.८  | ०.८     | ०.९  |
| क) निवृत्ती वेतन आणि<br>संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | ०.८     | ०.८  | ०.८  | ०.८  | ०.८  | ०.८     | ०.८  |
| ३. महसूली तूट (२ - १)                           | (-) ०.३ | ०.३  | ०.७  | ०.३  | ०.४  | (-) ०.१ | ०.६  |
| ४. भांडवली जमा त्यापैकी                         | १.५     | २.४  | २.६  | १.९  | २.४  | १.८     | ३.२  |
| अ) कर्जाची वसुली                                | ०.१     | ०.०  | ०.१  | ०.०  | ०.१  | ०.१     | ०.१  |
| ब) इतर भांडवली जमा                              | ०.०     | ०.२  | ०.०  | ०.०  | ०.०  | ०.०     | ०.०  |
| क) कर्जे व इतर दायित्वे                         | १.०     | १.६  | १.७  | १.४  | १.८  | १.०     | २.१  |
| ५. भांडवली खर्च                                 | १.८     | २.०  | २.३  | १.८  | २.०  | १.९     | २.७  |
| ६. एकूण जमा (१ + ४)                             | ११.३    | ११.४ | ११.९ | ११.४ | ११.७ | ११.९    | १४.० |
| ७. एकूण खर्च (२ + ५)                            | ११.३    | ११.४ | १२.२ | ११.५ | ११.७ | ११.९    | १४.० |
| ८. आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन                   | ०.१     | ०.०  | ०.२  | ०.०  | ०.०  | ०.०     | ०.०  |
| ९. अर्थसंकल्पीय तूट (७ - ६ - ८)                 | ०.०     | ०.०  | ०.१  | ०.१  | ०.०  | ०.०     | ०.०  |
| १०. वित्तीय तूट (९ + ४ क)                       | ०.९     | १.६  | १.८  | १.४  | १.८  | १.०     | २.१  |
| ११. प्राथमिक तूट (१०-२(अ))                      | (-) ०.४ | ०.३  | ०.४  | ०.१  | ०.५  | (-) ०.४ | ०.८  |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

# सुधारित अंदाज

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट ५.२

## अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील जमेतील कल

(₹ कोटी)

| बाब<br>(१)                                     | २०१२-१३<br>(२) | २०१३-१४<br>(३) | २०१४-१५<br>(४) | २०१५-१६<br>(५) | २०१६-१७<br>(६) | २०१७-१८<br>(७) | २०१८-१९ <sup>#</sup><br>(८) |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| (अ) एकूण महसुली जमा (१ + २ + ३ + ४)            | १,४२,९४७       | १,४९,८२२       | १,६५,४१५       | १,८५,०३६       | २,०४,६९३       | २,४३,६५४       | २८६,५००                     |
| (१) राज्याचा स्वतःचा कर महसूल (१ ते ९) -       | १,०३,४४८       | १,०८,६४१       | १,१५,०९०       | १,२६,६२८       | १,३६,६१६       | १,६७,९४८       | १८८,९३१                     |
| (१) विक्रीकर                                   | ६०,०८०         | ६२,५३०         | ६७,४६६         | ६९,६६१         | ८१,१७४         | ५४,८९४         | ३५,३०१                      |
| (२) राज्य वस्तु व सेवा कर                      |                |                |                |                | --             | ५०,०६३         | ९०,१४०                      |
| (३) मुद्रांक व नोंदणी शुल्क                    | १७,५४८         | १८,६७६         | १९,९५९         | २१,७६७         | २१,०१२         | २६,४४२         | २५,०००                      |
| (४) राज्य उत्पादन शुल्क                        | ९,२९७          | १०,१०१         | ११,३९७         | १२,४७०         | १२,२८८         | १३,४५०         | १५,३४३                      |
| (५) विजेवरील कर व शुल्क                        | ५,८९६          | ६,०८४          | ४,३५०          | ८,५०६          | ६,६७०          | ७,३४५          | ८,७००                       |
| (६) उत्पन्न व खर्च यावरील इतर कर               | १,९६१          | २,१६५          | २,१७५          | २,१९३          | २,३१२          | २,२०५          | २,२००                       |
| (७) वाहनांवरील कर                              | ५,०२७          | ५,०९६          | ५,४०५          | ६,०१७          | ६,७४१          | ८,६६५          | ७,९९९                       |
| (८) विक्रेय वस्तु व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क | १,८७४          | १,६५९          | २,४७८          | २,६८४          | २,७४३          | १,५९०          | १,३१५                       |
| (९) माल व प्रवासी कर                           | ६९१            | १,२४१          | ५८७            | १,५८२          | १,८७७          | ९८४            | १,४३२                       |
| (१०) जमीन महसूल                                | १,०७४          | १,०८९          | १,२७२          | १,७४८          | १,७९९          | २,३१०          | १,५००                       |
| (२) करेतर महसूल (१ + २) -                      | ९,९८५          | ११,३५२         | १२,५८०         | १३,४२३         | १२,७०९         | १६,६८०         | १७,०५०                      |
| (१) व्याजाच्या जमा रकमा                        | २,४६५          | ३,९३४          | ३,३५१          | ३,०७९          | ३,२५९          | ४,१६३          | २,९०१                       |
| (२) इतर करेतर महसूल                            | ७,५२०          | ७,४१८          | ९,२२९          | १०,३४४         | ९,४५०          | १२,५१७         | १४,१४९                      |
| (३) केंद्रिय करांतील हिस्सा (१ ते ६) -         | १५,१९२         | १६,५८८         | १७,६०४         | २८,०८६         | ३३,७१५         | ३७,२०३         | ४२,०५०                      |
| (१) निगम करांव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावरील कर    | ३,२६७          | ३,६७३          | ४,३९०          | ६,१४५          | ७,४९९          | ९,६१६          | १०,८०३                      |
| (२) निगम कर                                    | ५,४५७          | ५,५७८          | ६,१४७          | ८,८३५          | १०,७९०         | ११,३८८         | १४,६९२                      |
| (३) संपत्ती कर                                 | ९              | १५             | १७             | २              | २५             | ०              | ०                           |
| (४) जकात                                       | २,५२५          | २,७०६          | २,८४७          | ४,४८७          | ४,६४२          | ३,७५३          | २,६०९                       |
| (५) केंद्रिय उत्पादन शुल्क                     | १,७१६          | १,९११          | १,६०८          | ३,७३०          | ५,३००          | ३,९२३          | २,०८३                       |
| (६) सेवा कर                                    | २,२१८          | २,७०३          | २,५९६          | ४,८८७          | ५,४५९          | ४,२४७          | २०६                         |
| (७) केंद्रिय वस्तु व सेवा कर                   |                |                |                |                | --             | ५२२            | ११,६५७                      |
| (८) एकात्मिक वस्तु व सेवा कर                   |                |                |                |                | --             | ३,७५४          | ०                           |
| (४) केंद्र शासनाकडून सहायक अनुदाने             | १४,३२२         | १३,२४१         | २०,१४१         | १६,८९९         | २१,६५३         | २१,८२३         | ३८,४६८                      |
| (ब) एकूण भांडवली जमा (१ + २ + ३ + ४)           | २१,८४२         | ३८,९२८         | ४५,९३९         | ३८,२३३         | ५२,३००         | ४२,४५८         | ८५,९९२                      |
| (१) सरकारी ऋण लेख्यांकडून जमा (अ + ब) -        | २२,११७         | २७,८८७         | ३५,७२६         | ३७,९७६         | ४८,३३६         | ४९,६६९         | ३४,०६३                      |
| (अ) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण                | २१,३६६         | २६,९२३         | ३५,१८४         | ३७,३९२         | ४७,७१०         | ४९,५०२         | ३३,१९०                      |
| (ब) केंद्र सरकारकडून कर्जे व आगाऊ रकमा         | ७५१            | ९६४            | ५४२            | ५८४            | ६२७            | १६८            | ८७३                         |
| (२) राज्य शासनाकडून कर्जे व आगाऊ रकमा (वसुली)  | ८६३            | ७२८            | ९७५            | ८६५            | १,७४६          | १,७७८          | २,२४६                       |
| (३) इतर भांडवली जमा (निव्वळ) <sup>‡</sup>      | (-) १०         | ८५०            | १०             | १७             | ०              | ०              | ०                           |
| (४) लोक लेखा (निव्वळ) (अ + ब + क + ड)          | (-) १,१२८      | ९,४६३          | ९,२२८          | (-) ६२६        | २,११८          | (-) ८,९९०      | ४९,६८३                      |
| (अ) अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी इ.(निव्वळ)    | २,१८८          | १,८९४          | १,२६०          | १,२०९          | १,१२४          | ५४७            | ९५७                         |
| (ब) राखीव निधी (निव्वळ) (१ + २)                | ३८             | (-) ३८१        | (-) २७५        | (-) ३२१        | १०२            | (-) १९४        | ३,१२५                       |
| (१) व्याजी                                     | (-) १४१        | (-) ८०         | (-) ४३         | ९              | ३०२            | ४५             | ३,०७७                       |
| (२) बिनव्याजी                                  | १७९            | (-) ३०१        | (-) २३२        | (-) ३३०        | (-) २००        | (-) २३९        | ४९                          |
| (क) नागरी ठेवी (निव्वळ) (१ + २)                | ६,४४२          | ६,७७२          | ४,४११          | २,७७३          | ६,८४०          | ३,९३०          | ४,६६४                       |
| (१) व्याजी                                     | ४,२६४          | ४,५९०          | ३,३६१          | १,२५१          | ३,२४०          | ४,७१७          | २,३२९                       |
| (२) बिनव्याजी                                  | २,१७८          | २,१८२          | १,०५०          | १,५२२          | ३,६००          | (-) ७८७        | २,३३५                       |
| (ड) इतर                                        | (-) ९,७९५      | १,१७८          | ३,८३२          | (-) ४,२८७      | (-) ५,८४९      | (-) १३,२७२     | ४०,९३७                      |
| एकूण जमा (अ + ब)                               | १,६४,७८९       | १,८८,७४९       | २,११,३५४       | २,२३,२६८       | २,५६,९९३       | २,८६,१११       | ३,७२,४९२                    |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

# सुधारित अंदाज

‡ यात आंतरराष्ट्रीय तडजोड (निव्वळ), आकस्मिकता निधीमध्ये केलेले विनियोजन (निव्वळ) आणि आकस्मिकता निधी (निव्वळ) यांचा समावेश आहे.

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट ५.३

## अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेख्यांवरील खर्चाचे कल

(₹ कोटी)

| बाब<br>(१)                                                               | २०१२-१३<br>(२) | २०१३-१४<br>(३) | २०१४-१५<br>(४) | २०१५-१६<br>(५) | २०१६-१७<br>(६) | २०१७-१८<br>(७) | २०१८-१९#<br>(८) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| (अ) महसुली खर्च (१ + २)                                                  | १,३८,७३६       | १,५४,९०२       | १,७७,५५३       | १,९०,३७४       | २,१३,२२९       | २,४१,५७१       | ३,०१,४६०        |
| (१) विकास खर्च (अ + ब + क)                                               | ११,०७०         | १,००,९२३       | १,१७,०६७       | १,२६,००४       | १,४१,६१९       | १,६३,०३६       | २,१३,२०१        |
| (अ) सामाजिक सेवा (१ ते ८)                                                | ६२,०३९         | ७०,८७९         | ७६,९५३         | ८२,३१७         | ९०,२८२         | ९३,०५४         | १,२९,४९९        |
| (१) शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती                                       | ३३,८५७         | ३८,२३८         | ३९,६९६         | ४२,८६७         | ४५,३५८         | ४८,४७६         | ५६,४१९          |
| (२) आरोग्य व कुटुंब कल्याण                                               | ५,९३६          | ६,८१६          | ८,४९७          | ९,३५७          | १०,१२१         | ११,६०५         | १४,५८२          |
| (३) पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गृहनिर्माण व नगरविकास                          | ७,११४          | ६,९५२          | ७,४२९          | ९,५७३          | १४,८६८         | १२,२१४         | २१,५४२          |
| (४) माहिती व प्रसारण                                                     | ५७             | ६८             | १२२            | ८३             | ९४             | ७२             | १६७             |
| (५) अ.जा., अ.ज. व इ.मा.व. यांचे कल्याण                                   | ६,४१७          | ७,९५१          | ८,०९७          | ८,२३७          | ९,१८७          | १२,४३९         | १५,४९२          |
| (६) कामगार व कामगार कल्याण                                               | ७३०            | ७६७            | ८९५            | ७०९            | ८४५            | ८३४            | १,२१६           |
| (७) समाज कल्याण व पोषण                                                   | ७,८५४          | ९,९९६          | १२,११२         | ११,४०७         | ९,७०७          | ७,२९१          | १९,८९५          |
| (८) इतर                                                                  | ७४             | ९२             | १०५            | ८२             | १०२            | १२३            | १८७             |
| (ब) आर्थिक सेवा (१ ते ९)                                                 | २७,५५१         | २७,९९१         | ३७,६८६         | ३८,०५२         | ४३,८४३         | ५४,१८९         | ६३,०४०          |
| (१) कृषि व संलग्न सेवा                                                   | ७,२१८          | ७,८२१          | ८,५६७          | ९,६६०          | १३,२४५         | २६,१३०         | २३,४६८          |
| (२) ग्राम विकास                                                          | ४,३९९          | ३,१३०          | ६,१७२          | ५,६०९          | ७,०१८          | ६,५८९          | १३,२७२          |
| (३) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम                                              | ४८             | ३३             | ३३             | १              | (-) १          | १              | १               |
| (४) पाटबंधारे व पूर नियंत्रण                                             | २,५७४          | २,७४२          | २,४८७          | २,७५८          | २,५४४          | २,१५९          | १,८८०           |
| (५) ऊर्जा                                                                | ५,४७१          | ५,७२६          | १०,८९१         | ९,४०४          | ९,६११          | ८,९४६          | ११,६५५          |
| (६) उद्योग व खनिजे                                                       | २,६००          | २,५४९          | २,८९४          | ३,२७९          | ३,१०२          | २,४३९          | ३,५६१           |
| (७) वाहतूक आणि दळणवळण                                                    | ४,२१६          | ४,७२९          | ५,५५६          | ५,५४१          | ६,१०६          | ५,४६१          | ६,०५३           |
| (८) विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण                                       | ७२             | ८४             | ७७             | ९७             | २३७            | २२५            | ३००             |
| (९) सर्वसाधारण आर्थिक सेवा                                               | ९५२            | १,१७७          | १,००९          | १,७०३          | १,९८०          | २,२४१          | २,८५०           |
| (क) स्थानिक संस्था आणि पंचायत राज्य संस्था यांना सहायक अनुदाने व अंशदाने | १,४८१          | २,०५३          | २,४२८          | ५,६३५          | ७,४९५          | १५,७९३         | २०,६६२          |
| (२) विकासेतर खर्च (अ + ब)                                                | ४७,६६६         | ५३,९७९         | ६०,४८६         | ६४,३७०         | ७१,६१०         | ७८,५३५         | ८८,२५९          |
| (अ) सर्वसाधारण सेवा (१ ते ५)                                             | २७,३४६         | ३१,१८०         | ३४,६३१         | ३६,३७८         | ४०,४७८         | ४२,४१६         | ५०,५३०          |
| (१) राज्यांची अंगे                                                       | १,२६६          | १,४३५          | २,३३४          | १,८५९          | १,८६५          | १,९९४          | २,६५७           |
| (२) करवसुली खर्च                                                         | १,८५३          | २,३७१          | २,५९०          | २,४२४          | ३,०७०          | २,७८४          | ३,५९४           |
| (३) प्रशासकीय सेवा                                                       | १२,४७२         | १४,००८         | १५,०८६         | १६,६२८         | १८,५४४         | १८,९२२         | २३,१५५          |
| (४) निवृत्ती वेतन आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा                            | ११,६४९         | १३,१६३         | १४,४०७         | १५,४६८         | १६,९९९         | १८,७२६         | २१,१२३          |
| (५) राखीव निधीकडे हस्तांतरण                                              | १०६            | २०४            | २१४            | ०              | ०              | ०              | ०               |
| (ब) व्याज प्रदाने व ऋण सेवा                                              | २०,३२०         | २२,७९९         | २५,८५५         | २७,९९१         | ३१,१३२         | ३६,११८         | ३७,७२९          |
| (ब) भांडवली खर्च (१ + २)                                                 | २६,७३३         | ३३,०८०         | ४०,१९४         | ३४,९१३         | ४३,६९३         | ४५,१९८         | ७१,७७५          |
| (१) विकास खर्च (अ + ब)                                                   | १८,८१४         | २१,६६६         | २०,६६४         | २३,९०८         | ३१,८०६         | २७,८२१         | ४३,३३९          |
| (अ) महसुली लेख्याबाहेरील भांडवली खर्च                                    | १७,३९८         | २०,०२०         | १९,५२३         | २२,७९३         | २५,५२९         | २६,८४२         | ४१,५७३          |
| (ब) राज्य शासनाने दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमा                               | १,४१६          | १,६४५          | १,१४१          | १,११५          | ६,२७७          | ९७९            | १,७६७           |
| (२) विकासेतर खर्च (अ + ब + क) (सरकारी ऋणाची परतफेड)                      | ७,९१९          | ११,४१४         | १९,५३०         | ११,००५         | ११,८८७         | १७,३७६         | २८,४३६          |
| (अ) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण                                          | ६,३५१          | १०,५४३         | १४,२९४         | ९,१३८          | १०,९१७         | १६,४२८         | २७,१९३          |
| (ब) केंद्र शासनाकडून घेतलेली कर्जे व आगाऊ रकमा                           | ६९३            | ८७१            | ८८६            | ९०५            | ९७०            | ९४९            | १,२४२           |
| (क) आकस्मिकता निधीकडे विनियोजन                                           | ८७५            | ०              | ४,३५०          | ९६२            | ०              | ०              | ०               |
| एकूण खर्च (अ + ब)                                                        | १,६५,४६९       | १,८७,९८२       | २,१७,७४८       | २,२५,२८७       | २,५६,९२२       | २,८६,७६९       | ३,७३,२३५        |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

# सुधारित अंदाज

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही.

**परिशिष्ट ५.४**  
**कर्ज व इतर दायित्वे**

(₹ कोटी)

| बाब                                           | २०१२-१३          | २०१३-१४       | २०१४-१५       | २०१५-१६          | २०१६-१७          | २०१७-१८           | २०१८-१९ <sup>#</sup> |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (१)                                           | (२)              | (३)           | (४)           | (५)              | (६)              | (७)               | (८)                  |
| <b>(एक) ऋण प्राप्ती (१ + २ + ३) (व्याजी)</b>  | <b>२१,३८३</b>    | <b>२२,८७६</b> | <b>२५,१२४</b> | <b>३०,४०२</b>    | <b>४१,११६</b>    | <b>३७,६०२</b>     | <b>११,९९१</b>        |
| १) राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण (निव्वळ)       | १५,०१५           | १६,३७९        | २०,८९०        | २८,२५४           | ३६,७९२           | ३३,०७४            | ५,९९७                |
| २) केंद्र शासनाकडून कर्ज व आगाऊ रकमा (निव्वळ) | ५८               | ९४            | (-) ३४४       | (-) ३२१          | (-) ३४३          | (-) ७८१           | (-) ३६९              |
| ३) व्याजी बंधने (अ + ब + क)                   | ६,३११            | ६,४०३         | ४,५७८         | २,४६९            | ४,६६६            | ५,३०९             | ६,३६३                |
| अ) भविष्य निर्वाह निधी (निव्वळ)               | २,१८८            | १,८९४         | १,२६०         | १,२०९            | १,१२४            | ५४७               | ९५७                  |
| ब) राखीव निधी (निव्वळ)                        | (-) १४१          | (-) ८०        | (-) ४३        | ९                | ३०२              | ४५                | ३,०७७                |
| क) नागरी ठेवी (निव्वळ)                        | ४,२६४            | ४,५९०         | ३,३६१         | १,२५१            | ३,२४०            | ४,७१७             | २,३२९                |
| <b>(दोन) ऋण प्राप्ती (१ + २) (बिनव्याजी)</b>  | <b>(-) ७,४४८</b> | <b>३,९०९</b>  | <b>४,६५९</b>  | <b>(-) ३,०९५</b> | <b>(-) २,४४८</b> | <b>(-) १४,२९८</b> | <b>४३,३२०</b>        |
| १) लोकलेख्यातील निव्वळ जमा <sup>@</sup>       | (-) ७,४३८        | ३,०५९         | ४,६४९         | (-) ३,०९५        | (-) २,४४८        | (-) १४,२९८        | ४३,३२०               |
| २) इतर भांडवली जमा (निव्वळ) <sup>\$</sup>     | (-) १०           | ८५०           | १०            | ०                | ०                | ०                 | ०                    |
| <b>एकूण कर्ज व इतर दायित्वे (एक + दोन)</b>    | <b>१३,९३५</b>    | <b>२६,७८५</b> | <b>२९,७८३</b> | <b>२७,३०८</b>    | <b>३८,६६७</b>    | <b>२३,३०४</b>     | <b>५५,३११</b>        |

आधार - वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन

# सुधारित अंदाज

@ लोकलेख्याच्या निव्वळ प्राप्तीमध्ये राखीव निधी, ठेवी, निलंबन व संकीर्ण आणि वित्त प्रेषणे लेखा यांचा अंतर्भाव आहे.

\$ यामध्ये आंतरराज्यीय तडजोड (निव्वळ), आकस्मिकता निधीमध्ये केलेले विनियोजन (निव्वळ) आणि आकस्मिकता निधी (निव्वळ) यांचा समावेश आहे.  
टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही.

## परिशिष्ट ५.५

## शासनाच्या उपभोग्य बाबींवरील अंतिम खर्च व भांडवल निर्मितीवरील खर्च

(₹ कोटी)

| विवरण                                                 | २०१२-१३       | २०१३-१४       | २०१४-१५       | २०१५-१६       | २०१६-१७       | २०१७-१८ <sup>#</sup> | २०१८-१९ <sup>##</sup> |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| (१)                                                   | (२)           | (३)           | (४)           | (५)           | (६)           | (७)                  | (८)                   |
| <b>अ. उपभोग्य बाबींवरील खर्च</b>                      |               |               |               |               |               |                      |                       |
| १ कर्मचार्यांची भरपाई (१.१ + १.२)                     | २९,७९१        | ३३,५९१        | ३३,९५४        | ३७,०४०        | ४०,४४१        | ४५,४८३               | ५१,०९२                |
| १.१ वेतन आणि मजुरी                                    | १७,६०७        | १९,७८०        | २०,७५०        | २३,१४२        | २४,७५१        | २८,५३९               | ३१,८४९                |
| १.२ निवृत्तीवेतन                                      | १२,१८५        | १३,८११        | १३,२०४        | १३,८९८        | १५,६९०        | १६,९४४               | १९,२४३                |
| २ वस्तू आणि सेवांची निव्वळ खरेदी<br>(२.१ + २.२ - २.३) | १३,४३७        | १४,४३४        | १२,८७०        | ११,५०५        | १५,३८२        | १८,५२५               | ३६,४७३                |
| २.१ खरेदी                                             | ११,४५९        | ८,४९८         | १०,३३९        | ९,१६६         | १२,३८७        | १६,२७२               | ३२,८६५                |
| २.२ देखभाल                                            | ३,६७८         | ४,३३४         | ४,७८५         | ४,६०५         | ५,११२         | ५,४१०                | ५,३९३                 |
| २.३ विक्री                                            | १,७००         | १,६०२         | २,०३४         | २,२६६         | २,११७         | ३,१५७                | १,७८५                 |
| <b>एकूण उपभोग्य बाबींवरील खर्च</b>                    | <b>४३,२२८</b> | <b>४८,०२४</b> | <b>४७,०४४</b> | <b>४८,५४५</b> | <b>५५,८२४</b> | <b>६४,००८</b>        | <b>८७,५६५</b>         |
| <b>ब. भांडवल निर्मितीवरील खर्च</b>                    |               |               |               |               |               |                      |                       |
| १. इमारती                                             | १,७९१         | २,०८०         | १,९७८         | २,५४८         | १,९१८         | ३,३४३                | ७,८०९                 |
| २. रस्ते व पूल                                        | २,८४१         | ४,२१०         | ३,६५४         | ४,३५१         | ४,९७९         | ८,४०५                | ८,२६५                 |
| ३. इतर भांडवली खर्च                                   | ३,८७०         | २,५२७         | ६,६२३         | ७,६५३         | ७,९७५         | १०,५५८               | ११,७८७                |
| ४. दळणवळणाची साधनसामग्री                              | १४४           | १२०           | १७१           | १९७           | २५६           | १३९                  | २०८                   |
| ५. यंत्रसामग्री आणि साधनसामग्री                       | ५४६           | ५५०           | ४५७           | ६४६           | १,१०५         | १,५४२                | १,९७५                 |
| ६. लागवडीखालील मत्ता                                  | ०             | ०             | ०             | ०             | ०             | २                    | १७                    |
| ७. पशुधन                                              | ०             | ०             | ०             | ०             | ०             | ०                    | ०                     |
| <b>८. एकूण नवीन भांडवल निर्मिती (१ ते ७)</b>          | <b>९,१९३</b>  | <b>९,४८७</b>  | <b>१२,८८३</b> | <b>१५,३९५</b> | <b>१६,२३४</b> | <b>२३,९८९</b>        | <b>३०,०६२</b>         |
| ९. साठ्यातील बदल                                      | २             | ३             | ४             | ३             | ४             | ३                    | ३                     |
| <b>१०. स्थूल भांडवल निर्मिती (८+९)</b>                | <b>९,१९५</b>  | <b>९,४८९</b>  | <b>१२,८८७</b> | <b>१५,३९८</b> | <b>१६,२३७</b> | <b>२३,९९२</b>        | <b>३०,०६५</b>         |

आधार - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

# सुधारित अंदाज

## अर्थसंकल्पीय अंदाज

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळतीलच असे नाही.



६

## संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार







## ६. संस्थांद्वारे वित्त पुरवठा व भांडवली बाजार

६.१ वित्तीय संस्था आणि भांडवली बाजार समाजासाठी विविध आर्थिक सेवा पुरवून वित्तीय प्रणाली व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. संपत्ती निर्माण करण्यास आणि बचत व गुंतवणुकीतील वाढीमुळे आर्थिक विकासास चालना मिळते. बचत, वित्त पुरवठा आणि गुंतवणुकीच्या या प्रक्रियांमध्ये संलग्न वित्तीय संस्था, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधने आणि सेवा समाविष्ट आहेत.

### बँकींग संस्था

६.२ बँकींग संस्था या ठेवी व कर्ज सुविधा पुरविणा-या अग्रणी संस्था आहेत. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका व खाजगी बँकांचा समावेश होतो.

६.३ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत एकूण १२,३१७ अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांची कार्यालये (देशातील एकूण बँक कार्यालयांपैकी सुमारे नऊ टक्के) कार्यरत आहेत. त्यापैकी २५.२ टक्के कार्यालये ग्रामीण भागात, २२.८ टक्के निम-नागरी भागात तर ५२.० टक्के नागरी भागात कार्यरत आहेत. राज्यातील कर्ज-ठेवी प्रमाण १०५.० टक्के होते, तर अखिल भारताकरिता ते ७५.६ टक्के होते. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील ठेवी व कर्ज तक्ता ६.१ मध्ये दिले आहेत, तर याबाबतची मालिका परिशिष्ट ६.१ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ६.१ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील ठेवी व कर्ज

(३१ मार्च रोजी)

| तपशील                    | ग्रामीण |       | निम-नागरी |       | नागरी   |         | एकूण    |         |
|--------------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                          | २०१७    | २०१८  | २०१७      | २०१८  | २०१७    | २०१८    | २०१७    | २०१८    |
| बँक कार्यालये (संख्या)   | ३,०३२   | ३,०९८ | २,७९०     | २,८१० | ६,३६९   | ६,४०९   | १२,१९१  | १२,३१७  |
| ठेवी (₹ '००० कोटी)       | ६३.६    | ७०.१  | १२८.१     | १३९.३ | १,९७१.९ | २,०७९.९ | २,१६३.६ | २,२८९.३ |
| कर्ज (₹ '००० कोटी)       | ४६.७    | ४९.४  | ७७.९      | ८४.९  | २,१७४.९ | २,२७०.५ | २,२९९.५ | २,४०४.८ |
| कर्ज-ठेवी प्रमाण (टक्के) | ७३.४    | ७०.५  | ६०.८      | ६०.९  | ११०.३   | १०९.२   | १०६.३   | १०५.०   |

आधार: भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.४ प्रति बँक कार्यालयामध्ये सेवा पुरविण्यात आलेली सरासरी लोकसंख्या अखिल भारत स्तरावर ९,३९१ च्या तुलनेत राज्यात ९,९८१ होती. राज्यात, दि. ३१ मार्च २०१८ रोजी २५,६५१ एटीएमची सुविधा पुरविण्यात आली असून अखिल भारत स्तरावर ती २,२२,०६६ होती. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांची दि ३१ मार्च, २०१८ रोजी दरडोई ठेवी व दरडोई कर्ज अनुक्रमे ₹ १,८६,२७३ व ₹ १,९५,६६८ आहे. अखिल भारतासाठी तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ₹ ८७,२२९ व ₹ ६५,९७७ आहे. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक व खाजगी बँकांच्या एकूण ठेवी व कर्जांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा हिस्सा अनुक्रमे सुमारे ५२.८ टक्के व ५६.३ टक्के आणि ३७.३ टक्के व ३६.३ टक्के आहे. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील बँक गटनिहाय ठेवी व कर्ज तक्ता ६.२ मध्ये दिली आहेत.

#### तक्ता ६.२ बँक गटनिहाय राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील ठेवी व कर्ज

(३१ मार्च रोजी)

| बँक गट                     | बँक कार्यालये (संख्या) |        | ठेवी (₹ '००० कोटी) |         | कर्ज (₹ '००० कोटी) |         | कर्ज-ठेवी प्रमाण (टक्के) |       |
|----------------------------|------------------------|--------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|-------|
|                            | २०१७                   | २०१८   | २०१७               | २०१८    | २०१७               | २०१८    | २०१७                     | २०१८  |
| सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका | ८,६८७                  | ८,४९०  | १,२२५.५            | १,२०९.९ | १,३४२.१            | १,३५३.२ | १०९.५                    | १११.८ |
| विदेशी बँका                | ८८                     | ८९     | २१५.२              | २११.३   | १५८.३              | १६८.१   | ७३.६                     | ७९.६  |
| प्रादेशिक ग्रामीण बँका     | ७२०                    | ७३४    | १०.६               | १२.२    | ७.६                | ७.३     | ७१.७                     | ५९.८  |
| खाजगी बँका                 | २,६९४                  | २,८६४  | ७१२.३              | ८५४.१   | ७९१.५              | ८७२.२   | १११.१                    | १०२.१ |
| लघु वित्त बँका             | २                      | १४०    | नगण्य              | १.८     | नगण्य              | ४.०     | -                        | २२२.२ |
| एकूण                       | १२,१९१                 | १२,३१७ | २,१६३.६            | २,२८९.३ | २,२९९.५            | २,४०४.८ | १०६.३                    | १०५.० |

आधार: भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.५ ग्रामीण भागात मुदत ठेवींचे प्रमाण बचतीपेक्षा कमी आहे तर नागरी भागात बचतीपेक्षा मुदत ठेवींचे प्रमाण अधिक आहे. खाते प्रकारानुसार राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील ठेवी तक्ता ६.३ मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ६.३ खाते प्रकारानुसार राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांमधील ठेवी**

(३१ मार्च रोजी)

| खाते<br>प्रकार | ठेवी (₹ '००० कोटी) |           |         |         |         |               |         |         | मागील<br>वर्षाच्या<br>तुलनेत<br>एकूणशी<br>शेकडा बदल |
|----------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
|                | २०१७               |           |         |         | २०१८    |               |         |         |                                                     |
|                | ग्रामीण            | निम-नागरी | नागरी   | एकूण    | ग्रामीण | निम-<br>नागरी | नागरी   | एकूण    |                                                     |
| चालू           | ३.४                | १३.०      | २७६.२   | २९२.६   | ३.९     | १४.३          | २९२.६   | ३१०.८   | ६.२                                                 |
| बचत            | ३२.२               | ५७.०      | ३३५.०   | ४२४.२   | ३५.९    | ६२.९          | ३७१.६   | ४७०.४   | १०.९                                                |
| मुदत ठेवी      | २८.०               | ५८.१      | १,३६०.७ | १,४४६.८ | ३०.२    | ६२.१          | १,४१५.८ | १,५०८.१ | ४.२                                                 |
| एकूण           | ६३.६               | १२८.१     | १,९७१.९ | २,१६३.६ | ७०.०    | १३९.३         | २,०८०.० | २,२८९.३ | ५.८                                                 |

आधार: भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.६ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्राधान्य क्षेत्रांस अग्रिमे देण्याची महत्वाची भूमिका अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकडे सोपवली आहे. त्यानुसार अग्रिमांचा ठराविक हिस्सा 'कृषि व संलग्न कार्ये', 'सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम', 'गरीब, इतर अल्प उत्पन्न गट व दुर्बल घटक यांना करिता गृहनिर्माण' यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांना दिला जातो. मार्च, २०१८ अखेर सर्वाधिक (४४.८ टक्के) येणे कर्ज कृषि व संलग्न कार्यक्षेत्राकडून, तर त्याखालोखाल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांकडून (३५.७ टक्के) होते. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रास दिलेल्या अग्रिमांपैकी येणे कर्जाची विगतवारी तक्ता ६.४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.४ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी प्राधान्य क्षेत्रास दिलेल्या अग्रिमांपैकी येणे कर्जाची विगतवारी**

(३१ मार्च रोजी)

| प्राधान्य क्षेत्र           | खाते संख्या ('०००) |               | येणे कर्ज (₹ '००० कोटी) |              |
|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|                             | २०१७               |               | २०१८                    |              |
|                             | २०१७               | २०१८          | २०१७                    | २०१८         |
| कृषि व संलग्न कार्ये        | ५,७५१              | ५,८९६         | २८०.५                   | ३२९.४        |
| सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम | २,७५७              | २,४८७         | २११.२                   | २६२.०        |
| शिक्षण                      | २०४                | २०८           | ५.१                     | ५.३          |
| गृहनिर्माण                  | ८७१                | ८९१           | १०२.७                   | ११५.०        |
| निर्यात                     | २                  | २             | २९.१                    | २०.२         |
| इतर                         | ३६१                | ५१८           | २.८                     | २.९          |
| <b>एकूण</b>                 | <b>९,९४६</b>       | <b>१०,००२</b> | <b>६३१.४</b>            | <b>७३४.८</b> |

आधार: भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.७ दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी एकूण येणे कर्जापैकी ५६.३ टक्के कर्ज ही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे तर त्या खालोखाल ३५.७ टक्के खाजगी बँकांकडून होती. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकडील येणे कर्जे तक्ता ६.५ मध्ये दिली आहेत.

६.८ दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकडील एकूण येणे कर्जापैकी सर्वाधिक (२२.५ टक्के) येणे कर्ज वस्तुनिर्माण या व्यवसायाकडे होते. त्या खालोखाल वैयक्तिक येणे कर्ज १८.५ टक्के तर वित्त व्यवसायाकडील येणे कर्ज १७.५ टक्के होते. राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकडील व्यवसाय गटनिहाय येणे कर्ज तक्ता ६.६ मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता ६.५ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकीडील येणे कर्ज**

(३१ मार्च रोजी)

| बँक गट                     | येणे कर्ज<br>(₹ '००० कोटी) |                | मागील वर्षाच्या तुलनेत शेकडा बदल |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|
|                            | २०१७                       | २०१८           |                                  |
| सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका | १,३५४.४                    | १,३७५.८        | १.६                              |
| विदेशी बँका                | १६८.४                      | १९०.१          | १२.९                             |
| प्रादेशिक ग्रामीण बँका     | नगण्य                      | ०.०            | -                                |
| खाजगी बँका                 | ७९६.८                      | ८७३.०          | ९.६                              |
| लघु वित्त बँका             | -                          | ४.०            | -                                |
| <b>एकूण</b>                | <b>२,३१९.६</b>             | <b>२,४४२.९</b> | <b>५.३</b>                       |

आधार : भारतीय रिझर्व्ह बँक

**तक्ता ६.६ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांकीडील व्यवसाय गटनिहाय येणे कर्ज**

(३१ मार्च रोजी)

| व्यवसाय गट             | येणे कर्ज (₹ '००० कोटी) |                | मागील वर्षाच्या तुलनेत शेकडा बदल |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
|                        | २०१७                    | २०१८           |                                  |
| कृषि व संलग्न कार्ये   | ९९.७                    | ९५.८           | (-)३.९                           |
| खाण व दगड खाणकाम       | २०.९                    | १९.६           | (-)६.२                           |
| वस्तुनिर्माण           | ५४८.०                   | ५४९.०          | ०.२                              |
| वीज, वायू व पाणीपुरवठा | १३७.३                   | १४१.७          | ३.२                              |
| बांधकाम                | २८०.७                   | २२८.५          | (-)१८.६                          |
| वाहतूक                 | ७३.१                    | ७९.०           | ८.१                              |
| व्यावसायिक व इतर सेवा  | १८३.६                   | १८५.६          | १.१                              |
| व्यापार                | १६६.६                   | १८४.७          | १०.९                             |
| वैयक्तिक कर्जे@        | ३८५.२                   | ४५१.७          | १७.३                             |
| वित्त                  | ३४७.४                   | ४२६.७          | २२.८                             |
| इतर                    | ७७.१                    | ८०.६           | ४.५                              |
| <b>एकूण</b>            | <b>२,३१९.६</b>          | <b>२,४४२.९</b> | <b>५.३</b>                       |

आधार : भारतीय रिझर्व्ह बँक

@ गृहनिर्माणसह

**वार्षिक कर्ज योजना**

६.९ ग्रामीण भागात आर्थिक विकासासाठी ग्राम स्तरापर्यंत कर्ज उपलब्धता महत्वाची आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक गावात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेवा क्षेत्र पद्धत' स्वीकारली असून जिल्हा हे सेवा क्षेत्राचे घटक आहे. वार्षिक कर्ज योजना प्रामुख्याने दुर्बल घटकांना मिळणा-या संधी वाढवण्यावर भर देऊन कृषि व संलग्न कार्ये व लघु उद्योग यासारख्या विविध आर्थिक कार्यांची व्याप्ती दर्शविते. त्यामुळे प्राधान्य व दुर्लक्षित क्षेत्रांना पुरेसा आणि वेळेत खात्रीशीर कर्जपुरवठा होतो. त्यानुसार, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची निमंत्रक बँक राज्याची वार्षिक कर्ज योजना तयार करून संनियंत्रित करते. बँक ऑफ महाराष्ट्रला यासाठी राज्याची निमंत्रक बँक म्हणून घोषित केले आहे. सन २०१८-१९ साठी राज्याची प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज योजना ₹ ४.३५ लाख कोटी होती. या योजनेमध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये' क्षेत्राचा हिस्सा १९.७ टक्के तर 'ग्रामीण कारागीर, ग्राम व कुटीर उद्योग आणि लघु उद्योग' क्षेत्राचा हिस्सा ५६.६ टक्के होता. वार्षिक कर्ज योजनेतर्गत प्राधान्य क्षेत्रासाठी राज्यात वितरित केलेले कर्ज तक्ता ६.७ मध्ये तर जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजना परिशिष्ट ६.२ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ६.७ वार्षिक कर्ज योजनेतर्गत प्राधान्य क्षेत्रासाठी राज्यात वितरित केलेले कर्ज**

(₹ '००० कोटी)

| प्राधान्य क्षेत्र                                      | लक्ष्य       |                      | साध्य        |                      | साध्याची लक्ष्याशी टक्केवारी |                      | लाभधारक (लाख) |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                        | २०१७-१८      | २०१८-१९ <sup>+</sup> | २०१७-१८      | २०१८-१९ <sup>+</sup> | २०१७-१८                      | २०१८-१९ <sup>+</sup> | २०१७-१८       | २०१८-१९ <sup>+</sup> |
| कृषि व संलग्न कार्ये                                   | ७७.२         | ८५.५                 | ५१.०         | ६७.९                 | ६६.१                         | ७९.४                 | ३७.०५         | ५३.१४                |
| एमएसएमई (अति लघु, मध्यम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, इतर) | १४३.२        | २४६.१                | १४२.३        | २०१.९                | ९९.४                         | ८२.०                 | ६.८९          | ३०.५८                |
| इतर क्षेत्रे                                           | ७०.४         | १०३.०                | २६.३         | ४६.९                 | ३७.३                         | ४५.५                 | ९.८५          | ३४.४८                |
| <b>एकूण</b>                                            | <b>२९०.८</b> | <b>४३४.६</b>         | <b>२१९.६</b> | <b>३१६.७</b>         | <b>७५.५</b>                  | <b>७२.९</b>          | <b>५३.७९</b>  | <b>११८.२०</b>        |

आधार : बँक ऑफ महाराष्ट्र, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे निमंत्रक

+ सप्टेंबरपर्यंत

## सूक्ष्म वित्तपुरवठा

६.१० सूक्ष्म वित्तपुरवठा आर्थिक विकासाचे एक साधन असून, त्याचा उद्देश गरिबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करणे आहे. यात कर्ज पुरवठ्यासह बचत, विमा, पैसे हस्तांतरण, समुपदेशन, इत्यादी अनेक प्रकारच्या सेवांचा समावेश आहे. 'स्व-सहाय्यता गट बँक दुवा कार्यक्रम' हा सूक्ष्म वित्त पुरवठा उपक्रम आहे. गरिबांना पुरविण्यात येणा-या बँकींग सेवांची व्याप्ती वाढविण्याचा हा मार्ग असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बचत गटांनी उघडलेल्या बचत खात्यांची संख्या व कर्ज वाटप या निर्देशकांत सकारात्मक वाढ झाल्याचे दिसून येते. 'स्व-सहाय्यता गट बँक दुवा कार्यक्रम' अंतर्गत राज्यातील स्व-सहाय्यता गटांच्या बचती, कर्जवाटप व थकीत कर्जे तक्ता ६.८ मध्ये दिले आहेत.

### तक्ता ६.८ 'स्व-सहाय्यता गट बँक दुवा कार्यक्रम' अंतर्गत राज्यातील स्व-सहाय्यता गटांच्या बचती, कर्जवाटप व थकीत कर्जे

(३१ मार्च, २०१७ रोजी)

| बँक प्रकार                            | तपशील      | एकूण स्व-सहाय्यता गट# |                   | राग्राजीअ /स्वजग्रास्वयो<br>अंतर्गत स्व-सहाय्यता गट## |                   | केवळ महिलांचे<br>स्व-सहाय्यता गट |                   |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                                       |            | संख्या                | रक्कम<br>(₹ कोटी) | संख्या                                                | रक्कम<br>(₹ कोटी) | संख्या                           | रक्कम<br>(₹ कोटी) |
| सहकारी                                | बचत        | ३,२२,३९०              | ३८४.६२            | ३५,३३४                                                | ३३.२४             | २,६१,३५६                         | २८.००             |
|                                       | कर्जवाटप   | ४०,७४५                | २५५.२९            | ६,७९५                                                 | ६०.९८             | ३८,९७७                           | २२७.७२            |
|                                       | थकीत कर्जे | ५१,२७३                | १६४.२१            | ८,९८६                                                 | ३०.६१             | ४८,२९४                           | १५४.३३            |
| प्रादेशिक<br>ग्रामीण                  | बचत        | १,१६,१४४              | १०५.३८            | १,०९,७५६                                              | ९७.४४             | १,०९,७५६                         | ९७.४४             |
|                                       | कर्जवाटप   | ११,२०१                | २०१.२५            | ९,५०१                                                 | १६८.८०            | १०,८४२                           | १९७.३७            |
|                                       | थकीत कर्जे | २८,२४०                | ३६४.९२            | १९,९०६                                                | २६६.६१            | २४,१०९                           | ३३५.२३            |
| सार्वजनिक<br>क्षेत्रातील<br>वाणिज्यिक | बचत        | २,९७,१९६              | ३४८.९४            | १,०१,०७१                                              | १००.५८            | १,४४,५३८                         | १३४.९८            |
|                                       | कर्जवाटप   | २६,८७२                | २९५.५७            | ११,३७२                                                | ११६.७७            | २०,८९५                           | २४५.५८            |
|                                       | थकीत कर्जे | ७०,११७                | ७५९.१६            | ३१,५५१                                                | ३७४.९३            | ५६,७५९                           | ६४९.२९            |
| खाजगी<br>क्षेत्रातील<br>वाणिज्यिक     | बचत        | १,१२,५६१              | ११०.८४            | ३                                                     | ०.०१              | १,१२,५४२                         | ११०.७०            |
|                                       | कर्जवाटप   | ३३,२२५                | ६२९.४१            | ३                                                     | ०.०३              | ३३,२२५                           | ६२९.४१            |
|                                       | थकीत कर्जे | ५९,०८९                | ६७५.७७            | ३८                                                    | ०.१०              | ५९,०८६                           | ६७५.७५            |

आधार : नाबार्ड # दीनदयाल अंत्योदय योजनेसह ## राग्राजीअ - राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, स्वजग्रास्वयो - स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

## वित्तीय समावेश

६.११ प्रभावी वित्तीय समावेश म्हणजे निव्वळ वित्तीय सुविधांची उपलब्धता नसून त्यांचा सुयोग्य वापरही आहे. प्रधानमंत्री जन-धन योजना वित्तीय समावेश विषयक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. राज्यात १५ मे, २०१९ पर्यंत प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत एकूण २.५० कोटी बँक खाती उघडण्यात आली असून त्यापैकी १.२३ कोटी (४९.२ टक्के) खाती ग्रामीण भागातील होती. या खात्यांमध्ये अंदाजे ₹ ५,८९० कोटींच्या ठेवी होत्या. या योजनेअंतर्गत सुमारे १.७५ कोटी 'रुपे कार्ड' वाटप झाले. अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी वित्तीय समावेशांतर्गत पुरविलेल्या विविध बँकिंग सुविधांचा तपशील तक्ता ६.९ मध्ये दिला आहे व प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचा जिल्हा निहाय तपशील परिशिष्ट ६.३ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता ६.९ राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी वित्तीय समावेशांतर्गत पुरविलेल्या बँकिंग सुविधा

(३१ मार्च रोजी)

| तपशील                                                                                                        | २०१५     | २०१६     | २०१७     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| गावात असलेली बँकींग केंद्रे (संख्या)                                                                         | ३३,६००   | ४०,७३८   | ४०,६९७   |
| किमान शिलकीची मर्यादा नसलेली खाती (मर्यादित सुविधा उपलब्ध असलेली)                                            |          |          |          |
| संख्या ('०००)                                                                                                | २६,६४४   | ३०,७०९   | ३५,६२९   |
| रक्कम (₹ कोटी)                                                                                               | २,७१६.८  | ४,२०२.४  | ६,७०९.६  |
| किमान शिलकीची मर्यादा नसलेल्या खात्यामधून मर्यादित सुविधा उपलब्ध असलेली) ओव्हरड्राफ्ट उचललेली रक्कम (₹ कोटी) | १४०.२    | २४९.४    | २३४.३    |
| किसान क्रेडिट कार्ड                                                                                          |          |          |          |
| कार्डधारकांची संख्या ('०००)                                                                                  | २,९५३    | ३,५७४    | ३,५५७    |
| येणे रक्कम (₹ कोटी)                                                                                          | २८,४९७.८ | ३६,७१३.७ | ४३,७९१.५ |

आधार : भारतीय रिझर्व्ह बँक

६.१२ प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा मूळ उद्देश लघु उद्योग क्षेत्राला पुनर्वित्तच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून विकास करणे आहे. मुद्राच्या माध्यमातून लघु उद्योग क्षेत्रातील जे घटक वित्तीय सहाय्यापासून वंचित आहेत त्यांना वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करण्याचे ध्येय आहे. या कार्यक्रमांतर्गत उत्पन्न निर्मितीत गुंतलेल्या बिगर कृषि कार्यातील सर्व सूक्ष्म व लघुउद्योगांना ₹ १० लाखापर्यंत सुलभरित्या कर्ज देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी घटकांच्या विकास स्थिती व आर्थिक निकडीनुसार कर्जाची 'शिशु' (₹ ५०,००० पर्यंत), 'किशोर' (₹ ५०,००० ते ₹ ५ लाख) आणि 'तरुण' (₹ ५ लाख ते ₹ १० लाख) असे वर्गीकरण केले आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत प्रगती तक्ता ६.१० मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ६.१० प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत प्रगती

(₹ कोटी)

| कर्ज / वर्ष   | २०१६-१७   | २०१७-१८   | २०१८-१९   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>शिशु</b>   |           |           |           |
| एकूण खाती     | ३०,५४,१३० | ३१,४५,६८५ | ३७,५०,५७० |
| मंजूर कर्ज ₹  | ६,९६१.७५  | ८,०९३.३८  | १०,२५५.०६ |
| वितरित कर्ज ₹ | ६,९०९.४०  | ७,९८०.२६  | १०,०५२.०७ |
| <b>किशोर</b>  |           |           |           |
| एकूण खाती     | २,२०,६६२  | ३,५४,८१८  | ५,१०,२४९  |
| मंजूर कर्ज ₹  | ५,०८२.०३  | ७,५२९.९   | ८,५२४.१२  |
| वितरित कर्ज ₹ | ४,९४७.०१  | ७,३४३.४   | ८,२८७.२८  |
| <b>तरुण</b>   |           |           |           |
| एकूण खाती     | ६९,३६२    | ९६,११७    | १,२५,१६२  |
| मंजूर कर्ज ₹  | ५,२४२.८८  | ७,१२८.१२  | ७,६५९.७६  |
| वितरित कर्ज ₹ | ५,१२०.३४  | ६,९४२.५५  | ७,४०२.६४  |
| <b>एकूण</b>   |           |           |           |
| एकूण खाती     | ३३,४४,१५४ | ३५,९६,६२० | ४३,८५,९८१ |
| मंजूर कर्ज ₹  | १७,२८६.६६ | २२,७५१.४  | २६,४३८.९४ |
| वितरित कर्ज ₹ | १६,९७६.७५ | २२,२६६.२१ | २५,७४१.९९ |

आधार: बँक ऑफ महाराष्ट्र, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे निमंत्रक

#### ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी

६.१३ ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांबाबत चालू प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनांस कमी दरात निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र शासनाने १९९५-९६ मध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी सुरू केला आहे. या निधीचे व्यवस्थापन नाबार्डद्वारे होते. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज वाटपाचे ध्येय साध्य न करू शकलेल्या अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी (सार्वजनिक व खाजगी) कमी वितरित केलेली रक्कम नाबार्ड अंतर्गत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत या निधी अंतर्गत एकूण ३७ कार्यांचा समावेश असून, कृषि व संलग्न कार्ये, सामाजिक क्षेत्र आणि ग्रामीण दळणवळण या मुख्य क्षेत्रांतर्गत एकूण प्रकल्प मुल्याच्या अनुक्रमे ९५ टक्के, ८५ टक्के व ८० टक्के पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मार्च, २०१८ अखेर या कार्यक्रमांतर्गत २३ टप्पे लागू करण्यात आले व ₹ ११,३७२ कोटी कर्ज राज्यास वितरित करण्यात आले. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत मंजूर प्रकल्प व वितरित झालेल्या कर्जाचा तपशील तक्ता ६.११ मध्ये दिला आहे.

#### तक्ता ६.११ ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत मंजूर प्रकल्प व वितरित झालेले कर्ज

| टप्पा      | वर्ष      | मंजूर प्रकल्प (संख्या) | वितरित कर्ज (₹ कोटी) |
|------------|-----------|------------------------|----------------------|
| I - XIV    | १९९५-२००९ | ९,९२६                  | ५,०८७                |
| XV-XX      | २०१०-२०१५ | १०,२४४                 | ४,६२७                |
| XXI - XXII | २०१५-२०१७ | ९४७                    | ७८२                  |
| XXIII      | २०१७-२०१८ | २७०                    | २१५                  |

आधार : नाबार्ड

## संयुक्त भांडवली संस्था

६.१४ संयुक्त भांडवली संस्था विविध पूरक उद्योग, व्यापार व व्यापाराशी पूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देतात व मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देतात. मार्च, २०१८ अखेर भारतातील एकूण ११,७९,७६१ संयुक्त भांडवली संस्थांपैकी, सुमारे १९.७ टक्के संस्था राज्यात कार्यरत होत्या. कंपन्यांच्या भरणा केलेल्या एकूण भाग भांडवलामध्ये राज्यातील संस्थांचा देशांतर्गत हिस्सा २८.५ टक्के होता. संयुक्त भांडवली संस्थांचे भरणा केलेले भाग भांडवल तक्ता ६.१२ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ६.१२ संयुक्त भांडवली संस्थांचे भरणा केलेले भाग भांडवल

(३१ मार्च रोजी)

| बाब         | महाराष्ट्र         |                 |                                            |                | अखिल भारत          |                  |                                         |                |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
|             | संस्था<br>(संख्या) |                 | भरणा केलेले भाग<br>भांडवल<br>(₹ '००० कोटी) |                | संस्था<br>(संख्या) |                  | भरणा केलेले भाग भांडवल<br>(₹ '००० कोटी) |                |
|             | २०१७               | २०१८            | २०१७                                       | २०१८           | २०१७               | २०१८             | २०१७                                    | २०१८           |
| खाजगी       | २,२७,४३७           | २,१७,२६२        | २८६.२                                      | २९९.७          | १०,९७,३१२          | ११,०४,०६७        | १,२२९.७                                 | १,३९९.०        |
| सार्वजनिक   | ११,४६६             | १५,३९८          | ७३५.२                                      | ७६७.१          | ६४,८६९             | ७५,६९४           | २,२१८.८                                 | २,३४१.०        |
| <b>एकूण</b> | <b>२,३८,९०३</b>    | <b>२,३२,६६०</b> | <b>१,०२१.४</b>                             | <b>१,०६६.८</b> | <b>११,६२,१८१</b>   | <b>११,७९,७६१</b> | <b>३,४४७.५</b>                          | <b>३,७४०.०</b> |

आधार : मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, केंद्र शासन

## म्युच्युअल फंड

६.१५.१ म्युच्युअल फंड हे गुंतवणूकदारांची रोख रक्कम एकत्रित करून समभाग, सिक्युरिटीस व इतर रोखे खरेदीस सहाय्य करणारे माध्यम आहे. सन २०१७-१८ मध्ये म्युच्युअल फंडाद्वारे देशात झालेल्या ₹ २,७१,७९७ कोटी उलाढालीच्या तुलनेत राज्यात ₹ ८१,०१७ कोटी उलाढाल झाली. सन २०१८-१९ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ₹ २,२३,६५४ व ₹ १,०७,५८९ होती. म्युच्युअल फंडाद्वारे झालेली उलाढाल तक्ता ६.१३ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ६.१३ म्युच्युअल फंडाद्वारे झालेली उलाढाल

(₹ '००० कोटी)

| वर्ष    | नवीन म्युच्युअल फंड | अस्तित्वातील म्युच्युअल फंड |
|---------|---------------------|-----------------------------|
| २०१६-१७ | ३६.१                | १७,५७९.५                    |
| २०१७-१८ | ९६.०                | २०,९०२.७                    |
| २०१८-१९ | १३६.४               | २४,२५८.०                    |

आधार : असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस इन इंडिया

## विक्रेय वस्तू व्यापार विनिमय केंद्र

६.१५.२ किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सहाय्यासाठी मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) व नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्हज एक्स्चेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ही मुख्य विक्रेय वस्तू विनिमय व्यापार केंद्रे राज्यात कार्यरत आहेत. एमसीएक्स व एनसीडीईएक्स यांची उलाढाल तक्ता ६.१४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ६.१४ एमसीएक्स व एनसीडीईएक्स यांची उलाढाल

| विक्रेय वस्तू व्यापार<br>विनिमय केंद्र | समाविष्ट विक्रेय वस्तू<br>(संख्या) |         |                      | उलाढाल<br>(₹ '००० कोटी) |         |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|---------|----------------------|
|                                        | २०१६-१७                            | २०१७-१८ | २०१८-१९ <sup>+</sup> | २०१६-१७                 | २०१७-१८ | २०१८-१९ <sup>+</sup> |
| एमसीएक्स                               | २९                                 | ३२      | २९                   | ५,८६६                   | ५,३९३   | ४,४७९ <sup>+</sup>   |
| एनसीडीईएक्स                            | २४                                 | २५      | २३                   | ५९७                     | ५९०     | ४२८ <sup>++</sup>    |

आधार : एमसीएक्स व एनसीडीईएक्स

+नोव्हेंबरपर्यंत

++ डिसेंबरपर्यंत

## विमा

६.१५.३ विम्याद्वारे उपक्रमांना व व्यक्तींना सुरक्षा कवच मिळते, तसेच विकास कामासाठी लागणारा दीर्घकालीन निधी निर्माण होतो. राज्यात आयुर्विमा क्षेत्रात २४ कंपन्या कार्यरत आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील एकूण आयुर्विमा व्यवसायामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा हिस्सा गतवर्षाच्या ७१.१ टक्क्यांच्या तुलनेत ६९.४ टक्के होता. नव्याने काढण्यात आलेल्या वैयक्तिक आयुर्विमा पॉलिसी तक्ता ६.१५ मध्ये दिल्या आहेत.

**तक्ता ६.१५ नवीन वैयक्तिक आयुर्विमा पॉलिसी**

| तपशील      |                          | संख्या ('०००) |         |         | विमा हप्ता (₹ कोटी) |          |          |
|------------|--------------------------|---------------|---------|---------|---------------------|----------|----------|
|            |                          | २०१५-१६       | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१५-१६             | २०१६-१७  | २०१७-१८  |
| महाराष्ट्र | खाजगी                    | १,१८८         | १,२१३   | १,३०१   | ११,०१४              | १२,८४२   | १६,१२६   |
|            | भारतीय आयुर्विमा महामंडळ | २,३८३         | २,३३८   | २,३५०   | २३,९७२              | ३१,५१९   | ३२,८०६   |
|            | एकूण                     | ३,५७१         | ३,५५१   | ३,६५१   | ३४,९८६              | ४४,३६२   | ४८,९३२   |
| अखिल भारत  | खाजगी                    | ६,१९२         | ६,३२४   | ६,८५९   | ४०,९७०              | ५०,६१९   | ५९,४८२   |
|            | भारतीय आयुर्विमा महामंडळ | २०,५४६        | २०,१३२  | २१,३३८  | ९७,७०५              | १,२४,५८३ | १,३४,६७२ |
|            | एकूण                     | २६,७३८        | २६,४५६  | २८,१९७  | १,३८,६७५            | १,७५,२०२ | १,९४,१५४ |

आधार : विमा नियामक व विकास प्राधिकरण

टीप : आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही

६.१५.४ देशात बिगर-आयुर्विमा क्षेत्रामध्ये ३३ कंपन्या कार्यरत आहेत. सन २०१६-१७ च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये बिगर-आयुर्विम्यापोटी प्राप्त झालेल्या एकूण विमा हप्त्याच्या रकमेत २७.८ टक्के घट झाली. बिगर-आयुर्विमा अंतर्गत आरोग्य विम्यापोटी सर्वाधिक (३७.२ टक्के) व त्या खालोखाल मोटार-तृतीय पक्ष विम्यापोटी (१३.२ टक्के) विमा हप्ता गोळा झाला. क्षेत्रनिहाय बिगर-आयुर्विम्याच्या विमा हप्त्याद्वारे प्राप्त झालेले एकूण उत्पन्न तक्ता ६.१६ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ६.१६ क्षेत्रनिहाय बिगर-आयुर्विम्याच्या हप्त्याद्वारे प्राप्त झालेले एकूण उत्पन्न**

(₹ कोटी)

| वर्ष       | आग     | मोटार    |            | वैयक्तिक<br>अपघात | आरोग्य<br>विमा | पीक<br>विमा | संकीर्ण# | एकूण     |
|------------|--------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------|----------|----------|
|            |        | स्व हानी | तृतीय पक्ष |                   |                |             |          |          |
| महाराष्ट्र |        |          |            |                   |                |             |          |          |
| २०१६-१७    | ३,३७४  | ५,३७५    | ६,७९१      | १,०६०             | ९,६७५          | ४,६८२       | १०,१४९   | ४१,१०६   |
| २०१७-१८    | २,२६३  | ३,८७१    | ४,१८२      | १,०४०             | ११,८१२         | ४,४५३       | ४,१५८    | ३१,७७९   |
| अखिल भारत  |        |          |            |                   |                |             |          |          |
| २०१६-१७    | ९,५३७  | २३,७२८   | २६,५२३     | ३,६५१             | ३०,३९२         | २०,०९७      | १४,२०१   | १,२८,१२९ |
| २०१७-१८    | १०,७८० | २६,३२७   | ३२,९१९     | ४,५६४             | ३७,०२९         | २५,३२२      | १३,७२१   | १,५०,६६२ |

आधार : विमा नियामक व विकास प्राधिकरण

# सागरी कार्गो, हल, एक्झिशन, अभियांत्रिकी, कर्ज इत्यादी समाविष्ट

**भांडवली बाजार**

६.१६ भांडवली बाजार ही बचतींना परिणामकारक दीर्घकालीन गुंतवणुकीकडे वळविणारी यंत्रणा आहे. राज्यात मुंबई शेअर बाजार मर्यादित व राष्ट्रीय शेअर बाजार मर्यादित हे प्रमुख शेअर बाजार कार्यरत आहेत. मुंबई शेअर बाजार मर्यादित हा जगातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक आहे तर राष्ट्रीय शेअर बाजार मर्यादित हा आधुनिक व अद्ययावत तंत्रज्ञानात अव्वल असणाऱ्यांपैकी एक आहे.

**प्राथमिक बाजार**

६.१६.१ सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात ६८ समभागांद्वारे (५८ सार्वजनिक, आठ हक्क व दोन ऋण) ₹ ७३,२१४ कोटी तर मागील वर्षी ३८ समभागांद्वारे (३१ सार्वजनिक, दोन हक्क व पाच ऋण) ₹ ३५,७६४ कोटी रक्कम उभारण्यात आली. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात ४६ समभागांद्वारे (३४ सार्वजनिक, दोन हक्क व १० ऋण) ₹ ३३,६२२ कोटी रक्कम उभारण्यात आली.

**दुय्यम बाजार**

६.१६.२ राष्ट्रीय शेअर बाजार व मुंबई शेअर बाजारात सन २०१७-१८ मध्ये उलाढाली साठी उपलब्ध असलेल्या एकूण समभागांचे भांडवली मूल्य अनुक्रमे ₹१,४०,४४,१५२ कोटी व ₹ १,४२,२४,९९७ कोटी होते व २०१८-१९ तत्सम आकडेवारी सन २०१६-१७ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ₹ १,४९,३४,२२७ कोटी व ₹ १,५१,०८,७११ कोटी होते. २०१६-१७ तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ₹१,१९,७८,४२१ कोटी व ₹ १,२१,५४,५२५ कोटी होती. राष्ट्रीय व मुंबई शेअर बाजार मर्यादित यांची उलाढाल तक्ता ६.१७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ६.१७ राष्ट्रीय व मुंबई शेअर बाजार मर्यादित यांची उलाढाल**

(₹ '००० कोटी)

| शेअर बाजार | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ |
|------------|---------|---------|---------|
| राष्ट्रीय  | ५,०५६   | ७,२३५   | ७,९४९   |
| मुंबई      | ९९८     | १,०८३   | ७७६     |

आधार : सेबी

\* \* \* \* \*



## परिशिष्ट ६.१

## सर्व अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ठेवी व कर्ज

(₹ कोटी)

| वर्ष              | वर्षाच्या जून महिन्यातील अखेरच्या शुक्रवारची स्थिती |        |          |        |                |           | एकूण ठेवी | एकूण कर्ज          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                   | ग्रामीण                                             |        | निमनागरी |        | नागरी / महानगर |           |           |                    |
|                   | ठेवी                                                | कर्ज   | ठेवी     | कर्ज   | ठेवी           | कर्ज      |           |                    |
| (१)               | (२)                                                 | (३)    | (४)      | (५)    | (६)            | (७)       | (८)       | (९)                |
| १९७१              | उ ना.                                               | उ ना   | उ ना     | उ ना   | उ ना           | उ ना      | १,४६०     | १,२९१ <sup>†</sup> |
| १९८१              | ३०९                                                 | २२६    | ७१४      | ३८४    | ६,५६८          | ५,३२१     | ७,५९०     | ५,९३१              |
| १९९१              | १,७०१                                               | १,३५७  | २,३४७    | १,३५४  | ३६,१८१         | २६,९३६    | ४०,२३०    | २९,६४७             |
| २००१              | ६,७६९                                               | ५,०२९  | १०,०३४   | ४,१३८  | १,५९,१९९       | १,३४,३४०  | १,७६,००१  | १,४३,५०७           |
| २०११              | २९,२३१                                              | २२,७०३ | ४९,१७४   | २७,६०४ | १३,२५,५५०      | ११,२५,७८० | १४,०३,९५५ | ११,७६,०८७          |
| २०१२              | ३४,४५४                                              | २६,७१२ | ५८,५८६   | ३१,८२९ | १५,००,६५४      | १३,२९,२८७ | १५,९३,६९४ | १३,८७,८२७          |
| २०१३ <sup>#</sup> | ४१,११९                                              | ३१,५२७ | ७०,०५२   | ४१,१३५ | १६,७३,८७२      | १५,०३,८२७ | १७,८५,०४३ | १५,७६,४९०          |
| २०१४ <sup>#</sup> | ४८,११५                                              | ३९,००९ | ८५,३२२   | ५१,५१० | १९,१९,०९०      | १७,२२,६०४ | २०,५२,५२७ | १८,१३,१२३          |
| २०१५ <sup>#</sup> | ५६,२१४                                              | ४४,५७८ | ९५,६८८   | ६०,४७९ | १९,८१,८१५      | १८,७१,००० | २१,३३,७१८ | १९,७६,०५७          |
| २०१६ <sup>#</sup> | ६१,८२४                                              | ५२,८१७ | १,०२,०२६ | ६७,६६० | २०,१३,७४६      | २१,१४,८२७ | २१,७७,५९६ | २२,३५,३०४          |
| २०१७ <sup>#</sup> | ६३,५९७                                              | ४६,७४० | १,२८,१२३ | ७७,९२० | १९,७१,९३५      | २१,७४,९१९ | २१,६३,६५४ | २२,९९,५८०          |
| २०१८ <sup>#</sup> | ७०,१०४                                              | ४९,३८४ | १,३९,३१२ | ८४,८७५ | १९,५५,३२५      | २१,९६,३२२ | २२,८९,३०१ | २४,०४,७६६          |

| वर्ष              | दरडोई ठेवी (₹) | दरडोई कर्ज (₹) | एकूण बँक कार्यालयांची संख्या |                            |        | दर लाख लोकसंख्येमागे बँकींग कार्यालयांची संख्या |
|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                   |                |                | ग्रामीण व निमनागरी           | नागरी / महानगर क्षेत्रातील | एकूण   |                                                 |
|                   |                |                | (१२)                         | (१३)                       | (१४)   |                                                 |
| (१)               | (१०)           | (११)           | (१२)                         | (१३)                       | (१४)   | (१५)                                            |
| १९७१              | २९०            | २५६            | उ ना                         | उ ना                       | १,४७१  | २.९                                             |
| १९८१              | १,२०४          | ९४०            | उ ना                         | उ ना                       | ३,६२७  | ५.८                                             |
| १९९१              | ५,३४४          | ३,५८०          | ३,३५३                        | २,२३८                      | ५,५९१  | ७.४                                             |
| २००१              | १८,१०६         | १४,७६३         | ३,३८०                        | २,९१४                      | ६,२९४  | ६.५                                             |
| २०११              | १,२४,०४८       | १,०३,९११       | ३,९०२                        | ४,६१३                      | ८,५१५  | ७.५                                             |
| २०१२              | १,३९,५७२       | १,२१,५४३       | ४,१९६                        | ४,८५७                      | ९,०५३  | ७.९                                             |
| २०१३ <sup>#</sup> | १,५४,२८६       | १,३६,२६०       | ४,५८५                        | ५,१८९                      | ९,७७४  | ८.५                                             |
| २०१४ <sup>#</sup> | १,७५,१४७       | १,५४,७१८       | ५,१६२                        | ५,४७८                      | १०,६४० | ९.१                                             |
| २०१५ <sup>#</sup> | १,८१,९८८       | १,६८,५४१       | ५,५५५                        | ५,७२९                      | ११,२८४ | ९.६                                             |
| २०१६ <sup>#</sup> | १,८१,३८३       | १,८६,१९०       | ५,७५३                        | ६,०३६                      | ११,७८९ | ९.८                                             |
| २०१७ <sup>#</sup> | १,७८,१०१       | १,८९,२८९       | ५,८२२                        | ६,३६९                      | १२,१९१ | १०.०                                            |
| २०१८ <sup>#</sup> | १,८६,२२३       | १,९५,६१९       | ५,९०८                        | ६,४०९                      | १२,३१७ | १०.०                                            |

आधार - भारतीय रिझर्व्ह बँक

# ३१ मार्च रोजी

उ ना उपलब्ध नाही

† आकडे जून १९७१ च्या दुसऱ्या शुक्रवारचे आहेत.

टोप - आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.



**परिशिष्ट ६.२**  
**जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजना (२०१८-१९)**

(₹ कोटी)

| अ. क्र.          | जिल्हा      | प्राधान्य क्षेत्र    |                    |                   |                       |          | बिगर प्राधान्य क्षेत्र | एकूण योजना |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------|
|                  |             | कृषि व संलग्न कार्ये |                    | बिगर शेती क्षेत्र | इतर प्राधान्य क्षेत्र | एकूण     |                        |            |
|                  |             | एकूण कर्ज            | त्यापैकी, पीक कर्ज |                   |                       |          |                        |            |
| (१)              | (२)         | (३)                  | (४)                | (५)               | (६)                   | (७)      | (८)                    | (९)        |
| १                | मुंबई शहर   | ७६                   | ०                  | १,७५,३३८          | १,३७०                 | १,७६,७८५ | ७७,१६६                 | २,५३,९५१   |
| २                | मुंबई उपनगर | २,११८                | ०                  | ७३,३२२            | १४,१८३                | ८९,६२४   | २९,६६२                 | १,१९,२८५   |
| ३                | ठाणे        | ३४०                  | २२०                | ४,८७१             | २,७०४                 | ७,९१५    | २,१७५                  | १०,०९०     |
| ४                | पालघर       | ४१५                  | १७५                | ९३६               | १,००९                 | २,३६०    | ४००                    | २,७६०      |
| ५                | रायगड       | ४७७                  | २४६                | २,७०५             | १००                   | ३,२८२    | १,३१८                  | ४,६००      |
| ६                | रत्नागिरी   | १,१७७                | ४७०                | १,५०८             | ०                     | २,६८५    | ४४                     | २,७२९      |
| ७                | सिंधुदुर्ग  | ७१७                  | ३३०                | १,००२             | ४०                    | १,७५९    | १३१                    | १,८९०      |
| ८                | नाशिक       | ६,२२५                | ३,७५५              | ३,८७५             | १,०२५                 | ११,१२५   | ३,२००                  | १४,३२५     |
| ९                | धुळे        | १,७७७                | १,१७७              | ४०७               | ३०८                   | २,४९२    | ११८                    | २,६१०      |
| १०               | नंदुरबार    | ८८६                  | ७००                | ३१०               | ७६                    | १,२७१    | ५९                     | १,३३०      |
| ११               | जळगाव       | ४,२३६                | ३,२००              | १,३९६             | ३८२                   | ६,०१४    | १९५                    | ६,२०९      |
| १२               | अहमदनगर     | ६,०५३                | ४,६१८              | २,२२५             | १,९३७                 | १०,२१५   | १,०४३                  | ११,२५७     |
| १३               | पुणे        | ७,३९४                | ४,१५९              | २१,३८८            | ६,३१९                 | ३५,१००   | २१,०५३                 | ५६,१५४     |
| १४               | सातारा      | ३,८००                | २,८००              | १,४६४             | १,३३६                 | ६,६००    | ६००                    | ७,२००      |
| १५               | सांगली      | ३,९००                | २,१००              | १,६२३             | १३                    | ५,५३६    | ७७४                    | ६,३१०      |
| १६               | सोलापूर     | ६,४६२                | ३,९२७              | २,३५६             | ६०                    | ८,८७८    | २३७                    | ९,११४      |
| १७               | कोल्हापूर   | ३,९३२                | २,३१५              | ४,०४६             | ५३१                   | ८,५१०    | २,७७२                  | ११,२८२     |
| १८               | औरंगाबाद    | १,९७६                | १,६५६              | २,९३४             | १,१३३                 | ६,०४३    | १,१८७                  | ७,२२९      |
| १९               | जालना       | १,७८७                | १,४६८              | ५८८               | २१५                   | २,५९१    | १३८                    | २,७२९      |
| २०               | परभणी       | २,२४४                | १,७८४              | ३७१               | ५६२                   | ३,१७८    | १७८                    | ३,३५६      |
| २१               | हिंगोली     | १,३५८                | १,११८              | २९०               | १०३                   | १,७५१    | ०                      | १,७५१      |
| २२               | बीड         | ३,१९९                | २,५२०              | १,२१७             | २६३                   | ४,६७९    | ०                      | ४,६७९      |
| २३               | नांदेड      | २,५६१                | २,१०४              | १,०२७             | ८४                    | ३,६७२    | ०                      | ३,६७२      |
| २४               | उस्मानाबाद  | २,३८८                | १,९७१              | ४६२               | १३६                   | २,९८६    | ०                      | २,९८६      |
| २५               | लातूर       | २,९१७                | २,३४३              | १,८८७             | ३७                    | ४,८४१    | ३५६                    | ५,१९७      |
| २६               | बुलढाणा     | २,४४४                | १,८७७              | ४७३               | ४८४                   | ३,४०१    | १६५                    | ३,५६५      |
| २७               | अकोला       | १,८४८                | १,४०५              | ७२०               | ६०३                   | ३,१७१    | २२३                    | ३,३९४      |
| २८               | वाशिम       | १,६८०                | १,५००              | २१८               | ०                     | १,८९८    | २                      | १,९००      |
| २९               | अमरावती     | २,७०७                | २,०३७              | ९९७               | १५८                   | ३,८६२    | २१४                    | ४,०७५      |
| ३०               | यवतमाळ      | २,७१०                | २,१४३              | ४७३               | ४५५                   | ३,६३८    | ३३४                    | ३,९७२      |
| ३१               | वर्धा       | १,२५६                | ८५०                | ४३९               | ०                     | १,६९५    | २०५                    | १,९००      |
| ३२               | नागपूर      | १,६४९                | १,२०४              | ८९७               | ०                     | २,५४६    | ५६६                    | ३,११२      |
| ३३               | भंडारा      | ७३४                  | ५७६                | ३७३               | ९६                    | १,२०२    | १०२                    | १,३०५      |
| ३४               | गोंदिया     | ३६०                  | ३०४                | २७०               | २१                    | ६५२      | ८०                     | ७३१        |
| ३५               | चंद्रपूर    | १,३३७                | १,०३६              | ५९०               | १६५                   | २,०९२    | २१७                    | २,३०९      |
| ३६               | गडचिरोली    | ३२२                  | २३७                | २२३               | ०                     | ५४६      | २७                     | ५७३        |
| महाराष्ट्र राज्य |             | ८५,४६४               | ५८,३२४             | ३,१३,२१९          | ३५,९०८                | ४,३४,५९१ | १,४४,९४०               | ५,७९,३५१   |

आधार - राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र

टीप - आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

**परिशिष्ट ६.३**  
**जिल्हानिहाय प्रधान मंत्री जन-धन योजना**

(३१ मार्च, २०१८ पर्यंत)

| अ. क्र.                 | जिल्हा      | उघडण्यात आलेली एकूण खाती | देण्यात आलेली एकूण रुपे कार्ड | किमान शिलकीची मर्यादा नसलेली खाती | एकूण ठेवी (₹ कोटी) |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| (१)                     | (२)         | (३)                      | (४)                           | (५)                               | (६)                |
| १                       | मुंबई शहर   | ६,१८,९५१                 | ५,०६,०२२                      | १,३७,५३८                          | १७५.२              |
| २                       | मुंबई उपनगर | ५,८४,५८१                 | ५,२१,५९३                      | १,०१,८४४                          | २४२.३१             |
| ३                       | ठाणे        | १४,५६,५६३                | १०,२१,१३०                     | ३,२०,९५१                          | ३७६.१२             |
| ४                       | रायगड       | ३,६०,१४५                 | २,५४,२६४                      | ८७,३६६                            | १११.२१             |
| ५                       | रत्नागिरी   | २,५१,६७४                 | १,५८,५८९                      | ३९,४७६                            | ७६.३९              |
| ६                       | सिंधुदुर्ग  | १,३३,५७५                 | ९३,३९०                        | १८,२२५                            | ४३.९७              |
| ७                       | नाशिक       | १४,१६,८०८                | ७,५५,९१३                      | ३,२१,५१५                          | ३५७.३८             |
| ८                       | धुळे        | ५,७०,०९०                 | ३,६८,९६४                      | १,९९,९५१                          | ७२.४६              |
| ९                       | नंदुरबार    | ४,१३,६६९                 | ३,०२,८१४                      | १,४५,८०७                          | ४८.०५              |
| १०                      | जळगाव       | ९,९०,६९९                 | ६,८९,८०३                      | २,४५,७९८                          | १४६.८७             |
| ११                      | अहमदनगर     | १०,५०,६२०                | ६,८५,१६५                      | २,७२,४१५                          | २१२.२७             |
| १२                      | पुणे        | १२,६६,७०९                | ७,३३,६४९                      | २,७९,४४६                          | ४९१.३७             |
| १३                      | सातारा      | ५,९६,२४५                 | ३,०१,५९६                      | १,८०,८३३                          | १०४.१७             |
| १४                      | सांगली      | ५,६७,१७४                 | ४,३२,४२८                      | १,६३,७०६                          | ८९.२२              |
| १५                      | सोलापूर     | १०,६६,६५८                | ७,७८,६५२                      | २,५४,०१६                          | २१६.१२             |
| १६                      | कोल्हापूर   | ८,८९,८८४                 | ६,३०,७५७                      | १,७४,५६९                          | १८६.२५             |
| १७                      | औरंगाबाद    | ८,०८,७६०                 | ५,२४,४४८                      | २,४२,६०५                          | ११५.३              |
| १८                      | जालना       | ५,३९,१९०                 | ३,३०,६०६                      | १,८५,३७६                          | ५६.३५              |
| १९                      | परभणी       | ४,६३,३३७                 | ३,३८,४९२                      | १,५४,७८१                          | ५५.७३              |
| २०                      | हिंगोली     | ३,०७,५५१                 | २,६४,१७५                      | १,१५,२४९                          | ३६.६२              |
| २१                      | बीड         | ७,१२,४४२                 | ५,४२,९४९                      | २,२०,३०७                          | ११६.३५             |
| २२                      | नांदेड      | ९,१०,४१३                 | ७,४२,७४७                      | ३,१९,४९९                          | १०२.९५             |
| २३                      | उस्मानाबाद  | ३,८९,८६२                 | २,८२,३३३                      | १,०८,४४०                          | ८६.३१              |
| २४                      | लातूर       | ५,८०,२१५                 | ४,२८,३१४                      | १,८६,३३४                          | ८५.७               |
| २५                      | बुलढाणा     | ६,७७,८८०                 | ४,७९,२१५                      | १,७८,३६१                          | ६२.८५              |
| २६                      | अकोला       | ३,८३,९२८                 | २,७०,०७८                      | ८३,९६९                            | ४९.८८              |
| २७                      | वाशिम       | २,८३,३७८                 | २,००,२७०                      | ७२,१९६                            | २७.५२              |
| २८                      | अमरावती     | ५,७८,४११                 | ३,४९,९६२                      | १,२४,९२३                          | ८४.८८              |
| २९                      | यवतमाळ      | ७,७०,५८९                 | ५,२१,७२१                      | १,९३,९२१                          | ७१.९४              |
| ३०                      | वर्धा       | २,१८,१४२                 | १,५६,६७५                      | ३८,६९९                            | ६४.७७              |
| ३१                      | नागपूर      | ८,५४,०२२                 | ७,०१,१२९                      | १,६५,४९९                          | २१८.२३             |
| ३२                      | भंडारा      | ३,९५,७२८                 | २,५५,०३१                      | ६०,६९२                            | ८५.१३              |
| ३३                      | गोंदिया     | ३,६६,०७६                 | २,६२,४३१                      | ६८,३२६                            | ७२.९               |
| ३४                      | चंद्रपूर    | ४,३९,२२९                 | ३,०९,४९४                      | ८९,८९१                            | ९४.४९              |
| ३५                      | गडचिरोली    | २,२६,४०७                 | १,४७,७६४                      | ४१,०७३                            | ५३.९३              |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> |             | <b>२,२१,३९,६०५</b>       | <b>१,५३,४२,५६३</b>            | <b>५५,९३,५९७</b>                  | <b>४,४९१.१९</b>    |

आधार - बँक ऑफ महाराष्ट्र, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे निमंत्रक

७

## कृषि व संलग्न कार्ये





## ७. कृषि व संलग्न कार्ये

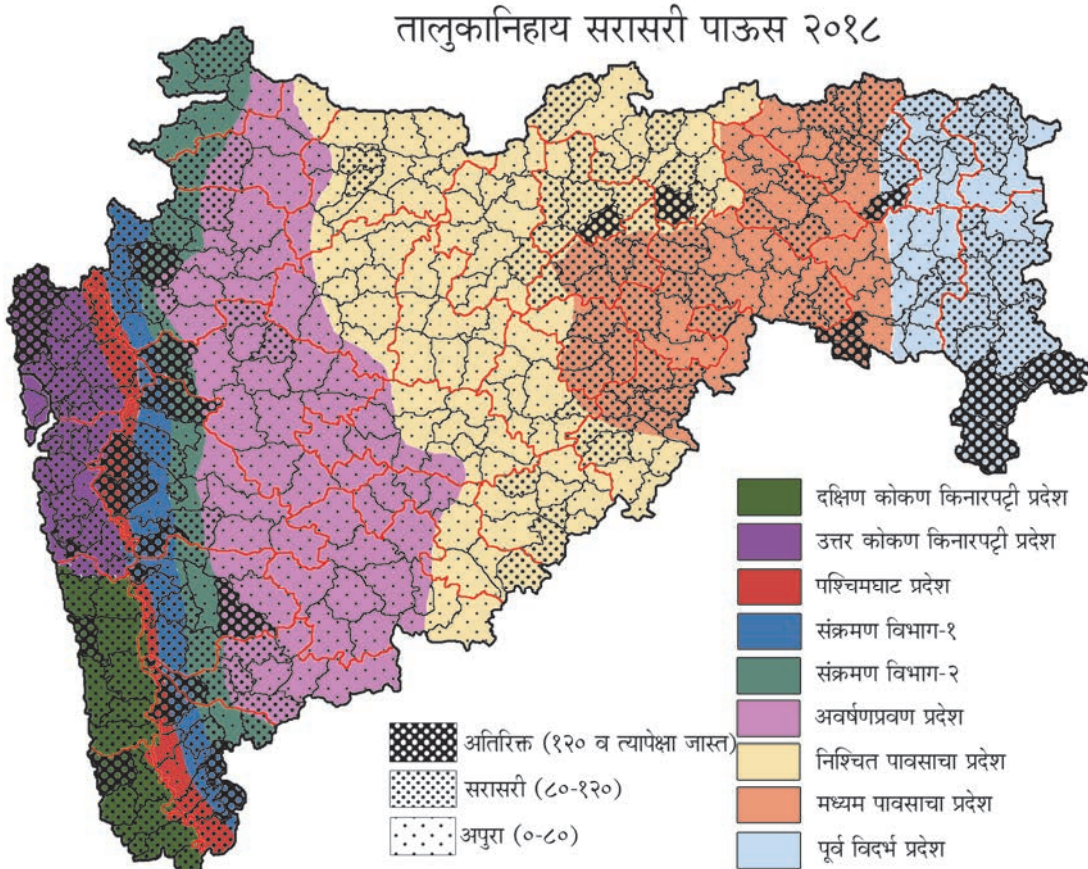
७.१ कृषि व संलग्न कार्ये हे क्षेत्र त्यातील आवश्यक उत्पादनांद्वारे एकंदर आर्थिक वाढीत महत्त्वपूर्ण योगदान देत असते. एकूण १७ शाश्वत विकास ध्येयांपैकी गरिबी निर्मूलन, शून्य उपासमार, चांगले काम व आर्थिक वाढ, जबाबदारीने वापर व उत्पादन, हवामान बदलावरील कृती, पाण्याखालील जीवसृष्टी, जमिनीवरील जीवसृष्टी ही ध्येये या क्षेत्राशी थेट संलग्न आहेत. सर्वात मोठा आजिविका प्रदाता असल्याने शाश्वत शेतीला चालना देणे अपरिहार्य आहे. शाश्वत विकासाच्या निश्चितीसाठी जलसंसाधनांचा कार्यक्षम व प्रभावी वापर, शेतमाल-प्रक्रिया क्षमतांमध्ये वाढ, ग्रामीण जनतेसाठी अधिक चांगली उपजिविका, लहान शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण, वाया जाणाऱ्या शेती उत्पादनांमध्ये घट करणे, उचित मूल्य साखळी असलेली बाजार व्यवस्था, जमिनीची होणारी धूप, वाळवंटीकरणास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना आणि जैव विविधतेमध्ये सुधारणा व संवर्धन गरजेचे आहे.

७.२ काळाच्या ओघात राज्याच्या स्थूल मूल्यवृद्धिमधील या क्षेत्राचा हिस्सा घटत असल्याने शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, व्यापार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट अशा इतर निगडीत क्षेत्रांवर या क्षेत्राचा परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील उद्योगप्रधान राज्यांपैकी एक असले तरी सुमारे ५३ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था मूलतः शेतीप्रधान राहिली असून हे क्षेत्र अजूनही राज्यात अधिक प्रभावी आहे. हवामानाच्या स्थितीवर असलेले अवलंबित्व, सीमांतिक आणि लहान शेतकऱ्यांची वाढती संख्या आणि कमी होत जाणारे वहिती क्षेत्र, अधिक खर्चांमुळे नफा न होणे व बाजारातील अनिश्चितता या राज्यातील कृषि क्षेत्रासाठीच्या प्रमुख चिंतेच्या बाबी राहिल्या आहेत.

७.३ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाद्वारे विविध धोरणात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. बदलती जीवनशैली व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांऐवजी नैसर्गिक उत्पादनांच्या वापराकडे असलेला वाढता कल यामुळे या क्षेत्रात असलेल्या लक्षणीय वाढीच्या संभाव्य क्षमतेचा वापर करणे गरजेचे आहे.

### कृषि-हवामान स्थिती

७.४ महाराष्ट्राचे हवामान उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा असे तीन स्वतंत्र ऋतू असणारे कटिबंधीय मान्सून प्रकारचे आहे. पर्जन्य, मृदा प्रकार आणि झाडेझुडपे या आधारे राज्य नऊ कृषि-हवामान विभागात विभागले आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात बराच फरक दिसून येतो.



७.४.१ मान्सून पावसाचे आगमन ८ जून, २०१८ रोजी दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात झाले. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर मध्ये सरासरीच्या तुलनेत अनुक्रमे १०६.५ टक्के, ८५.१ टक्के, ७६.३ टक्के, २८.२ टक्के आणि १९.० टक्के पाऊस पडला. राज्यात २०१८ मध्ये सरासरीच्या तुलनेत एकूण ७३.६ टक्के पाऊस पडला. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून राज्यातील एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी ९ तालुक्यात तुरळक, १८३ तालुक्यात (५१.५ टक्के) अपुरा, १३८ तालुक्यात सरासरी इतका आणि २५ तालुक्यात अतिरिक्त पाऊस झाला. पडलेल्या पावसाच्या वर्गवारीनुसार तालुक्यांचे महिनानिहाय वर्गीकरण तक्ता ७.१ मध्ये दिले आहे. प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसाची विभागनिहाय आकडेवारी तक्ता ७.२ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ७.१ पडलेल्या पावसाच्या प्रमाणानुसार तालुक्यांचे महिनानिहाय वर्गीकरण

| पावसाची वर्गवारी<br>(सरासरीशी<br>टक्केवारी) | तालुक्यांची संख्या <sup>#</sup> |      |      |      |       |      |          |      |         |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|-------|------|----------|------|---------|------|
|                                             | जून                             |      | जुलै |      | ऑगस्ट |      | सप्टेंबर |      | ऑक्टोबर |      |
|                                             | २०१७                            | २०१८ | २०१७ | २०१८ | २०१७  | २०१८ | २०१७     | २०१८ | २०१७    | २०१८ |
| १२० व अधिक                                  | ११७                             | १३३  | ३३   | ५०   | ९३    | ५४   | ८८       | ९    | १८४     | १    |
| १०० - १२०                                   | ६१                              | ६१   | २२   | ५५   | ३०    | ४३   | ४१       | १९   | ३८      | १    |
| ८० - १००                                    | ५४                              | ६७   | ५८   | ७६   | ६७    | ८७   | ३८       | ३१   | ५१      | ४    |
| ६० - ८०                                     | ६६                              | ६५   | ७९   | ७१   | ६४    | १००  | ७३       | ४६   | ४६      | ११   |
| ४० - ६०                                     | ४२                              | २५   | ८७   | ५९   | ७०    | ४८   | ६५       | ८१   | २०      | २९   |
| २० - ४०                                     | १४                              | ४    | ६२   | ४२   | ३०    | २२   | ४६       | १०२  | १३      | ४२   |
| ० - २०                                      | १                               | ०    | १४   | २    | १     | १    | ४        | ६७   | ३       | २६७  |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून

#### तक्ता ७.२ विभागनिहाय प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस

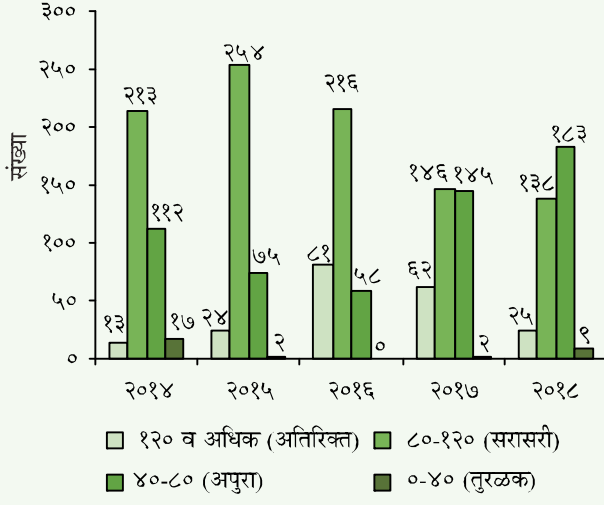
(मिमी)

| कालावधीतील पाऊस |        | विभाग    |        |       |          |         |         | महाराष्ट्र     |
|-----------------|--------|----------|--------|-------|----------|---------|---------|----------------|
|                 |        | कोकण     | नाशिक  | पुणे  | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर  |                |
| जून             | सरासरी | ६६०.२०   | १२७.७० | १६६.० | १४५.८    | १५४.१   | १८७.५   | २२३.३          |
|                 | २०१७   | ७८८.३    | १३८.४  | १६७.९ | १७१.५    | १३८.१   | ११८.५   | २१९.१ (९८.१)   |
|                 | २०१८   | ९०३.४    | ११९.४  | १४६.२ | १७०.८    | १६९.३   | १८९.८   | २३७.९ (१०६.५)  |
| जुलै            | सरासरी | १,१६४.७० | २३५.५  | ३३०.६ | २०१.२    | २६१.०   | ४१२.३   | ४०२.६          |
|                 | २०१७   | १,०९६.१  | २१९.६  | २६६.७ | ७३.८     | १४७.१   | २७४.४   | २८८.९ (७१.८)   |
|                 | २०१८   | १,२६४.२  | १५६.७  | ३११.८ | १०९.१    | २२७.५   | ३८७.८   | ३४२.६ (८५.१)   |
| ऑगस्ट           | सरासरी | ७५७.१    | १८९.०  | २१६.७ | १९७.३    | २१०.०   | ३५२.४   | ३०३.३          |
|                 | २०१७   | ७६९.८    | १६३.८  | १३६.७ | २१२.१    | १२४.७   | २२७.२   | २३५.२ (७७.५)   |
|                 | २०१८   | ५६७.२    | १४५.५  | १८७.० | १८४.९    | १८६.१   | २६८.३   | २३१.४ (७६.३)   |
| सप्टेंबर        | सरासरी | ३७९.०    | १५८.६  | १५८.२ | १७६.९    | १६६.७   | २०९.५   | २०२.१          |
|                 | २०१७   | ५११.६    | १२३.२  | २०५.४ | १३१.४    | १०२.३   | १२५.७   | १८०.४ (८९.३)   |
|                 | २०१८   | ११७.५    | ३२.६   | ५४.८  | २३.७     | ४९.९    | १०२.२   | ५७.० (२८.२)    |
| ऑक्टोबर         | सरासरी | ११५.४    | ५०.८   | ९१.६  | ५८.६     | ४६.१    | ५३.५    | ६७.४           |
|                 | २०१७   | १५१.८    | ८८.८   | ११४.९ | ८०.८     | ५०.१    | ४५.६    | ८६.५ (१२८.३)   |
|                 | २०१८   | ४५.१     | ३.५    | ३०.५  | ६.०      | ०.०     | ०.०     | १२.८ (१९.०)    |
| जून ते          | सरासरी | ३,०७६.४  | ७६१.६  | ९६३.१ | ७७९.८    | ८३७.९   | १,२१५.२ | १,१९८.७        |
| ऑक्टोबर         | २०१७   | ३,३१७.६  | ७३३.८  | ८९१.६ | ६६९.६    | ५६२.३   | ७९१.४   | १,०१०.१ (८४.३) |
|                 | २०१८   | २,८९७.४  | ४५७.७  | ७३०.३ | ४९४.५    | ६३२.८   | ९४८.१   | ८८१.७ (७३.६)   |

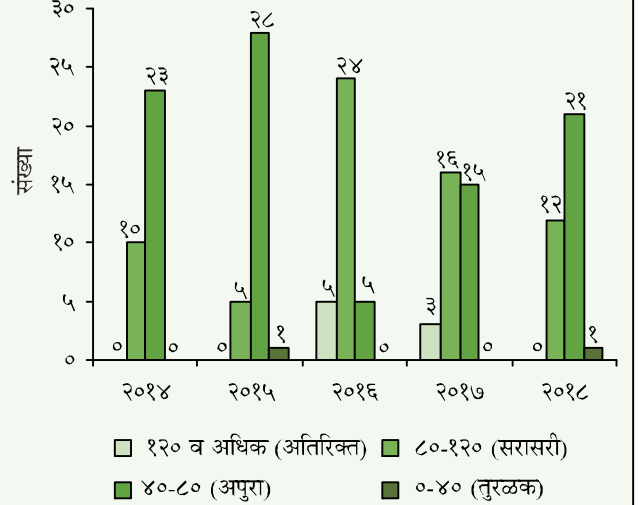
आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

टीप: कंसातील आकडे प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसाचे सरासरी पावसाशी प्रमाण दर्शवितात

आलेख ७.१: पडलेल्या पावसानुसार तालुक्यांची संख्या  
(सरासरीशी टक्केवारी)



आलेख ७.२: पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची संख्या  
(सरासरीशी टक्केवारी)

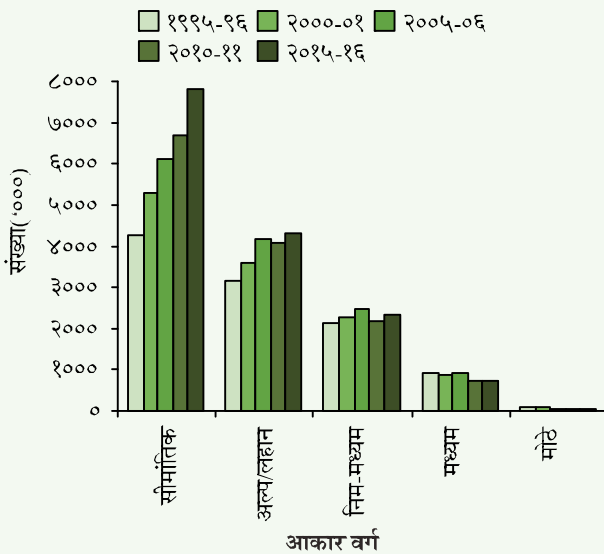


७.४.२ राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ७० टक्के भाग अर्ध शुष्क क्षेत्रामध्ये येतो. राज्यात २०११-१२ पासून (सन २०१३ वगळता) मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ परिस्थिती असल्याने केंद्र तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून मदत प्राप्त झाली आहे. सन २०१८ मध्ये १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. याशिवाय सरासरी पावसाच्या तुलनेत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या २६८ महसूली क्षेत्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला.

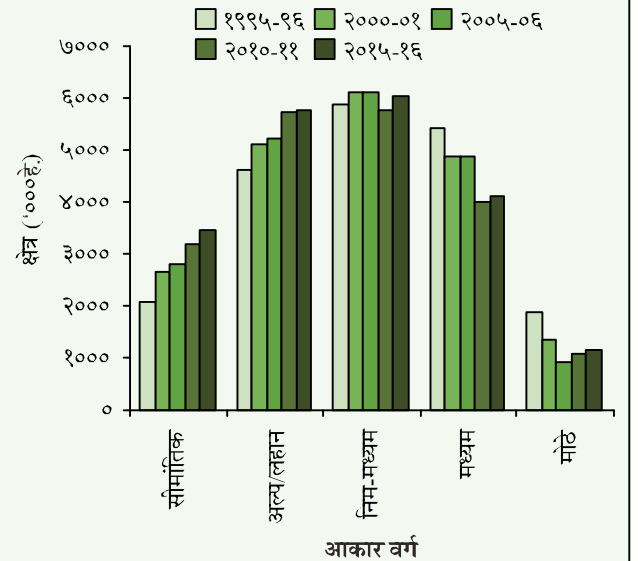
### वहती खातेदार

७.५ दहाव्या कृषि गणने (२०१५-१६) नुसार राज्यात एकूण वहती खातेदारांची संख्या आणि वहती क्षेत्र अनुक्रमे १.५३ कोटी व २.०५ कोटी हेक्टर होते, तर पहिल्या कृषि गणने (१९७०-७१) नुसार तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे ०.५० कोटी व २.१२ कोटी हेक्टर होती. या कालावधीत वहती खात्याचे सरासरी क्षेत्र ४.२८ हेक्टर वरून कमी होऊन १.३४ हेक्टर झाले. कृषि गणना २०१५-१६ नुसार राज्यातील वहती खातेदारांची संख्या व सरासरी वहती क्षेत्र तक्ता ७.३ मध्ये दिले आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकडील सरासरी वहती क्षेत्र अनुक्रमे १.२४ हेक्टर व १.७६ हेक्टर होते. महिला वहती खातेदारांचे प्रमाण १४.०७ टक्के असून सरासरी वहती क्षेत्र १.२२ हेक्टर होते. राज्यातील वहती खात्यांच्या आकडेवारीची समय मालिका परिशिष्ट ७.१ मध्ये दिली आहे.

आलेख ७.३: वहती खातेदारांची संख्या



आलेख ७.४ : वहती क्षेत्र





### तक्ता ७.३ राज्यातील वहिती खातेदार व वहिती क्षेत्र

| आकार वर्ग<br>(हेक्टरमध्ये)    | वहिती खातेदाराची संख्या ('०००) |          | वहिती क्षेत्र ('००० हेक्टर) |          |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
|                               | २०१०-११                        | २०१५-१६* | २०१०-११                     | २०१५-१६* |
| अत्यल्प/सीमांतिक (१.० पर्यंत) | ६,७०९                          | ७,८१६    | ३,१८६                       | ३,४४९    |
| अल्प/लहान (१.० ते २.०)        | ४,०५२                          | ४,३३९    | ५,७३९                       | ५,७७१    |
| निम-मध्यम (२.० ते ४.०)        | २,१५९                          | २,३२७    | ५,७६५                       | ६,०२५    |
| मध्यम (४.० ते १०.०)           | ७११                            | ७३४      | ३,९९३                       | ४,०९९    |
| मोठे (१०.० व अधिक)            | ६८                             | ६९       | १,०८४                       | १,१६२    |
| एकूण                          | १३,६९९                         | १५,२८५   | १९,७६७                      | २०,५०६   |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

### जमिनीचा वापर

७.६ वर्ष २०१६-१७ च्या जमीन वापराच्या आकडेवारीनुसार राज्याच्या एकूण ३०७.५८ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी पिकांखालील स्थूल क्षेत्र २३२.२४ लाख हेक्टर तर पिकांखालील निव्वळ क्षेत्र १६९.१० लाख हेक्टर (५५.० टक्के) होते. राज्यातील जमीन वापराच्या आकडेवारीची समय मालिका परिशिष्ट ७.२ मध्ये दिली आहे.

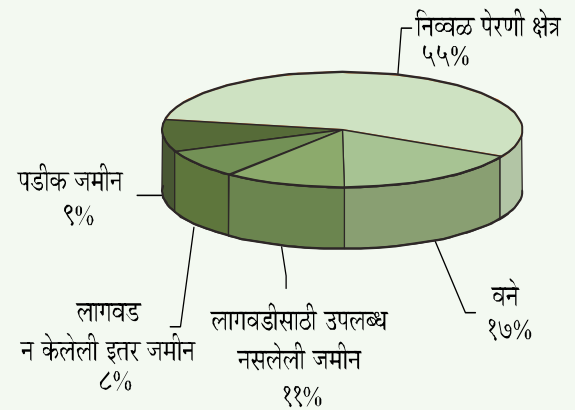
### संभाव्य उत्पादन २०१८-१९

७.७.१ **खरीप पिके:** सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये १५१.०३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली व ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ०.०५ टक्क्यांनी जास्त होती (१५०.९६ लाख हेक्टर). मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये आणि

कापूस या पिकांखालील क्षेत्रात घट झाली असून तेलबिया आणि ऊस पिकांखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य व कडधान्य यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ६ टक्के व ३५ टक्के घट अपेक्षित असून तेलबिया, कापूस व ऊसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे १६ टक्के, १७ टक्के व १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन तक्ता ७.४ मध्ये दिले आहे.

७.७.२ **रब्बी पिके:** प्रामुख्याने सप्टेंबर व ऑक्टोबर, २०१८ मधील कमी पावसामुळे रब्बी पिकांखालील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत ५० टक्के घट आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया या पिकांखालील क्षेत्रात अनुक्रमे ५६ टक्के, ४० टक्के आणि ५८ टक्के घट आहे. प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन तक्ता ७.५ मध्ये दिले आहे.

### आलेख ७.५: राज्यातील जमिनीचा वापर २०१६-१७





## तक्ता ७.४ प्रमुख खरीप पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन

| पीक                    | क्षेत्र ('००० हेक्टर) |                      |               | उत्पादन ('००० मे. टन) |                      |               |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                        | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल# | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल# |
| तांदूळ                 | १,४२५                 | १,५५३                | ९             | २,६६८                 | ३,४०८                | २८            |
| ज्वारी                 | ५६५                   | २९५                  | (-)४८         | ५४७                   | २७२                  | (-)५०         |
| बाजरी                  | ७८८                   | ५०४                  | (-)३६         | ६६९                   | ३१४                  | (-)५३         |
| नाचणी                  | ९३                    | ८०                   | (-)१४         | १०६                   | ८५                   | (-)२०         |
| मका                    | ६९५                   | ८१६                  | १७            | २,१६६                 | १,६८९                | (-)२२         |
| इतर तृणधान्ये          | ४२                    | ४७                   | ११            | २१                    | २२                   | ४             |
| <b>एकूण तृणधान्ये</b>  | <b>३,६०८</b>          | <b>३,२९५</b>         | <b>(-)९</b>   | <b>६,१७७</b>          | <b>५,७९०</b>         | <b>(-)६</b>   |
| तूर                    | १,३७५                 | १,२१०                | (-)१२         | १,२५०                 | ६८४                  | (-)४५         |
| मूग                    | ४३२                   | ४१२                  | (-)५          | १५९                   | १५८                  | ०             |
| उडीद                   | ३५१                   | ३९६                  | १३            | १२१                   | १५३                  | २६            |
| इतर कडधान्ये           | ८१                    | ८७                   | ७             | ५४                    | ४१                   | (-)२५         |
| <b>एकूण कडधान्ये</b>   | <b>२,२३९</b>          | <b>२,१०५</b>         | <b>(-)६</b>   | <b>१,५८४</b>          | <b>१,०३६</b>         | <b>(-)३५</b>  |
| <b>एकूण अन्नधान्ये</b> | <b>५,८४७</b>          | <b>५,४००</b>         | <b>(-)८</b>   | <b>७,७६१</b>          | <b>६,८२५</b>         | <b>(-)१२</b>  |
| सोयाबीन                | ३,६९४                 | ४,०४३                | ९             | ३,८०५                 | ४,५५०                | २०            |
| भुईमूग                 | २४०                   | १९६                  | (-)१८         | २७५                   | १८४                  | (-)३३         |
| तीळ                    | २७                    | १४                   | (-)४८         | ५                     | २                    | (-)५८         |
| कारळ                   | १३                    | १३                   | (-)१          | २                     | २                    | १९            |
| सुर्यफूल               | १६                    | ८                    | (-)५०         | ८                     | २                    | (-)७४         |
| इतर तेलबिया            | ६                     | १३                   | १०७           | १                     | ४                    | २९६           |
| <b>एकूण तेलबिया</b>    | <b>३,९९६</b>          | <b>४,२८७</b>         | <b>७</b>      | <b>४,०९६</b>          | <b>४,७४४</b>         | <b>१६</b>     |
| कापूस (रुई) @          | ४,३५१                 | ४,२५४                | (-)२          | ६,०९४                 | ७,१२८                | १७            |
| ऊस **                  | ९०२                   | १,१६३                | २९            | ८३,१३८                | ९१,७०४               | १०            |
| <b>एकूण</b>            | <b>१५,०९६</b>         | <b>१५,१०३</b>        | <b>०.०५</b>   | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>     |

@ १७० किलोची एक गासडी याप्रमाणे कापसाचे उत्पादन '००० गासड्यांमध्ये

\*\* तोडणी क्षेत्र

# परिगणना प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आधारित

टिप : वर्ष २०१८-१९ ची आकडेवारी ही तृतीय पुर्वानुमानावर आधारित आहे.

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## तक्ता ७.५ प्रमुख रब्बी पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन

| पीक                    | क्षेत्र ('००० हेक्टर) |                      |               | उत्पादन ('००० मे. टन) |                      |               |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|                        | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल# | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल# |
| ज्वारी                 | २,८९९                 | १,२४६                | (-)५७         | १,८४२                 | ५१५                  | (-)७२         |
| गहू                    | १,१३८                 | ५६९                  | (-)५०         | १,८८५                 | ७२६                  | (-)६१         |
| मका                    | ३३४                   | ११५                  | (-)६५         | ९०५                   | २२५                  | (-)७५         |
| इतर तृणधान्ये          | ७                     | १३                   | ८६            | ४                     | ४                    | ९             |
| <b>एकूण तृणधान्ये</b>  | <b>४,३७८</b>          | <b>१,९४३</b>         | <b>(-)५६</b>  | <b>४,६३६</b>          | <b>१,४७०</b>         | <b>(-)६८</b>  |
| हरभरा                  | २,२३४                 | १,२९३                | (-)४२         | २,०४९                 | ९८६                  | (-)५२         |
| इतर कडधान्ये           | १०२                   | ११०                  | ८             | ५१                    | ५२                   | २             |
| <b>एकूण कडधान्ये</b>   | <b>२,३३६</b>          | <b>१,४०३</b>         | <b>(-)४०</b>  | <b>२,१००</b>          | <b>१,०३८</b>         | <b>(-)५१</b>  |
| <b>एकूण अन्नधान्ये</b> | <b>६,७१४</b>          | <b>३,३४६</b>         | <b>(-)५०</b>  | <b>६,७३६</b>          | <b>२,५०८</b>         | <b>(-)६३</b>  |
| तीळ                    | ४                     | १                    | (-)८६         | १                     | ०                    | (-)८७         |
| करडई                   | ३९                    | १८                   | (-)५५         | २१                    | ६                    | (-)७०         |
| सुर्यफूल               | २४                    | ४                    | (-)८५         | १२                    | १                    | (-)९२         |
| जवस                    | ११                    | ८                    | (-)२९         | ३                     | २                    | (-)२२         |
| सरसू व मोहरी           | ७                     | ६                    | (-)१४         | २                     | २                    | (-)३          |
| <b>एकूण तेलबिया</b>    | <b>८५</b>             | <b>३७</b>            | <b>(-)५८</b>  | <b>३९</b>             | <b>११</b>            | <b>(-)७०</b>  |
| <b>एकूण</b>            | <b>६,७९९</b>          | <b>३,३८३</b>         | <b>(-)५०</b>  | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>     |

टिप : वर्ष २०१८-१९ ची आकडेवारी ही तृतीय पुर्वानुमानावर आधारित आहे.

# परिगणना प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आधारित

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

७.७.३ **उन्हाळी पिके:** सन २०१८-१९ मध्ये उन्हाळी पिकांखालील क्षेत्र ०.८४ लाख हेक्टर असून ते गेल्या वर्षाच्या (१.३३ लाख हेक्टर) तुलनेत ४१ टक्क्यांनी कमी आहे. उन्हाळी तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया या पिकांखालील क्षेत्रात अनुक्रमे १९ टक्के, ३४ टक्के व ६२ टक्के घट आहे.

७.७.४ प्रमुख पिकांचे क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता यांची समय मालिका परिशिष्ट ७.३ मध्ये दिली आहे.

७.७.५ **कृषि उत्पादनाचे निर्देशांक:** राज्याकरिता कृषि उत्पादनाच्या निर्देशांकांची (पाया: १९७९-८२ त्रैवार्षिक) समय मालिका परिशिष्ट ७.४ मध्ये दिली आहे.

७.७.६ निवडक राज्यांतील त्रैवार्षिक सरासरी उत्पादकता तक्ता ७.६ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ७.६ निवडक राज्यांतील त्रैवार्षिक सरासरी उत्पादकता

| राज्य             | सरासरी उत्पादकता <sup>१</sup>  |                               |                              |                            |                      |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
|                   | तृणधान्ये<br>(कि.ग्रॅ./हेक्टर) | कडधान्ये<br>(कि.ग्रॅ./हेक्टर) | तेलबिया<br>(कि.ग्रॅ./हेक्टर) | कापूस<br>(कि.ग्रॅ./हेक्टर) | ऊस<br>(मे.टन/हेक्टर) |
| आंध्र प्रदेश      | ३,४८६                          | ८०६                           | ६९७                          | ५४४                        | ७५                   |
| गुजरात            | २,२६०                          | ९२४                           | १,७५७                        | ६१४                        | ६२                   |
| कर्नाटक           | १,९९८                          | ५३०                           | ६३५                          | ४३८                        | ८१                   |
| पंजाब             | ४,२४८                          | ८९९                           | १,३२३                        | ५४६                        | ७७                   |
| मध्य प्रदेश       | २,५१७                          | ९०८                           | १,०३७                        | ५५६                        | ४८                   |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>१,१७८</b>                   | <b>६३४</b>                    | <b>८०४</b>                   | <b>३५४</b>                 | <b>८०</b>            |
| राजस्थान          | १,८१०                          | ५६६                           | १,२४२                        | ५००                        | ७७                   |
| तेलंगणा           | ३,०१०                          | ६४१                           | १,२५२                        | ३८१                        | ७६                   |
| उत्तर प्रदेश      | २,४०८                          | ७०१                           | ७४८                          | उ.ना.                      | ६५                   |

उ.ना. उपलब्ध नाही

\$ २०१४-१५ ते २०१६-१७

आधार: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार

७.७.७ **फलोत्पादन:** पीक क्षेत्राच्या राज्य स्थूल मुल्यवृद्धित फलोत्पादनाचा सरासरी ३० टक्के हिस्सा आहे. फलोत्पादन पिकांखालील अंदाजित क्षेत्र व उत्पादन तक्ता ७.७ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ७.७ फलोत्पादन पिकांखालील अंदाजित क्षेत्र व उत्पादन

| पीक               | क्षेत्र ('००० हेक्टर) |                      |              | उत्पादन ('००० मे. टन) |                      |              |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                   | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल | २०१७-१८               | २०१८-१९<br>(अस्थायी) | शेकडा<br>बदल |
| फळे               | ७३५.१८                | ६९८.७३               | (-)५.०       | ११,७२८.६६             | ९,९९२.४६             | (-)१४.८      |
| भाजीपाला          | ७२६.२०                | ६८२.८६               | (-)६.०       | १२,३०६.७२             | ११,६१०.४८            | (-)५.७       |
| मसाल्याची पिके    | ३४.३७                 | ३५.०१                | १.९          | ३७०.७०                | ३८५.११               | ३.९          |
| फळबाग पिके        | २२०.७२                | २२०.९४               | ०.१          | ३६१.०७                | ३४२.४९               | (-)५.१       |
| फुले <sup>@</sup> | ५.४९                  | ५.४९                 | ०.०          | ८६.०७                 | ८६.०७                | ०.०          |

@ देठासह व देठाविरहीत फुले समाविष्ट

टीप : वर्ष २०१८-१९ ची आकडेवारी ही पहिल्या पुर्वानुमानावर आधारित

आधार: राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, भारत सरकार

#### तृणधान्ये व कडधान्यांची वार्षिक गरज

७.८ राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (रानपा) ६८ व्या फेरीनुसार (२०११-१२) तृणधान्यांचा व कडधान्यांचा अंदाजित दरडोई मासिक घरगुती वापर अनुक्रमे ९.०८ कि.ग्रॅ. व ०.९८ कि.ग्रॅ. आहे. राज्यातील तृणधान्यांची व कडधान्यांची घरगुती वापरासाठी वर्ष २०१८-१९ करिता अंदाजित वार्षिक गरज अनुक्रमे सुमारे १३५.८ लाख मे. टन व १४.७ लाख मे.टन आहे.

#### सुधारित बियाणे

७.९ महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) व राष्ट्रीय बीज निगम या दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन व वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख संस्था आहेत. याशिवाय विविध पिकांच्या बियाणांची विक्री खाजगी बियाणे उत्पादकांकडून केली जाते. केंद्र

शासनाने स्वपरागसिंचित (तांदुळ, गहू, तूर, मूग, उडीद, इ.) पिकांच्या बाबतीत ३५ टक्के, परपरागसिंचित (मका, ज्वारी, बाजरी, सूर्यफूल, इ.) पिकांसाठी ५० टक्के व संकरित पिकांसाठी १०० टक्के याप्रमाणे बियाणे बदलाचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. सुधारित बियाणांचे खरीप व रब्बी हंगामासाठी केलेले वितरण तक्ता ७.८ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ७.८ सुधारित बियाणांचे खरीप व रब्बी हंगामासाठी केलेले वितरण

('००० क्विंटल)

| वितरक संस्था | हंगाम | २०१६  | २०१७  | २०१८  | २०१७ च्या तुलनेत<br>२०१८ मधील<br>शेकडा बदल <sup>#</sup> |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| खाजगी        | खरीप  | ५५२   | ५०१   | ५३१   | ६.०                                                     |
|              | रब्बी | ३१५   | २७४   | ३८८   | ४१.६                                                    |
|              | एकूण  | ८६७   | ७७५   | ९१९   | १८.६                                                    |
|              | खरीप  | ९८२   | ९०७   | १,०७७ | १८.७                                                    |
|              | रब्बी | ५७८   | ५३२   | ३२६   | (-)३८.७                                                 |
|              | एकूण  | १,५६० | १,४३९ | १,४०३ | (-)२.५                                                  |
| एकूण         | खरीप  | १,५३४ | १,४०८ | १,६०८ | १४.२                                                    |
|              | रब्बी | ८९३   | ८०६   | ७१४   | (-)११.४                                                 |
|              | एकूण  | २,४२७ | २,२१४ | २,३२२ | ४.९                                                     |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# परिगणना प्रत्यक्ष आकडेवारीवर आधारित

#### खते व किटकनाशके

७.१० रासायनिक खतांचा वापर तक्ता ७.९ मध्ये दिला आहे. किटकनाशकांचा वापर तक्ता ७.१० मध्ये दिला आहे. नत्र, स्फुरद व पालाश रासायनिक खतांचा विभागवार वापर तक्ता ७.११ मध्ये दिला आहे.

#### तक्ता ७.९ रासायनिक खतांचा वापर

| वर्ष                 | एकूण वापर<br>(लाख मे. टन) | प्रति हेक्टर वापर<br>(किलो) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| २०१६-१७              | ६१.७४                     | १२६.१                       |
| २०१७-१८              | ६१.६९                     | १२४.०                       |
| २०१८-१९ <sup>#</sup> | ६२.१०                     | १२४.८                       |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# अंदाजित

#### तक्ता ७.१० किटकनाशकांचा वापर

(मे. टन)

| वर्ष                 | किटकनाशके |       |
|----------------------|-----------|-------|
|                      | रासायनिक  | जैविक |
| २०१६-१७              | १३,४९६    | १,४५४ |
| २०१७-१८              | १५,५६८    | १,२७१ |
| २०१८-१९ <sup>#</sup> | १५,७०५    | २,२५२ |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# अंदाजित

#### तक्ता ७.११ नत्र, स्फुरद व पालाश रासायनिक खतांचा विभागवार वापर

('०० मे. टन)

| विभाग      | रासायनिक खते |        |       |        |                       |        |       |        |
|------------|--------------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|
|            | २०१७-१८      |        |       |        | २०१८-१९ <sup>\$</sup> |        |       |        |
|            | नत्र         | स्फुरद | पालाश | एकूण   | नत्र                  | स्फुरद | पालाश | एकूण   |
| कोकण       | ३६६          | ७१     | ५६    | ४९३    | ५५६                   | २३५    | २६८   | १,०५९  |
| नाशिक      | ३,७६२        | २,०८४  | १,७८६ | ७,६३२  | ३,८६४                 | २,०३०  | १,८८२ | ७,७७६  |
| पुणे       | ३,७३९        | १,८२३  | १,४८० | ७,०४२  | ४,३८१                 | २,३९७  | २,२८३ | ९,०६१  |
| औरंगाबाद   | ३,८१४        | २,६०२  | १,२८६ | ७,७०२  | ४,५३२                 | ३,०४२  | १,९५७ | ९,५३१  |
| अमरावती    | १,६४९        | १,२६५  | ५६६   | ३,४८१  | १,५८७                 | १,२५४  | ६३१   | ३,४७२  |
| नागपूर     | १,७६५        | ९५९    | ३६२   | ३,०८६  | १,४२०                 | ८०९    | ४४३   | २,६७२  |
| महाराष्ट्र | १५,०९५       | ८,८०४  | ५,५३६ | २९,४३६ | १६,३४०                | ९,७६७  | ७,४६४ | ३३,५७१ |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

\$ अपेक्षित

## सिंचन

७.११.१ महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील लाभक्षेत्रातील सिंचित क्षेत्र २०१७-१८ मध्ये ३९.५० लाख हेक्टर आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या, निर्मित सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षेत्र तक्ता ७.१२ मध्ये दिले आहे. लघु सिंचन प्रकल्पांची (स्थानिक क्षेत्र) संख्या, निर्मित सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षेत्र तक्ता ७.१३ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ७.१२ पाटबंधारे प्रकल्पांची संख्या, निर्मित सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षेत्र

| बाब                                                            | जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प |                    |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
|                                                                | मोठे व मध्यम             | लघु                | एकूण  |
| ३० जून, २०१८ रोजी पूर्ण व प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची संख्या     | ४०२                      | ३,४९६ <sup>९</sup> | ३,८९८ |
| सिंचन क्षमता (लाख हेक्टर)                                      |                          |                    |       |
| (i) जून, २०१७ पर्यंत निर्मित सिंचित क्षेत्र                    | ३५.३४                    | १५.०२              | ५०.३६ |
| (ii) २०१७-१८ मधील कालवा व नदीद्वारे सिंचित क्षेत्र             | १९.११                    | ६.६१               | २५.७२ |
| (iii) २०१७-१८ मधील लाभ क्षेत्रातील विहिरीद्वारे सिंचित क्षेत्र | १२.०२                    | १.७६               | १३.७८ |
| (iv) २०१७-१८ मधील वापरलेली एकूण सिंचन क्षमता (ii)+(iii)        | ३१.१३                    | ८.३७               | ३९.५० |

\$ प्रकल्प संख्येमध्ये महाराष्ट्र सिंचन विकास महामंडळाच्या २८४ उपसा सिंचन योजना समाविष्ट

टोप : १ मध्यम व ११ लहान प्रकल्प रद्द. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत पूर्ण आणि चालू असलेल्या प्रकल्पांची संख्या कमी आहे.

आधार : जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद

### तक्ता ७.१३ लघु सिंचन प्रकल्पांची (स्थानिक क्षेत्र) संख्या, निर्मित सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षेत्र

| बाब                                       | कोल्हापूर<br>बंधारे | उपसा जलसिंचन<br>योजना | इतर महत्वाचे प्रकार |           |                  | एकूण   |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------|--------|
|                                           |                     |                       | लघु पाटबंधारे       | पाझर तलाव | इतर <sup>९</sup> |        |
| ३० जून, २०१८ रोजी प्रकल्पांची संख्या      |                     |                       |                     |           |                  |        |
| पूर्ण                                     | १२,६३०              | २,८९६                 | २,८८७               | २३,६२१    | ५७,३१२           | ९९,३४६ |
| प्रगतीपथावरील                             | १,६२०               | १३२                   | ६१७                 | १,०२०     | ५,२०७            | ८,५९६  |
| सिंचन क्षमता (लाख हेक्टर)                 |                     |                       |                     |           |                  |        |
| (i) जून, २०१७ पर्यंत निर्मित              | ३.३८                | ०.३९                  | २.३८                | ६.५८      | ५.२८             | १८.०१  |
| (ii) जून, २०१८ पर्यंत निर्मित             | ३.४९                | ०.४१                  | २.५४                | ६.७८      | ५.४४             | १८.६६  |
| (iii) २०१७-१८ मध्ये वापरलेली <sup>#</sup> | १.१८                | ०.१४                  | ०.८२                | ३.२९      | २.७७             | ८.२०   |

# प्रत्यक्ष वापरात आलेली सिंचन क्षमता निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ३५ टक्के गृहीत धरण्यात आली आहे.

\$ वळण बंधारा, साठवण बंधारा, माजी मालगुजारी तलाव, गाव तलाव, सिमेंट नाला बंधारे, इत्यादी समाविष्ट

आधार : मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक), महाराष्ट्र शासन

७.११.२ जलाशयांतील साठा : मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्यक्षेत्र) जलाशयांमध्ये मिळून एकत्रितपणे १५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी एकूण उपयुक्त जलसाठा २७,६०७ दशलक्ष घनमीटर होता व तो प्रकल्प आराखड्यानुसार उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या सुमारे ६३.१ टक्के होता. जलाशयातील उपयुक्त साठा, सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र तक्ता ७.१४ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ७.१४ जलाशयातील उपयुक्त साठा, सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र

(दलघमी)

| वर्ष    | प्रकल्प<br>आराखड्यानुसार<br>जलसाठा क्षमता<br>(दलघमी) | १५ ऑक्टोबर<br>रोजी उपयुक्त<br>जलसाठा<br>(दलघमी) | उपयुक्त<br>जलसाठ्याची<br>टक्केवारी | निर्मित<br>सिंचन क्षमता<br>(३० जून अखेर)<br>(लाख हेक्टर) | प्रत्यक्ष<br>सिंचित क्षेत्र<br>(१ जुलै ते ३० जून)<br>(लाख हेक्टर) | प्रत्यक्ष सिंचित<br>क्षेत्राची निर्मित<br>सिंचन क्षमतेशी<br>टक्केवारी |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| २०१३-१४ | ३९,२९७                                               | २९,९१५                                          | ७६.१                               | ४८.०३                                                    | ३२.४६                                                             | ६७.५                                                                  |
| २०१४-१५ | ४२,६०८                                               | २४,७१८                                          | ५८.०                               | ४८.६६                                                    | ३१.३७                                                             | ६४.४                                                                  |
| २०१५-१६ | ४२,९६०                                               | १७,७१२                                          | ४१.२                               | ४९.१०                                                    | २४.०७                                                             | ४९.०                                                                  |
| २०१६-१७ | ४३,२४१                                               | २९,९७१                                          | ६९.३                               | ४९.६५                                                    | ४०.५८                                                             | ८१.७                                                                  |
| २०१७-१८ | ४३,७५२                                               | २७,६०७                                          | ६३.१                               | ५०.३७                                                    | ३९.५०                                                             | ७८.४                                                                  |

आधार : जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद

दलघमी : दशलक्ष घनमीटर

७.११.३ **पाटबंधारे क्षेत्रातील सुधारणा :** जलक्षेत्रातील नियमन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना ऑगस्ट, २००५ मध्ये करण्यात आली. शेतकऱ्यांद्वारे सिंचन प्रणालीचे व्यवस्थापन करण्याकरीता राज्यात ४८.५३ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी एकूण १०,६२५ पाणी वापर संस्था नोव्हेंबर, २०१८ अखेर स्थापन झाल्या आहेत. पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी यांची समय मालिका परिशिष्ट ७.६ मध्ये दिली आहे.

### कृषि पंपांचे विद्युतीकरण

७.१२ राज्यात सुमारे ४२.०२ लाख कृषि पंप आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये महावितरण कंपनीने निर्धारित एक लाख कृषि पंपांच्या उद्दिष्टापैकी ६६,१७४ कृषि पंपांना वीज जोडणी उपलब्ध करून दिली. सन २०१८-१९ मध्ये कृषि पंपांच्या विद्युतीकरणाच्या निर्धारित ७५,००० लक्ष्यापैकी सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत ५३,१२६ कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात आले.

### कृषि वित्तपुरवठा

७.१३.१ शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध बँका तसेच सहकारी संस्थांमार्फत अल्प मुदतीची कर्जे, पतपुरवठा, इत्यादींच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य केले जाते. राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) ही संस्था कृषि व ग्रामीण विकासासाठी कार्य करणारी देशातील शिखर बँक आहे. वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्यामार्फत कर्ज वितरित केले जाते. वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या बँकांनी दिलेले कर्ज तक्ता ७.१५ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ७.१५ वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक/जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी दिलेली कर्जे

(₹ कोटी)

| कर्जाचा प्रकार | वाणिज्यिक बँका <sup>१</sup> |               | प्रादेशिक ग्रामीण बँका |              | महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक/<br>जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी<br>बँका |               | एकूण          |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                | २०१७-१८                     | २०१८-१९       | २०१७-१८                | २०१८-१९      | २०१७-१८                                                         | २०१८-१९       | २०१७-१८       | २०१८-१९       |
| पीक कर्ज       | १४,०५१                      | १७,५६३        | ७२५                    | १,७०९        | १०,५४६                                                          | १२,०११        | २५,३२२        | ३१,२८२        |
| कृषि मुदत कर्ज | २४,०७३                      | ३६,३१५        | २९१                    | २५४          | १,३३१                                                           | ६२            | २५,६९५        | ३६,६३२        |
| <b>एकूण</b>    | <b>३८,१२४</b>               | <b>५३,८७८</b> | <b>१,०१६</b>           | <b>१,९६३</b> | <b>११,८७७</b>                                                   | <b>१२,०७३</b> | <b>५१,०१७</b> | <b>६७,९१४</b> |

आधार: राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, महाराष्ट्र राज्य

\$ राष्ट्रीयीकृत बँकांसह

७.१३.२ राज्यात निम्न स्तरावर कृषि वित्तपुरवठा करण्याशी थेट संबंधित असणाऱ्या प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्था या वित्तीय संस्था असून त्या त्यांच्या शेतकरी सभासदांना अल्पमुदतीची पीक कर्जे उपलब्ध करून देतात. प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांकडून सन २०१७-१८ मध्ये एकूण ₹ १४,५७३ कोटी रकमेचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ₹ १५,२८९ कोटी रकमेचा कर्जपुरवठा करण्यात आला होता.

७.१३.३ **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी अनुक्रमे २३.७९ लाख व ०.६५ लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वाटप केले. या नवीन कार्डधारकांना अनुक्रमे ₹ १६,५०२.४४ कोटी व ₹ ५१२.२२ कोटी रकमेचे कर्ज मंजूर केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना दिलेली किसान क्रेडिट कार्ड संलग्नित कृषि कर्जे तक्ता ७.१६ मध्ये दिली आहेत.

#### तक्ता ७.१६ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना दिलेली किसान क्रेडिट कार्ड संलग्नित कृषि कर्जे

| वर्ष     | लघु मुदतीचे कर्ज               |                   | दीर्घ मुदतीचे कर्ज             |                   |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
|          | लाभार्थ्यांची संख्या<br>(‘०००) | रक्कम<br>(₹ कोटी) | लाभार्थ्यांची संख्या<br>(‘०००) | रक्कम<br>(₹ कोटी) |
| २०१६-१७  | ३,३०१                          | १४,९८३            | ४.९३                           | ६३.७०             |
| २०१७-१८  | २,३६१                          | ११,६५१            | १.९८                           | २७.१०             |
| २०१८-१९* | २,१७०                          | १०,७२७            | ७.६५                           | ३२.३१             |

आधार: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित

+ ऑक्टोबर पर्यंत

७.१३.४ **छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना:** नैसर्गिक आपत्तीमुळे कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज/ कृषि कर्ज माफ करण्यासाठी ही योजना राज्य शासनाने जून, २०१७ मध्ये सुरु केली. नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत ४०.२१ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये ₹ १६,६६९.७५ कोटी रक्कम जमा करण्यात आली.

## कृषि पणन

७.१४.१ राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मूल्य तक्ता ७.१७ मध्ये दिले आहे.

७.१४.२ महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमाअंतर्गत १९ नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत ९८१ थेट पणन परवाने दिले आहेत. याशिवाय ५२ खाजगी बाजारांना परवाने देण्यात आले आहेत तर नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज यांचे कामकाज इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरु आहे.

७.१४.३ **किमान आधारभूत किंमत योजना:** नैसर्गिक आपत्ती व व्यापारी देऊ करत असलेल्या कमी किंमतीपासून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी तसेच कृषि कार्ये व्यवहार्य होण्यासाठी केंद्र शासनाकडून काही निवडक पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमती जाहीर करण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत शेतमालाची खरेदी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघ यांच्यामार्फत केली जाते. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या निवडक पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती तक्ता ७.१८ मध्ये दिल्या आहेत.

७.१५ **संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान:** राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शेतकरी ते ग्राहक शेतमालाच्या थेट विक्रीसाठी ऑगस्ट, २०१६ पासून हे अभियान सुरु केले आहे. शासनाचे विविध विभाग, नगर पालिका, महानगर पालिका यांना शेतकरी आठवडे बाजारासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, ग्राहक सहकारी संस्था आणि उत्पादक सहकारी संस्था यांना या बाजारात शेतमाल विक्री करण्यासाठी मुभा असून ग्राहकांनाही ताजा, स्वच्छ, योग्य वजनाचा शेतमाल वाजवी दरात उपलब्ध होत आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यात एकूण ११५ आठवडे बाजार कार्यरत असून शेतकऱ्यांनी थेट ग्राहकांना विना मध्यस्थ फळे आणि भाजीपाल्याची विक्री करणे अपेक्षित आहे.

७.१६ **राष्ट्रीय कृषि बाजार:** राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) हे देशभरात लागू असलेले ईलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल असून त्याद्वारे शेतमालासाठी एकत्रित राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने विद्यमान कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे संलग्नीकरण करण्यात येत आहे. यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित सर्व माहिती व सेवा यासाठी एक खिडकी सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यामध्ये शेतमालाची आवक व किंमती, खरेदी-विक्री देकार, व्यापार संधीस प्रतिसाद देण्याची तरतूद या बाबींचा समावेश आहे. शेतमालाचा ओघ कृषि उत्पन्न बाजार

### तक्ता ७.१७ राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये झालेली आवक व त्यांचे मूल्य

| वर्ष    | आवक<br>(लाख मे. टन) | मूल्य<br>(₹ कोटी) |
|---------|---------------------|-------------------|
| २०१५-१६ | २२६.२०              | ६२,६३८            |
| २०१६-१७ | २०४.५९              | ४८.८६९            |
| २०१७-१८ | १८४.४१              | ५१,०९३            |

आधार: महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ

### तक्ता ७.१८ केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या निवडक पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती

(₹ / क्विंटल)

| पीक                              | किमान आधारभूत किंमती |         |         |
|----------------------------------|----------------------|---------|---------|
|                                  | २०१६-१७              | २०१७-१८ | २०१८-१९ |
| तांदुळ / धान (साधारण वाजवी प्रत) | १,४७०                | १,५५०   | १,७५०   |
| तांदुळ / धान (प्रत-अ)            | १,५१०                | १,५९०   | १,७७०   |
| ज्वारी (संकरित)                  | १,६२५                | १,७००   | २,४३०   |
| ज्वारी (मालदांडी)                | १,६५०                | १,७२५   | २,४५०   |
| गहू                              | १,६२५                | १,७३५   | १,८४०   |
| मका                              | १,३६५                | १,४२५   | १,७००   |
| बाजरी                            | १,३३०                | १,४२५   | १,९५०   |
| हरभरा                            | ४,०००                | ४,४००   | ४,६२०   |
| तूर                              | ५,०५०                | ५,४५०   | ५,६७५   |
| मूग                              | ५,२२५                | ५,५७५   | ६,९७५   |
| उडीद                             | ५,०००                | ५,४००   | ५,६००   |
| सूर्यफूल                         | ३,९५०                | ४,१००   | ५,३८८   |
| सोयाबीन (पिवळा)                  | २,७७५                | ३,०५०   | ३,३९९   |
| भूईमुगाच्या शेंगा                | ४,२२०                | ४,४५०   | ४,८९०   |
| कापूस (मध्यम धागा)               | ३,८६०                | ४,०२०   | ५,१५०   |
| कापूस (लांब धागा)                | ४,१६०                | ४,३२०   | ५,४५०   |
| करडई                             | ३,७००                | ४,१००   | ४,९४५   |
| मसूर                             | ३,९५०                | ४,२५०   | ४,४७५   |
| नाचणी                            | १,७२५                | १,९००   | २,८९७   |
| तीळ                              | ५,०००                | ५,३००   | ६,२४९   |
| कारळ                             | ३,८२५                | ४,०५०   | ५,८७७   |
| मोहरी                            | ३,७००                | ४,०००   | ४,२००   |

आधार: महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ

समित्यांच्या माध्यमातून जरी सुरु असला तरी ऑनलाईन मार्केटमुळे देवाणघेवाणीच्या खर्चात तसेच माहितीची असमानता कमी होत आहे. या पोर्टलमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील ३० बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाईन गेट एन्ट्री, ई-ऑक्शन व ई-पेमेंट सुरु करण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील ३० बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाईन गेट एन्ट्री व त्यापैकी २१ बाजार समित्यांमध्ये ई पेमेंट सुरु करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर, २०१८ अखेर ₹ ८६५ कोटी रकमेचे सुमारे ३० लाख क्विंटल धान्याचे ई-ऑक्शन करण्यात आले. सुमारे ₹ २२.३४ कोटी रकमेचे ई-पेमेंट २९ बाजार समित्यांमध्ये करण्यात आले. कृषि मालाच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी ५९ बाजार समित्यांमध्ये ई-तपासणी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

## कृषि विकासासाठीच्या प्रमुख योजना

७.१७ केंद्र शासनाच्या कृषि विकासाच्या योजना राज्य शासनमार्फत राबविण्यात येतात व विविध योजनांना निधी वितरीत करण्यात येतो. राज्य शासनाकडून देखिल कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्याच्या काही महत्वाच्या योजना राबविण्यात येत असतात.

७.१८ **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** केंद्र शासनाने या योजनेस 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि व संलग्न क्षेत्राच्या कायाकल्पासाठी लाभकारी दृष्टीकोन' (आरकेव्हीवाय-रफ्तार) म्हणून पुढील तीन वर्षांसाठी (२०१७-१८ ते २०१९-२०) मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना बळ देणे, जोखीम कमी करणे आणि कृषि-व्यावसायिक उद्योजकतेस चालना देणे या माध्यमातून शेती ही लाभकारी आर्थिक प्रक्रीया बनविणे असा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत उत्पादनात वाढ, पायाभूत सुविधा आणि राज्यांसाठी मालमत्ता यासाठी एकूण नियतव्ययाच्या ७० टक्के निधी राखीव असेल तर २० टक्के निधी आरकेव्हीवाय-रफ्तार अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधान्य असलेल्या विशेष उप-योजनांसाठी आणि १० टक्के निधी नाविन्यपूर्ण उपक्रम व कृषि-उद्योजकता विकास प्रकल्पांसाठी अशा पद्धतीने निधीची विभागणी असणार आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ५७६.७९ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ४०६.७६ कोटी निधी प्राप्त झाला.

७.१९ **राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियान:** सुयोग्य तंत्रज्ञान आणि सुधारीत कृषिविद्या पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषि विस्तार कार्यक्रमात सुधारणा व बळकटीकरण करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. यामध्ये कृषि विस्तार, बियाणे व लागवड साहित्य, कृषि यांत्रिकीकरण आणि पिक संरक्षण या उपअभियानांचा समावेश आहे.

७.१९.१ **राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा):** या योजनेअंतर्गत कृषि विस्तार कार्यासाठी प्रामुख्याने शेतकरी प्रशिक्षण, कृषि प्रात्यक्षिके, शेतकरी शैक्षणिक सहल, शेतकरी गट संघटन व बळकटीकरण, शेतीशाळा, शेतकरी गोष्टी, कृषि प्रदर्शन व शेतकरी मेळावा, शेतकरी मित्र, इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ₹ ५१.७२ कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ₹ ६९.८८ कोटी खर्च झाला.

७.१९.२ **बियाणे व लागवड साहित्य उप अभियान:** सन २०१४-१५ पासून ही योजना राज्यात दर्जेदार व प्रमाणित बियाणे किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने व उत्पादन वाढविण्यासाठी महाबीज यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत प्रमाणित बियाणे पुरविण्यासाठी प्रति शेतकरी एक एकर क्षेत्राकरिता तृणधान्य पिकांसाठी ५० टक्के आणि कडधान्य व तेलबिया पिकांसाठी ६० टक्के सहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ५०.७२ कोटी खर्च झाला.

७.२० **राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान:** तांदूळ, गहू आणि कडधान्ये या पिकांखालील क्षेत्र विस्तार व उत्पादकतेत सुधारणा या प्रमुख उद्देशाने २००७-०८ मध्ये हे अभियान सुरु करण्यात आले. सुधारित अभियानात २०१४-१५ पासून भरडधान्ये आणि कापूस, ज्यूट व ऊस या नगदी पिकांचा समावेश करण्यात आला. सन २०१७-१८ मध्ये तांदळासाठी ₹ ११.६८ कोटी, गव्हासाठी ₹ २.९५ कोटी, कडधान्यांसाठी ₹ १६७.२१ कोटी, अतिरिक्त कडधान्यांसाठी ₹ २०.२६ कोटी व भरडधान्यासाठी ₹ २०.३२ कोटी खर्च झाले. सन २०१८-१९ मध्ये माहे फेब्रुवारीअखेर तांदळासाठी ₹ ३.५६ कोटी, गव्हासाठी ₹ १.०७ कोटी, कडधान्यांसाठी ₹ ७०.४७ कोटी, अतिरिक्त कडधान्यांसाठी ₹ २.५६ कोटी, भरडधान्यांसाठी ₹ २.३३ कोटी खर्च झाले. तेलबिया उत्पादन आणि उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या हेतूने वर्ष २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान राबविण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये ही योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानात समाविष्ट करण्यात आली आहे. तेलबिया पिके व वृक्षजन्य तेलबिया पिके ही दोन उप अभियाने राबविली जात आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ५५.६९ कोटी खर्च झाला.

७.२१ **एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान:** फलोत्पादनाखालील क्षेत्र व उत्पादकता वाढविणे आणि काढणी-पश्चात व्यवस्थापनास चालना देण्याच्या मुख्य उद्देशाने केंद्र शासनमार्फत २००५-०६ मध्ये हे अभियान सुरु करण्यात आले.

७.२१.१ **राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची** सन २००५ मध्ये स्थापना करण्यात आली. फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकासासाठी सुरु करण्यात आलेले हे अभियान २०१५-१६ पासून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे.



७.२१.२ एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या सुरुवातीपासून महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळास ₹ १,९११.१३ कोटी अनुदान प्राप्त झाले व त्यापैकी माहे मार्च, २०१९ अखेरीस ₹ १,८६५.१३ कोटी खर्च झाले. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या प्रमुख बाबींवर झालेला खर्च तक्ता ७.१९ मध्ये दिला आहे.

७.२१.३ द्राक्षे, आंबा, डाळिंब आणि केळी ही राज्यातून निर्यात केली जाणारी प्रमुख फळे आहेत. राज्यात २०१६-१७ मध्ये विविध फळपिकांखालील क्षेत्र ७.४२ लाख हेक्टर क्षेत्र होते. त्यापैकी आंबा, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, केळी, चिकू व द्राक्षे याखालील क्षेत्र अनुक्रमे १.५७ लाख हेक्टर, १.०८ लाख हेक्टर, ०.३३ लाख हेक्टर, १.४१ लाख हेक्टर, ०.८२ लाख हेक्टर, ०.१६ लाख हेक्टर आणि १.०४ लाख हेक्टर होते. देशातील व राज्यातील फळे, भाजीपाला व फुलांची निर्यात आणि निर्यातीचे मूल्य तक्ता ७.२० मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ७.१९ एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या प्रमुख बाबींवरील खर्च

|                                                                                                                                 |       | (₹ कोटी) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| घटक                                                                                                                             | खर्च* |          |
| क्षेत्र विस्तार अंतर्गत आंबा, पेरू, संत्री इत्यादींची सघन लागवड तसेच द्राक्ष, केळी, पपई, मसाला पिके व फुल पिके इत्यादींची लागवड |       | ४७६.२८   |
| १९,५६० सामूहिक तलावांचे बांधकाम                                                                                                 |       | ३८८.३०   |
| संरक्षित शेती अंतर्गत हरितगृह, शेडनेट हाऊस, प्लॅस्टिक मल्टिप्लिंग, पक्षी/किटक प्रतिरोधक जाळे इत्यादींची उभारणी                  |       | ३५१.५९   |
| काढणीपश्चात व्यवस्थापनाअंतर्गत पॅक हाऊस, पिकवणी कक्ष, कांदा साठवण चाळ, शीत साठवणूक गृहे, पूर्व शीतकरणगृह इत्यादींना उत्तेजन     |       | २७३.९२   |
| फलोत्पादन यांत्रिकीकरणास उत्तेजन                                                                                                |       | ६१.८४    |
| जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन                                                                                                    |       | ४६.९५    |
| गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्याच्या निर्मितीकरिता उच्च तंत्रज्ञान आधारित रोपवाटिका व उतीसंवर्धन प्रयोगशाळा उभारणी                  |       | २७.३६    |
| मनुष्यबळ विकासाअंतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण/अभ्यास दौरे इत्यादि सेंद्रिय शेतीस उत्तेजन                                         |       | ३०.९५    |
| एकात्मिक कीड/ अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनास उत्तेजन                                                                                  |       | २१.२५    |
| अळंबी उत्पादनाच्या १८ प्रकल्पांची स्थापना                                                                                       |       | २०.३६    |
| अळंबी उत्पादनाच्या १८ प्रकल्पांची स्थापना                                                                                       |       | २.३८     |
| मधुमक्षिका पालनास उत्तेजन                                                                                                       |       | १.३५     |

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

+ मार्च, २०१९ पर्यंत

### तक्ता ७.२० फळे, भाजीपाला व फुलांची निर्यात आणि निर्यातीचे मूल्य

| फळे / फुले                                              | राज्य / देश | २०१६-१७      |                | २०१७-१८      |                | २०१८-१९      |                |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                         |             | राशि (मे.टन) | मूल्य (₹ कोटी) | राशि (मे.टन) | मूल्य (₹ कोटी) | राशि (मे.टन) | मूल्य (₹ कोटी) |
| आंबा                                                    | महाराष्ट्र  | ३७,१८०       | ३६८            | ३५,३४३       | ३०९            | २६,९३७       | २८३            |
|                                                         | भारत        | ५३,१७७       | ४४६            | ४९,१८१       | ३८२            | ३६,२९८       | ३३८            |
| द्राक्षे                                                | महाराष्ट्र  | १,८७,२९६     | १,९६०          | २,००,२०३     | २,१०६          | २१,३२२       | २४३            |
|                                                         | भारत        | २,३२,९४०     | २,०८८          | २,१४,४४१     | २,१४६          | २३,१०५       | २४८            |
| केळी                                                    | महाराष्ट्र  | ३८,४८७       | १३०            | ४४,५५९       | १४९            | २२,४७५       | ७५             |
|                                                         | भारत        | १,१०,८७२     | ३८८            | १,०१,३१४     | ३४९            | ४४,५०३       | १३९            |
| संत्री                                                  | महाराष्ट्र  | ७८८          | ३.८४           | ८७६          | ४.५३           | २२.९०        | ०.१९           |
|                                                         | भारत        | ४८,११०       | ११७            | १५,८३५       | ३५             | २२.९०        | ०.१९           |
| डाळिंब                                                  | महाराष्ट्र  | २९,५६८       | ३७२            | ३२,६५३       | ४१२            | १२,३४९       | १५७            |
|                                                         | भारत        | ४९,७५५       | ४९०            | ४७,३३६       | ५३८            | १५,७८८       | २०२            |
| मनुके                                                   | महाराष्ट्र  | ३०,०४२       | २६१            | २४,४२५       | २३१            | १०,५०९       | १४८            |
|                                                         | भारत        | ३०,८५८       | २६९            | २५,५५८       | २३९            | १०,७३३       | १५१            |
| गुलाबाची फुले                                           | महाराष्ट्र  | ९०७.३२       | २६.५६          | ८७७          | २९             | २३६          | ६.७८           |
|                                                         | भारत        | २,०३०        | ५७.४६          | २,५१७        | ५८             | ५६०          | १३             |
| गुलाबाची रोपे                                           | महाराष्ट्र  | २२.८४        | १.०९           | ३८           | १.८१           | १६.३३        | १.५१           |
|                                                         | भारत        | २९.१५        | १.४१           | ४५.४३        | २.१९           | १७.३१        | १.५९           |
| आंब्याचा गर                                             | महाराष्ट्र  | २०,४७०       | १६८            | २०,६५९       | १५६            | ६,५२०        | ४९             |
|                                                         | भारत        | १,३०,८८५     | ८४६            | १,१०,९२४     | ६७४            | २६,७८३       | १७१            |
| कांदा                                                   | महाराष्ट्र  | १३,१०,२७४    | १,७०४          | १०,५४,६१८    | १,९७२          | ४,२४,३४४     | ५७३            |
|                                                         | भारत        | २४,१५,७५५    | ३,१०६          | १५,८८,९८६    | ३,०८९          | ६,५०,३९३     | ८६२            |
| इतर भाजीपाला (कांदा वगळून)                              | महाराष्ट्र  | १,९६,४७७     | ८२२            | १,९४,२३३     | ८३९            | ३८,४९३       | १६५            |
|                                                         | भारत        | १०,१६,४३५    | २,८३२          | ७,७२,४४८     | २,०९३          | १,९५,८४४     | ५३६            |
| इतर प्रक्रिया केलेली फळे व भाजीपाला (आंब्याचा गर वगळून) | महाराष्ट्र  | १,२०,३२६     | १,०५८          | १,१९,०४३     | १,०७०          | ५९,४७२       | ६१६            |
|                                                         | भारत        | ३,५५,३१४     | ३,१४९          | ३,९१,२८४     | ३,४०५          | १,७६,८६३     | १,६२७          |

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन  
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९



७.२२ **आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये परसबाग लागवडीस प्रोत्साहन:** राज्यात ही योजना कुपोषणाची समस्या भेडसावत असलेल्या ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या १२ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. सन २०१६-१७ पासून पालघर जिल्हा व सन २०१७-१८ पासून गोंदिया जिल्हा हे जिल्हे या कार्यक्रमांमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आले. जीवनसत्त्वे आणि इतर आवश्यक पोषक तत्त्वांसह संतुलित आहार पुरविणे हा या योजनेचा हेतू आहे. आदिवासी कुटुंबांच्या सकस आहाराकरिता अ, क जीवनसत्त्वे आणि लोह यासारखी खनिजद्रव्ये समाविष्ट होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ १५.४० लाख खर्च झाला.

७.२३.१ **अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य:** अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध व अनुसूचित जमाती मधील सहा हेक्टर पर्यंत वहिती क्षेत्र व ₹ १,५०,००० पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसहाय्य सिंचनाच्या सुविधांचा विकास व सुधारणा इत्यादी साठी देण्यात येते.

७.२३.२ **डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना:** या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध मधील सहा हेक्टर पर्यंत वहिती क्षेत्र व ₹ १,५०,००० पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. वर्ष २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे ₹ २१३.४२ कोटी व ₹ २६६.९८ कोटी खर्च झाला.

७.२३.३ **बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना:** या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती मधील सहा हेक्टर पर्यंत वहिती क्षेत्र व ₹ १,५०,००० पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. वर्ष २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे ₹ ७२.५० कोटी, ₹ ९१.२५ कोटी व ₹ ११९.३० कोटी खर्च झाला.

७.२४ **पिकांवरील किड-रोग देखरेख व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसेप):** पिकांवरील किड नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कृषि संशोधन संस्था व राज्य कृषि विद्यापीठांच्या सहकार्यातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सन २०१८ मध्ये कापसातील गुलाबी बॉलवॉर्म व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर समन्वय साधण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत कीटक आणि इतर पिकांच्या रोगांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ६०२.१५ लाख पिक संरक्षण सल्ल्यांचे एसएमएस पाठविण्यात आले आहेत. वर्ष २०१७-१८ मध्ये ₹ ८.२२ कोटी खर्च झाला असून २०१८-१९ मध्ये ₹ १८.४२ कोटी खर्च झाले.

७.२५ **जलयुक्त शिवार अभियान:** 'सन २०१९ पर्यंत पाणी टंचाईमुक्त राज्य' या संकल्पनेनुसार पाण्याची टंचाईवर कायमची मात करण्यासाठी राज्यात 'जलयुक्त शिवार अभियान' डिसेंबर, २०१४ पासून राबविण्यात येत आहे. भू-जल पातळी वाढविण्यासाठी शाश्वत सिंचन सुविधेच्या निर्मितीद्वारे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे असा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. दरवर्षी ५,००० गावे याप्रमाणे एकूण २५,००० गावे पाच वर्षांत पाणी टंचाई मुक्त करण्याचे उद्दीष्ट आहे. सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ६,२०२, ५,२८८ व ४,२९८ गावे पाणी टंचाईमुक्त झाली आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये योजनेअंतर्गत निवडण्यात आलेल्या ६,०७२ गावांपैकी १२८ गावे पाणी टंचाईमुक्त झाली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रगती तक्ता ७.२१ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ७.२१ जलयुक्त शिवार अभियानाची प्रगती

| तपशील                                                      | एकक          | २०१५-१६   | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९  |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| निवडलेली गावे                                              | संख्या       | ६,२०२     | ५,२८८    | ५,०२८    | ६,०७२    |
| पूर्ण झालेली कामे                                          | संख्या       | २,४०,३१७  | १,७३,४३० | १,२०,७९० | ६२,२६८   |
| प्रगतीपथावर असलेली कामे                                    | संख्या       | ०         | ०        | २,९५२    | २४,६१४   |
| लोक सहभागाद्वारे पूर्ण केलेली कामे                         | संख्या       | ६,३७४     | ३,२४१    | १,१०४    | ३०       |
| लोक सहभागाद्वारे पूर्ण केलेल्या कामांचे मूल्य              | ₹ कोटी       | ३८८.८०    | १९५.८२   | २६.४५    | ५.६४     |
| दिलेला एकूण विशेष निधी                                     | ₹ कोटी       | १,६००     | १,८७५    | १,२००    | १,५००    |
| विशेष निधीपैकी खर्च                                        | ₹ कोटी       | १,८५८     | १,८०३    | ७७१      | २४१      |
| निर्मित पाणीसाठा                                           | हजार घन मीटर | १०,८७,८५४ | ८,७१,६२३ | ४,७६,३६७ | २,५४,९९४ |
| १०० टक्के कामे पूर्ण झालेली गावे                           | संख्या       | ६,२०२     | ५,२८८    | ४,९०५    | ७७१      |
| विशेष निधी व समायोजित केलेल्या निधीद्वारे केलेला एकूण खर्च | ₹ कोटी       | ३,९००     | ३,०१९    | १,३७४    | ६२७      |

आधार: ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

७.२६ **मागेल त्याला शेततळे योजना:** राज्य शासनाने राज्यातील पर्जन्यावर आधारीत कोरडवाहू शेतीची पाणलोट व जलसंधारण माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने 'मागेल त्याला शेततळे' ही महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्येच पावसाचे वाहून जाणारे पाणी शेततळ्यात साठवून त्याचा पावसाच्या खंडीत कालावधीत सिंचनासाठी वापर करण्यास मदत झाली आहे व उत्पादनात वाढ होण्यासही

मदत झाली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतक-यांना शेततळ्यांच्या आकारमानाच्या प्रमाणात कमाल रक्कम ₹ ५०,००० अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १,१२,३११ शेततळ्यांच्या निर्मितीचे लक्ष असून माहे मार्च, २०१९ अखेर १,२०,४३९ शेततळी पूर्ण करण्यात आली.

७.२७ **पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** राज्यातील बहुतांश क्षेत्र हे पावसावर अवलंबून असल्याने कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढविणे व जमिनीची धूप थांबविणे तसेच मृद व जलसंधारणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यात मृद संधारणाच्या कामासाठी ३८,८९७ सूक्ष्म पाणलोटोंची कामे निवडण्यात आली असून त्यापैकी ३५,०६७ कामे पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण झालेली व प्रगतीपथावरील सूक्ष्म पाणलोटोंची कामे तक्ता ७.२२ मध्ये दिली आहेत.

#### तक्ता ७.२२ पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील सूक्ष्म पाणलोटोंची कामे

| योजना                                                      | पाणलोट कामांची संख्या # |               |               | निवडलेल्या पाणलोट कामांवरील मार्च, २०१८ पर्यंत खर्च (₹ कोटी) |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                            | निवडलेले                | पूर्ण         | प्रगतीपथावरील |                                                              |
| १. जलयुक्त शिवार अभियान                                    | २२,४२९                  | १४,५४४        | ७,८८५         | ७,६३१.५०                                                     |
| २. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम                    | १४,९३५                  | ७,४७९         | ७,४५६         | १,९५७.००                                                     |
| ३. गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम                           | ८,९४९                   | ४,४५५         | ४,४९४         | २,६४५.४१                                                     |
| ४. राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम (सूक्ष्म पाणलोट)       | १,०२८                   | ९५६           | ७२            | २९०.५९                                                       |
| ५. विदर्भ पाणलोट विकास अभियान                              | १,०३२                   | १,०३२         | ०             | ३६५.३६                                                       |
| ६. मराठवाडा पाणलोट विकास अभियान                            | २८५                     | २८५           | ०             | १३७.३४                                                       |
| ७. नदी खोरे विकास प्रकल्प (सूक्ष्म पाणलोट)                 | २७१                     | २२६           | ४५            | ५८०.८०                                                       |
| ८. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम (बृहत् पाणलोट)               | १६०                     | १६०           | ०             | १३७.१९                                                       |
| ९. नाबार्ड सहाय्यित ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम | ३२०                     | २५०           | ७०            | ८२.९८                                                        |
| १०. इतर योजना (डीपीएपी, हरियाली, जवाहर, आशवासित इ.)        | ५,६८०                   | ५,६८०         | ०             | ---                                                          |
| <b>एकूण</b>                                                | <b>५५,०८९</b>           | <b>३५,०६७</b> | <b>२०,०२२</b> | <b>१३,८२८.१७</b>                                             |

# इतर योजनांमधील ५० टक्क्याहून अधिक पूर्ण झालेली सूक्ष्म पाणलोटोंची कामे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत समाविष्ट केली असल्याने पाणलोट कामांच्या संख्येत द्विरुक्ती दिसून येते.

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

७.२८ **राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान:** या अभियानात मृद आरोग्य व्यवस्थापन व मृद आरोग्य पत्रिका वितरण, एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन व सेंद्रिय शेती अंमलबाजवणी, पर्जन्याधारीत क्षेत्र विकास, ई-गव्हर्नन्स आणि शेतीवरील पाणी व्यवस्थापन या उप-अभियानांचा समावेश आहे.

७.२८.१ **मृद आरोग्य व्यवस्थापन आणि मृद आरोग्य पत्रिका वितरण:** मृद आरोग्य अबाधित राखणे व जमिनीची उत्पादक क्षमता सुधारणे यासाठी एकात्मिक अन्न द्रव्ये व्यवस्थापनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मृद आरोग्य अभियान सुरु करण्यात आले आहे. मृद व पाण्याची तपासणी करण्यासाठी राज्यात ३१ मृद चाचणी प्रयोगशाळांची उभारणी करण्यात आली आहे, तर अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोल्हापूर याप्रमाणे पाच खत नमुना तपासणी प्रयोगशाळा आहेत. मृद आरोग्य स्थितीबाबत जागरूकता निर्माण करणे व मृद आरोग्य सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने मृद आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यात येत आहेत. या प्रयोजनासाठी वर्ष २०१७-१८ मध्ये ₹ २२.३६ कोटी व २०१८-१९ मध्ये ₹ २६ कोटी खर्च झाला. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात (२०१७-२०१९) १.१२ कोटी मृद आरोग्य पत्रिकांचे शेतकऱ्यांना वितरण करण्यात आले.

#### ७.२८.२ परंपरागत कृषी विकास योजना:

परंपरागत कृषी विकास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत शासनाने तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी (सन २०१६-१७ ते २०१८-१९) ₹ १४०.७२ कोटी रकमेचा आराखडा मंजूर केला आहे. योजनेची प्रगती तक्ता ७.२३ मध्ये दिली आहे.

#### ७.२८.३ कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान सन २०१४-१५ पासून केंद्र शासनाने सुरू केले आहे. या अभियानात कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा समावेश आहे.

#### तक्ता ७.२३ परंपरागत कृषी विकास योजनेची प्रगती

| टप्पा                           | मंजूर गट | वितरित निधी (₹ कोटी) | खर्च (₹ कोटी) |
|---------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| १. टप्पा १ (२०१६-१७ ते २०१८-१९) |          |                      |               |
| वर्ष २०१६-१७                    | ९३२      | ४३.३१                | ४२.८८         |
| वर्ष २०१७-१८                    |          | ४९.७३                | ४९.०७         |
| २. टप्पा २ (२०१७-१८ ते २०२०-२१) |          |                      |               |
| वर्ष २०१८-१९                    | ३२६      | ११.६४                | १०.८३         |

आधार : कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

कोरडवाहू शेती प्रामुख्याने हवामानावर आधारित असल्याने जोखमीची आहे. अलिकडच्या हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शेतीतील ही जोखीम कमी करून कृषी आधारित उत्पन्न संधी निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधनांच्या संभाव्यतेचा अधिकतम वापर करणे आणि विविध क्रियांद्वारे संसाधन निर्मिती करणे या घटकांचा समावेश असल्याने कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमास विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये यासाठी ₹ ३८.५४ कोटी रक्कम केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाली असून त्यापैकी ₹ १,०२९ लाभार्थ्यांसाठी ₹ ३२.५३ कोटी खर्च झाला.

**७.२८.४ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना:** तुषार व ठिबक सिंचन अशा सर्वात कार्यक्षम सिंचनाच्या पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देऊन उत्पादनाखालील क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पिक' करीता ₹ ६५६.०८ कोटी मंजूर करण्यात आले. केंद्रशासनाकडून २०१७-१८ करीता देण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अंशदानाचे निकष आहेत. शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी 'ई-ठिबक' ही आज्ञावली २५ मे, २०१८ ते १५ मार्च, २०१९ या काळात खुली होती. या काळात एकूण ३.४६ लाख अर्ज प्राप्त झाले. एकूण २.२४ लाख अर्जांना पूर्व मंजूरी देण्यात आली व ३१ मार्च, २०१९ रोजी अनुदानित रकमेपैकी ₹ २५५.८३ कोटी निधी १.०९ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करण्यात आला. सन २०१९ पर्यंत २३.९१ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात आले. तुषार व ठिबक सिंचन संचांचे वितरण आणि झालेला खर्च तक्ता ७.२४ मध्ये दिला आहे.

#### तक्ता ७.२४ वर्षानिहाय तुषार व ठिबक सिंचन संचांचे वितरण आणि खर्च

| वर्ष                 | तुषार सिंचन संच |                  | ठिबक सिंचन संच |                  | खर्च<br>(₹ कोटी) |
|----------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                      | संचांची संख्या  | क्षेत्र (हेक्टर) | संचांची संख्या | क्षेत्र (हेक्टर) |                  |
| २०१७-१८              | १,१०,६००        | ७२,८०८           | १,५३,५६३       | १,३६,१५८         | ६८७.६७           |
| २०१८-१९              | ४५,०४५          | २८,०७४           | ६४,२६८         | ४९,७७४           | २५५.८३           |
| २०१९-२० <sup>#</sup> | ६९,९७९          | ६३,६१७           | १,२१,६८६       | १,१०,६२३         | ६५३.३३           |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# प्रस्तावित

**७.२९ कोरडवाहू शेती अभियान :** कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादनात शाश्वतता आणण्यासाठी राज्य शासनाने कोरडवाहू शेती अभियान सुरु केले आहे. यात प्रामुख्याने संरक्षित सिंचन सुविधा आणि मूलस्थानी जलसंधारणासाठीची यंत्रणा तसेच संरक्षित लागवडीसह शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया व पणन यांचा समावेश आहे. या योजनेवर वर्ष २०१७-१८ मध्ये ₹ ३१.४१ कोटी खर्च झाला तर सन २०१६-१७ मध्ये हा खर्च ₹ १३.८८ कोटी होता. वर्ष २०१८-१९ मध्ये ₹ २० कोटी तरतूद करण्यात आली.

**७.३० प्रधानमंत्री पिक विमा योजना:** खरीप २०१६ पासून ही योजना राज्यात राबविण्यात येत असून त्यात १५ खरीप व ८ रब्बी पिकांचा समावेश आहे. या योजनेत राष्ट्रीय कृषि विमा योजना समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेत वर्ष २०१७-१८ मध्ये १००.५१ लाख शेतकरी सहभागी झाले ज्यामुळे ५८.८७ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्राच्या ₹ १९,२३२.५६ कोटी रकमेच्या विमा संरक्षणापोटी ₹ ३,७५२.४४ कोटी विमा हप्ता भरण्यात आला व ५२.२५ लाख लाभार्थ्यांना ₹ २,६८८.८१ कोटी (संचित) नुकसान भरपाई देण्यात आली.

**७.३१ हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना:** द्राक्षे, डाळींब, केळी, संत्री, मोसंबी, पेरू, चिकू, आंबा, लिंबू आणि काजू या फळपिकांसाठी हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये या योजनेअंतर्गत १.४२ लाख शेतकरी सहभागी झाले. ज्यामुळे १.९० लाख हेक्टर क्षेत्राच्या ₹ १,८०६.८० कोटी रकमेच्या विमा संरक्षणापोटी ₹ ७०९.२१ कोटी विमा हप्ता भरण्यात आला व १.२८ लाख लाभार्थ्यांना ₹ ५८०.९९ कोटी (संचित) नुकसान भरपाई देण्यात आली.

**७.३२ गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना:** अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाधित कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना' सुरु करण्यात आली. या विमा योजनेअंतर्गत असून १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील सातबारा उतारा धारक १.३७ कोटी शेतकऱ्यांना १३ प्रकारच्या धोक्यांसाठी विमा संरक्षण पुरविण्यात आले येते. शासनाने १ डिसेंबर, २०१६ ते ३० नोव्हेंबर, २०१७ या कालावधीच्या विमा हप्त्यापोटी ₹ ४३.९३ कोटी रक्कम अदा केली तर ८ डिसेंबर, २०१७ ते ७ डिसेंबर, २०१८ या कालावधीत नुकसानभरपाईपोटी ₹ १७.९५ कोटी (संचित) अदा करण्यात आले.

**७.३३ उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी मोहिम :** शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने खरीप २०१७-१८ पासून ही मोहिम हाती घेतली आहे. माहे फेब्रुवारी, २०१९ अखेर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत भात, गहु, कडधान्ये, तृणधान्ये, ऊस, पौष्टीक तृणधान्य व कापूस पिकांच्या १,०७,५८५ हेक्टर क्षेत्रावर गट प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात आले व त्यासाठी ₹ ५२.१० कोटी खर्च झाले. माहे फेब्रुवारी, २०१९ अखेर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत तेलबिया व तेलताड पिकांकरिता २५,६४७ हेक्टर क्षेत्रावर गट प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात आले व त्यासाठी ₹ ११.८६ कोटी खर्च झाले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत भात, गहु, कडधान्य, भरडधान्य व पौष्टीक तृणधान्य पिकांसाठी १,३०६ शेतकऱ्यांचे तर तेलबिया व तेलताड अभियानांतर्गत २११ शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. यासाठी अनुक्रमे ₹ १.७६ कोटी व ₹ ०.३२ कोटी खर्च झाले. माहे फेब्रुवारी, २०१९ अखेर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत भात, गहु, कडधान्य, भरडधान्य, ऊस व कापूस कार्यक्रमाखाली ५,६६९ कृषि अवजारांचे वाटप करण्यात आले व त्यावर ₹ १.५७ कोटी खर्च झाला. राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान अंतर्गत ९८४ कृषि अवजारांचे वाटप करण्यात आले व त्यावर ₹ ४.७० कोटी खर्च झाले.

७.३३.१ **उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिमेअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण** : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुष्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सन २०१७-१८ पासून राज्यात उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध योजनांतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण घटकाची एकत्रितरित्या अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ४८,५७३ शेतकऱ्यांना सुधारित कृषि अवजारांच्या खरेदीसाठी ₹ ३५८.६२ कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले.

७.३४ **महावेध**: हवामान विषयक विविध घटकांची माहिती वेळेत गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून महावेध प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून बांधा-मालकी-कार्यान्वित करा या तत्वावर स्थापित करण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक महसूल मंडळातील स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या जाळ्याचा समावेश आहे. याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलीत हवामान केंद्र उभारण्यात येत आहे. ही स्वयंचलित हवामान केंद्रे पाऊस, हवेचे तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याची गती व दिशा या पाच मापदंडांची माहिती गोळा करणार आहेत. या केंद्रांमध्ये १० मिनिटांच्या अंतराने प्रत्यक्ष वेळेला नोंदविण्यात येणारी आकडेवारी मध्यवर्ती माहिती केंद्राकडे दर तासाला पाठविण्यात येईल. महावेध द्वारे मिळालेली ही गुणवत्तापूर्ण हवामानविषयक आकडेवारी पिक विमा योजना, हवामानाचा अंदाज, पिक सल्ला, विद्यापीठे किंवा भारतीय कृषि संशोधन परिषद यांच्याद्वारा संशोधन व विकासकामे, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि आपत्ती व्यवस्थापन किंवा व्यापक जनहितार्थ हेतूसाठी वापरण्यास सुरवात झाली आहे. राज्यात २,०६१ स्वयंचलीत हवामान केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत.

७.३५ **टंचाई व नैसर्गिक आपत्ती**: एप्रिल, २०१८ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे ५,०९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते, त्याकरिता डिसेंबर, २०१८ मध्ये ₹ ८.१५ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. माहे मे, २०१८ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे १,७४१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले, त्याकरिता डिसेंबर, २०१८ मध्ये ₹ २.९३ कोटी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. खरीप २०१८-१९ च्या हंगामात २६ जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीमुळे एकूण १५१ तालुके बाधित झाले. त्यापैकी ११२ तालुक्यात तीव्र व ३९ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ होता. त्यामुळे एकूण ८५.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ₹ ७,१०३.७९ कोटी निधीपैकी ₹ ४,९०९.५० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले.

### कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन उपक्रम

७.३६ **भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना**: या योजनेअंतर्गत एकूण १६ बहूवर्षजीवी फळपिकांचा समावेश करण्यात आला असून नारळ, सीताफळ व लिंबू रोपे वगळता उर्वरीत फळपिकांची कलमाद्वारे लागवड करण्यास मान्यता आहे. सदर योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीकरिता ठिबक सिंचन बसविणे तसेच कागदी लिंबू, संत्री व मोसंबी या लिंबूवर्गीय फळपिकांच्या लागवडीकरिता माती परिक्षण करणे अनिवार्य आहे. या योजनेअंतर्गत ५,०९९ लाभार्थ्यांच्या ४,४४६.१८ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड पूर्ण करण्यात आली असून ₹ ८.७५ कोटी खर्च झाला.

७.३७ **मुख्यमंत्री कृषि आणि अन्न प्रक्रिया** : सन २०१७ पासून मुख्यमंत्री कृषि आणि अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ३४० प्रस्ताव प्राप्त झाले व ६७ प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली. मार्च, २०१९ अखेर ₹ ९.९८ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला.

७.३८ **प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी**: देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबियांच्या उत्पन्नास जोड देण्यासाठी ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत संबंधित राज्यातील भूमी अभिलेखानुसार २ हेक्टर लागवडीयोग्य एकत्रितरित्या स्वतःची जमीन असणारी कुटुंबे (पती-पत्नी व त्यांचे १८ वर्षाखालील अपत्य मिळून) पात्र आहेत. कृषि गणना २०१५-१६ च्या प्रक्षेपणाच्या आधारे सन २०१८-१९ मधील लाभार्थी निश्चित केले आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरवर्षी ₹ ६,००० आर्थिक लाभ प्रत्येकी चार महिन्यांच्या तीन समान हप्त्यात अनुज्ञेय असेल. लाभार्थ्यांच्या निश्चितिकरणानंतर तात्काळ ₹ २,००० पहिला हप्ता अदा करण्यात येत आहे. माहे एप्रिल, २०१९ अखेर १६.३८ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात ₹ ३२७.६७ कोटी पहिल्या हप्त्यापोटी थेट जमा करण्यात आले आणि ४.६१ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात ₹ ९२.२३ कोटी दुसऱ्या हप्त्यापोटी थेट जमा करण्यात आले. अशाप्रकारे एकूण ₹ ४१९.९० कोटी रक्कम १६.३८ लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली.

७.३९ **गटशेतीचे सबलीकरण व प्रोत्साहन योजना** : सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुष्पट करण्याच्या दृष्टीने सहाय्य होण्यासाठी शासनाने राज्यात गटशेतीचे सबलीकरण व प्रोत्साहन योजना सुरु केली आहे. ही योजना सर्वसाधारण किमान २० शेतकरी व १०० एकर क्षेत्र, कोकण विभागासाठी ५० एकर क्षेत्र असलेल्या गटांना अनुज्ञेय आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिक मर्यादा प्रति गट ₹ एक कोटी असून कोकणाकरिता प्रति एकर ₹ एक लाख आहे. ही योजना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. योजनेची प्रगती तक्ता ७.२५ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ७.२५ गटशेतीचे सबलीकरण व प्रोत्साहन योजनेची प्रगती

| वर्ष    | उद्दिष्ट  |                  | वितरीत अनुदान<br>( ₹ कोटी) | साध्य     |                  |
|---------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|------------------|
|         | गट संख्या | आर्थिक ( ₹ कोटी) |                            | गट संख्या | आर्थिक ( ₹ कोटी) |
| २०१७-१८ | २००       | २००.००           | ३१.५०                      | १९६       | ३.४३             |
| २०१८-१९ | २००       | २००.००           | ८०.००                      | २०४       | ७३.५३            |

आधार: कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

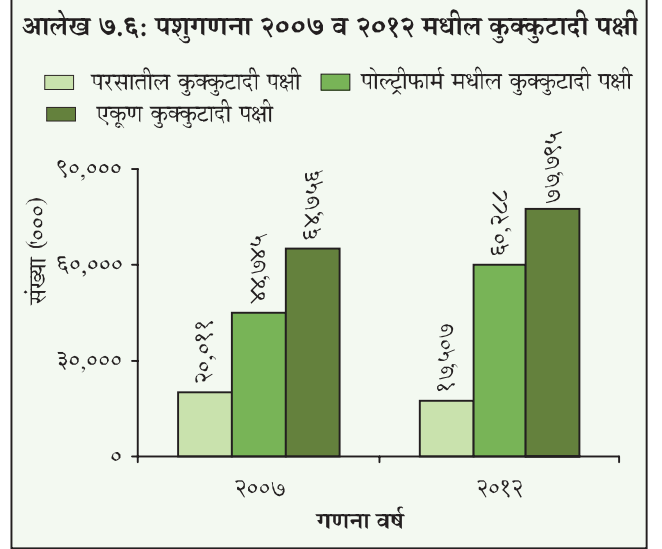
महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## पशुसंवर्धन

७.४० पशुसंवर्धन हा केवळ शेती उत्पन्नास पूरक व्यवसाय नसून त्यापासून लाभदायक रोजगार निर्मितीही होते. पशुपालनामुळे पशुपालक कुटुंबांना अल्प दरात आवश्यक पोषणतत्वे उपलब्ध होतात. या दृष्टीकोनातून पशुधन क्षेत्र वृद्धिंगत करण्यासाठी, सातत्यपूर्ण उत्पादनाकरिता शासन पशुधनाच्या अनुकीय उन्नतीसाठी धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करित आहे.

### पशुगणना

७.४१ पशुगणना २०१२ (१९ वी गणना) नुसार सुमारे ३.२५ कोटी पशुधनासह राज्य देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात दर लाख लोकसंख्येमागे सन २०१२ मध्ये सुमारे २९ हजार पशुधन होते. राज्यात कुक्कुटादी पक्ष्यांची संख्या सुमारे ७.७८ कोटी असून ती भारतातील एकूण कुक्कुटादी पक्ष्यांच्या संख्येच्या १०.७ टक्के आहे व देशपातळीवर राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे. पशुगणना २०१२ नुसार निवडक राज्यांमधील पशुधन तक्ता ७.२६ मध्ये व आकडेवारीची समय मालिका परिशिष्ट ७.७ मध्ये दिली आहे.



### तक्ता ७.२६ निवडक राज्यांमधील पशुगणना २०१२ नुसार पशुधन

('०००)

| राज्य       | पशुधन     |              |                  |        |          | एकूण कुक्कुटादी पक्षी # |
|-------------|-----------|--------------|------------------|--------|----------|-------------------------|
|             | गाई व बैल | म्हशी व रेडे | शेळ्या व मेंढ्या | इतर@   | एकूण     |                         |
| आंध्रप्रदेश | ९,५९६     | १०,६२३       | ३५,४६७           | ४१३    | ५६,०९९   | १,६१,३३४                |
| गुजरात      | ९,९८४     | १०,३८५       | ६,६६७            | ९२     | २७,१२८   | १५,००६                  |
| कर्नाटक     | ९,५१६     | ३,४७१        | १४,३८०           | ३३५    | २७,७०२   | ५३,४४२                  |
| मध्यप्रदेश  | १९,६०२    | ८,१८९        | ८,३२३            | २१९    | ३६,३३३   | ११,९०५                  |
| महाराष्ट्र  | १५,४८४    | ५,५९५        | ११,०१६           | ३९४    | ३२,४८९   | ७७,७९५                  |
| राजस्थान    | १३,३२४    | १२,९७६       | ३०,७४६           | ६८६    | ५७,७३२   | ८,०२४                   |
| तामिळनाडू   | ८,८१४     | ७८०          | १२,९३०           | १९८    | २२,७२३   | १,१७,३४९                |
| उत्तरप्रदेश | १९,५५७    | ३०,६२५       | १६,९३९           | १,५९३  | ६८,७१५   | १८,६६८                  |
| अखिल भारत   | १,९०,९०४  | १,०८,७०२     | २,००,२४२         | १२,२०९ | ५,१२,०५७ | ७,२९,२०९                |

@ डुकरे, घोडे व शिंगरे, खेचरे, उंट व गाढवे समाविष्ट

# पोल्ट्रीफार्ममधील पक्षी समाविष्ट

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

७.४१.१ राज्यात २० वी पशुगणना घेण्यात येत आहे. या पशुगणनेमध्ये पशुधन व कुक्कुटादी पक्ष्यांच्या सर्वमान्य प्रजातीनिहाय, वय व लिंगा नुसार माहिती संकलित करण्यात येत असून याव्यतिरिक्त मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उपक्रमात सहभागी असणाऱ्या लोकांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे.



## पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा

७.४२ पशुधनाच्या आरोग्याची निगा घेण्यासाठी राज्याने गावपातळीपर्यंत पशुवैद्यकीय संस्थांच्या जाळ्यांद्वारे सुविधा पुरविल्या आहेत. पशुवैद्यकीय विभागनिहाय शासनाची पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा तक्ता ७.२७ मध्ये दिल्या आहेत.

### तक्ता ७.२७ पशुवैद्यकीय विभागनिहाय शासनाची पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा

(३१ मार्च, २०१९ रोजी)

| पशुवैद्यकीय विभाग | सर्वचिकित्सालये <sup>१</sup> | लघु सर्वचिकित्सालये | पशुवैद्यकीय दवाखाने |              | फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने | एकूण         | जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|
|                   |                              |                     | श्रेणी I            | श्रेणी II    |                           |              |                             |
| मुंबई             | ५                            | २०                  | १३८                 | ३५९          | १२                        | ५३४          | ५                           |
| नाशिक             | ५                            | २५                  | ३६५                 | ४९१          | ६                         | ८९२          | ५                           |
| पुणे              | ५                            | २६                  | ४५७                 | ५५९          | ७                         | १,०५४        | ५                           |
| औरंगाबाद          | ३                            | २०                  | १६१                 | २८८          | २                         | ४७४          | ४                           |
| लातूर             | ४                            | २०                  | १६४                 | २९१          | ३                         | ४८२          | ४                           |
| अमरावती           | ५                            | २७                  | १९२                 | ३९४          | १७                        | ६३५          | ५                           |
| नागपूर            | ६                            | ३०                  | २६३                 | ४५९          | १८                        | ७७६          | ६                           |
| <b>राज्य</b>      | <b>३३</b>                    | <b>१६८</b>          | <b>१,७४०</b>        | <b>२,८४१</b> | <b>६५</b>                 | <b>४,८४७</b> | <b>३४</b>                   |

\$ याशिवाय मुंबई, परभणी, नागपूर, शिरवळ (सातारा), उद्‌गीर (लातूर) आणि अकोला येथील सहा सर्वचिकित्सालये पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न.

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

७.४३ विविध आजारांकरिता पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यासोबत लसीकरण कार्यक्रमही राज्यात राबविले जातात. केलेले पशुवैद्यकीय उपचार व लसीकरणाबाबतची माहिती तक्ता ७.२८ मध्ये दिली आहे.

### कृत्रिम रेतन

७.४४ पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील तीन गोठीत वीर्य प्रयोगशाळांमध्ये वीर्यनळ्यांची निर्मिती केली जाते आणि राज्यातील ३४ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रांमार्फत ४,८४७ पशुवैद्यकीय दवाखाने / चिकित्सालये यांना पुरविली जाते. कृत्रिम रेतन विषयक माहिती तक्ता ७.२९ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ७.२८ केलेले पशुवैद्यकीय उपचार आणि लसीकरण

('०००)

| तपशील                          | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९* |
|--------------------------------|---------|---------|----------|
| सामान्य उपचार                  | १८,२४२  | १७,९५२  | १७,१५३   |
| खच्चीकरण                       | ९३२     | ९७९     | ९३१      |
| मोठी शस्त्रक्रिया              | ४८      | ६०      | ५३       |
| लघु शस्त्रक्रिया               | ५८६     | ६०७     | ५६५      |
| लसीकरण (कुक्कुटादी पक्ष्यांसह) | ६३,९५७  | ४१,४१८  | ५३,५४३   |

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\*अस्थायी

### तक्ता ७.२९ कृत्रिम रेतन विषयक माहिती

('०००)

| तपशील                                     | २०१६-१७      | २०१७-१८      | २०१८-१९*     |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>१) गायी (कृत्रिम रेतन)</b>             |              |              |              |
| विदेशी                                    | ३०४          | ३०१          | २८०          |
| संकरित                                    | ९५४          | १,००९        | १,०५२        |
| देशी                                      | २५२          | ३१७          | ३५५          |
| <b>एकूण गायी (कृत्रिम रेतन)</b>           | <b>१,५१०</b> | <b>१,६२७</b> | <b>२,६८८</b> |
| <b>जन्मलेल्या वासरांची संख्या (गायी)</b>  |              |              |              |
| संकरित                                    | ४५७          | ४४९          | ४६५          |
| देशी                                      | ८७           | ९६           | ११४          |
| <b>२) म्हशी (कृत्रिम रेतन)</b>            | <b>६७४</b>   | <b>६८६</b>   | <b>७१९</b>   |
| <b>जन्मलेल्या रेडकांची संख्या (म्हशी)</b> | <b>२३९</b>   | <b>२३६</b>   | <b>२४३</b>   |

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\*अस्थायी

### प्रमुख पशुधन उत्पादने

७.४५ मांस उत्पादनात १२.०७ टक्के उत्पादनाच्या हिश्यासह महाराष्ट्र देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. दुग्ध उत्पादनात राज्याचा सातवा क्रमांक असून राष्ट्रीय स्तरावर दरडोई प्रतिदिन ३७५ ग्रॅम उपलब्धतेच्या तुलनेत राज्यात दरडोई प्रतिदिन २५६ ग्रॅम दूध महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

उपलब्धता आहे. अंडी उत्पादनात राज्याचा पाचवा क्रमांक असून प्रतिवर्ष दरडोई ४८ अंडी उपलब्धता राज्यात आहे, तर राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण ७४ आहे. राष्ट्रीय पोषण संस्थेच्या निकषानुसार प्रतिवर्ष दरडोई १८० अंडी सेवन असावे. राज्यातील पशुधनापासूनचे व कुक्कुटादी पक्ष्यांपासूनचे उत्पादन तक्ता ७.३० मध्ये तसेच निवडक राज्यांमधील मांस, दूध, अंडी व लोकर यांचे सन २०१७-१८ मधील अंदाजित उत्पादन तक्ता ७.३१ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ७.३० राज्यातील पशुधनापासूनचे व कुक्कुटादी पक्ष्यांपासूनचे उत्पादन

| वर्ष    | मांस<br>(‘००० मे.टन) | दूध<br>(‘००० मे.टन) | अंडी<br>(कोटी) | लोकर<br>(‘००० कि.ग्रॅ) |
|---------|----------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| २०१५-१६ | ६७५<br>(९.६१)        | १०,१५३<br>(६.५३)    | ५२९<br>(६.३८)  | १,३९०<br>(३.२०)        |
| २०१६-१७ | ८४५<br>(११.४४)       | १०,४०२<br>(६.३५)    | ५४८<br>(६.२२)  | १,४०७<br>(३.२३)        |
| २०१७-१८ | ९२४<br>(१२.०७)       | ११,१०२<br>(६.२९)    | ५७०<br>(६.०४)  | १,४३६<br>(३.४६)        |

टीप : कंसातील आकडे अखिल भारताशी टक्केवारी दर्शवितात

आधार : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

#### तक्ता ७.३१ निवडक राज्यांमधील मांस, दूध, अंडी व लोकर यांचे सन २०१७-१८ मधील अंदाजित उत्पादन

| राज्य       | मांस<br>(‘००० मे.टन) | दूध<br>(‘००० मे.टन) | अंडी<br>(लाख) | लोकर<br>(‘००० कि.ग्रॅ) |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| आंध्रप्रदेश | ७०८                  | १३,७२४              | १,७७,०१५      | ७९४                    |
| गुजरात      | ३३                   | १३,५६९              | १७,८६७        | २,२९४                  |
| कर्नाटक     | २२८                  | ७,१३६               | ५५,६६१        | ४,३०५                  |
| मध्यप्रदेश  | ८९                   | १४,७१३              | १९,४१८        | ४०८                    |
| महाराष्ट्र  | ९२४                  | ११,१०२              | ५६,९९०        | १,४३६                  |
| राजस्थान    | १८८                  | २२,४२७              | १४,५४७        | १४,२८७                 |
| तामिळनाडू   | ६०३                  | ७,७४१               | १,७४,१०५      | २                      |
| तेलंगणा     | ६४५                  | ४,९६५               | १,२६,६०३      | ४,५०६                  |
| उत्तरप्रदेश | १,१५१                | २९,०५१              | २४,२६८        | १,२९९                  |
| अखिल भारत   | ७,६५५                | १,७६,३४६            | ९,४०,८९६      | ४१,४६३                 |

आधार : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

#### राष्ट्रीय गुरे पैदास व दुग्ध विकास कार्यक्रम

७.४६ राष्ट्रीय गुरे पैदास व दुग्ध विकास कार्यक्रम हा १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम गुरे पैदास कार्याचे बळकटीकरण व विस्तारीकरण, देशी जातीच्या पैदाशीचे संवर्धन तसेच ग्रामीण युवकांसाठी स्वयंरोजगार निर्मितीकरिता महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत राज्यामध्ये राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमात राष्ट्रीय गुरे पैदास व राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम हे दोन घटक आहेत.

७.४६.१ राष्ट्रीय गुरे पैदास कार्यक्रम २०१५-१६ पासून सुरु झाला आहे. केंद्र शासनाने २०१५-१६ ते २०१७-१८ करिता ₹ ५२.४१ कोटी निधी मंजूर केला आहे. राष्ट्रीय गुरे पैदास कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत गोकुळ ग्राम योजना राबविण्याचे निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन निधी उपयोगितेचा तपशील तक्ता ७.३२ मध्ये दिला आहे.

#### तक्ता ७.३२ राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत झालेला खर्च

| वर्ष    | झालेला खर्च<br>(₹ कोटी) | घेतलेले उपक्रम                                                                                                                       |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २०१६-१७ | ८.३                     | दोन वळू माता प्रक्षेत्राचे बळकटीकरण व प्रत्येक वळू माता प्रक्षेत्रावर ६०० उच्च वंशावळीच्या गवळाऊ गायी व पंढरपुरी म्हशींची खरेदी करणे |
| २०१७-१८ | १.४९                    | तीन गोठीत वीर्य प्रयोगशाळा व विद्यमान कृत्रिम रेतन केंद्राचे बळकटीकरण                                                                |
|         | ५.०७                    | बीएआयएफ विकास संशोधन केंद्र पुणे येथे भृण प्रत्यारोपण व कृत्रिमरित्या गर्भधारणा प्रयोग शाळेची उभारणी करणे                            |
|         | १.१९                    | महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथील भृण प्रत्यारोपण व कृत्रिमरित्या गर्भधारणा प्रयोग शाळेचे बळकटीकरण             |

आधार : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

## राष्ट्रीय पशु उत्पादकता अभियान

७.४६.२ गर्भ हस्तांतरण तंत्रज्ञानाद्वारे देशी वंशावळीचे संवर्धन व विकास करण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय पशु उत्पादकता अभियान राबविण्यात येते. दूध उत्पादन व उत्पादकता वाढवून त्याद्वारे शेतकऱ्यांचा दुग्ध व्यवसाय अधिक लाभदायक करून, त्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढविणे या उद्देशाने राष्ट्रीय पशु उत्पादकता अभियान नोव्हेंबर, २०१६ पासून लागू केले आहे. या अभियानांतर्गत पशुसंजीवनी ही पशुस्वास्थ्य योजना समाविष्ट असून त्यातील गायी / म्हशींना टॅगिंग (पत्र्याचे बिल्ले) करणे तसेच सर्व जनावरांकरिता आरोग्यपत्रिका (नकुल स्वास्थ्य पत्र) पुरविणे आणि सर्व जनावरांची माहिती माहितीकोषात समाविष्ट करण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील ५४.०३ लाख दुधाळ जनावरांकरिता आरोग्यपत्रिकांचे वाटप व टॅगिंगसाठी ₹ ६.३७ कोटी निधी खर्च झाला आहे.

## राष्ट्रीय पशुधन अभियान

७.४७ सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांकरिता शेळी, मेंढी, कुक्कुट, डुक्कर, पशुधन विमा, खाद्य व चारा विकास, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पशुसंवर्धन विस्तार कार्य या विविध योजना एकत्रित करून राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू केले.

७.४७.१ पशुधन अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून सन २०१६-१७ मध्ये रु. १३.३८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून ₹ १०.३५ कोटी खर्च झाला. सन २०१७-१८, मध्ये ₹ ११.९९ कोटी निधी मंजूर झाला असून तीन पशुखाद्य निर्मिती केंद्राची स्थापना, खाद्यविश्लेषण प्रयोगशाळेचे आधुनिकीकरण, २२४ मुरघास केंद्रांची स्थापना आणि १,३४१ विद्युतचलित कडबा कुट्टी यंत्रांचे वितरणासाठी ₹ ७.६३ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र शासनाने ₹ १०.५३ कोटी निधी राष्ट्रीय पशुधन अभियानासाठी मंजूर केला.

## गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र

७.४८ गोवंश संगोपनासाठी राज्याने एक कृतीशील पाऊल टाकले असून मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

७.४८.१ राज्यात ३४ गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र (प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक याप्रमाणे) स्थापनेसाठी सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ३४ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. त्यापैकी, २२ केंद्रांना प्रत्येकी ₹ २५ लाखाचा पहिला हफ्ता आणि सहा केंद्रांना ₹ २५ लाखांचे दोन हफ्ते वितरित झाले आहे. एकूण खर्च ₹ ८.५० कोटी झाला आहे.

७.४९ पशुपालनाद्वारे ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवनमान उंचावणे, उद्योजकता तयार करणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे याकरिता राज्यात विविध योजना राबविल्या जात आहेत. निवडक योजनांची प्रगती तक्ता ७.३३ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ७.३३ निवडक योजनांची प्रगती

| योजना                                                                  | २०१५-१६              |                 | २०१६-१७              |                 | २०१७-१८              |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                        | लाभार्थी<br>(संख्या) | खर्च<br>(₹ लाख) | लाभार्थी<br>(संख्या) | खर्च<br>(₹ लाख) | लाभार्थी<br>(संख्या) | खर्च<br>(₹ लाख) |
| <b>राज्य स्तर</b>                                                      |                      |                 |                      |                 |                      |                 |
| ६/४/२ दुधाळ जनावरांची गटवाटप योजना                                     | १,४८९                | १,८१९           | २,२७६                | १,७४९           | २,३३९                | १,६९४.८२        |
| अंशतः ठाणबंद १० शेळी व एक बोकड गटवाटप                                  | २,१०१                | १,०५०           | २,३२४                | १,११९           | २,५४७                | १,२३२.८१        |
| १,००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन जोडधंदा सुरू करणे | १,६९६                | २,२४४           | ९२३                  | १,२३८           | ९४७                  | १,२७८.६०        |

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

## राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

७.५० राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा उद्देश भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील लाभधारकांना मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्याचा आहे. या योजने अंतर्गत पायाभूत सुविधेसह २०+१ मेंढी गट वाटप, सुधारीत प्रजातीचे नर मेंढ्यांचे वाटप, मेंढी पालनासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि संतुलित खाद्य उपलब्ध करून देणे या बाबींसाठी ७५ टक्के अनुदान आणि कुट्टी केलेल्या हिरव्या चान्याचा मुरघास बनवण्याकरिता गासड्या बांधण्याचे यंत्र खरेदी करणे व पशुखाद्य कारखाने उभारणे यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येते. सन २०१७-१८ मध्ये या योजनेअंतर्गत २९२ मेंढी गट वाटपासाठी ₹ ४.४० कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ₹ ७.२० कोटी निधी ३७० मेंढी गट वाटप करण्याच्या उद्देशाने वितरीत केला आहे.



## पशुधन विमा योजना

७.५१ केंद्र पुरस्कृत पशुधन विमा योजना राज्यात महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत २००६-०७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रमुख उद्देश पशुधारकांकडे असलेल्या जनावरांचा नैसर्गिक आपत्ती, अपघात अथवा रोगामुळे आकस्मिक मृत्यू झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे आहे. सन २०१६-१७ मध्ये २.९८ लाख जनावरांचा विमा उतरविण्यासाठी ₹ ८.९२ कोटी निधी खर्च झाला आणि ₹ २३.८७ कोटी रकमेचे ८,३२७ दावे निकाली काढण्यात आले आहे.

७.५१.१ महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१८ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधी करिता न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी मर्यादित व पृडेंट इन्श्युरन्स ब्रोकर खाजगी मर्यादित, यांच्या सोबत त्रिपक्षीय करार केला असून ५०,००० जनावरांचे विमा उतरविण्यासाठी ₹ ३.३६ कोटी निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. मार्च, २०१९ पर्यंत ८९८ लाभार्थ्यांच्या एकूण ४,२७४ जनावरांचा विमा उतरविण्यासाठी ₹ २९.२७ लाख प्रीमियम सब्सिडी हप्त्यापोटी अनुदान म्हणून व पशुवैद्यकांना द्यावयाच्या मानधनावर ₹ ९.२३ लाख खर्च झाला.

## कुक्कुट विकास

७.५२ ग्रामीण विकासामध्ये कुक्कुट पालन व्यवसाय परिणामकारक भूमिका बजावतो. या व्यवसायामुळे ग्रामीण जनतेला नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होते. राज्यामध्ये चार मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रांची स्थापना औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर व पुणे येथे खालील उद्देशाने केली आहे

- सुधारीत जातींची कुक्कुट पिल्ले, तलंगा, उबवणुकीची अंडी यांचे उत्पादन व शेतकऱ्यांना शासकीय दरात विक्री करणे
- विविध योजने अंतर्गत सुधारित जातींची एक दिवसीय कुक्कुट पिल्ले, अंडी, नर-मादी पक्ष्यांचे व तलंगांचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्याची व्यवस्था करणे
- ग्रामीण भागात कुक्कुट पालन व्यवसाय करण्यासाठी चांगल्या सुधारित जातींचे देशी पक्षी उपलब्ध करून देणे
- शेतकरी, महिला स्व-सहायता गट, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, विद्यार्थी, इत्यादींना कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देणे
- विविध कालावधीचे आठ दिवस, १५ दिवस, एक महिना व सहा महिन्यांचे नियमित प्रशिक्षण वर्ग चालविणे
- शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन व कुक्कुट पालन व्यवसाय करण्यासाठी प्रवृत्त करणे.

### तक्ता ७.३४ मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्रांमधून पुरवठा केलेले कुक्कुटादी पक्षी व अंड्यांची उपलब्धता

| वर्ष    | पुरवठा करण्यात आलेले कुक्कुटादी पक्षी (लाख) | अंड्यांची उपलब्धता (दरडोई दरवर्षी) |      |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------|------|
|         |                                             | राज्य                              | भारत |
| २०१३-१४ | ९.८७                                        | ४३                                 | ६१   |
| २०१४-१५ | ८.२१                                        | ४४                                 | ६३   |
| २०१५-१६ | ८.८६                                        | ४६                                 | ६६   |
| २०१६-१७ | ६.३८                                        | ४७                                 | ६९   |
| २०१७-१८ | ७.३८                                        | ४८                                 | ७४   |

आधार : पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र द्वारे पुरवठा केलेले कुक्कुटादी पक्षी आणि अंड्यांची उपलब्धता तक्ता ७.३४ मध्ये दिली आहे.

## स्वयं प्रकल्प

७.५३ अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रामधील अंगणवाड्यातील मुलांच्या आहारामध्ये अंड्यांचा पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती करण्यासाठी सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीकरिता राज्यातील १६ जिल्ह्यांत स्वयं प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत चार आठवडे वयाचे ४५ पक्षी लाभार्थ्यांना वाटप करण्याकरिता १०४ पक्षी संगोपन केंद्रे स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. सदर प्रकल्पा अंतर्गत तयार झालेली अंडी अंगणवाडीतील मुलांना प्रथिन युक्त पोषाणासाठी वाटप करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹ २२.५६ कोटी आहे. लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचे मार्फत करण्यात येत आहे.

७.५३.१ सन २०१७-१८ मध्ये अमरावती, गोंदिया, नागपूर, नांदेड, पालघर, रायगड, ठाणे व यवतमाळ या आठ जिल्ह्यांमध्ये ३९ पक्षी संगोपन केंद्र स्थापन करण्यात आले असून या साठी ₹ ७.७० कोटी निधी खर्चा झाला. सन २०१८-१९ मध्ये आठ जिल्ह्यांमध्ये २६ पक्षी संगोपन केंद्र स्थापन करण्यासाठी ₹ ८.०० कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. एकूण ६५ पक्षी संगोपन केंद्रांपैकी ५५ पक्षी संगोपन केंद्रांनी पक्षी संगोपन सुरू केले असून स्वयं रोजगारासाठी लाभार्थ्यांना चार आठवडे वयाचे २.६५ लाख पक्षी वितरित केले आहेत.

## दुध विकास

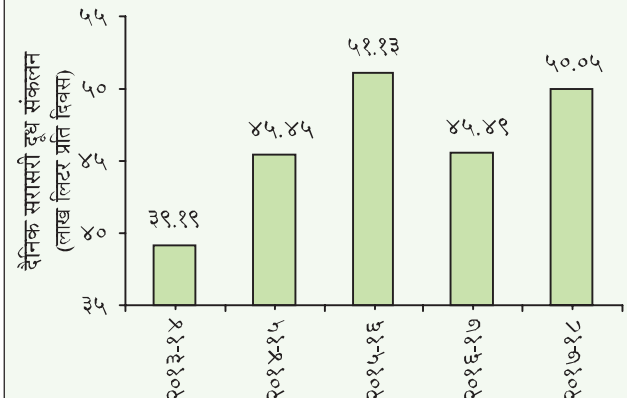
७.५४ दुध व्यवसाय हा कृषि पूरक व्यवसाय असून त्यात ग्रामीण कुटुंबांच्या आहार पोषण मुल्यांचा स्तर उंचावण्याबरोबरच अतिरिक्त उत्पन्न व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे. दुध उत्पादनामध्ये राज्याचा देशात सातवा क्रमांक आहे. दुध उत्पादन व दुधाची दरडोई उपलब्धता तक्ता ७.३५ मध्ये तर विभागनिहाय दुध उत्पादन तक्ता ७.३६ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.३५ दुध उत्पादन व दुधाची दरडोई उपलब्धता**

| वर्ष    | दुध उत्पादन<br>(लाख मे. टन) |          | दुधाची दरडोई उपलब्धता<br>(ग्रॅम प्रति दिन) |      |
|---------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|------|
|         | राज्य                       | भारत     | राज्य                                      | भारत |
| २०१३-१४ | ९०.८९                       | १,३७६.८५ | २१९                                        | ३०७  |
| २०१४-१५ | ९५.४२                       | १,४६३.१४ | २२८                                        | ३२२  |
| २०१५-१६ | १०१.५२                      | १,५५४.९१ | २३९                                        | ३३७  |
| २०१६-१७ | १०४.०२                      | १,६३६.९४ | २४३                                        | ३५२  |
| २०१७-१८ | १११.०२                      | १,७६३.४६ | २५६                                        | ३७५  |

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

**आलेख ७.७: सहकारी व शासकीय दुधशाळांकडून एकत्रित दैनिक सरासरी दूध संकलन**



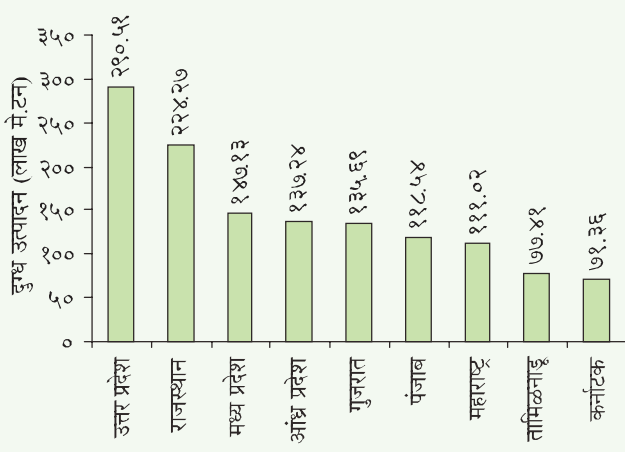
७.५५ सन २०१७-१८ मध्ये शासकीय व सहकारी क्षेत्र मिळून १११ दूध प्रक्रिया प्रकल्प व १५४ दूध शीतकरण केंद्रे कार्यरत होती व त्यांची प्रतिदिन क्षमता अनुक्रमे ९६.१३ लाख लिटर व ४४.४२ लाख लिटर होती. शासकीय व सहकारी दुधशाळांचे दैनिक सरासरी दूध संकलन २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ०.८९ लाख लिटर व ४९.१६ लाख लिटर आणि २०१८-१९ मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत अनुक्रमे १.५५ लाख लिटर व ४६.९१ लाख लिटर होते. राज्यात २४२ शीतगृहे असून त्यांची क्षमता ११,७२६.३५ मे.टन आहे, त्यापैकी २१९ शीतगृहे खाजगी क्षेत्रात असून त्यांची क्षमता ११,२९९.६५ मे. टन आहे.

**तक्ता ७.३६ विभागनिहाय दुध उत्पादन**

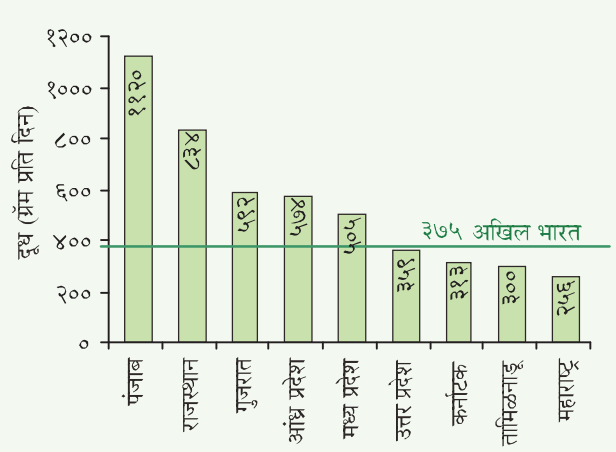
| विभाग             | (लाख मे. टन)  |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | २०१५-१६       | २०१६-१७       | २०१७-१८       |
| कोकण              | ४.९१          | ४.९८          | ५.३३          |
| नाशिक             | २७.१२         | २८.०७         | २९.८५         |
| पुणे              | ४१.८४         | ४२.९९         | ४६.४१         |
| औरंगाबाद          | १४.३०         | १६.४८         | १७.७०         |
| अमरावती           | ७.०९          | ६.७७          | ६.६२          |
| नागपूर            | ६.२६          | ४.७३          | ५.११          |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>१०१.५२</b> | <b>१०४.०२</b> | <b>१११.०२</b> |

आधार: पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

**आलेख ७.८: दुध उत्पादन २०१७-१८**



**आलेख ७.९: दुधाची दरडोई उपलब्धता २०१७-१८**



## मत्स्यव्यवसाय

७.५६ राज्यास ७२० किमी लांबीचा सागरी किनारा लाभला असून सागरी मासेमारीसाठी १.१२ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्र योग्य आहे व सागरी किना-यावर मासळी उतरविण्याची १७३ केंद्रे आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये सागरी मासेमारीसाठी १६,८९४ मच्छीमार नौका कार्यरत असून त्यापैकी १३,५४८ यांत्रिक नौका होत्या. या व्यतिरिक्त, राज्यात ३.१७ लाख हेक्टर क्षेत्र गोड्या पाण्यातील व ०.१० लाख हेक्टर क्षेत्र निमखाच्या पाण्यातील मासेमारी योग्य आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारीची गरज भागवणारी ३० मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे राज्यात असून त्यांची प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता २,४१४ लाख मत्स्यबीज आहे. मत्स्य उत्पादन व निर्यात तक्ता ७.३७ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ७.३७ मत्स्य उत्पादन व निर्यात

| बाब                   | परिमाण    | २०१६-१७      | २०१७-१८      | २०१८-१९*     |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>मत्स्य उत्पादन</b> | लाख मे.टन |              |              |              |
| सागरी                 |           | ४.६३         | ४.७५         | ४.६०         |
| गोड्या पाण्यातील      |           | २.००         | १.३१         | १.३०         |
| <b>एकूण</b>           |           | <b>६.६३</b>  | <b>६.०६</b>  | <b>५.९०</b>  |
| <b>स्थूल मूल्य</b>    | ₹ कोटी    |              |              |              |
| सागरी                 |           | ५,७३४        | ६,२८८        | ६,९००        |
| गोड्या पाण्यातील      |           | २,०७८        | १,४४७        | १,५६०        |
| <b>एकूण</b>           |           | <b>७,८१२</b> | <b>७,७३५</b> | <b>८,४६०</b> |
| <b>मत्स्य निर्यात</b> |           |              |              |              |
| उत्पादन               | लाख मे.टन | १.५१         | १.८१         | १.६३         |
| मूल्य                 | ₹ कोटी    | ४,३१२        | ४,९०७        | ५,०४३        |

आधार : मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

७.५७ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ पासून ₹ ७० कोटी खर्चाच्या १९ मासेमारी धक्क्यांच्या विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यापैकी १५ धक्क्यांचे काम पूर्ण झाले असून दोन धक्क्यांचे काम प्रगतीपथावर तर दोन धक्क्यांचे काम रद्द करण्यात आले.

## रेशीम उत्पादन

७.५८ ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याची क्षमता असलेला रेशीम उत्पादन हा कृषि आधारित उद्योग आहे. तुती रेशीम विकास कार्यक्रम राज्यातील २४ जिल्ह्यांत राबविला जातो. तुती लागवडीखालील क्षेत्र व रेशीम उत्पादनाची माहिती तक्ता ७.३८ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ७.३८ तुती लागवडीखालील क्षेत्र व रेशीम उत्पादन

| बाब                            | परिमाण | २०१६-१७ | २०१७-१८   | २०१८-१९*  |
|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| लागवडीखालील क्षेत्र (नवीन)     | हेक्टर | १,११९   | ४,६६०.६५  | १०,३७६.७५ |
| लागवडीखालील क्षेत्र (जुने)     | हेक्टर | २,४०२   | ६,१५६     | ९,४०६     |
| लागवडीखालील एकूण क्षेत्र       | हेक्टर | ३,५२१   | १०,८१६.६५ | १९,७८२.७५ |
| लाभार्थी (शेतकरी)              | संख्या | ७,३४४   | ९,९५५     | १८,१६०    |
| रोग विरहीत अंडीपुंजांचा पुरवठा | लाख    | २४.२४   | ४१.७५     | ५४.६७     |
| कोष उत्पादन                    | मे. टन | १,५०४   | २,२७९.८६  | ३,२३०.२७  |
| कच्चे रेशीम उत्पादन            | मे. टन | २३१     | ३५०.४९    | ४९६.३७    |
| कोष खरेदी                      | मे. टन | ०.२९    | ०.००८     | ०.४७७     |
| निर्मित रोजगार (मनुष्य दिवस)   | लाख    | २५.४२   | ३८.५५     | ५४.६०     |

आधार : रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

७.५८.१ टसर रेशीम विकास कार्यक्रम गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या चार जिल्ह्यांमध्ये राबविला जातो. टसर रेशीम किड्यांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक ऐन व अर्जुन वृक्षांचे या चार जिल्ह्यांतील लागवडीखालील क्षेत्र १८,८६६ हेक्टर आहे. सन २०१७-१८ मध्ये कच्चा टसर रेशमाचे उत्पादन १९.३३ मे.टन होते तर सन २०१८-१९ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत ते २२.६८ मे.टन होते.

## वने

७.५९ सन २०१७-१८अखेर राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ६१,८५१ चौ. किमी असून राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८ नुसार वनक्षेत्राचे प्रमाण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के असावे या उद्दीष्टाच्या तुलनेत राज्याचे वनक्षेत्र २०.१ टक्के आहे. राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी वन विभाग (५५,६६१.९० चौ. किमी), महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (मवविम) (३,४६१.६८ चौ. किमी), वन विभागाच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आलेले खाजगी वनक्षेत्र (१,१७८.०९ चौ. किमी) व महसूल विभागाच्या (१,५४९.१३ चौ. किमी) अधिपत्याखाली आहे.

‘भारताचा वनस्थिती अहवाल - २०१७’ नुसार राज्याच्या एकूण वनाच्छादनात अति घनदाट वने १७.२ टक्के, मध्यम घनदाट वने ४०.८ टक्के, खुले वन ४२.० टक्के होते. राज्याचे एकूण कांदळवन आच्छादन ३०४ चौ. किमी असून ते भारताचा ‘वनस्थिती अहवाल - २०१५’ मध्ये नमूद केलेल्या आच्छादनाच्या तुलनेत ८२ चौ. किमीनी वाढले आहे. परिमंडळनिहाय वनक्षेत्राचे वर्गीकरण तक्ता ७.३९ मध्ये तर निवडक राज्यांचे वनाच्छादन तक्ता ७.४० मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता ७.३९ परिमंडळनिहाय वनक्षेत्राचे वर्गीकरण (३१ मार्च, २०१७ रोजी)

(चौ. किमी)

| परिमंडळ           | वनक्षेत्र        |                 |                 |                  | एकूण वनक्षेत्राशी टक्केवारी |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
|                   | राखीव            | संरक्षित        | अवर्गीकृत       | एकूण             |                             |
| गडचिरोली          | ११,२२५.५७        | १,४०३.०५        | २३३.५२          | १२,८६२.१३        | २०.८                        |
| नागपूर            | ४,३१६.४४         | २,१५७.१०        | १,२७२.५१        | ७,७४६.०५         | १२.५                        |
| धुळे              | ६,१२३.९१         | ५७.०६           | २४६.९७          | ६,४२७.९४         | १०.४                        |
| ठाणे              | ४,३३८.२१         | १,२१५.४१        | २२९.३३          | ५,७८२.९५         | ९.४                         |
| नाशिक             | ५,०१८.७६         | २७२.१७          | ४८.०६           | ५,३३८.९९         | ८.६                         |
| चंद्रपूर          | ३,८२३.४४         | ८७७.६९          | १०७.२५          | ४,८०८.३८         | ७.८                         |
| अमरावती           | ४,६४३.२३         | १०.४२           | ६.०३            | ४,६५९.६८         | ७.५                         |
| कोल्हापूर         | ३,२८५.२८         | ४२४.१३          | ८०८.६९          | ४,५१८.१०         | ७.३                         |
| यवतमाळ            | ३,७४५.३७         | १६.१९           | १९३.१७          | ३,९५४.७३         | ६.४                         |
| औरंगाबाद          | २,६७४.१४         | १६२.४५          | २८८.१८          | ३,१२४.७७         | ५.१                         |
| पुणे              | २,३८४.७१         | ०.०३            | १८७.८०          | २,५७२.५४         | ४.२                         |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>५१,५७९.०५</b> | <b>६,६५०.२४</b> | <b>३,६२१.५१</b> | <b>६१,८५०.८०</b> | <b>१००.०</b>                |

आधार : प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

#### तक्ता ७.४० निवडक राज्यांचे वनाच्छादन @

(चौ. किमी)

| राज्य             | भौगोलिक क्षेत्र  | एकूण वनाच्छादन  | भौगोलिक क्षेत्राशी एकूण वनाच्छादनाची टक्केवारी |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| आंध्र प्रदेश      | १,६२,९६८         | २८,१४७          | १७.३                                           |
| गुजरात            | १,९६,२४४         | १४,७५७          | ७.५                                            |
| कर्नाटक           | १,९१,७९१         | ३७,५५०          | १९.३                                           |
| केरळ              | ३८,८५२           | २०,३२१          | ५२.३                                           |
| मध्य प्रदेश       | ३,०८,२५२         | ७७,४१४          | २५.१                                           |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>३,०७,७१३</b>  | <b>५०,६८२</b>   | <b>१६.५</b>                                    |
| राजस्थान          | ३,४२,२३९         | १६,५७२          | ४.८                                            |
| तेलंगणा           | १,१२,०७७         | २०,४१९          | १८.२                                           |
| उत्तर प्रदेश      | २,४०,९२८         | १४,६७९          | ६.१                                            |
| <b>भारत</b>       | <b>३२,८७,४६९</b> | <b>७,०८,२७३</b> | <b>२१.५</b>                                    |

आधार : भारत वनस्थिती अहवाल - २०१७

@ उपग्रहाद्वारे प्राप्त माहितीवर आधारित (ऑक्टोबर, २०१५ ते जानेवारी, २०१६)

### वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये

७.६० राज्यात सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४९ अभयारण्ये आणि सहा संवर्धित राखीव क्षेत्रे आहेत. ‘भारतातील वाघांची स्थिती २०१४’ अहवालानुसार राज्यातील वाघांची अंदाजित संख्या १९० होती व ती सन २०१० मध्ये १६९ होती. राज्यातील वाघांची संख्या मोजण्यासाठी फेज ४ (कॅमेरा ट्रॅप) अभ्यास पाहणी २०१४-१५ मध्ये घेण्यात आली असून सदर पाहणीत २०३ वाघ असल्याचे निदर्शनास आले. प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे क्षेत्र आणि खर्च तक्ता ७.४१ मध्ये दिला आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## तक्ता ७.४१ प्रकल्प, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये यांचे क्षेत्र आणि खर्च

(₹ कोटी)

| प्रकल्प                                        | क्षेत्र (चौ. किमी) २०१६-१७ |          | खर्च    |         |                      |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|
|                                                | गाभा                       | बफर      | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ <sup>+</sup> |
| <b>व्याघ्र प्रकल्प</b>                         |                            |          |         |         |                      |
| मेळघाट                                         | १,५००.४९                   | १,२६८.०३ | ६१.८०   | ६१.६६   | ७.००                 |
| ताडोबा अंधारी                                  | ६२५.८२                     | १,१०१.७० | १०.३२   | ९.५०    | ४.१२                 |
| पेंच                                           | ४३९.८४                     | ३०१.३८   | १८.१८   | ११.४३   | ७.२३                 |
| सह्याद्री                                      | ६००.१२                     | ५६५.४५   | ४.६९    | ६.९२    | २.७७                 |
| नवेगाव-नागाझिरा                                | ६५३.६७                     | १,२४१.२७ | ९.८९    | १२.३९   | ६.१२                 |
| बोर                                            | १३८.१२                     | ६७८.१५   | २०.४५   | १.९४    | ३.८४                 |
| <b>राष्ट्रीय उद्याने/अभयारण्ये यांचा विकास</b> | -                          | -        | ८.०४    | १३.४४   | ६.९०                 |
| हत्ती प्रकल्प, कोल्हापूर                       | क्षेत्र निर्दिष्ट नाही     |          | ०.२४    | ०.४३    | ०.१४                 |

आधार : प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

+ डिसेंबर पर्यंत

## वनोत्पादने

७.६१ वनांद्वारे इमारती व जळाऊ लाकूड ही प्रमुख आणि बांबू, तेंदू पत्ता, डिक, गवत, इत्यादि गौण वन उत्पादने मिळतात. ही सर्व वनोत्पादने राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी व स्थानिकांना उपजीविका पुरविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. वनोत्पादनांचे उत्पादन व मूल्य तक्ता ७.४२ मध्ये दिले आहे.

## तक्ता ७.४२ वनोत्पादनांचे उत्पादन व मूल्य

(₹ कोटी)

| वनोत्पादन                        | उत्पादनाचे परिमाण | २०१६-१७ |        | २०१७-१८* |        | २०१८-१९@ |        |
|----------------------------------|-------------------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                  |                   | उत्पादन | मूल्य  | उत्पादन  | मूल्य  | उत्पादन  | मूल्य  |
| (अ) मुख्य वनोत्पादने             |                   |         |        |          |        |          |        |
| इमारती लाकूड                     | लाख घन मीटर       | ०.६३    | २२२.४० | ०.४६     | २६२.२३ | ०.६३     | २९१.३९ |
| जळाऊ लाकूड                       | लाख घन मीटर       | १.०३    | २९.९६  | १.५४     | ६०.२३  | ३.११     | ९२.७   |
| एकूण (अ)                         | लाख घन मीटर       |         | २५२.३६ |          | ३२२.४६ |          | ३८४.०९ |
| (ब) गौण वनोत्पादने               |                   |         |        |          |        |          |        |
| बांबू                            | लाख मे. टन        | ०.३३    | ३२.४२  | ०.२८     | ३२.४२  | ०.३१     | ३२.३३  |
| तेंदूपत्ता                       | लाख स्टॅंडर्ड बॅग | २.८६    | ५४.७३  | ३.१३     | ५४.७३  | उना      | उना    |
| गवत                              | मे. टन            | १६,७७१  | ०.०७   | १७,१६४   | ०.०७   | उना      | उना    |
| डिंक                             | क्विंटल           | १०,९५०  | ०.२३   | ८,४८०    | ०.२३   | उना      | उना    |
| लाख                              | क्विंटल           | २,५९७   | ०.५१   | ०        | ०      | उना      | उना    |
| इतर ( हिरडा, शिकेकार्ड, इत्यादि) | -                 | उना     | ३.९४   |          | ०.६    | उना      | उना    |
| एकूण (ब)                         |                   |         | ९१.९३  |          | १९४.६८ |          | ३२.३३  |
| एकूण (अ+ब)                       |                   |         | ३४४.२९ |          | ५१७.१४ |          | ४१६.४२ |

आधार : प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

उना उपलब्ध नाही

\* अस्थायी

@ अपेक्षित

## वृक्ष लागवड

७.६२ वृक्ष लागवड कार्यक्रमाची अंमलबजावणी मुख्यतः वन विभाग, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ व सामाजिक वनीकरण संचालनालय यांचेमार्फत करण्यात येते. वृक्ष लागवडी अंतर्गत क्षेत्र व खर्च तक्ता ७.४३ मध्ये दिला आहे.

**तक्ता ७.४३ वृक्ष लागवडी अंतर्गत क्षेत्र व खर्च**

| वर्ष    | वन विभाग            |                  | महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ |                  | सामाजिक वनीकरण      |                  |                          |
|---------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
|         | क्षेत्र<br>(हेक्टर) | खर्च<br>(₹ कोटी) | क्षेत्र<br>(हेक्टर)         | खर्च<br>(₹ कोटी) | क्षेत्र<br>(हेक्टर) | खर्च<br>(₹ कोटी) | पुरविलेली<br>रोपे (कोटी) |
| २०१५-१६ | ५१,८६६              | ११.४४            | २,८९८                       | ११.०५            | १,०२९               | १७.४३            | ०.३८                     |
| २०१६-१७ | ३६,४५७              | १४२.९५           | २,९०६                       | ९.०८             | २,७८७               | ४५.१०            | १.१९                     |
| २०१७-१८ | २६,४०५              | ९९.४६            | ३,५७७                       | १३.८०            | ३,९८५               | ६०.४६            | ०.५०                     |

आधार: प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

**वनाच्छादन वाढवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार**

७.६३ राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.१ टक्के वनक्षेत्रे आहेत तर १६.५ टक्के वनाच्छादीत आहे व ते राज्य वन धोरण, २००८ मध्ये उल्लेखित केल्यानुसार कमी आहे. राज्या मध्ये वनाच्छादन क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने वन विभागाने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडी, मृदुसंधारण व नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे कार्यक्रम हाती घेतले आहे. दिनांक १ जुलै, २०१६ रोजीच्या २.८१ कोटी वृक्ष रोपे लावण्याच्या यशस्वी मोहिमेनंतर, राज्य शासनाने सन २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षात ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे भव्य उद्दिष्ट घेतले आहे. वर्षानिहाय वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य व साध्य तक्ता क्रमांक ७.४४ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता क्रमांक ७.४४ वृक्ष लागवड उपक्रमातील लक्ष्य व साध्य**

| वर्ष        | अंमलबजावणी यंत्रणा विभाग |             |             | एकूण उद्दिष्ट | साध्य |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|             | वन विभाग                 | इतर +       | ग्रामपंचायत |               |       |
| २०१७        | २.२५                     | ०.७५        | १           | ४             | ५.४३  |
| २०१८        | ७.५०                     | २.५०        | ३           | १३            | १५.८९ |
| २०१९        | १८.७५                    | ६.२५        | ८           | ३३            | लाना  |
| <b>एकूण</b> | <b>२८.५०</b>             | <b>९.५०</b> | <b>१२</b>   | <b>५०</b>     |       |

+ शासनाचे विभाग, अशासकीय संस्था, खाजगी संस्था, वैयक्तिक, सहकारी संस्था, उद्योजकता सामाजिक दायित्व, इत्यादि

आधार: प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, महाराष्ट्र शासन लाना लागू नाही

**सामाजिक वनीकरण**

७.६४ सन २०१७-१८ मध्ये सुमारे ३,८९२ हेक्टर व ३,८९१.९४ किमी सामूहिक जमिनीवर ५१ लाख रोपांची लागवड करण्यात आली असून खाजगी जमिनीवरील वृक्ष लागवडीसाठी ३३ लाख रोपे पुरविण्यात आली. सन २०१८-१९ मध्ये १२६ लाख रोपांची लागवड सुमारे ७,१७९ हेक्टर व १६,२४८ किमी सामूहिक जमिनीवर करण्यात आली असून खाजगी जमिनीवरील लागवडीकरिता १३५ लाख रोपे पुरविण्यात आली. प्रमुख योजनांखालील वृक्ष लागवडीचे क्षेत्र तक्ता ७.४५ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ७.४५ प्रमुख योजनांखालील वृक्ष लागवडीचे क्षेत्र**

| योजना                                                                          | २०१६-१७ | २०१७-१८                    | २०१८-१९ |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना-गट लागवड                                | १५१.७०  | ९२.६६                      | १,४९२   |
| महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना- रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड (किमी) | ९७०.९०  | १,३०३.२५                   | १,८६९   |
| राष्ट्रीय बांबू अभियान                                                         | ६५      | ११.४०                      | ०       |
| निवडक पाणलोट क्षेत्रातील वनेतर सामूहिक जमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रम           | १०५.०   | अ) ६६.०<br>ब) ४०.०० कि. मी | **      |

आधार: प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र शासन

\*\* या योजनेचे रूपांतर वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमात झाले आहे

**संत तुकाराम वनग्राम योजना**

७.६५ वने आणि वन्यजीव यांचे महत्व याविषयी जागरूकता निर्माण करणे या हेतूने तसेच बेकायदेशीर वृक्षतोड, अतिक्रमण इत्यादि पासून वनांचे संरक्षण करण्याकरिता संत तुकाराम वनग्राम योजना सुरु करण्यात आली. या योजने अंतर्गत १५,५०० गावांमध्ये एकूण १२,१९४ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा व राज्य स्तरावर सर्वोत्कृष्ट काम करणा-या तीन समित्यांना तसेच औरंगाबाद विभागातील एका समितीला या योजने अंतर्गत संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती पुरस्कार देण्यात येतो. या संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांकडून २७.०४ लाख हेक्टर वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन केले जाते. या योजने अंतर्गत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये प्रत्येकी ₹ ७५.०० लाख खर्च झाला आहे.

\* \* \* \* \*

## परिशिष्ट ७.१

## कृषि गणनांनुसार राज्यातील एकूण वहिती खातेदार, वहितीचे एकूण क्षेत्र व सरासरी क्षेत्र

| अ. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर)      | वहिती खातेदारांची संख्या ('००) |         |         |          |          |          |          |          |
|---------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (१)     | (२)                    | १९७०-७१                        | १९८०-८१ | १९९०-९१ | १९९५-९६  | २०००-०१  | २००५-०६  | २०१०-११  | २०१५-१६* |
| (१)     | (२)                    | (३)                            | (४)     | (५)     | (६)      | (७)      | (८)      | (९)      | (१०)     |
| १       | ०.५ पेक्षा कमी         | ६,८३४                          | ९,९१४   | १६,६७२  | २२,४०९   | २७,४६२   | ३१,६५८   | ३६,४५७   | ४३,७२२   |
| २       | ०.५ - १.०              | ५,५८५                          | ९,३४५   | १६,०७५  | २०,२५२   | २५,५९५   | २९,५२५   | ३०,६३३   | ३४,४३६   |
| ३       | १.० - २.०              | ८,७८३                          | १५,४०९  | २७,२७६  | ३१,७५५   | ३६,०५६   | ४१,५०३   | ४०,५२३   | ४३,३९२   |
| ४       | २.० - ३.०              | ६,२६६                          | १०,२७५  | १३,९६९  | १४,७४५   | १५,७९१   | १७,०२०   | १५,४६३   | १६,९६४   |
| ५       | ३.० - ४.०              | ४,६०६                          | ६,५८३   | ७,२८९   | ६,७७४    | ६,९४९    | ७,४९६    | ६,१२८    | ६,३०६    |
| ६       | ४.० - ५.०              | ३,५७६                          | ४,६०१   | ४,४६९   | ३,८७४    | ३,७८०    | ४,०३७    | ३,१४२    | ३,३५३    |
| ७       | ५.० - १०.०             | ८,७१५                          | ९,३१६   | ७,२४१   | ५,५५८    | ४,८७३    | ५,२१४    | ३,९६४    | ३,९८४    |
| ८       | १०.० - २०.०            | ४,१८०                          | २,८१९   | १,५३०   | १,०२९    | ७७३      | ६२२      | ५९०      | ५७६      |
| ९       | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | ९६१                            | ३६३     | १७६     | १३२      | ९७       | ८१       | ८९       | १२१      |
| एकूण    |                        | ४९,५०६                         | ६८,६२५  | ९४,६९७  | १,०६,५२८ | १,२१,३७६ | १,३७,१५६ | १,३६,९८९ | १,५२,८५४ |

| अ. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर)      | वहिती एकूण क्षेत्र ('०० हेक्टर) |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (१)     | (२)                    | १९७०-७१                         | १९८०-८१  | १९९०-९१  | १९९५-९६  | २०००-०१  | २००५-०६  | २०१०-११  | २०१५-१६* |
| (१)     | (२)                    | (१०)                            | (११)     | (१२)     | (१३)     | (१४)     | (१५)     | (१६)     | (१७)     |
| १       | ०.५ पेक्षा कमी         | १,६३४                           | २,६३०    | ४,११९    | ५,७४६    | ७,३२८    | ७,७४०    | ९,१८०    | १०,२७८   |
| २       | ०.५ - १.०              | ४,१४२                           | ७,१०३    | १२,०५७   | १५,१२०   | १९,१५९   | २०,२७४   | २२,६८०   | २४,२०९   |
| ३       | १.० - २.०              | १२,८४२                          | २३,३३७   | ३९,८३३   | ४६,०५९   | ५१,२७१   | ५२,४७६   | ५७,३९१   | ५७,७११   |
| ४       | २.० - ३.०              | १५,३८६                          | २५,३६३   | ३३,६८९   | ३५,४२०   | ३७,४१४   | ३७,५४२   | ३६,६८१   | ३८,८४४   |
| ५       | ३.० - ४.०              | १५,९२०                          | २२,८१५   | २५,१०८   | २३,३०३   | २३,६७६   | २३,७५६   | २०,९७४   | २१,४१२   |
| ६       | ४.० - ५.०              | १५,९६१                          | २०,५५६   | १९,८६४   | १७,२१०   | १६,७१७   | १६,७१७   | १३,९०१   | १४,७७८   |
| ७       | ५.० - १०.०             | ६१,२१३                          | ६३,९३७   | ४८,७००   | ३७,१५०   | ३२,०८४   | ३२,१३५   | २६,०२७   | २६,२१६   |
| ८       | १०.० - २०.०            | ५६,३०२                          | ३७,२१३   | १९,७४९   | १३,५१४   | ९,९६१    | ६,७७६    | ७,५२४    | ७,२५१    |
| ९       | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | २८,३९४                          | १०,६६२   | ६,१२९    | ५,२७४    | ३,४१८    | २,६३४    | ३,३१४    | ४,३६५    |
| एकूण    |                        | २,११,७९४                        | २,१३,६१६ | २,०९,२४८ | १,९८,७९६ | २,०१,०२८ | २,००,०५० | १,९७,६७२ | २,०५,०६४ |

| अ. क्र. | आकारवर्ग (हेक्टर)      | वहिती सरासरी क्षेत्र (हेक्टर) |         |         |         |         |         |         |          |
|---------|------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| (१)     | (२)                    | १९७०-७१                       | १९८०-८१ | १९९०-९१ | १९९५-९६ | २०००-०१ | २००५-०६ | २०१०-११ | २०१५-१६* |
| (१)     | (२)                    | (१७)                          | (१८)    | (१९)    | (२०)    | (२१)    | (२२)    | (२३)    | (२४)     |
| १       | ०.५ पेक्षा कमी         | ०.२४                          | ०.२७    | ०.२५    | ०.२६    | ०.२७    | ०.२४    | ०.२५    | ०.२४     |
| २       | ०.५ - १.०              | ०.७४                          | ०.७६    | ०.७५    | ०.७५    | ०.७५    | ०.६९    | ०.७४    | ०.७०     |
| ३       | १.० - २.०              | १.४६                          | १.५१    | १.४६    | १.४५    | १.४२    | १.२६    | १.४२    | १.३३     |
| ४       | २.० - ३.०              | २.४६                          | २.४७    | २.४१    | २.४०    | २.३७    | २.२१    | २.३७    | २.२९     |
| ५       | ३.० - ४.०              | ३.४६                          | ३.४७    | ३.४४    | ३.४४    | ३.४१    | ३.१७    | ३.४२    | ३.४०     |
| ६       | ४.० - ५.०              | ४.४६                          | ४.४७    | ४.४४    | ४.४४    | ४.४२    | ४.१४    | ४.४२    | ४.४१     |
| ७       | ५.० - १०.०             | ७.०२                          | ६.८६    | ६.७३    | ६.६८    | ६.५८    | ६.१६    | ६.५७    | ६.५८     |
| ८       | १०.० - २०.०            | १३.४७                         | १३.२०   | १२.९१   | १३.१३   | १२.८९   | १०.८९   | १२.७५   | १२.५९    |
| ९       | २०.० व त्यापेक्षा अधिक | २९.५५                         | २९.३७   | ३४.८२   | ३९.९५   | ३५.२४   | ३२.५२   | ३७.२४   | ३६.०७    |
| एकूण    |                        | ४.२८                          | ३.११    | २.२१    | १.८७    | १.६६    | १.४६    | १.४४    | १.३४     |

आधार - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## परिशिष्ट ७.२

## राज्यातील जमिनीच्या वापराची आकडेवारी

(क्षेत्र '००० हेक्टर)

| वर्ष    | भौगोलिक क्षेत्र | वनां-खालील क्षेत्र | मशागतीसाठी उपलब्ध नसलेले क्षेत्र |                                 | मशागत न केलेले इतर क्षेत्र |                           |                                                | पडीत जमिनी |        | पिकांखालील क्षेत्र   |                         | पिकां-खालील स्थूल क्षेत्र |
|---------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|         |                 |                    | नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीन      | बिगर-शेती वापराखाली आणलेली जमीन | मशागती-योग्य पडीत जमीन     | कायमची कुरणे व चराऊ कुरणे | किरकोळ झाडे, झुडपे यांच्या समूहा खालील क्षेत्र | चालू पड    | इतर पड | निव्वळ पेरणी क्षेत्र | दुसोटा / तिसोटा क्षेत्र |                           |
| (१)     | (२)             | (३)                | (४)                              | (५)                             | (६)                        | (७)                       | (८)                                            | (९)        | (१०)   | (११)                 | (१२)                    | (१३)                      |
| १९८६-८७ | ३०,७५८          | ५,३५०              | १,६७९                            | १,१५२                           | १,०४४                      | १,३६७                     | १९६                                            | ९०९        | १,०५७  | १८,००४               | २,३२०                   | २०,३२४                    |
| १९९०-९१ | ३०,७५८          | ५,१२८              | १,६२२                            | १,०९१                           | ९६६                        | १,१२५                     | ३०१                                            | ८९८        | १,०६३  | १८,५६५               | ३,२९५                   | २१,८५९                    |
| १९९५-९६ | ३०,७५८          | ५,१४८              | १,५४४                            | १,३४९                           | ९६०                        | १,१६६                     | २९२                                            | १,०७२      | १,२४८  | १७,९८०               | ३,५२४                   | २१,५०४                    |
| २०००-०१ | ३०,७५८          | ५,१५०              | १,५४४                            | १,३६४                           | ९५९                        | १,१६८                     | ३२७                                            | १,१२६      | १,२७६  | १७,८४४               | ३,७७५                   | २१,६१९                    |
| २००५-०६ | ३०,७५८          | ५,२१२              | १,७२०                            | १,४०७                           | ९१४                        | १,२५२                     | २४९                                            | १,३२७      | १,२०४  | १७,४७३               | ५,०८३                   | २२,५५६                    |
| २०१०-११ | ३०,७५८          | ५,२१६              | १,७३१                            | १,४४९                           | ९१९                        | १,२४२                     | २५०                                            | १,३६६      | १,१७९  | १७,४०६               | ५,७६९                   | २३,१७५                    |
| २०११-१२ | ३०,७५८          | ५,२१०              | १,७२८                            | १,४५०                           | ९१९                        | १,२४३                     | २५०                                            | १,३७८      | १,१९१  | १७,३८५               | ५,७२०                   | २३,१०६                    |
| २०१२-१३ | ३०,७५८          | ५,२०७              | १,७२१                            | १,४५५                           | ९१९                        | १,२४४                     | २५०                                            | १,४१७      | १,२००  | १७,३४३               | ५,७७२                   | २३,११५                    |
| २०१३-१४ | ३०,७५८          | ५,२०५              | १,७२३                            | १,४६०                           | ९१५                        | १,२४२                     | २४९                                            | १,४०१      | १,१९२  | १७,३६८               | ६,०१२                   | २३,३८०                    |
| २०१४-१५ | ३०,७५८          | ५,२०१              | १,७२७                            | १,४८२                           | ९१९                        | १,२४९                     | २४९                                            | १,३९९      | १,१८८  | १७,३४४               | ५,९२९                   | २३,२७३                    |
| २०१५-१६ | ३०,७५८          | ५,१९४              | १,७३१                            | १,५२०                           | ८८६                        | १,२४९                     | २५१                                            | १,४७६      | १,२५५  | १७,१९१               | ५,६७१                   | २२,८६३                    |
| २०१६-१७ | ३०,७५८          | ५,१९४              | १,८२२                            | १,६४२                           | ९२४                        | १,३५१                     | २५३                                            | १,४०१      | १,२५७  | १६,९१०               | ६,३१४                   | २३,२२४                    |

आधार - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - २०१०-११ ते २०१५-१६ चे आकडे अस्थायी आहेत.



## परिशिष्ट ७.३

## राज्यातील मुख्य पिकांखालील क्षेत्र, उत्पादन आणि प्रति हेक्टर उत्पादकता

क्षेत्र '००० हेक्टर

उत्पादन '००० मे.टन

उत्पादकता प्रति हेक्टर किलो

## अन्नधान्ये

| अ. क्र. | वर्ष    | क्षेत्र | तांदूळ  |           | क्षेत्र | गहू     |           | क्षेत्र | ज्वारी  |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|         |         |         | उत्पादन | उत्पादकता |         | उत्पादन | उत्पादकता |         | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (३)     | (४)     | (५)       | (६)     | (७)     | (८)       | (९)     | (१०)    | (११)      |
| १       | १९६०-६१ | १,३००   | १,३६९   | १,०५४     | ९०७     | ४०१     | ४४२       | ६,२८४   | ४,२२४   | ६७२       |
| २       | १९७०-७१ | १,३५२   | १,६६२   | १,२२९     | ८१२     | ४४०     | ५४२       | ५,७०३   | १,५५७   | २७३       |
| ३       | १९८०-८१ | १,४५९   | २,३१५   | १,५८७     | १,०६३   | ८८६     | ८३४       | ६,४६९   | ४,४०९   | ६८१       |
| ४       | १९९०-९१ | १,५९७   | २,३४४   | १,४६७     | ८६७     | ९०९     | १,०४९     | ६,३००   | ५,९२९   | ९४१       |
| ५       | २०००-०१ | १,५१२   | १,९३०   | १,२७७     | ७५४     | ९४८     | १,२५६     | ५,०९४   | ३,९८८   | ७८३       |
| ६       | २०१०-११ | १,५१६   | २,६९१   | १,७७५     | १,३०७   | २,३०१   | १,७६१     | ४,०६०   | ३,४५२   | ८५०       |
| ७       | २०१५-१६ | १,५०३   | २,५९३   | १,७२५     | ९११     | ९८१     | १,०७७     | ३,२१७   | १,२०५   | ३७५       |
| ८       | २०१६-१७ | १,५३५   | ३,५८१   | २,३३३     | १,२७२   | २,२१४   | १,७४०     | ३,६१६   | २,५३८   | ७०२       |
| ९       | २०१७-१८ | १,४५१   | २,७३१   | १,८८२     | १,१३८   | १,८८५   | १,६५७     | ३,४६४   | २,३९०   | ६९०       |

| अ. क्र. | वर्ष    | क्षेत्र | बाजरी   |           | इतर तृणधान्ये |         |           | सर्व तृणधान्ये |         |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
|         |         |         | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र       | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र        | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (१२)    | (१३)    | (१४)      | (१५)          | (१६)    | (१७)      | (१८)           | (१९)    | (२०)      |
| १       | १९६०-६१ | १,६३५   | ४८९     | २९९       | ४८०           | २७२     | ५६७       | १०,६०६         | ६,७५५   | ६३७       |
| २       | १९७०-७१ | २,०३९   | ८२४     | ४०४       | ४१४           | २५४     | ६१४       | १०,३२०         | ४,७३७   | ४५९       |
| ३       | १९८०-८१ | १,५३४   | ६९७     | ४५४       | ४५१           | ३४०     | ७५४       | १०,९७६         | ८,६४७   | ७८८       |
| ४       | १९९०-९१ | १,९४०   | १,११५   | ५७५       | ४३२           | ४४३     | १,०२५     | ११,१३६         | १०,७४०  | ९६४       |
| ५       | २०००-०१ | १,८००   | १,०८७   | ६०४       | ६६४           | ५४४     | ८१९       | ९,८२४          | ८,४९७   | ८६५       |
| ६       | २०१०-११ | १,०३५   | १,१२३   | १,०८६     | १,०६८         | २,७४९   | २,५७५     | ८,९८५          | १२,३१७  | १,३७१     |
| ७       | २०१५-१६ | ८०१     | ३३३     | ४१६       | १,२३६         | १,७८३   | १,४४३     | ७,६६७          | ६,८९६   | ८९९       |
| ८       | २०१६-१७ | ८३७     | ८००     | ९५५       | १,२३०         | ३,५१२   | २,८५६     | ८,४९०          | १२,६४६  | १,४८९     |
| ९       | २०१७-१८ | ७८८     | ६६९     | ८४९       | १,२२२         | ३,२६९   | २,६७५     | ८,०६३          | १०,९४४  | १,३५७     |

| अ. क्र. | वर्ष    | क्षेत्र | तूर     |           | क्षेत्र | हरभरा   |           | क्षेत्र | मूग     |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|         |         |         | उत्पादन | उत्पादकता |         | उत्पादन | उत्पादकता |         | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (२१)    | (२२)    | (२३)      | (२४)    | (२५)    | (२६)      | (२७)    | (२८)    | (२९)      |
| १       | १९६०-६१ | ५३०     | ४६८     | ८८३       | ४०२     | १३४     | ३३३       | ०       | ०       | ०         |
| २       | १९७०-७१ | ६२७     | २७१     | ४३२       | ३१०     | ८७      | २८१       | ०       | ०       | ०         |
| ३       | १९८०-८१ | ६४४     | ३१९     | ४९५       | ४१०     | १३७     | ३३५       | ०       | ०       | ०         |
| ४       | १९९०-९१ | १,००४   | ४१९     | ४१७       | ६६८     | ३५५     | ५३२       | ०       | ०       | ०         |
| ५       | २०००-०१ | १,०९६   | ६६०     | ६०२       | ६७६     | ३५१     | ५१९       | ७१४     | २४४     | ३४१       |
| ६       | २०१०-११ | १,३०२   | ९७६     | ७५०       | १,४३८   | १,३००   | ९०४       | ५५४     | ३७२     | ६७२       |
| ७       | २०१५-१६ | १,२३७   | ४४४     | ३५९       | १,४४२   | ७७७     | ५३९       | ३६६     | ६९      | १९०       |
| ८       | २०१६-१७ | १,४३६   | २,०८९   | १,४५५     | १,९२९   | १,९४१   | १,००६     | ४४४     | २६०     | ५८५       |
| ९       | २०१७-१८ | १,३७५   | १,२५०   | ९०९       | २,२३४   | २,०४९   | ९१७       | ४३२     | १५९     | ३६७       |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ७.३ (पुढे चालू)

क्षेत्र '००० हेक्टर  
उत्पादन '००० मे.टन  
उत्पादकता प्रति हेक्टर किलो

## अन्नधान्ये

| अ. क्र. | वर्ष    | उडीद    |         |           | इतर कडधान्ये |         |           | सर्व कडधान्ये |         |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|
|         |         | क्षेत्र | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र      | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र       | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (३०)    | (३१)    | (३२)      | (३३)         | (३४)    | (३५)      | (३६)          | (३७)    | (३८)      |
| १       | १९६०-६१ | ०       | ०       | ०         | १,४१७        | ३८७     | २७३       | २,३४९         | ९८९     | ४२१       |
| २       | १९७०-७१ | ०       | ०       | ०         | १,६२९        | ३१९     | १९६       | २,५६६         | ६७७     | २६४       |
| ३       | १९८०-८१ | ०       | ०       | ०         | १,६६१        | ३६९     | २२२       | २,७१५         | ८२५     | ३०४       |
| ४       | १९९०-९१ | ०       | ०       | ०         | १,५८५        | ६६७     | ४२१       | ३,२५७         | १,४४१   | ४४२       |
| ५       | २०००-०१ | ५७४     | २०५     | ३५७       | ४९७          | १७७     | ३५६       | ३,५५७         | १,६३७   | ४६०       |
| ६       | २०१०-११ | ४८२     | ३२९     | ६८२       | २६२          | ११९     | ४५५       | ४,०३८         | ३,०९६   | ७६७       |
| ७       | २०१५-१६ | २८६     | ६१      | २१४       | २१३          | ८१      | ३७८       | ३,५४४         | १,४३२   | ४०४       |
| ८       | २०१६-१७ | ३३८     | १८३     | ५४२       | २११          | ११०     | ५२२       | ४,३५८         | ४,५८४   | १,०५२     |
| ९       | २०१७-१८ | ३५१     | १२१     | ३४६       | १८५          | १०५     | ५६८       | ४,५७७         | ३,६८४   | ८०५       |

| अ. क्र. | वर्ष    | सर्व अन्नधान्ये |         |           | भूईमूग  |         |           | सोयाबीन |         |           |
|---------|---------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|         |         | क्षेत्र         | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (३९)            | (४०)    | (४१)      | (४२)    | (४३)    | (४४)      | (४५)    | (४६)    | (४७)      |
| १       | १९६०-६१ | १२,९५५          | ७,७४४   | ५९८       | १,०८३   | ८००     | ७३९       | ०       | ०       | ०         |
| २       | १९७०-७१ | १२,८८६          | ५,४१४   | ४२०       | ९०४     | ५८६     | ६४९       | ०       | ०       | ०         |
| ३       | १९८०-८१ | १३,६९१          | ९,४७२   | ६९२       | ६९५     | ४५१     | ६४८       | ०       | ०       | ०         |
| ४       | १९९०-९१ | १४,३९३          | १२,१८१  | ८४६       | ८६४     | ९७९     | १,१३२     | २०१     | १९०     | ९४७       |
| ५       | २०००-०१ | १३,३८२          | १०,१३३  | ७५७       | ४९०     | ४७०     | ९५८       | १,१४२   | १,२६६   | १,१०९     |
| ६       | २०१०-११ | १३,०२३          | १५,४१३  | १,१८३     | ३९५     | ४७०     | १,२९०     | २,७२९   | ४,३१६   | १,५८१     |
| ७       | २०१५-१६ | ११,२१०          | ८,३२८   | ७४३       | ३०९     | ३३४     | १,०७८     | ३,७०२   | १,७९५   | ४८५       |
| ८       | २०१६-१७ | १२,८४८          | १७,२२९  | १,३४१     | ३५५     | ४२०     | १,१८३     | ३,८४१   | ४,५८७   | १,१९४     |
| ९       | २०१७-१८ | १२,६४०          | १४,६२८  | १,१५७     | २९१     | ३४५     | १,१८४     | ३,६९४   | ३,८०५   | १,०३०     |

| अ. क्र. | वर्ष    | करडई    |         |           | इतर तेलबिया |         |           | सर्व तेलबिया |         |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|
|         |         | क्षेत्र | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र     | उत्पादन | उत्पादकता | क्षेत्र      | उत्पादन | उत्पादकता |
| (१)     | (२)     | (४८)    | (४९)    | (५०)      | (५१)        | (५२)    | (५३)      | (५४)         | (५५)    | (५६)      |
| १       | १९६०-६१ | ३३१     | ०       | ०         | ४५४         | ०       | ०         | १,८६८        | ०       | ०         |
| २       | १९७०-७१ | ४०६     | १०२     | २५२       | ४०८         | ६५      | १५९       | १,७१८        | ७५३     | ४३८       |
| ३       | १९८०-८१ | ४८०     | १७४     | ३६३       | ६०५         | १०३     | १७०       | १,७८०        | ७२८     | ४२६       |
| ४       | १९९०-९१ | ६३४     | २५८     | ४०८       | १,१२७       | ४५५     | ४०४       | २,८२६        | १,८८२   | ६६६       |
| ५       | २०००-०१ | २९६     | १२२     | ४१२       | ६३१         | २४१     | ३८२       | २,५५९        | २,०९९   | ८२०       |
| ६       | २०१०-११ | १७३     | ९४      | ५४४       | ३३१         | १७६     | ५३२       | ३,६२८        | ५,०५६   | १,३९४     |
| ७       | २०१५-१६ | ५७      | १३      | २२५       | १२७         | २६      | २०५       | ४,१९५        | २,१६६   | ५१६       |
| ८       | २०१६-१७ | ७६      | ५२      | ६९१       | १३७         | ५४      | ३९४       | ४,४०९        | ५,११३   | १,१६०     |
| ९       | २०१७-१८ | ३९      | २१      | ५४८       | ११५         | ३९      | ३३९       | ४,१३३        | ४,२०८   | १,०१८     |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ७.३ (समाप्त)

क्षेत्र '००० हेक्टर  
उत्पादन '००० मे.टन  
उत्पादकता प्रति हेक्टर किलो

## नगदी पिळे

| अ.<br>क्र. | वर्ष    | तोंडणी<br>क्षेत्र | ऊस<br>उत्पादन | उत्पादकता<br>(मे. टनांत) | कापूस (रुई)<br>क्षेत्र | उत्पादन<br>(गासड्यात ) | उत्पादकता | तंबाखू<br>क्षेत्र | उत्पादन | उत्पादकता |
|------------|---------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| (१)        | (२)     | (५७)              | (५८)          | (५९)                     | (६०)                   | (६१)                   | (६२)      | (६३)              | (६४)    | (६५)      |
| १          | १९६०-६१ | १५५               | १०,४०४        | ६६.९२                    | २,५००                  | १,६७३                  | ११४       | २५                | १२      | ४८०       |
| २          | १९७०-७१ | १६७               | १४,४३३        | ८६.५३                    | २,७५०                  | ४८४                    | ३०        | १२                | ५       | ४४८       |
| ३          | १९८०-८१ | २५८               | २३,७०६        | ९१.७४                    | २,५५०                  | १,२२४                  | ८२        | १२                | ८       | ६४८       |
| ४          | १९९०-९१ | ४४२               | ३८,१५४        | ८६.४०                    | २,७२१                  | १,८७५                  | ११७       | ८                 | ८       | १,०३९     |
| ५          | २०००-०१ | ५९५               | ४९,५६९        | ८३.२७                    | ३,०७७                  | १,८०३                  | १००       | ८                 | ९       | १,१४८     |
| ६          | २०१०-११ | ९६५               | ८५,६९१        | ८८.८५                    | ३,९४२                  | ७,४७३                  | ३२२       | १                 | १       | ९९४       |
| ७          | २०१५-१६ | ९८७               | ६९,२३५        | ७०.१५                    | ४,२०७                  | ३,९१४                  | १५८       | २                 | ३       | १,७६०     |
| ८          | २०१६-१७ | ६३३               | ५४,२३७        | ८६.००                    | ४,२१२                  | १०,७५५                 | ४३४       | ०.०१              | ०.११    | १,३६३     |
| ९          | २०१७-१८ | ९०२               | ८३,१३८        | ९२.००                    | ४,३५१                  | ६,०९४                  | २३८       | १                 | १       | १,२४५     |

आधार - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - (१) माहिती अंतिम अनुमानावर आधारित आहे.

(२) कापसाचे उत्पादन १७० किलो/गासडी याप्रमाणे '००० गासड्यांमध्ये.

## परिशिष्ट ७.४

## राज्यातील कृषि उत्पादनाचे पीकनिहाय निर्देशांक

(त्रैवर्षीय सरासरी - पाया: १९७९-८२ = १००)

| गट/पिके<br>(१)             | भार<br>(२)    | १९८२-८३<br>(३) | १९९०-९१<br>(४) | २०००-०१<br>(५) | २०१०-११<br>(६) | २०१४-१५<br>(७) | २०१५-१६<br>(८) | २०१६-१७<br>(९) | २०१७-१८<br>(१०) |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>१. अन्नधान्ये</b>       |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| <b>(अ) तृणधान्ये</b>       |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| (१) तांदुळ                 | ९.४९          | ८७.४           | १०६.१          | ८७.४           | १२२.१          | १३३.४          | ११७.४          | १६२.२          | १२३.६           |
| (२) गहू                    | ५.९२          | ८०.६           | ९३.९           | ९७.९           | २३७.७          | १३५.१          | १०१.४          | २२८.७          | १९४.७           |
| (३) ज्वारी                 | २२.१६         | ९५.५           | १२१.१          | ८१.४           | ७०.५           | ४३.१           | २४.६           | ५१.८           | ४८.८            |
| (४) बाजरी                  | ३.०८          | ६४.२           | १५४.३          | १५०.५          | १५५.५          | ७४.५           | ४६.१           | ११०.७          | ९२.६            |
| (५) बार्ली                 | ०.०२          | ३७.७           | १७.०           | १३.२           | १८८.७          | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना            |
| (६) मका                    | ०.४६          | ३६.९           | १०५.२          | २५३.८          | २,१८०.५        | १,८४४.६        | १,३९०.७        | २,७८९.४        | २,६१८.९         |
| (७) नाचणी                  | ०.८५          | ९२.०           | ९८.४           | ६०.८           | ५५.५           | ५६.३           | ४३.९           | ५२.५           | ५०.२            |
| (८) कोद्रा                 | ०.०५          | ७३.७           | ६६.६           | ४३.६           | २३.६           | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना            |
| (९) इतर तृणधान्ये          | ०.१९          | ७६.७           | १५०.८          | १६२.५          | २६.१           | ७०.८           | ४७.३           | ११२.५          | ५९.०            |
| <b>एकूण - तृणधान्ये</b>    | <b>४२.२२</b>  | <b>८८.५</b>    | <b>११५.७</b>   | <b>९१.९</b>    | <b>१३४.२</b>   | <b>९८.५</b>    | <b>७३.१</b>    | <b>१३५.८</b>   | <b>११७.३</b>    |
| <b>(ब) कडधान्ये</b>        |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| (१) हरभरा                  | १.४७          | ७८.४           | २१५.८          | २१३.३          | ७९०.७          | ६६१.४          | ४७२.४          | १,१८०.५        | १,२४६.०         |
| (२) तूर                    | ५.४५          | ९६.१           | १०५.२          | १६६.०          | २४५.३          | ८८.८           | १११.७          | ५२५.११         | ३१४.३           |
| (३) इतर कडधान्ये           | ३.५२          | ११२.५          | १६०.०          | १५०.०          | १९६.५          | १५.१           | १९.३           | १३२.६          | ९२.३            |
| <b>एकूण - कडधान्ये</b>     | <b>१०.४४</b>  | <b>९९.२</b>    | <b>१३९.२</b>   | <b>१६७.३</b>   | <b>३०५.६</b>   | <b>१४४.६</b>   | <b>१३१.३</b>   | <b>४८५.१</b>   | <b>३७०.६</b>    |
| <b>एकूण - अन्नधान्ये</b>   | <b>५२.६६</b>  | <b>१०.६</b>    | <b>१२०.४</b>   | <b>१०६.८</b>   | <b>१६८.२</b>   | <b>१०७.६</b>   | <b>८४.७</b>    | <b>२०५.०</b>   | <b>१६७.४</b>    |
| <b>२. अन्नधान्येतर</b>     |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| <b>(अ) तेलबिया</b>         |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| (१) भुईमूग                 | ७.२३          | ७१.४           | १५८.९          | ७६.२           | ७४.३           | ६१.५           | ५४.२           | ४६.६           | ५५.९            |
| (२) तीळ                    | ०.५७          | ९४.२           | २२३.७          | ८८.९           | ५८.९           | १२.२           | १२.२           | ४१४.४          | १९.७            |
| (३) मोहरी, राई<br>आणि जवस  | ०.७८          | ७३.४           | ८६.५           | ३०.८           | ५.१            | ९.०            | ६.५            | ११.३२          | ९.०             |
| (४) एरंडी                  | ०.०१          | २५.०           | १६६.७          | ३५८.३          | ३३३.३          | ५२५.६          | ३७५.५          | ४५५.७          | ३१६.७           |
| (५) सूर्यफूल               | ०.५७          | ७६.८           | ६०९.८          | ३५२.३          | २६७.३          | ८८.४           | ८८.४           | ७०.५           | ४१.६            |
| <b>एकूण - तेलबिया</b>      | <b>९.१६</b>   | <b>७३.३</b>    | <b>१८४.८</b>   | <b>९०.६</b>    | <b>७९.८</b>    | <b>५६.१</b>    | <b>५०.०</b>    | <b>६८.४</b>    | <b>४९.०</b>     |
| <b>(ब) तंतू पिके</b>       |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| (१) कापूस                  | ९.८९          | ११०.४          | १२८.६          | १२३.६          | ५१२.३          | २६२.४          | २८७.१          | ७३७.३          | ४१७.८           |
| (२) अंबाडी                 | ०.०४          | ४४.५           | ३८.०           | ३६.५           | २६.४           | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना            |
| <b>एकूण - तंतू पिके</b>    | <b>९.९३</b>   | <b>११०.१</b>   | <b>१२८.२</b>   | <b>१२३.२</b>   | <b>५१०.४</b>   | <b>२६१.५</b>   | <b>२८६.१</b>   | <b>७३४.४</b>   | <b>४१६.१</b>    |
| <b>(क) संकीर्ण</b>         |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| (१) ऊस                     | २५.९७         | ११४.३          | १५८.२          | १८६.९          | २९७.२          | ३४५.१          | २६१.०          | २०४.५          | ३१३.४           |
| (२) तंबाखू                 | ०.१४          | ६८.३           | ११७.३          | १३८.१          | ३२.७           | उ ना           | उ ना           | ०.२            | १०.२            |
| (३) बटाटा                  | ०.२२          | ८४.२           | १२०.९          | १२१.९          | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना            |
| (४) मिरची                  | १.९२          | १०७.१          | १०२.२          | ८२.०           | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना           | उ ना            |
| <b>एकूण - संकीर्ण</b>      | <b>२८.२५</b>  | <b>११३.३</b>   | <b>१५३.९</b>   | <b>१७९.०</b>   | <b>२७३.४</b>   | <b>३१७.३</b>   | <b>२४०.०</b>   | <b>१८८.०</b>   | <b>२८८.२</b>    |
| <b>एकूण - अन्नधान्येतर</b> | <b>४७.३४</b>  | <b>१०४.९</b>   | <b>१५४.५</b>   | <b>१५०.२</b>   | <b>२८५.६</b>   | <b>२५१.४</b>   | <b>२०४.१</b>   | <b>२७९.५</b>   | <b>२६८.८</b>    |
| <b>सर्व पिके</b>           | <b>१००.००</b> | <b>९७.४</b>    | <b>१३६.५</b>   | <b>१२७.४</b>   | <b>२२३.८</b>   | <b>१७५.७</b>   | <b>१४१.२</b>   | <b>२४०.२</b>   | <b>२१५.४</b>    |

आधार - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई

उ ना उपलब्ध नाही.

टोप - २०१०-११ ते २०१५-१६ चे निर्देशांक अस्थायी आहेत.

## परिशिष्ट ७.५

## राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्र

('००० हेक्टर)

| अ. क्र. | वर्ष    | सिंचित क्षेत्र |           |                |              | ओलिताखालील पिकांची सघनता | सिंचन विहिरींची संख्या (हजारात) | दर विहिरीमागे सिंचित निव्वळ क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) | पिकांखालील एकूण क्षेत्र | स्थूल सिंचित क्षेत्राची पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी |
|---------|---------|----------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |         | विहिरी         | इतर साधने | निव्वळ क्षेत्र | एकूण क्षेत्र |                          |                                 |                                                   |                         |                                                               |
| (१)     | (२)     | (३)            | (४)       | (५)            | (६)          | (७)                      | (८)                             | (९)                                               | (१०)                    | (११)                                                          |
| १       | १९६०-६१ | ५९५            | ४७७       | १,०७२          | १,२२०        | ११४                      | ५४२                             | १.१०                                              | १८,८२३                  | ६.५                                                           |
| २       | १९७०-७१ | ७६८            | ५७९       | १,३४७          | १,५७०        | ११७                      | ६९४                             | १.११                                              | १८,७३७                  | ८.४                                                           |
| ३       | १९८०-८१ | १,०५५          | ७८०       | १,८३५          | २,४१५        | १३२                      | ८२६                             | १.२८                                              | १९,६४२                  | १२.३                                                          |
| ४       | १९९०-९१ | १,६७२          | ९९९       | २,६७१          | ३,३१९        | १२४                      | १,०१७                           | १.६४                                              | २१,८५९                  | १५.२                                                          |
| ५       | २०००-०१ | २,२६२          | ९८७       | ३,२४९          | ३,८५२        | ११९                      | १,३१८                           | १.७२                                              | २१,६१९                  | १७.८                                                          |
| ६       | २००१-०२ | २,१४६          | ९९०       | ३,१३६          | ३,७२७        | ११९                      | १,३२२                           | १.५२                                              | २०,९९१                  | १७.८                                                          |
| ७       | २००२-०३ | २,१४५          | १,०७१     | ३,२१६          | ३,८०६        | ११८                      | १,३३१                           | १.६१                                              | २०,९१५                  | १८.२                                                          |
| ८       | २००३-०४ | १,९१४          | १,०३०     | २,९४४          | ३,६३६        | १२३                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,१९०                  | १६.४                                                          |
| ९       | २००४-०५ | १,९४२          | १,००१     | २,९९३          | ३,६६५        | १२५                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,३७६                  | १६.४                                                          |
| १०      | २००५-०६ | २,०७७          | १,०७०     | ३,१४७          | ३,८१०        | ११८                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,५५६                  | १६.९                                                          |
| ११      | २००६-०७ | २,१०९          | १,१३७     | ३,२४६          | ३,९५८        | १२२                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,५५७                  | १७.६                                                          |
| १२      | २००७-०८ | २,१५१          | १,१६०     | ३,३११          | ४,०३७        | १२२                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,६५५                  | १७.८                                                          |
| १३      | २००८-०९ | २,११५          | १,१४०     | ३,२५५          | ३,९७०        | १२२                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,४५४                  | १७.७                                                          |
| १४      | २००९-१० | २,१५९          | १,१६२     | ३,३२१          | ४,०५०        | १२२                      | उ ना                            | उ ना                                              | २२,६१२                  | १७.९                                                          |
| १५      | २०१०-११ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,१७५                  | उ ना                                                          |
| १६      | २०११-१२ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,१०६                  | उ ना                                                          |
| १७      | २०१२-१३ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,११५                  | उ ना                                                          |
| १८      | २०१३-१४ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,३८०                  | उ ना                                                          |
| १९      | २०१४-१५ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,२७३                  | उ ना                                                          |
| २०      | २०१५-१६ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २२,८६३                  | उ ना                                                          |
| २१      | २०१६-१७ | उ ना           | उ ना      | उ ना           | उ ना         | उ ना                     | उ ना                            | उ ना                                              | २३,२२४                  | उ ना                                                          |

आधार - कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

उ ना उपलब्ध नाही.

टीप - (१) आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही.

(२) स्तंभ क्र.७ मध्ये (स्तंभ क्र.६ ÷ स्तंभ क्र.५) x १०० हे सूत्र वापरून सघनता काढली आहे.

(३) २००३-०४ ते २०१५-१६ चे आकडे अस्थायी आहेत.

(४) जलसंपदा विभागाच्या, महाराष्ट्र शासन, दि.२६ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या शा.नि. अन्वये माहिती संकलनाच्या पद्धती बाबत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## परिशिष्ट ७.६

## सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, वसुली व थकबाकी

(₹ कोटी)

| वर्ष    | पाणीपट्टी आकारणी |            |        | वसुली |            |        | वर्ष अखेर शिल्लक थकबाकी |            |          |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------------------------|------------|----------|
|         | सिंचन            | बिगर सिंचन | एकूण   | सिंचन | बिगर सिंचन | एकूण   | सिंचन                   | बिगर सिंचन | एकूण     |
| (१)     | (२)              | (३)        | (४)    | (५)   | (६)        | (७)    | (८)                     | (९)        | (१०)     |
| २०००-०१ | ७४.४८            | ३६२.६०     | ४३७.०८ | ४१.२३ | १५३.९९     | १९५.२२ | २२३.३९                  | ५७१.३०     | ७९४.६९   |
| २००१-०२ | ८४.७२            | ३६८.८३     | ४५३.५५ | ४३.५७ | २०८.१२     | २५१.६९ | २६४.५४                  | ७३२.०१     | ९९६.५५   |
| २००२-०३ | ८३.१७            | ३६०.६८     | ४४३.८५ | ४२.०२ | ३३५.५०     | ३७७.५२ | ३०३.७९                  | ७५१.९९     | १,०५५.७८ |
| २००३-०४ | ९३.०३            | ३६०.२६     | ४५३.२९ | ४२.८९ | ३३५.२०     | ३७८.०९ | ३७६.६३                  | ३५३.०६     | ७२९.६९   |
| २००४-०५ | ७८.६९            | ४१८.४४     | ४९७.१३ | ४५.७८ | ४०२.५७     | ४४८.३५ | ४१५.५९                  | ३७८.५९     | ७९४.१८   |
| २००५-०६ | ६८.२५            | ३५०.२८     | ४१८.५३ | ६४.०३ | ३४९.४५     | ४१३.४८ | ४१०.१८                  | २८२.०९     | ६९२.२७   |
| २००६-०७ | ९०.७०            | ४०८.७५     | ४९९.४५ | ७४.७२ | ४२०.२६     | ४९४.९८ | ४२७.०१                  | २४५.८२     | ६७२.८२   |
| २००७-०८ | ११०.३५           | ५६३.८९     | ६७४.२४ | ७०.४७ | ५५६.५४     | ६२७.०१ | ४७३.७०                  | २७५.२०     | ७४८.९०   |
| २००८-०९ | ११२.९५           | ६९५.३७     | ८०८.३२ | ७१.०५ | ६०२.११     | ६७३.१६ | ५३१.१०                  | ४६६.३८     | १,००४.६१ |
| २००९-१० | ९५.००            | ७१५.११     | ८१०.११ | ६९.९४ | ७३२.६९     | ८०२.६३ | ५६१.७७                  | ४६६.३८     | १,०२८.१५ |
| २०१०-११ | ९६.२४            | ६७०.४६     | ७६६.७० | ७९.०३ | ६६६.८७     | ७४५.९० | ७४५.९०                  | ४६८.६२     | १,०४७.९० |
| २०११-१२ | १०९.७३           | ५४१.०६     | ६५०.७९ | ७९.१३ | ५४१.१३     | ६२०.२६ | ६०८.८७                  | ४६१.७४     | १,०७०.६१ |
| २०१२-१३ | ८२.९८            | ६७०.१२     | ७५३.१० | ६३.१० | ४४३.०५     | ५०६.१५ | ६१८.७८                  | ६५६.५२     | १,२७५.३० |
| २०१३-१४ | ७०.३७            | ५३६.६७     | ६०७.०४ | ५७.५७ | ४५७.२०     | ५१४.७७ | ६३१.४९                  | ७२८.२४     | १,३५९.७३ |
| २०१४-१५ | ७८.१५            | ५९३.५९     | ६७१.७४ | ६१.९७ | ५७४.५३     | ६३६.५० | ६४८.२९                  | ६९५.८०     | १,३४४.०९ |
| २०१५-१६ | ८०.०४            | ६६०.१३     | ७४०.१६ | ४९.१६ | ५२३.४२     | ५७२.५९ | ६७९.०२                  | ८३५.१३     | १,५१४.१५ |
| २०१६-१७ | ७३.०५            | ६९०.४७     | ७६३.५२ | ५९.४६ | ५१३.४३     | ५७२.८९ | ६९३.९९                  | १,०१०.२९   | १,७०४.२८ |
| २०१७-१८ | ९३.७२            | ७३५.०६     | ८२८.७८ | ७४.३० | ६१३.८४     | ६८८.१४ | ७१४.००                  | १,१३५.१९   | १,८४९.१९ |

आधार — जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, औरंगाबाद

## परिशिष्ट ७.७

## राज्यातील पशुधन आणि कुक्कुटादी पक्षी

('०००)

| पशुधन<br>गणना<br>वर्ष | गाई-बैल | म्हशी -रेडे | मेंढ्या व<br>शेळ्या | इतर<br>पशुधन + | एकूण<br>पशुधन | दर शंभर<br>हेक्टर चराई<br>व कुरण<br>क्षेत्रामागे<br>शेळ्या,<br>मेंढ्या<br>(संख्या) | दर शंभर<br>हेक्टर निव्वळ<br>पिकांखालील<br>क्षेत्रामागे<br>पशुधन<br>(संख्या) | दर लाख<br>लोकसंख्यामागे<br>पशुधन | एकूण कुक्कुटादी<br>पक्षी \$ |
|-----------------------|---------|-------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| (१)                   | (२)     | (३)         | (४)                 | (५)            | (६)           | (७)                                                                                | (८)                                                                         | (९)                              | (१०)                        |
| १९६१                  | १५,३२८  | ३,०८७       | ७,२७३               | ३६०            | २६,०४८        | ५१२                                                                                | १४४                                                                         | ६६                               | १०,५७८                      |
| १९६६                  | १४,७२९  | ३,०४२       | ७,३२६               | ३५२            | २५,४४९        | ५२२                                                                                | १४०                                                                         | ५७                               | ९,९०२                       |
| १९७२                  | १४,७०५  | ३,३०१       | ८,०३८               | ३१७            | २६,३६१        | ४९१                                                                                | १६४                                                                         | ५२                               | १२,२१७                      |
| १९७८                  | १५,२१८  | ३,८९९       | १०,१९९              | ३२६            | २९,६४२        | ६५०                                                                                | १६२                                                                         | ५१                               | १८,७५१                      |
| १९८२                  | १६,१६२  | ३,९७२       | १०,३७६              | ४०९            | ३०,९१९        | ६७३                                                                                | १७५                                                                         | ४८                               | १९,८४५                      |
| १९८७                  | १६,९८३  | ४,७५५       | १२,०६८              | ४४९            | ३४,२५५        | ९५०                                                                                | १८९                                                                         | ४८                               | २४,८३०                      |
| १९९२                  | १७,४४१  | ५,४४७       | १३,०१६              | ४८९            | ३६,३९३        | ९४०                                                                                | २०२                                                                         | ४६                               | ३२,१८७                      |
| १९९७                  | १८,०७१  | ६,०७३       | १४,८०२              | ६९२            | ३९,६३८        | १,१०४                                                                              | २२३                                                                         | ५०                               | ३५,३९२                      |
| २००३                  | १६,७३८  | ६,०८४       | १३,६२४              | ६१२            | ३७,०५८        | १,०१६                                                                              | २१३                                                                         | ३६                               | ३४,५९६                      |
| २००७                  | १६,१८४  | ६,०७३       | १३,३०१              | ३९७            | ३५,९५५        | १,०६४                                                                              | २०६                                                                         | ३७                               | ६४,७५६@                     |
| २०१२                  | १५,४८४  | ५,५९५       | ११,०१६              | ३९४            | ३२,४८९        | ८८५                                                                                | १८७                                                                         | २९                               | ७७,७९५@                     |

आधार - पशुधन गणना

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्यामुळे बेरजा जुळतीलच असे नाही.

+ इतर पशुधन यामध्ये डुकरे, घोडे व शिंगरे, खेचरे, उंट व गाढवे यांचा समावेश.

\$ एकूण कुक्कुटादी पक्ष्यांमध्ये टर्की, क्वेल व इतर कुक्कुटादी पक्षी.

@ एकूण कुक्कुटादी पक्ष्यांमध्ये पोल्ट्रीफार्म मधील पक्षी समाविष्ट आहे.





# ८ उद्योग आणि सहकार





## ८. उद्योग आणि सहकार

### उद्योग

८.१ औद्योगिकीकरण आजच्या तसेच पुढील पिढीचा विकास घडविण्यास सहाय्यभूत ठरते. मानवी भांडवलाची गुंतवणूक असणे, अनावश्यक नियमन कमी करणे, स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि प्रोत्साहन देणे या सारख्या उचित धोरणांची आखणी केल्याने औद्योगिक विकास सातत्यपूर्ण राखण्यास मदत होते. राज्यात औद्योगिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्याच्या दृष्टिने शासन सतत विविध उपाययोजना अंमलात आणत आहे आणि यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत राज्य औद्योगिक केंद्र म्हणून कार्यरत राहील.

### राज्याने केलेल्या उपाययोजना

८.२ राज्य हे नेहमीच देशी व परदेशी गुंतवणूकदारांचे प्रथम पसंतीचे राज्य राहिले आहे. राज्याचा औद्योगिक पाया वस्त्रोद्योग, वाहन निर्मिती, अभियांत्रिकी, पोलाद निर्मिती, रसायने, विद्युत, रत्ने व आभूषण, अन्न प्रक्रिया, औषधे आणि माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा अशा भिन्न क्षेत्रांचा आहे. राज्याने विविध प्रगतशील औद्योगिक धोरणे सहाय्यभूत प्रशासकीय संरचनेसह आखली आहेत. सृजनशील उद्योजक कल्पना, लॉजिस्टिक्स, विद्युत वाहन उत्पादन, इत्यादी उदयोन्मुख क्षेत्रांची राज्याने दखल घेतली असून या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

८.२.१ व्यावसायिक सुलभता म्हणजे उद्योगांसाठी सोपे, जलद गती आणि जाचक अटी मुक्त नियमन होय. व्यवसाय सुधारणा कृती योजना २०१७ अंतर्गत १५ विभागांच्या कार्यक्षेत्रांमधील ३७२ सुधारणांची यादी प्रकाशित करण्यात आली असून यामध्ये सहभागी असलेल्या राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी निर्धारित वेळेत या बाबींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व ३७२ सुधारणा बाबींची अंमलबजावणी राज्याने केली आहे.

८.२.२ राज्य शासनाने सुरू केलेल्या विविध सुधारणा निदर्शनास आणणे तसेच, गुंतवणूक आकर्षित करणे व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे याकरिता फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये मॅनेटिक महाराष्ट्र - कन्वर्जन्स २०१८ ही जागतिक गुंतवणुक परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत ₹ १२.०७ लाख कोटी गुंतवणूक असलेले व ३६.९५ लाख प्रस्तावित रोजगार असलेले ३,९६५ प्रस्ताव साक्षात्कृत झाले.

८.२.३ स्टार्ट-अप इंडिया हा केंद्र शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम असून, या अंतर्गत स्टार्ट-अप उपक्रमांची वाढ, शाश्वत आर्थिक वाढ आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. या स्टार्ट-अप उपक्रमांची क्षमता ओळखून नवीन उपक्रम जोखणे, जाणणे व त्यांना प्रोत्साहित करणे यामध्ये शासन सक्रिय भूमिका घेत आहे. राज्याच्या उद्योजकीय वातावरणाला प्रोत्साहन, सहभाग व ते सक्षम करणे या उद्देशाने राज्यात जून, २०१८ व जानेवारी, २०१९ मध्ये असे दोन वेळा महाराष्ट्र स्टार्ट-अप आठवड्याचे आयोजन करण्यात आले. या मध्ये २,५०० पेक्षा जास्त स्टार्ट-अप्स सहभागी झाले असून पहिल्या ४८ स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या नवकल्पनांना राज्यात राबविण्यासाठी शासनाकडून कार्यादेश प्राप्त झाले. ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये महाराष्ट्र स्टार्ट-अप यात्रा आयोजित करण्यात आली त्यामध्ये राज्यातील द्वितीय व तृतीय स्तरावरील जिल्ह्यांमधील नवकल्पना ओळखण्याकरिता १४ जिल्ह्यांमध्ये स्टार्ट-अप विषयी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करण्यात आले. स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल वर डिसेंबर, २०१८ पर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या १४,६०० स्टार्ट-अप्सपैकी २,५८७ स्टार्ट -अप्स राज्यामधून आहेत व ते इतर राज्यांपेक्षा सर्वाधिक आहेत.

### महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट-अप धोरण २०१८

८.२.४ नाविन्यपूर्ण उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे व राज्यात सर्वत्र औद्योजकतेचे वातावरण निर्माण करणे या दृष्टीकोनातून या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, स्वच्छ उर्जा, इत्यादी नवीन काळातील क्षेत्रांच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम आखण्यासाठी तसेच पारंपारिक क्षेत्रांचे पुनरुत्थान करण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे व अशा प्रकारे येत्या वर्षात आर्थिक विकास व रोजगार निर्मितीला चालना देणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत. सन २०१८ ते २०२३ या पंचवर्षिक कालावधीत उद्योग व शैक्षणिक क्षेत्राच्या सहकार्याने किमान १५ इनक्युबेटर विकसित करून ₹ ५००० कोटीची एंजल व बीज गुंतवणूक आकर्षित करून १०,००० स्टार्ट-अप्ससाठी सुविधा निर्माण करून त्या सुरू करणे व याद्वारे पाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे.

## महाराष्ट्र लॉजिस्टिक संकुले धोरण २०१८

८.२.५ आजमितीस लॉजिस्टिक्स आंतरराष्ट्रीय सेवा म्हणून ओळखली जात असून जागतिक व्यापाराद्वारे देशासाठी परकीय चलन मिळवून देण्याची क्षमता त्यात आहे. पुरेशा जागेची अनुपलब्धता, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव, रस्ते, रेल्वे, इत्यादी अपुऱ्या पायाभूत सुविधा अशा अनेक आव्हानांना सध्यस्थितीत या क्षेत्राला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील या समस्यांचे निवारण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे आहेत :

- महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचा एक भाग करणे
- पारंपारिक गोदामांना अद्ययावत करून पूर्णतः एकात्मिक मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स करणाऱ्या सेवांमध्ये रूपांतर करणे
- कार्यक्षमता वाढविणे व लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे
- शेवटच्या मैलापर्यंत जोडणी साध्य करण्यासाठी लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांची सुधारणा करणे

ह्या धोरणाची खालील लक्ष्ये आहेत :

- राज्यात लॉजिस्टिक समूह निर्माण करणे
- राज्यात पूर्णपणे एकात्मिक बहुविध अशी किमान २५ लॉजिस्टिक्स संकुले विकसित करणे
- किमान १०० लॉजिस्टिक संकुलांना प्रोत्साहन देणे

## इतर उपाययोजना

८.२.६ या व्यतिरिक्त आपले व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने राज्याने नियमितपणे धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यापैकी काही धोरणे पुढील प्रमाणे आहेत.

- औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये राज्याचे अग्रस्थान कायम राखण्याकरिता औद्योगिक धोरण
- सर्व मंजुरी एकाच ठिकाणी मिळवून देण्याकरिता गुंतवणूकदारांसाठी एक खिडकी योजना
- ग्रामीण उद्योजकता आणि महिला सक्षमीकरणास चालना देण्यासाठी काथ्या उद्योग धोरण
- विद्युत वाहन व त्यांचे भाग यांच्या उत्पादनामध्ये राज्यास अग्रणी राखण्यास व त्यांच्या निर्यातीस चालना देण्यासाठी विद्युत वाहन उत्पादन धोरण
- राज्यातील फिनटेक क्षेत्रास चालना देण्याच्या उद्देशाने फिनटेक धोरण
- अंतराळ व संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती तसेच त्यांच्या संशोधन व विकासासाठी सृजनशील केंद्र म्हणून राज्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी अंतराळ व संरक्षण उत्पादन धोरण
- माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञानाधारित सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम राखण्याकरिता माहिती तंत्रज्ञान धोरण
- तयार कपडे, रत्ने व दागिने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता राज्य हे पसंतीचे ठिकाण व्हावे यासाठी तयार कपड्यांचे उत्पादन, रत्ने व दागिने, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटक याकरिता लहान (फ्लॅटेड) दालनेयुक्त औद्योगिक संकुले धोरण
- शासनाच्या विविध विभागांच्या माहितीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून क्लाऊड कंप्युटींग धोरण

## महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सहाय्य केंद्र (मैत्री)

८.३ मैत्री हे शासन ते उद्योग (G2B) पोर्टल असून याचे ध्येय राज्यामध्ये गुंतवणूक प्रोत्साहीत करणे व व्यवसाय भागीदारी सुलभ करणे असे आहे. गुंतवणुकीविषयी सर्व सेवा व माहिती उपलब्ध करून देणे हे या पोर्टलचे कार्य आहे. मैत्री हे पूर्णपणे इंटरनेटला जोडलेले एक स्टॉप शॉप असून येथे सध्याचे व संभाव्य गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक प्रक्रीयेबाबत एकत्रित माहिती मिळते. मैत्रीमार्फत उद्योजकांना उद्योगांच्या संबंधित १६ विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या एकूण ४४ सेवांपैकी २१ सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. मैत्रीमार्फत नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत १,२१८ अडचणी हाताळण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी १,१४५ अडचणींचे निराकरण करण्यात आले.

## औद्योगिक गुंतवणूक

८.४ ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत ₹ १२,८६,६९६ कोटी गुंतवणुकीसह २०,३२३ औद्योगिक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ₹ ३,०६,८२५ कोटी (२३.८ टक्के) गुंतवणुकीचे ९,०९८ प्रकल्प (४४.८ टक्के) कार्यान्वित झाले व त्यामधून १३.२३ लाख रोजगार निर्मिती झाली.

८.४.१ ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी ५७० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून यातील गुंतवणूक सर्वाधिक ₹ ३,९८,८७६ कोटी (एकूण गुंतवणुकीच्या ३१.० टक्के) होती, त्या पाठोपाठ इंधन आणि धातू उद्योगांमध्ये अनुक्रमे

₹ १,४३,३१४ कोटी (११.१ टक्के) व ₹ १,०८,९०९ कोटी (८.५ टक्के) गुंतवणूक आहे. एकूण मंजूर गुंतवणुकीपैकी सुमारे ५०.६ टक्के गुंतवणूक या तीन उद्योग गटांमध्ये आहे. उद्योगाच्या प्रकारानुसार राज्यातील मंजूर व कार्यान्वित प्रकल्पांची माहिती तक्ता ८.१ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ८.१ उद्योगाच्या प्रकारानुसार मंजूर व कार्यान्वित प्रकल्प

(ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९)

| उद्योग गट                             | मंजूर प्रस्ताव |                      | कार्यान्वित प्रकल्प |                      |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                       | संख्या         | गुंतवणूक<br>(₹ कोटी) | संख्या              | गुंतवणूक<br>(₹ कोटी) |
| माहिती व तंत्रज्ञान                   | ५७०            | ३,९८,८७६             | ३३६                 | ६१,६६९               |
| इंधन                                  | ८४९            | १,४३,३१४             | २१४                 | २८,५०१               |
| धातू                                  | १,९५८          | १,०८,९०९             | ९६१                 | ३८,३२५               |
| रसायने व खते                          | २,९३९          | ७१,५५७               | १,४३४               | २६,४२३               |
| वस्त्रोद्योग                          | २,०९६          | ६०,२११               | ९७८                 | १९,१०८               |
| विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स            | १,२७१          | ४६,९३७               | ७२०                 | १०,६६४               |
| साखर                                  | १,६०४          | ४१,६७०               | २६३                 | ९,३१९                |
| परिवहन                                | ४३७            | ३३,४०१               | २९६                 | २५,२३६               |
| प्रक्रिया केलेले अन्न                 | १,१४१          | ३१,९११               | ४८५                 | ९,०३२                |
| फोटोग्राफीक फिल्म व कागद              | १,०१०          | ३०,३०६               | ५८१                 | १४,३६६               |
| सिमेंट जिप्सम                         | ३८७            | ३०,२२८               | १५५                 | ६,८७६                |
| औद्योगिक यंत्रसामग्री                 | ८७२            | २६,४०४               | ५२०                 | ९,७४३                |
| औषधी                                  | ८९८            | १९,५१६               | ५१६                 | ६,९८०                |
| कागद व कागद उत्पादने                  | ५७२            | १८,२२६               | २८७                 | ८,१४५                |
| अभियांत्रिकी                          | ३७९            | १८,०४६               | २२३                 | ६,२४५                |
| यांत्रिक साधने/सिरेमिक/संकीर्ण उद्योग | ५४६            | १७,७८९               | ३३८                 | ७,४४९                |
| वनस्पती तेल आणि वनस्पती               | ३९१            | १६,९६४               | २१४                 | २,७९६                |
| इतर                                   | २,४०३          | १,७२,४३१             | ५७७                 | १५,९४८               |
| <b>एकूण</b>                           | <b>२०,३२३</b>  | <b>१२,८६,६९६</b>     | <b>९,०९८</b>        | <b>३,०६,८२५</b>      |

आधार: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

८.४.२ सन २०१७ मध्ये ₹ ४८,५८१ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीच्या ३५४ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आणि ₹ १७,५६६ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीचे व ०.६४ लाख अपेक्षित रोजगार निर्मितीचे १५८ प्रकल्प कार्यान्वित झाले. सन २०१८ मध्ये ₹ ८६,१६३ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीच्या ४२६ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आणि ₹ १,९७६ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीचे व अंदाजे ०.१८ लाख प्रस्तावित रोजगार निर्मितीचे ३७ प्रकल्प कार्यान्वित झाले. सन २०१९ (फेब्रुवारी पर्यंत) मध्ये ₹ १०,७१८ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीच्या ७१ प्रकल्पांची नोंदणी झाली.

८.४.३ देशात प्राप्त झालेल्या एकूण औद्योगिक प्रस्ताव आणि गुंतवणुकीमध्ये राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे १८.० टक्के आणि १०.४ टक्के आहे. निवडक राज्यातील मंजूर औद्योगिक प्रस्तावांची माहिती तक्ता ८.२ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ८.२ निवडक राज्यांसाठी मंजूर औद्योगिक प्रस्ताव@

(ऑगस्ट, १९९१ ते फेब्रुवारी, २०१९)

| तपशील                | महाराष्ट्र          | गुजरात              | तामिळनाडू         | आंध्र प्रदेश <sup>१</sup> | उत्तर प्रदेश      | कर्नाटक             | अखिल भारत              |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| प्रस्ताव<br>(संख्या) | २०,३२३<br>(१८.०)    | १४,३१६<br>(१२.७)    | ९,७२२<br>(८.६)    | ९,१७१<br>(८.१)            | ८,५११<br>(७.५)    | ५,७२९<br>(५.१)      | १,१३,०९३<br>(१००.०)    |
| गुंतवणूक<br>(₹ कोटी) | १२,८६,६९६<br>(१०.४) | १६,२२,४०२<br>(१३.१) | ५,५७,३६०<br>(४.५) | १०,५४,७६४<br>(८.६)        | ३,८१,८९४<br>(३.१) | १२,६४,९३४<br>(१०.३) | १,२३,४३,२७५<br>(१००.०) |

@ आवेदन पत्र/इरादा पत्र/१०० टक्के निर्यातभिमुख प्रस्तावांसह

\$ तेलंगणा समाविष्ट

टीप : कंसातील आकडे अखिल भारताशी टक्केवारी दर्शवितात.

आधार: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## विशाल प्रकल्पांमधील गुंतवणूक

८.५ राज्यात २००५ पासून मोठ्या प्रकल्पांबाबतचे धोरण राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये जानेवारी, २०१९ पर्यंत ₹ ४,६३,४५८ कोटी गुंतवणुकीच्या व ४.८८ लाख प्रस्तावित रोजगार निर्मितीच्या ६१८ विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी ₹ ८८,२६८ कोटी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व सुमारे १.३३ लाख प्रस्तावित रोजगार निर्मितीच्या १९२ प्रकल्पांना पात्रता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

## सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांमधील गुंतवणूक

८.६ वस्तुनिर्माण आणि सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमांपैकी वस्तुनिर्माण उपक्रमांचे त्यांच्या यंत्रसामग्रीतील गुंतवणुकीच्या आधारे व सेवा पुरविणाऱ्या उपक्रमांचे साधनसामग्री मुल्याच्या आधारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

८.६.१ सन २०१५ पासून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना ऑनलाईन प्रक्रियेने बारा अंकी एकमेव ओळख असणारा उद्योग आधार क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येतो. ह्या उपक्रमांची नोंदणी झाल्यावर उद्योजक शासनाचे सर्व लाभ व योजना जसे कमी दराने व्याज, सुलभ कर्ज, हमी न देता कर्ज, अनुदाने, इ. लाभ मिळविण्यास पात्र होतो. वर्ष २०१५ पासून मार्च, २०१९ पर्यंत, राज्यात एकूण ९.८६ लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांनी उद्योग आधारासाठी नोंदणी केली असून त्यापैकी ८.५८ लाख सूक्ष्म, १.२३ लाख लघु व ०.०५ लाख मध्यम उपक्रम होते. या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांपासून ₹ १,६०,०१६ कोटी गुंतवणुकीद्वारे ५७.५१ लाख रोजगार निर्माण झाला. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची विभागनिहाय माहिती तक्ता ८.३ मध्ये

### तक्ता ८.३ विभागनिहाय उद्योग आधार असलेले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम

(ऑक्टोबर, २०१५ पासून मार्च, २०१९ पर्यंत)

| विभाग              | उद्योग आधार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम |                | रोजगार       |                | गुंतवणूक        |                |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
|                    | संख्या                                  | हिस्सा (टक्के) | संख्या (लाख) | हिस्सा (टक्के) | रक्कम (₹ कोटी)  | हिस्सा (टक्के) |
| मुंबई              | १,८९,६८४                                | १९.२           | १३.०७        | २२.७           | २४,९०४          | १५.६           |
| कोकण (मुंबई वगळून) | २,०३,८८९                                | २०.७           | १२.६२        | २१.९           | ३३,५७५          | २१.०           |
| नाशिक              | ८३,६९२                                  | ८.५            | ४.८२         | ८.३            | १७,९५१          | ११.२           |
| पुणे               | २,१४,३१५                                | २१.७           | १४.९९        | २६.१           | ४७,८१४          | २९.९           |
| औरंगाबाद           | १,०५,६२६                                | १०.७           | ५.६८         | ९.९            | १७,४५५          | १०.९           |
| अमरावती            | ४१,०१८                                  | ४.२            | १.७०         | ३.०            | ५,१७६           | ३.२            |
| नागपूर             | १,४८,४७२                                | १५.०           | ४.६३         | ८.१            | १३,१४१          | ८.२            |
| <b>एकूण</b>        | <b>९,८६,६९६</b>                         | <b>१००.०</b>   | <b>५७.५१</b> | <b>१००.०</b>   | <b>१,६०,०१६</b> | <b>१००.०</b>   |

आधार : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

दिली आहे.

## थेट विदेशी गुंतवणूक

८.७ थेट विदेशी गुंतवणुकीने (एफडीआय) औद्योगिक घटकांमध्ये नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणले असून घटकांमधील स्पर्धात्मकता वाढविली आहे तसेच राज्यातील स्थानिक बाजारपेठांमधील देखिल गुंतवणूक वाढविली आहे. राज्याचे व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण, विविध धोरणे आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये राज्यास आघाडीवर ठेवण्यास सहाय्यभूत ठरले आहेत. औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभाग, भारत सरकारच्या अहवालानुसार, एप्रिल, २००० ते डिसेंबर, २०१८ पर्यंत राज्यातील थेट विदेशी गुंतवणूक ₹ ६,९०,३२३ कोटी असून ती देशातील एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ३० टक्के आहे.

## महाराष्ट्रातून निर्यात

८.८ लघु उद्योग घटकांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनांमध्ये भाग घेण्याच्या संधी निर्माण करणे, त्यांना निर्यात कामगिरीनुसार पुरस्कार देणे तसेच प्रदर्शनांत सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनातील जागा भाडे पोटा अनुदान देणे याद्वारे राज्य निर्यातीस चालना देत आहे. राज्यातून मुख्यत्वे रत्ने व आभूषणे, पेट्रोकेमिकल्स, तयार कपडे, सुती धागे, धातू व धातू उत्पादने, शेतमालावर आधारित उत्पादने, अभियांत्रिकी उपकरणे, औषधी द्रव्ये व औषधी आणि प्लास्टिक व प्लास्टिकच्या वस्तू यांची निर्यात होते. फळ आणि भाज्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य विविध उपाययोजना करीत आहे. महाराष्ट्र आणि देशातून झालेली निर्यात तक्ता ८.४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ८.४ महाराष्ट्र आणि देशातून झालेली निर्यात**

(₹ कोटी)

| वर्ष    | महाराष्ट्र | अखिल भारत |
|---------|------------|-----------|
| २०१४-१५ | ४,४५,३४९   | १८,६५,५८९ |
| २०१५-१६ | ४,३६,४३५   | १७,१४,६१७ |
| २०१६-१७ | ४,५१,९७८   | १८,४९,४२८ |
| २०१७-१८ | ४,४९,५०८   | १९,५५,५४१ |
| २०१८-१९ | ५,०९,०१२   | २३,०३,८९८ |

आधार: उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## विशेष आर्थिक क्षेत्रे

८.९ राज्याने फेब्रुवारी २००६ पासून स्विकारलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरणास अनुसरून मार्च, २०१९ पर्यंत राज्यात २४९ विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४,२३१ हेक्टर क्षेत्रावर ₹ ३६,३५२ कोटी गुंतवणुकीची व सुमारे ५.९० लाख रोजगार निर्माण करणारी ३० विशेष आर्थिक क्षेत्रे कार्यान्वित झाली.

## माहिती तंत्रज्ञान संकुले

८.१० आज्ञावली निर्यातीत देशात राज्याचा २० टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञानाच्या संतुलित वाढीस चालना देण्याच्या दृष्टीने शासनाने माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवा धोरण लागू केले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको व सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यांनी विकसित केलेली ३७ सार्वजनिक माहिती तंत्रज्ञान संकुले सुमारे ₹ १८,००० कोटी गुंतवणूक व सुमारे २.६८ लाख रोजगारासह कार्यान्वित आहेत.

८.१०.१ माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता खाजगी क्षेत्रास सहभागी करून घेण्यात आले आहे. या अंतर्गत ५२७ खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी ₹ १९,९२७ कोटी गुंतवणुकीची व सुमारे ५.३ लाख रोजगार निर्माण करणारी १९३ माहिती तंत्रज्ञान संकुले कार्यान्वित आहेत. उर्वरित ३३४ माहिती तंत्रज्ञान संकुलांमध्ये ₹ ६२,२१७ कोटी प्रस्तावित गुंतवणूकीसह सुमारे १०.८१ लाख रोजगार संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. खाजगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले पुणे (१८१), मुंबई शहर व मुंबई उपनगर (१७२), ठाणे (१६०), नागपूर (५), नाशिक (५), औरंगाबाद (३) आणि वर्धा (१) या जिल्ह्यांमध्ये आहेत.

## जैव-तंत्रज्ञान संकुले

८.११ कृषी, पशु संवर्धन, आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादी क्षेत्रांमध्ये जैव-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. जैव-तंत्रज्ञानाची क्षमता लक्षात घेऊन राज्याने त्याचे जैव-तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात जैव-तंत्रज्ञान घटक स्थापित करणाऱ्या कंपन्यांना विविध आर्थिक प्रोत्साहन व कर सवलतीचा समावेश या धोरणात दिल्या आहेत. राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरात जालना आणि हिंजवडी (पुणे) येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन जैव-तंत्रज्ञान संकुले विकसित करण्यात आली आहेत. सुमारे ₹ ३०५ कोटी अपेक्षित गुंतवणुकीची सहा खाजगी तत्वावरील जैव-तंत्रज्ञान संकुले राज्यात प्रस्तावित आहेत. राज्यात सुमारे ₹ ४,७३३ कोटी गुंतवणूक प्रस्तावित असून १.६५ लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित असलेली बारा जैव-तंत्रज्ञान विशेष आर्थिक क्षेत्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

८.११.१ ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांतर्गत ₹ २६१ कोटी गुंतवणुकीचे ५० घटक नोंदणीकृत असून त्याद्वारे ०.८७ लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे, तर मोठ्या उद्योगांतर्गत ₹ १,१२० कोटी गुंतवणुकीचे १६ नोंदणीकृत घटकांद्वारे ०.७१ लाख रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

## दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका

८.१२ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका देशातील सर्वात महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा कार्यक्रम असून हा देशाची राजधानी असलेली दिल्ली व आर्थिक केंद्र असलेले मुंबई यांच्या दरम्यान नियोजित औद्योगिक विकास प्रकल्प आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अद्ययावत

तंत्रज्ञान एकवटून नवीन औद्योगिक शहरे 'स्मार्ट शहरे' म्हणून विकसित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या मार्गिकेत राज्यातील शेंद्रा-बिडकीन आणि दिघी बंदर या दोन औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. या मार्गिकेचे यथार्थदर्शी नियोजन पूर्ण झाले असून टप्पा-१ मधील भाग म्हणून निश्चित झालेल्या शहरांसाठी मुख्य आराखडा व प्राथमिक अभियांत्रिकी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या मार्गिकेचा एक भाग म्हणून कामावर चालत जाणे (वॉक-टू-वर्क) या संकल्पनेवर आधारित सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर अशा राज्यातील १०,००० एकर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास केला जात आहे. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा तसेच स्वच्छ, पुनर्वापरासाठी व वापरास योग्य नसलेल्या वस्तुपासून नवीन वस्तू निर्माण करण्याच्या पद्धतींचा अवलंब करण्यात येत आहे. ऑरिकची सुमारे ३५ भूखंड गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आली आहेत.

## सहकारी औद्योगिक वसाहती

८.१३ शहरी भागांमध्ये केंद्रीकृत उद्योग ग्रामीण भागामध्ये विकेंद्रीत करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्राबाहेर सहकारी तत्वावर औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा कार्यक्रम राज्याने हाती घेतला आहे. दि.३० सप्टेंबर, २०१८ अखेर एकूण १४२ सहकारी औद्योगिक वसाहती नोंदणीकृत असून त्यापैकी १०७ कार्यरत वसाहतींमधील ८,०३७ कार्यन्वित घटकांमध्ये कार्यरत सुमारे १.७९ लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. एकूण रोजगारामध्ये ४८.७ टक्के रोजगार पुणे विभागात, २७.९ टक्के रोजगार नाशिक विभागात, १६.३ टक्के रोजगार कोकण विभागात (मुंबई समाविष्ट) व ७.१ टक्के रोजगार उर्वरित विभागांत आहे.

## सामूहिक प्रोत्साहन योजना

८.१४ औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागात उद्योगांच्या विस्तारण्यास उत्तेजन देऊन या भागात नवीन किंवा विस्तारीत उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबवित आहे. सन १९६४ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून सदर योजनेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली आहे. अलिकडे राज्याने 'सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१३' जाहीर केली आहे व या अंतर्गत पात्र असलेले खाजगी क्षेत्रातील, राज्य सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त विशाल उद्योग घटक यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विचारात घेतले आहेत. या योजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये ₹ ३,०३५ कोटी प्रोत्साहन रक्कम पात्र असलेल्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, मोठे उद्योग आणि विशाल प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आली. या योजनेंतर्गत वितरित केलेले औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान तक्ता ८.५ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता ८.५ सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान

(₹ कोटी)

| तपशील                             | वितरण        |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | २०१६-१७      | २०१७-१८      | २०१८-१९      |
| <b>औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान</b> |              |              |              |
| विशाल प्रकल्प                     | २,२२६        | १,६९४        | २,३०४        |
| मोठे उद्योग                       | ८७           | ५९           | ७६           |
| सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम       | १६१          | १८०          | ३४६          |
| <b>इतर प्रोत्साहने</b>            |              |              |              |
| मोठे उद्योग                       | ५०           | ६७           | १००          |
| सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम       | १०९          | १२०          | २०९          |
| <b>एकूण</b>                       | <b>२,६३३</b> | <b>२,१२०</b> | <b>३,०३५</b> |

आधार : उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम

८.१५ सूक्ष्म व लघु उद्योग घटकांच्या शाश्वत विकास व वृद्धीसाठी केंद्र शासनाने औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम घोषित केला आहे. या योजनेंतर्गत तंत्रज्ञान, कौशल्य व दर्जात सुधार, पणन सुविधा, भांडवल उपलब्धता, पायाभूत सुविधा निर्माण/अद्यावत करणे, सामायिक सुविधा केंद्रांची उभारणी, इत्यादी बाबी हाताळण्यात येत आहेत. या संदर्भात, केंद्र शासनाने सूक्ष्म, लघु उपक्रम - समूह विकास कार्यक्रम आणि राज्य शासनाचे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम यांची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होत आहे.

८.१५.१ **सूक्ष्म, लघु उपक्रम - समूह विकास कार्यक्रम** : या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने १९ समूह प्रकल्पांना सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी अंतिम मंजूरी दिली असून दहा औद्योगिक समूह प्रकल्पांना तत्त्वतः मंजूरी दिली आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाने एकूण ₹ १६६ कोटी निधी वितरीत केला आहे.



८.१५.२ **महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना** : या योजनेतर्गत राज्यातील १३० समूह प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ४९ समूह प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीसाठी आतापर्यंत एकूण ₹ ९७ कोटी निधी वितरीत केला आहे.

### महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ

८.१६ राज्य शासनाची प्रमुख औद्योगिक पायाभूत विकास संस्था म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (मऔविम) १९६२ मध्ये स्थापना झाली. नियोजित व सुयोग्यरित्या औद्योगिक विकास होण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करणे व औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे देशातील सर्व औद्योगिक विकास महामंडळांमध्ये सर्वाधिक औद्योगिक जमिनीची मालकी असलेल्यापैकी एक आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २५१ औद्योगिक क्षेत्रे निर्माण केले असून, त्यापैकी १०६ मोठे औद्योगिक क्षेत्रे, ९१ लघु औद्योगिक क्षेत्रे व ५४ विकास केंद्रे आहेत. त्याच बरोबर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सिल्वर झोन आणि माहिती तंत्रज्ञान, जैव-तंत्रज्ञान, वाईन (द्राक्ष प्रक्रिया), रत्ने अशा विविध औद्योगिक क्षेत्रांसाठी विशेष संकुले विकसित केली आहेत.

८.१६.१ दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ₹ १,८०,१७० कोटी गुंतवणूक व १३.७६ लाख रोजगार क्षमता असलेले ४९,५०५ उद्योग घटक आहेत. एकूण ८९,९६३ विकसित भूखंडांपैकी सुमारे ७६ टक्के भूखंड उद्योजकांना वितरीत करण्यात आले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक घटकांची माहिती तक्ता ८.६ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ८.६ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रातील औद्योगिक घटक

(३१ डिसेंबर, २०१८ अखेर)

| विभाग              | घटक<br>(संख्या) | गुंतवणूक<br>(₹ कोटी) | रोजगार<br>(लाख) | विकसित भूखंड<br>(संख्या) |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| मुंबई              | १,०१२           | २०,६८५               | १.४१            | १४,३३८                   |
| कोकण (मुंबई वगळून) | १३,३८९          | ४९,५६१               | ४.२६            | ४,८९९                    |
| नाशिक              | ८,५२२           | ७,७६१                | ०.९७            | १४,०५७                   |
| पुणे               | १२,७६१          | ६९,२०८               | ५.००            | २५,६५५                   |
| औरंगाबाद           | ७,६८२           | ९,११४                | ०.७९            | १३,१५६                   |
| अमरावती            | २,४५०           | ७,५६०                | ०.३८            | ८,६५०                    |
| नागपूर             | ३,६८९           | १६,२८१               | ०.९५            | ९,२०८                    |
| <b>एकूण</b>        | <b>४९,५०५</b>   | <b>१,८०,१७०</b>      | <b>१३.७६</b>    | <b>८९,९६३</b>            |

आधार : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र शासन

### महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ

८.१७ महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ लघु उद्योगांचा विकास करण्यासाठी उद्योजकांना सहाय्य करते आणि सल्लामसलत, समुपदेशन, पणन, प्रशिक्षण, आयात-निर्यात, उद्योजकता विकास कार्यक्रम यांसाठी पूरक सेवा पुरवते. महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल तक्ता ८.७ मध्ये देण्यात आली आहे.

#### तक्ता ८.७ महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाची उलाढाल

(₹ कोटी)

| बाब         | २०१६-१७      | २०१७-१८      | २०१८-१९*     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| पणन सहाय्य  | १३.८६        | १०.८७        | १०.२७        |
| इतर         | २.३४         | २.५९         | ३.००         |
| <b>एकूण</b> | <b>१६.२०</b> | <b>१३.४६</b> | <b>१३.२७</b> |

आधार : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ

+ जानेवारी पर्यंत

### महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ

८.१८ राज्यातील खादी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांचे संघटन, विकास व विस्तार करणे हे महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग घटकांना २०१६-१७ मध्ये ₹ १८.७५ कोटी वित्तीय सहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आले आणि २०१७-१८ मध्ये ₹ २३.४० कोटी वितरित करण्यात आले. खादी व ग्रामोद्योग घटकांची प्रगती तक्ता ८.८ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ८.८ खादी व ग्रामोद्योग घटकांची प्रगती

| वर्ष    | सहाय्यित घटक<br>(लाख) | उत्पादन मूल्य<br>(₹ कोटी) | रोजगार<br>(लाख) |
|---------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| २०१६-१७ | १.६६                  | ३,३००                     | १.४             |
| २०१७-१८ | १.७१                  | ९,८८४                     | २.४             |
| २०१८-१९ | १.६७                  | ३,६६०                     | २.५             |

आधार : महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ

८.१८.१ कारागीर रोजगार हमी योजने अंतर्गत २०१६-१७ मध्ये २.६६ लाख कारागीरांना व २०१७-१८ मध्ये १.१४ लाख कारागीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. सन २०१८-१९ मध्ये १.१४ लाख कारागीरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.

## खनिजे

८.१९ राज्यात उत्पादनक्षम खनिज साठा असणारे सुमारे ५८ हजार चौ. किमी क्षेत्र असून ते राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १९ टक्के आहे. राज्यातील खनिज (कोळसा, चुनखडी, कच्चे मँगनिज, बॉक्साईट, कच्चे लोखंड, कायनाईट, फ्लोराईट (ग्रेडेड), क्रोमाईट, इत्यादी) साठा क्षेत्र विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, गोंदिया, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, तसेच कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये विखुरले आहे. राज्यात मार्च, २०१८ अखेर ४८,६७५ रोजगार असलेल्या प्रमुख खनिजांच्या २०२ खाणी कार्यरत आहेत. राज्यातील २०१७-१८ मध्ये उत्खनन केलेल्या खनिजांचे एकूण मूल्य ₹ ८,२२० कोटी होते, यापैकी उत्खनन केलेल्या कोळशाचे मूल्य ₹ ७,०३५ कोटी (उत्खनन केलेल्या खनिजांच्या एकूण मूल्याच्या ८५.६ टक्के) होते व ते २०१६-१७ मध्ये उत्खनन केलेल्या कोळशाच्या मूल्याच्या ६.१ टक्के कमी आहे. सन २०१८-१९ मध्ये (सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत) उत्खनन केलेल्या खनिजांचे एकूण मूल्य ₹ २,९७४ कोटी होते. राज्यातील महत्वाच्या खनिजांचे उत्पादन व मूल्य परिशिष्ट ८.३ मध्ये दिले आहे.

## वस्त्रोद्योग

८.२० वस्त्रोद्योगाच्या वाढीमध्ये राज्य महत्वाची भूमिका पार पाडेल यासाठी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा राज्याकडे उपलब्ध आहे. सन २०१८-१९ मध्ये, राज्यात १८८ सुतकताई यंत्र आणि ३६ संयुक्त वस्त्र निर्मिती गिरण्या यांमध्ये ४८.३९ लाख चाती आणि ४३,८६३ रोटर्स स्थापित क्षमता आहे. सन २०१७-१८ मध्ये यामधून ३२४ दशलक्ष किलो सूती धागा तयार करण्यात आला. सन २०१८-१९ मध्ये, ३०४ दशलक्ष किलो सूती धागाचे उत्पादन करण्यात आले.

८.२०.१ **वस्त्रोद्योग संकुले :-** अनेक लघु व मध्यम उद्योगांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी वस्त्रोद्योग संकुले ही एक मंच प्रदान करतात. राज्य शासनाने राज्यात हिंणगाव (वर्धा), बसमत (हिंगोली), लातूर (लातूर), शिरपूर, वर व देगाव (धुळे), भिवंडी (ठाणे), बारामती (पुणे), इस्लामपूर (सांगली), इचलकरंजी (कोल्हापूर) आणि कुंभारी (सोलापूर) येथे एकूण १४ वस्त्रोद्योग संकुले स्थापित केली आहेत. सन २०१८-१९ या १४ वस्त्रोद्योग संकुलांमध्ये एकूण २५,५७६ रोजगारासह ६३१ घटक कार्यरत आहेत.

## पर्यटन

८.२१ राज्यात पर्यटन वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून ते मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन निर्माण करण्यासोबतच महत्त्वपूर्ण रोजगार संधी देखिल निर्माण करित आहे. सन २०२५ पर्यंत राज्याला अग्रगण्य पर्यटन स्थळ बनविणे व पर्यटन उद्योगात एक लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसह ₹ ३०,००० कोटीच्या गुंतवणुकीस आकर्षित करणे या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०१६ तयार केले आहे. राज्यात पर्यटनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ स्थापित करण्यात आले असून, हे महामंडळ पर्यटन धोरण राबविणारी राज्यातील नोडल संस्था आहे.

८.२१.१ महाराष्ट्र देशातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक असून समुद्र किनारे, वन्यजीवन अभयारण्ये, थंड हवेची ठिकाणे, नैसर्गिक गुंफा, धबधबे, किल्ले, रंगीबेरंगी सण, प्राचीन तीर्थक्षेत्र मंदिरे, संग्रहालये व ऐतिहासिक स्मारके अशा विविध पर्यटनाचा अनुभव देतो. भारत पर्यटन सांख्यिकी २०१८ अहवालानुसार २०१७ मध्ये राज्यात ११.९१ कोटी देशांतर्गत पर्यटक भेटी व ०.५ कोटी विदेशी पर्यटक भेटी झाल्या. अखिल भारतीय स्तरावर विदेशी पर्यटक भेटींमध्ये राज्य अग्रेसर होते. राज्यात सर्वाधिक हॉटेल खोल्या (१५,०२१) उपलब्ध असून त्या खालोखाल केरळ (१४,१६५) व दिल्ली (८,९१४) येथे आहेत. राज्यात २३ पंच तारांकीत डिलक्स, १९ पंच तारांकीत, १८ चार तारांकीत, २८ तीन तारांकीत दर्जा असलेले हॉटेल आहेत. केंद्रीकृत संरक्षित तिकीट स्मारकांना ०.९० कोटी देशांतर्गत पर्यटक व ०.०२ कोटी विदेशी पर्यटकांनी भेटी दिल्या.

८.२१.३ पर्यटन क्षेत्रातील बदल लक्षात घेता कृषी पर्यटन, गाव पर्यटन, अन्न पर्यटन, सफारी, आदिवासी जीवनशैली, इत्यादी विविध प्रायोगिक उपक्रम एका छत्राखाली आणण्याकरीता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 'महाभ्रमण' ही योजना राबविली आहे. या योजनेअंतर्गत सध्या ८६ सेवापुरवठादार महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे नोंदणीकृत आहेत.

## वार्षिक उद्योग पाहणी

८.२२ वार्षिक उद्योग पाहणी (वाउपा) ही औद्योगिक सांख्यिकीचा प्रमुख स्रोत आहे. या पाहणीवरून नोंदणीकृत वस्तूनिर्माण क्षेत्रातील निविष्टा, स्थिर व खेळते भांडवल, रोजगार, उत्पादन, मूल्यवृद्धी, इत्यादी बाबतचे अंदाज उपलब्ध होतात. वार्षिक उद्योग पाहणीत कारखाना अधिनियम, १९४८ च्या विभाग-२ एम (i) आणि २ एम (ii) खाली नोंदणी झालेल्या सर्व कारखान्यांचा आणि विडी व सिगारेट कामगार (रोजगाराच्या अटी) अधिनियम, १९६६ खाली नोंदणी झालेल्या विडी व सिगारेट आस्थापनांचा समावेश आहे.

८.२२.१ वार्षिक उद्योग पाहणी २०१६-१७ च्या निष्कर्षानुसार देशाच्या स्थूल मूल्यवृद्धीत १७.७ टक्के हिश्यासह राज्याने आपले सर्वोच्च स्थान अबाधित ठेवले आहे. एकूण उद्योग, कामगार व कामगार वेतन या बाबतीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असून या बाबतीत राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे ११.५ टक्के, ११.७ टक्के व १४.९ टक्के आहे. सन २०१५-१६ मध्ये स्थूल मूल्यवृद्धी, निव्वळ मूल्यवृद्धी व कामगारांना वेतन यात राज्य अग्रस्थानी असून कारखान्यांची संख्या व एकूण कामगार यात द्वितीय स्थानी होते.

८.२२.२ देशातील एकूण उत्पादन मूल्य, खेळते भांडवल व निव्वळ मूल्यवृद्धी मध्ये राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे १४.८ टक्के, ३०.५ टक्के व १८.२ टक्के होता. उद्योगांचे निवडक निर्देशक तक्ता ८.९ मध्ये दिले आहेत.

### तक्ता ८.९ उद्योगांचे निवडक निर्देशक

(₹ कोटी)

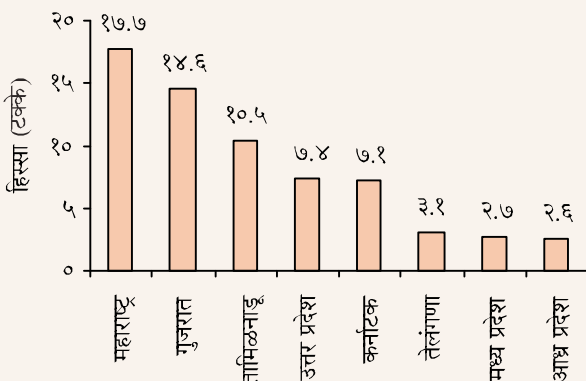
| तपशील              | २०१४-१५             |           | २०१५-१६             |           | २०१६-१७             |           |
|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                    | महाराष्ट्र          | अखिल भारत | महाराष्ट्र          | अखिल भारत | महाराष्ट्र          | अखिल भारत |
| उद्योग (संख्या)    | २८,६०१<br>(१२.४)    | २,३०,४३५  | २८,२१०<br>(१२.१)    | २,३३,११६  | २७,०१०<br>(११.५)    | २,३४,८६५  |
| स्थिर भांडवल       | ३,३७,१४४<br>(१३.६)  | २४,७४,४५५ | ३,४६,१७५<br>(१२.३)  | २८,०९,६४७ | ३,३७,९८२<br>(१०.६)  | ३१,९०,३८६ |
| खेळते भांडवल       | १,०९,९७१<br>(१७.२)  | ६,४०,८४०  | २,३२,३३४<br>(३१.४)  | ७,४०,५२९  | २,०२,५५७<br>(३०.५)  | ६,६३,०८३  |
| एकूण उत्पादन       | ११,१९,६१८<br>(१६.३) | ६८,८३,८१२ | ११,६८,०१७<br>(१७.०) | ६८,६२,३५४ | १०,७४,९७०<br>(१४.८) | ७२,६५,५१४ |
| एकूण निविष्टा      | ८,८०,५४२<br>(१५.४)  | ५७,१९,११० | ९,१९,५४०<br>(१६.५)  | ५५,८९,०७४ | ८,३२,८१९<br>(१४.१)  | ५८,९७,४६४ |
| स्थूल मूल्यवृद्धी  | २,३९,०७६<br>(२०.५)  | ११,६४,७०३ | २,४८,४७६<br>(१९.५)  | १२,७३,२८० | २,४२,१५२<br>(१७.७)  | १३,६८,०५० |
| निव्वळ मूल्यवृद्धी | २,०८,८३१<br>(२१.४)  | ९,७५,१६२  | २,१७,२५९<br>(२०.३)  | १०,७२,४८५ | २,०८,८००<br>(१८.२)  | ११,४५,९१९ |
| रोजगार (लाख)       | १८.८४<br>(१३.६)     | १३८.८१    | १९.७०<br>(१३.९)     | १४२.१०    | १९.२६<br>(१२.९)     | १४९.१०    |
| नफा                | १,१७,३५७<br>(२५.५)  | ४,६०,२८३  | १,१८,२१२<br>(२३.०)  | ५,१३,१९३  | १,१२,५७६<br>(२०.९)  | ५,३९,३५३  |

आधार : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

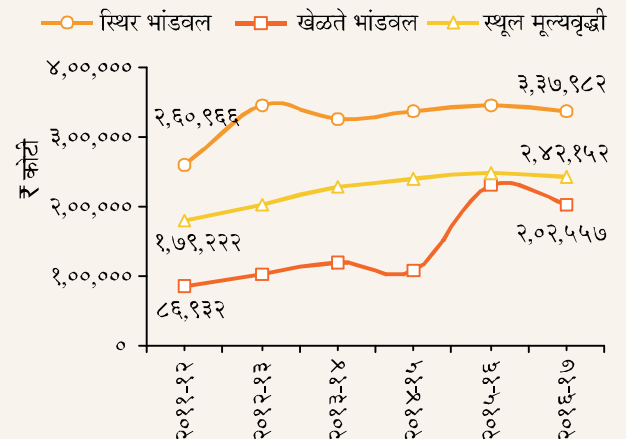
कंसातील आकडे अखिल भारताशी टक्केवारी दर्शवितात

८.२२.३ एकूण उत्पादन मुल्याच्या बाबतीत २०१६-१७ मध्ये खाद्य उत्पादने व पेये (१५.१ टक्के), कोळसा व शुद्ध पेट्रोलियमची उत्पादने (१२.१ टक्के), मूलभूत धातू (११.५ टक्के), रसायने आणि रासायनिक उत्पादने (८.० टक्के) आणि मोटार वाहने, ट्रेलर्स (७.७ टक्के) हे प्रमुख उद्योग आहेत. वर्ष २०१६-१७ मध्ये सर्व उद्योग गटांमध्ये या उद्योग गटांचे एकूण उत्पादन मुल्यामधील प्रमाण ५४.४ टक्के आहे, तर स्थिर भांडवलातील प्रमाण ५५.३ टक्के आहे. वार्षिक उद्योग पाहणीनुसार राज्यातील उद्योगांबाबतची महत्वाची वैशिष्ट्ये परिशिष्ट ८.१ मध्ये दिली आहेत. वार्षिक उद्योग पाहणीवर आधारित महत्वाचे निर्देशक तक्ता ८.१० मध्ये दिले आहेत.

आलेख ८.१ : निवडक राज्यांचा देशाच्या स्थूल मूल्यवृद्धीतील हिस्सा (२०१६-१७)



आलेख ८.२ : महाराष्ट्रामधील स्थिर व खेळते भांडवल, स्थूल मूल्यवृद्धी



## तक्ता ८.१० वार्षिक उद्योग पाहणीवर आधारित महत्त्वाचे निर्देशक

(₹ लाख)

| निर्देशक                          | २०१४-१५    |           | २०१५-१६    |           | २०१६-१७    |           |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                   | महाराष्ट्र | अखिल भारत | महाराष्ट्र | अखिल भारत | महाराष्ट्र | अखिल भारत |
| <b>अ) प्रति कारखाना</b>           |            |           |            |           |            |           |
| स्थिर भांडवलातील गुंतवणूक         | १,१७९      | १,०७४     | १,२२७      | १,२०५     | १,२५१      | १,३५८     |
| उत्पादित वस्तू व सेवा यांचे मूल्य | ३,९१५      | २,९८७     | ४,१४०      | २,९४४     | ३,९८०      | २,६८५     |
| निव्वळ मूल्यवृद्धी                | ७३०        | ४२३       | ७७०        | ४६०       | ७७३        | ४८८       |
| रोजगार (संख्या)                   | ४६         | ४७        | ४९         | ४८        | ५१         | ५०        |
| <b>ब) प्रति कामगार</b>            |            |           |            |           |            |           |
| निव्वळ मूल्यवृद्धी                | १६.०       | ९.१       | १५.८       | ९.६       | १५.०       | ९.८       |
| वार्षिक वेतन                      | १.७        | १.३       | १.८        | १.४       | १.९        | १.५       |

आधार: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

## अखिल भारताचे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक

८.२३ अखिल भारताचे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक उत्पादन स्तरातील बदलांचे मापन करतो आणि त्यामुळे किंमतीत होणाऱ्या बदलांच्या प्रभावापासून तो मुक्त आहे. हा अल्प कालावधीचा निर्देशक शासनाला धोरण निश्चितीसाठी तसेच विविध संस्थांना देखील उपयुक्त आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तरावर मासिक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक परिगणित करून जाहीर करते. अखिल भारतीय सर्वसाधारण औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २०११-१२) २०१८ मधील १२५.३ वरून २०१९ मध्ये १२९.८ पर्यंत वाढला. अखिल भारतीय औद्योगिक निर्देशांकांची मालिका परिशिष्ट ८.२ मध्ये दिली आहे. गटनिहाय अखिल भारतीय औद्योगिक निर्देशांक तक्ता ८.११ मध्ये दिले आहेत.

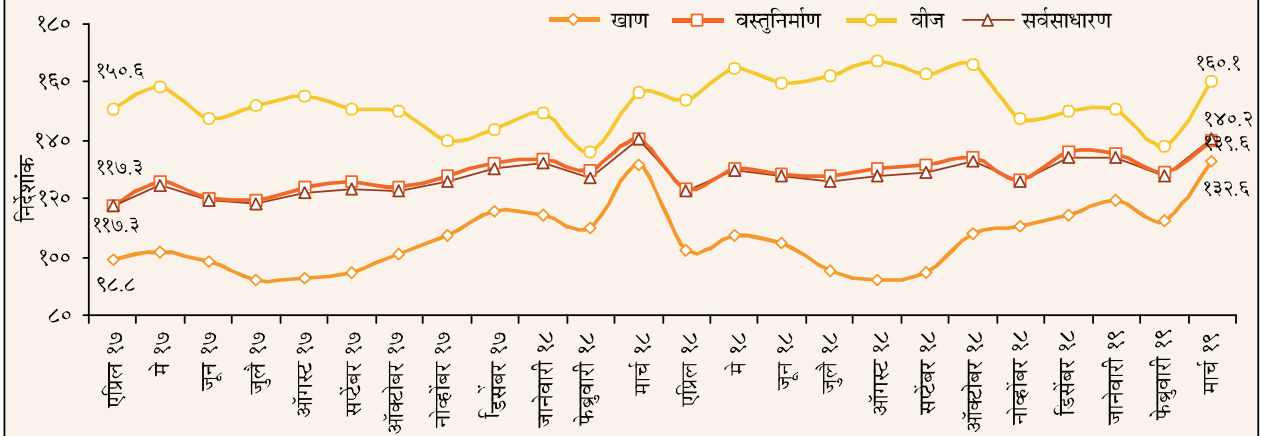
## तक्ता ८.११ भारतातील औद्योगिक उत्पादनांचे गटनिहाय निर्देशांक

(पायाभूत वर्ष २०११-१२=१००)

| गट                    | भार    | औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक |         |                  |
|-----------------------|--------|---------------------------------|---------|------------------|
|                       |        | २०१७-१८                         | २०१८-१९ | टक्केवारीतील बदल |
| सर्वसाधारण निर्देशांक | १००.०० | १२५.३                           | १२९.८   | ३.६              |
| खाणकाम                | १४.३७  | १०४.९                           | १०७.९   | २.८              |
| वस्तुनिर्माण          | ७७.६३  | १२६.६                           | १३१.०   | ३.५              |
| वीज                   | ७.९९   | १४९.२                           | १५६.९   | ५.२              |

आधार: सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार

## आलेख ८.३ : क्षेत्रनिहाय मासिक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक



महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## सहकार

८.२४ महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात सहकार चळवळीचे भरीव योगदान आहे. सुरुवातीला सहकार चळवळ मुख्यत्वे कृषि वित्त पुरवठा क्षेत्रापुरती मर्यादित होती, त्यानंतर कृषि प्रक्रिया, पणन, गृहनिर्माण, दुग्धव्यवसाय, साठवणूक, वस्त्रोद्योग, वित्त, मत्स्यव्यवसाय अशा विविध क्षेत्रात विस्तारली आहे.

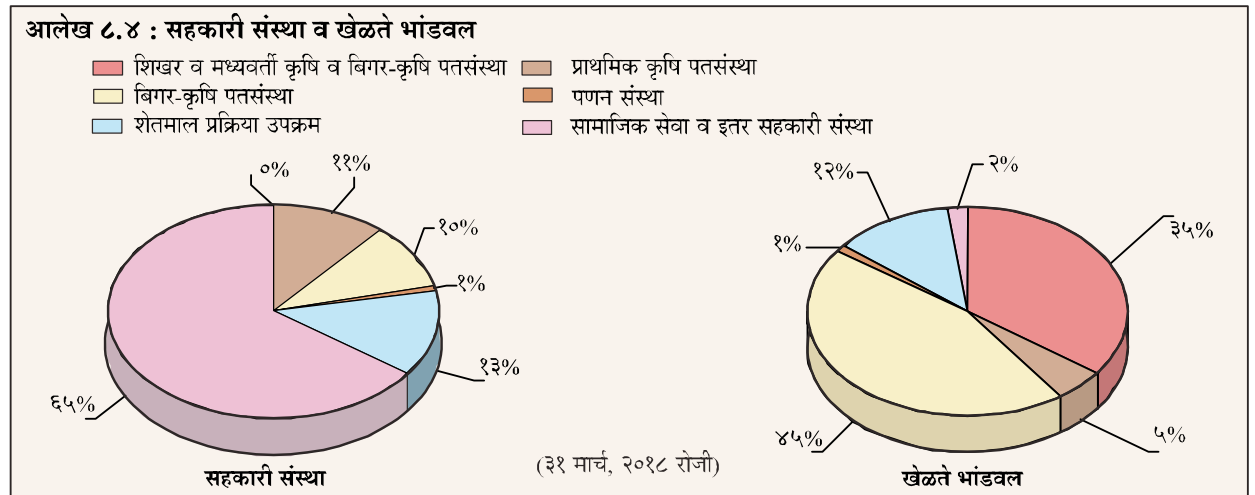
८.२५ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी सुमारे १.९८ लाख सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. सहकारी संस्थांची संक्षिप्त माहिती तक्ता ८.१२ मध्ये दिली आहे व महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांची माहिती परिशिष्ट ८.४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ८.१२ सहकारी संस्था संक्षिप्तात

| तपशील                     | ३१ मार्च रोजी |          |          | (₹ कोटी)                                   |
|---------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------|
|                           | २०१६          | २०१७     | २०१८*    | २०१७ च्या तुलनेत<br>२०१८ मधील<br>शेकडा बदल |
| संस्था (संख्या)           | १,९६,९०७      | १,९५,३०१ | १,९८,२५२ | १.५                                        |
| सभासद (लाख)               | ५३०           | ५४६      | ५१७      | (-)५.३                                     |
| भरणा भाग भांडवल           | १९,९४६        | २०,८९२   | २०,३९६   | (-)२.४                                     |
| पैकी, राज्य शासनाचे       | ३,६०१         | ४,०५६    | ३,८८९    | (-)४.१                                     |
| खेळते भांडवल              | ३,६३,२५६      | ३,८३,२३६ | ३,६५,६९७ | (-)४.६                                     |
| ठेवी                      | १,६९,४२५      | १,७९,२०९ | १,७८,१८२ | (-)०.६                                     |
| वितरीत कर्ज               | १,४७,३७६      | १,४९,७४४ | १,२६,३०० | (-)१५.७                                    |
| तोट्यातील संस्था (संख्या) | ३६,३२९        | ३५,६८२   | ३६,०६७   | १.१                                        |
| तोटा                      | ९,००८         | ९,२५९    | ८,२१०    | (-)११.३                                    |
| येणे कर्जे                | १,५१,४३२      | १,४९,२१३ | १,४८,९५७ | (-)०.२                                     |

आधार : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी



### सहकारी संस्थांद्वारे कृषि पतपुरवठा

८.२६ राज्यातील कृषि पतपुरवठा सहकारी बँकांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित ही शिखर संस्था असून जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तर गाव पातळीवर प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था कार्यरत आहेत. कृषि सहकारी बँकांची माहिती तक्ता ८.१३ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.१३ कृषि सहकारी बँकांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                                       | ३१ मार्च रोजी |          |          | २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मधील शेकडा बदल |
|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------|
|                                             | २०१६          | २०१७     | २०१८*    |                                      |
| <b>महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित</b> |               |          |          |                                      |
| सभासद (संख्या)                              | २,०००         | २,०००    | २०००     | ०.०                                  |
| खेळते भांडवल                                | २३,३००        | २९,४२१   | २५,०२१   | (-)१५.०                              |
| ठेवी                                        | ११,२६८        | १६,३७७   | १४,१०६   | (-)१३.९                              |
| वितरीत कर्ज                                 | १५,०८६        | १५,५२१   | १४,०९४   | (-)९.२                               |
| येणे कर्ज                                   | १४,४२४        | १६,३३६   | १५,९९२   | (-)२.१                               |
| थकीत कर्ज                                   | १,२३५         | १,२६९    | १,६५०    | ३०.०                                 |
| <b>जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (३१)</b>    |               |          |          |                                      |
| सभासद (लाखात)                               | १.९६          | १.९८     | २.००     | १.०                                  |
| खेळते भांडवल                                | ९१,४१५        | १,०१,२०५ | १,०४,००६ | २.८                                  |
| ठेवी                                        | ६६,३८२        | ७१,४२७   | ७५,०९१   | ५.१                                  |
| वितरीत कर्ज                                 | ४३,२६६        | ४३,३६८   | ३६,३२५   | (-)१६.२                              |
| येणे कर्ज                                   | ४७,४५४        | ४८,९४६   | ५०,९७८   | ४.२                                  |
| थकीत कर्ज                                   | ११,९९९        | १६,१६३   | १४,४३२   | (-)१०.७                              |

आधार: सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था

८.२७ अल्प मुदतीसाठी कृषि पतपुरवठा मुख्यतः शेतीच्या हंगामातील कामांकरिता प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थाद्वारे केला जातो. राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी २१,१०२ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था आहेत. यामध्ये २२ कृषक सेवा संस्था व ८८९ आदिवासी सहकारी संस्थांचाही समावेश असून त्यांची सभासद संख्या अनुक्रमे ०.५५ लाख व ७.२८ लाख आहे. प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांची माहिती तक्ता ८.१४ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.१४ प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                                      | ३१ मार्च रोजी |        |        | २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मधील शेकडा बदल |
|--------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------------------------------|
|                                            | २०१६          | २०१७   | २०१८*  |                                      |
| संस्था (संख्या)                            | २१,१०२        | २१,०८९ | २१,१०२ | ०.१                                  |
| सभासद (लाख)                                | १५९           | १५४    | १५०    | (-)२.६                               |
| खेळते भांडवल                               | १९,२६५        | १९,३९३ | १८,९१० | (-)२.५                               |
| स्वनिधी                                    | ३,४१७         | ३,७४४  | ३,३७८  | (-)९.८                               |
| भाग भांडवल                                 | २,४४७         | २,४४५  | २,३२४  | (-)४.९                               |
| पैकी, राज्य शासनाचे                        | ६             | ६      | ६      | ०.०                                  |
| कर्जदार सभासद (लाख)                        | ३७.६२         | ३६.३९  | ३७.०२  | १.७                                  |
| पैकी, १) अल्पभूधारक (१ हेक्टर पर्यंत)      | ९.७०          | ९.९५   | ९.८४   | (-)१.१                               |
| २) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टर पर्यंत)      | ८.९३          | ९.१८   | ९.२५   | ०.८                                  |
| वितरीत कर्ज                                | १४,६११        | १५,२८९ | १४,५७३ | (-)४.७                               |
| पैकी, अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलेले | ५,९३३         | ६,२२३  | ६,०८०  | (-)२.३                               |
| येणे कर्ज                                  | १५,६७७        | १३,७६४ | १३,७०६ | (-)०.४                               |
| कर्ज वसुली                                 | ११,१२८        | १०,९१५ | ११,०११ | ०.९                                  |
| थकीत कर्ज                                  | ४,९६९         | ५,७३७  | ५,१२३  | (-)१०.७                              |
| तोट्यातील संस्था                           | ११,९००        | १२,१०५ | ११,९३२ | (-)१.४                               |

आधार: सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

८.२८ अल्पकालीन पीक कर्जाची नियमित परतफेड करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक वर्षाच्या ३० जूनपर्यंत नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत दिले जाते. एका लाखापर्यंत कर्जासाठी तीन टक्के आणि एक लाखापेक्षा जास्त परंतु तीन लाखापेक्षा कमी रकमेच्या कर्जासाठी एक टक्के व्याज सवलत दिली जाते. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १९.८५ लाख लाभार्थ्यांना ₹ २४९.४० कोटी अनुदान देण्यात आले, तर सन २०१८-१९ मध्ये डिसेंबर, २०१८ अखेर ३.६८ लाख लाभार्थ्यांना ₹ १०५.५६ कोटी अनुदान देण्यात आले.

## कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्था

८.२९ सहकारी संस्थांना कृषि प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य शासन अर्थसहाय्य पुरविते. साखर कारखाने, कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणी, सूत गिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय संस्था, भात गिरणी, तेल गिरणी आणि इतर प्रक्रिया संस्था हे कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे घटक आहेत. राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी २५,६३४ कृषि प्रक्रिया संस्था कार्यरत असून त्यांची सभासद संख्या ५३.०९ लाख आहे.

## सहकारी साखर कारखाने

८.२९.१ भारतातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी सर्वाधिक (३६ टक्के) कारखाने राज्यात असून त्या खालोखाल २३ टक्के कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांची माहिती तक्ता ८.१५ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ८.१५ सहकारी साखर कारखान्यांची माहिती

| तपशील                                        | ३१ मार्च रोजी |          |          | २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मधील शेकडा बदल |
|----------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------|
|                                              | २०१६          | २०१७     | २०१८*    |                                      |
| नोंदणीकृत सहकारी कारखाने (संख्या)            | २०२           | १७९      | १७८      | (-)०.६                               |
| उत्पादन चालू असलेले कारखाने (संख्या)         | ९९            | ८७       | १०१      | १६.१                                 |
| सभासद ('००)                                  | २५,५५०        | २६,७७०   | २७,६३३   | ३.२                                  |
| राज्य शासनाचे भाग भांडवल                     | १,२८४.०७      | १,२९९.४७ | १,२९९.४७ | ०.०                                  |
| प्रतिदिन सरासरी गाळप क्षमता (लाख मे. टन)     | ३.५२          | ३.१४     | ३.८५     | २२.६                                 |
| गाळप झालेला ऊस (लाख मे. टन) @                | ४८३.४९        | २६८.२    | ५७३.३५   | ११३.८                                |
| साखर उत्पादन (लाख मे. टन) @                  | ५५.८१         | ३०.६५    | ६५.६९    | ११४.३                                |
| सरासरी उतारा (टक्के)                         | ११.५५         | ११.४३    | ११.४६    | ०.०३                                 |
| उसाची सरासरी किंमत (₹ प्रति मे. टन )         |               |          |          |                                      |
| अ) खरेदी (रास्त व किफायतशीर दर) <sup>§</sup> | २,३००         | २,३००    | २,५५०    | १०.९                                 |
| ब) कारखान्यांनी प्रत्यक्षात अदा केलेली       | २,७३४         | २,७३१    | २,८६९    | ५.१                                  |
| मळी (लाख मे. टन)                             | १९.३६         | १०.७०    | २२.९१    | ११४.१                                |
| कारखान्यांची संख्या                          |               |          |          |                                      |
| अ) आसवनी प्रकल्प असलेल्या                    | ६९            | ६९       | ६९       | ०.०                                  |
| ब) सह-वीज निर्मिती प्रकल्प असलेल्या          | ५१            | ५७       | ५९       | ३.५                                  |
| सह वीज निर्मिती क्षमता (मेगावॅट)             | ९९७.४०        | ११३५.४०  | १२११.९०  | ६.७                                  |
| तोट्यातील कारखाने (संख्या)*                  | १०२           | ११७      | ८०       | (-)३१.६                              |

आधार : साखर आयुक्त, महाराष्ट्र शासन

# प्रतिदिन गाळप क्षमता

@ ऑक्टोबर ते सप्टेंबरकरिता

\$ ९.५ टक्के साखर उतारासाठी

\* अस्थायी



८.२९.२ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ अखेर राज्यात १२,३७६ सहकारी दुग्ध संस्था व ७३ सहकारी दुग्ध संघ होते. सहकारी दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ यांची माहिती तक्ता ८.१६ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ८.१६ सहकारी दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ यांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                                     | ३१ मार्च रोजी       |        |           |                  |          |           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------------|----------|-----------|
|                                           | सहकारी दुग्ध संस्था |        |           | सहकारी दुग्ध संघ |          |           |
|                                           | २०१७                | २०१८*  | शेकडा बदल | २०१७             | २०१८*    | शेकडा बदल |
| संस्था (संख्या)                           | ११,५९७              | १२,३७६ | ६.७       | ७४               | ७३       | (-)१.४    |
| सभासद (लाख)                               | ९.१५                | १०.०५  | ९.८       | १.०५             | १.०२     | (-)२.९    |
| भाग भांडवल                                | १०.७५               | ११.०९  | ३.२       | ८१.७८            | ८०.९७    | (-)१.०    |
| खेळते भांडवल                              | २५.१६               | २६.४१  | ५.०       | ८९.०६            | ८८.१२    | (-)१.१    |
| दूध खरेदी (किंमत)                         | २८५.६०              | २९२.१६ | २.३       | ९८०.४५           | ९८२.२६   | ०.२       |
| दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री (किंमत) | ४३०.५०              | ४३२.७० | ०.५       | १,२१५.२०         | १,२१७.९० | ०.२       |
| तोट्यातील संस्था (संख्या)                 | ४,९२३               | ५,१२२  | ४.०       | २१               | २२       | ४.८       |
| तोटा                                      | ५९.२०               | ६०.०३  | १.४       | ४९.७२            | ५०.२४    | १.०       |

आधार : आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

८.२९.३ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी ८९ कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या सहकारी संस्था होत्या. कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या सहकारी संस्थांची माहिती तक्ता ८.१७ मध्ये दिली आहे.

८.२९.४ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी २८५ सहकारी सूत गिरण्या होत्या. उत्पादन चालू असलेल्या सूत गिरण्यांपैकी सुमारे ८७ टक्के सूत गिरण्या तोट्यात होत्या. सहकारी सूत गिरण्यांची माहिती तक्ता ८.१८ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ८.१७ कापूस पिंजणी व गासड्या बांधणाऱ्या सहकारी संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                        | ३१ मार्च रोजी |       | शेकडा बदल |
|------------------------------|---------------|-------|-----------|
|                              | २०१७          | २०१८* |           |
| संस्था (संख्या)              | ८५            | ८९    | ४.७       |
| पैकी, उत्पादन चालू असलेल्या  | ७३            | ७७    | ५.५       |
| सभासद ('००)                  | ७४२           | ७८३   | ५.५       |
| भाग भांडवल                   | ८.५८          | ८.७६  | २.१       |
| पैकी, राज्य शासनाचे          | १.९८          | २.००  | १.०       |
| खेळते भांडवल                 | ३५.७६         | ३७.१५ | ३.९       |
| पिंजणी केलेला कापूस (मे. टन) | ४२.५९         | ४५.४७ | ६.८       |
| तोट्यातील संस्था (संख्या)    | ४४            | ४५    | २.३       |
| तोटा                         | १.८९          | १.९२  | १.६       |

\* अस्थायी

आधार : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

#### तक्ता ८.१८ सहकारी सूत गिरण्यांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                       | ३१ मार्च रोजी |       | शेकडा बदल |
|-----------------------------|---------------|-------|-----------|
|                             | २०१७          | २०१८* |           |
| गिरण्यांची संख्या           | २८१           | २८५   | १.४       |
| पैकी, उत्पादन चालू असलेल्या | ६७            | ६७    | ०.०       |
| सभासद ('००)                 | ३९.९४         | ४८.९१ | २२.५      |
| भाग भांडवल                  | २,००७         | २,१९० | ९.१       |
| पैकी, राज्य शासनाचे         | १,८०७         | १,८६५ | ३.२       |
| खेळते भांडवल                | ९०९२          | ९१३५  | ०.५       |
| चात्यांची संख्या (लाख)      | १४.७८         | १५.११ | २.२       |
| उत्पादित सूताचे मूल्य       | २,२७५         | २,५८२ | १३.५      |
| तोट्यातील गिरण्या (संख्या)  | ६३            | ५८    | (-)७.९    |
| तोटा                        | १,९७१         | १,८३७ | (-)६.८    |

आधार : वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

८.२९.५ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी ६४४ सहकारी हातमाग व १,५८२ यंत्रमाग संस्था होत्या. सुमारे ६३ टक्के सहकारी हातमाग व ९० टक्के यंत्रमाग संस्था तोट्यात होत्या. सहकारी हातमाग व यंत्रमाग संस्थांची माहिती तक्ता ८.१९ मध्ये दिली आहे.



## तक्ता ८.१९ सहकारी हातमाग व यंत्रमाग संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                   | ३१ मार्च रोजी |        |           |          |          |           |
|-------------------------|---------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
|                         | हातमाग        |        |           | यंत्रमाग |          |           |
|                         | २०१७          | २०१८*  | शेकडा बदल | २०१७     | २०१८*    | शेकडा बदल |
| संस्था (संख्या)         | ६६४           | ६४४    | (-)३.०    | १,४३९    | १,५८२    | ९.९       |
| सभासद ('००)             | ५७९.०७        | ५७०.८० | (-)१.४    | ७२३.४५   | ७७८.०४   | ७.५       |
| भाग भांडवल              | ८.०२          | ७.८३   | (-)२.४    | १६६.९३   | १९२.८३   | १५.५      |
| पैकी, राज्य शासनाचे     | १.७४          | १.७४   | ०.०       | १२८.९    | १३८.४६   | ७.४       |
| खेळते भांडवल            | १.६३          | ५.९७   | २६६.३     | १,००२.८० | १,०७१.८३ | ६.९       |
| मागांची संख्या ('०००)   | ३.६१          | ३.६६   | १.४       | १२.३६    | १४.६३    | १८.४      |
| उत्पादन मूल्य           | ५.७५          | ३७.६१  | ५५४.१     | ६९.४७    | ७३.०३    | ५.१       |
| तोटातील संस्था (संख्या) | ३२६           | ४०५    | २४.२      | १,३०४    | १,४१८    | ८.७       |
| तोटा                    | ६.१०          | ६.३५   | ४.१       | १३.०९    | १७.४२    | ३३.१      |

आधार : वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था

८.३० राज्यात ३१ मार्च २०१८ अखेर ३,०३८ प्राथमिक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत होत्या. त्याव्यतिरिक्त ३६ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ आणि दोन महासंघ होते. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची माहिती तक्ता ८.२० मध्ये दिली आहे.

## सहकारी पणन संस्था

८.३१ सहकारी पणन संस्थांची संरचना त्रिस्तरीय आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. ही शिखर संस्था असून जिल्हास्तरावर जिल्हा सहकारी पणन संस्था तर ग्रामस्तरावर प्राथमिक सहकारी पणन संस्था कार्यरत आहेत. सहकारी पणन संस्थांची माहिती तक्ता ८.२१ मध्ये दिली आहे.

## बिगर कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्था

८.३२ राज्यात ३१ मार्च २०१८ अखेर २०,६६८ बिगर कृषि पतसंस्थांपैकी १३,५६४ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था, ६,६२२ वेतनधारकांच्या सहकारी पतपुरवठा संस्था व ४८२ नागरी सहकारी बँका होत्या. सुमारे २२.१ टक्के बिगर कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्था तोट्यात आणि २३ टक्के नागरी सहकारी बँका अवसायनात आहेत. बिगर कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांची माहिती तक्ता ८.२२ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.२० मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                        | ३१ मार्च रोजी |        | शेकडा बदल |
|------------------------------|---------------|--------|-----------|
|                              | २०१७          | २०१८*  |           |
| संस्था (संख्या)              | ३,२६३         | ३,०३८  | (-)६.९    |
| सभासद (लाख)                  | ३.३७          | ३.०३   | (-)१०.१   |
| भाग भांडवल                   | ७६.८६         | ६७.१७  | (-)१२.६   |
| पैकी, राज्य शासनाचे          | ६६.१७         | ५१.५५  | (-)२२.१   |
| खेळते भांडवल                 | २६७.१०        | २४०.३९ | (-)१०.०   |
| मासे व मत्स्य उत्पादन विक्री | ७५१.५१        | ६७१.३५ | (-)१०.७   |
| तोटातील संस्था (संख्या)      | १,१५०         | १,०३६  | (-)९.९    |
| तोटा                         | ४५.१५         | ४९.२२  | ९.०       |

आधार : आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## तक्ता ८.२१ सहकारी पणन संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                   | ३१ मार्च रोजी |       | शेकडा बदल |
|-------------------------|---------------|-------|-----------|
|                         | २०१७          | २०१८* |           |
| संस्था (संख्या)         | १,२०७         | १,२२१ | १.२       |
| सभासद (लाख)             | १०.०६         | ११.७५ | १६.८      |
| भाग भांडवल              | ८६            | ८३    | (-)३.५    |
| पैकी, राज्य शासनाचे     | २८            | २६    | (-)७.१    |
| खेळते भांडवल            | १,११९         | २,६१३ | १३३.५     |
| विक्री                  |               |       |           |
| (अ) शेतमाल              | २,८६८         | १,६३९ | (-)४२.९   |
| (ब) खते                 | ७४१           | ६७८   | (-)८.५    |
| (क) बियाणे              | ७७            | ७५    | (-)२.६    |
| (ड) ग्राहकोपयोगी वस्तू  | २९४           | २०९   | (-)२८.९   |
| तोटातील संस्था (संख्या) | ३९२           | ४३९   | १२.०      |
| तोटा                    | १४            | १५.७  | १२.१      |

आधार : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## तक्ता ८.२२ बिगर कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                     | ३१ मार्च रोजी |          | शेकडा बदल |
|---------------------------|---------------|----------|-----------|
|                           | २०१७          | २०१८*    |           |
| संस्था (संख्या)           | २०,४६५        | २०,६६८   | १.०       |
| सभासद (लाख)               | २५९.१९        | २३८.५२   | (-)८.०    |
| ठेवी                      | ८९,४०३        | ८७,०२४   | (-)२.७    |
| स्वनिधी                   | २२,८६६        | २१,०५९   | (-)७.९    |
| भाग भांडवल                | ८,५६८         | ७,९९१    | (-)६.७    |
| पैकी, राज्य शासनाचे       | १.१०          | १.०९     | (-)०.९    |
| खेळते भांडवल              | १,७७,०६५      | १,६२,८०६ | (-)८.१    |
| वितरीत कर्ज               | ७२,१९१        | ६७,९१३   | (-)५.९    |
| येणे कर्ज                 | ६५,६८४        | ६४,६३३   | (-)१.६    |
| कजे वसुली                 | ६१,९३७        | ६१,७२९   | (-)०.३    |
| थकीत कर्ज                 | ८,६२०         | ८,०९६    | (-)६.१    |
| तोड्यातील संस्था (संख्या) | ४,६७२         | ४,५६९    | (-)२.२    |
| तोटा                      | १,७३६         | १,६०६    | (-)७.५    |

आधार : सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## इतर सहकारी संस्था

८.३३ राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी १,०३,८९८ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मध्ये सभासद संख्या ३०.६९ लाख होती. तसेच १०,९२५ मजूर कंत्राटी संस्था असून सभासद संख्या ५.२७ लाख होती. एकूण २४३ श्रमिक वन संस्था असून ६६,५६५ सदस्य होते.

## महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्यादित

८.३४ महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्यादित ही राज्यातील गृहनिर्माण पतपुरवठा करणारी मध्यवर्ती संस्था आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्यादित संस्थेची माहिती तक्ता ८.२३ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.२३ महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ मर्यादित संस्थेची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील          | ३१ मार्च रोजी |        | शेकडा बदल |
|----------------|---------------|--------|-----------|
|                | २०१७          | २०१८*  |           |
| सभासद (संख्या) | १०,३४९        | १०,३३३ | (-)०.२    |
| खेळते भांडवल   | ८६.७१         | ८२.६६  | (-)४.७    |
| वितरीत कर्ज    | ६४४           | ६४४    | ०.०       |
| येणे कर्ज      | ५३.१२         | ५०.०१  | (-)५.९    |
| कर्ज वसुली     | ८.७२          | ४.८९   | (-)४३.९   |
| थकीत कर्ज      | २२.४५         | १९.८१  | (-)११.८   |

आधार : महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित

\* अस्थायी

## सहकारी ग्राहक भांडारे

८.३५ महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ ही शिखर संस्था असून ती जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या घाऊक ग्राहक भांडारांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवते. ही घाऊक ग्राहक भांडारे गाव पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक ग्राहक भांडारांना माल वितरीत करतात. राज्यात ३१ मार्च, २०१८ रोजी शिखर ग्राहक महासंघाव्यतिरिक्त १२३ घाऊक ग्राहक भांडारे व १,६६३ प्राथमिक ग्राहक भांडारे कार्यरत होती. ग्राहक महासंघ, घाऊक व प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारांची माहिती तक्ता ८.२४ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.२४ ग्राहक महासंघ, घाऊक व प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारांची माहिती

(₹ कोटी)

| तपशील                           | ३१ मार्च रोजी |       |                    |       |                        |        |
|---------------------------------|---------------|-------|--------------------|-------|------------------------|--------|
|                                 | ग्राहक महासंघ |       | घाऊक ग्राहक भांडार |       | प्राथमिक ग्राहक भांडार |        |
|                                 | २०१७          | २०१८* | २०१७               | २०१८* | २०१७                   | २०१८*  |
| संख्या                          | १             | १     | १२६                | १२३   | १,६५३                  | १,६६३  |
| सभासद ('००)                     | ६             | ६     | ३,१४४              | २,९४६ | ११,९११                 | ११,१०९ |
| भाग भांडवल                      | ०.५१          | ०.५१  | १६.८०              | १४.१८ | ६२.९३                  | ५१.११  |
| पैकी, राज्य शासनाने             | -             | -     | २.६४               | २.५०  | १.७८                   | १.६४   |
| तोटा                            | ०.२७          | ०.४७  | २.६२               | २.९९  | ९.५५                   | ७.३९   |
| तोटातील ग्राहक भांडारे (संख्या) | -             | -     | ६०                 | ६६    | ६४३                    | ६०२    |

आधार: सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय व महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक संघ लि., मुंबई

\* अस्थायी

## परवानाधारक सावकार

८.३६ कृषि व बिगर कृषि पतपुरवठा संस्थांव्यतिरिक्त परवानाधारक सावकारांना, वैयक्तिक कर्जाचे वाटप करण्यास राज्य शासनाने अनुमती दिली आहे. यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालयामार्फत परवाने दिले जातात. परवानाधारक सावकारांची माहिती तक्ता ८.२५ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ८.२५ परवानाधारक सावकारांची माहिती

(संख्या)

| तपशील                     | ३१ मार्च रोजी |          | शेकडा बदल |
|---------------------------|---------------|----------|-----------|
|                           | २०१७          | २०१८*    |           |
| परवाना धारक               | १२,२१४        | १२,२२८   | ०.१       |
| कर्जदारांची संख्या        | १०,९५,७०१     | ८,६४,४५५ | (-)२१.१   |
| वाटप केलेले कर्ज (₹ कोटी) | १,६१४.७६      | १,२३७.३२ | (-)२३.४   |

\* अस्थायी

आधार: सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* \* \* \* \*

**परिशिष्ट ८.१**  
**राज्यातील उद्योगांच्या महत्त्वाच्या बाबी**  
**(वार्षिक उद्योग पाहणीवर आधारीत)**

(₹ कोटी)

| कार्य<br>(दोन अंकी)<br>राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण<br>२००८<br>(१)                     | वर्ष<br>(२) | उद्योगांची<br>संख्या<br>(३) | स्थिर<br>भांडवल<br>(४) | खेळते<br>भांडवल<br>(५) | कामगारांचे<br>वेतन<br>(६) | एकूण<br>उत्पादन<br>(७) | वापरलेला<br>माल<br>(८) | एकूण<br>निविष्टी<br>(९) | निव्वळ<br>मूल्यवृद्धी<br>(१०) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| (१) कापूस पिंजणी, सफाई<br>इत्यादी (०१)                                                | २०१५-१६     | ६३७                         | ९८५                    | १,७७९                  | ४९                        | १५,४७५                 | ९,१५५                  | १२,९००                  | २,४७५                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ७०५                         | १,४०६                  | ३,०१०                  | १०९                       | १९,२१९                 | १३,९८२                 | १७,५६४                  | १,५११                         |
| (२) मीठ उत्पादन (०८)                                                                  | २०१५-१६     | ३८                          | १०                     | २२                     | ५                         | १३                     | २                      | ७                       | ६                             |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ३७                          | १                      | २                      | १                         | ३                      | ०                      | १                       | २                             |
| (३) खाद्य उत्पादने व पेये (१०, ११)                                                    | २०१५-१६     | ३,०३२                       | ४१,०४१                 | ८,५५०                  | २,४२६                     | १,३७,००९               | ९१,९४६                 | १,१७,६४४                | १६,२८३                        |
|                                                                                       | २०१६-१७     | २,८०८                       | ४०,८०१                 | १०,१०४                 | २,४०८                     | १,२६,९२५               | ८३,८२६                 | १,०५,९८०                | १७,८३६                        |
| (४) तंबाखू उत्पादने (१२)                                                              | २०१५-१६     | ८८                          | १,१६१                  | ९२४                    | २०२                       | ४,८५४                  | १,३११                  | १,६१२                   | २,९८५                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ९२                          | २,२४४                  | ८६२                    | १७९                       | ४,३००                  | १,३८७                  | १,५९१                   | २,५७५                         |
| (५) वस्त्रे (१३)                                                                      | २०१५-१६     | १,८८७                       | १५,७४८                 | (-) २,१४९              | १,८२७                     | ३९,४४२                 | २२,२९१                 | ३२,२२९                  | ५,७४५                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १,८२१                       | १५,३९८                 | २,२०७                  | १,८७६                     | ४१,०४३                 | २२,४४५                 | ३२,८२७                  | ६,६८४                         |
| (६) वस्त्र प्रावरणे (१४)                                                              | २०१५-१६     | १,०५४                       | २,०८४                  | ३,५३५                  | ५३६                       | १४,६०६                 | ४,२७९                  | ११,४३१                  | २,९२६                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १,०३८                       | १,९५६                  | १,३३०                  | ४२१                       | ७,२७५                  | २,५६३                  | ५,६३४                   | १,४६८                         |
| (७) चामडे व त्यासंबंधित<br>उत्पादने (१५)                                              | २०१५-१६     | ११७                         | १४३                    | १८३                    | ४९                        | ८९२                    | ४४२                    | ६४७                     | २२८                           |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १२३                         | १९२                    | २५४                    | ६६                        | १,०३६                  | ५६०                    | ७९२                     | २२२                           |
| (८) लाकूड व लाकडाची उत्पादने<br>आणि बूच (फर्निचर वगळून) (१६)                          | २०१५-१६     | २२९                         | ४८३                    | २०१                    | २६                        | १,३९९                  | ९९८                    | १,२१५                   | १४१                           |
|                                                                                       | २०१६-१७     | २२८                         | ३९९                    | १३१                    | ३७                        | १,०९९                  | ७०९                    | ८९४                     | १७३                           |
| (९) कागद व कागदाची उत्पादने (१७)                                                      | २०१५-१६     | ८९३                         | ८,३२८                  | १,६३४                  | ३४७                       | १५,८२०                 | ८,९८२                  | १२,७२८                  | २,५७८                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ८५१                         | ८,६००                  | १,४०५                  | ४०४                       | १४,९३४                 | ८,३९२                  | १२,३८१                  | १,९८३                         |
| (१०) छपाई व मुद्रित माध्यमांचे<br>पुनरुत्पादन (१८)                                    | २०१५-१६     | ९६०                         | ३,५०२                  | ६५२                    | ४६०                       | ११,०२६                 | ४,३२३                  | ७,१३७                   | ३,४३०                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ८६४                         | ४,३९८                  | (-) ३८५                | ३९०                       | ८,८६३                  | ३,९०२                  | ६,२३१                   | २,२१३                         |
| (११) कोळसा, शुद्ध पेट्रोलियम<br>यांची उत्पादने (१९)                                   | २०१५-१६     | २०२                         | १७,००६                 | (-) ४,०२७              | ६६२                       | १,३१,५५४               | ६७,२८७                 | ८९,६६३                  | ४०,०१५                        |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १८६                         | १७,९०८                 | (-) १२,६३४             | ६६५                       | १,२४,६१६               | ७२,७६३                 | ७७,४५९                  | ४५,७२७                        |
| (१२) रसायने व रासायनिक उत्पादने,<br>औषध, वैद्यकीय रसायने व<br>जैविक उत्पादने (२०, २१) | २०१५-१६     | २,७००                       | ४३,७७३                 | ३६,५१२                 | २,९७६                     | १,६८,४५३               | ८०,६४७                 | १,२४,८८२                | ३९,६०२                        |
|                                                                                       | २०१६-१७     | २,६२२                       | ४७,५२७                 | २३,२६९                 | ३,२१५                     | १,४१,२०४               | ७१,६०५                 | १,०२,२७०                | ३४,५९९                        |
| (१३) रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने (२२)                                                  | २०१५-१६     | १,८५२                       | १४,९१६                 | १७,१९८                 | १,१६१                     | ४०,६३२                 | २४,७६३                 | ३२,२२७                  | ७,०२०                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १,७४५                       | १७,७४६                 | १९,८२९                 | १,७४७                     | ५०,६५१                 | ३०,१७३                 | ३९,११८                  | ९,९४२                         |
| (१४) इतर अधातू खनिज उत्पादने (२३)                                                     | २०१५-१६     | ९७४                         | ११,७२७                 | १,०१,५७८               | ४५३                       | १९,०९६                 | ७,३६८                  | १४,०२८                  | ४,११८                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | ९१५                         | १०,४३३                 | १,००,३७९               | ६८५                       | २१,१६२                 | ७,५००                  | १४,६२८                  | ५,४८६                         |
| (१५) मूलभूत धातू (२४)                                                                 | २०१५-१६     | १,४४४                       | ४९,२३५                 | ७,९७७                  | १,८८६                     | १,१५,४००               | ७५,६१३                 | १,०४,६४१                | ७,५६१                         |
|                                                                                       | २०१६-१७     | १,२८५                       | ४७,३९६                 | (-) १७३                | १,८२५                     | १,०८,६५३               | ७०,२६७                 | ९५,८९६                  | ९,४६७                         |

(पुढे चालू)

## परिशिष्ट ८.१ (समाप्त)

| कार्य<br>(दोन अंकी)<br>राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण<br>२००८ | वर्ष    | उद्योगांची<br>संख्या | स्थिर<br>भांडवल | खेळते<br>भांडवल | कामगारांचे<br>वेतन | एकूण<br>उत्पादन | वापरलेला<br>माल | एकूण<br>निविष्टी | निव्वळ<br>मूल्यवृद्धी |
|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| (१)                                                        | (२)     | (३)                  | (४)             | (५)             | (६)                | (७)             | (८)             | (९)              | (१०)                  |
| (१६) धातूच्या वस्तूंची उत्पादने                            | २०१५-१६ | ३,५३७                | १८,६२८          | ११,१४१          | १,८०५              | ५२,७९३          | ३०,७४२          | ४१,३१४           | ९,८९८                 |
| यंत्रे व यंत्रसामग्री वगळून (२५)                           | २०१६-१७ | ३,४५०                | १३,९६१          | ४,९६९           | १,८२२              | ४३,०७१          | २४,७३८          | ३३,११२           | ८,५६३                 |
| (१७) संगणक, विद्युत आणि                                    | २०१५-१६ | ५०७                  | ८,०९७           | ९,३६७           | ५४८                | २१,३०४          | ११,३४१          | १६,९३३           | ३,९२९                 |
| ऑप्टिकल उत्पादने (२६)                                      | २०१६-१७ | ४३१                  | ३,२०९           | ५,६३९           | ४८८                | १९,९७५          | ११,६२३          | १५,४२८           | ४,१४३                 |
| (१८) विद्युत सामग्री (२७)                                  | २०१५-१६ | १,३३४                | १३,५५६          | ६,६९६           | १,१००              | ५०,१५७          | २९,७७९          | ३७,७५२           | १०,९६९                |
|                                                            | २०१६-१७ | १,४३२                | ११,०९५          | ८,४२८           | १,२९४              | ५५,८०७          | ३२,९९८          | ४२,७५६           | ११,६६१                |
| (१९) यंत्रे व यंत्रसामग्री (इतरत्र                         | २०१५-१६ | २,२३२                | २४,१५५          | १८,५६४          | २,५५७              | ८९,९८०          | ४२,७४३          | ६४,२६२           | २३,०७५                |
| वर्गीकृत नसलेले), दुरुस्ती                                 | २०१६-१७ | २,१५०                | २५,७०८          | १३,१४७          | २,६६०              | ७३,३१६          | ३९,३८५          | ५४,५७८           | १५,८८६                |
| आणि यंत्र व यंत्रसामग्री                                   |         |                      |                 |                 |                    |                 |                 |                  |                       |
| उभारणी (२८,३३)                                             |         |                      |                 |                 |                    |                 |                 |                  |                       |
| (२०) मोटार वाहने, ट्रेलर्स व                               | २०१५-१६ | १,३७८                | ३७,०८४          | (-) १,२३३       | ३,०६६              | १,२१,५४८        | ७२,९४२          | ९९,२५९           | १७,६९८                |
| निम ट्रेलर्स (२९)                                          | २०१६-१७ | १,४०४                | ३८,३७१          | ३,५४१           | ३,१८८              | १,१७,१०३        | ७१,२२९          | ९६,६५१           | १५,९७६                |
| (२१) इतर परिवहन सामग्री (३०)                               | २०१५-१६ | ३६२                  | ७,३०६           | ९६७             | ७३६                | ३५,९४४          | २३,७०८          | २७,८९५           | ७,२१०                 |
|                                                            | २०१६-१७ | ३५१                  | ८,०३०           | ७२९             | ८६०                | ३२,८६१          | २०,८५६          | २४,३७१           | ७,५९२                 |
| (२२) फर्निचर उत्पादने व इतर                                | २०१५-१६ | १,३०९                | ३,९६६           | ९,९१०           | ८४६                | ४५,८५७          | ३३,४०१          | ४०,२३१           | ५,१२८                 |
| वस्तुनिर्माण (३१,३२)                                       | २०१६-१७ | १,२५१                | ४,५६१           | १५,०८९          | ९५४                | ३७,१६९          | २६,२३४          | ३१,५१६           | ५,१३६                 |
| (२३) इतर (टाकाऊ वस्तुंचे संचयन,                            | २०१५-१६ | १,४४५                | २३,२४१          | २,३५२           | ५७९                | ३४,७६२          | ६,०५९           | २८,९०५           | ४,२३६                 |
| प्रक्रिया व विल्हेवाट संबंधी                               | २०१६-१७ | १,२२१                | १६,६४२          | १,४२५           | ५४०                | २४,६८६          | ४,३४३           | २१,१४०           | ४६                    |
| कार्य, वस्तुंचा पुनर्वापर,                                 |         |                      |                 |                 |                    |                 |                 |                  |                       |
| प्रकाशन कार्य, इतर उद्योग)                                 |         |                      |                 |                 |                    |                 |                 |                  |                       |
| (३८,५८, इतर)                                               |         |                      |                 |                 |                    |                 |                 |                  |                       |
| एकूण                                                       | २०१५-१६ | २८,२१०               | ३,४६,१७५        | २,३२,३३४        | २४,२९९             | ११,६८,०१७       | ६,५०,१२१        | ९,१९,५४१         | २,१७,२५९              |
|                                                            | २०१६-१७ | २७,०१०               | ३,३७,९८२        | २,०२,५५७        | २५,८३५             | १०,७४,९७०       | ६,२१,४८०        | ८,३२,८१९         | २,०८,८००              |

आधार- वार्षिक उद्योग पाहणी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

**परिशिष्ट ८.२**  
**भारतातील औद्योगिक उत्पादनांचे निर्देशांक**

(पायाभूत वर्ष २०११-१२=१००)

| अ.क्र.<br>(१) | बाब<br>(२)                                                                                      | भार<br>(३)    | २०१२-१३<br>(४) | २०१३-१४<br>(५) | २०१४-१५<br>(६) | २०१५-१६<br>(७) | २०१६-१७<br>(८) | २०१७-१८<br>(९) | २०१८-१९<br>(१०) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I</b>      | <b>सर्वसाधारण निर्देशांक</b>                                                                    | <b>१००.००</b> | <b>१०३.३</b>   | <b>१०६.७</b>   | <b>१११.०</b>   | <b>११४.७</b>   | <b>१२०.०</b>   | <b>१२५.३</b>   | <b>१२९.८</b>    |
| <b>II</b>     | <b>खाणकाम</b>                                                                                   | <b>१४.३७</b>  | <b>१४.७</b>    | <b>१४.६</b>    | <b>१३.३</b>    | <b>१७.३</b>    | <b>१०२.५</b>   | <b>१०४.९</b>   | <b>१०७.९</b>    |
| <b>III</b>    | <b>वस्तुनिर्माण</b>                                                                             | <b>७७.६३</b>  | <b>१०४.८</b>   | <b>१०८.६</b>   | <b>११२.७</b>   | <b>११५.९</b>   | <b>१२१.०</b>   | <b>१२६.६</b>   | <b>१३१.०</b>    |
|               | <b>उद्योग गट</b>                                                                                |               |                |                |                |                |                |                |                 |
| १             | खाद्य उत्पादने                                                                                  | ५.३०          | १०३.३          | १०४.६          | ११०.९          | १०४.७          | ९८.९           | १०८.१          | १२१.१           |
| २             | पेय                                                                                             | १.०४          | १०६.७          | १०४.८          | १०८.२          | १०९.७          | १०६.३          | १०५.४          | १०८.७           |
| ३             | तंबाखू उत्पादने                                                                                 | ०.८०          | १०७.५          | ११६.४          | १३१.१          | १३६.३          | ११५.९          | ९५.१           | ९३.९            |
| ४             | कापड उत्पादने                                                                                   | ३.२९          | १०८.०          | ११२.६          | ११६.९          | ११९.४          | ११७.४          | ११७.१          | ११८.४           |
| ५             | वस्त्रप्रावरणे                                                                                  | १.३२          | ९९.०           | ११४.८          | ११४.४          | १३१.०          | १५१.७          | १३७.५          | १५२.३           |
| ६             | चामडे व संबंधित उत्पादने                                                                        | ०.५०          | ११०.६          | ११३.०          | १२३.०          | १२३.६          | १२२.३          | १२३.९          | १२४.७           |
| ७             | लाकड व लाकडाची उत्पादने आणि बूच (फर्निचर वगळता), काड्यापासून बनविलेल्या व मुलामा दिलेल्या वस्तु | ०.१९          | ९७.०           | ९४.६           | ९५.३           | ९७.५           | ९३.१           | ९२.४           | १०४.०           |
| ८             | कागद आणि कागदाची उत्पादने                                                                       | ०.८७          | १०३.३          | ११४.२          | ११५.१          | ११६.५          | ११४.०          | १०८.९          | १०४.२           |
| ९             | छपाई आणि प्रसार माध्यमे यांची प्रतिलिपी नोंद ठेवणे                                              | ०.६८          | ९६.८           | १०५.८          | १००.०          | १०३.८          | १०६.०          | ९९.७           | ९७.७            |
| १०            | कोळसा आणि शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने                                                             | ११.७७         | १०५.९          | १०८.०          | १०८.६          | ११३.७          | ११९.१          | १२३.५          | १२६.७           |
| ११            | रसायने व रासायनिक उत्पादने                                                                      | ७.८७          | १०३.९          | १०८.८          | १०९.२          | ११३.७          | ११६.५          | ११६.१          | ११८.८           |
| १२            | औषध, वैद्यकीय रसायने व जैविक उत्पादने                                                           | ४.९८          | १०८.१          | ११४.३          | ११६.९          | १३२.१          | १७२.३          | २१२.१          | २१५.०           |
| १३            | रबर आणि प्लॅस्टिक उत्पादने                                                                      | २.४२          | १०१.०          | ११२.४          | ११७.७          | ११८.३          | १२०.५          | ११०.६          | १०८.०           |
| १४            | अधातू खनिज उत्पादने                                                                             | ४.०९          | १०२.९          | १०३.१          | १०८.२          | ११०.४          | १०९.९          | ११३.९          | १२३.६           |
| १५            | मूलभूत धातू                                                                                     | १२.८०         | १०७.८          | ११२.५          | १२३.५          | १२४.३          | १३०.६          | १३८.०          | १४१.३           |
| १६            | धातूंच्या वस्तुंची उत्पादने (यंत्र व सामग्री वगळून)                                             | २.६५          | ९७.०           | १०१.५          | १०५.९          | १०३.४          | १०५.५          | १०७.९          | १०६.४           |
| १७            | संगणक, विद्युत आणि ऑप्टिकल उत्पादने                                                             | १.५७          | १००.६          | ११५.२          | ११७.६          | १२३.६          | १२६.७          | १४८.५          | १६८.५           |
| १८            | विद्युत सामग्री                                                                                 | ३.००          | ११३.०          | ११७.४          | १२२.०          | १२८.४          | १२२.६          | १०७.४          | ११०.०           |
| १९            | यंत्रे व यंत्रसामग्री, इतरत्र वर्गीकृत नसलेले                                                   | ४.७७          | १०२.९          | १०३.३          | १०२.६          | १०५.९          | ११४.१          | १२०.५          | १२३.४           |
| २०            | मोटर वाहने, ट्रेलर्स आणि सेमी ट्रेलर्स                                                          | ४.८६          | १००.१          | ९९.१           | १०२.६          | १०१.१          | १०१.७          | ११४.५          | १२२.८           |
| २१            | इतर परिवहन सामग्री                                                                              | १.७८          | ९९.२           | १०३.५          | ११०.०          | ११२.५          | ११७.५          | १३३.९          | १४५.७           |
| २२            | फर्निचर                                                                                         | ०.१३          | ११२.९          | १२५.४          | ११५.६          | १६३.९          | १७६.२          | १९६.६          | २११.४           |
| २३            | इतर वस्तुनिर्माण                                                                                | ०.९४          | ११३.१          | १०५.२          | १०५.७          | ११९.९          | १२५.६          | १०६.२          | ९२.९            |
| <b>IV</b>     | <b>वीज</b>                                                                                      | <b>७.९९</b>   | <b>१०४.०</b>   | <b>११०.३</b>   | <b>१२६.६</b>   | <b>१३३.८</b>   | <b>१४१.६</b>   | <b>१४९.२</b>   | <b>१५६.९</b>    |

आधार - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

## परिशिष्ट ८.३

## राज्यातील खनिजांचे उत्पादन

(उत्पादन: '००० टनात)

(मूल्य: ₹ लाख)

| अ. क्र. | खनिज पदार्थ         | उत्पादन / मूल्य | १९६१ <sup>\$</sup> | १९७१ <sup>\$</sup> | १९८०-८१ | १९९०-९१ | २०००-०१  | २०१०-११  | २०१७-१८  |
|---------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| (१)     | (२)                 | (३)             | (४)                | (५)                | (६)     | (७)     | (८)      | (९)      | (१०)     |
| १       | मीठ                 | उत्पादन         | ३८४                | ४७२                | ५४०     | २२९     | १४८      | १८०      | १३०      |
| २       | कोळसा               | उत्पादन         | ८५६                | २,०८५              | ५,७७०   | १६,८४८  | २८,७५४   | ३६,९३२   | ४२,२१८   |
|         |                     | मूल्य           | १८६                | ७४५                | ६,६८१   | ४७,२४४  | २,१०,१९२ | ५,०८,२४९ | ७,०३,५३४ |
| ३       | क्रोमाईट            | उत्पादन         | १                  | ३                  | २       | --      | ०.६      | --       | --       |
|         |                     | मूल्य           | १                  | ५                  | ५       | --      | ८        | --       | --       |
| ४       | कच्चे लोखंड         | उत्पादन         | ३६२                | ६१३                | १,४५६   | ६४५     | २२       | १,०१८    | ७९१      |
|         |                     | मूल्य           | ५१                 | ६९                 | ६५७     | ३८४     | ३१       | ७,१५४    | १२,६६२   |
| ५       | चुनखडी              | उत्पादन         | ५५                 | ३६३                | ७१५     | ५,१३५   | ६,०६६    | १०,४३१   | १४,१५०   |
|         |                     | मूल्य           | २                  | ३३                 | १६३     | १,९६८   | ५,२६६    | १५,६४७   | ४१,४५९   |
| ६       | कच्चे मँगनीज        | उत्पादन         | १७९                | २१८                | २३२     | २७६     | ३६३      | ५८९      | ७२९      |
|         |                     | मूल्य           | २०६                | १४८                | ५५३     | १,६१५   | ६,२८०    | ५४,१०९   | ५४,१४५   |
| ७       | केओलिन (नैसर्गिक)   | उत्पादन         | २                  | ३                  | ५       | ३       | ०.२      | --       | --       |
|         |                     | मूल्य           | ०.१३               | ०.१६               | १       | १       | ०.२९     | --       | --       |
| ८       | बॉक्साईट            | उत्पादन         | २७                 | ३०२                | ३६५     | ५४३     | १,०२७    | २,४९२    | २,१८१    |
|         |                     | मूल्य           | २                  | २१                 | १३७     | ४४३     | १,७०५    | ४,५८५    | ९,४१७    |
| ९       | डोलोमाईट            | उत्पादन         | ६                  | ५                  | २७      | २८      | ६५       | ७९       | --       |
|         |                     | मूल्य           | ०.३८               | १                  | ८       | २७      | १४५      | ७१       | --       |
| १०      | सिलिका सॅंड         | उत्पादन         | ५                  | २७                 | ८९      | १९७     | १६८      | ३२७      | --       |
|         |                     | मूल्य           | ०.३४               | ३                  | ३       | ८७      | २२८      | ९८२      | --       |
| ११      | फ्लोराईट (ग्रेडेड)  | उत्पादन         | --                 | --                 | --      | ३       | ३        | २८४      | १        |
|         |                     | मूल्य           | --                 | --                 | --      | --      | २४       | १२,४५७   | १३०      |
| १२      | लॅटेराईट            | उत्पादन         | --                 | --                 | --      | ८५      | ८३       | ४९       | --       |
|         |                     | मूल्य           | --                 | --                 | --      | ७६      | १०७      | ५८       | --       |
| १३      | कायनाईट             | उत्पादन         | --                 | ५                  | २२      | १५      | ०.२      | ३        | ८        |
|         |                     | मूल्य           | --                 | ११                 | ५३      | ८५      | १        | २४       | ३५       |
| १४      | इतर <sup>\$\$</sup> | उत्पादन         | --                 | ४                  | ५४४     | ९१२     | ३०६      | ४,०३४    | ६०४      |
|         |                     | मूल्य           | --                 | ०.३६               | २७      | १९६     | ४९       | ५,२५८    | ६०२      |

आधार - (१) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर

(२) सहाय्यक मीठ आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई (फक्त मीठाकरिता).

\$ आकडे कॅलेंडर वर्षाकरिता आहेत.

\$\$ सॅन्ड स्टोव्हिंग व सिलीमानाईट हे इतर खनिजांमध्ये अंतर्भूत आहेत.

**परिशिष्ट ८.४**  
**राज्यातील सहकारी संस्थांचा तपशील**

| बाब<br>(१)                                                     | १९७०-७१<br>(२)      | १९८०-८१<br>(३) | १९९०-९१<br>(४)  | २०००-०१<br>(५)  | २०१०-११<br>(६)  | २०१५-१६<br>(७)  | २०१६-१७<br>(८)  | २०१७-१८*<br>(९) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>१. सहकारी संस्थांची संख्या</b>                              |                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था                 | २९                  | ३१             | ३४              | ३४              | ३४              | ३४              | ३४              | ३४              |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                                     | २०,४२० <sup>९</sup> | १८,५७७         | १९,५६५          | २०,५५१          | २१,४५१          | २१,१०२          | २१,०८९          | २१,१०२          |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                         | २,९६४               | ५,४७४          | ११,२९१          | २२,०१४          | २३,४३४          | २०,८०५          | २०,४६५          | २०,६६८          |
| (४) पणन संस्था                                                 | ४१०                 | ४२३            | ९३१             | १,११५           | १,७१९           | १,१८३           | १,२०७           | १,२२१           |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम <sup>@</sup>                       | ६,८१०               | १४,३२७         | २८,९५४          | ३९,०७०          | ४८,८४८          | २७,४१२          | २५,३४४          | २५,६३४          |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था <sup>@</sup>              | ११,९६४              | २१,९१५         | ४३,८४५          | ७५,२३२          | १,२८,७६०        | १,२६,३७१        | १,२७,१६२        | १,२९,५९३        |
| <b>एकूण</b>                                                    | <b>४२,५९७</b>       | <b>६०,७४७</b>  | <b>१,०४,६२०</b> | <b>१,५८,०१६</b> | <b>२,२४,३०६</b> | <b>१,९६,९०७</b> | <b>१,९५,३०१</b> | <b>१,९८,२५२</b> |
| <b>२. सभासदांची संख्या ('०००)</b>                              |                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था <sup>\$\$</sup> | ७०                  | १,०१४          | १,४८५           | १,३७१           | २४७             | २०९             | २११             | २१३             |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                                     | ३,७९४               | ५,४१६          | ७,९४२           | १०,१२५          | १५,००१          | १५,९२२          | १५,३९७          | १५,०४९          |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                         | २,४३८               | ३,७५९          | ९,३०२           | १८,४६७          | २१,६१८          | २३,७०६          | २५,९१९          | २३,८५३          |
| (४) पणन संस्था                                                 | २८२                 | ४७१            | ७४५             | ८४०             | १,३३७           | १,२१४           | १,००५           | १,१७५           |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम                                    | ९५९                 | २,१२४          | ३,९७४           | ६,३३९           | ८,०१०           | ५,५९४           | ५,७२१           | ५,३०९           |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था                           | १,०३८               | १,९९९          | ३,४५५           | ५,८८०           | ६,८०९           | ६,३८५           | ६,३८८           | ६,१२२           |
| <b>एकूण</b>                                                    | <b>८,५८१</b>        | <b>१४,७८३</b>  | <b>२६,९०३</b>   | <b>४३,०२२</b>   | <b>५३,०२२</b>   | <b>५३,०३०</b>   | <b>५४,६४१</b>   | <b>५१,७२१</b>   |
| <b>३. खेळते भांडवल (₹ कोटी)</b>                                |                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था                 | ६१३                 | १,८३१          | ८,८०६           | ३९,२६७          | ८९,७१९          | १,१६,९१६        | १,३२,८०४        | १,२९,१०९        |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                                     | ३४३                 | ५२७            | १,८५१           | ६,९८८           | १८,९८७          | १९,२६५          | १९,३९३          | १८,९१०          |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                         | १६८                 | १,२०९          | ७,५०८           | ६६,८८७          | १,०४,८१४        | १,६७,९४४        | १,७७,०६५        | १,६२,८०७        |
| (४) पणन संस्था                                                 | ३९                  | १८८            | ३४०             | १,५१८           | १,३००           | १,१२०           | १,११९           | २,६१३           |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम                                    | २१९                 | १,०२९          | ४,५८८           | १३,२८८          | २८,७१७          | ४९,२९२          | ४४,०६२          | ४४,३३०          |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था                           | १०७                 | ४२६            | १,१९१           | ६,४९२           | ४,८९७           | ८,७१९           | ८,७९३           | ७,९२८           |
| <b>एकूण</b>                                                    | <b>१,४८९</b>        | <b>५,२१०</b>   | <b>२४,२८४</b>   | <b>१,३४,४४०</b> | <b>२,४८,४३४</b> | <b>३,६३,२५६</b> | <b>३,८३,२३६</b> | <b>३,६५,६९७</b> |
| <b>४. स्थूल कर्ज (₹ कोटी)</b>                                  |                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था                 | ७५१                 | १,५२८          | ९,०८५           | २८,७०९          | ४०,४३६          | ५८,९९६          | ५९,५३३          | ४१,४८८          |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                                     | १३३                 | २५०            | ८००             | ३,७३४           | ८,०६०           | १४,६११          | १५,२८९          | १४,५७३          |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                         | २०४                 | १,१२९          | ५,१७८           | ३९,२६८          | ४९,९०७          | ७१,८१३          | ७२,१९१          | ६७,९१३          |
| (४) पणन संस्था                                                 | ३                   | ३              | ८               | १८              | ११              | १               | १               | १               |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम                                    | ३                   | १२             | १७              | १०३             | २,०५२           | १,७१५           | २,५७०           | २,१०७           |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था                           | ४                   | १२             | ६०              | २३५             | २१५             | २४०             | १६०             | २१८             |
| <b>एकूण</b>                                                    | <b>१,०९८</b>        | <b>२,९३४</b>   | <b>१५,१४८</b>   | <b>७२,०६७</b>   | <b>१,००,६८१</b> | <b>१,४७,३७६</b> | <b>१,४९,७४४</b> | <b>१,२६,३००</b> |

(पुढे चालू)



## परिशिष्ट ८.४ (समाप्त)

| बाब<br>(१)                                             | १९७०-७१<br>(२) | १९८०-८१<br>(३) | १९९०-९१<br>(४) | २०००-०१<br>(५) | २०१०-११<br>(६)  | २०१५-१६<br>(७)  | २०१६-१७<br>(८)  | २०१७-१८*<br>(९) |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>५. येणे कर्जे (₹ कोटी)</b>                          |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था         | ४७८            | १,१३७          | ५,८८९          | २३,१२०         | ४२,३८५          | ६३,०१३          | ६६,४२३          | ६७,०२०          |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                             | २८४            | ३८४            | १,३१०          | ५,३०८          | १२,०२४          | १५,६७७          | १३,७६५          | १३,७०७          |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                 | १०५            | ७३१            | ४,५९४          | ३५,९०८         | ४७,८६३          | ६८,२६९          | ६५,६८४          | ६४,६३३          |
| (४) पणन संस्था                                         | २              | ४              | ९              | १८२            | ५,०३२           | १८              | १६              | १९              |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम                            | ६              | ३०             | ६९             | २३६            | ३,७२४           | ३,५३४           | २,८०८           | २,८७७           |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था                   | ८              | २५             | १९१            | २,८९९          | ८३४             | ९२१             | ५१७             | ७०१             |
| <b>एकूण</b>                                            | <b>८८३</b>     | <b>२,३११</b>   | <b>१२,०६२</b>  | <b>६७,६५३</b>  | <b>१,११,८६२</b> | <b>१,५१,४३२</b> | <b>१,४९,२१३</b> | <b>१,४८,९५७</b> |
| <b>६. उलाढाल-तयार मालाच्या विक्रीचे मूल्य (₹ कोटी)</b> |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |
| (१) शिखर व मध्यवर्ती कृषि व बिगर-कृषि पतसंस्था         | ला ना          | ला ना          | ला ना          | ला ना          | ला ना           | ला ना           | ला ना           | ला ना           |
| (२) प्राथमिक कृषि पतसंस्था                             | ५१             | १४६            | २३९            | १,०१२          | ५९३             | ९४१             | ९०८             | ८४३             |
| (३) बिगर-कृषि पतसंस्था                                 | ३              | १०             | --             | ३८             | ७६              | --              | --              | --              |
| (४) पणन संस्था                                         | २१४            | ९७९            | २,६०२          | ३,२०५          | १,३६८           | २,०१८           | ३,९८१           | ५,२४२           |
| (५) शेतमाल प्रक्रिया उपक्रम                            | १९४            | १,०३१          | ३,४६७          | ७,४९६          | ४६,११२          | २१,९१६          | २१,२५२          | २१,५८३          |
| (६) सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था                   | ६९             | १८७            | ३३०            | १,५८८          | ४,०७६           | १,३८३           | ४,६७३           | ४,१३४           |
| <b>एकूण</b>                                            | <b>५३१</b>     | <b>२,३५३</b>   | <b>६,६३८</b>   | <b>१३,३३९</b>  | <b>५२,२२५</b>   | <b>२६,२५८</b>   | <b>३०,८१४</b>   | <b>३१,८०२</b>   |

आधार - सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

लाना - लागू नाही

टीप - १९९०-९१ पर्यंतची आकडेवारी जून अखेरपर्यंतची आहे.

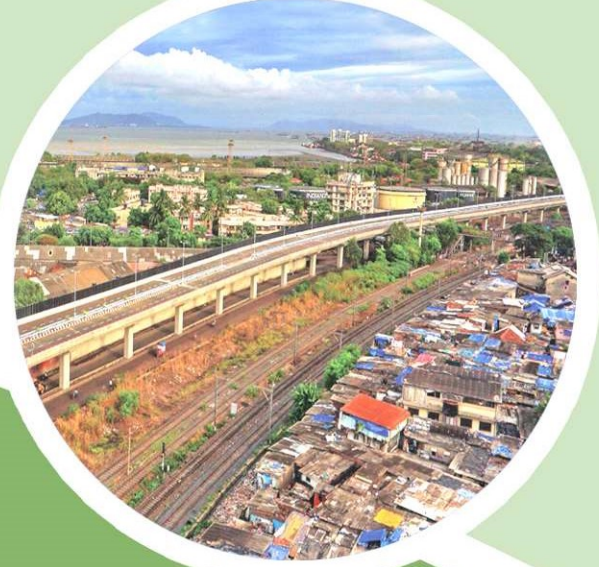
\$ यात प्राथमिक कृषि पतसंस्था, प्राथमिक भू-विकास बँका आणि धान्य बँका यांचा १९७०-७१ पर्यंत समावेश आहे.

\$\$ नाममात्र सभासद वगळून

@ २०००-०१ या वर्षापासून उपसा सिंचन संस्थांचा समावेश उत्पादक ऐवजी सामाजिक सेवा व इतर सहकारी संस्था या प्रकारात करण्यात आला आहे.



# ९ पायाभूत सुविधा





## ९. पायाभूत सुविधा

९.१ दर्जेदार पायाभूत सुविधांमुळे व्यवसाय व रोजगार निर्मिती होते व त्याबरोबरच शाश्वत आर्थिक वाढ राखली जाते. वाहतूक, ऊर्जा आणि दळणवळण या क्षेत्रात उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

### ऊर्जा

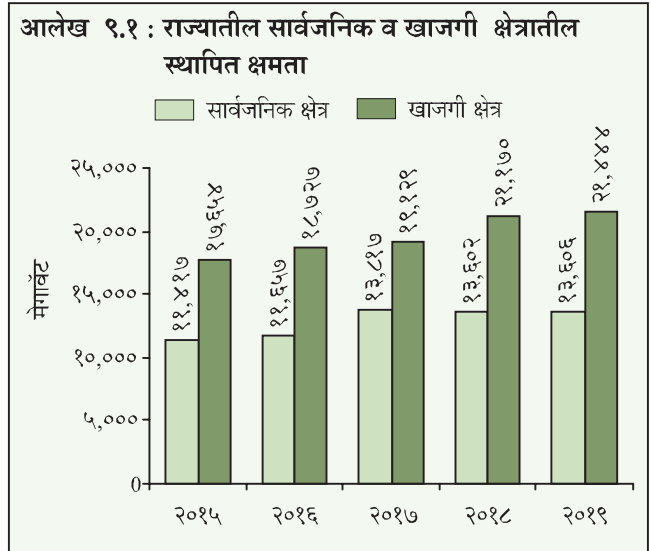
९.२ सर्वासाठी किफायतशीर, खात्रीची, शाश्वत व आधुनिक ऊर्जा उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणे हे शाश्वत विकास ध्येयांपैकी एक ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, पुरेशी ऊर्जा निर्मिती करून पुरवठा करणे, पारेषण व वितरण जाळे वाढविणे व त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे, ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ करणे आणि ऊर्जेतील स्वच्छ ऊर्जेचा हिस्सा वाढविणे यासारख्या विविध उपाययोजना शासन करीत आहे.

### वीज

९.३ वीज हा ऊर्जेचा महत्वाचा स्रोत असून जीवनाच्या सर्व पैलूंसाठी आवश्यक आहे. सर्वांना वीज पुरविण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम सुरू केले आहेत.

### स्थापित क्षमता

९.४ राज्यातील वीज निर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता ३१ मार्च, २०१९ रोजी ३६,७०५ मेगावॉट असून त्यात सार्वजनिक क्षेत्राचा २९.७ टक्के, खाजगी क्षेत्राचा ४६.९ टक्के (त्यापैकी पारंपरिक ६०.५ टक्के व नवीकरणीय ३९.५ टक्के) आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पाचा (रत्नागिरी गॅस पॉवर प्रोजेक्ट मर्या.) ४.९ टक्के हिस्सा होता. राज्यातील वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता ३१ मार्च, २०१९ रोजी देशात सर्वाधिक होती. स्रोतनिहाय स्थापित क्षमता तक्ता ९.१ मध्ये दिली आहे.



### तक्ता ९.१ स्रोतनिहाय स्थापित क्षमता

(मेगावॉट)

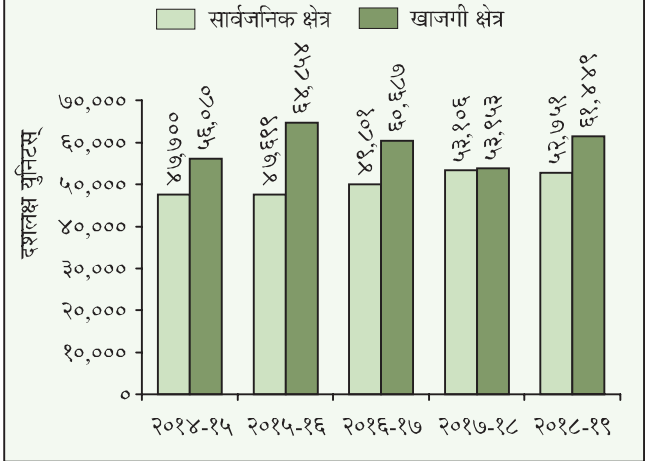
| स्रोत                      | ३१ मार्च रोजी |        |        |        | २०१९ मध्ये<br>२०१८ च्या तुलनेत<br>शेकडा बदल |
|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
|                            | २०१६          | २०१७   | २०१८   | २०१९   |                                             |
| राज्यांतर्गत               | ३२,६०४        | ३५,१६६ | ३६,७०५ | ३६,७०५ | ०.०                                         |
| औष्णिक                     | १९,०६६        | २१,४९६ | २२,०९६ | २२,०९६ | ०.०                                         |
| नवीकरणीय                   | ७,४००         | ७,५३२  | ८,४७६  | ८,४७६  | ०.०                                         |
| जलजन्य                     | ३,०६६         | ३,०६६  | २,९४१  | २,९४१  | ०.०                                         |
| नैसर्गिक वायुजन्य          | ३,०७२         | ३,०७२  | ३,०७२  | ३,०७२  | ०.०                                         |
| केंद्रीय क्षेत्राकडून वाटप | ७,०२६         | ७,११४  | ८,७६३  | ९,०४१  | ३.२                                         |

आधार : महानिर्मिती, महाऊर्जा, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्र शासन, टाटा पॉवर कं. मर्या., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटी

## वीज निर्मिती

१.५ राज्यात २०१८-१९ मध्ये एकूण वीज निर्मिती (नवीकरणीय स्रोतासह) १,६२,५५९ दशलक्ष युनिट्स तर २०१७-१८ मध्ये एकूण १,५४,२१५ दशलक्ष युनिट्स झाली. त्यात सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी क्षेत्रातून २०१८-१९ मध्ये वीजनिर्मितीत अनुक्रमे ३२.५ टक्के, ३७.८ टक्के आणि २.७ टक्के वाढा होता. स्रोतनिहाय वीज निर्मिती तक्ता ९.२ मध्ये दिली आहे.

आलेख ९.२ : राज्यातील सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील वीज निर्मिती



तक्ता ९.२ स्रोतनिहाय वीज निर्मिती

(दशलक्ष युनिट्स)

| स्रोत                         | २०१५-१६  | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९  | २०१८-१९ मध्ये २०१७-१८ च्या तुलनेत शेकडा बदल |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|
| राज्याअंतर्गत                 | १,१३,७८७ | १,१५,०४६ | १,०७,०५८ | १,१४,१९९ | ६.६                                         |
| औष्णिक                        | ९४,४८२   | ८९,०८४   | ९०,७८४   | ९५,६५९   | ५.४                                         |
| नैसर्गिक वायुजन्य             | ५,३०२    | ९,४८१    | ४,५६०    | ३,९८५    | (-)१२.६                                     |
| जलजन्य                        | ५,०४५    | ५,९७८    | ४,९९२    | ५,२१९    | ४.५                                         |
| नवीकरणीय \$                   | ८,९५८    | १०,५०३   | ६,७२२    | ९,३३६    | ३८.९                                        |
| केंद्रीय क्षेत्राकडून प्राप्त | २९,१७९   | ३२,५८२   | ४७,१५६   | ४८,३५९   | २.६                                         |

टीप : १ युनिट = १ किलोवॉट तास

\$ बंदिस्त विजेसह

आधार : महानिर्मिती, महाऊर्जा, जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्र शासन, टाटा पॉवर कं. मर्या., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटी.

## वीज खरेदी

१.६ सन २०१७-१८ मध्ये महावितरणने खरेदी केलेल्या विजेचा सरासरी प्रती युनिट दर ₹ ४.०३ आणि बेस्टने खरेदी केलेल्या विजेचा सरासरी प्रती युनिट दर ₹ ३.९७ होता. महावितरण आणि बेस्ट यांनी खरेदी केलेल्या विजेचा तपशील तक्ता ९.३ मध्ये दिला आहे.

तक्ता ९.३ महावितरण आणि बेस्ट यांनी खरेदी केलेली वीज

| वर्ष     | महावितरण                          |                     | बेस्ट                             |                     |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
|          | खरेदी केलेली वीज (दशलक्ष युनिट्स) | एकूण किंमत (₹ कोटी) | खरेदी केलेली वीज (दशलक्ष युनिट्स) | एकूण किंमत (₹ कोटी) |
| २०१६-१७  | १,१७,४९७                          | ४७,३५८              | ४,६५५                             | २,३१४               |
| २०१७-१८  | १,२६,९२५                          | ५३,८३०              | ४,८२५                             | २,३१८               |
| २०१८-१९+ | ५५,९१०                            | २५,०३६              | २,५७६                             | १,३०९               |

आधार : महावितरण, बेस्ट

+ सप्टेंबरपर्यंत

## विजेचा वापर

९.७ राज्यात २०१७-१८ मध्ये विजेचा एकूण वापर १,१८,५६६ दशलक्ष युनिट्स तर २०१६-१७ मध्ये १,१४,४११ दशलक्ष युनिट्स होता. राज्यातील विजेचा सर्वाधिक वापर औद्योगिक क्षेत्रात (३३.१ टक्के) तर त्या खालोखाल कृषि क्षेत्रात (२५.६ टक्के) आणि घरगुती क्षेत्रात (२३.८ टक्के) होता. क्षेत्रनिहाय विजेचा वापर तक्ता ९.४ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता ९.४ क्षेत्रनिहाय विजेचा वापर

(दशलक्ष युनिट्स)

| क्षेत्र                     | २०१५-१६  | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९ <sup>+</sup> | २०१७-१८ मध्ये<br>२०१६-१७ च्या<br>तुलनेत<br>शेकडा बदल |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------|
| औद्योगिक                    | ४०,२३१   | ३४,४५७   | ३९,२४६   | १४,६८६               | १०.३                                                 |
| कृषि                        | २८,२३६   | २८,२०२   | ३०,३०७   | ८,२०९                | १६.३                                                 |
| घरगुती                      | २७,००१   | २९,८६७   | २८,१७२   | १३,०१९               | २.३                                                  |
| वाणिज्यिक                   | १३,१८२   | १५,२०२   | १३,९२७   | ६,६५९                | ३.५                                                  |
| सार्वजनिक सेवा <sup>@</sup> | ४,२८७    | ४,४००    | ४,६७०    | १,७१२                | ९.६                                                  |
| रेल्वे                      | १,७९५    | १२०      | १६३      | ९९                   | २१.५                                                 |
| इतर                         | २,०११    | २,१६३    | २,०८१    | ७९०                  | ५.३                                                  |
| सर्व                        | १,१६,७४३ | १,१४,४११ | १,१८,५६६ | ४५,१७४               | ७.७                                                  |

<sup>@</sup> सार्वजनिक दिवाबत्ती व पाणी पुरवठा समाविष्ट

+ सप्टेंबर पर्यंत

आधार : महावितरण, बेस्ट, टाटा पॉवर कं. मर्या., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटी.

९.८ भारतातील आणि महाराष्ट्रातील विजेचा दरडोई अंतिम वापर तक्ता ९.५ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता ९.५ विजेचा दरडोई अंतिम वापर

(युनिट्स)

| क्षेत्र   | २०१५-१६ |            | २०१६-१७ |            | २०१७-१८ |            |
|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|           | भारत    | महाराष्ट्र | भारत    | महाराष्ट्र | भारत    | महाराष्ट्र |
| सर्व      | ६८३.६   | ९६५.२      | ७१२.०   | ९०७.०      | ८५८.८   | ९६४.४      |
| वाणिज्यिक | ६८.१    | ११६.१      | ६९.९    | १११.९      | ७३.०    | ११३.३      |
| औद्योगिक  | २२६.२   | २८६.४      | २३३.६   | २८२.३      | ३५६.२   | ३१९.२      |
| कृषि      | १३७.१   | २३७.६      | १५१.३   | २३६.०      | १५५.२   | २४६.५      |
| घरगुती    | १८९.१   | २३३.७      | २०३.१   | २२४.८      | २०७.८   | २२९.२      |

आधार : केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण, केंद्र शासन

९.९ स्थापित क्षमता, विद्युत निर्मिती, क्षेत्रनिहाय विजेचा वापर आणि विजेचा दरडोई अंतिम वापर यासंबंधीची मालिका परिशिष्ट ९.१ मध्ये दिली आहे.

### विजेची मागणी व पुरवठा

९.१० राज्यातील क्षमता वाढ, पारेषण व वितरण जाळ्यातील सुधारणा आणि ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध उपाययोजनांमुळे वीज पुरवठ्यात सुधारणा झाली आहे. सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी विजेचा पुरवठा व तूट तक्ता ९.६ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.६ सरासरी कमाल मागणीच्या वेळी विजेचा पुरवठा व तूट

(मेगावॅट)

| वर्ष                 | सरासरी कमाल मागणी | पुरवठा | तूट    |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
| २०१४-१५              | १५,८१२            | १५,३९२ | ४२०    |
| २०१५-१६              | १५,९४८            | १५,८५० | ९८     |
| २०१६-१७              | १६,९०३            | १६,८६६ | ३७     |
| २०१७-१८              | १७,४१२            | १७,६०६ | (-)१९४ |
| २०१८-१९ <sup>+</sup> | १८,५०४            | १८,७२९ | (-)२२६ |

आधार : महावितरण

+ नोव्हेंबरपर्यंत

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## पारेषण व वितरणाचे पायाभूत जाळे

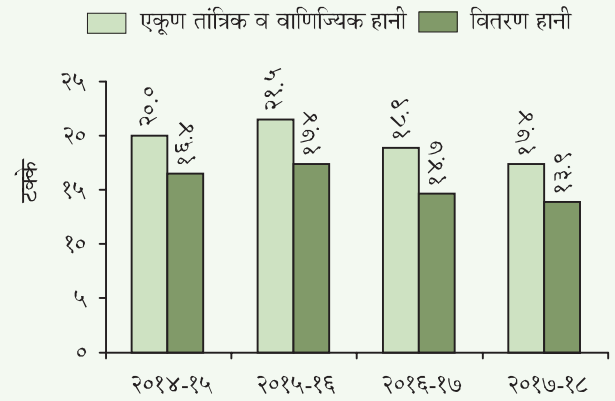
१.११ पारेषण व वितरणाच्या पायाभूत जाळ्यामध्ये सुधारणा ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असून त्यात अति उच्च दाब (इएचव्ही) उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण, सदोष मीटर बदलणे, अत्याधिक भार असलेल्या उच्च व कमी दाबाच्या वाहिन्यांवरील भार अतिरिक्त रोहित्रे पुरवून कमी करणे, नवीन उपकेंद्रे उभारणे व कार्यान्वित करणे यासह वीजचोरी विरुद्ध मोहीम अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.

१.१२ महापारेषणचे ४६,२१८ सर्किट किमीचे जाळे व ६६० उपकेंद्रे यांसह २०१७-१८ पर्यंतची पारेषण क्षमता सुमारे १,२३,८४६ मेगा व्होल्ट अ‍ॅम्पिअर (एमव्हीए) होती. सन २०१८-१९ मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत पारेषण क्षमता ४८,४०६ सर्किट किमी जाळे व ६७४ उपकेंद्रे यासह १,३०,३१६ एमव्हीए एवढी झाली. महापारेषणची २०१६-१७, २०१७-१८ ची पारेषण हानी अनुक्रमे ३.६३ व ३.३० टक्के होती तर २०१८-१९ च्या नोव्हेंबर पर्यंत ची पारेषण हानी ३.०९ टक्के होती.

१.१३ महावितरणच्या वितरण जाळ्यात २०१७-१८ अखेरीस ३,५०२ उपकेंद्रे, १०,३४,५३२ सर्किट किमी वाहिन्या व ५,९९,३६७ वितरण रोहित्रे होती. सन २०१८-१९ सप्टेंबर पर्यंत ही क्षमता ३,५७७ उपकेंद्रे, १०,४०,८७१ सर्किट किमी वाहिन्या व ६,०३,५२२ वितरण रोहित्रे होती. सन २०१७-१८ मध्ये महावितरणची एकूण तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १७.४ टक्के होती.

१.१४ सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेत महावितरणचा हिस्सा ८५.७ टक्के असून त्या पाठोपाठ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटीचा ८.० टक्के, बेस्टचा ३.५ टक्के आणि टाटा पॉवरचा २.६ टक्के होता. वितरण हानी तक्ता ९.७ मध्ये दिली आहे.

आलेख ९.३ : महावितरणाची एकूण तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी आणि वितरण हानी



### तक्ता ९.७ वितरण हानी

(टक्के)

| परवानाधारक                                      | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ <sup>+</sup> |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|
| महावितरण                                        | १७.४    | १४.७    | १३.९०   | १४.०६                |
| बेस्ट                                           | ५.८३    | ५.४२    | ५.८२    | ५.७४                 |
| रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटी | ९.२४    | ८.७७    | ८.११    | ८.६१                 |
| टाटा पॉवर कं. मर्या.                            | ०.६३    | ०.८५    | ०.७५    | ०.७५                 |

आधार : महावितरण, बेस्ट, टाटा पॉवर कं. मर्या., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रीसिटी

+ सप्टेंबरपर्यंत

१.१५ उज्ज्वल डिस्कॉम अ‍ॅशुरन्स योजना (उदय) : केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये राज्य वितरण यंत्रणांच्या कार्यान्वयन व वित्तीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना मंजूर केली. राज्य शासनाकडून २०१६-१७ मध्ये ₹ ४,९५९.७५ कोटी महावितरणला सदर योजनेसाठी हस्तांतरीत करण्यात आले. राज्यात फिडर मीटरिंग, वीज जोडणी न झालेल्या घरांना जोडणी, फिडर विलगीकरण, ग्रामीण फिडर परिक्षण आणि एलईडी दिवे वितरण पूर्ण झाले आहे तर २०० युनिट्स पेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांकरीता स्मार्ट मीटरिंग व वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स मीटरिंगचे काम प्रगतीपथावर आहे.



## क्षमता वाढ

९.१६ **औष्णिक ऊर्जा** : महानिर्मितीने विविध औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्रांत फ्ल्यु- गॅस डिसल्फरायझेशन (एफजीडी) प्रकल्पांची स्थापना व कार्यान्वयन करण्याच्या कृती आराखड्यास मान्यता दिली आहे. चंद्रपूर २,५०० मेगावॉट, भुसावळ १,००० मेगावॉट, पारस १,२५० मेगावॉट, खापरखेडा ५०० मेगावॉट आणि कोराडी १,३२० मेगावॉट या प्रकल्पांसाठी क्षमतावाढीची प्रक्रिया सुरू आहे.

९.१७ **नवीकरणीय ऊर्जा** : स्वच्छ आणि पर्यावरण पूरक नवीकरणीय ऊर्जेचे पवन, सौर, जैविक, बायोगॅस, सागरी लाटा, भू-औष्णिक, इत्यादी स्रोत आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रचार व प्रसार आणि ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) सक्रीय आहे.

९.१८ केंद्र शासनाप्रमाणे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून १० टक्के पर्यंत वीज खरेदीचे बंधन साध्य करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्विकारले आहे. त्यास अनुसरून नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांद्वारे निर्मित वीज ग्रीड जोडणीमध्ये आणण्यासाठी धोरणे जाहीर केलेली आहेत. नवीकरणीय ऊर्जेच्या संभाव्य क्षमतेनुसार राजस्थान आणि जम्मू व काश्मीर नंतर राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे तर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांद्वारे वीज निर्मिती प्रकल्पांच्या स्थापित क्षमतेनुसार राज्य देशात तामिळनाडू नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. नवीकरणीय ऊर्जेची संभाव्य व स्थापित क्षमता तक्ता ९.८ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.८ नवीकरणीय ऊर्जेची संभाव्य व स्थापित क्षमता

(मेगावॉट)

| स्रोत                               | संभाव्य क्षमता | स्थापित क्षमता |              |              |                       |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                                     |                | ३१ मार्च रोजी  |              |              | ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी |
|                                     |                | २०१६           | २०१७         | २०१८         |                       |
| पवन                                 | ९,४००          | ४,६६२          | ४,७६९        | ४,७८२        | ४,७८६                 |
| चिपाडांपासून वीज सहनिर्मिती         | २,२००          | १,४१५          | १,८४९        | १,९५४        | २,२८४                 |
| लघु जल विद्युत प्रकल्प <sup>#</sup> | ७३२            | ३०२            | ३०४          | ३३६          | ३६६                   |
| कृषि अवशेष                          | ७८१            | २००            | २१५          | २१५          | २१५                   |
| शहरी घनकचरा                         | २८७            | ३              | ३            | ३            | ३                     |
| औद्योगिक कचरा                       | ३५०            | ३४             | ९            | ३५           | ३५                    |
| सौर                                 | ७,५००          | ३६२            | ३८३          | १,०१७        | १,०१७                 |
| <b>एकूण</b>                         | <b>२१,२५०</b>  | <b>६,९७८</b>   | <b>७,५३२</b> | <b>८,३४२</b> | <b>८,७०६</b>          |

# जलसंपदा विभागाने स्थापित केलेले २५ मेगावॉट पेक्षा कमी क्षमतेचे प्रकल्प

आधार : महाऊर्जा, 'ऊर्जा सांख्यिकी २०१९' अहवाल, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन

## नियामक उपाययोजना व वीज दर

९.१९ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची स्थापना वीज दर निश्चिती, वीज खरेदी आणि पारेषण व वितरण यंत्रणांच्या प्रापण प्रक्रियांचे नियमन, वीज क्षेत्रामध्ये स्पर्धा, कार्यक्षमता व काटकसरीस प्रोत्साहन देणे यासाठी करण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ मधील सरासरी वीज दर तक्ता ९.९ मध्ये दिले आहेत.

## तक्ता १.१ सन २०१८-१९ मधील सरासरी वीज दर

(₹ प्रति युनिट)

| ग्राहक गट                                     | महावितरण | बेस्ट | अदानी मुंबई<br>इलेक्ट्रीसिटी मर्या. | टाटा पॉवर कं. मर्या. |
|-----------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>लघु दाब - घरगुती/निवासी</b>                |          |       |                                     |                      |
| दारिद्र्यरेषेखालील                            |          |       |                                     |                      |
| ० ते १०० युनिट्स                              | १.८४     | २.५२  | @                                   | @                    |
| १०१ ते ३०० युनिट्स                            | ५.३१     | ३.२१  | ४.७८                                | १.९७                 |
| ३०१ ते ५०० युनिट्स                            | ८.९५     | ५.७५  | ८.५८                                | ५.२०                 |
| ५०१ ते १,००० युनिट्स                          | ११.५७    | ८.२३  | १०.१३                               | ८.८५                 |
| १,००० युनिट्स पेक्षा अधिक                     | १२.०६    | ९.५६  | ११.८३                               | १२.१२                |
| <b>लघु दाब - व्यावसायिक/अनिवासी</b>           |          |       |                                     |                      |
| ०- २० किलोवॉट                                 | १०.६५    | ७.९९  | ९.९१                                | ८.१०                 |
| > २० किलोवॉट आणि < = ५० किलोवॉट               | १३.१४    | ८.४२  | १०.६१                               | ८.५०                 |
| ५० किलोवॉट पेक्षा अधिक                        | १५.९३    | ८.६४  | ११.१६                               | १०.१२                |
| <b>लघु दाब - उद्योग</b>                       |          |       |                                     |                      |
| २० किलोवॉट पेक्षा कमी भार                     | ६.६६     | ७.२६  | ८.८७                                | ८.०३                 |
| २० किलोवॉट पेक्षा अधिक भार                    | ९.०७     | ७.६५  | ९.५९                                | ८.२२                 |
| <b>लघु दाब - कृषि</b>                         |          |       |                                     |                      |
| कृषि पंप (मीटर शिवाय)                         | ३.५९     | लाना  | लाना                                | लाना                 |
| कृषि पंप (मीटर सह)                            | ३.५५     | ३.९६  | ५.८५                                | @                    |
| इतर (मीटर सह)                                 | ५.५९     | ५.६४  | ७.४१                                | @                    |
| <b>लघु दाब - पथदिवे (सार्वजनिक दिवाबत्ती)</b> |          |       |                                     |                      |
| ग्रामपंचायत आणि अ, ब व क वर्ग नगरपालिका       | ६.०५     | लाना  | लाना                                | लाना                 |
| महानगरपालिका क्षेत्रे                         | ७.५३     | ७.८८  | ८.८९                                | ८.७६                 |
| <b>लघु दाब - सार्वजनिक सेवा</b>               |          |       |                                     |                      |
| शासकीय शैक्षणिक संस्था व रुग्णालये            | ७.४६     | ७.५६  | ८.२३                                | ६.७१                 |
| इतर                                           | ८.७८     | ७.८६  | ८.६४                                | ८.८०                 |
| <b>उच्च दाब - उद्योग</b>                      | ८.२०     | ८.०६  | ९.३७                                | ९.३८                 |
| <b>उच्च दाब — रेल्वे/मेट्रो/मोनोरेल</b>       | ८.६१     | ७.३९  | ८.०२                                | ७.४०                 |
| <b>उच्च दाब - सार्वजनिक सेवा</b>              |          |       |                                     |                      |
| शासकीय शैक्षणिक संस्था व रुग्णालये            | ९.२६     | ७.७५  | ८.६७                                | ८.७२                 |
| इतर                                           | ११.२९    | ८.३०  | ९.५३                                | ९.४६                 |
| <b>उच्च दाब - कृषि पंप</b>                    | ४.१२     | लाना  | लाना                                | लाना                 |

आधार: महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग

@ ग्राहकांची संख्या निरंक वा अत्यंत कमी असल्याने सरासरी दर दर्शविले नाहीत

लाना लागू नाही

१.२० ऊर्जा अक्षय्यता कार्यक्रम व नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधीच्या इतर उपाययोजना : नवीकरणीय ऊर्जेची स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेली उपकरणे मोठ्या प्रमाणात अनुदानित तत्वावर वितरीत करण्यात आली आहेत. राज्यात खुल्या बाजाराद्वारे १२.२४ लाख चौ.मी. सौर ऊर्जा एकत्रिकरण क्षेत्र (सौर जल उष्मीकरण पध्दती), १.६२ लाख सौर कंदील, ०.४५ लाख सौर घरगुती दिवे व १.१६ लाख सौर पथदिवे स्थापित करण्यात आले आहेत. ऊर्जा अक्षय्यता कार्यक्रम व इतर उपाययोजना अंतर्गत साध्य तक्ता १.१० मध्ये दिले आहेत.

**तक्ता ९.१० ऊर्जा अक्षय्यता कार्यक्रम व इतर उपाययोजना अंतर्गत साध्य**

(संख्या)

| तपशील                                                                                         | मार्च, २०१७ अखेर | मार्च, २०१८ अखेर |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ऊर्जा अक्षय्यता कार्यक्रम</b>                                                              |                  |                  |
| अ) ऊर्जा लेखा परिक्षण                                                                         | ९७२              | १,०८९            |
| ब) संक्षिप्त ऊर्जा लेखा परिक्षण                                                               | २२४७             | २,४०८            |
| क) अपव्ययित उष्याचा पुनर्वापर                                                                 | ११               | ११               |
| ड) ग्रामपंचायत क्षेत्रात सीएफएल दिवे बदलणे                                                    | १,५३,०६६         | १,५३,०६६         |
| इ) शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये ऊर्जा संवर्धन पथदर्शी प्रकल्प                 | ८७               | ९०               |
| ई) नगरपालिकांमध्ये ऊर्जा संवर्धन संयंत्रे बसविणे                                              | ३४               | ३६               |
| वारा मापन केंद्रे                                                                             | ४०९              | ४०९              |
| सौर किरणोत्सार निर्धारण केंद्रे                                                               | ७                | ७                |
| सामायिक अभ्यासिकेत सौर दिवे                                                                   | १८,६०३           | १८,६०३           |
| ग्रामीण विद्युतीकरण अ) गावे                                                                   | ५८६              | ५८६              |
| ब) पाडे-वस्त्या                                                                               | ७०३              | ७०३              |
| शासकीय इमारतीतील सौर ऊर्जा प्रकल्प                                                            | ४१               | ४१               |
| जैविक कांडी कोळसा (ब्रिक्केटींग) प्रकल्प                                                      | १५२              | १७०              |
| पवन-सौर संकरित संयंत्रे अ) संख्या                                                             | २८६              | २८६              |
| ब) क्षमता (किलोवॉट)                                                                           | २,१७४            | २,१७४            |
| आश्रमशाळा व वसतीगृहातील पवन-सौर संकरित यंत्रणा                                                | २०               | २०               |
| प्रदर्शने                                                                                     | २६६              | २७७              |
| आश्रमशाळांतील सौर ऊर्जा संयंत्रे (सौर घरगुती दिवे, पथदिवे, जल उष्मीकरण यंत्रणा आणि ऊर्जा संच) | १०               | १०               |

आधार : महाऊर्जा

९.२१ **ग्रामीण विद्युतीकरण, जाळ्यांची सुधारणा आणि ऊर्जा अक्षय्यता** : राज्यातील वस्ती असलेल्या एकूण ४१,९२८ गावांपैकी (ग्रामीण विद्युतीकरण मोबाईल डॅशबोर्ड GARV प्रणाली नुसार मार्च, २०१८ रोजी) सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत ४१,६२८ गावांचे पारंपरिक ऊर्जेद्वारे व ३०५ गावांचे अपारंपरिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण झाले. अमरावती जिल्ह्यातील पाच गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले.

९.२१.१ **कृषि पंपांचे विद्युतीकरण** : राज्यात एकूण ४२.०२ लाख कृषि पंप आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये ६६,१७४ व सन २०१८-१९ मध्ये सप्टेंबर पर्यंत ५३,१२६ कृषि पंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले.

९.२१.२ **अटल सौर कृषि पंप योजना** : सदर योजना २०१५ पासून राज्यात राबविण्यात येत असून राज्यात ७,५४० सौर कृषि पंप स्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सुमारे ५,६५८ सौर कृषि पंप सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात आले.

९.२१.३ **मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना** : सदर योजनेत अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिध्दी व यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी येथे प्रत्येकी दोन मेगावॉट क्षमतेचे दोन सौर ऊर्जेचे पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे राज्यात एकूण २०० मेगावॉट वीज निर्मितीचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

९.२१.४ **दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना** : केंद्र शासनाने २०१५ पासून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वीज जोडणी देण्यासाठी ही योजना सुरु केली असून राज्यासाठी ₹ २,१६४.१५ कोटी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण १२.४८ लाख ग्रामीण कुटुंबांना (त्यापैकी ३.९६ लाख दारिद्र्य रेषेखालील) वीज जोडणी देण्याचे प्रस्तावित आहे. सप्टेंबर, २०१८ पर्यंतची दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेची प्रगती तक्ता ९.११ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.११ दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत कामांची प्रगती**

| कामांचा तपशिल                                       | परिमाण | वाव      | उद्दिष्ट | उद्दिष्टपूर्ती | प्रगतीपथावर |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|-------------|
| नवीन केंद्रे                                        | संख्या | २१६      | २०८      | ९७             | १०१         |
| अस्तित्वातील ट्रान्सफॉर्मर्सचे अद्ययावतीकरण / जोडणी | संख्या | १०१      | ९९       | ७९             | १८          |
| नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स                                | संख्या | ९,५०७    | ८,२८५    | २,८२०          | ९१२         |
| फिडर विलगीकरण                                       | संख्या | ७१६      | लाना     | २२३            | २२०         |
|                                                     | कि.मी. | १०,२८६   | }        | ३,०७२          | १,०५०       |
| उच्च दाब लाईन                                       | कि.मी. | ६,९२३    |          | २,५९१          | ८५६         |
| लघु दाब लाईन                                        | कि.मी. | ५,७९१    |          | १,४५९          | ४१८         |
| सांसद आदर्श ग्राम योजनेतील गावे                     | संख्या | ७९       | लाना     | ६४             | १५          |
| दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडणी            | संख्या | ३,८६,५८८ | ३,२४,४२३ | ९५,४७२         | ३,६९६       |

आधार : महावितरण

लाना लागू नाही

९.२१.५ **घरगुती कार्यक्षम दिव्यांसाठी कार्यक्रम** : या कार्यक्रमांतर्गत जानेवारी, २०१९ पर्यंत राज्यात सुमारे ३१.८१ कोटी एलईडी दिवे, ६८.२८ लाख एलईडी ट्युब्ल व २१.१५ लाख छत पंखे (पंचतारांकित मानक) वितरित करण्यात आले व त्यामुळे कमाल वीजेच्या मागणीत ८,४५९ मेगावॅट एवढी बचत झाली.

९.२१.६ **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना** : ही योजना देशातील सर्व कुटुंबांना वीज जोडणी पूर्णत्वास नेण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील वीज जोडणी नसलेल्या कुटुंबांकरिता वीज जोडणी देण्याच्या उद्देशाने लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ७५४ गावे व वस्त्यांमधील २६,०११ वीज जोडणी नसलेल्या घरांमध्ये प्रत्येकी २५० वॅट क्षमतेची सौर संयंत्रे (₹ ५०,००० ची आर्थिक तरतुद पाच वर्षांच्या सर्वेकष दुरुस्ती व देखभालीसह) प्रस्तावित केले आहेत. आरईसी मर्या. (पूर्वीचे ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ मर्या.) ने ₹ ११७.८० कोटी तत्त्वतः मंजूर केले आहेत.

९.२१.७ **ऊर्जा बचत कार्यक्रम** : औद्योगिक, कृषि, घरगुती आणि व्यावसायिक क्षेत्रासाठीची ऊर्जा अक्षय्यता क्षमता सुमारे ३० टक्के आहे. ऊर्जेची बचत करण्यासाठी पद्धतशीर ऊर्जा लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. कार्यक्रमांतर्गत ऊर्जा लेखापरीक्षण करण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. मार्च, २०१८ पर्यंत ५२५ ऊर्जा लेखापरीक्षणे पूर्ण करण्यात आली व त्यासाठी ₹ १४५.९ ५ लाख अर्थसहाय्य देण्यात आले.

९.२१.८ **लघु व मध्यम उद्योगांकरिता सहज ऊर्जा लेखापरीक्षण योजना** : सुमारे १,९०० लघु व मध्यम उद्योगांनी मार्च, २०१८ पर्यंत या योजनेत भाग घेतला. या लघु व मध्यम उद्योगांनी महाऊर्जा कडे नोंदीत ऊर्जा लेखापरीक्षण संस्थांद्वारे ऊर्जा लेखापरीक्षण पूर्ण केले व त्यासाठी ₹ ५७ लाख अर्थसहाय्य प्राप्त केले.

९.२२ **नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी बंधन ('आरपीओ') व नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रे ('आरईसी') पध्दती** : नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी बंधन हे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कायद्याद्वारे बंधनकारक केले असून बांधील यंत्रणेद्वारे (वितरण परवानाधारक, ग्रीडला जोडलेले बंदिस्त वीज निर्मिती प्रकल्प व वितरण मुक्त प्रवेश असलेले ग्राहक) वापर केलेल्या एकूण विजेपैकी किमान मर्यादेपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करणे बंधनकारक आहे.

९.२३ **नवीकरणीय ऊर्जेस चालना देण्यासाठी आणि उपलब्ध असलेले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत व बांधील यंत्रणांना साध्य करावयाचे नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी बंधन यांच्यात असलेली तफावत दूर करण्याकरिता 'आरईसी' हे बाजाराधारीत साधन आहे.** महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महाऊर्जा या यंत्रणेस 'आरपीओ', त्याचे अनुपालन व 'आरईसी' पध्दतीची अंमलबजावणी यासाठी राज्य यंत्रणा म्हणून घोषित केले आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या 'आरपीओ-आरईसी नियमन २०१०' (२०१७-१८ पर्यंत) या नियमनानुसार बांधील यंत्रणांना त्यांच्या एकूण वीज वापराच्या किमान पातळीपर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा खरेदी करणे अनिवार्य आहे. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून किमान खरेदी करावयाची ऊर्जा (एक युनिट विजेच्या समतुल्य) सौर ऊर्जेसाठी दोन टक्के व इतर नवीकरणीय ऊर्जेसाठी १०.५ टक्के इतके उद्दिष्ट आहे. नवीकरणीय ऊर्जा बंधन (आरपीओ) चे साध्य तक्ता ९.१२ मध्ये दिले आहे.

## तक्ता ९.१२ नवीकरणीय ऊर्जा बंधन (आरपीओ) चे साध्य

(टक्के)

| वितरण परवानाधारक          | सौर     |          | इतर नवीकरणीय ऊर्जा |          | एकूण    |          |
|---------------------------|---------|----------|--------------------|----------|---------|----------|
|                           | २०१६-१७ | २०१७-१८* | २०१६-१७            | २०१७-१८* | २०१६-१७ | २०१७-१८* |
| महावितरण                  | ०.३८    | ०.७९     | १०.१९              | १०.५७    | १०.५७   | ११.३६    |
| टाटा पॉवर                 | १.१०    | १.५५     | १०.६२              | ९.५८     | ११.७२   | ११.१३    |
| रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर | ०.७४    | ०.७३     | ७.४५               | २.१४     | ८.१९    | २.८७     |
| बेस्ट                     | १.०१    | ०.६९     | ९.५४               | ११.३८    | १०.५५   | १२.०६    |

आधार : महाऊर्जा

\* अस्थायी

## ऊर्जेचे इतर प्रकार

## पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू

९.२४ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या एकूण वापरासंबंधी आकडेवारी वाढीचा कल दर्शविते. भारतात व महाराष्ट्रात प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ८.२ टक्के व ६.६ टक्के वाढ झाली. भारतात व महाराष्ट्रात प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांच्या झालेल्या वापराचा तपशील तक्ता ९.१३ मध्ये दिला आहे.

## तक्ता ९.१३ प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर

(१००० टन)

| पेट्रोलियम उत्पादने                                        | २०१६-१७         |               | २०१७-१८*        |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                            | भारत            | महाराष्ट्र    | भारत            | महाराष्ट्र    |
| नॅप्था                                                     | १३,२४०          | ४०१           | १०,८४२          | ३७१           |
| द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी)                            | २१,६०८          | २,६३५         | २२,९७६          | २,७९९         |
| मोटर स्पिरिट/गॅसोलिन (एमएस)                                | २३,७६५          | ३,०२५         | २६,१७५          | ३,२२६         |
| उच्च दर्जाचे केरोसिन (एसकेओ)                               | ५,३९७           | ४१३           | ३,८४५           | ३०५           |
| एक्वीएशन टर्बाईन इंधन (एटीएफ)                              | ६,९९८           | १,४६६         | ७,३३३           | १,६१८         |
| हाय स्पीड डिझेल (एचएसडी)                                   | ७६,०२७          | ८,०७१         | ८०,९९१          | ८,६७३         |
| कमी प्रतीचे डिझेल (एलडीओ)                                  | ४४९             | ९८            | ५२४             | ८९            |
| फर्नेस ऑईल (एफओ)                                           | ७,०४७           | ८५८           | ५,९१२           | ८४१           |
| हॉट हेवी स्टॉक (एचएचएस)/<br>लो सल्फर हेवी स्टॉक (एलएसएचएस) | १०४             | २७            | ११६             | १३            |
| लुब्रीकंट/वंगण                                             | ३,४७०           | ३०७           | १,३४५           | ३२९           |
| डांबर                                                      | ५,९३५           | ५००           | ५,१३६           | ५३२           |
| इतर                                                        | ३,२९३           | १,५३७         | १५,८८०          | १८२१          |
| <b>एकूण</b>                                                | <b>१,६७,३३३</b> | <b>१९,३३८</b> | <b>१,८१,०७५</b> | <b>२०,६१७</b> |

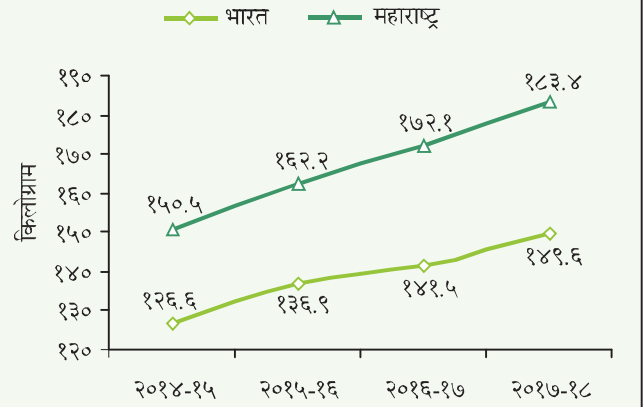
आधार : 'भारतीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू सांख्यिकी २०१६-१७ व २०१७-१८' अहवाल

\* अस्थायी

१.२५ एलपीजी घरगुती ग्राहक, वितरक, उच्च दर्जाचे केरोसिन (एसकेओ) / कमी प्रतीचे डीझेल (एलडीओ) वितरक आणि किरकोळ विक्री केंद्रे तक्ता १.१४ मध्ये दिली आहेत.

१.२६ महानगर गॅस लि., महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. आणि गॅस अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल). या पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) जोडणी, कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू (सीएनजी) केंद्रे व सीएनजी वरील वाहने यासंदर्भात राज्यात कार्यरत यंत्रणा आहेत. देशात मार्च, २०१८ अखेर १,४२४ सीएनजी केंद्रे व सुमारे ३०.९० लाख सीएनजी वाहने असून त्यापैकी २७५ सीएनजी केंद्रे व ७.९४ लाख सीएनजी वाहने राज्यात आहेत. तसेच देशात ४२.९८ लाख पीएनजी जोडण्या असून त्यापैकी १२.१४ लाख जोडण्या राज्यात आहेत.

आलेख १.४ : पेट्रोलियम उत्पादनांची दरडोई विक्री



### तक्ता १.१४ एलपीजी घरगुती ग्राहक, वितरक, एसकेओ / एलडीओ वितरक आणि किरकोळ विक्री केंद्रे

| तपशील                                                                   | २०१५-१६ |            | २०१६-१७ |            | २०१७-१८ |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                                                                         | भारत    | महाराष्ट्र | भारत    | महाराष्ट्र | भारत    | महाराष्ट्र |
| एलपीजी सक्रिय घरगुती ग्राहक (संख्या लाखात)                              | २,०१८   | २३५        | १,९८८   | २२२        | २,२४३   | २४१        |
| एलपीजी वितरक (संख्या)                                                   | १७,९१६  | १,६९७      | २२,१९२  | १,७५६      | २०,१४५  | १,८२७      |
| उच्च दर्जाचे केरोसिन (एसकेओ) / कमी प्रतीचे डीझेल (एलडीओ) वितरक (संख्या) | ६,५४८   | ७६७        | ६,५४३   | ७६७        | ६,५३६   | ७६७        |
| किरकोळ विक्री केंद्रे (संख्या)                                          | ५६,१९०  | ५,४१९      | ५९,५९५  | ५,६८४      | ६२,५८५  | ५,९७०      |
| सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी केरोसिनचे वाटप ('००० मे. टन)               | ६,७५९   | ४८७        | ६,९३३   | ५६४        | ५,०२२*  | ३८५*       |
| सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी उच्च दर्जाच्या केरोसिनची उचल ('००० मे. टन) | ६,६४३   | ४७८        | ६,६७८   | ५१८        | ४,६६९*  | ३७८*       |

आधार: 'भारतीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू सांख्यिकी २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८' अहवाल

\* अस्थायी

१.२७ **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** : या योजनेचा मुख्य उद्देश स्त्रीया व मुले यांच्या आरोग्य सुरक्षिततेसाठी स्वयंपाकाकरिता स्वच्छ इंधन - एलपीजी चा पुरवठा करणे हा आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याशी कुठलीही तडजोड न करता, प्रदूषित स्वयंपाक घर किंवा असुरक्षित ठिकाणी जळावू लाकडे गोळा करण्यास त्यांना जावे लागणार नाही. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी जोडणी करिता प्रत्येक जोडणी मागे ₹ १,६०० सहाय्य देण्यात येते. महिला सक्षमीकरणासाठी विशेषतः ग्रामीण भारतात घरातील स्त्रीच्या नावाने एलपीजी जोडणी उपलब्ध करून देण्यात येते. सामाजिक आर्थिक जात गणना - २०११ च्या आकडेवारीनुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे निश्चित करण्यात आली आहेत. दि. १० डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ४०.६४ लाख एलपीजी जोडण्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

### एलपीजी ग्राहकांसाठी सुधारित थेट लाभ हस्तांतर योजना

१.२८ राज्यात एलपीजी ग्राहकांसाठी सुधारीत थेट लाभ हस्तांतर योजना नोव्हेंबर, २०१४ पासून लागू करण्यात आली आहे. दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत सुमारे २.४१ कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहक असून त्यापैकी २.११ कोटी एलपीजी आधार जोडणी केलेले ग्राहक होते.

## वाहतूक व दळणवळण

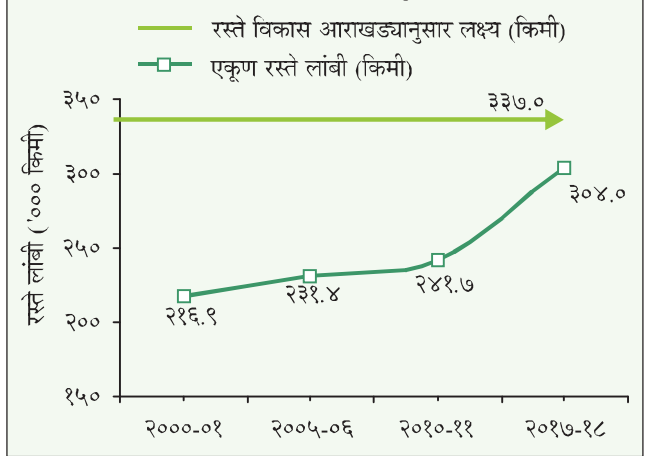
१.२९ पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक थेट आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार निर्मिती करण्यात व पर्यायाने आर्थिक व सामाजिक विकासास सहाय्य करते. शाश्वत विकासासाठी वाहतूक, दळणवळण ऊर्जा, इत्यादि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये सर्वांसाठी सुरक्षित, किफायतशीर, सुलभ व शाश्वत वाहतूक व्यवस्था पुरविणे आणि सुरक्षा सुधारणे यांचा समावेश आहे. वाहतुकीची भूपृष्ठ, जल व हवाई इत्यादि व वैयक्तिक दळणवळणाची पोस्ट, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी व इंटरनेट सेवा तर जन संपर्काची रेडिओ, दूरदर्शन व वर्तमानपत्रे ही माध्यमे आहेत.

## भूपृष्ठ वाहतूक

### रस्त्यांचे जाळे

१.३० रस्त्यांच्या जाळ्यामध्ये महामार्ग, जिल्हा रस्ते, ग्रामीण रस्ते व शहरांतर्गत रस्ते यांचा समावेश आहे. राज्यात ३.३७ लाख किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून रस्ते विकास आराखडा २००१-२१ ची अंमलबजावणी सुरु आहे. मार्च, २०१८ अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकत्रित लांबी (इतर यंत्रणांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी वगळून) ३.०४ लाख किमी होती. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ७,००० कोटी नियतव्यय मंजूर होता व ₹ ४,१५१.७८ कोटी खर्च झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी तक्ता १.१५ मध्ये दिली आहे. रस्त्यांच्या प्रकारानुसार वर्षानिहाय लांबी परिशिष्ट १.२ आणि जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या लांबीचे रुंदीनुसार वर्गीकरण परिशिष्ट १.३ मध्ये दिले आहे.

आलेख १.५ : रस्ते विकास आराखड्यानुसार (२००१-२१) साध्य



### तक्ता १.१५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी

(३१ मार्च रोजी)

| वर्ष    | रस्ते (किमी)         |                       |                     |                     |                      |                        | एकूण     |
|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|
|         | राष्ट्रीय महामार्ग   | प्रमुख राज्य महामार्ग | राज्य महामार्ग      | प्रमुख जिल्हा रस्ते | इतर जिल्हा रस्ते     | ग्रामीण रस्ते          |          |
| २०१५-१६ | ७,४३८                | ५,१८०                 | ३३,३३०              | ५०,८४४              | ५८,११६               | १,४५,८८१               | ३,००,७८९ |
| २०१६-१७ | १२,२७५               | ३,८६१                 | ३०,५८९              | ५२,६३७              | ५८,११६               | १,४५,८८१               | ३,०३,३५९ |
| २०१७-१८ | १२,२७५ <sup>\$</sup> | ३,२५८ <sup>#</sup>    | २९,१३२ <sup>#</sup> | ५५,३८३              | ५८,११६ <sup>##</sup> | १,४५,८८१ <sup>##</sup> | ३,०४,०४५ |

\$ २०१६-१७ मध्ये अधिसूचित केल्यानुसार आणि २०१७-१८ मध्ये अधिसूचित केले आणि दिले.

# २०१७-१८ मध्ये मुख्य राजमार्ग आणि राज्य महामार्गांचा एक भाग राष्ट्रीय महामार्गाकडे दिला.

## २०१६-१७ प्रमाणे

आधार: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन

## केंद्रीय रस्ते निधी

१.३१ राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामीण रस्ते आणि राज्य रस्ते (आंतरराज्य जोडणारे व आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे) यांचा विकास व देखभाल दुरुस्ती करणे तसेच रेल्वे रुळ ओलांडण्यासाठी उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग बांधणे आणि निर्मनुष्य रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती कामे करणे यासाठी केंद्र शासनाने २००१-०२ पासून केंद्रीय रस्ते निधी ही योजना कार्यान्वित केली असून त्याद्वारे निधीचे वाटप व वितरण करण्यात येते. केंद्रीय रस्ते निधी योजनेची राज्यातील प्रगती तक्ता १.१६ मध्ये दिली आहे.



## तक्ता ९.१६ केंद्रीय रस्ते निधी योजनेची राज्यातील प्रगती

| वर्ष                         | मंजूर कामे<br>(संख्या) | मंजूर लांबी<br>(किमी) | मंजूर रक्कम<br>(₹ कोटी) | कामे (संख्या) |            | पूर्ण झालेल्या<br>रस्त्यांची लांबी<br>(किमी) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
|                              |                        |                       |                         | प्रगतिपथावर   | पूर्ण      |                                              |                  |
| २०१५-१६ पर्यंत <sup>\$</sup> | ८३१                    | ८,३४१.६०              | ४,७४१.८३                | ७९            | ७४७        | ८,२१९.२४                                     | ४,२५०.६३         |
| २०१६-१७                      | १७०                    | १,३३६.४४              | ३,१०६.४०                | १२३           | १७         | ७१४.५१                                       | १,७१०.३२         |
| २०१७-१८ <sup>+</sup>         | १                      | ३.९०                  | ११.४१                   | ०             | ०          | ०                                            | १४१.७२           |
| <b>एकूण</b>                  | <b>१,००२</b>           | <b>९,६८१.९४</b>       | <b>७,८५९.६४</b>         | <b>२०२</b>    | <b>७६४</b> | <b>८,९३३.७५</b>                              | <b>६,१०२.६७</b>  |

\$ २००१-०२ पासून + नोव्हेंबर पर्यंत

टीप: एकूण २२ कामे रद्द करण्यात आली असून त्यापैकी १७ कामे सन २०१६-१७ मधील व पाच कामे आधीच्या वर्षातील आहेत व २०१६-१७ मधील १३ व २०१७-१८ मधील एक काम सुरु नाही.

आधार: सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन

## प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना

९.३२ रस्त्याने न जोडलेल्या वस्त्यांना प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजने द्वारे जोडले जात आहे. ग्रामीण भागात ५०० व अधिक (आदिवासी भागात २५० व अधिक) लोकसंख्या असलेल्या तसेच रस्त्याने न जोडलेल्या वस्त्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेचा मूळ उद्देश असून या योजनेची सन २००० पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ज्या राज्यांनी लक्ष्याच्या तुलनेत लोकवस्त्या जोडणीची १०० टक्के व रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची ७५ टक्के कामे पूर्ण केली आहेत त्या राज्यांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना - दोन सन २०१३ पासून मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत केवळ रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची कामे घेता येतात व केंद्र शासनाने राज्यासाठी २,६२० किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे.

९.३२.१ या योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ पर्यंत, २७,५७१ किमी लांबीच्या रस्त्यांनी १०,८४८ लोकवस्त्यांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी नोव्हेंबर, २०१८ पर्यंत १०,५५४ वस्त्यांना जोडलेल्या रस्त्यांची लांबी २६,०८१ किमी आहे. प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेची प्रगती तक्ता ९.१७ मध्ये आणि सुरुवातीपासून बांधलेल्या व / किंवा दर्जा सुधारणा केलेल्या रस्त्यांची लांबी व जोडलेल्या लोकवस्त्यांची संख्या तक्ता ९.१८ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ९.१७ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेची प्रगती

| वर्ष    | जोडलेल्या<br>लोकवस्त्या (संख्या) | रस्त्याची लांबी<br>(किमी) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
|---------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| २०१६-१७ | १५७                              | ५१२                       | ६८१.४६           |
| २०१७-१८ | ३४                               | ५७०                       | ४०७.२०           |
| २०१८-१९ | ४९                               | २१७                       | १९५.३७           |

आधार: ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

## तक्ता ९.१८ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनेच्या सुरुवातीपासून बांधलेल्या व / किंवा दर्जा सुधारणा केलेल्या रस्त्यांची संचित लांबी व जोडलेल्या वस्त्यांची संख्या

(३१ मार्च रोजी)

| वर्ष              | भौतिक लक्ष्य              |                        | संचित भौतिक साध्य <sup>+</sup> |                                  |
|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                   | रस्त्याची लांबी<br>(किमी) | लोकवस्त्या<br>(संख्या) | रस्त्याची लांबी<br>(किमी)      | जोडलेल्या लोकवस्त्या<br>(संख्या) |
| २०१७              | २४,४३९                    | ८,३१५                  | २३,१९८ (९५)                    | ८,२१८ (९९)                       |
| २०१८              | २७,२०७                    | ८,८०८                  | २६,०५३ (९६)                    | ८,५८४ (९७)                       |
| २०१९ <sup>+</sup> | २७,५७१                    | १०,८४८                 | २६,०८१ (९५)                    | १०,५५४ (९७)                      |

आधार: ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

टीप: कंसातील आकडेवारी भौतिक साध्याशी टक्केवारी दर्शवते

+ नोव्हेंबर अखेर



## मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना

९.३३ रस्त्यांनी न जोडलेल्या वस्त्यांना जोडणे व अस्तित्वातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे याकरिता २०१५-१६ पासून राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याचे लक्ष्य २१,४२४ किमी निर्धारित केले आहे. सन २०१८-१९ मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत ६,२१२ किमी लांबीच्या रस्त्याचा दर्जा सुधारण्यात आला आहे व ₹ ४,३६० कोटी खर्च झाला आहे.

## महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे प्रकल्प

९.३४ रस्त्यांचा व संबंधित पायाभूत सुविधांचा, खाजगी सहभागाद्वारे विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (मरविम) स्थापना करण्यात आली आहे. मरविमने ऑक्टोबर, २०१८ पर्यंत अंदाजित ₹ १२,५२४ कोटी किंमतीचे प्रकल्प पूर्ण केले असून, अंशतः व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवरील एकूण ₹ १७,९५४ कोटी खर्चाच्या तुलनेत एकूण टोल वसूलीची रक्कम ऑक्टोबर, २०१८ अखेर ₹ ८,०८० कोटी होती. महामंडळाच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती तक्ता ९.१९ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.१९ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती

| प्रकल्पाचे नाव                                                | प्रकल्प सुरु झाल्याचे वर्ष | प्रकल्पाची अंदाजित किंमत (₹ कोटी) | खर्च* (₹ कोटी) | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग                                   | २०१६-१७                    | ५५,३३५.३२                         | ६,८९८.९६       | २०२०-२१                          |
| पुणे चक्राकार मार्ग                                           | २०१६-१७                    | ४,२००.००                          | ७.६३           | उना                              |
| ठाणे- घोडबंदर उन्नत मार्ग                                     | २०१६-१७                    | ३,०००.००                          | १.५६           | उना                              |
| भिवंडी- कल्याण-शिळफाटा उन्नत मार्ग                            | २०१६-१७                    | २,६००.००                          | ४.२६           | उना                              |
| विदर्भातील रेल्वे वरील पूल                                    | २०१६-१७                    | ८७०.००                            | ३.५४           | उना                              |
| ठाणे खाडी पूल- टप्पा तीन                                      | २०१६-१७                    | ७७५.५८                            | ०.८१           | उना                              |
| मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्ग- ६ पदरी                        | २०१६-१७                    | ३१४.००                            | २४३.२३         | २०१९-२०                          |
| मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गास संलग्न सोई-सुविधा            | २०१४-१५                    | २००.००                            | ५.००           | २०१८-१९                          |
| मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमता वाढ                  | २००९-१०                    | ६,६९५.३७                          | २०.५०          | २०१९-२०                          |
| ठाणे टिकुजीनीवाडी ते बोरिवली बोगदा                            | २०१५-१६                    | ३,०००.००                          | ०.८८           | उना                              |
| सीमा तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण                              | २००८-०९                    | १,५००.००                          | ५०.८७          | उना                              |
| वसोवा - वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्प                            | २००७-०८                    | ११,३३२.८२                         | २३.१७          | २०२२-२३                          |
| मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प                            | २००५-०६                    | ३९३.४०                            | १६८.०१         | २०१८-१९ <sup>#</sup>             |
| मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प विस्तारित                  | २००८-०९                    | २,०६५.००                          | ६६३.७७         | २०१८-१९ <sup>#</sup>             |
| मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प                                    | २००३-०४                    | ४७१.७३                            | ७१८.१६         | २०१८-१९ <sup>#</sup>             |
| नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम (रेल्वे वरील पूलांसह)   | २००१-०२                    | ५१७.३६                            | ५२५.११         | २०१८-१९                          |
| औरंगाबाद एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम (रेल्वे वरील पूलांसह) | २००१-०२                    | ३६३.६९                            | ३४०.५५         | २०१७-१८ <sup>#</sup>             |

आधार : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

+ ऑक्टोबर, २०१८ अखेर

उना उपलब्ध नाही

# पूर्ण झाले

## महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग

९.३५ प्रस्तावित मुंबई ते नागपूर महामार्ग हा ७०१ किमी लांब व १२० मी रुंद आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग असून हे अंतर आठ तासांत गाठता येईल. हा महामार्ग १० जिल्हे, २६ तालुके व ३९० गावांमधून जाणार आहे व त्यामूळे २४ जिल्हे जोडले जातील. राज्य मार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग एकत्र येणा-या ठिकाणी २४ 'कृषी समृद्धी केंद्राचा' विकास करण्याचे योजिले आहे. हा महामार्ग बुटीबोरी, वर्धा,

अमरावती, जालना, चिकलठाणा, शेंद्रा, वाळूज व सिन्नर या औद्योगिक स्थळांना तर सेवाग्राम, कारंजा(लाड), लोणार, सिंदखेडराजा, वेरुळ व शिर्डी या पर्यटन स्थळ व तीर्थक्षेत्रांना जोडेल. या प्रकल्पाचे काम अभियांत्रिकी, खरेदी, बांधकाम तत्वावर करण्याचे प्रस्तावित आहे. एकूण ९,५९९.९९ हेक्टर आवश्यक जमिनीपैकी ८,२५९.८७ हेक्टरचे भूसंपादन झाले आहे. ऑक्टोबर, २०१८ अखेर ₹ ६,८९८.९६ कोटी खर्च झाला आहे.

### मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प

९.३६ मुंबई महानगर प्रदेशात (मुंमप्र) पूर्ण मुंबई शहर जिल्हा व मुंबई उपनगर जिल्हा आणि ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्याचा काही भाग समाविष्ट आहे. या महानगरप्रदेशात आठ महानगरपालिका, नऊ नगरपरिषदा आणि सुमारे एक हजार गावातील एकूण ४,३१२ चौ. किमी क्षेत्राचा समावेश आहे. या महानगर प्रदेशात उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल आणि बस वाहतूक सेवा उपलब्ध आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई महानगर प्रदेशात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. 'चेंबूर -वडाळा-संत गाडगे महाराज चौक (महालक्ष्मी) मोनोरेल' भारतातील पहिली मोनोरेल असून १७ स्थानकांसह मार्गाची लांबी १९.७० किमी आहे. उपनगरीय रेल्वे किंवा प्रस्तावित मेट्रोद्वारे जोडले न गेलेल्या शहराच्या भागांना मोनोरेल जोडते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा मार्फत सुरु असलेल्या वाहतूक प्रकल्पांची माहिती तक्ता ९.२० मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ९.२० मुंबई महानगर प्रदेशात सुरु असलेल्या वाहतूक प्रकल्पांची सद्यस्थिती

(₹ कोटी)

| प्रकल्पाचे नाव                                                                                                                       | प्रकल्प सुरु झाल्याचे वर्ष | प्रकल्पाची किंमत      | खर्च <sup>+</sup> | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष | सद्यस्थिती                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प :</b>                                                                                |                            |                       |                   |                                  |                                                   |
| टप्पा - एक, दोन व तीन : रस्ते व उड्डाणपूल                                                                                            | २००७                       | ६,२३५.१२              | ३,१४९.०६          | २०२२                             | टप्पा एक व दोन मधील १२ रस्ते व १० उड्डाणपूल पूर्ण |
| <b>मिठी नदी कामे टप्पा २</b><br>खोलीकरण, रुंदीकरण, सुशोभीकरण, सेवारस्ते, इत्यादी                                                     | २००७                       | ५७०.७६                | ५३८.६३            | २०१७                             | अंतिम टप्प्यात ~                                  |
| <b>बहुविध विरार ते अलिबाग मार्ग:</b><br>वाहनांसाठी आठ मार्गिका व फक्त बसेस करिता राखीव मार्गिका असलेला खुला मार्ग बांधकाम (१२६ किमी) | २०१०                       | ९,५००.०० <sup>@</sup> | ३९.९४             | २०२३                             | सल्लागार नियुक्त                                  |
| <b>वांद्रे-कुर्ला संकुल (जी-ब्लॉक) ते पूर्व द्रुतगती महामार्ग</b> यांच्या दरम्यान उन्नत मार्ग बांधकाम                                | २०१५                       | १५५.७०                | १३६.२९            | २०१९                             | काम प्रगतीपथावर                                   |
| <b>कुर्ला ते वाकोला टप्पा एक</b>                                                                                                     | २०१६                       | ४४९.००                | १७२.८९            | २०१९                             | काम प्रगतीपथावर                                   |
| <b>भारत डायमंड बोर्स ते वाकोला जंक्शन टप्पा दोन</b> , सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड विस्तार                                             | २०१७                       | २२०.८०                | २०.१५             | २०२०                             | काम प्रगतीपथावर                                   |
| <b>मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक :</b> शिवडी ते न्हावा सागरी सेतू बांधकाम (२२ किमी)                                                      | २०१७                       | १७,८४३.००             | ३,१७०.८६          | २०२२                             | काम प्रगतीपथावर                                   |

<sup>@</sup> भूसंपादनावरील खर्च वगळून

~ मा. सर्वोच्च न्यायालयाची सेवा रस्ते बांधकाम, सुशोभीकरण, इत्यादि स्थिती

+ मार्च, २०१९ अखेर

आधार : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

## मोटार वाहने

१.३७ राज्यात १ जानेवारी, २०१९ रोजी एकूण ३.४९ कोटी मोटार वाहने (दर लाख लोकसंख्येमागे २८,३८० वाहने) वापरात होती, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ८.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यातील एकूण वाहनांपैकी ३५.७५ लाख (१०.२ टक्के) वाहने बृहन्मुंबईत होती. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांच्या देखभाली खालील असलेल्या प्रति किमी रस्त्यावरील वाहनांची सरासरी संख्या ११५ आहे. वर्षानिहाय वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची प्रकारानिहाय संख्या तक्ता ९.२१ मध्ये आणि वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची संख्या परिशिष्ट ९.४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.२१ वापरात असलेल्या मोटार वाहनांची प्रकारानिहाय संख्या

(१०००)

| वाहन प्रकार                                                                                                    | १ जानेवारी रोजी |                 |            |                |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                                                                                                                | महाराष्ट्र      |                 |            | बृहन्मुंबई     |                |            |
|                                                                                                                | २०१८            | २०१९*           | शेकडा बदल  | २०१८           | २०१९*          | शेकडा बदल  |
| दुचाकी (मोटार सायकली, स्कूटर्स, मोपेड्स)                                                                       | २३,६२९.३        | २५,५७९.७        | ८.३        | १,९००.२        | २,०८९.८        | १०.०       |
| ऑटो रिक्शा                                                                                                     | ८०५.७           | ९६४.६           | १९.७       | १६१.१          | २०७.६          | २८.९       |
| हलकी मोटार वाहने (कार, जीप्स, स्टेशन वॅगन्स व टॅक्सी)                                                          | ४,८६३.८         | ५,२२७.०         | ७.५        | १,११७.१        | १,१८७.९        | ६.३        |
| बसेस (स्टेज कॉरेजेस, कॉन्ट्रॅक्ट कॉरेजेस, शालेय बसेस व पीएसव्ही)                                               | १३४.८           | १४२.८           | ५.९        | १४.३           | १४.७           | २.८        |
| माल मोटारी { आर्टीक्युलेटेड/मल्टी एक्सल वाहने, ट्रक्स व लॉरीज, टॅक्स, डिलीव्हरी व्हॅन्स (तीन व चार चाकी), इ. } | १,५९१.८         | १,७२२.२         | ८.२        | ५७.३           | ७१.४           | २४.६       |
| ट्रॅक्टर्स                                                                                                     | ६९३.७           | ७५२.३           | ८.५        | ०.२            | ०.२            | ०.०        |
| ट्रेलर्स                                                                                                       | ४०३.०           | ४१५.७           | ३.२        | ०.१            | ०.१            | ०.०        |
| रुग्णवाहिका                                                                                                    | १५.१            | १५.९            | ५.३        | १.२            | १.४            | १६.७       |
| वाहने                                                                                                          | ६०.२            | ६८.८            | १४.३       | १.५            | १.९            | २६.७       |
| <b>एकूण</b>                                                                                                    | <b>३२,१९७.४</b> | <b>३४,८८९.०</b> | <b>८.४</b> | <b>३,२५३.०</b> | <b>३,५७५.०</b> | <b>९.९</b> |

आधार : परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

पीएसव्ही सार्वजनिक सेवा वाहने

\* अस्थायी

१.३७.१ वाहन चालक परवाना 'सारथी' सॉफ्टवेअर आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र 'वाहन' सॉफ्टवेअर द्वारे स्मार्ट कार्डच्या स्वरूपात दिले जाते. मार्च, २०१८ अखेर मोटार वाहने चालविण्याच्या वैध परवान्यांची संख्या ३४१.०७ लाख होती जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.१ टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यात २०१७-१८ मध्ये शिकाऊ परवान्यांची संख्या १८.१ लाख होती.

१.३७.२ राज्यामध्ये दरवर्षी रस्ता सुरक्षा या संकल्पनेवर आधारित विविध पथनाट्ये आणि व्याख्याने आयोजित करण्यात येतात. राज्यात प्रति दहा हजार वाहनांमागे २०१८ मध्ये झालेल्या अपघातांची संख्या १० होती. राज्य व बृहन्मुंबईतील रस्ते अपघात, त्यामध्ये मृत व जखमी व्यक्तींविषयक आकडेवारी तक्ता ९.२२ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.२२ राज्य व बृहन्मुंबईतील रस्ते अपघात, मृत व जखमी व्यक्तींविषयक आकडेवारी

| वर्ष | अपघातांची संख्या |            | मृत व्यक्तींची संख्या |            |            | जखमी व्यक्तींची संख्या |            |            |
|------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
|      | राज्य            | बृहन्मुंबई | राज्य                 | बृहन्मुंबई | टक्केवारी@ | राज्य                  | बृहन्मुंबई | टक्केवारी@ |
| २०१६ | ३९,८४८           | ३,३४९      | १२,८८३                | ५१०        | ४.०        | ३५,८९४                 | ३,५३२      | ९.८        |
| २०१७ | ३५,८५३           | ३,१६०      | १२,२६४                | ४९०        | ४.०        | ३२,१२८                 | ३,२८७      | १०.२       |
| २०१८ | ३५,९५५           | ३,१३९      | १३,०८४                | ४१०        | ३.१        | ३१,२१६                 | ३,३२६      | १०.७       |

आधार : अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांचे कार्यालय (वाहतूक), महाराष्ट्र शासन

@ बृहन्मुंबईची राज्याशी

## सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक सुविधा

### महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

९.३८ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने २०१७-१८ या वर्षात प्रतिदिन सरासरी ६६.९८ लाख प्रवासी वाहतूक केली आहे. या महामंडळाची बस सेवा सुमारे ९२ टक्के लोकसंख्येला थेट, सहा टक्के लोकसंख्येस तीन किमी अंतरापर्यंत आणि उर्वरित दोन टक्के लोकसंख्येस पाच किमी अंतरापर्यंत ही सेवा उपलब्ध आहे. ही सेवा ७६ टक्के गावांमध्ये थेट, १५ टक्के गावांमध्ये तीन किमी अंतरापर्यंत तर पाच आणि चार टक्के गावांमध्ये अनुक्रमे तीन ते पाच किमी व पाच किमी पेक्षा जास्त अंतरावर सेवा उपलब्ध आहे. या महामंडळाची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.२३ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ९.२३ मरामाप महामंडळाची वाहतूक विषयक सांख्यिकी

| बाब                                                         | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१६-१७ च्या तुलनेत शेंकडा बदल | २०१८-१९ <sup>+</sup> |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|
| ताब्यातील एकूण वाहने                                        | १८,७१०   | १८,६५२   | (-)०.३                         | १८,९८४               |
| मार्गस्थ बसगाड्यांची प्रतिदिन सरासरी संख्या                 | १६,८३४   | १६,४२४   | (-)२.४                         | १६,४१२               |
| एकूण कर्मचारी (३१ मार्च रोजी)                               | १,०३,०४३ | १,०१,१९६ | (-)१.८                         | १,०१,१०६             |
| प्रतिदिन सरासरी सार्थ किमी (लाख)                            | ५६.६१    | ५५.७२    | (-)१.६                         | ५५.६४                |
| वाहतूक केलेल्या प्रवाशांची प्रतिदिन सरासरी संख्या (लाख)     | ६६.९५    | ६६.९८    | ०.०                            | ६२.८४                |
| वाहन उत्पादकता (किमी)                                       | ३०२.५४   | २९८.७३   | (-)१.३                         | २९३.०९               |
| प्रति दहा लिटर डिझेल मागे किमीचे प्रमाण (मानक ४८.५०)        | ४७.६५    | ४७.२१    | (-)०.९                         | ४५.७६                |
| चालक-वाहक उत्पादकता (किमी)                                  | २१३.०१   | २१४.८०   | ०.८                            | २१९.४०               |
| प्रति वाहन कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण (मार्गस्थ वाहनांच्या आधारे) | ६.१२     | ६.१६     | ०.७                            | ६.१३                 |
| सरासरी आसन क्षमता                                           | ४३.३५    | ४३.३४    | ०.०                            | ४३.३५                |
| भारमान (सवलतीच्या रकमेशिवाय) टक्के <sup>@</sup>             | ५४.६३    | ५६.२५    | ३.०                            | ५५.५२                |
| भारमान (सवलतीच्या रकमेसह) टक्के <sup>@</sup>                | ६८.७५    | ७०.८४    | ३.०                            | ६९.१५                |

आधार : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

@ बिंदू

+ सप्टेंबर अखेर

९.३८.१ नियमित वाहतूकी शिवाय मरामाप महामंडळ यात्रा व नैमित्तिक करार तत्वावर विशेष वाहतूक सेवा पुरविते. यात्रा व नैमित्तिक करारांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.२४ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ९.२४ मरामाप महामंडळाची यात्रा व नैमित्तिक करारांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी

| विवरण                   | यात्रा   |          | नैमित्तिक करार |             |          |          |             |          |
|-------------------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|
|                         |          |          | २०१६-१७        |             |          | २०१७-१८  |             |          |
|                         | २०१६-१७  | २०१७-१८  | सवलतीत         | विना-सवलतीत | सर्व     | सवलतीत   | विना-सवलतीत | सर्व     |
| सार्थ किमी (लाख)        | १९२.६२   | २०१.३७   | ११५.१२         | ५७.६४       | १७२.७६   | १५३.०७   | ४४.६७       | १९७.७४   |
| प्राप्त उत्पन्न (₹ लाख) | ६,६४६.०७ | ७,१९१.३९ | २,८७७.३८       | २,९८२.८६    | ५,८६०.२४ | ३,८११.६४ | २,२४०.४६    | ६,०५२.१० |
| प्रति किमी उत्पन्न (₹)  | ३४.५०    | ३५.७१    | २४.९९          | ५१.७५       | ३३.९२    | २४.९०    | ५०.१६       | ३०.६१    |

आधार : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

९.३८.२ हे महामंडळ विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक (६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले), कर्क रुग्ण, स्वातंत्र्यसैनिक, इ. प्रवाशांना बस भाड्यात सवलत देते. सवलतीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. सन २०१७-१८ मध्ये सवलतीची रक्कम ₹ १,३८४.३५ कोटी होती.

९.३८.३ या महामंडळाने सन २०१६-१७ व २०१७-१८ करिता अनुक्रमे ₹ १०९ कोटी व ₹ १२१ कोटी टोल रक्कम अदा केली.

९.३८.४ अपघातांची संख्या व मरामाप महामंडळाकडून दिलेली भरपाई तक्ता ९.२५ मध्ये दिली आहे.

९.३८.५ वित्तीय स्थिती तक्ता ९.२६ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ९.२५ अपघातांची संख्या व मरामाप महामंडळाकडून दिलेली भरपाई

| विवरण                          | २०१६-१७  | २०१७-१८  |
|--------------------------------|----------|----------|
| अपघातांची संख्या               | २,७७२    | २,९३३    |
| मृत व्यक्तींची संख्या          | ४४५      | ४२०      |
| जखमी व्यक्तींची संख्या         | ४,७४५    | ५,२४२    |
| दर लाख किमी मागे अपघात         | ०.१३     | ०.१४     |
| घटनास्थळी दिलेली रक्कम (₹ लाख) | ३३.३१    | ३४.५४    |
| अंतिम भरपाई (₹ लाख)            | ७,८३१.७७ | ८,५४३.२५ |

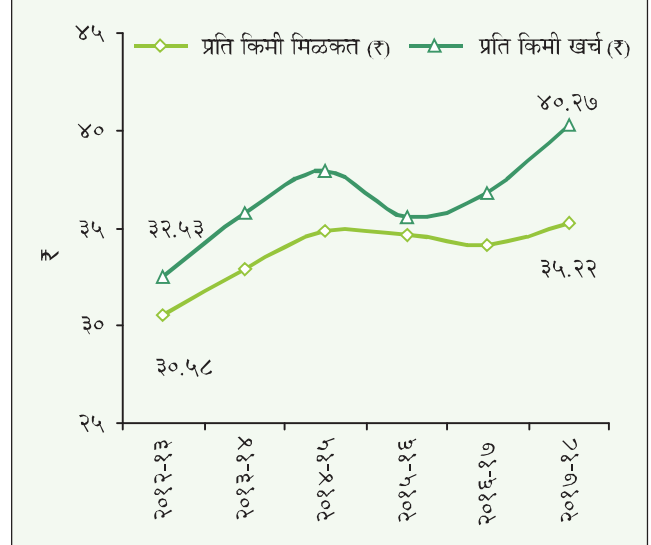
आधार : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

#### तक्ता ९.२६ मरामाप महामंडळाची वित्तीय स्थिती

| विवरण                                      | २०१६-१७         | २०१७-१८         |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (₹ कोटी)                                   |                 |                 |
| (अ) जमा                                    |                 |                 |
| प्रवासी महसूल                              | ६,७९०.८५        | ६,८७८.३४        |
| इतर महसूल                                  | २६५.२५          | २८९.६७          |
| <b>एकूण (अ)</b>                            | <b>७,०५६.३३</b> | <b>७,१६८.०१</b> |
| (ब) खर्च                                   |                 |                 |
| प्रवासी, मोटार वाहने व महापालिका कर व जकात | ८९९.३६          | ९०७.५५          |
| महापालिका कर व जकात                        |                 |                 |
| घसारा                                      | ३२५.५०          | २४३.३८          |
| इतर                                        | ६,३७५.०४        | ७,०४५.३४        |
| <b>एकूण (ब)</b>                            | <b>७,५९९.९०</b> | <b>८,१९६.२७</b> |
| (१) नफा (अ - ब)                            | (-)५४३.५७       | (-)१,०२८.२६     |
| (२) मागील ताळमेळ                           | २०.७९           | (-)५५०.४१       |
| (३) निव्वळ नफा (१ + २)                     | (-)५२२.७८       | (-)१,५७८.६७     |

आधार : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

#### आलेख ९.६ : मरामापम-प्रति किमी मिळकत आणि प्रति किमी खर्च



### शहरी सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक

९.३९ सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक व्यवस्था हे शहरातील प्रवासी वाहतुकीचे प्रमुख साधनांपैकी एक साधन आहे. राज्यातील २१ शहरात ही सुविधा उपलब्ध आहे. यापैकी सात शहरात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (मरामापम), बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट), पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) आणि उर्वरित १२ शहरात संबंधित महानगरपालिका / नगरपरिषद प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवितात. शहरी सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक सेवा विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.२७ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ९.२७ शहरी सार्वजनिक प्रवासी रस्ते वाहतूक सेवा विषयक सांख्यिकी

(३१ मार्च रोजी)

| वाहतूक सेवा पुरविणारी यंत्रणा              | मार्गस्थ वाहनांची प्रतिदिन सरासरी संख्या |       | प्रतिदिन सरासरी प्रवासी वाहतूक (लाख) |       | प्रतिदिन सरासरी सार्थ वाहतूक (लाख किमी) |       | निव्वळ नफा/तोटा (₹ लाख) |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------|
|                                            | २०१७                                     | २०१८  | २०१७                                 | २०१८  | २०१७                                    | २०१८  | २०१७                    | २०१८        |
| मरामापम (शहर वाहतूक)                       | ४६७                                      | ३८२   | २.३५                                 | २.०७  | ०.८४                                    | ०.६७  | (-)३,०८०                | (-)२,२६९    |
| बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन बेस्ट | ३,२६७                                    | ३,०५८ | २८.३४                                | २६.२० | ५.८६                                    | ५.१९  | (-)९९,०१०               | (-)१,०४,९४५ |
| पीएमपीएल                                   | १,३८२                                    | १,४२५ | १०.७९                                | ११.२१ | २.९९                                    | ३.०७  | (-)२१,०४२               | (-)२०,४६२   |
| नवी मुंबई मनपा परिवहन                      | ३०९                                      | ४२२   | २.७९                                 | २.९०  | ०.८५                                    | ०.९१  | (-)४,१४७                | (-)५,६०२    |
| नागपूर मनपा परिवहन                         | २८६                                      | २९७   | १.५९                                 | १.५७  | ०.६१                                    | ०.६४  | (-)७ <sup>#</sup>       | ८४          |
| ठाणे मनपा परिवहन                           | १९५                                      | २८१   | १.२९                                 | १.७६  | ०.३३                                    | ०.५६  | (-)४,५५२                | (-)७,०२५    |
| कोल्हापूर मनपा परिवहन                      | १०७                                      | १०५   | ०.६६                                 | ०.७०  | ०.२४                                    | ०.२३  | (-)४१८                  | (-)३२२      |
| सोलापूर मनपा परिवहन                        | ५९                                       | ३६    | ०.३१                                 | ०.२२  | ०.१४                                    | ०.०९  | (-)८३७                  | (-)१६७३     |
| कल्याण-डोंबिवली मनपा परिवहन                | ७३                                       | ७२    | ०.४०                                 | ०.३९  | ०.१४                                    | ०.१३  | (-)१,४३५                | (-)१,५७८    |
| मिरा-भाईंदर मनपा परिवहन                    | ३२                                       | ३१    | ०.२३                                 | ०.२४  | ०.०७                                    | ०.०७  | (-)४६०                  | (-)७५४      |
| अमरावती मनपा परिवहन                        | २५                                       | २५    | ०.२५                                 | ०.२७  | ०.०४                                    | ०.०४  | (-)६३                   | (-)९५       |
| अहमदनगर मनपा परिवहन                        | १५                                       | १६    | ०.०८                                 | २.१३  | ०.०२                                    | ०.३१  | (-)७                    | ०.२         |
| अकोला मनपा परिवहन                          | ५                                        | ५     | ०.०२                                 | ०.०२  | ०.०१                                    | ०.०१  | -                       | -           |
| लातूर मनपा परिवहन                          | ३                                        | ३     | ०.०१                                 | ०.०१  | ०.००३                                   | ०.००४ | (-)३५                   | ४           |
| खोपोली नगरपरिषद परिवहन                     | १४                                       | १४    | ०.०५                                 | ०.०४  | ०.०२                                    | ०.०२  | १६                      | १३          |

# एप्रिल, २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ पर्यंतचा निव्वळ नफा/तोटा वगळून

आधार : मरामापम महामंडळ, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ व संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका

## रेल्वे

९.४० रेल्वे ही प्रमुख प्रवासी वाहतूक व्यवस्था आहे. प्रवासी व मालवाहतूक हे रेल्वे वाहतूकीचे दोन प्रमुख भाग आहेत. राज्यातील लोहमार्गाची ३१ मार्च, २०१८ रोजी एकूण लांबी ६,११४ किमी (कोकण रेल्वेच्या ३८१ किमी लांबीसह) भारतातील एकूण (६८,४४२ किमी) लांबीच्या ८.९ टक्के एवढी आहे. राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वे कामांची सद्यस्थिती तक्ता ९.२८ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता ९.२८ राज्यात सुरु असलेल्या रेल्वे कामांची सद्यस्थिती

(३० जून, २०१७ रोजी)

| मार्गाचे नाव                                   | मार्गाची लांबी (किमी) | प्रकल्पाची एकूण किंमत (₹ कोटी) | कामाची भौतिक प्रगती (टक्के) |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| पेण - रोहा (दुपदरीकरण)                         | ४०                    | १६३.००                         | ९५                          |
| बारामती - लोणंद (नवीन मार्ग)                   | ६४                    | ७३६.४४                         | ५०                          |
| बेलापूर - सीवूड- उरण (नवीन मार्ग)              | २७                    | १,७८१.९८                       | ४८                          |
| अहमदनगर-नारायणडोह-बीड-परळी-वैजनाथ              | २६१                   | २,२७१.००                       | ४०                          |
| भुसावळ-जळगांव तिसरा मार्ग (दुपदरीकरण)          | २४                    | १९९.१२                         | ३१                          |
| वर्धा-सेवाग्राम-नागपूर तिसरा मार्ग (दुपदरीकरण) | ७६                    | ५४०.०२                         | १६                          |
| टीगाव चिचोडा तिसरा मार्ग (दुपदरीकरण)           | १७                    | १७५.६६                         | १३                          |
| कल्याण-कसारा तिसरा मार्ग (दुपदरीकरण)           | ६८                    | ७९२.८९                         | ९                           |
| पुसद-यवतमाळ मार्ग वर्धा - नांदेड, (नवीन मार्ग) | २८४                   | २,४९१.४३                       | ८                           |

आधार : दक्षिण पूर्व, मध्य, दक्षिण मध्य व पश्चिम रेल्वे आणि कोकण रेल्वे महामंडळ

## मुंबई उपनगर रेल्वे

१.४१ उपनगरीय रेल्वे हे मुंबईमध्ये प्रवासी वाहतूकीचे प्रमुख साधन आहे. मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सेवा पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वे या दोन विभागीय रेल्वे द्वारे चालविली जाते. हार्बर व ट्रान्स हार्बर मार्ग हे मध्य रेल्वेचे भाग आहेत. दर दिवशी एकूण २१९ गाड्यांच्या ताफ्याने २,९७७ फेऱ्यांद्वारे सरासरी ७९.७ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली जाते.

१.४२ मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्पातील रेल्वे मार्गाची कामे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, मर्यादित करित आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली आहेत. या प्रकल्पातील टप्पा दोन अंतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती तक्ता १.२९ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १.२९ मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प टप्पा दोन अंतर्गत प्रकल्पांची सद्यस्थिती

| प्रकल्पाचे नाव                               | काम सुरु झाल्याचे वर्ष | मार्गिकेची लांबी (मार्ग किमी) | अंदाजित किंमत (₹ कोटी) | खर्च (₹ कोटी) | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| ठाणे-दिवा (अतिरिक्त पाचवा व सहावा मार्ग)     | २००८-०९                | ९.४४                          | ४४०                    | २८९.९२        | २०१९                             |
| मुंबई सेंट्रल-बोरीवली (अतिरिक्त सहावा मार्ग) | २००८-०९                | २९.५०                         | ९१९                    | २०२.३१        | २०२१                             |
| सीएसटी-कुर्ला (अतिरिक्त पाचवा व सहावा मार्ग) | २००८-०९                | १५.३९                         | १,३६७                  | ८२.९१         | २०२१                             |

आधार: मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ

१.४३ उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षेविषयी घोषणांव्यतिरिक्त दुर्घटना टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उदा. फुट ओव्हरब्रिजेस, भुयारे (सबवेज), उपनगरीय रेल्वे ट्रॅकवरील नागरीकांच्या गैरवाहतूकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम, विद्युत खांबांचे स्थलांतरण करणे, इत्यादी. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघाती मृत्यु व जखमींची (कारणनिहाय) संख्या तक्ता १.३० मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १.३० मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील अपघाती मृत्यु व जखमींची (कारणनिहाय) संख्या

| अपघाताचे कारण                   | २०१६         |              | २०१७         |              | २०१८         |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | मृत्यु       | जखमी         | मृत्यु       | जखमी         | मृत्यु       | जखमी         |
| रुळ ओलांडतांना                  | १,७९८        | ३७९          | १,६५१        | ३७६          | १,६१९        | ३२३          |
| रेल्वे व फ्लाट दरम्यान पडून     | १३           | १९           | १८           | ६            | ६            | ८            |
| रेल्वेमधून पडून                 | ६५७          | १,४९८        | ६५४          | १,४३४        | ७११          | १,५८५        |
| रेल्वेच्या खांबांना धक्का लागून | ८            | ८५           | १२           | ९०           | १९           | ९०           |
| अन्य \$                         | ७२६          | १,३८२        | ६७९          | १,४३९        | ६२६          | १,३४३        |
| <b>एकूण</b>                     | <b>३,२०२</b> | <b>३,३६३</b> | <b>३,०१४</b> | <b>३,३४५</b> | <b>२,९८१</b> | <b>३,३४९</b> |

\$ विजेचा धक्का लागून, आत्महत्या, नैसर्गिक मृत्यु, रासायनिक प्रयोगशाळेकडे संदर्भित केलेली प्रकरणे, इत्यादी.

आधार: मुंबई लोहमार्ग पोलिस आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

## मेट्रो रेल्वे प्रकल्प

१.४४ वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतूक सुविधांची मागणी वाढली आहे. महानगर क्षेत्रासाठी सुरक्षित, विश्वसनीय, कार्यक्षम, किफायतशीर, प्रवासी आणि पर्यावरणास अनुकूल, वेगवान सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. शहरी वाहतूक समस्येचे निराकरण करणारी उच्च क्षमतेच्या रेल्वे आधारित मेट्रो देशात स्वीकारले जात आहे. इतर शहरांच्या मेट्रो रेल्वेच्या यशस्वीतेनंतर, अनेक शहरांनी मेट्रो रेल्वे प्रणालीची अंमलबजावणी/योजली आहे.

## मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प

१.४४.१ सामुहिक शीघ्र वाहतूक व्यवस्थेवर आधारित मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर राबविण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा मार्फत सुरु असलेल्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांची माहिती तक्ता १.३१ मध्ये दिली आहे.



**तक्ता ९.३१ मुंबई महानगर प्रदेशात सुरु असलेल्या वाहतूक प्रकल्पांची सद्यस्थिती**

(₹ कोटी)

| मेट्रो लाईन / प्रकल्पाचे नांव                   | प्रकल्प सुरु झाल्याचे वर्ष | प्रकल्पाची किंमत | खर्च *   | काम पूर्ण होण्याचे अपेक्षित वर्ष | सद्यस्थिती                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| २ ए दहिसर - डी. एन. नगर (१८.६ किमी)             | २०१६                       | ६,४१०            | १,३५१.४२ | २०२०-२१                          | ६३ टक्के स्थापत्य काम पूर्ण |
| २ बी डी. एन. नगर-मंडाळे (२३.६ किमी)             | २०१७                       | १०,९८६           | १९६.३१   | २०२१-२२                          | स्थापत्य काम सुरु           |
| कुलाबा - वांद्रे - सीझ (३३.५ किमी)              | २०१५                       | २३,१३६           | ९,४०२.०९ | २०२१-२२                          | स्थापत्य कामे प्रगतिपथावर   |
| ४ वडाळा - घाटकोपर - ठाणे - कासारवडवली (३२ किमी) | २०१७                       | १४,५४९           | २२७.९८   | २०२१-२२                          | स्थापत्य कामे प्रगतिपथावर   |
| ६ स्वामी समर्थ नगर विक्रोळी (१४.५ किमी)         | २०१८                       | ६,७१६            | २०१.३०   | २०२१-२२                          | स्थापत्य काम सुरु           |
| ७ अंधेरी (पू.) - दहिसर (पू.) (१६.५ किमी)        | २०१६                       | ६,२०८            | १,५६१.०४ | २०२०-२१                          | ६७ टक्के स्थापत्य काम पूर्ण |

आधार: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ

+मार्च, २०१९ अखेर

**नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प**

९.४४.२ महाराष्ट्र शासन सिडको मार्फत ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत आहे. प्रकल्प टप्पा टप्प्यात विकसित करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात बेलापूर- पेंधार ११.१० किमी उन्नत मार्ग आणि ११ स्टेशन चे काम प्रगतीपथावर आहे. सदर कामाचा अंदाजित खर्च ₹ ३,०६३.६३ कोटी असून जानेवारी, २०१९ अखेर ₹ १,६५० कोटी खर्च झाला आहे.

**नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प**

९.४४.३ नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची लांबी ४१.७ किमी असून ३८ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण विस्तार उत्तर-दक्षिण मार्ग (२२.२९ किमी व १८ स्थानके) व पूर्व पश्चिम मार्ग (१९.४१ किमी व २० स्थानके) या दोन मार्गांमध्ये विभागला आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ₹ ८,६८० कोटी आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ८६.१४ हेक्टर जमीनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ८०.५५ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. जानेवारी, २०१९ अखेर ₹ ४,८९९ कोटी खर्च झाला आहे. फेब्रुवारी, २०१९ या महिन्यामध्ये विमानतळ स्टेशन ते जयप्रकाश नगर स्टेशन दरम्यान सुरक्षा दौड आयोजित करण्यात आली होती. मार्च, २०१९ पासून खापरी-सीताबर्डी प्रवासी सेवा सुरु झाली आहे.

**पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प**

९.४४.४ पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची लांबी ३१.२५ किमी असून दोन मार्ग आहेत. चिंचवड ते स्वारगेट मार्ग १६.५९ किमी लांबीचा असून ११.५७ किमी उन्नत मार्ग आहे व उर्वरित ५.०२ किमी मार्ग जमिनीखालून आहे. उन्नत मार्गावर नऊ स्थानके असून पाच जमिनीखाली आहेत. वनाज ते रामवाडी हा मार्ग १४.६६ किमी लांबीचा पूर्णपणे उन्नत असून १६ स्थानके आहेत. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹ ११,४२० कोटी आहे. सदर प्रकल्प नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ४४.२५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ३१.५७ हेक्टर शासकीय जमिन आहे. जानेवारी, २०१९ अखेर आर्थिक व भौतिक प्रगती अनुक्रमे १९ व २८ टक्के झाले आहे.

**जलवाहतूक**

९.४५ जलवाहतूक ही वाहतूकीच्या इतर पर्यायांच्या तुलनेने किफायतशीर, पर्यावरणस्नेही आणि प्रवासी वेळ व खर्चात बचत करणारी आहे. व्यापार व वाणिज्याच्या शाश्वत वृद्धीसाठी जलवाहतूक क्षेत्राचा महत्वपूर्ण वाटा आहे. बंदरे क्षेत्रास चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विस्तारीत करून त्याद्वारे औद्योगिक विकास साधणे याकरिता शासन 'बंदर विकास धोरण-२०१६' राबवित आहे. या धोरणात हरितक्षेत्र बंदरे, जेट्टी, शिपयार्ड, सागरी व अंतर्गत जलवाहतूक, बंदरे जोडणी, सागरी आर्थिक परिक्षेत्र इ. क्षेत्रांचा समावेश आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून रॉयल्टी, बिनशेती आकार, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मुद्रांक शुल्क, बंदर कर सुट यासारख्या विविध सवलती बंदर प्रकल्पांना देण्यात येत आहेत.

**मोठी बंदरे**

९.४५.१ राज्यात मुंबई पोर्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही दोन मोठी बंदरे आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये, मुंबई पोर्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यांनी अनुक्रमे ६२८.२८ लाख मे.टन व ६६०.०४ लाख मे.टन मालाची वाहतूक केली. मोठ्या बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.३२ मध्ये दिली आहे.



**तक्ता ९.३२ मोठ्या बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी**

| बाब                                | मुंबई पोर्ट |         |           | जवाहरलाल नेहरू पोर्ट |         |           |
|------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------------------|---------|-----------|
|                                    | २०१६-१७     | २०१७-१८ | शेकडा बदल | २०१६-१७              | २०१७-१८ | शेकडा बदल |
| एकूण माल वाहतूक क्षमता (लाख मे.टन) | ५०२.५०      | ७८४.००  | ५६.०      | ८८३.००               | ८८३.००  | (-)१.२    |
| कर्मचारी (संख्या)                  | ९,४४५       | ८६२९    | (-)८.६    | १,६१५                | १,५६७   | (-)१.७    |
| माल वाहतूक (लाख मे.टन)             | ६३०.४८      | ६२८.२८  | (-)०.३    | ६२१.५१               | ६६०.०४  | ६.२       |
| पैकी अ) आयात                       | ४२७.२५      | ४२४.७९  | (-)०.६    | ३४७.५६               | ३६९.४८  | ६.३       |
| ब) निर्यात                         | २०३.२३      | २०३.४९  | ०.१       | २७३.९५               | २९०.५६  | ६.१       |
| प्रवासी वाहतूक (हजार)              | १७.४४       | २१.४४   | २२.९      | लाना                 | लाना    | लाना      |
| बंदरात आलेल्या बोटी (संख्या)       | ५,४२७       | ५,७५६   | ६.१       | २,७२०                | २,८२८   | ४.०       |
| परिचालन उत्पन्न (₹ कोटी)           | १,४७७.८०    | १५६०.४६ | ५.६       | १७००.९७              | १८९०.८८ | ११.२      |
| परिचालन खर्च (₹ कोटी)              | १,१११.६७    | १२२५.९२ | १०.३      | ८०४.९७               | ७५१.२५  | (-)६.७    |
| परिचालन अधिक्य (₹ कोटी)            | ३६६.१३      | ३३४.५४  | (-)८.६    | ८९६.००               | ११३९.६३ | २७.२      |

आधार : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

लाना लागू नाही

**लहान बंदरे**

९.४५.२ लहान बंदरांच्या परिसरात अनेक बंदिस्त व बहुउद्देशीय थांबे असून तेथे देखील मालाची वाहतूक केली जाते. लहान बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.३३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ९.३३ लहान बंदरांची वाहतूक विषयक सांख्यिकी**

| बाब                         | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९* |
|-----------------------------|---------|---------|----------|
| माल वाहतूक (लाख मे. टन)     | ३४८.९४  | ३७३.६७  | २०१.१७   |
| पैकी अ) आयात                | २९०.०९  | ३१४.१३  | १६०.८४   |
| ब) निर्यात                  | ५८.८५   | ५९.५४   | ४०.३३    |
| प्रवासी वाहतूक (लाख)        | १८२.८२  | १९१.१९  | ८६.८५    |
| पैकी अ) यांत्रिकी बोटीतून   | १७३.१८  | १८५.२२  | ८५.६९    |
| ब) बिगर - यांत्रिकी बोटीतून | ९.६४    | ५.९७    | १.१६     |

आधार : महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड

+ सप्टेंबर अखेर

रेवस-आवरे, विजयदुर्ग, रेडी आणि वाधवन या बंदरांची बाधकाम पूर्व कामे प्रगतीपथावर आहेत.

**सागरमाला कार्यक्रम**

९.४५.३ बंदरामुळे होणा-या विकासास चालना देणे या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. किनारपट्टीवरील बंदरामध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी या कार्यक्रमांतर्गत ₹ ४७५ कोटी इतक्या खर्चाच्या २३ प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मंजूरी मिळाली आहे.

**मरीना**

९.४५.४ अनधिकृत व असंघटीत नांगरवाड्यांमुळे जलक्षेत्रामध्ये झालेली दाटी कमी होण्यास मरीनामुळे मदत होईल. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ३० बोटी नांगरण्याकरिता पनवेल जवळील बेलापूर खाडी येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येत असून हा प्रकल्प डिसेंबर, २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यामुळे गेटवे ऑफ इंडिया नजिकच्या समुद्रात नांगरून ठेवलेल्या यॉट्स व स्पीड बोटी मरीनामध्ये सुरक्षित ठेवता येतील.

## रोरो सेवा

९.४५.५ मुंबईतील नविन भाऊचा धक्का आणि रायगड जिल्ह्यातील मांडवा बंदर येथे जेटी व प्रवासी सुविधांची कामे पूर्ण झाली असून रो रो सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. राजपूर खाडी मध्ये आगरदांडा (तालूका मुरुड) आणि दिघी (तालूका श्रीवर्धन) येथे रो रो जेटी व प्रवासी टर्मिनल इमारतीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. रेवस ते करंजा या जलमार्गावर रो रो सेवा सुरु करण्यासाठी जेटी प्रकल्पांचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

## विमान वाहतूक

९.४६ राज्यात तीन आंतरराष्ट्रीय व १३ देशांतर्गत विमानतळे आहेत. निवडक विमानतळ निहाय प्रवासी व मालवाहतूक विषयक सांख्यिकी तक्ता ९.३४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता ९.३४ निवडक विमानतळनिहाय प्रवासी व मालवाहतूक विषयक सांख्यिकी

(३१ मार्च रोजी)

| विमानतळ                 | प्रवासी वाहतूक (लाख) |               |            | माल वाहतूक (मे.टन) |                 |             |
|-------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|
|                         | २०१७                 | २०१८          | शेकडा बदल  | २०१७               | २०१८            | शेकडा बदल   |
| <b>अ) देशांतर्गत</b>    | <b>४१५.०५</b>        | <b>४५३.२८</b> | <b>९.२</b> | <b>२,७८,५८३</b>    | <b>३,१०,७४०</b> | <b>११.१</b> |
| मुंबई                   | ३२७.१२               | ३४८.५०        | ६.५        | २,३४,९१७           | २,५८,३५६        | १०.०        |
| पुणे                    | ६५.१२                | ७८.९२         | २१.२       | ३४,६४५             | ४१,५१५          | १९.८        |
| नागपूर                  | १७.८२                | २०.८०         | १६.७       | ६,७२६              | ६,९८९           | ३.९         |
| औरंगाबाद                | ३.२४                 | ३.४०          | ४.९        | १,४३६              | १,७२९           | २०.४        |
| जुहू                    | १.७५                 | १.६६          | (-)५.१     | ३७२                | ३८२             | २.७         |
| ओझर <sup>१</sup>        | नगण्य                | नगण्य         | नगण्य      | ४८७                | १,७६९           | २६३.२       |
| <b>ब) आंतरराष्ट्रीय</b> | <b>१२६.१०</b>        | <b>१३८.२९</b> | <b>९.७</b> | <b>५,४७,७९१</b>    | <b>६,४८,८८१</b> | <b>१८.५</b> |
| मुंबई                   | १२२.४४               | १३४.५२        | ८.१        | ५,४७,३७२           | ६,४७,९६५        | १८.४        |
| पुणे                    | २.५७                 | २.७१          | ५.४        | ०                  | ५१              | -           |
| नागपूर                  | १.०९                 | १.०६          | (-)२.९     | ४१९                | ८६५             | १०६.४       |
| <b>एकूण (अ + ब)</b>     | <b>५४१.१५</b>        | <b>५९१.५७</b> | <b>९.३</b> | <b>८,२५,८८७</b>    | <b>९,५७,८५२</b> | <b>१६.०</b> |

आधार : भारतीय विमानतळ प्राधिकरण

\$ एक्सम

९.४६.१ छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई येथे अतिरिक्त विमानतळाचे काम सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर चार टप्प्यात प्रस्तावित असून मूलभूत खर्च अंदाजे ₹ १५,१४९ कोटी अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यात वार्षिक दशलक्ष प्रवासी क्षमता असलेले विमानतळ सन २०१९ मध्ये कार्यान्वित होईल.

९.४६.२ नागपूर येथील बहुआयामी आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळ (मिहान) प्रकल्पामध्ये सध्याच्या विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व कार्गो हब विमानतळ म्हणून विकसीत करण्याचे अंतर्भूत आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे मिहान इंडीया मर्यादित प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे क्षेत्र ४,३०० हेक्टर आहे. यापैकी विमानतळ क्षेत्र १,३६० हेक्टर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) हे २,००० हेक्टर आणि पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती, निवासी, व्यावसायिक आणि इतर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) संबंधित सुविधा क्षेत्र सुमारे १,००० हेक्टर आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास महामंडळाने तीन, चार आणि सहा पदरी रस्ते, पाणीपुरवठा प्रणाली, जलनिःसारण प्रणाली विद्युत पुरवठा व प्रसारण, दूरध्वनी, पथ दिवे, मलनिःसारण प्रणाली अशा आवश्यक सुविधा विकसित केल्या आहेत. आणि आयटी कंपन्यांना ५१० हेक्टर भाडेकरारावर दिले आहे.

## दळणवळण

१.४७ टपाल, दूरध्वनी, दृक्श्राव्य व माहिती दूरसंचार हे दळणवळण व्यवस्थेचे प्रमुख घटक आहेत. डाक सेवेबाबतची सांख्यिकी तक्ता १.३५ मध्ये दिली आहे.

१.४८ राज्यात डिसेंबर, २०१८ रोजी इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ७.६ कोटी होती, जी सर्व राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे.

१.४९ डिसेंबर, २०१८ अखेर राज्यात एकूण दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या ४५.१० लाख होती. दर लाख लोकसंख्येमागे दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी जोडण्यांची संख्या अनुक्रमे ३,७२५ व १,०७,११७ होती. दूरध्वनी जोडण्या व भ्रमणध्वनींची आकडेवारी तक्ता १.३६ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १.३५ डाक सेवेबाबतची सांख्यिकी

(संख्या)

| बाब                               | क्षेत्र | २०१६-१७ | २०१७-१८ |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| डाक कार्यालये                     | ग्रामीण | ११,३६६  | ११,३८१  |
|                                   | नागरी   | १,२३६   | १,२३३   |
|                                   | एकूण    | १२,६०२  | १२,६१४  |
| टपाल पेट्या                       | ग्रामीण | ३७,३५५  | ३५,८४१  |
|                                   | नागरी   | ७,५७९   | ७,९८८   |
|                                   | एकूण    | ४४,९३४  | ४३,८२९  |
| डिलिव्हरी पोस्टमेन (डाक सेवकांसह) | ग्रामीण | १६,६२६  | उना     |
|                                   | नागरी   | ७,४४७   | उना     |
|                                   | एकूण    | २४,०७३  | उना     |

आधार : मुख्य डाक कार्यालय, मुंबई

उना उपलब्ध नाही

### तक्ता १.३६ दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी जोडण्या

(लाख)

| सेवापुरवठादार | २०१६-१७  |            | २०१७-१८  |            | २०१८-१९ <sup>+</sup> |                      |
|---------------|----------|------------|----------|------------|----------------------|----------------------|
|               | दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी | दूरध्वनी | भ्रमणध्वनी | दूरध्वनी             | भ्रमणध्वनी           |
| एमटीएनएल      | १८.६१    | १३.००      | १८.०८    | १२.७७      | १७.७४                | १२.५४                |
| बीएसएनएल      | १४.१९    | ६५.०२      | १२.५९    | ७१.१०      | ११.२३                | ६९.०८                |
| भारती         | ४.३७     | २०८.७३     | ४.४४     | २२५.६०     | ४.५२ <sup>\$</sup>   | २४८.५१ <sup>\$</sup> |
| टेलिनॉर       | लाना     | ७७.०३      | लाना     | ४८.२४      |                      |                      |
| वोडाफोन       | ०.३७     | २८३.७४     | ०.५४     | ३०४.६५     | ०.७१ <sup>#</sup>    | ६४६.९२ <sup>#</sup>  |
| आयडीया/स्पाईस | लाना     | ३०८.५५     | लाना     | ३५३.४७     |                      |                      |
| रिलायंस/जिओ   | ३.३९     | २१४.३३     | २.८४     | २२०.३०     | २.२९                 | ३२३.४७               |
| टाटा          | ८.२९     | ७८.५३      | ८.७२     | ५१.८४      | ८.६१                 | २४.९८                |
| एअरसेल-डिशनेट | लाना     | ५५.८७      | लाना     | २१.८२      | लाना                 | लाना                 |
| एकूण          | ४९.२२    | १,३०४.८०   | ४७.२१    | १,३०९.७९   | ४५.१०                | १,३२५.५०             |
| भारत एकूण     | २४४.०१   | ११,७०१.७८  | २२८.११   | ११,८३४.०९  | २१८.६८               | ११,७५९.९७            |

\$ भारती व टेलिनॉर एकत्रित

# वोडाफोन व आयडीया एकत्रित

लाना लागू नाही

+ डिसेंबर अखेर

## जनसंवाद संपर्क

१.५० मार्च, २०१८ अखेर तिमाहीत विनामूल्य दूरदर्शनच्या व्यतिरिक्त ४९ प्रसारकानुसार ३०८ सशुल्क वाहिन्या आणि विनामूल्य दूरदर्शनच्या व्यतिरिक्त पाच डीटीएच ऑपरेटर आहेत. ऑल इंडिया रेडिओद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रेडिओ स्टेशन व्यतिरिक्त, राज्यातील १३ शहरांमध्ये एफएम रेडिओ चॅनेल कार्यरत आहेत.

\* \* \* \* \*

## परिशिष्ट ९.१

## राज्यातील विजेचा पुरवठा व वापर

| बाब<br>(१)                                | १९६०-६१<br>(२)      | १९७०-७१<br>(३)      | १९८०-८१<br>(४) | १९९०-९१<br>(५) | २०००-०१<br>(६)            | २०१०-११<br>(७) | २०१७-१८<br>(८)  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| <b>अ. स्थापित क्षमता (मेगावॅट)</b>        |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| अ-१ राज्यातील स्थापित क्षमता-             |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| (१) औष्णिक                                | ४७७ <sup>\$</sup>   | १,०६५ <sup>\$</sup> | २,७७१          | ६,४६२          | ८,०७५                     | ९,६६५          | २२,०९६          |
| (२) नवीकरणीय ऊर्जा                        | --                  | --                  | --             | --             | --                        | ३,४०८          | ८,४७६           |
| (३) जलजन्य                                | २८२                 | ८४४                 | १,३१७          | १,५५२          | २,८७४                     | ३,०६६          | २,९४१           |
| (४) नैसर्गिक वायुजन्य                     | --                  | --                  | --             | ६७२            | १,८२०                     | २,७१४          | ३,०७२           |
| <b>एकूण (अ-१)</b>                         | <b>७५९</b>          | <b>१,९०९</b>        | <b>४,०८८</b>   | <b>८,६८६</b>   | <b>१२,७६९</b>             | <b>१८,८५३</b>  | <b>३६,७०५</b>   |
| अ-२ स्थापित क्षमतेत महाराष्ट्राचा हिस्सा  |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| (१) राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ        | उ ना                | उ ना                | उ ना           | उ ना           | २,०४८ <sup>@</sup>        | ४,६८६          | ८,०७३           |
| (२) अणुशक्ती महामंडळ                      | उ ना                | उ ना                | उ ना           | उ ना           | १३७                       | ६९०            | ६९०             |
| <b>एकूण (अ-२)</b>                         | <b>उ ना</b>         | <b>उ ना</b>         | <b>उ ना</b>    | <b>उ ना</b>    | <b>२,१८५</b>              | <b>५,३७६</b>   | <b>८,७६३</b>    |
| <b>एकूण (अ-१ + अ-२)</b>                   | <b>७५९</b>          | <b>१,९०९</b>        | <b>४,०८८</b>   | <b>८,६८६</b>   | <b>१४,९५४</b>             | <b>२४,२२९</b>  | <b>४५,४६८</b>   |
| <b>ब. निर्मिती (दशलक्ष युनिट)</b>         |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| (१) औष्णिक                                | १,९०३ <sup>\$</sup> | ३,३९२               | ११,४१६         | २८,०८५         | ४९,३७७                    | ५२,७९६         | १,०३,६६५        |
| (२) नैसर्गिक वायुजन्य                     | --                  | --                  | --             | २,७३०          | ६,९४३                     | १८,७२९         | ९,०६६           |
| (३) जलजन्य                                | १,३६५               | ४,५३३               | ६,४४८          | ५,६१५          | ४,८८९                     | ६,३७४          | ४,७०२           |
| (४) नवीकरणीय ऊर्जा #                      | --                  | --                  | --             | --             | --                        | ५,११८          | ८,१३१           |
| <b>एकूण</b>                               | <b>३,२६८</b>        | <b>७,९२५</b>        | <b>१७,८६४</b>  | <b>३६,४३०</b>  | <b>६१,२०९<sup>#</sup></b> | <b>८३,०१७</b>  | <b>१,२५,५६४</b> |
| <b>क. वापर (दशलक्ष युनिट)</b>             |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| (१) औद्योगिक                              | १,८५३               | ५,३१२               | ८,१३०          | १४,७०६         | १८,३६३                    | ३४,४१६         | ३९,२४६          |
| (२) घरगुती                                | २६०                 | ७३२                 | १,७७९          | ५,०६५          | ११,१७२                    | १९,५४६         | २८,१७२          |
| (३) कृषि                                  | १५                  | ३५६                 | १,७२३          | ६,६०४          | ९,९४०                     | १६,२५७         | ३०,३०७          |
| (४) वाणिज्यिक                             | १९८                 | ५४७                 | ९४९            | २,०६८          | ४,१०५                     | ११,५२७         | १३,९२७          |
| (५) रेल्वे                                | ३३९                 | ४२१                 | ७६६            | ९७०            | १,५८१                     | २,१८८          | १६३             |
| (६) सार्वजनिक पाणी पुरवठा                 | ३५                  | १४६                 | ३३०            | उ ना           | १,१९९                     | १,९८३          | २,७६९           |
| (७) सार्वजनिक दिवाबत्ती                   | २०                  | ७४                  | १५९            | २९१            | ५५१                       | ८४६            | १,९०१           |
| (८) संकीर्ण                               | --                  | ६२                  | १९८            | २६७            | ३७८                       | ६३३            | २,०८१           |
| <b>एकूण</b>                               | <b>२,७२०</b>        | <b>७,६५०</b>        | <b>१४,०३४</b>  | <b>२९,९७१</b>  | <b>४७,२८९</b>             | <b>८७,३९६</b>  | <b>१,१८,५६६</b> |
| <b>ड. दरडोई विजेचा अंतिम वापर (युनिट)</b> |                     |                     |                |                |                           |                |                 |
| (१) औद्योगिक                              | ४६.८                | १०५.४               | १२९.५          | १९५.४          | १९१.२                     | ३०७.२          | ३१९.२           |
| (२) वाणिज्यिक                             | ५.०                 | १०.९                | १५.१           | २७.५           | ४२.७                      | १०२.९          | ११३.३           |

आधार - (१) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

(४) बेस्ट

उ ना उपलब्ध नाही

(२) महानिर्मिती

(५) टाटा पॉवर कं. मर्या.

(३) महावितरण

(६) रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर / अदानी इलेक्ट्रिसिटी

टीप -

(१) उपलब्ध आकडेवारी केवळ सार्वजनिक विद्युत व्यवसायी यंत्रणेची आहे.

(२) @ यात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ व अणुशक्ती महामंडळाकडील वाटप न झालेला तसेच गोवा राज्याचा शिलकी ३२३ मेगावॅटचा अतिरिक्त हिस्सा समाविष्ट आहे.

(३) # यात बंदिस्त वीज व नवीकरणीय ऊर्जेची (महावितरणला विकलेली) आकडेवारी समाविष्ट आहे.

(४) \$ यात तेलजन्य ऊर्जेची आकडेवारी औष्णिक ऊर्जेत समाविष्ट आहे.

(५) टाटा पॉवर व रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वगळून इतर खाजगी कंपन्यांची स्थापित क्षमता व निर्मिती सीईएच्या वेबसाईट अहवालानुसार दिली आहे.

(६) १ युनिट = एक किलो वॅट तास

**परिशिष्ट ९.२**  
**राज्यातील रस्त्यांची प्रकारानुसार लांबी**  
**(सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदा यांच्या देखभालीखालील)**

(किमी)

| अ.क्र. | वर्ष    | राष्ट्रीय महामार्ग | प्रमुख राज्य महामार्ग | राज्य महामार्ग | प्रमुख जिल्हा | इतर जिल्हा          | ग्रामीण               | एकूण     |
|--------|---------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|
| (१)    | (२)     | (३)                | (४)                   | (५)            | (६)           | (७)                 | (८)                   | (९)      |
| १      | १९६५-६६ | २,३६४              | --                    | १०,५२८         | १२,६२८        | ८,७४४               | १७,५२४                | ५१,७८८   |
| २      | १९७०-७१ | २,४४५              | --                    | १४,२०३         | १७,६८४        | ११,०१२              | २०,०२०                | ६५,३६४   |
| ३      | १९८०-८१ | २,९४५              | --                    | १८,९४९         | २५,२३३        | २५,४०४              | ६८,६००                | १,४१,१३१ |
| ४      | १९९०-९१ | २,९५९              | --                    | ३०,९७५         | ३८,९३६        | ३८,५७३              | ६१,५२२                | १,७२,९६५ |
| ५      | २०००-०१ | ३,६८८              | --                    | ३३,२१२         | ४६,७५१        | ४३,६९६              | ८९,५९९                | २,१६,९४६ |
| ६      | २००५-०६ | ४,३६७              | --                    | ३३,५७१         | ४८,९८७        | ४५,२२६              | ९९,२७९                | २,३१,४३० |
| ७      | २००६-०७ | ४,३६७              | --                    | ३३,६७५         | ४९,१४७        | ४५,६७४              | १,००,८०१              | २,३३,६६४ |
| ८      | २००७-०८ | ४,३६७              | --                    | ३३,८००         | ४९,३९३        | ४५,८८६              | १,०२,१४९              | २,३५,५९५ |
| ९      | २००८-०९ | ४,३६७              | --                    | ३३,९३३         | ४९,६२१        | ४६,१४३              | १,०३,६०४              | २,३७,६६८ |
| १०     | २००९-१० | ४,३७६              | --                    | ३४,१०२         | ४९,९०१        | ४६,८१७              | १,०४,८४४              | २,४०,०४० |
| ११     | २०१०-११ | ४,३७६              | --                    | ३४,१०३         | ४९,९३६        | ४६,८९७              | १,०६,४००              | २,४१,७१२ |
| १२     | २०११-१२ | ४,३७६              | --                    | ३४,१५७         | ५०,२५६        | ४७,५२९              | १,०६,६०१              | २,४२,९१९ |
| १३     | २०१२-१३ | ४,३७६              | ६,६९४                 | २७,५२८         | ५०,२५६        | ४७,५७३              | १,०६,७४५              | २,४३,१७२ |
| १४     | २०१३-१४ | ५,८५८              | ६,३३७                 | ३३,९६३         | ५०,२३२        | ५२,७६१              | १,१४,५५७              | २,६३,७०८ |
| १५     | २०१४-१५ | ४,७६६              | ६,१६३                 | ३३,८६०         | ५०,५८५        | ५८,११५              | १,४५,८७९              | २,९९,३६८ |
| १६     | २०१५-१६ | ७,४३८              | ५,१८०                 | ३३,३३०         | ५०,८४४        | ५८,११६              | १,४५,८८१              | ३,००,७८९ |
| १७     | २०१६-१७ | १२,२७५             | ३,८६१                 | ३०,५८९         | ५२,६३७        | ५८,११६ <sup>+</sup> | १,४५,८८१ <sup>+</sup> | ३,०३,३५९ |
| १८     | २०१७-१८ | १२,२७५             | ३,२५८                 | २९,१३२         | ५५,३८३        | ५८,११६ <sup>+</sup> | १,४५,८८१ <sup>+</sup> | ३,०४,०४५ |

आधार - सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन

+ २०१५-१६ नुसार

टीप - (१) १९८७ पर्यंतच्या रस्ते लांबीची विभागणी १९६१-८१ रस्ते विकास योजनेनुसार आणि १९८७-८८ पासून ही विभागणी १९८१-२००१ रस्ते विकास योजनेनुसार केली आहे .

(२) सन १९६५-६६ ते २०११-१२ करिता राज्य महामार्गात प्रमुख राज्य महामार्गाचा समावेश आहे.

(३) सन २०१२-१३ पासून रस्ते लांबीची विभागणी २००१-२१ रस्ते विकास योजनेनुसार आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

**परिशिष्ट ९.३**  
**जिल्हानिहाय रस्त्यांच्या लांबीचे रुंदीनुसार वर्गीकरण**  
**(सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखभालीखालील)**

(किमी)

| अ. क्र.                 | जिल्हा<br>रुंदी<br>(मीटर) | साध्य लांबी २०१६-१७ |               |               |              |               | साध्य लांबी २०१७-१८ |               |               |              |                 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|                         |                           | ७.००                | ५.५           | ३.७५          | इतर          | एकूण          | ७.००                | ५.५           | ३.७५          | इतर          | एकूण            |
| (१)                     | (२)                       | (३)                 | (४)           | (५)           | (६)          | (७)           | (८)                 | (९)           | (१०)          | (११)         | (१२)            |
| १                       | बृहन्मुंबई                | --                  | --            | --            | --           | --            | ०                   | ०             | ०             | ०            | ०               |
| २                       | ठाणे                      | २७८                 | २४८           | ३५७           | ७            | ८९०           | २७८                 | २६८           | ३३७           | ७            | ८८९             |
| ३                       | पालघर                     | ३४७                 | ४४८           | ५९१           | ६१           | १,४४७         | ३६४                 | ४९५           | ५७४           | १५           | १,४४८           |
| ४                       | रायगड                     | १,३७७               | २९१           | ४९१           | १५८          | २,३१७         | १,१४०               | २९१           | ७४०           | १५८          | २,३२९           |
| ५                       | रत्नागिरी                 | ७५९                 | ९११           | १,५४६         | --           | ३,२१६         | ४८४                 | ९११           | १,८६४         | ०            | ३,२५९           |
| ६                       | सिंधुदुर्ग                | २१९                 | ८१५           | १,२१४         | --           | २,२४८         | ११५                 | ८१५           | १,२१४         | ०            | २,१४४           |
|                         | <b>कोकण विभाग</b>         | <b>२,९८०</b>        | <b>२,७१३</b>  | <b>४,१९९</b>  | <b>२२६</b>   | <b>१०,११८</b> | <b>२,३८०</b>        | <b>२,७८०</b>  | <b>४,७२८</b>  | <b>१८०</b>   | <b>१०,०६९</b>   |
| ७                       | अहमदनगर                   | ८७५                 | २,२५५         | २,०४४         | १०२          | ५,२७६         | ९८६                 | १,५६०         | ३,१९५         | ३५१          | ६,०९३           |
| ८                       | नाशिक                     | १,१८६               | १,६१०         | २,१३५         | ०            | ४,९३१         | ८५४                 | १,८९५         | १,९६५         | १४०          | ४,८५३           |
| ९                       | धुळे                      | ५६८                 | ६२८           | ६३८           | ०            | १,८३४         | ५६७                 | ६१७           | ६५०           | १९           | १,८५४           |
| १०                      | नंदुरबार                  | २२४                 | ५८५           | ७६३           | ०            | १,५७२         | १९५                 | ५५२           | ७९७           | ७२           | १,६१६           |
| ११                      | जळगाव                     | ५८२                 | १,४२९         | २,०५४         | ६५४          | ४,७१९         | ४४६                 | १,१९१         | २,४८०         | ४४२          | ४,५६०           |
|                         | <b>नाशिक विभाग</b>        | <b>३,४३५</b>        | <b>६,५०७</b>  | <b>७,६३४</b>  | <b>७५६</b>   | <b>१८,३३२</b> | <b>३,०४८</b>        | <b>५,८१६</b>  | <b>१,०८७</b>  | <b>१,०२५</b> | <b>१८,१७६</b>   |
| १२                      | पुणे                      | १,२८७               | १,३२२         | ३,९५७         | ११९          | ६,६८५         | १,२४७               | १,३०७         | ३,९०४         | १३०          | ६,५८७           |
| १३                      | सातारा                    | ४६९                 | १,०५०         | १,९२३         | ३८           | ३,४८०         | ३५३                 | १,०१९         | १,८३८         | ३७           | ३,२४७           |
| १४                      | सांगली                    | ५२२                 | १,४४८         | १,६०८         | ३            | ३,५८१         | ५३२                 | १,४६१         | २,२९४         | ७६           | ४,३६३           |
| १५                      | कोल्हापूर                 | ६१७                 | ९८५           | १,१९९         | ३४           | २,८३५         | ६९३                 | ९८७           | १,२०६         | ४०           | २,९२७           |
| १६                      | सोलापूर                   | १,५३४               | १,००८         | ३,६३९         | ३१३          | ६,४९४         | १,३८९               | ८७१           | ३,५९९         | ३१३          | ६,१७२           |
|                         | <b>पुणे विभाग</b>         | <b>४,४२९</b>        | <b>५,८१३</b>  | <b>१२,३२६</b> | <b>५०७</b>   | <b>२३,०७५</b> | <b>४,२१४</b>        | <b>५,६४५</b>  | <b>१२,८४०</b> | <b>५९६</b>   | <b>२३,२९५</b>   |
| १७                      | औरंगाबाद                  | ५६५                 | ६८७           | २,०९३         | ११४          | ३,४५९         | ४१२                 | १,०१६         | २,२३७         | ८०           | ३,७४५           |
| १८                      | जालना                     | ३३५                 | ३९२           | १,४९७         | ३६           | २,२६०         | ८३                  | ३५५           | १,४९७         | १७           | १,९५२           |
| १९                      | परभणी                     | १६०                 | ३५२           | १,२७३         | ७१           | १,८५६         | ११७                 | ५५०           | १,०३९         | ५८           | १,७६४           |
| २०                      | हिंगोली                   | १२८                 | २५१           | ९१२           | २५           | १,३१६         | ७०                  | २६८           | ८५१           | १२           | १,२०१           |
| २१                      | नांदेड                    | ३११                 | ८८३           | ३,०६५         | १५९          | ४,४१८         | २४६                 | १,०६९         | २,६४४         | १५९          | ४,११८           |
| २२                      | बीड                       | ६९६                 | ५२२           | १,९८४         | १५५          | ३,३५७         | ३९२                 | ५४९           | २,१०३         | १२६          | ३,१७०           |
| २३                      | उस्मानाबाद                | ३७६                 | ९३१           | १,२५४         | ५९           | २,६२०         | ३३३                 | ८३८           | १,२२६         | २०           | २,४१७           |
| २४                      | लातूर                     | ३२८                 | ८५५           | १,२१३         | १३३          | २,५२९         | १७३                 | १,०७६         | १,१६९         | ५६           | २,४७४           |
|                         | <b>औरंगाबाद विभाग</b>     | <b>२,८९९</b>        | <b>४,८७३</b>  | <b>१३,२९१</b> | <b>७५२</b>   | <b>२१,८१५</b> | <b>१,८२६</b>        | <b>५,७२१</b>  | <b>१२,७६६</b> | <b>५२८</b>   | <b>२०,८४१</b>   |
| २५                      | बुलढाणा                   | ३८५                 | ८६१           | १,०६४         | ०            | २,३१०         | ४१२                 | ८९१           | १,५०७         | ९६           | २,९०६           |
| २६                      | अकोला                     | २६०                 | ५२२           | ६३५           | ०            | १,४१७         | ३११                 | ६७२           | ५५०           | २१           | १,५५४           |
| २७                      | वाशिम                     | २४४                 | ५०७           | ४९३           | ०            | १,२४४         | २४९                 | ५३८           | ४६८           | ०            | १,२५५           |
| २८                      | अमरावती                   | ५७४                 | १,०३७         | १,७४६         | २३२          | ३,५८९         | ५६५                 | १,३२९         | १,७४२         | १४८          | ३,७८४           |
| २९                      | यवतमाळ                    | ६५२                 | १,०००         | १,२८८         | १९०          | ३,१३०         | ४१९                 | १,२२६         | १,२६४         | १८२          | ३,०९१           |
|                         | <b>अमरावती विभाग</b>      | <b>२,११५</b>        | <b>३,९२७</b>  | <b>५,२२६</b>  | <b>४२२</b>   | <b>११,६९०</b> | <b>१,९५६</b>        | <b>४,६५६</b>  | <b>५,५३१</b>  | <b>४४७</b>   | <b>१२,५९०</b>   |
| ३०                      | वर्धा                     | २२४                 | ६०७           | ८६१           | १६५          | १,८५७         | २३८                 | ६११           | ७७९           | २१५          | १,८४४           |
| ३१                      | नागपूर                    | ७५७                 | ७८९           | १,५३७         | १०५८         | ४,१४१         | ७३६                 | ६१८           | २,०६८         | ५१५          | ३,९३६           |
| ३२                      | भंडारा                    | १४३                 | ४१३           | ६५२           | १७५          | १,३८३         | ९६                  | ३४३           | ६९४           | १५१          | १,२८४           |
| ३३                      | गोंदिया                   | १०६                 | ५३४           | ६२३           | ३९५          | १,६५८         | ७२                  | ४१०           | ८२४           | २०२          | १,५०९           |
| ३४                      | चंद्रपूर                  | २३७                 | ५४०           | १,६२८         | २८४          | २,६८९         | २२३                 | ६०१           | १,७८८         | ४०९          | ३,०२१           |
| ३५                      | गडचिरोली                  | २४८                 | ८७६           | १,३१३         | १६७          | २,६०४         | २४८                 | ८७६           | १,३१४         | २४७          | ३,६८५           |
|                         | <b>नागपूर विभाग</b>       | <b>१,७१५</b>        | <b>३,७५९</b>  | <b>६,६१४</b>  | <b>२,२४४</b> | <b>१४,३३२</b> | <b>१,६१३</b>        | <b>३,४५८</b>  | <b>७,४६७</b>  | <b>१,७४०</b> | <b>१४,२७८</b>   |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> |                           | <b>१७,५७३</b>       | <b>२७,५९२</b> | <b>४९,२९०</b> | <b>४,९०७</b> | <b>९९,३६२</b> | <b>१५,०३८</b>       | <b>२८,०७६</b> | <b>५२,४२०</b> | <b>४,५१५</b> | <b>१,००,०४९</b> |

## परिशिष्ट ९.४

## राज्यातील वापरात असलेली मोटार वाहने

(१ जानेवारी रोजी)

| अ.क्र. | वाहनांचा प्रकार                                                                                             | १९७१            | १९८१            | १९९१             | २००१             | २०११               | २०१७               | २०१८               | २०१९*              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (१)    | (२)                                                                                                         | (३)             | (४)             | (५)              | (६)              | (७)                | (८)                | (९)                | (१०)               |
| १      | मोटर सायकली, स्कूटर व मोपेड                                                                                 | ८३,९३०          | ३,४६,८२६        | १६,९६,१५७        | ४४,०९,९०६        | १,२०,६०,९९०        | २,१३,९०,३०४        | २,३६,२९,२६८        | २,५५,७९,६६९        |
| २      | मोटर गाड्या, जीप आणि स्टेशन वॅगन्स                                                                          | १,२२,५०८        | २,२४,७५२        | ४,२३,५०५         | ९,०१,२७८         | २३,८२,७८९          | ४१,७५,८७८          | ४५,३५,७२०          | ४८,६५,८४२          |
| ३      | टॅक्सी कॅब्ज                                                                                                | १७,८०६          | ३१,३०२          | ४३,१६८           | ८६,४३८           | १,८२,६७६           | २,७०,१६०           | ३,२८,०८५           | ३,६१,१७६           |
| ४      | स्वयंचालित रिक्शा                                                                                           | ३,०४९           | २९,४७४          | १,२६,०४९         | ४,०७,६६०         | ६,४४,०३७           | ७,२०,४३९           | ८,०५,७२४           | ९,६४,६४१           |
| ५      | स्टेज कॉरेजेस                                                                                               | १०,२५०          | १३,७८९          | १८,२०३           | २७,२८६           | ३४,०६१             | ३५,६८२             | ३७,१८०             | ३७,६३८             |
| ६      | कॉन्ट्रॅक्ट कॉरेजेस                                                                                         | --              | १,४९८           | ३,९८०            | १३,९७५           | ३१,४५९             | ३६,४०७             | ५९,१७१             | ६३,२५९             |
| ७      | मालमोटारी -                                                                                                 |                 |                 |                  |                  |                    |                    |                    |                    |
|        | (१) डिझेल इंजिन                                                                                             | ३४,९८७          | ८७,०७९          | १,८०,८८३         | ३,४१,३४४         | ८,७८,२३९           | १४,०९,७४९          | १५,१०,२६५          | १६,३४,९६१          |
|        | (२) पेट्रोल इंजिन                                                                                           | २१,७९१          | १८,००५          | १३,७७४           | ५७,३१७           | ७७,१८९             | ९,४२७              | ११,००८             | ११,५६४             |
|        | (३) इतर (सीएनजी, एलपीजी, इ.)                                                                                | --              | --              | --               | उ ना             | उ ना               | ५७,६९१             | ७०,५२५             | ७५,६७३             |
| ८      | रुग्णवाहिका                                                                                                 | ४४१             | ९२५             | २,२३३            | ४,०२५            | ९,६००              | १२,६८९             | १५,०९३             | १५,८७६             |
| ९      | शाळेच्या बसेस                                                                                               | ४९१             | ५९४             | १,०२५            | १,७१४            | ६,११७              | २२,०५१             | २६,४३८             | २९,२३१             |
| १०     | खाजगी प्रवासी वाहने                                                                                         | ८१०             | २,१७१           | ४,६२२            | ५,८१५            | ९,४२१              | २६,९४२             | ११,९९८             | १२,६५६             |
| ११     | जोड वाहने (ट्रेलर)                                                                                          | ७,०७५           | २३,१७३          | ६०,८५८           | १,६७,८५६         | २,८४,६९६           | ३,४८,६१९           | ४,०३,००४           | ४,१५,६४२           |
| १२     | ट्रॅक्टर्स                                                                                                  | ७,८२१           | २४,०७९          | ६१,०८८           | १,७२,५७८         | ३,५८,५५६           | ६,१६,१६०           | ६,९३,६४५           | ७,५२,२७९           |
| १३     | इतर                                                                                                         | ८१०             | १,३१९           | ५,०४०            | ९,८७२            | २९,८२९             | ५३,६७०             | ६०,२४३             | ६८,७६३             |
|        | <b>एकूण</b>                                                                                                 | <b>३,११,७६९</b> | <b>८,०४,९८६</b> | <b>२६,४०,५८५</b> | <b>६६,०७,०६४</b> | <b>१,६९,८९,६५९</b> | <b>२,९१,८५,८६८</b> | <b>३,२१,९७,३६७</b> | <b>३,४८,८८,८७०</b> |
|        | दर लाख लोकसंख्येमागे मोटार वाहनांची संख्या                                                                  | ६१८             | १,३०९           | ३,३५३            | ७,१८६            | १५,११९             | २४,०२४             | २८,६५२             | ३१,०४७             |
|        | सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषद यांच्या देखभालीखालील असलेल्या दर किमी रस्तेलांबीमागे मोटार वाहनांची संख्या | ०.९             | १.५             | २.८              | ४.४              | ८.५                | १०                 | १२                 | १३                 |

आधार - परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

उ ना उपलब्ध नाही.





# १० सामाजिक क्षेत्र





## १०. सामाजिक क्षेत्र

१०.१ विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमध्ये सामाजिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. या क्षेत्रामध्ये शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बाल कल्याण, रोजगार व दारिद्र्य, गृहनिर्माण, पर्यावरण संवर्धन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय आणि इतर सामाजिक सेवा यांचा समावेश आहे. शासन या क्षेत्रामध्ये विविध कल्याणकारी योजना राबवित आहे.

### शिक्षण

१०.२ संतुलित सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी शिक्षण हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. शिक्षणामुळे कौशल्य व ज्ञानासहित, लोक सक्षम होतात व पर्यायाने आर्थिक विकासास चालना मिळते. शासन विविध योजनांद्वारे शिक्षणास सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे.

### प्राथमिक शिक्षण

१०.३ राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या संयुक्त उपक्रमांद्वारे विविध शैक्षणिक कार्यक्रम, विशेषतः प्राथमिक शिक्षणासाठी, राबविले जातात. सन २०१७-१८ मध्ये राज्य शासनाचा प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ₹ २०,८२० कोटी होता. प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शैक्षणिक संस्था आणि त्यातील पटसंख्या तक्ता १०.१ मध्ये तर विभागनिहाय आकडेवारी परिशिष्ट १०.१ मध्ये दिली आहे.

तक्ता १०.१ प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शैक्षणिक संस्था आणि पटसंख्या

| वर्ष    | शाळा<br>(संख्या) | पटसंख्या ('०००) |               | शिक्षकांची<br>संख्या ('०००) | विद्यार्थी- शिक्षक<br>प्रमाण |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|         |                  | एकूण            | पैकी,<br>मुली |                             |                              |
| २०१६-१७ | १,०४,९७१         | १५,९८६          | ७,४९०         | ५३०                         | ३०.१                         |
| २०१७-१८ | १,०६,५४६         | १५,९१२          | ७,४५१         | ५४२                         | २९.४                         |

आधार : १) युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (यु-डायस)

२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

### सर्व शिक्षा अभियान

१०.४ 'सर्व शिक्षा अभियान' हा केंद्र शासनाचा सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक *फ्लॅगशीप* कार्यक्रम असून यात सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना सक्तीने व मोफत शिक्षण दिले जाते. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत नवीन शाळा सुरू करणे, शाळा व जादा वर्गखोल्या बांधणे, शौचालये आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा पुरविणे, पाठ्यपुस्तके, नियतकालिक शैक्षणिक प्रशिक्षण व शैक्षणिक साहित्य पुरविणे इत्यादी कार्यक्रमांद्वारे शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता व गुणवत्ता यामध्ये भरीव प्रगती केली आहे. सर्व शिक्षा अभियानावर २०१७-१८ मध्ये ₹ २,१३२.१७ कोटी खर्च झाला. प्राथमिक शिक्षणाचे (इयत्ता १ ली ते ८ वी) काही महत्वाचे निर्देशक तक्ता १०.२ मध्ये देण्यात आले आहेत.

**तक्ता १०.२ प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षणाबाबतचे काही महत्वाचे निर्देशक**

(३० सप्टेंबर रोजी)

| निर्देशक                                                                                                | २०१५-१६ | २०१६-१७  | २०१७-१८  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| शिक्षणविषयक जिल्हा माहिती प्रणाली (U-DISE) अंतर्गत नोंदविलेल्या प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या | ९८,२१९  | १,०४,९७१ | १,०६,५४६ |
| ग्रामीण भागातील शाळांची टक्केवारी                                                                       | ७९.७    | ७८.१     | ७७.६     |
| दर १० चौ. किमी मागील शाळांची/ तुकड्यांची घनता (अ) प्राथमिक                                              | २.८     | ३.२      | ३.२      |
| (ब) उच्च प्राथमिक                                                                                       | १.५     | १.७      | १.७      |
| दर हजार मुलांच्या लोकसंख्येमागे (६ ते ११ वर्ष वय) प्राथमिक शाळा/तुकड्यांची संख्या                       | ८       | ९.७      | ९.९      |
| दर हजार मुलांच्या लोकसंख्येमागे (११ ते १४ वर्ष वय) उच्च प्राथमिक शाळा/तुकड्यांची संख्या                 | ७       | ८.६      | ९.०      |
| विना अनुदानित खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी                                                      | १२.४    | २०.६     | २१.१     |
| शाळेतील पटसंख्या (लाखात)                                                                                | १६०.४   | १५९.९    | १५९.१    |
| पटसंख्येतील मुलींची टक्केवारी                                                                           | ४६.९    | ४६.९     | ४६.८     |
| एकूण पटसंख्या प्रमाण (अ) प्राथमिक                                                                       | १०४.०   | १००.०    | १००.१    |
| (ब) उच्च प्राथमिक                                                                                       | १०२.६   | ५९.५     | ५९.०     |
| सरासरी विद्यार्थी-वर्गखोली प्रमाण (सर्व शाळा)                                                           | ३१      | ३१       | ३१       |
| शिक्षकांची संख्या (लाखात)                                                                               | ५.२     | ५.२      | ५.४      |
| विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण                                                                                | ३१.२    | ३०.१     | २९.३     |
| <b>सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी</b>                                                                |         |          |          |
| पिण्याचे पाणी                                                                                           | ९९.७    | ९९.६     | ९८.८     |
| संरक्षक भित                                                                                             | ८२.३    | ८२.८     | ८३.४     |
| मुलींकरिता कार्यरत शौचालय                                                                               | ९९.४    | ९९.०     | ९८.८     |
| संगणक                                                                                                   | ५६.९    | ६२.९     | ६८.२     |
| दिव्यांगांसाठी उतरता रस्ता                                                                              | ८६.१    | ८५.२     | ८७.१     |
| खेळाचे मैदान                                                                                            | ८७.२    | ८७.३     | ८७.६     |
| ग्रंथालय                                                                                                | ९६.०    | ९५.७     | ९५.०     |
| विद्युत जोडणी                                                                                           | ९३.९    | ९४.०     | ९४.७     |
| गळतीचे प्रमाण (अ) प्राथमिक                                                                              | १.२६    | ०.७०     | ०.२१     |
| (ब) उच्च प्राथमिक                                                                                       | १.४५    | १.०६     | १.५६     |
| मुली मुले असमानता निर्देशांक (अ) प्राथमिक                                                               | ०.८८    | ०.८९     | ०.८७     |
| (ब) उच्च प्राथमिक                                                                                       | ०.८८    | ०.८७     | ०.८८     |

टीप : उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ वी ते ८ वी)

आधार : १) युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन

२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

**माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण**

१०.५ राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक २६,८५७ शैक्षणिक संस्था असून त्यातील पटसंख्या ६६.४८ लाख आहे. सन २०१७-१८ मध्ये राज्य शासनाचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च ₹ १६,७३९ कोटी होता. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता नववी ते १२ वी) शैक्षणिक संस्था आणि त्यातील पटसंख्या तक्ता १०.३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३ माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक (इयत्ता ९ वी ते १२ वी) शैक्षणिक संस्था आणि पटसंख्या**

| वर्ष    | संस्था (संख्या) | पटसंख्या ('०००) |            | शिक्षकांची संख्या ('०००) | विद्यार्थी- शिक्षक प्रमाण |
|---------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------------|
|         |                 | एकूण            | पैकी, मुली |                          |                           |
| २०१६-१७ | २५,७३७          | ६,६१५           | ३,०१३      | २१३                      | ३१.१                      |
| २०१७-१८ | २६,८५७          | ६,६४८           | ३,०४२      | २१६                      | ३०.५                      |

आधार : १) युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन

२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

१०.६ 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' सन २००९ मध्ये माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. सन २०१७-१८ मध्ये या योजनेअंतर्गत ₹ ४८.७१ कोटी खर्च झाला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे काही महत्वाचे निर्देशक तक्ता १०.४ मध्ये देण्यात आले आहेत.

### तक्ता १०.४ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाबाबतचे काही महत्वाचे निर्देशक

(३० सप्टेंबर रोजी)

| निर्देशक                                                                                                                | २०१५-१६ | २०१६-१७ | २०१७-१८ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| शिक्षणविषयक जिल्हा माहिती प्रणाली (U-DISE) अंतर्गत नोंदविलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या | २५,०२९  | २५,५२९  | २६,८५७  |
| ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रमाण                                                                                          | ६३.७    | ६३.०    | ६२.५    |
| दर १० चौ. किमी मागील शाळांची/तुकड्यांची घनता (अ) माध्यमिक                                                               | ०.७     | ०.८     | ०.८     |
| (ब) उच्च माध्यमिक                                                                                                       | ०.३     | ०.३     | ०.३     |
| विनाअनुदानित खाजगी शाळांची एकूण शाळांशी टक्केवारी                                                                       | २८.१    | २८.४    | ३२.६    |
| शाळेतील पटसंख्या (लाखात)                                                                                                | ६१.८    | ६६.१    | ६६.५    |
| पटसंख्येतील मुलींची टक्केवारी                                                                                           | ४५.७    | ४५.६    | ४५.८    |
| एकूण पटसंख्येचे प्रमाण (अ) माध्यमिक                                                                                     | ८९.१    | ९१.७    | ९२.७    |
| (ब) उच्च माध्यमिक                                                                                                       | ६२.१    | ६९.८    | ७१.२    |
| सरासरी विद्यार्थी-वर्गखोली प्रमाण (सर्व शाळा)                                                                           | ५४      | ५१      | ५५      |
| शिक्षकांची संख्या (लाखात)                                                                                               | २.१९    | २.१०    | २.१०    |
| विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण                                                                                                | २८      | ३१      | ३१      |
| <b>सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी</b>                                                                                |         |         |         |
| पिण्याचे पाणी                                                                                                           | ९९.९    | ९९.९    | ९७.४    |
| संरक्षक भिंत                                                                                                            | ८९.२    | ८७.६    | ९१.४    |
| मुलींकरिता कार्यरत शौचालय                                                                                               | ९९.६    | ९९.५    | ९८.२    |
| दिव्यांगांसाठी उतरता रस्ता                                                                                              | ८३.९    | ७५.०    | ७६.९    |
| खेळाचे मैदान                                                                                                            | ९६.०    | ९७.०    | ९५.५    |
| ग्रंथालय                                                                                                                | ९७.६    | ९८.३    | ९६.८    |
| विद्युत जोडणी                                                                                                           | ९६.९    | ९७.१    | ९७.३    |
| संगणक                                                                                                                   | ९२.०    | ९५.०    | ९५.१    |
| संगणक व इंटरनेट                                                                                                         | ५६.४    | ६४.९    | ६६.३    |
| गळतीचे प्रमाण (अ) माध्यमिक                                                                                              | ११.२    | ७.२     | ६.६     |
| (ब) उच्च माध्यमिक                                                                                                       | १.८     | २.४     | २.९     |
| मुली मुले असमानता निर्देशांक (अ) माध्यमिक                                                                               | ०.९६    | ०.९५    | ०.९८    |
| (ब) उच्च माध्यमिक                                                                                                       | ०.९७    | ०.९७    | ०.९६    |

आधार : १) युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन

२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

## समग्र शिक्षा

१०.७ समग्र शिक्षा ही एकात्मिक योजना २०१८-१९ पासून राज्यात राबविण्यात येत असून सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या तीन योजना समायोजित करण्यात आल्या आहेत. केंद्रशासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यासाठी ₹ २,४८१.९४ कोटीची आर्थिक तरतुद केली आहे.

## दिव्यांग समावेशक शिक्षण

१०.८ विशेष गरज असलेल्या मुलांना सर्वसाधारण व्यवस्थेत सर्वसाधारण मुलांसोबत दर्जेदार शिक्षण मिळून त्यांची भावनिक उन्नती होण्यासाठी तसेच त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घेण्यासाठी राज्यात 'दिव्यांग समावेशक शिक्षण' कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमात विशेष गरज असलेली मुले शोधून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे, आवश्यकतेनुसार ब्रेल लिपीतील पुस्तके, चष्मे,

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

श्रवणयंत्रे व उपकरणे, वाचा प्रशिक्षक, इत्यादी शिक्षण सहाय्यभूत सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करणे यांचा समावेश आहे. दिव्यांग समावेशक शिक्षण कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.५ मध्ये देण्यात आली आहे.

#### तक्ता १०.५ दिव्यांग समावेशक शिक्षण कार्यक्रमाची प्रगती

| शैक्षणिक स्तर            | २०१६-१७           |                  | २०१७-१८           |                  | २०१८-१९           |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                          | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
| प्राथमिक (१ ली ते ८ वी)  | २.५५              | ५८.९९            | २.२७              | ५९.३१            | २.५२              | ८७.३२            |
| माध्यमिक (९ ली ते १२ वी) | ०.२०              | ४.३२             | - \$              | - \$             | ०.३८              | ४.४९             |

आधार : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

\$ केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान अप्राप्त

#### प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम

१०.९ शालेय मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सन २०१५-१६ मध्ये राज्य शासनाने 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम' सुरू केला. एकही मूल शैक्षणिकदृष्ट्या अपेक्षेपेक्षा कमी असणार नाही यासाठी मुलांमधील मूलभूत क्षमता ओळखून प्रत्येक विद्यार्थ्याने वयोगटानुरूप अपेक्षित शैक्षणिक क्षमता संपादित केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमधील मूलभूत क्षमता व शैक्षणिक पातळी ओळखण्यासाठी 'राज्यस्तरीय अध्ययन संपादनकू सर्वेक्षण' घेण्यात येते. याकरिता इयत्ता पहिली ते आठवी च्या विद्यार्थ्यांच्या वर्षातून तीन शैक्षणिक प्रगती चाचण्या घेण्यात येतात, त्यामध्ये एक पायाभूत चाचणी व सातत्यपूर्ण सर्वेक्षण मूल्यमापनामधील संकलित मूल्यमापनाच्या दोन चाचण्या आहेत. या चाचण्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांचेमार्फत घेण्यात येतात. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यासाठी शासनाकडून शिक्षकांना आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्यातील शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधार करण्याकरिता शासन कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) शालेय प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहे आणि सन २०१७-१८ मध्ये ३,६८३ शाळांना याचा लाभ झाला आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.६ मध्ये देण्यात आली आहे.

#### तक्ता १०.६ प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची प्रगती

(संख्या)

| विवरण                                                          | २०१५-१६  | २०१६-१७  | २०१७-१८ <sup>+</sup> |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| प्रगत शाळा                                                     | ८,७९१    | २४,६८७   | ४७,९७३               |
| डिजिटल शाळा                                                    | ११,२२८   | २७,६८६   | ६३,४५८               |
| कार्य आधारित शिक्षण देणाऱ्या शाळा                              | १२,४०९   | १३,४४८   | १५,४५२               |
| आयएसओ प्रमाणित शाळा                                            | १,३६८    | २,६४६    | ३,३२५                |
| रचनावादाचा अवलंब करत असलेल्या शाळा                             | ४६,६०८   | ६३,५९५   | ६७,७५८               |
| आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार शिक्षकांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण | १,८२,४२८ | ३,३७,३४८ | ५,०७,४४०             |
| भाषा विषयात विद्यार्थ्यांचे सरासरी साध्य (टक्के)               | ६७.०     | ७७.१३    | ७४.३३                |
| गणित विषयात विद्यार्थ्यांचे सरासरी साध्य (टक्के)               | ६८.०     | ७७.०५    | ७४.३३                |

आधार : महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे

+ जानेवारी पर्यंत

#### शाळाबाह्य मुले

१०.१० शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील ६-१४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक शाळाबाह्य मुल शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये ४२,७६८ शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी करण्यात आली व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यापैकी ३०,०७४ मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले.

#### बाल रक्षक चळवळ

१०.११ राज्यातील ६-१८ वर्षे वयोगटातील सर्व शाळाबाह्य मुलांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. या योजनेचा उद्देश शिक्षकांच्या परिसरातील शाळाबाह्य मुलांना शोधून काढणे आणि त्यांना शालेय कक्षेत आणून त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करणे आहे. या योजनेच्या परिणामी ४२,७६८ मुले शालेय प्रवाहात आणण्यात आली आहेत.

#### शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना

१०.१२ मुलांना शिक्षणात सहभागी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी व पालकांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांना सवलती देत आहे. शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या निवडक योजनांची प्रगती तक्ता १०.७ मध्ये दिली आहे.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

**तक्ता १०.७ शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची प्रगती**

| योजना                                                                                                      | २०१६-१७           |                  | २०१७-१८           |                  | २०१८-१९           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                            | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
| १ ली ते ४ थी इयत्तेतील गरीब मुलांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे                                      | ४.६३              | ३.७०             | १.३५              | १.०८             | १.१०              | ०.८८             |
| १ ली ते १० वी च्या शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत | ३०.०५             | ३.८१             | २६.२८             | ३.९४             | ७६.३४*            | ३.७२             |
| ११ वी व १२ वीत शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना (मुले) मोफत शिक्षण                   | १.९७              | १.४३             | १.७०              | १.६०             | १.९५*             | १.२८             |
| आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन                                                                         | ०.०२              | ०.०८             | ०.०२              | ०.०७             | ०.०२*             | ०.०७             |

आधार : प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

**मुलींचे शिक्षण**

१०.१३ मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या निवडक योजनांची प्रगती तक्ता १०.८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.८ मुलींच्या शिक्षणाच्या निवडक योजनांची प्रगती**

| योजना                                               | २०१६-१७           |                  | २०१७-१८           |                  | २०१८-१९           |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                     | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
| उपस्थिती भत्ता योजना                                | ३.७३              | ८.२१             | १.४७              | ३.२४             | १.४७              | ३.२४             |
| अहिल्याबाई होळकर योजना                              | १९.५४             | ६२.६०            | १६.२४             | ६१.८१            | १६.९०*            | ६४.२८*           |
| ११ वी आणि १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण | २.७८              | २.०९             | २.८४              | २.१३             | २.४५              | १.८४             |
| कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय                      | ०.०४              | २०.५७            | ०.०४              | २०.५३            | ०.०४              | १८.७०            |

आधार : प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

\* अस्थायी

**शालेय पोषण आहार योजना**

१०.१४ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी, उपस्थिती वाढविणे व गळती थांबविणे याबरोबरच त्यांचा पोषण मुल्य स्तर सुधारणे या उद्देशाने भारत सरकारने 'शालेय पोषण आहार योजना' सुरू केली. ह्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तयार भोजन पुरविण्यात येते. शालेय पोषण आहार योजनेची प्रगती तक्ता १०.९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.९ शालेय पोषण आहार योजनेची प्रगती**

| इयत्ता       | उष्मांक मानक<br>(उष्मांक) | प्रतिने मानक<br>(ग्रॅ.) | २०१६-१७           |                  | २०१७-१८           |                  | २०१८-१९           |                  |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|              |                           |                         | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) | लाभार्थी<br>(लाख) | खर्च<br>(₹ कोटी) |
| १ ली ते ५ वी | ४५०                       | १२                      | ५८.२४             | ६६६              | ५७.५१             | ७४७              | ५९.००             | ९३८              |
| ६ वी ते ८ वी | ७००                       | २०                      | ३७.१२             | ४५१              | ३६.५९             | ५८५              | ३९.५०             | ६२८              |

आधार : प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## महाराष्ट्र छात्र सेना योजना

१०.१५ विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व, बंधुत्व, खिलाडूवृत्ती, राष्ट्रीय ऐक्य, समाजसेवा, इत्यादी गुण रुजविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सदर योजनेची वर्ष २००० मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली व ती सर्व शाळांमध्ये इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असून ही योजना वैकल्पिक आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये छात्र सेनेची किमान एक तुकडी असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तुकडीमध्ये नागरी भागात १००, ग्रामीण भागात ५० व आदिवासी तसेच डोंगरी भागात ३० अशी किमान विद्यार्थी संख्या असणे आवश्यक आहे. मुला-मुलींचे प्रमाण शक्यतो ५०:५० असावे. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २.६७ कोटी खर्च झाला व सन २०१८-१९ मध्ये अंदाजित ₹ २.१३ कोटी खर्च झाला.

## शिक्षणाची वार्षिक स्थिती दर्शक अहवाल-२०१८ (असर)

१०.१६ 'प्रथम' या संस्थेमार्फत असर-२०१८ ही पाहणी संपूर्ण देशात घेण्यात आली. या अहवालानुसार राज्यासाठीचे महत्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.

### नोंदणी

- शासकीय शाळांमधील ६ — १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी ६१.६ टक्के होती.
- शाळेत पटनोंदणी नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत आहे.

### वाचन

- इयत्ता दुसरीच्या अभ्यासक्रमातील मजकूर वाचू शकतात अशा इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सरकारी शाळेत ४४.२ टक्के व खाजगी शाळेत ३३.६ टक्के इतके होते.
- इयत्ता पहिलीच्या अभ्यासक्रमातील मजकूर (म्हणजेच प्रत्येकी सहा शब्दांपेक्षा जास्त शब्द नसलेल्या चार साधी जोडवाक्ये) वाचू शकतात अशा इयत्ता तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१६ मध्ये ६१.६ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये ६५.३ टक्के झाली.

### अंकगणित

- इयत्ता आठवीतील भागाकार करू शकणाऱ्या मुलांच्या टक्केवारीमध्ये २०१६ मध्ये ३१.५ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये ४०.५ टक्के इतकी वाढ झाली.
- इयत्ता आठवीतील वजाबाकी करू शकणाऱ्या मुलांची टक्केवारी २०.५ तर भागाकार करू शकणाऱ्या मुलांची टक्केवारी ४०.५ होती.

### सैनिकी शाळा

१०.१७ राज्यात ४२ सैनिकी शाळा असून त्यापैकी चार शाळा केवळ मुलींकरिता, चार सह-शिक्षणासाठी आणि ३४ शाळा केवळ मुलांसाठी आहेत. यापैकी ३८ शाळा अनुदानित असून २०१८-१९ मध्ये २१,६८६ विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी झाली आहे.

### क्रीडा शिक्षण

१०.१८ खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व क्रीडापटूंचे नैपुण्य विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने पुणे येथे 'शिव छत्रपती क्रीडापीठाची' स्थापना केली आहे. या क्रीडापीठाकडून आठ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांकरिता क्रीडा कौशल्य चाचण्या घेतल्या जातात आणि विविध १७ खेळांसाठी निवडक विद्यार्थ्यांना सुमारे आठ ते १० वर्षे आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाते. या क्रीडापीठांतर्गत ११ क्रीडा प्रबोधिनी कार्यरत आहेत. आतापर्यंत क्रीडा प्रबोधिनीतील ३० विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाचा 'शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार' प्राप्त झाला आहे तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांमध्ये ८० क्रीडापटूंनी देशाचे प्रतिनिधीत्व केले आहे. शासन दरमहा प्रति प्रशिक्षणार्थी सरासरी ₹ १,००० खर्च करते. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ५४५ प्रशिक्षणार्थीची निवड करण्यात आली आहे. क्रीडा प्रबोधिनीच्या विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या पदकांचा तक्ता १०.१० मध्ये दिला आहे.



**तक्ता १०.१० क्रीडा प्रबोधिनीच्या विद्यार्थ्यांनी मिळविलेली पदके**

| वर्ष    | एकूण प्रशिक्षणार्थी | आंतरराष्ट्रीय स्तर पदकं |     |        |      | राष्ट्रीय स्तर पदकं |     |        |      | राज्य स्तर पदकं |     |        |      |
|---------|---------------------|-------------------------|-----|--------|------|---------------------|-----|--------|------|-----------------|-----|--------|------|
|         |                     | सुवर्ण                  | रजत | कांस्य | एकूण | सुवर्ण              | रजत | कांस्य | एकूण | सुवर्ण          | रजत | कांस्य | एकूण |
| २०१६-१७ | ६०७                 | ११                      | २   | ९      | २२   | २८                  | २२  | ३१     | ८१   | १००             | ७६  | ७५     | २५१  |
| २०१७-१८ | ५६१                 | २                       | २   | १      | ५    | ३३                  | ३३  | ३१     | ९७   | १४२             | १०९ | ६३     | ३१४  |
| २०१८-१९ | ५४५                 | १                       | ३   | ३      | ७    | ३८                  | ३८  | ३२     | १०८  | १४८             | १०३ | ८२     | ३३३  |

आधार : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

**प्रौढ साक्षरता**

१०.१९ जनगणना २०११ नुसार राज्यात १.६३ कोटी प्रौढ (१५ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती) निरक्षर आहेत. स्त्री साक्षरता दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे किंवा ५० टक्के पेक्षा कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये प्रौढ साक्षरता वाढविण्यासाठी 'साक्षर भारत योजना' जानेवारी, २०१२ ते मार्च, २०१८ या दरम्यान राबविण्यात आली. राज्यात ही योजना १० जिल्ह्यांतील ९३ तालुक्यातील ७,३१५ ग्रामपंचायतींमध्ये राबविण्यात आली असून यासाठी एकूण १४.४ लाख निरक्षरांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट होते. मार्च, २०१८ पर्यंत एकूण १७.९२ लाख नवसाक्षरांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मार्फत घेण्यात आलेल्या १६ मूलभूत साक्षरता चाचण्यांमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर औपचारिक शैक्षणिक प्रमाणपत्र देण्यात आले.

**उच्च व तंत्र शिक्षण**

१०.२०.१ अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी अहवाल, २०१७-१८ नुसार राज्यात ५४ विद्यापीठे आहेत. त्यापैकी २७ राज्य विद्यापीठे (२२ सार्वजनिक, चार खाजगी व एक मुक्त), २१ अभिमत विद्यापीठे (१२ खाजगी, सात शासकीय व दोन शासकीय अनुदानित), पाच राष्ट्रहितासाठीच्या संस्था आणि एक केंद्रीय विद्यापीठ आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षणाच्या पाहणीवर आधारित उच्च शिक्षण सांख्यिकीय माहिती तक्ता १०.११ मध्ये देण्यात आलेली आहे.

**तक्ता १०.११ राज्यातील उच्च शिक्षणाची सांख्यिकी**

| निर्देशक                                       |                       | (३० सप्टेंबर रोजी) |         |         |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
|                                                |                       | २०१५-१६            | २०१६-१७ | २०१७-१८ |
| विद्यापीठांची संख्या                           |                       | ४५                 | ४९      | ५४      |
| महाविद्यालयांची संख्या                         |                       | ४,५६९              | ४,२८६   | ४,३१४   |
| स्वायत्त संस्थांची संख्या                      |                       | २,५०१              | १,९५९   | १,९५०   |
| उच्च शिक्षणातील पटसंख्या (लाख)                 | एकूण                  | ३९.८७              | ४०.१६   | ४१.३१   |
|                                                | स्त्रियांची टक्केवारी | ४३.६               | ४४.२    | ४५.०    |
| विद्यापीठातील व इतर संस्थांतील पटसंख्या        | एकूण                  | ८.८०               | ९.४०    | ९.४३    |
|                                                | स्त्रियांची टक्केवारी | ४०.८               | ४०.२    | ३९.६    |
| एकूण पटसंख्या प्रमाण (१८ - २३ वर्ष)            | सर्व प्रवर्ग          | २९.९               | ३०.२    | ३१.१    |
|                                                | अजा                   | २९.६               | ३०.१    | ३०.६    |
|                                                | अज                    | १४.७               | १४.८    | १५.१    |
| स्त्री पुरुष असमानता निर्देशांक (१८ - २३ वर्ष) | सर्व प्रवर्ग          | ०.८६               | ०.८८    | ०.९१    |
|                                                | अजा                   | ०.८५               | ०.८८    | ०.९१    |
|                                                | अज                    | ०.६३               | ०.६५    | ०.७०    |
| शिक्षकांची संख्या (लाख)                        | एकूण                  | १.६६               | १.५१    | १.५२    |
| विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण                       | सर्व संस्था           | २४                 | २७      | २७      |

आधार : अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी अहवाल

१०.२०.२ सन २०१७-१८ च्या अभ्यासक्रमाकरिता प्रथम वर्षात घेण्यात आलेल्या प्रवेशानुसार संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेश क्षमता आणि विद्यार्थ्यांची संख्या परिशिष्ट १०.२ ते १०.५ मध्ये देण्यात आली आहे.

## स्वयं-वित्त सहाय्यीत विद्यापीठ

१०.२१ केंद्र शासनाने हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उच्च शिक्षणासंबंधित धोरणांमध्ये बदल करण्यात आले आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता खाजगी क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार, राज्य शासनाने उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून उच्च शिक्षणामधील प्रवेश, सर्वोत्कृष्टता, सर्वसमावेशकता आणि संशोधन वाढविण्यासाठी खाजगी सहभाग प्रोत्साहित केला आहे. राज्यात १४ स्वयं-वित्त सहाय्यीत विद्यापीठांना शासनाने मान्यता दिली आहे.

## राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान

१०.२२ उच्च शिक्षणामध्ये संधी उपलब्धता, समानता आणि उच्चतम गुणवत्ता धारण करणे अश्या हेतूने राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१३ मध्ये सुरु करण्यात आली. उच्च शिक्षणात अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता, जबाबदारी व सकारात्मक निष्पत्ती मिळविणे हा देखिल या योजनेचा उद्देश आहे. सन २०१८-१९ पर्यंत विद्यापीठे / महाविद्यालये / संस्थांना एकूण ₹ २३०.८० कोटी अनुदान वितरीत केले आणि ₹ १३९.३१ कोटी खर्च झाला. या अभियानांच्या, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठास 'गुणवत्ता आणि सर्वोत्कृष्टता वाढविणे' या घटकाखाली ₹ १०० कोटी अनुदान मंजूर केले गेले आणि २४ स्वायत्त महाविद्यालयांना प्रत्येकी ₹ ५.०० कोटी अनुदान देण्यात आले आहे.

## समूह विद्यापीठ

१०.२३ राज्य शासनाने मुंबई मध्ये राज्यातील प्रथम समूह विद्यापीठ डॉ. होमी भाभा समूह विद्यापीठ या नावाने सुरु केले आहे. या विद्यापीठामध्ये विज्ञान संस्था, सिडेनहॅम महाविद्यालय, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय आणि शासकीय शिक्षण पदवी महाविद्यालय समाविष्ट आहेत. या विद्यापीठामध्ये निवडप्रधान श्रेयांकन पद्धती उपलब्ध असणार आहे.

## राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना

१०.२४ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना (कुटुंबांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹ आठ लाख) शिष्यवृत्ती देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील सुमारे ६०५ व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या योजनेची प्रगती तक्ता १०.१२ मध्ये देण्यात आली आहे.

### तक्ता १०.१२ : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची प्रगती

| माध्यम                                          | वर्ष    | लाभार्थ्यांची संख्या | खर्च (₹ कोटी) |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------|
| उच्च शिक्षण                                     | २०१६-१७ | १,७४,६८४             | १.६९          |
|                                                 | २०१७-१८ | ७२,२३८               | ३३.९२         |
|                                                 | २०१८-१९ | १,६३,४०६             | ८०.०८         |
| तंत्र शिक्षण                                    | २०१६-१७ | १,५४,७४६             | ४७१.३९        |
|                                                 | २०१७-१८ | १,५४,४५०             | ४९७.३०        |
|                                                 | २०१८-१९ | १,८४,२७८             | ५९०.२३        |
| वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन                        | २०१६-१७ | ६९३                  | ४.१८          |
|                                                 | २०१७-१८ | ९,६६१                | ५९.८१         |
|                                                 | २०१८-१९ | ८,४५५                | ४९.०७         |
| कृषि                                            | २०१६-१७ | ७,२५७                | १६.९१         |
|                                                 | २०१७-१८ | १६,२६४               | ३४.१५         |
|                                                 | २०१८-१९ | उ.ना.                | उ.ना.         |
| पशु संवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय | २०१६-१७ | ११८                  | ०.११          |
|                                                 | २०१७-१८ | २२४                  | ०.३४          |
|                                                 | २०१८-१९ | उ.ना.                | उ.ना.         |

उ.ना. उपलब्ध नाही

- आधार: १) उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे  
 २) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई  
 ३) वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई  
 ४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे  
 ५) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर

## सार्वजनिक आरोग्य

१०.२५ सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा उद्देश मानसिक आरोग्यासह, रोगप्रतिबंध व रोगउपचार करून मानवी जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे हा आहे. 'सर्व वयोगटातील लोकांसाठी उत्तम आरोग्याची सुनिश्चिती करणे आणि चांगल्या जीवनमानास चालना देणे' हे शाश्वत विकास ध्येयाचे एक उद्दिष्ट आहे. सर्वांना खात्रीपूर्वक सुलभ आणि किफायतशीर आरोग्यसेवा मिळण्याकरिता शासन विविध आरोग्य विषयक योजना व कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी करीत आहे. शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या काही आरोग्यविषयक निर्देशकांबाबत उद्दिष्टे राज्याने यापूर्वीच गाठली असली तरीही या निर्देशकांत अजून सुधार होण्याकरिता शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आरोग्यविषयक निवडक निर्देशक तक्ता १०.१३ मध्ये दिले आहेत.

### तक्ता १०.१३ शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत ठरविण्यात आलेले लक्ष्य व आरोग्यविषयक निवडक निर्देशकांची सद्यस्थिती

| निर्देशक                            | लक्ष्य (२०३०) | सद्यस्थिती (२०१६) |            |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|                                     |               | भारत              | महाराष्ट्र |
| नवजात अर्भक मृत्यूदर #              | १२ पेक्षा कमी | २४                | १३         |
| पाच वर्षा खालील बालकांचा मृत्यूदर # | २५ पेक्षा कमी | ३९                | २१         |
| माता मृत्यूप्रमाण @                 | ७० पेक्षा कमी | १३०\$             | ६१\$       |

आधार : नमुना नोंदणी पद्धती, भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय # दर हजार जिवित जन्मामागे @ दर लाख जिवित जन्मामागे \$ २०१४-१६ करीता

१०.२६ सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी राज्याने त्रिस्तरीय पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामूहिक आरोग्य केंद्रे यांचा प्राथमिक स्तरावर समावेश होतो. द्वितीय स्तरावर उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये यांचा समावेश होतो तर तृतीय स्तरावर प्रमुख शहरांमधील सुसज्ज वैद्यकीय महाविद्यालये व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या आरोग्य सुविधा तक्ता १०.१४ मध्ये तर त्यांची तपशीलवार मालिका परिशिष्ट १०.६ मध्ये दिली आहे.

१०.२७ उपकेंद्र स्तरावर आरोग्यसुविधा देण्याबरोबरच माता व बाल आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पोषण, लसीकरण, अतिसार नियंत्रण आणि संसर्गजन्य आजार प्रतिबंध करण्याबाबत समुपदेशन केले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बाह्यरुग्ण विभाग, सहा खाटांचा आंतररुग्ण विभाग, आपत्कालीन सेवा, शस्त्रक्रिया व प्रयोगशाळा सुविधा, विविध आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, कुटुंब नियोजन सेवा आणि उपकेंद्राने पाठविलेल्या रुग्णांवर उपचार यासारख्या सेवा दिल्या जातात. ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये हे चोवीस तास आपत्कालीन आरोग्य सेवा पुरवितात.

१०.२८ शासन निकषानुसार आदिवासी क्षेत्रासाठी ३,००० लोकसंख्येसाठी व बिगर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रासाठी ५,००० लोकसंख्येसाठी एक उपकेंद्र स्थापन केले जाते. तसेच २०,००० लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी क्षेत्रासाठी आणि ३०,००० लोकसंख्या असलेल्या बिगर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रासाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ८०,००० ते १.२ लाख लोकसंख्येचा अंतर्भाव असलेल्या चार ते पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून एक सामूहिक आरोग्य केंद्र स्थापन केले जाते. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात सध्या २,०५७ उपकेंद्रे, ३१५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ६७ सामूहिक आरोग्य केंद्रे कार्यरत असून ग्रामीण भागातील ९० लाख आदिवासी लोकसंख्येला सेवा पुरवित आहे. निवडक राज्यांमध्ये कार्यरत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामूहिक आरोग्य केंद्रे आणि प्रति केंद्र सरासरी ग्रामीण लोकसंख्या तक्ता १०.१५ मध्ये दिली आहेत.

### तक्ता १०.१४ राज्य शासनाच्या आरोग्य सुविधा

(३१ जानेवारी, २०१९ रोजी)

| संस्थेचा प्रकार                            | संख्या |
|--------------------------------------------|--------|
| उपकेंद्रे                                  | १०,६६८ |
| प्राथमिक आरोग्य केंद्रे                    | १,८२८  |
| ग्रामीण रुग्णालये (सामूहिक आरोग्य केंद्रे) | ३६४    |
| प्राथमिक आरोग्य पथके                       | १९३    |
| फिरती आरोग्य पथके                          | ४०     |
| उपजिल्हा रुग्णालये                         | ९१     |
| जिल्हा रुग्णालये                           | २३     |
| वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालये   | १७     |
| सामान्य रुग्णालये                          | ८      |
| स्त्री रुग्णालये                           | १३     |
| मनोरुग्णालये                               | ४      |
| कुष्ठरोग रुग्णालये                         | ४      |
| क्षयरोग रुग्णालये                          | ४      |
| इतर रुग्णालये (अस्थिव्यंग)                 | १      |
| विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये              | २      |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

**तक्ता १०.१५ निवडक राज्यांमधील कार्यरत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामूहिक आरोग्य केंद्रे आणि प्रति केंद्र सरासरी ग्रामीण लोकसंख्या (जनगणना, २०११ नुसार)**

(३१ मार्च, २०१८ रोजी)

| राज्य             | उपकेंद्रे       |                                 | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे |                                               | सामूहिक आरोग्य केंद्रे |                                              |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                   | संख्या          | सरासरी लोकसंख्या प्रति उपकेंद्र | संख्या                  | सरासरी लोकसंख्या प्रति प्राथमिक आरोग्य केंद्र | संख्या                 | सरासरी लोकसंख्या प्रति सामूहिक आरोग्य केंद्र |
| आंध्र प्रदेश      | ७,४५८           | ४,६६३                           | १,१४७                   | ३०,३१९                                        | १९३                    | १८०,१८९                                      |
| गुजरात            | ९,१५३           | ३,७९१                           | १,४७४                   | २३,५३८                                        | ३६३                    | ९५,५७७                                       |
| कर्नाटक           | ९,४४३           | ३,९६८                           | २,३५९                   | १५,८८४                                        | २०६                    | १,८१,८९०                                     |
| केरळ              | ५,३८०           | ३,२४७                           | ८४९                     | २०,५७८                                        | २२७                    | ७६,९६५                                       |
| मध्य प्रदेश       | ११,१९२          | ४,६९६                           | १,१७१                   | ४४,८८२                                        | ३०९                    | १,७०,०८९                                     |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>१०,६३८</b>   | <b>५,७८६</b>                    | <b>१,८२३</b>            | <b>३३,७६६</b>                                 | <b>३६१</b>             | <b>१,७०,५१५</b>                              |
| राजस्थान          | १४,४०५          | ३,५७५                           | २,०७८                   | २४,७८४                                        | ५८८                    | ८७,५८६                                       |
| तेलंगणा           | ४,७४४           | ४,५५०                           | ६४३                     | ३३,५७०                                        | ९१                     | २,३७,२०१                                     |
| उत्तर प्रदेश      | २०,५२१          | ७,५६९                           | ३,६२१                   | ४२,८९३                                        | ८२२                    | १,८८,९५०                                     |
| पश्चिम बंगाल      | १०,३५७          | ६,००४                           | ९०२                     | ६८,१०९                                        | ३४८                    | १,७८,६८७                                     |
| <b>भारत</b>       | <b>१,५८,४१७</b> | <b>५,२६३</b>                    | <b>२५,७३१</b>           | <b>३२,३८७</b>                                 | <b>५,६२४</b>           | <b>१,४८,२४८</b>                              |

आधार: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, भारत सरकार

१०.२९ वैद्यकीय व्यावसायिकांची गरज भागविण्याकरिता आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी म्हणजेच आयुष आरोग्यसंस्थांसह अनेक वैद्यकीय आणि निमवैद्यकीय संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पदवी प्राप्त केल्यानंतर अॅलोपॅथी वैद्यकीय व्यावसायिकांना (डॉक्टर) महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, मुंबई यांचेकडे नोंदणी व दर पाच वर्षांनी परवाना नूतनीकरण करावे लागते. मार्च, २०१९ पर्यंत एकूण १,५०,४३६ (त्यापैकी ६६,०८१ पदव्युत्तर) अॅलोपॅथी डॉक्टरांनी नोंदणी केली असून ९२,९०८ डॉक्टरांनी परवाना नूतनीकरण केले आहे. राज्यातील नोंदणीकृत परवाना नूतनीकरण केलेल्या अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या आकडेवारीवर आधारित डॉक्टरांचे लोकसंख्येशी गुणोत्तर अंदाजे १:१,३३० आहे.

## राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

१०.३० राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान आणि राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा उद्देश यंत्रणांचे तसेच संस्था व मानवी संसाधन क्षमतेचे सशक्तीकरण करून सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. ग्रामीण व नागरी भागातील आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करणे तसेच प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु, बालके व पौगंडावस्थेतील मुलामुलींचे आरोग्य, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण हे या अभियानाचे प्रमुख घटक आहेत.

## राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

१०.३०.१ ग्रामीण जनतेस विशेषतः गरीब व वंचित कुटुंबांना किफायतशीर व दर्जेदार आरोग्यसेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान एप्रिल, २००५ मध्ये सुरु करण्यात आले. प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम-दुसरा टप्पा, हिवताप, अंधत्व, आयोडिन कमतरता, हत्तीरोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग व एकात्मिक रोग नियंत्रण हे सर्व आरोग्य व कुटुंब कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहेत. स्वच्छता व आरोग्यनिगा, पोषण आणि सुरक्षित पेयजल यासारख्या आरोग्याशी निगडित सेवांच्या प्रभावी एकत्रिकरणावर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात भर दिला आहे.

## तक्ता १०.१६ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत भौतिक प्रगती

(संख्या)

| घटक                                 | तपशील                                                                       | २०१६-१७   | २०१७-१८   | २०१८-१९   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| आयुष                                | बाह्यरुग्ण                                                                  | ५४,०६,७१५ | ४०,२०,०९५ | ४२,३७,०३७ |
|                                     | आंतररुग्ण                                                                   | १,०३,२८०  | ७४,४६६    | ८७,३६७    |
| फिरते वैद्यकीय पथक                  | बाह्यरुग्ण                                                                  | १३,०४,१८९ | १५,२९,२६४ | १६,०१,९८४ |
|                                     | प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम<br>(प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात आरोग्य निगा) | १,५१,७५१  | १,८३,७०१  | २,२१,०१६  |
|                                     | प्रयोगशाळा तपासणी                                                           | ६,८९,७९०  | ८,१०,४०३  | ७,९२,६४३  |
|                                     | भेटी दिलेली गावे                                                            | २०,९००    | २२,००७    | २१,५०१    |
| टेलिमेडीसीन                         | संदर्भित केलेले व तज्ञ सल्ला मिळालेले रुग्ण                                 | २९,८८३    | २८,९६५    | २७,३५५    |
| सिकल सेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम    | एकूण तपासण्या                                                               | १३,६३,०३५ | ११,४८,०६२ | ७,३६,१५१  |
|                                     | बाधित रुग्ण                                                                 | ९४७       | १,०८३     | ७४४       |
|                                     | वाहक                                                                        | ११,४५०    | १२,७४०    | ७,७४१     |
| उपशमन निगा<br>(पॅलिअेटिव्ह केअर)    | रुग्ण                                                                       | ८७२       | ७,३५१     | ९,२२६     |
| संदर्भ सेवा सुविधा (वाहतूक)         | गर्भवती महिला                                                               |           |           |           |
|                                     | रुग्णालयीन प्रसुती                                                          | ५,४९,८२३  | ५,६६,७४५  | ५,५८,६३३  |
|                                     | निवासस्थान ते रुग्णालय                                                      | ४,११,९७९  | ४,४०,६०५  | ४,३८,५२२  |
|                                     | रुग्णालय ते रुग्णालय                                                        | १,३९,९६८  | १,७४,५५६  | १,७५,२७८  |
|                                     | रुग्णालय ते निवासस्थान                                                      | ५,०९,२०८  | ४,७१,९३२  | ४,९३,२८३  |
|                                     | आजारी अर्भके                                                                |           |           |           |
|                                     | आजारी अर्भके                                                                | ७७,०८९    | १,३४,८३६  | ८६,०८९    |
|                                     | निवासस्थान ते रुग्णालय                                                      | ३८,८४५    | ४८,२१५    | ४०,११८    |
|                                     | रुग्णालय ते रुग्णालय                                                        | १८,३३९    | २३,४१४    | २०,१६५    |
|                                     | रुग्णालय ते निवासस्थान                                                      | ५४,११२    | ६३,५३८    | ५१,४७९    |
| सार्वजनिक खाजगी भागिदारी            |                                                                             |           |           |           |
| अ) आरोग्य सल्ला संपर्क केंद्र       | एकूण कॉल्स                                                                  | ६,६९,५२०  | ४,६९,२४१  | ४,२०,६६७  |
| ब) अपस्मार<br>(इपिलेप्सी कार्यक्रम) | आयोजित शिबिरे                                                               | १०        | ९         | ८         |
|                                     | रुग्ण संख्या                                                                | ३,२७२     | ३,२८८     | १,७२८     |
|                                     | शिबिरे (ई. ई. जी. सुविधा असलेली)                                            | ४५०       | ४२९       | ४०७       |
|                                     | ऑक्युपेशन थेरपी/ फिजीओथेरेपी /<br>स्पिच थेरपी घेतलेले                       | १,२४०     | ८००       | ७७६       |
| क) वैद्यकीय व दंत शिबिरे            | आयोजित शिबिरे                                                               | ५०        | ५०        | ४८        |
|                                     | उपचार केलेले रुग्ण                                                          | ८३,२२४    | ७८,८६७    | ६२,९६१    |
|                                     | शस्त्रक्रियांची संख्या                                                      | ६,४६७     | ५,४८३     | ३,४४०     |
| ड) माहेरघर                          | लाभार्थी माता                                                               | १,९००     | २,४३५     | २,६४९     |

आधार: आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन ई.ई.जी. - इलेक्ट्रो इन्सेफेलो ग्राम

१०.३०.१.१ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेसाठी ४० फिरत्या वैद्यकीय पथकांद्वारे आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यात येतात. या भागात दैनंदिन आरोग्यसेवा पुरविण्याकरिता ही पथके स्वयंसेवी संस्था / रुग्ण कल्याण समिती यांचेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. या वैद्यकीय पथकात प्रत्येकी एक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, रेडीओलॉजिस्ट, लॅब अटेंडन्ट, फार्मासिस्ट, मदतनीस व चालक यांचा समावेश असतो. टेलिमेडीसीन सुविधा २३ जिल्हा रुग्णालये, ३९ उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालये व सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विशेषज्ञांसह ४,५८९ वैद्यकीय अधिकारी ४३,९४३ खेडेगावात आरोग्य सुविधा पुरवित असून सुमारे १४५ लाख लाभार्थी आहेत. या योजने अंतर्गत राज्यात

मार्च, २०१९ पर्यंत ६०,७४९ आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती केली आहे. सिकल सेल रोगाचा प्रभाव असलेल्या २१ जिल्ह्यांमध्ये सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

१०.३०.१.२ राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यासाठी ₹ २,२२८.४० कोटी रक्कमेचा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा मंजूर केला असून ₹ १,२४१.३९ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ २,५७१.९७ कोटी रक्कमेचा प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा मंजूर केला असून ₹ १८११.६७ कोटी खर्च झाले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची भौतिक प्रगती तक्ता १०.१६ मध्ये दिली आहे

### प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम - दुसरा टप्पा

१०.३०.२ प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम - दुसरा टप्पा हा कार्यक्रम बालकांच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावून व लोकसंख्या स्थिर ठेवून त्याद्वारे माता मृत्यूप्रमाण, अर्भक मृत्यूदर व एकूण जननदर कमी करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये व सन २०१८-१९ मध्ये अनुक्रमे ₹ ३१३.३६ कोटी व ₹ ४७३.२९ कोटी खर्च झाला. आरोग्यविषयक निवडक निर्देशकांचा कल तक्ता १०.१७ मध्ये व त्यांची मालिका परिशिष्ट १०.७ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.१७ आरोग्य विषयक निवडक निर्देशकांचा कल

| निर्देशक                            | २००५      | २०१०      | २०१५      | २०१६            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| अर्भक मृत्यूदर #                    | ३६        | २८        | २१        | १९ <sup>९</sup> |
| नवजात अर्भक मृत्यूदर #              | २५        | २२        | १५        | १३              |
| पाच वर्षा खालील बालकांचा मृत्यूदर # | ९         | ३३        | २४        | २१              |
| एकूण जननदर                          | २.२       | १.९       | १.८       | १.८             |
|                                     | (२००४-०६) | (२००७-०९) | (२०१०-१२) | (२०१४-१६)       |
| माता मृत्यूप्रमाण @                 | १३०       | १०४       | ८७        | ६१              |

आधार : नमुना नोंदणी पद्धती, भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय # दर हजार जिवित जन्मामागे @ दर लाख जिवित जन्मामागे \$ २०१७

### नवसंजीवनी योजना

१०.३०.२.१ आदिवासी भागातील माता मृत्यूप्रमाण व अर्भक मृत्यूदर कमी व्हावेत या उद्देशाने १६ जिल्ह्यांतील ८,४१९ गावांमध्ये नवसंजीवनी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत २८१ फिरती वैद्यकीय पथके स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक पथकात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह प्रशिक्षित रुग्णसेवक व वाहन यांचा समावेश आहे. हे पथक प्रत्येक गावाला व वस्तीला भेट देऊन कुपोषित व आजारी बालके यांना घरपोच आरोग्य सेवा पुरवतात व आवश्यकता असल्यास जवळच्या आरोग्य केंद्रात भरती करतात. नवसंजीवनी योजने अंतर्गत मातृत्व अनुदान योजना, दाई सभा, मान्सून पूर्व उपाययोजना, अन्न व बुडीत मजुरी पुरविणे, इत्यादी योजना राबविल्या जातात.

### मातृत्व अनुदान योजना

१०.३०.२.१.१ मातृत्व अनुदान योजना, नवसंजीवनी योजने अंतर्गत राबविण्यात येत असून आदिवासी भागातील गर्भवती महिलेला प्रसूतीपूर्व नोंदणी, नियमित आरोग्य तपासणी व आवश्यक ती औषधे यासारख्या आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. या योजने अंतर्गत प्रसूतीपूर्व तपासणीकरीता वैद्यकीय केंद्रात जाण्यासाठी ₹ ४०० रोख देण्यात येतात व ₹ ४०० ची औषधे मोफत पुरविण्यात येतात. मातृत्व अनुदान योजनेची प्रगती तक्ता १०.१८ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.१८ मातृत्व अनुदान योजनेची प्रगती

| वर्ष    | खर्च (₹ कोटी) | लाभार्थी |
|---------|---------------|----------|
| २०१६-१७ | ४.३४          | ७४,५६४   |
| २०१७-१८ | ४.४६          | ७१,७०५   |
| २०१८-१९ | ४.९२          | ६६,८५१   |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

### जननी सुरक्षा योजना

१०.३०.२.२ ग्रामीण व नागरी भागात आरोग्य संस्थांमधील प्रसूतीला प्रोत्साहन देऊन दारिद्र्य रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याकरीता जननी सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. सर्व प्रसूती कुशल प्रसूती सेवकांमार्फत करण्याची खात्री करून त्याद्वारे माता मृत्यूप्रमाण कमी करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये प्रसूती झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत नागरी भागात प्रति लाभार्थी ₹ ६०० व ग्रामीण भागात प्रति लाभार्थी ₹ ७०० लाभार्थ्याला दिले जातात, तर कुशल दाईच्या मदतीने घरी प्रसूत होणाऱ्या ग्रामीण व नागरी भागातील लाभार्थ्यास ₹ ५०० दिले जातात.



सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती झालेल्या लाभार्थ्यास झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी ₹ १,५०० पर्यंत रक्कम दिली जाते. जननी सुरक्षा योजनेची प्रगती तक्ता १०.१९ मध्ये दिली आहे.

### प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

१०.३०.३ गरोदर महिलांना ठराविक दिवशी आश्वासित आणि गुणवत्तापूर्ण प्रसूतीपूर्व सेवा मिळावी या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाची जून, २०१६ मध्ये स्थापना केली. प्रयोगशाळेतील तपासण्या, सोनोग्राफी, प्रसूतीतज्ञाकडून शारीरिक आणि उदर चिकित्सा, अति जोखमीच्या मातांचे वेळेवर निदान, तत्पर संदर्भसेवा हे या अभियानाचे महत्वाचे घटक आहेत. दर महिन्याच्या नऊ तारखेला या सेवा लाभार्थ्यांना दिल्या जातात. जर नऊ तारखेला रविवार किंवा सुट्टी असेल तर पुढील कामकाजाच्या दिवशी या सेवा पुरविल्या जातात. आरोग्यकेंद्रांत या सेवा नियमित प्रसूतीपूर्व सेवांव्यतिरिक्त दिल्या जातात. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाची प्रगती तक्ता १०.२० मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.१९ जननी सुरक्षा योजनेची प्रगती

| वर्ष    | खर्च (₹ कोटी) | लाभार्थी (लाख) |
|---------|---------------|----------------|
| २०१६-१७ | ४१.७७         | २.८१           |
| २०१७-१८ | ४५.५०         | २.४८           |
| २०१८-१९ | ४५.३५         | २.३६           |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

### तक्ता १०.२० प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाची प्रगती

| वर्ष                 | खर्च (₹ लाख) | प्रसूतीपूर्व सेवा मिळालेल्या गर्भवती महिलांची संख्या (लाख) | दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत पहिल्यांदा प्रसूतीपूर्व सेवा मिळालेल्या गर्भवती महिलांची संख्या (लाख) | अति जोखमीच्या गरोदरपणाचे निदान झालेल्या महिलांची संख्या (लाख) |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| २०१६-१७ <sup>१</sup> | -            | ७.८४                                                       | ३.४७                                                                                            | ०.३५                                                          |
| २०१७-१८              | २७.४९        | ८.२४                                                       | ३.८९                                                                                            | ०.३१                                                          |
| २०१८-१९              | ४९.८७        | ७.०३                                                       | ३.४८                                                                                            | ०.२४                                                          |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

<sup>१</sup> जून ते मार्च

### प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

१०.३०.४ देशातील दारिद्र्य रेषेखालील व दारिद्र्य रेषेवरील अनेक गर्भवती महिला गरोदरपणाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत काम करतात. तसेच प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही त्या तात्काळ कामावर रुजू होतात. अशा कुपोषित गर्भवती महिला व स्तन्यदा मातांनी जन्म दिलेल्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परीणाम होतो.

यास्तव माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने त्यांना सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करण्याकरीता केंद्र शासनाने १ जानेवारी, २०१७ पासून 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयात नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलेस तिच्या पहिल्या जिवीत अपत्याकरीता ₹ ५,००० लाभाची रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते. पगारी प्रसूतीरजा उपभोगणाऱ्या महिला हा लाभ घेण्यास पात्र नाहीत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची प्रगती तक्ता १०.२१ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.२१ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची प्रगती

| वर्ष    | खर्च (₹ कोटी) | लाभार्थी (लाख) |
|---------|---------------|----------------|
| २०१७-१८ | ३८.८६         | २.१९           |
| २०१८-१९ | २२०.३१        | ५.५४           |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

### सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम

१०.३०.५ क्षयरोग, घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, हिमोफिलस इन्फ्ल्युएंझा टाईप बी, काविळ-ब, गोवर, इत्यादी लसीकरणाद्वारे प्रतिबंध करता येण्याजोग्या आजारांमुळे गर्भवती स्त्रिया, अर्भके व विविध वयोगटातील बालके यांच्या मृत्यूचे, रोगग्रस्ततेचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या लसीकरण सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.२२ मध्ये दिली आहे.

१०.३०.५.१ वर्ष २०२० पर्यंत गोवर व रुबेला या रोगांचा नायनाट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाद्वारे गोवर रुबेला लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे. राज्यामध्ये २७ नोव्हेंबर, २०१८ पासून या मोहिमेला सुरुवात झाली असून नऊ महिने ते १५ वर्ष वयोगटातील एकूण २.९० कोटी मुलांचे (यापूर्वी लसीकरण झाले असले तरीही) लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. या मोहिमेअंतर्गत एकूण २.७८ कोटी मुलांचे लसीकरण करण्यात आले व एकूण खर्च ₹ २०.९० कोटी झाला.

## तक्ता १०.२२ सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची प्रगती

(संख्या लाखात)

| लस                                                | २०१६-१७ |       | २०१७-१८ |        | २०१८-१९ |        |
|---------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
|                                                   | लक्ष्य  | साध्य | लक्ष्य  | साध्य  | लक्ष्य  | साध्य  |
| बीसीजी                                            | १९.६७   | १९.३६ | १९.९१   | १९.६२  | १९.४६   | २०.१४  |
| घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात (डीपीटी) -III     | १९.६७   | ०.२९  | ला.ना.  | ला.ना. | ला.ना.  | ला.ना. |
| पोलिओ III                                         | १९.६७   | १९.०३ | १९.९१   | १९.११  | १९.४६   | १८.९३  |
| काविळ ब III                                       | १९.६७   | ०.१९  | ला.ना.  | ला.ना. | ला.ना.  | ला.ना. |
| काविळ ब - 0                                       | ८.५४    | ८.४०  | १०.३९   | १०.९६  | ९.६७    | १०.३५  |
| गोवर                                              | १९.६७   | १९.११ | १९.९१   | १८.८४  | १९.४६   | १७.६८  |
| घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात (डीपीटी) - बुस्टर | १९.३३   | १८.१६ | १९.४९   | १७.७९  | १९.०८   | १७.२९  |
| पोलिओ (बुस्टर)                                    | १९.३३   | १८.१७ | १९.४९   | १८.१०  | १९.०८   | १७.४०  |
| डीटी (५ वर्ष)                                     | १९.३३   | १७.०२ | १९.४९   | १२.६५  | १९.०८   | १३.७५  |
| धनुर्वात (१० वर्ष)                                | २५.२४   | १८.५७ | २५.६६   | १७.८३  | २५.९८   | १६.३९  |
| धनुर्वात (१६ वर्ष)                                | २२.९१   | १८.९६ | २३.२१   | १८.१५  | २३.५०   | १६.५६  |
| धनुर्वात (गरोदर माता)                             | २१.६४   | १८.२७ | २१.८९   | १९.४३  | २१.४०   | १९.६२  |
| पेंटावॅलेंट ३                                     | १९.६७   | १९.०२ | १९.९१   | १९.२४  | १९.४६   | १८.९९  |
| खर्च (₹ कोटी)                                     | ३८.००   |       | ४४.११   |        | ५५.३७   |        |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

ला.ना. लागू नाही

## पल्स पोलिओ कार्यक्रम

१०.३०.६ पाच वर्षाखालील मुलांना पूर्वी कितीही वेळा पोलिओ डोस दिला असला तरी देशभरात राष्ट्रीय लसीकरणाच्या दिवशी पोलिओ मात्रा देण्यात येते. राज्याने पोलिओ विषाणूचा प्रसार नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्तम प्रगती केली असून मार्च, २०१९ पर्यंत पोलिओचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. पल्स पोलिओ कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.२३ मध्ये दिली आहे.

## राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

१०.३०.७ जन्माच्या वेळी उद्धवणारे दोष, मुलांचे आजार, कमतरता, विलंबाने होणारी वाढ व अपंगत्व या चार दोषांचे लवकर निदान होऊन त्यावर उपचार करणे हा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. अंगणवाडीच्या माध्यमातून सहा वर्षांपर्यंतच्या शाळापूर्व बालकांची वर्षातून दोनदा नियमितपणे आरोग्य तपासणी करणे हा या कार्यक्रमाचा अविभाज्य घटक आहे. त्याचबरोबर ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळेत शिकणाऱ्या मुलांची देखील नियमित आरोग्य तपासणी केली जाते. आजाराचे निदान झालेल्या बालकांना पुढील वैद्यकीय उपचार, संदर्भसेवा पुरविणे तसेच आवश्यकतेनुसार शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता क्र. १०.२४ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.२३ पल्स पोलिओ कार्यक्रमाची प्रगती

| वर्ष    | लसीकरण केलेल्या मुलांची संख्या (लाख) | खर्च (₹ कोटी) |
|---------|--------------------------------------|---------------|
| २०१६-१७ | १२१.२७                               | १८.१३         |
| २०१७-१८ | १२०.८२                               | २४.७५         |
| २०१८-१९ | ११६.८५                               | ११.६२         |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन



## तक्ता १०.२४ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाची प्रगती

(संख्या)

| वर्ष    | शाळा/ अंगणवाडी         | विद्यार्थी (लाख) |              |                 | केलेल्या शस्त्रक्रिया |                                |
|---------|------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
|         |                        | तपासलेले         | उपचार केलेले | संदर्भित केलेले | मोठ्या शस्त्रक्रिया   | हृदय व त्यासंबंधी शस्त्रक्रिया |
| २०१६-१७ | ८४,८२८                 | १२३.८३           | ११.५३        | ०.९२            |                       |                                |
|         | १,०३,१५८ <sup>#</sup>  | ६४.९२            | ५.०९         | ०.३७            | १३,१८८                | १,९५२                          |
|         | १,०४,४३५ <sup>##</sup> | ६५.५८            | ५.३२         | ०.४०            |                       |                                |
| २०१७-१८ | ८४,४७७                 | ११४.२४           | ८.४४         | ०.९७            |                       |                                |
|         | १,०३,३४४ <sup>#</sup>  | ६२.२०            | ४.६३         | ०.३७            | १५,२५५                | १,८३६                          |
|         | १,०१,७९० <sup>##</sup> | ६६.४१            | ५.२५         | ०.५१            |                       |                                |
| २०१८-१९ | ८४,४३७                 | १२१.२४           | १०.४७        | १.८८            |                       |                                |
|         | १,०३,७१० <sup>#</sup>  | ७०.९५            | ५.०७         | ०.४५            | १७,६३८                | २,६१४                          |
|         | १,०३,७७७ <sup>##</sup> | ७०.३५            | ५.०५         | ०.३३            |                       |                                |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

# अंगणवाडी सत्र १

## अंगणवाडी सत्र २

## राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३०.८ किटकजन्य रोगांमुळे होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी व या रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. रोगनिहाय नोंदणी झालेले रुग्ण व मृत्यू तक्ता १०.२५ मध्ये दिले आहे.

## तक्ता १०.२५ किटकजन्य रोगनिहाय नोंदणी झालेले रुग्ण व मृत्यू

(संख्या)

| किटकजन्य रोग  | २०१६-१७ |               | २०१७-१८ |               | २०१८-१९ |               |
|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|               | रुग्ण   | झालेले मृत्यू | रुग्ण   | झालेले मृत्यू | रुग्ण   | झालेले मृत्यू |
| हिवताप        | २१,८५९  | २७            | १६,५०९  | १९            | १०,२३१  | १४            |
| स्वाईन फ्लू   | ८२      | २६            | ६,१४४   | ७७८           | २,५९४   | ४६२           |
| हत्तीरोग      | २,१४०   | ०             | १,४४६   | ०             | १,४७४   | ०             |
| डेंग्यू       | ६,५८३   | ३३            | ७,८८६   | ६५            | ११,२४९  | ७०            |
| मेंदूज्वर     | १२      | १             | २९      | ०             | ६       | १             |
| चिकुनगुनिया   | २,९१२   | ०             | १,४१८   | ०             | १,०६१   | ०             |
| एईएस/चंडीपुरा | २०      | ४             | १       | १             | ५४      | १             |
| खर्च (₹ कोटी) | १०.४५   |               | २०.६६   |               | ७.६१    |               |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

एईएस : अँक्यूट एन्सेफेलीटीस सिंड्रोम

## आयुर्वेद, योगा, निर्सगोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष)

१०.३०.९ आयुष उपचार पद्धती निश्चित वैद्यकीय तत्वज्ञानावर आधारित असून रोगप्रतिबंध व आरोग्य संवर्धनाच्या स्थापित संकल्पनांसह निरोगी जीवनाचा मार्ग दर्शवतात. योग उपचार पद्धतीस आता जागतिक स्तरावर आरोग्याचे प्रतिक मानले जात असून अनेक देशांनी त्यांच्या आरोग्यसेवेत योग उपचार पद्धतीचा अंतर्भाव केला आहे असंसर्गजन्य रोगांच्या उपचारावरील वाढती आव्हाने, ढासळलेली जीवनशैली, जुनाट आजार, इत्यादींवर आयुष उपचार पद्धतीच्या संकल्पना व सेवा कशा उपयुक्त ठरतील याबाबत वैद्यकीय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात उत्सुकता दिसून येत आहे. विद्यमान वैद्यकीय सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून आयुष उपचार पद्धतीचा

समावेश आरोग्यसेवा प्रणालीच्या मुख्य प्रवाहात करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आयुष उपचार पद्धतीच्या सुविधा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तसेच सामूहिक आरोग्य केंद्रात पुरविल्या जात असून आयुष वैद्य नियुक्त करण्यात आले आहेत. राज्यात ७१ आयुर्वेदिक रुग्णालये, ४६९ आयुर्वेदिक दवाखाने, ६ युनानी रुग्णालये, २५ युनानी दवाखाने आणि ५४ होमिओपॅथी रुग्णालये आहेत. मार्च, २०१९ पर्यंत ८२,८९२ आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी (त्यापैकी ४,३८१ पदव्युत्तर) आणि ७,३४५ युनानी डॉक्टरांनी (त्यापैकी ११४ पदव्युत्तर) महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन यांचेकडे तसेच ७०,८३० होमिओपॅथी डॉक्टरांनी (त्यापैकी २,२३८ पदव्युत्तर) महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेकडे नोंदणी केली.

## राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान

१०.३०.१० नागरी भागातील जनतेच्या आरोग्य विषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सन २०१३ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान सुरु करण्यात आले. हे अभियान प्रामुख्याने ५०,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी शहरे/नगरे यातील झोपडपट्ट्या व इतर सिमांतीक घटकांसाठी राबविले जात आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत २५३ पैकी ९५ शहरे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. झोपडपट्टीतील गलिच्छ वातावरण आणि जास्त लोकसंख्येच्या घनतेमुळे झोपडपट्टीत राहणारे लोक दमा, क्षयरोग, इत्यादीसारख्या फुफ्फुसाच्या रोगास बळी पडतात. तसेच झोपडपट्ट्यांमध्ये किटकजन्य आजाराने प्रमाणही जास्त असते. राज्यात सुमारे २.०१ कोटी झोपडपट्टीत राहणारी लोकसंख्या राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत समाविष्ट आहे.

१०.३०.११ राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत एकूण ५५२ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यान्वित आहेत व १० फिरती वैद्यकीय पथके कार्यरत आहेत. मार्च, २०१९ पर्यंत ८,५८३ आशांची नेमणूक करण्यात आली. सन २०१७-१८ साठी केंद्र शासनाकडून ₹ २११.४३ कोटी रक्कमेच्या प्रकल्प संचालनबजावणी आराखड्या मंजुरी देण्यात आली असून ₹ १११.०४ कोटी खर्च झाले. सन २०१८-१९ साठी केंद्र शासनाकडून ९५ शहरे/नगरांकरिता ₹ १६५.४८ कोटी रक्कमेच्या प्रकल्प संचालनबजावणी आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून ₹ १२३.८१ कोटी खर्च झाले.

## महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा

१०.३०.१२ महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेमार्फत रुग्णांना नजीकच्या रुग्णालयामध्ये पुढील उपचारार्थ दाखल करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्यसेवेसह जीवरक्षक प्रणालीयुक्त रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात येतात. ही आपत्कालीन सेवा १०८ या मोफत दूरध्वनी क्रमांकावर २४x७ उपलब्ध आहे. एकूण ९३७ रुग्णवाहिका कार्यरत असून त्यापैकी २३३ रुग्णवाहिका अद्ययावत जीवरक्षक प्रणालीयुक्त आणि ७०४ रुग्णवाहिका मूलभूत जीवरक्षक प्रणालीयुक्त आहेत. आपत्कालीन सेवा पुरविलेल्या रुग्णांची संख्या तक्ता १०.२६ मध्ये दिली आहे.

## सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३०.१३ क्षयरोग हा संसर्गजन्य रोग असल्याने 'क्षयरोग मुक्त भारत' बनविणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. लागण झालेल्या क्षयरोग रुग्णांची डायरेक्टली ऑब्झर्वर्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स (डॉट्स) द्वारे तपासणी करून ते पूर्ण बरे होईपर्यंत प्रभावीपणे उपचार देण्यात येतात. यामध्ये संपूर्ण उपचार कालावधीसाठी औषधांचा खात्रीशीर पुरवठा व औषधोपचाराला रुग्णांचा प्रतिसाद यावर नियमितपणे देखरेख केली जाते. सन २०१७ मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे संशयित क्षयरोग रुग्णांची संख्या ८४९ होती व रोग मुक्ततेचे प्रमाण ८६ टक्के होते, तर सन २०१८ मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे संशयित क्षयरोग रुग्णांची संख्या ७७८ होती व रोग मुक्ततेचे प्रमाण ८४ टक्के होते. सन २०१८-१९ मध्ये या कार्यक्रमावर एकूण ₹ १५४.७४ कोटी खर्च झाले.

### तक्ता १०.२६ आपत्कालिन सेवा पुरविलेले रुग्ण

(संख्या)

| आपत्कालिन प्रकार               | २०१६-१७         | २०१७-१८         | २०१८-१९          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| प्रसुती                        | ५,५८०           | ६,६४०           | ६,५०१            |
| गर्भवती                        | २,०७,७४१        | २,३९,७६४        | २,३१,३७४         |
| वैद्यकीय                       | २,८१,९६०        | ४,८६,१२९        | ८,८६,६७४         |
| अपघाती (वाहनांमुळे)            | ७३,८७८          | ७५,०२९          | ७३,४३१           |
| प्राणघातक हल्ला                | १०,३०१          | ११,३००          | ११,९११           |
| भाजलेले                        | ४,५५०           | ३,९५३           | ३,६०६            |
| हृदयविकार                      | २,४१८           | २,२१४           | १,७७७            |
| पडलेले                         | २३,०३७          | २९,८६३          | २७,३१४           |
| विषद्रव्यप्राशन/विषबाधा झालेले | २६,६२९          | ३२,३३१          | ३२,३३१           |
| मोठी दुर्घटनाग्रस्त            | ३,६४९           | ४,७६८           | ४,५८६            |
| आघातग्रस्त                     | १,६१३           | १,४७२           | १,२३३            |
| इतर                            | ६३,४३३          | ९७,४०५          | ६४,९२३           |
| <b>एकूण</b>                    | <b>७,०४,७८९</b> | <b>९,९०,८६८</b> | <b>१३,४५,६६१</b> |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र

## राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३०.१४ मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रिया आणि शाळेत जाणाऱ्या मुलांची तपासणी करून दृष्टीदोष आढळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चष्मा पुरविण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अंधत्व प्रमाण सन २०२० पर्यंत १.४ टक्क्यावरून ०.३ टक्क्यापर्यंत कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. सन २०१७-१८ मध्ये निर्धारित ७.५० लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांपैकी ६.८४ लाख शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या व ₹ ३.५३ कोटी खर्च झाले तर सन २०१८-१९ मध्ये तेवढ्याच उद्दिष्टापैकी ७.२८ लाख शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या व ₹ ८.८१ कोटी खर्च झाले.

## राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम

१०.३०.१५ कुष्ठरोगाचे निर्मुलन करणे (सर्व जिल्ह्यांमध्ये १०,००० लोकसंख्येमागे १ पेक्षाही कमी कुष्ठरोगी आढळणे), कुष्ठरोग बाधित रुग्णाचे अपंगत्व प्रतिबंध व वैद्यकीय पुनर्वसन तसेच कुष्ठरोगाबाबतची कलंक भावना कमी करणे या उद्देशाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमाची निर्मिती केली आहे. सन २०१७-१८ मध्ये नव्याने लागण झालेले व कुष्ठरोगग्रस्त रुग्णांची संख्या अनुक्रमे १६,०६५ व ९,८३६ होती, तर सन २०१८-१९ मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे १५,२९९ व ९,३९० होती. वर्ष २०१७-१८ मध्ये कुष्ठरोगाचे प्रमाण प्रती १० हजार लोकसंख्येमागे ०.८ होते व २०१८-१९ करिता हे प्रमाण ०.७५ होते. सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये या कार्यक्रमावर अनुक्रमे ₹ ७.१३ कोटी व ₹ ७.७५ कोटी खर्च झाले.

## कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

१०.३०.१६ लोकसंख्या स्थिर करणे हे कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नसबंदी आणि दोन अपत्यांच्या जन्मात अंतर राखणे हे या कार्यक्रमाचे महत्वाचे पैलू आहेत. मुखावाटे घ्यावयाच्या गोळ्या, तांबी (आययुडी), प्रसूतीपश्चात तांबी, पारंपरिक संतति प्रतिबंधक साधने याबरोबरच काही नवीन गर्भनिरोधनाच्या पद्धतींचा म्हणजेच इंजेक्टबल एमपीए, आठवडी सेंटक्रोमॅन गोळ्या इत्यादी पद्धतींच्या प्रचार व प्रसारावर जास्त भर दिला जातो. कुटुंब कल्याण नसबंदी कार्यक्रमाची माहिती तक्ता १०.२७ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.२७ कुटुंब कल्याण नसबंदी कार्यक्रमाची माहिती

| (‘०००)  |        |       |        |                 |        |                 |                  |
|---------|--------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| वर्ष    | नसबंदी |       |        |                 | तांबी  |                 | खर्च<br>(₹ कोटी) |
|         | लक्ष्य | साध्य |        |                 | लक्ष्य | साध्य           |                  |
|         |        | पुरुष | स्त्री | एकूण            |        |                 |                  |
| २०१६-१७ | ५६५    | १३.९  | ४३८.८  | ४५२.७<br>(८०.१) | ४९०    | ४४३.०<br>(९०.४) | २९.८४            |
| २०१७-१८ | ५६५    | ११.६  | ४०९.९  | ४२१.५<br>(७४.६) | ४९०    | ४२०.०<br>(८५.७) | २५.५७            |
| २०१८-१९ | ५६५    | ८.३   | ३८९.०  | ३९७.३<br>(७०.३) | ४९०    | ४१७.५<br>(८५.२) | २६.११            |

आधार : राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, महाराष्ट्र शासन

टिप : कंसातील आकडे साध्याची लक्ष्याशी टक्केवारी दर्शवितात.

## महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

१०.३१.१ पूर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने राबविण्यात येत आहे. ही योजना पिवळे शिधापत्रिका धारक (दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, अन्नपूर्णा व अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी), दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिका धारक आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील (औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा) पांढरे शिधापत्रिका धारक शेतकरी कुटुंबातील रुग्णांना निवडक आजारांवरील उपचारांकरिता रोख रक्कम विरहीत वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय विमा कंपनीच्या सहयोगाने राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये ३० निवडक विशेष सेवांतर्गत ९७१ प्रकारचे गंभीर व अधिक खर्चिक शस्त्रक्रिया/ उपचार व १२१ शस्त्रक्रिया पश्चात सेवांचा समावेश आहे. या योजने अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबातील एक किंवा अधिक व्यक्तींना वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रति वर्ष प्रति कुटुंब ₹ १.५ लाख एवढ्या मर्यादेपर्यंत मोफत उपचार अनुज्ञेय असून मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा ₹ २.५ लाख आहे. लाभार्थी रुग्णांना ४९२ सूचीबद्ध रुग्णालयांमधून रोख रक्कम विरहीत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतात. सदर योजना पूर्णतः संगणकीकृत असून वैध शिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यास फोटो ओळखपत्राच्या आधारे राज्यातील सूचीबद्ध रुग्णालयांमधून उपचार अनुज्ञेय आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये एकूण ४.९५ लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले असून ₹ १,००६.७२ कोटी खर्च झाले. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ५.५१ लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले असून ₹ १,०८९.६४ कोटी खर्च झाले. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत दहा अति विशेष उपचारांची माहिती तक्ता १०.२८ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२८ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत दहा अति विशेष उपचारांची माहिती**

| अनु. क्र.   | अति विशेष उपचार                       | २०१६-१७                        |                         | २०१७-१८                        |                         | २०१८-१९                        |                         |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|             |                                       | शस्त्रक्रिया/ उपचारांची संख्या | अदा दावे रक्कम (₹ कोटी) | शस्त्रक्रिया/ उपचारांची संख्या | अदा दावे रक्कम (₹ कोटी) | शस्त्रक्रिया/ उपचारांची संख्या | अदा दावे रक्कम (₹ कोटी) |
| १           | कर्करोगावरील वैद्यकीय उपचार           | ९९,७६८                         | ५१.००                   | १,२४,३६५                       | ६५.१०                   | १,३६,०९९                       | ७२.०४                   |
| २           | मुत्रपिंड उपचार                       | ६१,४१४                         | ५२.००                   | ७२,५०२                         | ६२.३७                   | ७७,५९३                         | ७१.६३                   |
| ३           | हृदयविकार                             | ४९,७३९                         | १९९.०५                  | ५६,७१५                         | २१६.९८                  | ६१,७४७                         | २४५.३२                  |
| ४           | प्रजनन संस्थेविषयी उपचार              | ३३,७१५                         | ६६.६५                   | ४०,०२३                         | ७४.०८                   | ४२,९३८                         | ८३.०८                   |
| ५           | अपघात                                 | २७,८९७                         | ३७.२२                   | ३०,६३९                         | ४२.३०                   | ३२,१४६                         | ४७.३१                   |
| ६           | कान, नाक, घसा यावरील वैद्यकीय उपचार   | २५,०१२                         | ११.६३                   | २४,४१७                         | १३.०७                   | २३,९१३                         | १३.१०                   |
| ७           | हृदय व रक्तवाहिन्यांवरील शस्त्रक्रिया | २१,९९०                         | १८५.९२                  | २३,०४२                         | १९३.७३                  | २१,५२३                         | १०७.३६                  |
| ८           | कर्करोगावरील रेडिओथेरेपी              | १९,३२६                         | ८०.१२                   | २१,५०५                         | ९४.५९                   | २१,१४४                         | १८१.०८                  |
| ९           | बालरोगावरील उपचार                     | १५,९२९                         | ३३.८४                   | १८,५६६                         | ३६.०३                   | १९,०९९                         | ४०.६५                   |
| १०          | कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया             | १४,२५७                         | ३८.५५                   | १५,९९७                         | ४२.१९                   | १५,६८९                         | ४३.८३                   |
| <b>एकूण</b> |                                       | <b>३,६९,०४७</b>                | <b>७५५.९८</b>           | <b>४,२७,७७१</b>                | <b>८४०.४४</b>           | <b>४,५१,८९१</b>                | <b>९०५.४०</b>           |

आधार : राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महाराष्ट्र शासन

**आयुष्यमान भारत**

१०.३१.२ आयुष्यमान भारत अथवा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य विमा योजना आहे. सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षणाखाली नोंदणी झालेल्या ८३.७२ लाख कुटुंबांची या योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सूचीबद्ध सार्वजनिक रुग्णालयांमार्फत दरवर्षी प्रतिकुटुंब ₹ पाच लाखापर्यंत विमासंरक्षण पुरविले जाते. सदर योजनेअंतर्गत ९६६ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया / उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसह दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१८ पासून ८२ शासकीय रुग्णालयांमध्ये एकत्रितपणे राबविली जात आहे. यामध्ये ₹ १.५ लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण विद्यमान कंपनीकडून तर ₹ १.५ लाखांवरील व ₹ पाच लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून देण्यात येत आहे. योजना सुरु झाल्यापासून ५,७२५ शस्त्रक्रिया / उपचार पार पडले असून मार्च, २०१९ पर्यंत ₹ ६.१५ कोटीचे दावे रुग्णालयांना अदा करण्यात आले आहेत. मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत एकूण ४,४८,७३८ लाभार्थ्यांना ई-कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत.

**राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम**

१०.३२ राज्यात राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. जनजागृती मोहीम राबवून मार्गदर्शन करणे आणि विशिष्ट गटातील लोकांचे प्रबोधन व देखरेख यावर या कार्यक्रमाचा भर आहे. यामध्ये लैंगिक संसर्गजन्य रोग चिकित्सालयातील रुग्णांची व प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी आलेल्या गर्भवती महिलांच्या रक्ताच्या नमुन्याची तपासणी करून देखरेख केली जाते. एचआयव्ही / एड्सग्रस्त रुग्णांची संख्या तक्ता १०.२९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.२९ एचआयव्ही / एड्स रुग्णांची संख्या**

| बाब                                  | ('०००) |       |       |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                      | २०१६   | २०१७  | २०१८  |
| जोखीम गटातील तपासणी केलेल्या व्यक्ती | ४,९४१  | ५,३५४ | ५,८०६ |
| तीन चाचणी पद्धतीवरून एचआयव्ही बाधित  | ३०     | २९    | २६    |
| एचआयव्ही बाधितांचे प्रमाण (टक्के) @  | ०.६    | ०.५   | ०.५   |
| एड्स रुग्ण                           | १८.८६  | १८.४१ | १६.१३ |
| एड्सने मृत्यू                        | ४.५६   | ४.२०  | ३.७२  |

आधार : महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था

@ तपासणी केलेल्या जोखीम गटातील व्यक्तींशी

## राज्य रक्त संक्रमण परिषद

१०.३३ सुरक्षित रक्ताचा व रक्तातील घटकांचा पुरेसा पुरवठा वाजवी दरात करणे हे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सन २००० पासून सिकल सेल ग्रस्त बालके तसेच थॅलेसेमिया व हेमोफिलियाने पीडित रुग्णांना मोफत रक्तपुरवठा केला जातो. रक्त संकलनाची माहिती तक्ता १०.३० मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.३० रक्त संकलनाची माहिती

| वर्ष | रक्तपेढ्या संख्या | एकूण संकलन (लाख युनिट) | पैकी, स्वेच्छेनेकेलेले (लाख युनिट) | कार्ड वितरीत केलेल्या रुग्णांची संख्या |            |            |
|------|-------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|      |                   |                        |                                    | सिकल सेल                               | थॅलेसेमिया | हेमोफिलिया |
| २०१६ | ३२१               | १६.१७                  | १५.७०                              | ९५८                                    | ६७८        | २८२        |
| २०१७ | ३३१               | १६.०२                  | १५.६३                              | १,१६९                                  | ६३०        | १७७        |
| २०१८ | ३३४               | १६.४८                  | १६.२९                              | ६११                                    | ६३१        | १११        |

आधार : राज्य रक्त संक्रमण परिषद, महाराष्ट्र शासन

## साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम

१०.३४ कॉलरा, गॅस्ट्रो, अतिसार, काविळ, विषमज्वर, इत्यादी जलजन्य आजार यांचा उद्रेक झाल्यास व तुरळकपणे उद्भवल्यास साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत संनियंत्रण केले जाते. या आजारांमुळे होणारी लागण व मृत्यू कमी करणे याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जातात. सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये या कार्यक्रमावर अनुक्रमे ₹ ८.०१ कोटी व ₹ ८.१२ कोटी खर्च झाले. सदर जलजन्य आजारांमुळे झालेली लागण व मृत्यूंची संख्या तक्ता १०.३१ मध्ये देण्यात आली आहे.

### तक्ता १०.३१ जलजन्य आजारांमुळे झालेली लागण व मृत्यूंची संख्या

| आजार             | २०१६      |        | २०१७     |        | २०१८     |        |
|------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                  | लागण      | मृत्यू | लागण     | मृत्यू | लागण     | मृत्यू |
| कॉलरा            | ९६३       | ४      | ८३       | ०      | ३५६      | २      |
| गॅस्ट्रो         | २,३२,९०३  | १४     | ७५,३६०   | १      | ६१,००३   | ५      |
| अतिसार           | ९,३२,०२१  | ७      | ७,१७,७९० | २      | ६,५५,३४७ | ३      |
| काविळ            | ६,६५५     | ५      | १९,८९५   | ०      | ४,४६३    | १      |
| विषमज्वर         | १,२३,५७४  | ०      | ४०,२९५   | ०      | ७२,४५३   | ०      |
| लेप्टोस्पायरोसिस | ३६७       | १३     | १३९      | ७      | ३०९      | १३     |
| एकूण             | १२,९६,४८३ | ४३     | ८,५३,५६२ | १०     | ७,९३,९३१ | २४     |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## मानवी अवयव प्रत्यारोपण

१०.३५ मानवी उपचारांकरिता मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करणे तसेच मानवी अवयवांचे व्यापारीकरण रोखणे याबाबत नियमन करण्याकरिता केंद्र शासनाने मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम, १९९४ लागू केला आहे. राज्यात १७४ नोंदणीकृत केंद्रे असून त्यापैकी एक अवयव प्रत्यारोपणासाठी १३७ व एकापेक्षा जास्त अवयवांच्या प्रत्यारोपणासाठी ३७ केंद्रे आहेत. नेत्रदान, नेत्रपेढी व बुब्बुळ प्रत्यारोपणासाठी एकूण २२७ केंद्रे आहेत. तसेच ६४ रुग्णालयांना प्रत्यारोपणाशिवाय अवयव काढण्याचे केंद्र (नॉन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर) म्हणून नोंदणीकृत करण्यात आले आहे. प्रत्यारोपणांची संख्या तक्ता १०.३२ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.३२ प्रत्यारोपणांची संख्या

| प्रत्यारोपण            | (संख्या) |         |         |
|------------------------|----------|---------|---------|
|                        | २०१६-१७  | २०१७-१८ | २०१८-१९ |
| जीवित                  |          |         |         |
| अ) मूत्रपिंड           | ५२९      | ४६३     | ६४६     |
| ब) यकृत                | ८१       | ६७      | ११९     |
| मृतवत                  |          |         |         |
| अ) मूत्रपिंड           | २०४      | १८७     | २०६     |
| ब) यकृत                | ११७      | १०२     | १३८     |
| क) हृदय                | ३५       | ५०      | ३७      |
| ड) फुफ्फुस             | १        | २       | ६       |
| ई) बुब्बुळ प्रत्यारोपण | २,९८९    | २,६२९   | ३,८१३   |

आधार : आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## महिला व बाल विकास

१०.३६ 'स्त्री-पुरुष समानता साध्य करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सक्षम करणे' हे शाश्वत विकास ध्येयांपैकी एक ध्येय आहे. महिला सक्षमीकरणामुळे परिणामकारक सामाजिक बदल घडवून आणण्यास मदत होते. महिला सक्षमीकरणासाठी शासन विविध योजनांची अंमलबजावणी करित आहे. भारतात सर्व प्रथम १९९४ मध्ये महिला धोरणाची आखणी करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे. राज्याचे तिसरे महिला धोरण सन २०१४ मध्ये जाहीर झाले.

१०.३७ राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या निवडक महिला विकास योजनांची प्रगती तक्ता १०.३३ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.३३ निवडक महिला विकास योजनांची प्रगती

(₹ कोटी)

| योजना                                                            | २०१७-१८ |       |                      | २०१८-१९ |       |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|---------|-------|----------------------|
|                                                                  | नियतव्य | खर्च  | लाभार्थ्यांची संख्या | नियतव्य | खर्च  | लाभार्थ्यांची संख्या |
| शासकीय महिला वसतिगृहे/ महिला आधार गृहे/ संरक्षण गृहे/ राज्य गृहे | १४.५३   | ११.२२ | ३,४१५                | १३.०८   | ११.९८ | ३,५०४                |
| महिला समुपदेशन केंद्रे                                           | ८.००    | ५.८६  | १०५ <sup>#</sup>     | १०.००   | ४.३४  | १०५ <sup>#</sup>     |
| शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना                                     | ०.९०    | ०.३५  | २७४ <sup>\$</sup>    | २.०३    | ०.७५  | ६०२ <sup>\$</sup>    |
| मनोधैर्य योजना                                                   | ७०.८७   | ७०.८६ | ७,७७८                | १००.००  | ०.३४  | -                    |
| कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण                         | २३.९४   | २३.९४ | १२,४५६               | २३.१२   | २०.५१ | ५,०७०                |

आधार : महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

# केंद्रे

\$ जोडपी

१०.३८ राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महिलां विषयक विविध केंद्र शासन पुरस्कृत योजना:

१०.३८.१ **नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे** : या योजनेतर्गत, एकूण मासिक उत्पन्न महानगरांसाठी ₹ ५०,००० किंवा इतर ठिकाणांसाठी ₹ ३५,००० पेक्षा जास्त नाही अशा नोकरी करणाऱ्या अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, विवाहित परंतु ज्यांचे पती किंवा जवळचे कुटुंबीय त्याच भागात राहत नसणाऱ्या आणि नोकरीसाठी प्रशिक्षण सुरू असलेल्या महिलांसाठी वसतिगृहाची बांधणे किंवा भाड्याच्या जागेत वसतिगृह चालविणे या बाबींसाठी अर्थसहाय्य पुरविले जाते. वसतिगृहातील महिलांच्या मुलांसाठी दिवसा संगोपन केंद्राची सुविधा हे या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. वसतिगृहातील महिलांना त्यांच्या निवासासाठी भाडे आकारले जाते. राज्यात अशी ८७ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये ८,३५१ आणि सन २०१८-१९ मध्ये ५,४०७ महिलांना लाभ देण्यात आला.

१०.३८.२ **प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रमासाठी आधार** : १६ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील गरीब महिलांना रोजगार आणि उद्योजकता यांच्याशी संबंधित व्यावसायिक कौशल्य व क्षमता प्रदान करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेतर्गत महिलांना कृषी, फलोत्पादन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन, रेशीम निर्मिती, अन्नप्रक्रिया, हातमाग, शिवणकाम, शिलाई, नक्षीकाम, जरीकाम, हस्तकला, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाधारित सेवा, इंग्रजी संभाषण, रत्ने आणि दागिने, प्रवास आणि पर्यटन, आदरातिथ्य, इत्यादी क्षेत्रांतील व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात असे तीन प्रकल्प कार्यरत आहेत.

१०.३८.३ **स्वाधार** : या योजनेतर्गत निराधार, बेघर, विधवा, कुटुंबाने सोडून दिलेल्या, तुरुंगातून सुटका झालेल्या परंतु कुटुंबांचा आधार नसलेल्या महिला कैदी, कुंटणखान्यांतून सुटका केलेल्या महिला, इत्यादी कठीण परिस्थितीतील महिलांचे संरक्षण, निवारा, संगोपन, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवून पुनर्वसन करण्यात येते. राज्यात २८ स्वाधारगृहे कार्यरत आहेत. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १,९२७ महिलांना आणि सन २०१८-१९ मध्ये १,५४५ महिलांना लाभ देण्यात आला.

१०.३८.४ **उज्वला** : लैंगिक शोषणासाठी केली जाणारी महिलांची अवैध तस्करी रोखणे, पीडित महिलांना सुटकेसाठी मदत करणे, त्यांना समाजामध्ये पुन्हा सामावून घेणे आणि संरक्षण, सुरक्षित निवारा, वैद्यकीय मदत, कायदे विषयक मदत, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. राज्यात अशा २० संस्था कार्यरत आहेत. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये ९२७ महिलांना आणि सन २०१८-१९ मध्ये ७६१ महिलांना लाभ देण्यात आला.

### निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग

१०.३९ केंद्र शासनाने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक-तृतीयांश आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी राज्यशासनाने हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांसाठीच्या राखीव जागांची माहिती तक्ता १०.३४ मध्ये दिली आहे.



**तक्ता १०.३४ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा**

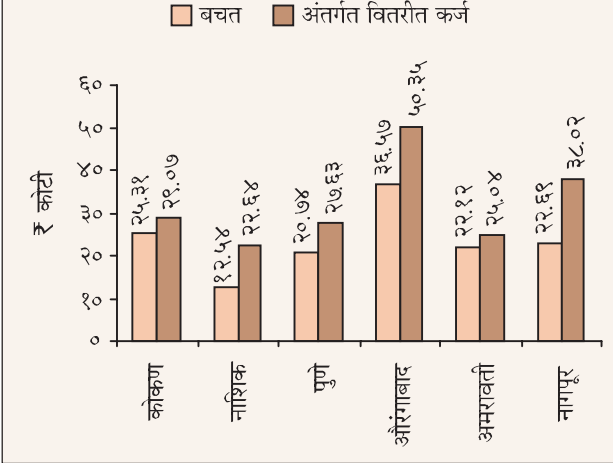
(दि. ३१ डिसेंबर, २०१८ रोजी)

| स्थानिक स्वराज्य संस्था (संख्या)                            | एकूण जागा       | महिलांसाठी राखीव जागा |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| महानगरपालिका (२७)                                           | २,७३६           | १,३७४                 |
| नगरपरिषद (२४१)                                              | ५,४४३           | २,७९८                 |
| नगरपंचायत (१२६)                                             | २,१४२           | १,१३४                 |
| जिल्हा परिषद (३४)                                           | २,०००           | १,००९                 |
| पंचायत समिती (३५१)                                          | ४,०००           | २,०००                 |
| ग्रामपंचायत (२७,७९०) <sup>\$</sup><br>(३१ मार्च, २०१९ रोजी) | २,५०,९८१        | १,२५,४९१              |
| <b>एकूण</b>                                                 | <b>२,६७,३०२</b> | <b>१,३३,८०६</b>       |

\$ ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

आधार: राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र शासन,

**आलेख १०.१ : बचत व महिलांच्या स्व-सहाय्यता गटांना केलेले अंतर्गत वितरीत कर्ज (२०१८-१९)**



**महिला आर्थिक विकास महामंडळ**

१०.४० स्व-सहाय्यता गट, वित्तीय संस्था आणि शासनाचे विभाग यांचे मार्फत विविध महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम राबविण्याकरिता महिला आर्थिक विकास महामंडळास (माविम) नोडल संस्था म्हणून कार्य करते आहे. माविमला विविध योजनांखाली सन २०१८-१९ मध्ये ₹ १०.५० कोटी निधी प्राप्त झाला असून मार्च २०१९ पर्यंत ₹ १०.५० कोटी खर्च झाला.

१०.४०.१ महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्व-सहाय्यता गट हे चांगले माध्यम आहे. सन २०१८-१९ मध्ये स्व-सहाय्यता गटांची एकूण बचत सुमारे ₹ १३९.९६ कोटी होती. तर एकूण वितरीत अंतर्गत कर्ज ₹ १९२.७५ कोटी होते. सन २०१८-१९ मध्ये स्व-सहाय्यता गटांना विविध वित्तीय संस्थांकडून ₹ ६२१.५८ कोटी कर्ज प्राप्त झाले. महिला स्व-सहाय्यता गटांची माहिती तक्ता १०.३५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.३५ महिला स्व-सहाय्यता गटांची माहिती**

(संख्या)

| विभाग                      | क्षेत्र | गावे/शहरे | २०१६-१७        |           | २०१७-१८        |           | २०१८-१९        |           |
|----------------------------|---------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                            |         |           | स्व-सहाय्यतागट | सदस्य     | स्व-सहाय्यतागट | सदस्य     | स्व-सहाय्यतागट | सदस्य     |
| कोकण                       | ग्रामीण | ९६८       | ९,१९७          | १,०४,९६१  | १०,३४४         | १,२१,०९८  | १०,७५१         | १,३१,३९२  |
|                            | नागरी   | ३२        | १,२७७          | १२,५४२    | ३,५२८          | ३९,३७९    | ५,१५१          | ५६,४६८    |
|                            | एकूण    | -         | १०,४७४         | १,१७,५०३  | १३,८७२         | १,६०,४७७  | १५,९०२         | १,८७,८६०  |
| नाशिक                      | ग्रामीण | १,६००     | ८,४७१          | १,०४,६५८  | ९,९८१          | १,१५,५९७  | ९,१४४          | १,०९,४६५  |
|                            | नागरी   | ४३        | ९०८            | ७,७७८     | ३,२१०          | ३२,८५२    | ४,३४२          | ५७,४०४    |
|                            | एकूण    | -         | ९,३७९          | १,१२,४३६  | १३,१९१         | १,४८,४४९  | १३,४८६         | १,६६,८६९  |
| पुणे                       | ग्रामीण | १,०३९     | १०,४९२         | १,३१,३५६  | १०,०६५         | १,६१,६५८  | १४,३२५         | १,३४,४१७  |
|                            | नागरी   | ४६        | ९०२            | १०,२६९    | २,८४०          | ३५,४९४    | ५,४५४          | १,१७,४५७  |
|                            | एकूण    | -         | ११,३९४         | १,४१,६२५  | १२,९०५         | १,९७,१५२  | १९,७७९         | २,५१,८७४  |
| औरंगाबाद                   | ग्रामीण | २,५१०     | १२,९८०         | १,४६,६००  | १४,६०३         | १,७०,८४६  | १४,६२६         | १,७५,९२६  |
|                            | नागरी   | ५७        | १,५५२          | १४,२६८    | ३,६३१          | ४३,५४३    | ६,८४१          | ७६,१४२    |
|                            | एकूण    | -         | १४,५३२         | १,६०,८६८  | १८,२३४         | २,१४,३८९  | २१,४६७         | २,५२,०६८  |
| अमरावती                    | ग्रामीण | १,९४२     | १२,४९५         | १,३०,७६०  | १६,८९८         | १,८०,४५४  | १६,९१५         | १,८७,०२०  |
|                            | नागरी   | ४१        | ६५४            | ४,८९६     | २,४७६          | २५,६७८    | ४,२०२          | ४१,९७१    |
|                            | एकूण    | -         | १३,१४९         | १,३५,६५६  | १९,३७४         | २,०६,१३२  | २१,११७         | २,२८,९९१  |
| नागपूर                     | ग्रामीण | २,४३६     | १४,५८०         | १,७९,२९७  | १५,९५६         | १,९५,०९६  | १५,८८९         | १,९९,७५१  |
|                            | नागरी   | ३१        | ९१०            | ७,१५५     | २,४९२          | २६,३७३    | ३,८२२          | ४०,२८४    |
|                            | एकूण    | -         | १५,४९०         | १,८६,४५२  | १८,४४८         | २,२१,४६९  | १९,७११         | २,४०,०३५  |
| प्रादेशिक स्वयंसेवी संस्था | -       | -         | १२,८०६         | १,४९,१९९  | १३,६२१         | १,६९,७८१  | १३,६२१         | १,६९,७८१  |
| एकूण                       | ग्रामीण | १०,४९५    | ८१,०२१         | ९,४६,८३१  | ९१,४६८         | ११,१४,५३० | ९५,३६८         | ११,०७,७५२ |
|                            | नागरी   | २५०       | ६,२०३          | ५६,९०८    | १८,१७७         | २,०३,३१९  | ३१,०४०         | ३,८९,७२६  |
|                            | एकूण    | -         | ८७,२२४         | १०,०३,७३९ | १०,९६,४४५      | १३,१७,८४९ | १२,६६,४०८      | १४,९७,४७८ |

आधार : माविम, महाराष्ट्र शासन

## महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

१०.४१ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था असून आयोग नियमितपणे पीडित महिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर सुनावण्या / सार्वजनिक सुनावण्या घेते आणि मोफत कायदे विषयक सेवा व समुपदेशन पुरविते. पीडित महिलांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व निःसंकोचपणे संवाद साधण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे या प्राथमिक उद्दिष्टासाठी विभागवार व जिल्हावार सार्वजनिक सुनावण्यांचे आयोजन करून 'महिला आयोग आपल्या दारी' नावाचा एक अभिनव उपक्रम व्यापकपणे राज्यभर राबविण्यात आला. आयोग राज्यात सर्वत्र स्व-संरक्षण कार्यक्रम, स्त्री-पुरुष समानतेविषयी जागरूकता, कायदेविषयक साक्षरता, सायबर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ यांची अंमलबजावणी, ॲसिड हल्ल्याने पीडित महिलांचे पुनर्वसन, पाळणा घरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, इत्यादी महिलां संबंधीच्या विविध मुद्द्यांवर कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे आयोजित करते. या उपक्रमांवर सन २०१६-१७ मध्ये ₹ १.५२ कोटी खर्च झाला तर सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ३.४९ कोटी खर्च झाला.

### महिलांवरील अत्याचार

१०.४२ महिलांवर शारीरिक किंवा मानसिकरित्या केल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष क्रूर कृत्यांना 'महिलांवरील अत्याचार' असे संबोधले जाते. अत्याचार झालेल्या महिलांबाबत नोंदवलेले गुन्हे तक्ता १०.३६ मध्ये दिले आहेत.

### बाल विकास

१०.४३ मुले ही देशाचे भवितव्य असेलेली प्रमुख साधन संपत्ती आहे. त्यांना बाल्यावस्थेत विशेष लक्ष आणि संगोपनाची गरज असते. बाल विकासाच्या विविध योजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत.

१०.४३.१ **एकात्मिक बाल संरक्षण योजना** : आधारगृहे, विशेष दत्तक स्रोत संस्था, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ, जिल्हा बाल संरक्षण संस्था, राज्य बाल संरक्षण संस्था, शासकीय/स्वयंसेवी संस्थांची बालगृहे, निरीक्षण गृहे, अनुरक्षण गृहे, इत्यादी कार्यक्रम एकात्मिक बाल संरक्षण या एकाच योजनेतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या योजनेतर्गत लाभार्थ्यांवर झालेला घटकनिहाय खर्च तक्ता १०.३७ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.३६ अत्याचार झालेल्या महिलांबाबत नोंदवलेले गुन्हे

| (संख्या)                                 |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| गुन्ह्याचा प्रकार                        | २०१६          | २०१७          | २०१८*         |
| बलात्कार                                 | ४,१८९         | ४,३२०         | ४,०७६         |
| अपहरण व पळवून नेणे                       | ६,१६९         | ६,२४८         | ७,७२७         |
| हुंडाबळी                                 | २४८           | २३३           | १७४           |
| पती व नातेवाईकांकडून झालेली क्रूर कृत्ये | ७,२१५         | ६,५८४         | ५,०९३         |
| विनयभंग                                  | ११,३९६        | १२,१३८        | १४,०७५        |
| लैंगिक अत्याचार                          | ९२४           | ९५५           | १,०६४         |
| अनैतिक व्यापार                           | ३०३           | २८४           | १५९           |
| इतर                                      | ८३१           | १,२६१         | १,२६९         |
| <b>एकूण</b>                              | <b>३१,२७५</b> | <b>३२,०२३</b> | <b>३३,५५७</b> |

आधार : गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

### तक्ता १०.३७ एकात्मिक बाल विकास संरक्षण योजनेतर्गत लाभार्थ्यांवर झालेला घटकनिहाय खर्च

| (₹ लाख)                           |                  |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| घटक                               | संस्थांची संख्या | खर्च २०१७-१८    | लाभार्थी संख्या | खर्च २०१८-१९    | लाभार्थी संख्या |
| आधार गृह                          | ०३               | ८.६७            | १०५             | १३.२४           | ११८             |
| दत्तक संस्था                      | १७               | ६१.७४           | १८७             | ८८.१३           | २३६             |
| शासकीय बालगृहे                    | २५               | १,२७०.५९        | ६५९             | १,३०५.५४        | ७१०             |
| शासकीय निरीक्षण गृहे              | १२               | ४५५.४८          | २०९             | ५६२.३८          | १६३             |
| शासकीय अनुरक्षण गृहे              | ०६               | २७५.५७          | १२३             | २७५.०१          | १४७             |
| स्वयंसेवी संस्थांची निरीक्षण गृहे | ४४               | १,१२०.८२        | १,४५०           | १,०९४.६५        | १,३२३           |
| <b>एकूण</b>                       | <b>१०७</b>       | <b>३,१९२.८७</b> | <b>२,७३३</b>    | <b>३,३३८.९५</b> | <b>२,६९७</b>    |

आधार : महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे

१०.४३.२ **निरीक्षण गृहे** : विधी संघर्षग्रस्त आणि न्यायिक चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली मुले बाल न्याय मंडळांच्या आदेशानुसार निरीक्षण गृहात दाखल केली जातात. निरीक्षण गृहात दाखल मुलांना निवास, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, समुपदेशन, व्यवसाय मार्गदर्शन, इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. राज्यात ११ जिल्ह्यांत १२ शासकीय निरीक्षण गृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता ६०० आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्थांची ४८ निरीक्षण गृहे (१९ मुलींसाठी व २९ मुलांसाठी) असून त्यांची प्रवेश क्षमता ४,२७५ आहे. शासनाकडून प्रति लाभार्थी दरमहा ₹ १,५०० सहायक अनुदान दिले जाते.

१०.४३.३ **बालगृहे** : संगोपन आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, सोडलेल्या, हरवलेल्या, विशेष काळजीची गरज असलेल्या एच.आय.व्ही./एड्सबाधित, संकटग्रस्त आणि अत्याचारित १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना बालगृहांत प्रवेश दिला जातो. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, समुपदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण आणि मनोरंजन यांसारख्या सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. राज्यात २५ शासकीय बालगृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता २,६६५ आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्थांची ७१,७४७ प्रवेश क्षमता असलेली



८४८ अनुदानित बालगृहे आणि ३,८४० प्रवेश क्षमता असलेली ६३ विना अनुदानित बालगृहे आहेत. शासनाकडून प्रति लाभार्थी दरमहा ₹ २,००० याप्रमाणे या बालगृहांना सहायक अनुदान देण्यात येते. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १८,७४१ लाभार्थ्यांवर ₹ ३४.०५ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये २०,२६१ लाभार्थ्यांवर ₹ ३८.३० कोटी खर्च झाला.

**१०.४३.४ अनुरक्षण गृहे :** वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर बालगृहातील मुलांना बालगृह सोडावे लागते. तथापि, प्रशिक्षण किंवा शिक्षण अपूर्ण राहिल्यामुळे त्यांच्यापैकी काही मुलांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नसते आणि त्यांना अन्न, वस्त्र व निवाऱ्याची आवश्यकता असते. अशा मुलांचे अनुरक्षणगृहांत पुनर्वसन केले जाते. शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत किंवा रोजगार मिळेपर्यंत प्रवेशितांना अनुरक्षण गृहांत अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, समुपदेशन, व्यवसाय मार्गदर्शन, इत्यादी सुविधा पुरविण्यात येतात. राज्यात सहा शासकीय व तीन स्वयंसेवी संस्थांची अनुरक्षण गृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता अनुक्रमे ६०० व ११० आहे. राज्य शासनाकडून प्रति लाभार्थी दरमहा ₹ २,००० सहायक अनुदान या अनुरक्षण गृहांना देण्यात येते.

**१०.४३.५ बाल संगोपन योजना :** राज्यातील अनाथ, निराधार, गरजू व बेघर मुलांना कौटुंबिक जीवन प्रदान करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यात १३७ स्वयंसेवी संस्थांमार्फत १३,००४ बालकांचे संगोपन केले जाते. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ५.९९ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये ₹ १०.९६ कोटी खर्च झाला.

**१०.४३.६ चाचा नेहरू बाल महोत्सव योजना :** राज्यातील सर्व मुले आणि पुनर्वसनासाठी शासकीय/स्वयंसेवी संस्थांमध्ये दाखल केलेल्या अनाथ, निराधार, गरजू व बेघर मुलांच्या सुप्त गुणांना प्राधान्याने वाव देऊन त्यांच्यात बंधुत्व व संघभावना निर्माण व्हावी यासाठी चाचा नेहरू बाल महोत्सव राज्यातल्या ३६ जिल्ह्यांत व सहा प्रादेशिक विभागांत दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात आयोजित करण्यात येतो. क्रीडा, खेळ, वक्तृत्व, इत्यादी विविध प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जातात आणि विजेत्यांना बक्षीसे दिली जातात. जिल्हास्तरीय कार्यक्रमासाठी ₹ पाच लाख तर विभागीय स्तरावरील कार्यक्रमाकरिता ₹ ५.८२ लाख अनुदान मंजूर करण्यात येते. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये ₹ १२४.५० लाख खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये ₹ १३०.१२ लाख खर्च झाला.

## एकात्मिक बाल विकास सेवा

**१०.४४** ग्रामीण, आदिवासी व झोपडपट्टी भागातील शालेयपूर्व बालकांची योग्य वाढ व विकास साधण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने सेवा पुरविणे हे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उद्दिष्ट आहे. हा कार्यक्रम ९७,४७५ अंगणवाड्या, १३,०११ मिनी अंगणवाड्या आणि ५५३ बाल विकास प्रकल्पांमार्फत राबविला जातो.

## पोषण कार्यक्रम

**१०.४४.१** बालके, गर्भवती स्त्रिया व स्तन्यदा माता यांच्या पोषण विषयक किमान गरजा भागविण्यासाठी व त्यांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतर्गत राबविण्यात येतो. समाजातील वंचित घटकांतील सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांना पोषण आहार देणे आणि गर्भवती स्त्रिया व स्तन्यदा माता यांचे आरोग्य सुधारणे हे पूरक पोषण कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दुर्गम व संवेदनशील भागातील कुपोषण नियंत्रित करून अर्भक मृत्यू कमी करणे हे सुद्धा या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये, ६३.७१ लाख लाभार्थ्यांवर ₹ ९९३.१४ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये ६१.६५ लाख लाभार्थ्यांवर ₹ १,६१३.९७ कोटी खर्च झाला.

**१०.४४.२** सन २०१०-११ पासून बालकांचे सर्वसाधारण वजनाची, मध्यम कमी वजनाची व तीव्र कमी वजनाची बालके असे वर्गीकरण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार करण्यात येते. बालकांची (० ते ५ वर्षे) पोषण श्रेणी निहाय टक्केवारी तक्ता १०.३८ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.३८ बालकांची (० ते ५ वर्षे) पोषण श्रेणी निहाय टक्केवारी

(टक्के)

| वर्ष                 | क्षेत्र     | वजन केलेली बालके (संख्या) | सर्वसाधारण वजनाची बालके | मध्यम कमी वजनाची बालके | तीव्र कमी वजनाची बालके |
|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| २०१६-१७              | ग्रामीण     | ४१,६३,१७२                 | ९२.९                    | ६.१                    | १.०                    |
|                      | आदिवासी     | ८,९२,०६८                  | ८१.७                    | १५.१                   | ३.२                    |
|                      | नागरी       | १०,५६,२१०                 | ८३.८                    | १५.२                   | १.०                    |
|                      | <b>एकूण</b> | <b>६१,११,४५०</b>          | <b>८९.७</b>             | <b>९.०</b>             | <b>१.३</b>             |
| २०१७-१८              | ग्रामीण     | ३९,९७,३९९                 | ९२.५                    | ६.४                    | १.१                    |
|                      | आदिवासी     | ८,६४,५३४                  | ८१.५                    | १५.२                   | ३.३                    |
|                      | नागरी       | १०,२२,९८७                 | ८४.७                    | १४.४                   | ०.९                    |
|                      | <b>एकूण</b> | <b>५८,८४,९२०</b>          | <b>८९.६</b>             | <b>९.१</b>             | <b>१.४</b>             |
| २०१८-१९ <sup>+</sup> | ग्रामीण     | ३८,७५,३८१                 | ९२.७                    | ६.३                    | १.०                    |
|                      | आदिवासी     | ८,३३,७८४                  | ८१.६                    | १५.१                   | ३.३                    |
|                      | नागरी       | १०,५४,८९५                 | ८५.४                    | १३.८                   | ०.८                    |
|                      | <b>एकूण</b> | <b>५७,६४,०६०</b>          | <b>८९.८</b>             | <b>८.९</b>             | <b>१.३</b>             |

आधार : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन

+ जानेवारीपर्यंत

१०.४५ राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या बालकां विषयक काही महत्वाच्या राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजना :

१०.४५.१ **किशोरवयीन मुलींसाठी योजना:** राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण ही योजना सुधारीत करून 'किशोरवयीन मुलींसाठी योजना' सन २०१८-१९ पासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये अंमलात आणली आहे. या योजनेमध्ये, ११ ते १४ वर्षे वयोगटातील शाळे बाहेरील मुलींना पोषण आहार दिला जातो. ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना आरोग्य, स्वच्छता, पोषण, कुटुंब व बाल संगोपन, पौगंडावस्थेतील प्रजनन व लैंगिक आरोग्य, गृह कौशल्ये, जीवन कौशल्ये व व्यावसायिक कौशल्ये, इत्यादी प्रशिक्षण दिले जाते. योजनेतर्गत सर्व किशोरवयीन मुलींना अंगणवाडी केंद्रात सुक्ष्म पोषण तत्वयुक्त घरपोच आहार, लोहयुक्त व जंतनाशक गोळ्या, आरोग्य तपासण्या आणि संदर्भ वैद्यकीय सेवा पुरविल्या जातात. या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये सबला योजनेच्या ८.०४ लाख लाभार्थ्यांवर (११ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुली) आणि किशोरवयीन मुलींसाठीच्या योजनेमध्ये ५७,००० लाभार्थ्यांवर (११ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुली) ₹ १०.१८ कोटी खर्च झाला.

१०.४५.२ **भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना :** अनुसूचित क्षेत्र आणि अतिरिक्त आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्रात, उष्मांक व प्रथिने यांच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या कुपोषणाच्या समस्यांचा सामना करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. गर्भधारणेनंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि जवळच्या अंगणवाडी / मिनी अंगणवाडी केंद्रात नोंदणी केल्यापासून गर्भवती महिला व स्तन्यदा माता यांना सहा महिने पूर्ण होईपर्यंत आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी (रविवार वगळता), एका वेळेचा पूर्ण चौरस आहार देण्यात येतो. अंगणवाडी केंद्रात नाव नोंदविलेल्या सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील शाकाहारी मुलास दोन केळी आणि मांसाहारी मुलास एक उकडलेले अंडे आठवड्यात चार वेळा दिले जाते. या योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १.५२ लाख गर्भवती व स्तन्यदा माता आणि ८.३७ लाख मुले यांच्याकरिता ₹ १२४.७४ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये १.१९ लाख गर्भवती व स्तन्यदा मातांना आणि ६.६१ लाख मुलांकरिता ₹ ११९.८२ कोटी खर्च झाला.

१०.४५.३ **राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना :** कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ₹ १२,००० पर्यंत असलेल्या ग्रामीण व नागरी भागातील नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना या योजनेतर्गत पाळणाघराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. बालकांना दररोज साडे सात तास याप्रमाणे महिन्यातील २६ दिवस या पाळणा घरांत ठेवण्याची सुविधा आहे. त्यांना पूर्व शालेय शिक्षण, पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, लसीकरण, इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात. या योजनेतर्गत राज्यातील १,६७० पाळणाघरे समाविष्ट आहेत. या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २.५७ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये ₹ २.४६ कोटी खर्च झाला.

१०.४५.४ **बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना :** मुलींच्या जीविताची, सुरक्षिततेची व शिक्षणाची हमी किंवा खात्री देणे आणि लिंग भेदावर आधारित लिंग निवड प्रथेचे निर्मूलन करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. ही योजना पालघर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

१०.४५.५ **माझी कन्या भाग्यश्री योजना :** मुलींच्या जन्मदरात वाढ करणे, गर्भजल परिक्षण रोखणे, मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन व हमी देणे आणि मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारणे ही या योजनेची उद्दिष्टे असून सदर योजना समाजाच्या सर्व घटकांतील मुलगी असलेल्या व कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹ ७.५० लाखापर्यंत असलेल्या कुटुंबांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेतर्गत एका मुलीच्या जन्मानंतर मातेने/पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यानंतर मुलीच्या नावे ₹ ५०,००० रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्यात येते. दोन मुलींच्या जन्मानंतर मातेने/पित्याने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येक मुलीच्या नावे ₹ २५,००० रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्यात येते. मुलीच्या वयाच्या सहाव्या व बाराव्या वर्षी केवळ सदर रकमेवरील व्याज काढता येते आणि मुलीच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण रक्कम (मुद्दल व व्याज) काढता येते. सदर योजना सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे स्वरूप बदलण्यात आले असून १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलांसाठी सदर योजना लागू आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये २,३०६ लाभार्थ्यांवर ₹ ६.१६ कोटी खर्च झाला आणि सन २०१८-१९ मध्ये १,४४८ लाभार्थ्यांवर ₹ ८.०१ कोटी खर्च झाला.

## बालकांवरील अत्याचार

१०.४६ बालकांवरील अत्याचाराचे जे गुन्हे घडतात किंवा ज्या गुन्ह्यात बालके पीडित असतात असे गुन्हे 'बालकांवरील अत्याचाराचे गुन्हे' म्हणून संबोधले जातात. अत्याचार झालेल्या बालकांबाबत नोंदवलेले गुन्हे तक्ता १०.३९ मध्ये दिले आहेत.

### तक्ता १०.३९ अत्याचार झालेल्या बालकांबाबत नोंदवलेले गुन्हे

| गुन्ह्याचा प्रकार   | (संख्या)      |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | २०१६          | २०१७          | २०१८*         |
| खून                 | १३२           | १४७           | १६९           |
| पैकी,               |               |               |               |
| गर्भातील जीव        | ४४            | २४            | २२            |
| इतर                 | ८८            | १२३           | ११            |
| बालकांवरील बलात्कार | २,०८६         | २,३०५         | २,६८८         |
| अपहरण व पळवून नेणे  | ८,०१६         | ८,८५०         | ९,१७४         |
| परित्याग            | २६            | १२३           | ११०           |
| इतर                 | ३,३३१         | ४,१०९         | ३,३७०         |
| <b>एकूण</b>         | <b>१३,७२३</b> | <b>१५,६८९</b> | <b>१५,५४४</b> |

आधार : गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र शासन

\* अस्थायी

## रोजगार व दारिद्र्य

१०.४७ रोजगार निर्मिती व दारिद्र्य निर्मूलन ही विकास नियोजनातील महत्वाची उद्दिष्टे आहेत. राज्यातील वाढत्या श्रमशक्तीला उत्पादक, सुयोग्य आणि पुरेशा प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हे शासकीय उपक्रमांचे महत्वाचे उद्देश आहेत. याद्वारे गरिबी कमी होऊन विकास प्रक्रिया सर्वसमावेशक होते. राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम व उत्पादकक्षम करण्याकरीता राज्य शासन कौशल्य विकासाद्वारे युवकांचे सशक्तीकरण करण्यावर विशेष भर देत आहे.

### रोजगार

१०.४८ रोजगाराबाबतची स्थिती दर्शविणाऱ्या आकडेवारीचे मुख्य स्रोत जनगणना, आर्थिक गणना, नियतकालीक श्रमबल पाहणी आणि राष्ट्रीय नमुना पाहणी हे आहेत. कारखान्यांमधील (कारखाने अधिनियम, १९४८ खालील नोंदणीकृत) रोजगार विषयक माहिती वैधानिक विवरणपत्रांद्वारे उपलब्ध होते. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांमधील रोजगार विषयक माहिती रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम अंतर्गत गोळा केली जाते.

### जनगणना २०११ नुसार रोजगार विषयक माहिती

१०.४९ जनगणना २०११ नुसार, राज्यात ४.९४ कोटी कामगार होते, त्यामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ३४ टक्के होते. जनगणना २०११ नुसार, कृषी व संलग्न कार्ये क्षेत्रामध्ये कार्यरत कामगारांची टक्केवारी ४६.१ होती तर जनगणना २००१ नुसार ती ४५.१ टक्के होती. जनगणना २०११ नुसार स्त्री मुख्य कामगारांची टक्केवारी ३१.५ आहे तर स्त्री सीमांतिक कामगारांची टक्केवारी ५३.६ आहे. उद्योग प्रकारानुसार कामगारांची टक्केवारी तक्ता १०.४० मध्ये व व्यवसाय प्रकारानुसार कामगारांची टक्केवारी तक्ता १०.४१ मध्ये दिली आहे. जनगणना २०११ नुसार कामगारांचे आर्थिक कार्यानुसार वर्गीकरण परिशिष्ट १०.८ मध्ये दिले आहे.

#### तक्ता १०.४० उद्योग प्रकारानुसार राज्यातील कामगारांची टक्केवारी

| उद्योग प्रकार                                                | कामगारांची टक्केवारी |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                              | १९७१ <sup>@</sup>    | १९८१        | १९९१        | २००१        | २०११        |
| <b>मुख्य कामगार</b>                                          | <b>१००.०</b>         | <b>९१.०</b> | <b>९१.४</b> | <b>८४.३</b> | <b>८८.५</b> |
| अ) कृषी व संलग्न कार्ये                                      |                      |             |             |             |             |
| शेतकरी                                                       | ३५.५                 | ३१.९        | ३०.०        | २४.८        | २३.२        |
| शेतमजूर व मासेमारी                                           | ३०.९                 | २६.०        | २५.९        | २०.३        | २२.९        |
| ब) बिगर कृषी कार्ये                                          |                      |             |             |             |             |
| खाणकाम व दगडकाम                                              | ०.३                  | ०.३         | ०.३         | ०.४         | ०.२         |
| वस्तूनिर्माण (घरगुती व घरगुती उद्योगांव्यतिरिक्त इतर उद्योग) | १३.१                 | १२.७        | १२.१        | ११.०        | १०.५        |
| बांधकाम                                                      | १.५                  | २.०         | २.४         | ३.४         | ४.१         |
| व्यापार                                                      | ६.७                  | ६.५         | ७.८         | ७.१         | ६.४         |
| वाहतूक, साठवण आणि दळणवळण                                     | ३.०                  | ३.०         | ३.४         | ४.३         | ५.८         |
| इतर                                                          | ९.०                  | ८.६         | ९.५         | १३.०        | १५.५        |
| <b>सीमांतिक कामगार</b>                                       |                      | ९.०         | ८.६         | १५.७        | ११.५        |
| <b>एकूण कामगार (कोटी)</b>                                    | <b>१.८४</b>          | <b>२.६७</b> | <b>३.३९</b> | <b>४.१२</b> | <b>४.९४</b> |

आधार: भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

@ सीमांतिक कामगार असे वर्गीकरण उपलब्ध नाही

**तक्ता १०.४१ व्यवसाय प्रकारानुसार राज्यातील कामगारांची टक्केवारी - जनगणना २०११**

(टक्के)

| व्यवसाय प्रकार                                 | एकूण कामगार |        |      |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------|
|                                                | पुरुष       | स्त्री | एकूण |
| लोक प्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यवस्थापक   | ९.०         | ४.२    | ८.०  |
| व्यावसायिक                                     | ६.०         | ७.३    | ६.३  |
| तंत्रज्ञ आणि सहयोगी व्यावसायिक                 | ६.६         | १३.४   | ८.१  |
| लिपिक                                          | ६.४         | ६.८    | ६.५  |
| सेवा कामगार आणि दुकाने व बाजारपेठेतील विक्रेते | १३.४        | ८.३    | १२.३ |
| कुशल शेतकी आणि मत्स्य कामगार                   | १.५         | १.६    | १.५  |
| कला क्षेत्र आणि संबंधित व्यवसायामधील कामगार    | १७.५        | १०.७   | १६.० |
| कारखाने, यंत्रचालक आणि यंत्रांची जुळवणी करणारे | १२.१        | २.७    | १०.० |
| प्राथमिक व्यवसाय करणारे                        | १७.८        | १८.८   | १८.१ |
| व्यावसायिक प्रकारानुसार वर्गीकृत नसलेले कामगार | ९.६         | २६.१   | १३.२ |

आधार: भारताचे महानिबंधक यांचे कार्यालय

**सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार रोजगार विषयक माहिती**

१०.५० सहावी आर्थिक गणना सन २०१३-१४ मध्ये घेण्यात आली. सदर गणनेत पीक उत्पादन व लागवड, लोक प्रशासन, संरक्षण, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा, घरगुती कामगाराचे मालक म्हणून कुटुंबाचे कार्य, विदेशी संघटना व संस्थांचे कार्य तसेच अनधिकृत कार्ये वगळता सर्व आस्थापनांचा समावेश करण्यात आला होता. राज्यातील कृषी आस्थापनांची एकूण संख्या पाचव्या आर्थिक गणने नुसार (२००५) ६.०४ लाख होती ती वाढून सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार १५.९२ लाख झाली. राज्यातील पाचव्या आणि सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार आस्थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार तक्ता १०.४२ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४२ पाचव्या व सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार राज्यातील आस्थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार**

(लाख)

| तपशील                                                   | पाचवी आर्थिक गणना@ | सहावी आर्थिक गणना | वर्षिक चक्रवाढ वृद्धी दर (टक्के) |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>एकूण आस्थापना</b>                                    | <b>४१.५३</b>       | <b>६१.३७</b>      | <b>५.०</b>                       |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | २५.१२              | ४४.१४             | ७.३                              |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | १६.४१              | १७.२४             | ०.६                              |
| <b>शेतकी आस्थापना</b>                                   | <b>६.०४</b>        | <b>१५.९२</b>      | <b>१२.९</b>                      |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | ५.०४               | १५.१४             | १४.७                             |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | १.००               | ०.७८              | (-)३.०                           |
| <b>बिगर शेतकी आस्थापना</b>                              | <b>३५.४९</b>       | <b>४५.४६</b>      | <b>३.१</b>                       |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | २०.०८              | २९.००             | ४.७                              |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | १५.४१              | १६.४५             | ०.८                              |
| <b>एकूण आस्थापनेतील कार्यरत कामगारांची संख्या</b>       | <b>१०५.२७</b>      | <b>१४५.१२</b>     | <b>४.०</b>                       |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | ३२.०८              | ५९.०५             | ७.९                              |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | ७३.१९              | ८६.०७             | २.१                              |
| <b>शेतकी आस्थापनेतील कार्यरत कामगारांची संख्या</b>      | <b>१०.५१</b>       | <b>२६.३९</b>      | <b>१२.२</b>                      |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | ७.५२               | २३.५३             | १५.३                             |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | २.९९               | २.८५              | (-)०.६                           |
| <b>बिगर शेतकी आस्थापनेतील कार्यरत कामगारांची संख्या</b> | <b>९४.७६</b>       | <b>११८.७३</b>     | <b>२.९</b>                       |
| वेतनी कामगार नसलेल्या                                   | २४.५६              | ३५.५२             | ४.७                              |
| किमान एक वेतनी कामगार असलेल्या                          | ७०.२०              | ८३.२२             | २.२                              |

@ पाचव्या व सहाव्या आर्थिक गणनेच्या अर्थपूर्ण तुलनेसाठी पाचव्या आर्थिक गणनेतील लोक प्रशासन, संरक्षण व अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवा ही कार्ये विचारात घेण्यात आलेली नाहीत.

आधार: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार रोजगार विषयक माहिती

१०.५१ राष्ट्रीय नमुना पाहणी (रानपा) कार्यालयाद्वारे घेण्यात येणाऱ्या 'असमाविष्ट बिगर कृषी उपक्रम पाहणी' या वस्तुनिर्माण, व्यापार तथा इतर सेवा क्षेत्र (बांधकाम क्षेत्र वगळून) मधील असमाविष्ट बिगर कृषी उद्योगामधील आर्थिक व परिचलनात्मक गुणधर्मांच्या विविध निर्देशकांबाबत राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील माहितीचा प्राथमिक स्रोत आहेत. रानपा कार्यालयामार्फत ७३ व्या फेरी मध्ये (जुलै, २०१५ ते जून, २०१६) असमाविष्ट बिगर कृषी उद्योगांची पाहणी घेण्यात आली. रानपा ७३ व्या फेरी नुसार देशातील एकूण उद्योगांशी राज्यातील उद्योगांचे प्रमाण ७.५ टक्के आहे तर कामगारांचे प्रमाण ८.२ टक्के आहे. निवडक राज्यांतील उद्योग व कामगारांचे देशातील अनुक्रमे एकूण उद्योग व कामगारांशी प्रमाण तक्ता १०.४३ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता १०.४३ निवडक राज्यांतील उद्योग व कामगारांचे देशातील उद्योग व कामगारांशी प्रमाण — रानपा ७३ वी फेरी (२०१५-१६)**

| राज्य        | ग्रामीण |        | नागरी  |        | एकूण   |        |
|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | उद्योग  | कामगार | उद्योग | कामगार | उद्योग | कामगार |
| आंध्रप्रदेश  | ६.०     | ५.९    | ४.७    | ४.४    | ५.३    | ५.१    |
| तमिळनाडू     | ४.९     | ५.५    | १०.९   | ११.३   | ७.८    | ८.७    |
| कर्नाटक      | ५.४     | ५.३    | ६.७    | ७.३    | ६.०    | ६.४    |
| मध्यप्रदेश   | ४.२     | ४.४    | ४.३    | ४.४    | ४.२    | ४.४    |
| महाराष्ट्र   | ५.९     | ५.८    | ९.२    | १०.१   | ७.५    | ८.२    |
| राजस्थान     | ३.९     | ४.०    | ४.६    | ४.४    | ४.२    | ४.२    |
| गुजरात       | ३.१     | ३.२    | ७.५    | ७.३    | ५.२    | ५.५    |
| पश्चिम बंगाल | १७.४    | १६.४   | १०.४   | ८.८    | १४.०   | १२.२   |
| बिहार        | ७.४     | ६.६    | ३.४    | ३.३    | ५.४    | ४.८    |
| उत्तरप्रदेश  | १४.९    | १६.७   | १३.४   | १३.४   | १४.२   | १४.९   |

आधार: राष्ट्रीय नमुना पाहणी (रानपा) कार्यालय, केंद्र शासन

## कारखान्यातील रोजगार

१०.५२ कारखाना अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा होवून १ फेब्रुवारी, २०१६ पासून कारखाना अधिनियम (महाराष्ट्र सुधारणा, २०१५) अंमलात आला आहे. सन २०१८ मध्ये कारखाना अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत एकूण ३५,९५५ कार्यरत कारखान्यांतील सरासरी दैनिक रोजगार सुमारे २६.८५ लाख होता. एकूण कार्यरत कारखान्यांपैकी ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांचे प्रमाण सुमारे २६.४ टक्के होते. कारखान्यांतील सरासरी दैनिक रोजगाराची टक्केवारी तक्ता १०.४४ मध्ये दिली आहे. राज्यातील विविध उद्योगांतील सरासरी दैनिक रोजगार आणि कार्यरत कारखाने व त्यातील रोजगार परिशिष्ट १०.९ व १०.१० मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४४ कारखान्यांतील सरासरी दैनिक रोजगाराची टक्केवारी**

| उद्योग प्रकार      | वर्ष       |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | २०१७       | २०१८       |
| ग्राहक वस्तू       | २४.७       | २५.०       |
| पुनर्निर्माण वस्तू | २०.५       | २०.३       |
| भांडवली वस्तू      | ११.९       | ११.२       |
| इतर                | ४२.९       | ४३.४       |
| <b>एकूण</b>        | <b>१००</b> | <b>१००</b> |

आधार: औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम

१०.५३ रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संरचनेबाबतची माहिती उपलब्ध करणे तसेच रोजगाराच्या स्तरातील बदलांचे निरीक्षण करणे आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांची संख्या व त्यामधील रोजगार यांची त्रैमासिक आकडेवारी गोळा करण्यात येते. यामध्ये बृहन्मुंबईसाठी २५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांचा समावेश असून राज्याच्या इतर भागात १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत वर्ष २०१८ मध्ये राज्यातील एकूण रोजगार ७३.५० लाख होता, त्यापैकी स्त्रियांचे प्रमाण २७.७ टक्के होते. एकूण रोजगारापैकी २२.८३ (३१.१ टक्के) लाख रोजगार सार्वजनिक क्षेत्रातील होता. रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम अंतर्गत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील रोजगाराची आकडेवारी तक्ता १०.४५ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.४५ रोजगार क्षेत्र माहिती कार्यक्रम अंतर्गत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील रोजगार

(१०००)

| वर्ष | सार्वजनिक क्षेत्र |        |       | खाजगी क्षेत्र |        |       | एकूण  |        |       |
|------|-------------------|--------|-------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------|
|      | पुरुष             | स्त्री | एकूण  | पुरुष         | स्त्री | एकूण  | पुरुष | स्त्री | एकूण  |
| २०१४ | १,५८६             | ६५६    | २,२४१ | २,५१०         | १,१८१  | ३,६९१ | ४,०९६ | १,८३६  | ५,९३२ |
| २०१५ | १,५९५             | ६४२    | २,२३७ | २,६२०         | १,२००  | ३,८२० | ४,२१५ | १,८४२  | ६,०५७ |
| २०१६ | १,६०३             | ६४६    | २,२४९ | २,६२७         | १,१९८  | ३,८२५ | ४,२३० | १,८४४  | ६,०७४ |
| २०१७ | १,५२३             | ५६४    | २,०८७ | ३,३५३         | १,३१०  | ४,६६४ | ४,८७६ | १,८७५  | ६,७५१ |
| २०१८ | १,६६७             | ६१६    | २,२८३ | ३,६४४         | १,४२३  | ५,०६७ | ५,३११ | २,०३९  | ७,३५० |

आधार: कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## राज्य शासनाच्या सेवेमधील रोजगार

१०.५४ दिनांक १ जुलै, २०१८ रोजी राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये (गट अ ते ड) एकूण ७.१७ लाख मंजूर पदे होती व त्यापैकी एकूण रिक्त पदे १.९१ लाख (२६.६ टक्के) होती. राज्य सेवेमधील कर्मचाऱ्यांची गटनिहाय पदे तक्ता १०.४६ मध्ये दिली आहेत.

## कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे

१०.५५ कामाच्या शोधात असणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी समुपदेशन, मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी राज्यात कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. राज्यात अशी एकूण ५० केंद्रे कार्यरत असून, त्यापैकी ३५ जिल्हा स्तरावर, सहा विद्यापीठात, आठ आदिवासीकरिता व एक विशेष केंद्र दिव्यांग व्यक्तींसाठी आहे.

१०.५५.१ या केंद्रांच्या चालू नोंदवहीत डिसेंबर, २०१८ अखेर नोंद असलेल्या व्यक्तींची संख्या ४४.०३ लाख होती. सन २०१८ मध्ये या केंद्रांत नोंदणी झालेल्या व्यक्तींची संख्या ७.२७ लाख होती. सन २०१८ मध्ये ७.८५ लाख अधिसूचित रिक्त पदांपैकी १.९८ लाख व्यक्तींना रोजगार पुरविण्यात आला. अधिसूचित रिक्त पदे, भरलेली पदे आणि चालू नोंदवहीत असलेल्या व्यक्तींचा शैक्षणिक पात्रतेनुसार तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट १०.११ व १०.१२ मध्ये दिला आहे.

## कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

१०.५६ केंद्र तसेच राज्य शासनमार्फत विविध कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. यापैकी काही कार्यक्रमांबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

## रोजगार प्रोत्साहनाकरिता कार्यक्रम

१०.५६.१ राज्य शासनमार्फत खालील रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम राबविण्यात येतात.

- **रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम :** सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तींना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण अथवा इतर प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देणे
- **शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण कार्यक्रम :** शिकाऊ उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविणे
- **उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :** सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित व प्रशिक्षित करणे

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या व खर्च तक्ता १०.४७ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.४६ राज्य सेवेमधील कर्मचाऱ्यांची गटनिहाय पदे

(१ जुलै, २०१८ रोजी) (लाख)

| गट             | पदे (*) |        |       |
|----------------|---------|--------|-------|
|                | मंजूर   | भरलेली | रिक्त |
| अ              | ०.४०    | ०.२७   | ०.१३  |
| ब              | ०.७१    | ०.४५   | ०.२५  |
| क              | ४.७४    | ३.६९   | १.०५  |
| ड              | १.३२    | ०.८६   | ०.४७  |
| अ ते ड         | ७.१७    | ५.२७   | १.९१  |
| इ <sup>#</sup> | २.६९    | २.३५   | ०.३४  |
| एकूण           | ९.८६    | ७.६२   | २.२४  |

\* अस्थायी

# रोजंदारीवरील, मानधनावर काम करणारे, अंशकालीन व वेतन श्रेणी लागू नसलेले कर्मचारी

टीप : आकडे संक्षिप्ततः दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत.

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन



**तक्ता १०.४७ रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या**

| कार्यक्रम                   | २०१६-१७           |              | २०१७-१८           |              | २०१८-१९           |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                             | लाभार्थी (संख्या) | खर्च (₹ लाख) | लाभार्थी (संख्या) | खर्च (₹ लाख) | लाभार्थी (संख्या) | खर्च (₹ लाख) |
| रोजगार प्रोत्साहन @         | २४,२६३            | १६५.४६       | २८,०३८            | १९२.४७       | २७,०४९            | २५८.७५       |
| शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण \$ | २६,३४७            | ९५८.०७       | ३१,३४८            | १,१८८.६९     | ३१,८७२            | १,२००.२७     |
| उद्योजकता विकास प्रशिक्षण # | ३९,११६            | १,४३३.६८     | ३८,१२३            | १,४३५.१७     | ३३,४६७            | १,२६२.१७     |

आधार: @ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

\$ व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

# उद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

१०.५६.२ कुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी व त्याद्वारे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत सन २००९-१० पासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येतात. वर्षनिहाय आयोजित केलेले रोजगार मेळावे व त्याद्वारे पुरविण्यात आलेला रोजगार तक्ता १०.४८ मध्ये देण्यात आला आहे.

**तक्ता १०.४८ आयोजित रोजगार मेळावे व पुरविण्यात आलेला रोजगार**

(संख्या)

| तपशील                                         | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| रोजगार मेळावे                                 | २६६      | २६४      | १७१      |
| सहभागी उद्योजक                                | २,०२६    | ३,१७७    | २,१९०    |
| रोजगार मेळाव्यात उपस्थित असलेले बेरोजगार युवक | १,९४,८४४ | १,६३,५०३ | १,६७,६४१ |
| पुरविण्यात आलेला रोजगार                       | ५१,७२८   | ६१,५२०   | ४७,४२१   |

आधार: कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

**प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान**

१०.५६.३ 'कुशल महाराष्ट्र, रोजगार क्षम महाराष्ट्र' या ध्येयपूर्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीद्वारे 'प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान' राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील १५ ते ४५ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना रोजगार व उद्योजकते बाबत संधी निर्माण होणाऱ्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाची प्रगती तक्ता १०.४९ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.४९ प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाची प्रगती**

| वर्ष    | उमेदवारांची संख्या   |                        |                        |              | रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त झालेले | खर्च (₹ लाख) |
|---------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
|         | प्रशिक्षण घेत असलेले | प्रशिक्षण पूर्ण केलेले | मूल्य निर्धारित झालेले | एकूण उमेदवार |                                   |              |
| २०१६-१७ | १०,६७४               | ६,९८८                  | ५९,८९८                 | ७७,५६०       | ३१,७५८                            | १,७०८.९३     |
| २०१७-१८ | ४,१५०                | २,६२४                  | ३४,९०१                 | ४१,६७५       | २१,०९९                            | ९,२१५.१९     |
| २०१८-१९ | १३,१२६               | ८,५०७                  | १३,२२७                 | ३४,८६०       | १,०४६                             | ७,७१७.१७     |

आधार: महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र शासन.

१०.५६.४ उद्योगांच्या आवश्यकतेनुसार युवकांना अद्यावत कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी, राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व १७१ प्रमुख उद्योग समूह यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाले आहेत. याद्वारे पुढील तीन वर्षांत ९.८७ लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार मिळवून देण्यात येईल. वर्ष २०१८-१९ मध्ये एकूण २.०८ लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले व त्यापैकी १.१२ लाख युवकांना रोजगार वा स्वयंरोजगार पुरविण्यात आला.

१०.५६.५ महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीद्वारे 'प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना' ही शत प्रतिशत केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील युवकांना अधिक चांगले उपजीवीकेचे साधन उपलब्ध होण्यासाठी उद्योग संबंधित प्रशिक्षण देणे

हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यात या योजनेतर्गत ३८ विषयांमध्ये प्रशिक्षण देण्याकरिता एकूण ५५ प्रशिक्षण संस्थांची निवड करण्यात आली असून सन २०१८-१९ मध्ये २,०२८ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून ३८८ उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले आहे.

१०.५६.६ सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतर्गत कृषी क्षेत्राशी संबंधीत विशेष प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारीत शेती व लागवड पद्धतीद्वारे सिमांतिक भुधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होउन त्यांना यशस्वी उद्योजक बनविणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तीन दिवसांचे वर्ग प्रशिक्षण व आठ आठवड्यांचे (जोड कार्यक्रम) प्रात्यक्षिक स्वरूपाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. सन २०१८-१९ मध्ये ३३,९५९ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येत असून १,२४५ उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले आहे.

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

१०.५७ राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भागात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (सन २००६ मध्ये सुधारीत) राबविण्यात येत आहे. या कायद्याअंतर्गत पुढील दोन योजना राबविण्यात येत आहेत.

१) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र :- या योजने अंतर्गत ज्या कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अकुशल काम करण्यास इच्छुक आहे, अशा कुटुंबास केंद्र शासनामार्फत एका वर्षात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात येते. प्रती कुटुंब १०० दिवस रोजगारावरील खर्चाकरिता केंद्र शासनामार्फत निधी पुरविण्यात येतो. प्रती कुटुंब १०० दिवसापेक्षा जास्त रोजगारावरील खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यात येतो.

### तक्ता १०.५० महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची राज्यातील प्रगती

| तपशील                                      | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|
| रोजगार पुरविलेल्या कुटुंबांची संख्या (लाख) | १४.३३    | १६.९८    | १७.८४    |
| मनुष्य दिवस निर्मिती (कोटी)                | ७.०९     | ८.२५     | ८.३७     |
| प्रति कुटुंब सरासरी रोजगार (दिवस)          | ४९       | ४९       | ४७       |
| <b>रोजगारातील हिशोबाची टक्केवारी</b>       |          |          |          |
| अनुसूचित जाती                              | ८.८      | ९.७      | १०.६     |
| अनुसूचित जमाती                             | २०.३     | २०.१     | २०.१     |
| महिला                                      | ४४.९     | ४५.५     | ४४.९     |
| पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या              | १,६५,५९४ | २,३५,९२८ | २,९४,४६० |
| एकूण खर्च (₹ कोटी)                         | २,०८८.५९ | २,२९४.८० | २,३६५.७६ |
| एक दिवसाच्या रोजगार निर्मितीची किंमत (₹)   | २९५      | २७८      | २८३      |

आधार: नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), महाराष्ट्र शासन

२) राज्य निधी योजना :- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम (७)(दहा) अंतर्गत नागपूर विभागात ११,००० धडक सिंचन विहीर योजना व मागेल त्याला शेततळे योजना राज्य निधीतून राबविण्यात येतात. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रगती तक्ता १०.५० मध्ये तर, राज्य निधी योजनांची प्रगती तक्ता १०.५१ मध्ये दिली आहे. कामाच्या वर्गीकरणानुसार कामांची संख्या व त्यावर झालेला खर्च परिशिष्ट १०.१३ मध्ये देण्यात आला आहे.

### तक्ता १०.५१ राज्य निधी योजनांची प्रगती

| तपशील                                                  | स्थिती <sup>^</sup> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>मागेल त्याला शेततळे</b>                             |                     |
| पूर्ण झालेली कामे                                      | १,२०,४३९            |
| प्रगतीपथावरील कामे                                     | ३,२६८               |
| वितरीत अनुदान (₹ कोटी)                                 | ५३९.२३              |
| <b>नागपूर विभागामध्ये ११,००० धडक सिंचन विहीर योजना</b> |                     |
| उद्दिष्ट                                               | ११,६१४              |
| जारी केलेले कार्यादेश                                  | ११,५९३              |
| बांधकाम पूर्ण झालेल्या विहिरी                          | १०,३८४              |
| बांधकाम प्रगतीपथावर असलेल्या विहिरी                    | १,२०९               |
| वितरीत अनुदान (₹ कोटी)                                 | २५८.९४              |

आधार: नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), महाराष्ट्र शासन <sup>^</sup> योजनेच्या सुरुवातीपासून



## राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

१०.५७.१ राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) सन २०११ पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ९०,७४१ स्वसहाय्यता गटांना ₹ १,३७३.२७ कोटींचा पतपुरवठा करण्यात आला. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची प्रगती तक्ता १०.५२ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.५२ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची प्रगती

| तपशील                                      | २०१६-१७  | २०१७-१८  | २०१८-१९   |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| स्थापन झालेले स्वसहाय्यता गट (संख्या)      | ५२,४४९   | ७०,८७८   | १,१२,४५४  |
| स्वसहाय्यता गटांतील एकूण सदस्य (संख्या)    | ५,३४,२०१ | ७,७९,६५८ | १४,६९,२६९ |
| एकूण प्राप्त निधी (₹ कोटी)                 | २०८.१४   | २२५.४७   | ४६९.६१    |
| एकूण खर्च (₹ कोटी)                         | १८७.४९   | २१५.७२   | ४११.१६    |
| कर्ज देण्यात आलेले स्वसहाय्यता गट (संख्या) | ६३,७३२   | ७७,४००   | ९०,७४१    |
| एकूण पत पुरवठा (₹ कोटी)                    | ९६३.४०   | १,११३.६४ | १,३७३.२७  |

आधार : ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन.

## दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान

१०.५७.२ राज्यात दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची अंमलबजावणी ऑगस्ट २०१४ पासून राज्यातील ५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत होत आहे. सदर अभियान मे, २०१७ पासून राज्यातील २५९ नागरी स्थानिक संस्थांत संस्थांत राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये 'कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता' या घटकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीद्वारे करण्यात येते. दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची प्रगती तक्ता १०.५३ मध्ये देण्यात आली आहे.

### तक्ता १०.५३ राज्यातील दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची प्रगती

| तपशील                                               | २०१६-१७ | २०१७-१८ | २०१८-१९ |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| वितरीत निधी - केंद्र शासन (₹ कोटी)                  | ३.८०    | ०.००    | ०.००    |
| राज्य शासन (₹ कोटी)                                 | ०.००    | ०.०८    | ०.२३    |
| स्थापन झालेले स्वसहाय्यता गट - लक्ष्य (संख्या)      | ६,६००   | ११,६००  | १०,०००  |
| साध्य (संख्या)                                      | ८,७११   | १२,३९९  | १७,७५७  |
| बचत गटांना फिरता निधी - लक्ष्य (संख्या)             | ३,३१२   | १०,६००  | ६,५००   |
| साध्य (संख्या)                                      | ४,३६०   | ८,६०९   | १५,३२२  |
| खर्च (₹ कोटी)                                       | ४.०४    | ८.६१    | १५.३२   |
| कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता          |         |         |         |
| प्रशिक्षण घेतलेले लाभार्थी - लक्ष्य                 | ४९,६८८  | ६२,०३०  | ६२,५००  |
| साध्य                                               | ३०,९५९  | ३५,२२५  | ७९,९३६  |
| रोजगार/स्वयंरोजगार प्राप्त झालेले लाभार्थी - लक्ष्य | ३४,७८२  | २७,९९३  | ३५,०००  |
| साध्य                                               | ११,७६८  | ९,४४६   | १९,६४८  |
| खर्च (₹ कोटी)                                       | २७.३०   | ३२.५०   | १४३.४१  |
| स्वयंरोजगार कार्यक्रम                               |         |         |         |
| व्यक्तीगत उद्योग (लाभार्थी) - लक्ष्य                | ५,१२०   | ८,६९९   | ६,९००   |
| साध्य                                               | ४,२०३   | ४,४२५   | ६,५५४   |
| खर्च (₹ कोटी)                                       | ०.५९    | १.०१    | ०.८४    |
| गट उद्योग - लक्ष्य (संख्या)                         | ७००     | १,०६७   | ५००     |
| साध्य (संख्या)                                      | ४५९     | ४७०     | ४९४     |
| खर्च (₹ कोटी)                                       | ०.०७    | ०.२१    | ०.११    |
| बँक जोड कार्यक्रम - लक्ष्य (संख्या)                 | १,३००   | ३,०७८   | २,७००   |
| साध्य (संख्या)                                      | १,४४७   | २,९९१   | ८,१३४   |
| खर्च (₹ कोटी)                                       | ०.०९    | ०.४१    | ०.३६    |

आधार : नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन.

## पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

१०.५७.३ पंतप्रधान रोजगार निर्मिती हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. शहरी भागात होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक कारागीर वा बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगार उद्योगांची उभारणी करून नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे व कारागिरांच्या मजुरी मिळविण्याच्या क्षमतेत वाढ करून रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये ३,३२९ प्रकल्पांना ₹ ८६.७२ कोटी निधी (मार्जिन मनी) वितरित करण्यात आला असून त्याद्वारे २९,९४४ इतका रोजगार निर्माण झाला, तर सन २०१८-१९ मध्ये ५,४३३ प्रकल्पांना ₹ १४६.७२ कोटी निधी (मार्जिन मनी) वितरित करण्यात आला व त्याद्वारे ६३,९७० युवकांना रोजगार पुरविण्यात आला.

## बीज भांडवल योजना

१०.५८ उद्योग, सेवा व व्यापार यासारखे स्वयंरोजगार सुरु करण्याच्या दृष्टीने तारण भागविण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कमी व्याज दराचे कर्ज पुरवून बेरोजगार व्यक्तींना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे सदर योजना राबविण्यात येत आहे. स्थानिक बेरोजगार व्यक्ती किंवा १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील सातवी उत्तीर्ण व्यक्तींचा गट या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये १,५९२ प्रकल्पांना ₹ १५.२० कोटी निधी (बीज भांडवल) वितरित करण्यात आला असून सन २०१८-१९ मध्ये १,७२१ प्रकल्पांना ₹ १४.७७ कोटी निधी (बीज भांडवल) वितरित करण्यात आला.

## औद्योगिक संबंध

१०.५९ मागील वर्षातील ११८ कामबंद झालेली प्रकरणे (संप व टाळेबंदी) व त्यामुळे बाधित झालेल्या ६६,००७ कामगारांच्या तुलनेत २०१८ मध्ये काम बंद झालेली प्रकरणे (संप व टाळेबंदी) ११ होती व त्याचा परिणाम ४,४५८ कामगारांवर झाला. सन २०१८ या वर्षातील संप व टाळेबंदीमुळे वाया गेलेल्या मनुष्य दिवसांची संख्या १८.२५ लाख होती, तर सन २०१७ मध्ये ती १७.०४ लाख होती. राज्यातील औद्योगिक विवादाबाबतचा तपशील परिशिष्ट १०.१४ मध्ये दिला आहे.

## दारिद्र्य

१०.६० राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालय, भारत सरकार यांच्याकडून दर पाच वर्षांनी व्यापक स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या 'कुटुंबाच्या उपभोग्य बाबींवरील खर्च' या विषयावरील पाहणीच्या आधारे तत्कालीन योजना आयोगाकडून दारिद्र्य रेषा व दारिद्र्याचे प्रमाण यांचे अंदाज तयार करण्यात येत होते. राष्ट्रीय नमुना पाहणी ६८ व्या फेरीच्या 'कुटुंबाचा उपभोग्य बाबींवरील खर्च' या पाहणीतील माहितीच्या आधारे तेंडुलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सन २०११-१२ साठी दारिद्र्याचे अंदाज तयार केले आहेत.

१०.६०.१ सन २०११-१२ साठी देश पातळीवरील दारिद्र्य रेषा ग्रामीण भागासाठी दरडोई दरमहा ₹ ८१६ आणि नागरी भागासाठी दरडोई दरमहा ₹ १,००० अशी निश्चित करण्यात आली. तर राज्यातील ग्रामीण भागासाठी दरडोई दरमहा ₹ ९६७ आणि नागरी भागासाठी दरडोई दरमहा ₹ १,१२६ निश्चित करण्यात आली. राज्यातील ग्रामीण भागामधील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण २४.२ टक्के तर नागरी भागामधील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाण ९.१ टक्के आहे. निवडक राज्यांतील सन २०११-१२ साठी राज्यनिहाय दारिद्र्यरेषा आणि शिरगणती गुणोत्तर १०.५४ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.५४ निवडक राज्यांतील सन २०११-१२ साठी दारिद्र्यरेषा आणि शिरगणती गुणोत्तर<sup>#</sup>

| राज्य             | दारिद्र्यरेषा (₹ दरडोई दरमहा) |              | शिरगणती गुणोत्तर |
|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------|
|                   | ग्रामीण                       | नागरी        |                  |
| आंध्र प्रदेश      | ८६०                           | १,००९        | ९.२              |
| बिहार             | ७७८                           | ९२३          | ३३.७             |
| गुजरात            | ९३२                           | १,१५२        | १६.६             |
| कर्नाटक           | ९०२                           | १,०८९        | २०.९             |
| केरळ              | १,०१८                         | ९८७          | ७.१              |
| मध्य प्रदेश       | ७७१                           | ८९७          | ३१.७             |
| <b>महाराष्ट्र</b> | <b>९६७</b>                    | <b>१,१२६</b> | <b>१७.४</b>      |
| पंजाब             | १,०५४                         | १,१५५        | ८.३              |
| राजस्थान          | ९०५                           | १,००२        | १४.७             |
| तामिळनाडू         | ८८०                           | ९३७          | ११.३             |
| उत्तर प्रदेश      | ७६८                           | ९४१          | २९.४             |
| पश्चिम बंगाल      | ७८३                           | ९८१          | २०.०             |
| <b>अखिल-भारत</b>  | <b>८१६</b>                    | <b>१,०००</b> | <b>२१.९</b>      |

आधार : तत्कालीन नियोजन आयोग, भारत सरकार

<sup>#</sup> तेंडुलकर समितीच्या शिफारशीनुसार

## गृहनिर्माण

१०.६१ गृहनिर्माण हे मानवी मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. जनगणना २०११ नुसार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४५.२ टक्के लोक नागरी भागात राहतात. लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी शासन गृहनिर्माणासंबंधित विविध योजना राबवीत आहे.

### महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)

१०.६२ राज्य शासनाने स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (महारेरा) ची स्थापना केली आहे. महारेराकडे सर्व २०,२६१ प्रकल्पांची नोंदणी मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात आली. सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांची भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (GIS) नोंद करण्याचा उपक्रम महारेराने हाती घेतला आहे. मार्च, २०१९ पर्यंत महारेराकडे ६,३९४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ४,६१५ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.

### नागरी गृहनिर्माण

१०.६३ राज्य शासनाने नागरी भागातील गृहनिर्माणविषयक समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) तसेच शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको) यांची स्थापना केली आहे. याशिवाय नागरी भागातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास व झोपडपट्टीवासीयांकरिता घरबांधणी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.

### प्रधानमंत्री आवास योजना

१०.६४ 'प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वासाठी घरे' हा केंद्र शासनाचा महत्वाचा (फ्लॅगशीप) कार्यक्रम असून सन २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता सुरु करण्यात आला आहे. सदर योजनेत नागरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट, अल्प उत्पन्न गट व मध्यम उत्पन्न गट यांचा समावेश आहे. सदर योजनेतर्गत, राज्य शासनाने ३८२ शहरांमध्ये १९.४० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. याकरिता, राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत गृहप्रकल्पांना गती देण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ याची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत गृहप्रकल्पांना निवासी क्षेत्रासाठी २.५ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) आणि हरित किंवा ना- विकास क्षेत्रासाठी एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक देण्यात येत आहे. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत ७९५ प्रकल्पांना मान्यता दिली असून ९.५५ लाख घरकुलांचा समावेश आहे, यापैकी १.२५ लाख घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

### महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण

१०.६५ सन १९७७ मध्ये मुंबई तसेच राज्याच्या काही भागात किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य शासनाने म्हाडाची स्थापना केली. स्थापनेपासून मार्च, २०१९ पर्यंत म्हाडाने एकूण ४,७७,०८१ घरकुलांचे बांधकाम व पुनर्विकास केला आहे. म्हाडाकडून बांधण्यात आलेली घरकुले व मालकीचे भूखंड तक्ता १०.५५ मध्ये दिले आहेत.

#### तक्ता १०.५५ म्हाडाकडून बांधण्यात आलेली घरकुले व मालकीचे भूखंड

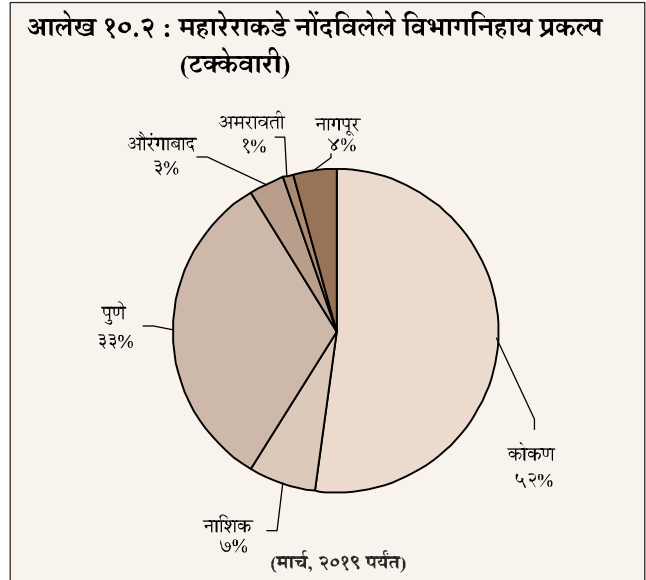
(संख्या)

| वर्ष    | घरकुले                   |                 |                  |                 | सदनिका | एकूण  | संक्रमण शिबिरे     | भूखंडांची संख्या | खर्च@ (₹ कोटी) |
|---------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|-------|--------------------|------------------|----------------|
|         | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट | अल्प उत्पन्न गट | मध्यम उत्पन्न गट | उच्च उत्पन्न गट |        |       |                    |                  |                |
| २०१६-१७ | ४,१३९                    | १,१०३           | १,१६७            | १०२             | ६६     | ६,५७७ | ०                  | १३८              | २,२९३.१५       |
| २०१७-१८ | १,०५१                    | ४,०१७           | २९२              | २६७             | ९      | ५,६३६ | १,८९४              | ०                | १,२५९.१४       |
| २०१८-१९ | १,९३१                    | २,४०२           | ५५३              | २१२             | १८     | ५,११६ | ३,२९५ <sup>#</sup> | ०                | १,२५०.५७       |

आधार: म्हाडा

@ भूखंडांसह

# गिरणी कामगारांकरिताच्या गाळ्यांसह



१०.६६ सन २०१८-१९ मध्ये म्हाडाच्या विविध मंडळांमार्फत बांधलेली घरकुले तक्ता १०.५६ मध्ये दिली आहेत.

**तक्ता १०.५६ म्हाडाच्या विविध मंडळांमार्फत सन २०१८-१९ मध्ये बांधलेली घरकुले**

(संख्या)

| म्हाडा मंडळ | घरकुले                    |                 |                  |                 | सदनिका    | एकूण         | संक्रमण शिबिरे           |
|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|
|             | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गट | अल्प उत्पन्न गट | मध्यम उत्पन्न गट | उच्च उत्पन्न गट |           |              |                          |
| मुंबई       | ३८३                       | २४              | १७०              | ०               | १८        | ५९५          | ३,२९५ <sup>#</sup>       |
| कोकण        | ०                         | १,१५०           | ०                | ०               | ०         | १,१५०        | ०                        |
| नाशिक       | ३८८                       | ०               | ४९               | ०               | ०         | ४३७          | ०                        |
| पुणे        | ५८४                       | १,२२८           | ३३४              | २१२             | ०         | २,३५८        | ०                        |
| औरंगाबाद    | १०८                       | ०               | ०                | ०               | ०         | १०८          | ०                        |
| अमरावती     | ०                         | ०               | ०                | ०               | ०         | ०            | ०                        |
| नागपूर      | ४६८                       | ०               | ०                | ०               | ०         | ४६८          | ०                        |
| <b>एकूण</b> | <b>१,९३१</b>              | <b>२,४०२</b>    | <b>५५३</b>       | <b>२१२</b>      | <b>१८</b> | <b>५,११६</b> | <b>३,२९५<sup>#</sup></b> |

आधार: म्हाडा

# गिरणी कामगारांकरिताच्या गाळ्यांसह

**शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित (सिडको)**

१०.६७ सिडको हे सुनियोजित पद्धतीने गृहनिर्माण विकास कार्यक्रम राबवित आहे. स्थापनेपासून (१९७०) मार्च, २०१९ पर्यंत सिडकोने १,८३,११० सदनिका बांधल्या आहेत. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांची संख्या तक्ता १०.५७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.५७ सिडकोने बांधलेल्या सदनिका (स्थापनेपासून)**

(मार्च, २०१९ पर्यंत)(संख्या)

| शहर         | सदनिका                                     |                  |                 |                 | खर्च (₹ कोटी) |
|-------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|             | आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गट/ अल्प उत्पन्न गट | मध्यम उत्पन्न गट | उच्च उत्पन्न गट | एकूण            |               |
| नवी मुंबई   | ६४,६४१                                     | ३५,२४५           | २८,७३६          | १,२८,६२२        | २,४७६         |
| औरंगाबाद    | १९,५०१                                     | २,१२७            | ४३२             | २२,०६०          | ५६            |
| नाशिक       | २१,३४३                                     | २,६१९            | ५८२             | २४,५४४          | ४२            |
| नांदेड      | ७,७५८                                      | १२६              | ०               | ७,८८४           | ९             |
| <b>एकूण</b> | <b>१,१३,२४३</b>                            | <b>४०,११७</b>    | <b>२९,७५०</b>   | <b>१,८३,११०</b> | <b>२,५८३</b>  |

आधार: सिडको

१०.६८ प्रधानमंत्री आवास योजना — सर्वांसाठी घरे अंतर्गत सिडकोने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट आणि अल्प उत्पन्न गट याकरिता सुमारे १५,००० घरे (५,३०० आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट आणि ९,७०० अल्प उत्पन्न गट याकरिता राखीव) बांधण्याची बृहत् गृहनिर्माण योजना हाती घेतली आहे. या योजनेतर्गत नवी मुंबईच्या तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बांधकाम सुरु करण्यात आले आहे. सदर योजनेतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर केलेल्या ५,३२९ पैकी ५,२५० घरकुले बांधण्यात आली आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी मंजूर केलेल्या ९,८२३ पैकी ९,६१८ घरकुले मार्च, २०१९ अखेर बांधण्यात आली.

**झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना**

१०.६९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतर्गत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना निवारा पुरविण्यात येत आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून (१९९५) मार्च, २०१९ पर्यंत १,८६९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून २,०१,२१३ झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन केले आहे. या योजनेची प्रगती तक्ता १०.५८ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.५८ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतर्गत प्रगती

(संख्या)

| वर्ष    | प्रकल्प |       | सदनिका |        | पुनर्वसन केलेली कुटुंबे |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------------------------|
|         | मंजूर   | पूर्ण | लक्ष्य | पूर्ण  |                         |
| २०१६-१७ | ७३      | ११२   | १०,३९६ | ११,४७१ | ११,४७१                  |
| २०१७-१८ | ३१      | ११६   | १०,०५६ | १३,३३६ | १३,३३६                  |
| २०१८-१९ | ३२      | १०८   | ७,७९७  | ११,४३८ | ११,४३८                  |

आधार: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

## ग्रामीण गृहनिर्माण

## प्रधानमंत्री आवास योजना

१०.७० या योजनेतर्गत ग्रामीण भागातील बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांना ₹ १.२० लाख तर नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागातील लाभार्थ्यांना ₹ १.३० लाख अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रगती तक्ता १०.५९ मध्ये दिली आहे.

## तक्ता १०.५९ प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रगती

| वर्ष    | घरकुले (संख्या) |          | खर्च<br>( ₹ कोटी ) |
|---------|-----------------|----------|--------------------|
|         | उद्दिष्ट        | पूर्ण    |                    |
| २०१६-१७ | २,३०,४२२        | १,९६,६११ | २,४५८.७६           |
| २०१७-१८ | १,५०,९३४        | १,०६,१०३ | १,४२०.४८           |
| २०१८-१९ | ६८,४६४          | ३२,५४९   | ५१५.८६             |

आधार: ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

## राजीव गांधी ग्रामीण निवारा सुधारित योजना-२

१०.७१ सदर योजना दारिद्र्य रेषेवरील परंतु अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घर बांधण्याकरिता राबविण्यात येते. सदर योजनेतर्गत प्रति घरकुल ₹ एक लाख किंमत निर्धारित करण्यात आली असून त्याकरिता जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेकडून ₹ ०.९० लाख कर्ज पुरविले जाते व उर्वरित ₹ ०.१० लाख लाभार्थ्याने जमा करावयाचे आहेत. कर्जावरील व्याज अनुदानाच्या स्वरूपात राज्य शासनाकडून दिले जाते. सदर योजनेतर्गत मार्च, २०१९ पर्यंत ₹ ६७.५९ कोटी व्याजाची रक्कम म्हाडामार्फत अग्रणी बँकांना वितरित करण्यात आली.

## अनुसूचित जमातींसाठी राज्य घरकुल योजना

१०.७२ शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना व आदिम जमाती आवास योजना या राज्य योजना असून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जमातीतील बेघर किंवा कच्चे घर असलेल्या लोकांकरिता राबविण्यात येतात. या योजनेतर्गत सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ च्या प्राधान्य क्रम यादीत समाविष्ट नसणाऱ्या व वार्षिक उत्पन्न ₹ १.२० लाखापेक्षा कमी असणाऱ्या साधारण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना ₹ १.३२ लाख तर नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागातील लाभार्थ्यांना ₹ १.४२ लाख अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. सन २०१७-१८ करिता शबरी आवास योजनेतर्गत मंजूर केलेल्या ९,३१४ पैकी ३,६९१ घरकुले बांधण्यात आली, पारधी आवास योजनेतर्गत मंजूर केलेल्या ८९२ पैकी ४४० घरकुले बांधण्यात आली आणि आदिम जमाती आवास योजनेतर्गत मंजूर केलेल्या १,६४४ पैकी ४९५ घरकुले बांधण्यात आली. सन २०१८-१९ करिता शबरी आवास योजनेतर्गत ६,१४४ घरकुले आणि पारधी आवास योजनेतर्गत ६१९ घरकुले यांना मंजुरी देण्यात आली.

## अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी राज्य घरकुल योजना

१०.७३ रमाई आवास योजना ही राज्य योजना असून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील बेघर किंवा कच्चे घर असलेल्या लोकांकरिता राबविण्यात येते. या योजनेतर्गत सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ च्या प्राधान्य क्रम यादीत समाविष्ट नसणाऱ्या व वार्षिक उत्पन्न ₹ १.२० लाखापेक्षा कमी असणाऱ्या साधारण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना ₹ १.३२ लाख तर नक्षलग्रस्त व डोंगरी भागातील लाभार्थ्यांना ₹ १.४२ लाख अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी देण्यात येते. सन २०१७-१८ करिता मंजूर केलेल्या ९२,७३१ पैकी ४५,०७४ घरकुले बांधण्यात आली. सन २०१८-१९ करिता ६५,५०३ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली.

## जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य

१०.७४ प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण घरकुल योजनेतर्गत घरकुल पात्र परंतु जागे अभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 'पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना' सुरू करण्यात आली. या योजनेतर्गत ५०० चौ. फूट जागा खरेदीसाठी ₹ ०.५० लाखापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेच्या स्थापनेपासून (२०१७) मार्च, २०१९ पर्यंत २,८७१ लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात आले.

## पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

### पाणी पुरवठा

१०.७५ स्वच्छ पेयजल, वैयक्तिक स्वच्छता व सार्वजनिक स्वच्छता यांची आरोग्य राखण्यात महत्वाची भूमिका आहे. राज्यात सुरक्षित पेयजल व सुयोग्य स्वच्छता यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

#### राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

१०.७६ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हा केंद्रशासनाचा फ्लॅगशीप कार्यक्रम असून, सदर कार्यक्रम राज्यामध्ये सन २००९ पासून राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात पिण्यायोग्य व पुरेसे पाणी पुरविणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४८,३२० लक्ष्यापैकी ३८,७९९ (८० टक्के) गावे/वाड्या हाताळण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची प्रगती तक्ता १०.६० मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.६० राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची प्रगती

| वर्ष    | हाताळलेली गावे / वाड्यांची संख्या |       | खर्च (₹ कोटी) |
|---------|-----------------------------------|-------|---------------|
|         | लक्ष्य                            | साध्य |               |
| २०१६-१७ | १,८९१                             | १,२७० | ८५४.००        |
| २०१७-१८ | ९७८                               | ६३३   | ४७४.४७        |
| २०१८-१९ | ७४८                               | ६३५   | ६५४.२६        |

आधार : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

१०.७६.१ ग्रामीण भागातील किमान ५० टक्के लोकसंख्येला ४० लिटर दरडोई प्रतिदिन या प्रमाणात नळ पाणी पुरवठ्याची सोय आणि ३५ टक्के कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडणीचे उद्दिष्ट सन २०१७ पर्यंत राज्यांनी पूर्ण करण्याबाबतचा धोरणात्मक दृष्टीकोन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ठरविण्यात आला आहे. राज्यात डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ८४ टक्के ग्रामीण लोकसंख्येला नळाद्वारे पाणी पुरवठा आणि ३८ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

#### दुहेरी पंप नळ पाणी पुरवठा योजना

१०.७७ सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप नळ पाणी पुरवठा योजना हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा घटक असून, ही योजना राज्यात सन २००९ पासून राबविण्यात येत आहे. ज्या लहान गावे/वस्त्यांवर विद्युत पुरवठा उपलब्ध नाही किंवा विद्युतीकरण किफायतशीर नाही, तसेच ज्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा पुरेसा नाही अशा केवळ हातपंपावरच अवलंबून असलेल्या गावे/वस्त्यांकरीता सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप नळ पाणी पुरवठा योजना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात मार्च, २०१९ पर्यंत एकूण ४,६०९ सौर ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप, २,९१५ विद्युत ऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप नळ पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात आल्या आहेत व त्यासाठी एकूण ₹ २३२.८१ कोटी निधी खर्च झाला आहे.

#### पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता

१०.७८ पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा घटक असून पारंपरिक व अपारंपरिक उपाययोजनांद्वारे पाण्याचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी छतावरील पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी डोंगराळ भागात टाक्या बांधणे, कूपांचे व खंदकाचे पुनर्भरण, सिमेंट नाला बांध, विहीर खोलीकरण, इत्यादी उपाययोजना राज्यात राबविण्यात येत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता कार्यक्रमांतर्गत पूर्ण झालेल्या उपाययोजना तक्ता १०.६१ मध्ये दिल्या आहेत.

#### तक्ता १०.६१ पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता कार्यक्रमांतर्गत पूर्ण झालेल्या उपाययोजना

| वर्ष    | गावे / वाड्या (संख्या) | पूर्ण झालेल्या उपाययोजना (संख्या) | खर्च (₹ कोटी) |
|---------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| २०१६-१७ | ८०२                    | ४,३९६                             | ८.९१          |
| २०१७-१८ | ४४८                    | १,४८०                             | ६.६५          |
| २०१८-१९ | ५२४                    | १,९०२                             | २.७१          |

आधार : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन



## पिण्याचे पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम

१०.७९ पाणी टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत राज्याने सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २३४.७७ कोटी व सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ५३०.५४ कोटी निधी वितरीत केला आहे. पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय वितरीत निधी तक्ता १०.६२ मध्ये दिला आहे.

१०.७९.१ टंचाईग्रस्त गावे व वाड्यांमधील टंचाईची परिस्थिती हाताळण्याकरीता राज्याने तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, कूपनलिका व इतर पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित करणे, टँकरने पाणी पुरवठा करणे, इत्यादी सारख्या विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेली गावे व वाड्यांची संख्या तक्ता १०.६३ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.६२ पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय वितरीत निधी

(₹ कोटी)

| विभाग       | वितरीत निधी   |               |
|-------------|---------------|---------------|
|             | २०१७-१८       | २०१८-१९       |
| कोकण        | ९.८९          | १६.६७         |
| नाशिक       | ३३.८०         | ६१.४६         |
| पुणे        | २३.४४         | ७८.७३         |
| औरंगाबाद    | ५८.८८         | २४१.४३        |
| अमरावती     | ७६.९३         | ८५.०२         |
| नागपूर      | ३१.८३         | ४७.२३         |
| <b>एकूण</b> | <b>२३४.७७</b> | <b>५३०.५४</b> |

आधार : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

### तक्ता १०.६३ पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेली गावे व वाड्यांची संख्या

(संख्या)

| कामाचे स्वरूप                               | गावे     |           | वाड्या   |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                                             | २०१६-१७@ | २०१७-१८\$ | २०१६-१७@ | २०१७-१८\$ |
| नवीन विंधण विहिरी                           | २,४८२    | ३,४८९     | १,५७०    | १,००४     |
| तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा - विशेष दुरुस्ती | १,२५०    | १,६३२     | १४२      | १७७       |
| विंधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती              | १,२१५    | १,१६४     | ४४६      | ४९२       |
| तात्पुरती पूरक नळ जोडणी                     | ३१५      | ३६९       | ३७       | ४२        |
| टँकर/बैलगाडीने पाण्याचा पुरवठा              | ३,७९१    | १,८५७     | ४,५४९    | १,५७४     |
| खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण                    | ६,८४८    | ४,८८६     | १,८९७    | ५२६       |
| विहिरी खोलीकरण/गाळ काढणे                    | २६७      | ५०५       | ८८       | ३०        |

आधार : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

@ ऑक्टोबर २०१६ ते जूलै २०१७

\$ ऑक्टोबर २०१७ ते जून २०१८

१०.७९.२ राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये अपुऱ्या पावसामुळे शासनाने २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित केला, त्यानंतर राज्यातील अतिरिक्त २६८ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्याशिवाय शासनाने अतिरिक्त ५,४४९ गावांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती घोषित केली आहे.

१०.७९.३ दुष्काळ घोषित केलेल्या क्षेत्रातील नागरिकांना व जनावरांना पाण्याची सुविधा देण्यासाठी, कायमस्वरूपी खंडीत केलेल्या वीज जोडण्यांच्या थकीत वीज देयकातील पाच टक्के मुद्दल रक्कमेचा भरणा करून, जोडण्या पूर्ववत करून पाणी पुरवठा योजना चालू करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. तसेच सध्याच्या टंचाई काळात (नोव्हेंबर, २०१८ ते जून, २०१९) राज्यातील सर्व पाणी पुरवठा योजनांचे चालू विद्युत देयक सुध्दा भरण्याचे ठरविले आहे. पाच टक्के मुद्दल रक्कम आणि चालू विद्युत देयके अदा करण्यासाठी ₹ १४२.०२ कोटी रक्कम वितरीत केली आहे.

## मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

१०.८० पाणी पुरवठ्यात सुधारणा करून पुरेसे व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याकरिता ग्रामीण भागामध्ये 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांच्या कालावधीकरिता राज्यात राबविण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम खालील तीन प्रकारात वर्गीकृत करण्यात आला आहे. १) नवीन पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी, २) बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन आणि ३) प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती.

१०.८०.१ मार्च २०१९ पर्यंत ₹ ६०२.०६ कोटी किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणी पुरवठा योजनांना मंजूरी देण्यात आली. त्यापैकी ७१६ योजना प्रगतिपथावर आहेत व ११८ योजनांतून पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे. बंद असलेल्या २८ प्रादेशिक पाणी पुरवठा

योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ₹ ९९.८६ कोटी रकमेस मंजुरी देण्यात आली आणि १८ योजनांचा पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वितरीत निधीची माहिती तक्ता १०.६४ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.६४ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वितरीत निधी

(₹ कोटी)

| वर्ष    | नवीन पाणी पुरवठा योजना | बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन | प्रादेशिक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| २०१६-१७ | २५६.३६                 | २३.६४                                                   | ८०.००                                                    |
| २०१७-१८ | २२७.१३                 | ०.८७                                                    | १२.००                                                    |
| २०१८-१९ | १२३.८९                 | ११.३१                                                   | ८.००                                                     |

आधार : पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

#### जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम

१०.८१ जलस्वराज्य-२ हा कार्यक्रम राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सेवांचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण कामगिरीचा दर्जा उंचावणे तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये अशुध्द पाणी पुरवठा होणाऱ्या भागांमध्ये व पाणी टंचाईग्रस्त भागांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि शाश्वत पाणी पुरवठा करणे ही या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आहेत. हा कार्यक्रम सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०१४ - २०२०) असून या कार्यक्रमाची एकूण किंमत ₹ १,२८४ कोटी आहे. त्यापैकी ७० टक्के जागतिक बँकेचा हिस्सा व ३० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. जलस्वराज्य-२ हा कार्यक्रम प्रादेशिक विभागातील प्रत्येकी दोन जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून कोकण विभागातून रायगड व रत्नागिरी, नाशिक विभागातून जळगाव व अहमदनगर, पुणे विभागातून पुणे व सातारा, औरंगाबाद विभागातून नांदेड व औरंगाबाद, अमरावती विभागातून अमरावती आणि बुलढाणा आणि नागपूर विभागातून नागपूर आणि चंद्रपूर असे आहेत. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाची आर्थिक प्रगती तक्ता १०.६५ दिली आहे.

#### तक्ता १०.६५ जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमाची आर्थिक प्रगती

(₹ कोटी)

| वर्ष    | जागतिक बँकेडून वितरीत कर्ज | राज्य शासनाकडून वितरीत रक्कम | एकूण खर्च |
|---------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| २०१४-१५ | -                          | ५०.००                        | ८.९९      |
| २०१५-१६ | ४१.९१                      | २१.५०                        | २१.५०     |
| २०१६-१७ | ३५.२४                      | ९८.८०                        | ९०.५६     |
| २०१७-१८ | १२७.५०                     | १६०.००                       | १६०.००    |
| २०१८-१९ | -                          | १४४.००                       | १४४.००    |
| एकूण    | २०४.६५                     | ४७४.३०                       | ४२५.०५    |

आधार : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन

१०.८१.१ जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत शहरालगतच्या गावांमध्ये ६३ नळ पाणी पुरवठा योजना प्रगतिपथावर आहेत. पाणी टंचाईग्रस्त भागात आणि पाणी गुणवत्ता बाधित क्षेत्रात निश्चित, पुरेसा व सुरक्षित पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी ६५ सामूहिक साठवण टाक्या आणि ४१ आर. ओ. व डीप्लोरायडीशन युनिट्स उभारण्यात आले आहेत.

#### अटल मिशन फॉर रिज्युविनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत)

१०.८२ 'अमृत' मध्ये राज्यातील ४४ शहरांचा समावेश असून त्यात राज्यातील नागरी भागातील ७६ टक्के लोक समाविष्ट आहेत. सदर शहरांना पाणी पुरवठा व मलनिःसारण विषयक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देणे हा अभियानाचा हेतू आहे.

१०.८२.१ या अभियानांतर्गत २०१५-१६ ते २०१८-१९ पर्यंत पाणी पुरवठ्याचे ₹ ४,३१२ कोटी किमतीचे ३७ प्रकल्प ३४ शहरांकरीता मंजूर झाले असून त्यापैकी अचलपूर (जिल्हा - अमरावती), शिर्डी (जिल्हा - अहमदनगर) व सातारा या शहरांचे ₹ ६८ कोटी किमतीचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ₹ ३,७९७ कोटी किमतीच्या प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. मलनिःसारणाचे ₹ ३,१७२ कोटी किमतीचे एकूण ३१ प्रकल्प २९ शहरांकरीता मंजूर झाले असून त्यापैकी मार्च, २०१९ पर्यंत ₹ २,८६७ कोटी किमतीच्या प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.



## महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान

१०.८३ राज्यातील महानगरपालिका (वर्ग ड), नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन २०१० पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत ₹ ८,१९३ कोटी किमतीच्या १५७ प्रकल्पांना शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये ७८ पाणी पुरवठा योजना ३२ मलनिःसारण योजना व ४७ इतर ( रस्ते, पर्जन्य जलवाहिनी, उड्डाणपूल, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी) प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाणी पुरवठ्याच्या ₹ २,७४२ कोटी किमतीच्या ७८ प्रकल्पापैकी ₹ ६५६ कोटी किमतीचे १५ प्रकल्प मार्च, २०१९ अखेर पूर्ण झाले. मलनिःसारणाच्या ₹ १,९५३ कोटी किमतीच्या ३२ प्रकल्पापैकी ₹ ३७० कोटी किमतीचे सहा प्रकल्प मार्च, २०१९ अखेर पूर्ण झाले.

### स्वच्छता

१०.८४ सुरक्षित स्वच्छता म्हणजे मानवी मलमूत्राची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे, शौचालयाचा योग्य वापर आणि खुले शौचालय टाळण्याबरोबरच घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन होय. स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ केल्यामुळे पर्यावरणाला मदत होते आणि समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये योगदान दिले जाते. स्वच्छता सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यात विविध योजना राबविल्या जात आहेत.

### स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

१०.८५ स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) राज्यात २ ऑक्टोबर, २०१४ पासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानाचा कालावधी २ ऑक्टोबर, २०१९ (महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती) पर्यंत आहे. ग्रामीण भागात स्वच्छता राखणे, उघडयावर मलविसर्जन करण्यास प्रतिबंध करणे, कुटुंबांसाठी वैयक्तिक शौचालये बांधणे व त्याचा निरंतर वापर करणे ही या अभियानाची उद्दिष्टे आहेत. या अभियानाद्वारे प्रत्येक घरासाठी शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि भारत खुली हागणदारी मुक्त करणे, कचरा मुक्त करणे आणि कार्यक्षम घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

१०.८५.१ स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) च्या सुरुवातीपासून २ऑक्टोबर, २०१४ ते २८ मे, २०१९ पर्यंत ५५.६९ लाख कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालये आणि १.९५ लाख कुटुंबांना सामूहिक / सार्वजनिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यामधील सर्व ३४ जिल्हे, ३५१ पंचायत समिती आणि २७,६६७ ग्रामपंचायतीमध्ये १०० टक्के स्वच्छता राखण्यास मदत झाली व १८ एप्रिल, २०१८ रोजी राज्य खुली हागणदारी मुक्त म्हणून घोषित झाले. या अभियानांतर्गत मार्च, २०१९ पर्यंत एकूण ₹ ५,४५५.६१ कोटी खर्च झाला असून यातील केंद्र शासनाचा हिस्सा ₹ ३,३०५.८० कोटी आणि राज्य शासनाचा हिस्सा ₹ २,१४९.८१ कोटी होता.

### जागतिक शौचालय दिन

१०.८६ दिनांक १९ नोव्हेंबर या जागतिक शौचालय दिनानिमित्त दिनांक ९ ते १९ नोव्हेंबर, २०१८ दरम्यान जागतिक शौचालय दिवस स्पर्धा आयोजित केली होती. देशामध्ये पहिल्या १० जिल्ह्यांत येण्याचा सन्मान सांगली जिल्ह्याला प्राप्त झाला. कोल्हापूर, नांदेड आणि वर्धा या जिल्ह्यांना पहिल्या ३० क्रमवारीत स्थान प्राप्त झाले.

### स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धा

१०.८७ केंद्र शासनाच्या पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये स्वच्छ सुंदर शौचालय स्पर्धा ग्रामीण कुटुंबांना शौचालय वापरासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी आयोजित केली होती. ज्यामध्ये सहभागींनी शौचालये रंगवून आणि सुशोभित करून सर्वोच्च स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धेत भाग घेतला. राज्यातील सर्व जिल्हे उत्स्फूर्तपणे या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. एकूण २६,४८,०२६ शौचालये सामाजिक संदेशासह रंगविण्यात आली, त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४,३१,५८१ शौचालये होती, त्याखालोखाल सातारा, जळगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यांनी सर्वाधिक सहभागाचे स्थान मिळविले आहे. स्पर्धेतील नारी शक्तीच्या उत्कृष्ट सहभागासाठी नागपूर जिल्ह्यातील ब्राह्मणी गावाच्या सरपंचांना पंतप्रधानांच्या हस्ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी स्वच्छ शक्ती २०१९ चा पुरस्कार देण्यात आला.

### स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) २०१८

१०.८८ पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकारकडून 'स्वच्छ सर्वेक्षण (ग्रामीण) २०१८' कार्यान्वित केले होते. या सर्वेक्षणामध्ये सातारा जिल्ह्याला देशातील स्वच्छ जिल्ह्यांत पहिले प्राप्त झाले. नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्यांना 'नागरिकांचा प्रतिसाद' या घटकांमध्ये सन्मानित केले.

## स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)

१०.८९ जनगणना २०११ नुसार नागरी भागातील एकूण ८,९९,७४१ कुटुंबांना त्यांच्या आवारात शौचालय सुविधा उपलब्ध नव्हती. स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे महाराष्ट्र खुली हागणदारी मुक्त करणे, स्वच्छतेबाबतच्या विचारसरणीतील बदल सुनिश्चित करून घन व द्रव कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे या उपाययोजनांद्वारे २ ऑक्टोबर, २०१९ पर्यंत ३८४ शहरे स्वच्छ बनविणे या उद्देशाने राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची सुरुवात केली.

१०.८९.१ या अभियानाअंतर्गत ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत ६.८२ लाख वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली व त्यासाठी ₹ ९३९.५५ कोटी खर्च झाला. शासनाने १ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी राज्यातील ३८४ शहरे खुली हागणदारी मुक्त घोषित केली असून त्यापैकी १४२ शहरे खुली हागणदारी मुक्त + (ODF+) झाली आहेत.

## स्वच्छ सर्वेक्षण (नागरी) २०१८

१०.९० राज्यात २६० शहरांनी स्वच्छ सर्वेक्षण (नागरी) २०१८ मध्ये भाग घेतला. देशामध्ये राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून ओळखले गेले. नऊ शहरांनी वेगवेगळे पुरस्कार मिळवले आहेत.

- स्वच्छ राजधानी- बृहन्मुंबई (जिल्हा- मुंबई शहर व उपनगर)
- उत्कृष्ट घनकचरा व्यवस्थापन- नवी मुंबई (जिल्हा- ठाणे)
- नव कल्पना व सर्वोत्तम पद्धती- नागपूर (जिल्हा- नागपूर)
- नागरीकांचे अभिप्राय- परभणी (जिल्हा- औरंगाबाद)
- वेगवान शहर- भिवंडी (जिल्हा- ठाणे)
- स्वच्छ शहर- पाचगणी (जिल्हा- सातारा)
- नव कल्पना- सासवड (जिल्हा- पूणे)
- नागरिकांचे अभिप्राय- शेंदुर्जना घाट (जिल्हा- अमरावती)
- वेगवान शहर- भुसावळ (जिल्हा- जळगाव)

## महाराष्ट्र सुजल आणि निर्मल अभियान

१०.९१ नागरी पाणी पुरवठा व मलनिःसारण, शौचालय बांधकामे व घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवा शुल्कामध्ये उपलब्ध करून देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. अभियानाच्या सुरुवातीपासून (२००८-०९) ते मार्च, २०१९ पर्यंत पाणी पुरवठा व मलनिःसारणाच्या ₹ १,२२०.०३ कोटी किंमतीच्या २५८ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून ₹ ८८०.४३ कोटी निधी वितरीत केला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २५.६० कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये ₹ ७.०० कोटी खर्च झाला.

## पर्यावरण संवर्धन

१०.९२ शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी पर्यावरण संवर्धन महत्वाची भूमिका बजावत आहे. हवा, पाणी, जमिन किंवा माती या मध्ये हानीकारक पदार्थांची भर पडून ते दूषित होण्याची प्रक्रिया म्हणजेच पर्यावरणाचे प्रदूषण होय. वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण, स्थलांतर, शहरीकरण इत्यादि मुळे फक्त नैसर्गिक संसाधनांमध्ये घट होत नसून पर्यावरणाची गुणवत्ता सुद्धा खालावत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (मप्रनिमं) राज्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी पर्यावरणासंबंधीचे विविध कायदे व नियमांची अंमलबजावणी करते.

### हवा प्रदूषण

१०.९३ उद्योग, कारखाने व जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन या द्वारे उत्सर्जित झालेल्या विविध वायू व विषारी द्रव्ये यामुळे हवेत प्रदूषण होते. हवा प्रदूषणाचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो. तसेच सूर्याच्या अल्ट्रा-व्हायलेट किरणांपासून पृथ्वीचे रक्षण करणाऱ्या ओझोन स्तराचा न्हास होण्यास हवेचे प्रदूषण कारणीभूत आहे. हवा प्रदूषण प्रतिबंधित, नियंत्रित व कमी करण्यासाठी हवा (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सध्याचे तसेच संभाव्य हवा प्रदूषणाचे मुल्यांकन हवा गुणवत्ता सर्वेक्षण / नियंत्रण कार्यक्रमाद्वारे सातत्याने केले जाते. राज्यातील २७ शहरांमध्ये विकुरलेल्या विविध ७७ नियंत्रण स्थानकांवर वातावरणातील विविध प्रदूषकांसाठी (उदा. श्वसन प्रवण दूषित कण, सल्फर डाय ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड) हवा गुणवत्ता नियंत्रण केले जाते. प्रमुख नियंत्रण स्थानकांत सन २०१८ मध्ये नोंदविलेल्या परिसर हवा गुणवत्तेची आकडेवारी तक्ता १०.६६ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.६६ प्रमुख नियंत्रण स्थानकात सन २०१८ मध्ये नोंदविलेली सरासरी परिसर हवा गुणवत्ता**

| नियंत्रण स्थानके                | हवा प्रदूषकांची घनता                |            |            |                                        |              |            |                               |              |              |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                                 | सल्फर डायऑक्साईड (SO <sub>2</sub> ) |            |            | नायट्रोजन ऑक्साईड्स (NO <sub>x</sub> ) |              |            | श्वसन प्रवण दूषित कण (RSPM)   |              |              |
|                                 | मर्यादा ८० µg/m <sup>3</sup>        |            |            | मर्यादा ८० µg/m <sup>3</sup>           |              |            | मर्यादा १०० µg/m <sup>3</sup> |              |              |
|                                 | किमान                               | कमाल       | सरासरी     | किमान                                  | कमाल         | सरासरी     | किमान                         | कमाल         | सरासरी       |
| मुंबई - शीव                     | २<br>(१)                            | ६६<br>(२२) | ५<br>(७)   | ९<br>(१७)                              | २४६<br>(१९७) | ७६<br>(८३) | २२<br>(११)                    | ३७६<br>(३८७) | १२९<br>(१४८) |
| पुणे - स्वारगेट                 | ९<br>(८)                            | ७३<br>(३७) | ३६<br>(२०) | ३२<br>(२०)                             | १६७<br>(१७९) | ८८<br>(७५) | १३<br>(१६)                    | १८९<br>(२२०) | ९०<br>(८९)   |
| नाशिक - मनपा इमारत              | ४<br>(३)                            | २१<br>(२५) | १२<br>(१३) | २<br>(१०)                              | ३८<br>(४७)   | २२<br>(२४) | ४१<br>(४०)                    | २०४<br>(२०८) | ९१<br>(९६)   |
| औरंगाबाद - कडा कार्यालय         | ४<br>(५)                            | २४<br>(२४) | १३<br>(१०) | ११<br>(२४)                             | ४८<br>(५५)   | ३४<br>(३३) | २३<br>(२६)                    | ९४<br>(१५८)  | ६९<br>(८४)   |
| अमरावती - शास. अभि. महाविद्यालय | ८<br>(४)                            | २७<br>(१५) | १७<br>(११) | ९<br>(४)                               | १२४<br>(१७)  | २९<br>(१२) | ७८<br>(२१)                    | १४०<br>(११३) | ११८<br>(६९)  |
| नागपूर - सिविल लाईन             | ४<br>(४)                            | ३०<br>(८२) | ११<br>(१०) | १८<br>(१४)                             | ६१<br>(४७)   | ३४<br>(२९) | ३४<br>(३७)                    | १९०<br>(१८१) | ६९<br>(६७)   |

टीप : कंसातील आकडे २०१७ करिता परिसर वायू गुणवत्ता दर्शवितात. µg/m<sup>3</sup> मायक्रोग्रॅम प्रति घन मीटर

आधार : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

१०.९४ कोळसा, तेल व नैसर्गिक वायू या मुख्य जीवाश्म इंधनाच्या ज्वलनाने त्याबरोबर अति जंगलतोड व खाणकाम या मानवी गतिविधीमुळे कार्बन डायऑक्साईड वायू प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होतो. हवा प्रदूषण नियंत्रित ठेवण्यासाठी अल्प प्रमाणात गंधक असलेले डिझेल, शिसेरहीत पेट्रोल, सीएनजी/एलपीजी यांचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर, पीयूसी अनिवार्य करणे, १५ वर्षे झालेल्या वाहनांवर बंदी घालणे आणि आठ वर्षे झालेली वाहने सीएनजी/एलपीजी मध्ये रूपांतरित करणे अशा काही महत्वाच्या उपाय योजना करण्यात येत आहेत. सीएनजी/एलपीजी/विद्युत वरील राज्यातील नोंदणीकृत वाहन संख्या तक्ता १०.६७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.६७ सीएनजी/एलपीजी/विद्युत वरील नोंदणीकृत वाहन संख्या**

| वर्ष    | नोंदणीकृत वाहने |                 |         |
|---------|-----------------|-----------------|---------|
|         | एकूण            | त्यापैकी        |         |
|         |                 | सीएनजी / एलपीजी | विद्युत |
| २०१३-१४ | २०,७०,९८०       | ५०,७२४          | ७८५     |
| २०१४-१५ | २२,३९,९३५       | ७१,६३६          | १,०६७   |
| २०१५-१६ | २३,०३,७८३       | ६५,९१९          | १,१५१   |
| २०१६-१७ | २३,९५,५७७       | ७८,२५५          | ९७९     |
| २०१७-१८ | २६,९८,६८८       | १,३९,००५        | १,४१८   |

आधार : परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

## जल प्रदूषण

१०.९५ जल स्रोतांमधील दूषितपणामुळे ते उपभोगासाठी अथवा वापरासाठी अयोग्य होणे म्हणजेच जल प्रदूषण होय. औद्योगिक कारखान्यांमधून निघणाऱ्या रसायनांचे थेट जलस्रोतांमध्ये होणाऱ्या विसर्गामुळे प्रामुख्याने जल प्रदूषण होते. अनुचित स्वच्छता, पिकांवर होणारी किटकनाशकांची फवारणी, नदी अथवा तलावाजवळ स्नान व कपडे धुणे यामुळे सुद्धा जल प्रदूषणात वाढ होते. जल (प्रतिबंध व प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ हा जल प्रदूषण प्रतिबंधित व नियंत्रित करून जल गुणवत्ता राखणे आणि पूर्ववत करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जागतिक पर्यावरण संनियंत्रण प्रणाली व राष्ट्रीय जलस्रोत संनियंत्रण प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पांतर्गत नियमितपणे भूपृष्ठावरील (यामध्ये १५५ नद्या, ३४ खाड्या/समुद्र, १० नाले, एक धरण) तसेच भूपृष्ठाखालील (यामध्ये २४ कूप नलिका, २४ विहिरी, एक हातपंप, एक नलिका विहीर) अशा एकूण २५० जल गुणवत्ता संनियंत्रण स्थानकात पाण्याचे नमुने तपासले जातात. भूपृष्ठावरील पाण्याच्या नमुन्याचे दरमहा नऊ मुख्य परिमाणे व १९ सामान्य परिमाणे साठी आणि भूगर्भीय नमुन्याचे सहामाही गुणवत्ता संनियंत्रण धातू व कीटकनाशकांचे अवशेष शोधण्यासाठी केले जाते. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, पंचगंगा आणि भीमा या नद्यांच्या ३९ स्थानांवरील सन २०१७-१८ मधील जल गुणवत्ता तक्ता १०.६८ मध्ये दिली आहे. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता संनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील भूपृष्ठावरील निवडक नद्यांवरील संनियंत्रण स्थानकातील वर्ष २०१८ मधील जल गुणवत्ता तक्ता १०.६९ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.६८ नद्यांच्या ३९ स्थानांवरील सन २०१७-१८ मधील जल गुणवत्ता

| प्रमाणके                |        |                                |        |                             |        |                              |        |
|-------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|
| pH मूल्य                |        | जैव-रासायनिक प्राणवायूची मागणी |        | विरघळलेला प्राणवायू         |        | फिकल कॉलिफॉर्म               |        |
| ६.० ते ९.० <sup>#</sup> |        | ३ मि ग्रॅ / लि <sup>#</sup>    |        | ४ मि ग्रॅ / लि <sup>#</sup> |        | एमपीएन / १०० ml <sup>#</sup> |        |
| कक्षा                   | स्थाने | कक्षा                          | स्थाने | कक्षा                       | स्थाने | कक्षा                        | स्थाने |
| ५.५ - ६.४               | ०      | २.५ पेक्षा कमी                 | ५      | ३ - ४.९                     | ७      | ० - १००                      | ३१     |
| ६.५ - ७.४               | ०      | २.५ - ५.४                      | २२     | ५ - ६.९                     | ३२     | १०० - २००                    | ७      |
| ७.५ - ८.४               | ३८     | ५.५ - ८.४                      | १०     | ७ - ८.९                     | ०      | २०० - ३००                    | ०      |
| ८.५ - ९.५               | १      | ८.५ आणि त्यापेक्षा अधिक        | २      | ९ आणि त्यापेक्षा अधिक       | ०      | ३०० आणि त्यापेक्षा अधिक      | १      |

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मि ग्रॅ / लि मिलिग्रॅम / लिटर

# केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ चे जल गुणवत्तेचे निकष वर्ग क

### तक्ता १०.६९ भूपृष्ठावरील निवडक नद्यांवरील संनियंत्रण स्थानकातील वर्ष २०१८ मधील जल गुणवत्ता

| नदीचे नाव<br>(स्थानक संकेतांक) | pH मूल्य | विरघळलेला<br>प्राणवायू<br>(मि ग्रॅ / लि) | बी.ओ.डी.<br>(मि ग्रॅ / लि) | सी.ओ.डी.<br>(मि ग्रॅ / लि) | नायट्रेट<br>(मि ग्रॅ / लि) | फिकल कोलीफॉर्म<br>(मि ग्रॅ / लि) |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| कृष्णा (११५३)                  | ७.३८     | ६.५५                                     | २.३२                       | २५                         | ०.७२                       | ७.९३                             |
| गोदावरी (१३१२)                 | ७.९५     | ६.६५                                     | ३.४२                       | १०.६७                      | ०.२७                       | २.६७                             |
| मुळा-मुठा (२१९२)               | ७.८४     | ३.३९                                     | १२.०८                      | ४२                         | २.४१                       | ३३२.०८                           |
| कन्हान (२१७१)                  | ८.०७     | ५.५५                                     | ७.२९                       | २७.८३                      | १.१२                       | ६४.०८                            |
| पुर्णा (१९१३)                  | ७.५२     | ५.६१                                     | ६.७७                       | २६.६७                      | ३.६                        | ५८.४२                            |
| दारणा (२६६१)                   | ७.९१     | ६.४६                                     | ३.५६                       | १६                         | ०.९१                       | १.५१                             |
| सावित्री (२७०४)                | ७.९१     | ७.४१                                     | २.४                        | १८.४४                      | ०.५४                       | १०.१४                            |
| मीठी (२१६८)                    | ७.२५     | ०.८४                                     | ४९.३३                      | १०७.६७                     | ३.७                        | १,४८६.६७                         |

बी.ओ.डी. जैव-रासायनिक प्राणवायूची मागणी

सी.ओ.डी. रासायनिक प्राणवायूची मागणी

मि ग्रॅ / लि मिलिग्रॅम / लिटर

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

## सांडपाणी प्रक्रिया

१०.९६ सन २०१७-१८ मध्ये २७ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये प्रति दिन अंदाजित ६,२६४ दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्याची निर्मिती झाली असून त्यापैकी अंदाजे ३,८९७ (६२.२ टक्के) दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. सन २०१७-१८ मधील राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील सांडपाण्याची निर्मिती व प्रक्रिया माहिती तक्ता १०.७० मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.७० सन २०१७-१८ मधील नागरी स्थानिक संस्थांच्या क्षेत्रातील सांडपाणी निर्मिती व प्रक्रिया

| स्थानिक संस्था | माहिती देणाऱ्या संस्था | सांडपाणी निर्मिती<br>(दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) | सांडपाणी प्रक्रिया<br>(दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) | प्रक्रिया टक्के वारी |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| महानगर पालिका  | २७                     | ६,२६४                                       | ३,८९७                                        | ६२.२                 |
| नगर पालिका     |                        |                                             |                                              |                      |
| अ वर्ग         | १२                     | १८९                                         | ९७                                           | ५१.३                 |
| ब वर्ग         | ५१                     | ३६८                                         | २४                                           | ६.५                  |
| क वर्ग         | १५८                    | ४२१                                         | २१                                           | ५.०                  |
| कटक मंडळे      | ६                      | ३९                                          | ७                                            | १८.०                 |
| नगर पंचायत     | ८                      | १६                                          | ३                                            | १८.८                 |
| <b>एकूण</b>    | <b>२६२</b>             | <b>७,२९७</b>                                | <b>४,०४९</b>                                 | <b>५५.५</b>          |

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

## घन कचरा प्रक्रिया

१०.९७ महानगरपालिका घन कचरा मध्ये घरगुती कचरा, बांधकाम व तोडफोड मलबा, रस्त्यांवरील मुख्यत्वे निवासी व वाणिज्यिक संकुलातील साफसफाईतील कचरा यांचा समावेश होतो. राज्यात निर्माण होणाऱ्या घन कचऱ्यावर महानगर पालिका अथवा नगर पालिका यांच्या द्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या ५६ सामायिक सुविधा प्रक्रिया केंद्रांवर प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यात प्रति दिन निर्माण होणाऱ्या एकूण २२,८९७.६ मे. टन घन कचऱ्या पैकी २७ महानगरपालिका क्षेत्रांमधून १९,४०१ मे. टन प्रति दिन (८४.७२ टक्के) घन कचऱ्याची निर्मिती होते. राज्यात निर्माण होणाऱ्या महापालिका घन कचरा निर्मिती व प्रक्रियेची विभागनिहाय सन २०१७-१८ मधील माहिती तक्ता १०.७१ मध्ये दिली आहे

### तक्ता १०.७१ सन २०१७-१८ मधील राज्यातील घनकचरा निर्मिती व प्रक्रियेची माहिती

| महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभाग | घन कचरा                       |                                | प्रक्रियेची टक्केवारी |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                           | निर्मिती<br>(प्रति दिन मे.टन) | प्रक्रिया<br>(प्रति दिन मे.टन) |                       |
| मुंबई                                     | ७,५००.००                      | ३,०००.००                       | ४०.०                  |
| नवी मुंबई                                 | ७६१.००                        | ७५२.००                         | ९८.८                  |
| रायगड                                     | १७९.९६                        | १०९.६०                         | ६०.९                  |
| ठाणे                                      | १,९२९.००                      | १००.००                         | ५.२                   |
| कल्याण                                    | १,७९५.५०                      | ७७.००                          | ४.३                   |
| पुणे                                      | ३,९०२.७५                      | १,९८३.६१                       | ५०.८                  |
| नाशिक                                     | १,८९७.५८                      | ९९७.१२                         | ५२.५                  |
| औरंगाबाद                                  | १,६२३.९४                      | २३५.७९                         | १४.५                  |
| नागपूर                                    | १,३७४.००                      | २७६.५०                         | २०.१                  |
| अमरावती                                   | ७२९.५०                        | उ.ना.                          | -                     |
| कोल्हापूर                                 | ७८४.७५                        | २८९.९०                         | ३६.९                  |
| चंद्रपूर                                  | ४१९.६२                        | १२३.८२                         | २९.५                  |
| <b>एकूण</b>                               | <b>२२,८९७.६०</b>              | <b>७,९४५.३४</b>                | <b>-</b>              |

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

उ.ना. उपलब्ध नाही

## ध्वनी प्रदूषण

१०.९८ ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम-२००० नुसार क्षेत्रनिहाय ध्वनी स्तर मर्यादा प्रमाणके तक्ता १०.७२ मध्ये दिले आहेत.

१०.९९ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम तपासण्याकरिता प्रमुख शहरांमध्ये प्रतिवर्षी सलग दोन दिवस-रात्र परिसर ध्वनी-स्तर संनियंत्रण कार्यक्रम आयोजित केला जातो. दोन्ही दिवशी त्याच ठिकाणी दिवसा तसेच रात्री समान कालावधीकरिता ध्वनी-स्तर मोजला जातो. निवडक शहरांतील २०१८ व २०१७ मधील दिवाळी दरम्यान दिवस-रात्रीचे ध्वनी-स्तराचे प्रमाण तक्ता १०.७३ मध्ये दिले आहे

### तक्ता १०.७२ क्षेत्रनिहाय ध्वनी स्तर मर्यादा प्रमाणके

(डेसिबल)

| क्षेत्र संकेतांक | क्षेत्राचा प्रकार | मर्यादा |        |
|------------------|-------------------|---------|--------|
|                  |                   | दिवसा   | रात्री |
| अ                | औद्योगिक          | ७५      | ७०     |
| ब                | वाणिज्यिक         | ६५      | ५५     |
| क                | निवासी            | ५५      | ४५     |
| ड                | शांतता प्रभाग     | ५०      | ४०     |

आधार : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

### तक्ता १०.७३ निवडक शहरांतील २०१८ व २०१७ मधील दिवाळी दरम्यान दिवस-रात्रीचे ध्वनी-स्तराचे प्रमाण

(डेसिबल)

| ठिकाण                         | ७ नोव्हेंबर, २०१८ |        | १९ ऑक्टोबर, २०१७ |        | ९ नोव्हेंबर, २०१८ |        | २१ ऑक्टोबर, २०१७ |        |
|-------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                               | दिवसा             | रात्री | दिवसा            | रात्री | दिवसा             | रात्री | दिवसा            | रात्री |
| मुंबई (शिवाजी पार्क-दादर)     | ६९.९              | ६९.३   | ६९.१             | ६२.९   | ७७.९              | ६५.४   | ७९.६             | ६९.७   |
| मुंबई (चेंबूर)                | ७३.८              | ६८.८   | ८२.०             | ६९.३   | ७०.९              | ६०.७   | ८२.१             | ७६.०   |
| ठाणे (गोखले रोड)              | ७६.५              | ६८.९   | ७५.३             | ६७.२   | ७३.८              | ५७.५   | ९०.६             | ८५.०   |
| ठाणे (वागळे इस्टेट)           | ७१.४              | ६०.०   | ७३.८             | ६३.७   | ६८.६              | ६४.५   | ७५.१             | ६५.०   |
| पुणे (स्वारगेट)               | ७९.६              | ६३.८   | ७८.४             | ६४.१   | ७५.८              | ६६.१   | ७५.०             | ६४.०   |
| पुणे (लक्ष्मी रोड)            | ८०.८              | ७३.०   | ८६.९             | ७४.५   | ८०.५              | ६७.४   | ७५.३             | ५९.५   |
| नाशिक (सी.बी.एस.)             | ८१.०              | ८१.०   | ७६.७             | ७३.१   | ७२.३              | ६८.८   | ७३.९             | ६७.२   |
| नाशिक (बीटको पॉईंट)           | ७८.९              | ७१.४   | ७३.६             | ७१.०   | ६८.१              | ६७.१   | ७१.८             | ६८.३   |
| औरंगाबाद (सिटी चौक)           | ६२.२              | ६६.५   | ७४.०             | ६२.३   | ६०.२              | ६४.५   | ७५.५             | ६९.६   |
| नांदेड - वघाळा (गणेश नगर)     | ६६.१              | ६७.६   | ७८.२             | ६२.९   | ६४.१              | ६५.६   | ७६.९             | ६५.५   |
| नागपूर (सदर)                  | ७५.६              | ६९.३   | ७३.१             | ६४.८   | ७२.०              | ५९.७   | ६७.९             | ६४.१   |
| चंद्रपूर (जटपूरा गेट)         | ८०.०              | ६५.१   | ७९.२             | ७३.८   | ७४.७              | ६६.७   | ७६.१             | ७३.८   |
| अमरावती (राजकमल चौक)          | ७६.०              | ६८.०   | ८०.०             | ६३.६   | ७४.९              | ६६.३   | ७२.१             | ६२.४   |
| अकोला (जिल्हाधिकारी कार्यालय) | ७२.५              | ६०.०   | ७३.१             | ५५.०   | ६८.५              | ५५.९   | ६९.३             | ५१.५   |

आधार : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

## औद्योगिक प्रदूषण

१०.१०० मार्च, २०१८ अखेर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात एकूण ९०,२२० उद्योग होते. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र योजने अंतर्गत लघु उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसविण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे २५ औद्योगिक वसाहतीतील ७,९२७ उद्योगांसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये प्रति दिन सरासरी २१५.८५ दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०१७-१८ मधील उद्योगांचे प्रदूषण निर्देशांकानुसार केलेले वर्गीकरण तक्ता १०.७४ मध्ये दिले आहे.

### तक्ता १०.७४ प्रदूषण निर्देशांकावर आधारित सन २०१७-१८ मधील उद्योगांचे वर्गीकरण

(संख्या)

| महाराष्ट्र<br>प्रदूषण नियंत्रण<br>मंडळाचे<br>विभाग | उद्योग |       |        |        |       |        |       |       |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                                    | लाल    |       |        | नारंगी |       |        | हिरवा |       |        | पांढरा | एकूण   |
|                                                    | मोठा   | मध्यम | लहान   | मोठा   | मध्यम | लहान   | मोठा  | मध्यम | लहान   |        |        |
| मुंबई                                              | ४४४    | ७९    | ६४०    | ५२६    | २३२   | ६८६    | ३८    | ३०    | १९५६   | ९      | ४,६४०  |
| ठाणे                                               | २४३    | ४१    | ९५९    | २९९    | ३३    | ४५१    | ९६    | १५    | १,२७३  | १३     | ३,४२३  |
| कल्याण                                             | २४३    | १२९   | १,७८२  | १०३    | ६४    | ९३३    | १४८   | २४    | १,४७२  | ४७     | ४,९४५  |
| नवी मुंबई                                          | २१६    | ३६    | १,१०१  | १५८    | १८०   | ९५२    | १७३   | ६३    | १,५४०  | ९२     | ४,५११  |
| रायगड                                              | २३६    | ३३    | ४२०    | ११८    | ३७    | ३५२    | ५५    | २१    | ४४२    | १३     | १,७२७  |
| पुणे                                               | १,३७७  | ३२२   | ३,६३७  | १,२७०  | ५६३   | ४,६०८  | ४९३   | २९१   | ७,१०१  | २०३    | १९,८६५ |
| कोल्हापूर                                          | ३२९    | ९७    | १,६८०  | ११७    | ५२    | ३,६५६  | ३४०   | ३१    | ९,१०१  | १८७    | १५,५९० |
| नाशिक                                              | ५०६    | ११२   | २,०६२  | १७३    | ६१    | २,३१२  | ३३७   | ४५    | ६,११७  | ९३     | ११,८१८ |
| औरंगाबाद                                           | २९२    | १०८   | ८५६    | १३६    | ८०    | २,००४  | २६९   | २२    | ५,३७८  | २६     | ९,१७१  |
| अमरावती                                            | ८५     | ४२    | ३२१    | ९४     | १०    | १,९२०  | २२०   | ६     | ४,३१५  | १२२    | ७,१३५  |
| नागपूर                                             | ४६३    | ३४    | १,२८१  | १२६    | २६    | २,२१६  | १२७   | ७     | १,६६५  | ४२     | ५,९८७  |
| चंद्रपूर                                           | १६९    | ५     | २६८    | ४०     | ४     | ४१०    | ४४    | ३     | ४३०    | ३५     | १,४०८  |
| एकूण                                               | ४,६०३  | १,०३८ | १५,००७ | ३,१६०  | १,३४२ | २०,५०० | २,३४० | ५५८   | ४०,७९० | ८८२    | ९०,२२० |

लाल - प्रदूषण निर्देशांक ६० किंवा अधिक

नारंगी - प्रदूषण निर्देशांक ४१ ते ५९ च्या दरम्यान

हिरवा - प्रदूषण निर्देशांक २१ ते ४० च्या दरम्यान

पांढरा - प्रदूषण निर्देशांक २० किंवा कमी

आधार : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

## घातक कचरा

१०.१०१ घातक कचरा म्हणजे असा कचरा जो मानवी जीवन किंवा पर्यावरणास हानीकारक असतो. राज्यात ६,३५३ उद्योगातून घातक कचरा तयार होतो. राज्यातील ठाणे येथील तळोजा व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ठाणे खाडी किनारपट्टीवरील औद्योगिक क्षेत्र, पुणे येथील रांजणगाव आणि नागपूर येथील बुटीबोरी या चार प्रमुख ठिकाणी घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सामायिक सुविधा असणाऱ्या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. सामायिक सुविधा केंद्रामध्ये प्रक्रिया केलेल्या घातक कचऱ्याबाबतची माहिती तक्ता १०.७५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.७५ सामाईक सुविधा केंद्रांद्वारे प्रक्रिया केलेल्या घातक कचऱ्याबाबतची माहिती**

(लाख मे टन)

| वर्ष    | प्रक्रियेचा प्रकार |                                   |                     | एकूण |
|---------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------|
|         | थेट जमिनीत पुरणे   | प्रक्रिया केल्यानंतर जमिनीत पुरणे | भस्मीकरण करण्याजोगे |      |
| २०१४-१५ | ०.८९               | १.१९                              | ०.४९                | २.५९ |
| २०१५-१६ | ०.७९               | १.६०                              | ०.५८                | २.९८ |
| २०१६-१७ | १.२२               | १.७३                              | ०.५५                | ३.५१ |
| २०१७-१८ | १.१६               | १.७८                              | ०.५४                | ३.४८ |

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

१०.१०२ घातक कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनांचा मागोवा घेण्यासाठी वाहनांवर ग्लोबल पोलिशनिंग सिस्टीम (जीपीएस) स्थापित करणे राज्यात अनिवार्य करण्यात आले आहे. डिसेंबर, २०१८ अखेर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १३० वाहतूकदारांना घातक कचरा वाहतुकीसाठी प्राधिकृत केले आहे. राज्यातील घातक कचरा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांची वर्ष २०१७-१८साठी विभागनिहाय संख्या तक्ता १०.७६ मध्ये दिली आहे.

**ई-कचरा**

१०.१०३ ई-कचरा म्हणजे मोडीत काढलेले विद्युत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे. सन २०१७-१८ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचऱ्याचे विघटन / पुनर्प्रक्रिया करता यावी यासाठी ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०१६ नुसार पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञान असलेल्या ७८ उद्योगांना मान्यता दिली असून त्यांची एकूण क्षमता प्रतिवर्ष ७७,५२५ मे. टन आहे.

**जैव-वैद्यकीय कचरा**

१०.१०४ जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम-२०१६ नुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरोग्य सेवा आस्थापनांना जैव-वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट करण्याचे प्राधिकार प्रदान करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात एकूण ६३,८२४ आरोग्य सेवा आस्थापना आहेत. या आस्थापनांमध्ये निर्माण होणाऱ्या जैव-वैद्यकीय कचऱ्यावर राज्यात एकूण ३० सामूहिक जैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट केंद्रांद्वारे प्रक्रिया केली जाते त्यापैकी २८ केंद्रे भस्मीकरण व उर्वरीत केंद्रे जमिनीत खोलवर पुरणे या पद्धतीची आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये सरासरी प्रति दिन ६१.९१ मे. टन जैव-वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यात आली.

**तक्ता १०.७६ वर्ष २०१७-१८ मधिल घातक कचरा निर्माण करणारे उद्योग**

(संख्या)

| महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभाग | उद्योगांची संख्या |
|-------------------------------------------|-------------------|
| मुंबई                                     | ४०४               |
| नवी मुंबई                                 | ७२२               |
| रायगड                                     | ३९१               |
| ठाणे                                      | ७९७               |
| कल्याण                                    | ९०५               |
| पुणे                                      | १,३११             |
| नाशिक                                     | ५१४               |
| औरंगाबाद                                  | ३६१               |
| नागपूर                                    | ३६७               |
| अमरावती                                   | ८०                |
| कोल्हापूर                                 | ३७४               |
| चंद्रपूर                                  | १२७               |
| <b>एकूण</b>                               | <b>६,३५३</b>      |

आधार: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ



## प्लास्टिक कचरा

१०.१०५ प्लास्टिक उत्पादने ही दैनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. प्लास्टिक कचऱ्याचा अयोग्य संग्रह, विभक्तीकरण व विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धतीमुळे अनेक पर्यावरणविषयक समस्या निर्माण होतात असे निदर्शनास येते. राज्यात ५० मायक्रोन पेक्षा कमी जाडी असणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरास बंदी असूनही जैव-विघटनीय नसणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यामध्ये वाढ दिसून येत आहे ज्यामुळे पर्यावरणाची व आरोग्याची हानी होत आहे. राज्य शासनाने एप्रिल, २०१८ पासून काही प्रकारच्या प्लास्टिक व थर्माकोल च्या उत्पादन व वापरास बंदी घातली आहे. वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्य शासनाने बंदी घातलेले प्लास्टिक / थर्माकोल वापरल्या बदल ₹ ३.४४ कोटी दंड वसूल केला तसेच ८३८ टन बंदी घातलेले प्लास्टिक जप्त केले आणि १२१ प्लास्टिक उत्पादकांवर बंदी घातली.

## पर्यावरणविषयक मान्यता

१०.१०६ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत केंद्र शासनाने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (१९९८), राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (२००८) व राज्य स्तर तज्ञ मूल्यमापन समिती अनुक्रमे तटीय नियमन क्षेत्र व पर्यावरणविषयक मान्यता प्रदान करण्यासाठी गठीत केल्या आहेत.

१०.१०७ पर्यावरणविषयक मान्यता जानेवारी, २०१६ पासून ऑनलाईन सेवेद्वारे प्रदान करण्यात येते. डिसेंबर, २०१८ पर्यंत ४७० प्रकरणांना शासनाने ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे पर्यावरणविषयक मान्यता दिल्या आहेत. महाराष्ट्र तटीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ३५० प्रकल्पांना डिसेंबर, २०१८ पर्यंत तटीय नियमन क्षेत्राच्या शिफारसी लागू केल्या आहेत.

## सरोवर संवर्धन योजना

१०.१०८ तलावांची अवनती रोखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. तलावांची अवनती रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ' राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना - अवनत तलावांसाठी ' अंतर्गत सन २००७ पासून ६३ तलावांचा समावेश केला आहे. सदर तलावांच्या संवर्धनासाठी सन २०१८-१९ मध्ये ₹ २.५ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला असून ₹ १.६० कोटी डिसेंबर, २०१८ अखेरपर्यंत खर्च करण्यात आले आहे.

## कांदळवन संवर्धन

१०.१०९ राज्याला सुमारे ७२० कि.मी.चा विस्तीर्ण सागरी किनारा आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण- २०१७ च्या अहवालानुसार राज्यात ३०४ चौ. कि.मी. वर कांदळवनाचे आच्छादन आहे. कांदळवनाच्या संरक्षण, संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनाने ' कांदळवन कक्षाची ' निर्मिती केली आहे.

१०.११० सन २०१८-१९ मध्ये शासनाने ₹ १३.९५ कोटी निधीची तरतूद कांदळवनावर आधारित विविध जसे खेकडा पालन शेती, कालव व शिंपले मशागत, शोभेच्या माशांची पैदास, इत्यादी उपजीविकेची कार्ये विकसित करण्यासाठी केली आहे. सदर उपक्रम समूहाने किंवा वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून करता येतात. समूहा द्वारे केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना राज्य शासनमार्फत ९० टक्के तर वैयक्तिक लाभार्थी (एक एकर पेक्षा जास्त कांदळवन असणारे जमीन मालक) उपक्रमांना ७५ टक्के आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

## सामाजिक न्याय

१०.१११ सामाजिक न्याय हे कल्याणकारक राज्याचे वैशिष्ट्य आहे. सामाजिक न्याय मध्ये समाजातील सर्व घटकांना विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग, जेष्ठ नागरीक तसेच, अत्याचार पिडीत इत्यादींना न्याय्य वागणूक आणि सामाजिक लाभात समान हिस्सा मिळण्यासाठी केलेला न्याय होय. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यावर आधारित समाजाची रचना करणे हे सामाजिक न्यायाचे तत्व आहे. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या राज्य धोरणाच्या निदेशक तत्वांनुसार दुर्बल घटकांना समाजातील इतर घटकांच्या समान पातळीवर आणण्यासाठी व त्यांना उपजिविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी विविध शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

१०.११२ राज्य शासनाने 'अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम' व 'आदिवासी घटक कार्यक्रम' असे दोन कार्यक्रम तयार केले आहेत. सामाजिक न्यायाच्या अनेक घटकांपैकी शिक्षण हा सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिने महत्वाचा घटक असल्याने त्यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. या घटकांना नियमित सर्वसाधारण योजना व कार्यक्रमाव्यतिरीकत त्या त्या जाती/जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अतिरिक्त निधी व लाभ उपलब्ध करून दिले जातात.

## अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम

१०.११३ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत विकास क्षेत्रनिहाय नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.७७ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.७७ अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत विकास क्षेत्रनिहाय नियतव्यय व खर्च

(₹ कोटी)

| क्षेत्र                      | २०१६-१७         |                 | २०१७-१८         |                     | २०१८-१९         |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                              | नियतव्यय        | खर्च            | नियतव्यय        | खर्च                | नियतव्यय        | खर्च            |
| <b>अ) राज्यस्तरीय योजना</b>  | <b>४,३२५.६५</b> | <b>२,६९१.१४</b> | <b>४,५३१.००</b> | <b>३,४९४.२२</b>     | <b>७,२४९.२२</b> | <b>४,११६.४३</b> |
| कृषि व संलग्न कार्ये         | १२८.४०          | ५५.७१           | १४८.०६          | ४०५.२२ <sup>#</sup> | १,३१३.८२        | १३८.६५          |
| ग्राम विकास                  | ६९.५६           | ७२.८७           | १३९.९२          | २६.९५               | १२०.३४          | २०७.५८          |
| ऊर्जा                        | ०               | ०               | ०               | ०                   | ०               | २००.००          |
| उद्योग व खनिजे               | ५०.०२           | ३२.७४           | ८२.११           | ५८.२०               | ६०.००           | ५०.५३           |
| सामान्य आर्थिक सेवा          | २३.३७           | ९.५४            | ६.२०            | २.६९                | ४.२०            | १.५७            |
| सामाजिक व सामूहिक सेवा       | ४,०५४.२९        | २,५२०.२८        | ४,१५४.७१        | ३,००१.१६            | ५,७५०.८६        | ३,५१८.१०        |
| सामान्य सेवा                 | ०               | ०               | ०               | ०                   | ०               | ०               |
| <b>ब) जिल्हास्तरीय योजना</b> | <b>२,४००.००</b> | <b>२,३४७.५५</b> | <b>२,७००.००</b> | <b>२,६४६.४०</b>     | <b>२,७००.००</b> | <b>२,३५२.३२</b> |
| कृषि व संलग्न कार्ये         | ३०५.१९          | २८१.६३          | २७९.१४          | २६४.१०              | ३३१.८१          | ३३९.६०          |
| ग्राम विकास                  | ०               | ०               | २६३.८२          | २४१.३२              | २४२.९४          | ४७.४८           |
| ऊर्जा                        | ९२.५६           | ९२.५६           | १२२.०६          | ११७.५१              | १३५.९३          | ११४.४८          |
| उद्योग व खनिजे               | १२.२२           | १०.३३           | १२.५१           | ६.३६                | ११.१४           | ९.५४            |
| वाहतूक व दळणवळण              | ५४.९५           | ५७.८३           | ५९.४७           | ७०.१९               | ७०.०३           | ४७.८१           |
| सामाजिक व सामूहिक सेवा       | १,९३५.०७        | १,९०५.२०        | १,८८२.००        | १,८८९.१९            | १,८२७.१५        | १,७३६.२५        |
| तीन टक्के नाविन्यपूर्ण योजना | ०               | ०               | ८१.००           | ५७.७३               | ८१.००           | ५७.१६           |
| <b>एकूण (अ + ब)</b>          | <b>६,७२५.६५</b> | <b>५,०३८.६९</b> | <b>७,२३१.००</b> | <b>६,१४०.६२</b>     | <b>९,९४९.२२</b> | <b>६,४६८.७५</b> |

टीप: आकडेवारी संक्षिप्तात दिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत. <sup>#</sup> छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान या योजनेवरील झालेल्या खर्चासह

आधार: सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन

## अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

१०.११४ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी राज्य शासनाने ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. सदर योजनेतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये १५२ लाभार्थ्यांना ₹ २६.०३ कोटी तर सन २०१८-१९ मध्ये १४४ लाभार्थ्यांना ₹ ३२ कोटी वितरित करण्यात आले आहे.

### भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना

१०.११५ इयत्ता ११ वी पासून विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या परंतु शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश न घेतलेल्या किंवा प्रवेश न मिळालेल्या अशा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. वार्षिक खर्चाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते. या योजनेची प्रगती, तक्ता १०.७८ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.७८ भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या प्रगती

| (₹ लाख)                   |         |           |           |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| बाब                       | २०१६-१७ | २०१७-१८   | २०१८-१९   |
| लक्ष्य (संख्या)           | १५,०००  | २५,०००    | २५,०००    |
| पात्र विद्यार्थी (संख्या) | २,७६७   | ७,९२८     | २१,६५१    |
| आर्थिक तरतूद              | ०       | १६,७९७.०० | १४,८५०.०० |
| खर्च                      | ०       | २८.६३     | ८,३९८.२८  |

आधार : समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे

### विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण

१०.११६ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाजातील लोकांच्या कल्याणासाठी शासनाने स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. या समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी विविध विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ २,४७२.५१ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यापैकी ₹ २,४४३ कोटी खर्च झाला आहे. सन २०१८-१९ करिता ₹ ३,२८१ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करून दिला व त्यापैकी ₹ २,९५३.१३ कोटी खर्च झाला.

### विकास महामंडळे

१०.११७ अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांच्या आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध विकास महामंडळे स्थापन केली असून त्याद्वारे विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या महामंडळाद्वारे वीस टक्के अनुदान, बीज भांडवल, पन्नास टक्के अनुदान, मुदत कर्ज, सूक्ष्म वित्तपुरवठा, महिला समृद्धी, शैक्षणिक कर्ज, इत्यादी विविध योजना राबविल्या जातात. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, इत्यादी महामंडळांच्या विविध योजना राबविण्यासाठी त्या त्या महामंडळांना राज्याची अधिकृत यंत्रणा म्हणून प्राधिकृत केले आहे. विकास महामंडळांमार्फत वितरित केलेली रक्कम तक्ता १०.७९ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता १०.७९ विकास महामंडळांमार्फत वितरित रक्कम व लाभार्थी

| (₹ लाख)                                                       |                 |              |                 |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| विकास महामंडळ                                                 | २०१६-१७         |              | २०१७-१८         |              | २०१८-१९         |              |
|                                                               | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम |
| संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.         | १,८५४           | २३१.०३       | ४३३             | ४०.५०        | ३१७             | ३५.३०        |
| साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या.       | २,१०७           | १,३१२.६५     | २,११८           | ६१४.७८       | २,०६६           | ४६०.४६       |
| महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्या.                 | ४,३३७           | १,४२४.९२     | ३,९५०           | १,४१३.७८     | २,७६९           | ९९२.४६       |
| वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या. | ३३२             | ४०७.७२       | ४१              | १३७.८४       | -               | -            |
| महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ मर्या. | १,५३८           | ४८७.१५       | ८६३             | २६९.४८       | १५९             | ५६.०९        |

आधार : संबंधित महामंडळे

## अनुसूचित जाती आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी वस्ती / क्षेत्र विकास योजना

१०.११८ राज्यात वस्ती/ क्षेत्र विकासाच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. वस्ती/ क्षेत्र विकासाच्या प्रमुख योजनांचा नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.८० मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.८० वस्ती/ क्षेत्र विकासाच्या प्रमुख योजनांचा नियतव्यय व खर्च

| योजना                                                | २०१६-१७  |        | २०१७-१८  |        | २०१८-१९  |        |
|------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                                                      | नियतव्यय | खर्च   | नियतव्यय | खर्च   | नियतव्यय | खर्च   |
| अनुसूचित जाती व नव बौद्धांच्या वस्तीचा विकास करणे ** | ७५६.४५   | ७५६.४५ | ७६४.४१   | ७८०.३७ | ६९६.५३   | ७५४.३९ |
| तांडा/वस्ती सुधार #                                  | २५.००    | १९.९८  | ४७.००    | ३०.८०  | ११०.००   | ४७.९९  |
| नागरी दलित वस्ती सुधार @                             | ४७२.६६   | ३४१.४१ | ५९०.४०   | ६४६.६८ | ६३२.१५   | ६७७.०८ |
| नागरी आदिवासी वस्ती सुधार @                          | ७.००     | ५.६०   | ६.००     | ६.००   | ६.००     | ४.२०   |

आधार: \*\* समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे # विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विभाग, महाराष्ट्र शासन @ नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

### आदिवासी घटक कार्यक्रम

१०.११९ सन २०१८-१९ करिता ₹ ८,९६९.०५ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी अनुसूचित क्षेत्रांवरील जिल्हास्तरीय योजनांकरिता ₹ ३,२०८.२० कोटी तर राज्यस्तरीय योजनांकरिता ₹ ५,७६०.८५ कोटी (यापैकी पेसा ग्रामपंचायतींसाठी ₹ २६७.८८ कोटी) आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत एकूण ३६० योजना (११६ राज्यस्तरीय, १९२ जिल्हास्तरीय व ५२ केंद्र पुरस्कृत योजना) राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेतर्गत क्षेत्रनिहाय नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.८१ मध्ये व आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत विभागनिहाय नियतव्यय व खर्च तक्ता १०.८२ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.८१ आदिवासी उपयोजनेतर्गत क्षेत्रनिहाय नियतव्यय व खर्च

| क्षेत्र                  | २०१७-१८         |                 | २०१८-१९         |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | नियतव्यय        | खर्च            | नियतव्यय        | खर्च            |
| कृषी व संलग्न कार्ये     | ७८७.२३          | ४१९.७२          | ९०२.३१          | ३५०.६४          |
| ग्राम विकास              | ५७७.१३          | ४८७.४३          | ८०४.१५          | ७१८.५९          |
| पाटबंधारे व पूर नियंत्रण | १४४.०७          | ८१.९७           | १३४.०१          | १०३.०६          |
| ऊर्जा                    | १२८.३६          | १४३.७३          | ५६०.६१          | ३७३.८९          |
| उद्योग व खनिजे           | ११.६२           | ९.२४            | ९.५८            | ८.४४            |
| वाहतूक                   | ४५६.४४          | ५६१.२७          | ३०३.२०          | ३४१.८४          |
| सामान्य आर्थिक सेवा      | ५.००            | १०.९०           | ०               | ०               |
| सामाजिक व सामूहिक सेवा   | ५,२०८.२४        | ४,४७६.४७        | ५,५६८.२४        | ५,३९५.४६        |
| इतर कार्यक्रम            | ७५.७०           | ७४.०७           | ०               | ०               |
| <b>एकूण</b>              | <b>७,३९३.७९</b> | <b>६,२६४.८०</b> | <b>८,२८२.१०</b> | <b>७,२९१.९२</b> |

आधार : आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

**तक्ता १०.८२ आदिवासी घटक कार्याक्रमांतर्गत विभागनिहाय नियतव्यय व खर्च**

(₹ कोटी)

| विभाग                                         | २०१७-१८         |                 | २०१८-१९         |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                               | नियतव्यय        | खर्च            | नियतव्यय        | खर्च            |
| महसूल व वन                                    | ७३.०१           | ९१.५०           | ८७.२०           | १०९.६४          |
| कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय | २०९.२१          | १७३.८०          | २११.२८          | २२०.२४          |
| शालेय शिक्षण                                  | १५८.८४          | १४०.९१          | १७१.१८          | १४५.१२          |
| नगर विकास                                     | २१.२५           | ४०.७३           | २४.३४           | १९.४६           |
| सार्वजनिक बांधकाम                             | ४५५.४४          | ५६०.४७          | ०               | ०               |
| जलसंपदा                                       | ५०.४०           | ३८.५८           | ५०.०९           | ५०.००           |
| उद्योग, ऊर्जा व कामगार                        | १३९.९७          | १५२.९६          | ५७०.१९          | ३८२.३४          |
| ग्रामविकास व जलसंधारण                         | ६७५.८०          | ५४१.७३          | ८०७.२९          | ७०४.८१          |
| सार्वजनिक आरोग्य                              | २७०.९३          | २३२.२६          | २७४.७२          | ४२१.२८          |
| वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये                | ०.८०            | ०.७०            | १.१०            | १.००            |
| आदिवासी विकास                                 | ४,४२५.१७        | ३,८३८.९२        | ५,०२२.१२        | ४,८६५.८६        |
| सहकार व वस्त्रोद्योग                          | ५०५.०१          | १५४.४२          | ६०३.८३          | २०.७६           |
| उच्च व तंत्र शिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार     | ५९.७९           | ४१.२७           | ८.००            | ५.६९            |
| महिला व बालविकास                              | २६९.६४          | १८१.१०          | १५७.२२          | १७९.६४          |
| पाणी पुरवठा व स्वच्छता                        | ७५.७०           | ७४.०८           | ८०.७९           | ६६.८६           |
| गृह व वाहतुक                                  | १.००            | ०.८०            | ३.२०            | ३.२०            |
| कौशल्य व उद्योजकता विकास                      | १.८३            | ०.५७            | ६३.७३           | ३६.७७           |
| सामाजिक न्याय                                 | ०               | ०               | १४५.८१          | ५९.२४           |
| <b>एकूण</b>                                   | <b>७,३९३.७९</b> | <b>६,२६४.८०</b> | <b>८,२८२.०९</b> | <b>७,२९१.९२</b> |

आधार: आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

**शासकीय आश्रमशाळा**

१०.१२० राज्यातील डोंगरी आणि दुर्गम भागात आदिवासी मुलांसाठी ५०० शासकीय निवासी आश्रमशाळा आहेत. सन २०१७-१८ पासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य व साधनसामग्री खरेदीकरिता आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जात आहे. सन २०१७-१८ करिता ₹ ८५९.७९ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ५८२.१७ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ १०२२.३२ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ७०९ कोटी खर्च झाला.

**अनुदानित आश्रमशाळा**

१०.१२१ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतात. राज्यात ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सन २०१७-१८ करिता ₹ ८०५.१३ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ६६७.७६ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ १,००८.०८ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ९६७.३८ कोटी खर्च झाला.

**आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह**

१०.१२२ आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय वसतिगृहांची सुविधा पुरविण्यात येते. या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत पुरविण्यात येतात. राज्यात ४९१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यांमध्ये एकूण ५१,८६० विद्यार्थी (३१,९०७ मुले व १९९५३ मुली) आहे. सन २०१७-१८ पासून अंथरूण/पांघरूण, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, इत्यादी विकत घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर निधी थेट जमा करण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ करिता ₹ ३६४.८७ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात होती व त्यापैकी ₹ १७५.१४ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ ४०८.४१ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली व त्यापैकी ₹ ३३८.१७ कोटी खर्च झाला.

## इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण

१०.१२३ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व निवासी सुविधा पुरविण्यात येतात. सन २०१८-१९ मध्ये सुमारे २,६८६ विद्यार्थ्यांना अश्या शाळेत प्रवेश देण्यात आला असून, आजतागायत सुमारे ५३,३५३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सन २०१७-१८ करिता ₹ ३१० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली व त्यापैकी ₹ २४४.५४ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ ३७८ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली व त्यापैकी ₹ २९७.३४ कोटी खर्च झाला.

## पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना

१०.१२४ या योजनेतर्गत आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता बारावी नंतरच्या उच्च शिक्षणादरम्यान शैक्षणिक तसेच भोजन व निवासाच्या सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. सन २०१७-१८ करिता ₹ ८० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली व त्यापैकी ₹ ६४ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ ४५ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ३३ कोटी खर्च झाला आहे.

## पेसा ग्रामपंचायतींना थेट निधी

१०.१२५ पेसा कायदा अंमलबजावणी अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना विकासाची कामे करण्यासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण नियतव्ययाच्या पाच टक्के नियतव्यय वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या निधीतून मुलभूत पायाभूत सुविधा, वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, वन्य जीव संवर्धन, जलसंधारण, वनीकरण, वन्य जीव पर्यटन व वन उत्पादने या प्रकारची कामे ग्रामसभांना घेता येतात. सन २०१७-१८ करिता ₹ २६७.८८ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ २१४.३० कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ २६७.८८ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ २६७.८८ कोटी खर्च झाला.

## डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

१०.१२६ अनुसूचित क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना 'एक वेळचा चौरस आहार' पुरविण्याकरिता राज्याने डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू केली आहे. सदर योजनेतर्गत सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून चार वेळा अंडी किंवा केळी देण्यात येतात. सन २०१७-१८ करिता ₹ १८४.१० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ ९८.८७ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ १२८.९३ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ १४४.१८ कोटी खर्च झाला.

## ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम

१०.१२७ या योजनेतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामध्ये लहान व कायमस्वरूपी सामूहिक विकास सुविधा निर्माण करण्यात येतात. सन २०१७-१८ करिता ₹ १७४.३८ कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ १७४.३८ कोटी खर्च झाला. तर सन २०१८-१९ करिता ₹ १८९.५० कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती व त्यापैकी ₹ २१६.१७ कोटी खर्च झाला.

## दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण

१०.१२८ दिव्यांग व्यक्तींच्या क्षमता ओळखणे, कौशल्य विकास करणे, समान संधी देणे, अधिकारांचे रक्षण करून सक्षमीकरण करणे, तसेच समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे यासाठी राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ५५९.३३ कोटी नियतव्ययाच्या तुलनेत ₹ ४५२.४५ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ करिता ₹ ६२३.६३ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला होता व त्यापैकी ₹ ५३२.१६ कोटी खर्च झाला.

## महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

१०.१२९ दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर महामंडळ राष्ट्रीय अपंग वित्त व विकास महामंडळाची राज्यासाठी अधिकृत यंत्रणा म्हणून कार्य करते. या महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल ₹ ५० कोटी असून, भरणा केलेले भाग भांडवल ₹ ४७.५१ कोटी आहे (राज्य शासनाचा सहभाग १०० टक्के). या महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख योजनांची प्रगती तक्ता १०.८३ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.८३ महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजना     | २०१६-१७         |              | २०१७-१८         |              | २०१८-१९         |              |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|           | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थी संख्या | वितरित रक्कम |
| थेट कर्ज  | २२              | ४.४०         | ६               | १.२०         | ०               | ०            |
| मुदत कर्ज | ८९४             | १,८०५.२२     | १९१             | ३१२.४३       | २३४             | ३३४.९७       |

आधार : महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित

**अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित**

१०.१३० राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची प्रगती तक्ता १०.८४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.८४ अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजना                            | २०१८-१९                   |              |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                  | लाभार्थी संख्या/गट संख्या | वितरित रक्कम |
| वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना | १,३२५                     | २६०.८२       |
| गट कर्ज व्याज परतावा योजना       | -                         | -            |
| गट प्रकल्प कर्ज योजना            | ५                         | ५०.००        |

आधार : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित

**अल्पसंख्यांक विकास**

१०.१३१ अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी विविध योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ₹ ४०७ कोटी नियतव्ययाच्या तुलनेत ₹ २८६.९१ कोटी खर्च झाला. सन २०१८-१९ मध्ये ₹ ४२५ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला असून त्यापैकी ₹ १५८.४७ कोटी खर्च झाला आहे.

**मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित**

१०.१३२ अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाची राज्यात स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल ₹ ५०० कोटी असून भरणा केलेले भाग भांडवल ₹ ४२५.६९ कोटी आहे (केद्र शासनाचा सहभाग १०० टक्के). हे महामंडळ राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाची राज्यासाठी अधिकृत यंत्रणा म्हणून कार्य करते. या महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख योजनांची प्रगती तक्ता १०.८५ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता १०.८५ मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख योजनांची प्रगती**

(₹ लाख)

| योजना                        | २०१६-१७              |              | २०१७-१८              |              | २०१८-१९              |              |
|------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                              | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम | लाभार्थ्यांची संख्या | वितरित रक्कम |
| थेट कर्ज                     | ४२                   | १८.९७        | ०                    | ०            | ०                    | ०            |
| शैक्षणिक कर्ज                | ३,०३८                | २,३७२.०९     | २,४६६                | १,८४२.५४     | २,७३५                | २,१४१.३१     |
| इतर कर्ज (स्वयं सहाय्यता गट) | ०                    | ०            | ०                    | ०            | ०                    | ०            |
| मुदत कर्ज                    | ३७                   | ३५.१५        | १                    | ०.९५         | ०                    | ०            |

आधार : मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ

## अल्पसंख्याकांसाठी वस्ती / क्षेत्र विकास योजना

१०.१३३ राज्यात अल्पसंख्याकांसाठी वस्ती / क्षेत्र विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी वस्ती/ क्षेत्र विकासाच्या प्रमुख योजनांचा नियतव्यय व झालेला खर्च तक्ता १०.८६ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.८६ अल्पसंख्याकांसाठी वस्ती/ क्षेत्र विकासाच्या प्रमुख योजनांचा नियतव्यय व झालेला खर्च

(₹ कोटी)

| योजना                                            | २०१६-१७  |       | २०१७-१८  |       | २०१८-१९  |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                                                  | नियतव्यय | खर्च  | नियतव्यय | खर्च  | नियतव्यय | खर्च  |
| अल्पसंख्यांक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम   | २५.००    | १९.९९ | २५.००    | १८.७१ | २६.४०    | १७.१८ |
| अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम | ३५.५५    | ३४.६९ | ३५.५०    | २७.५२ | ३८.००    | २२.४९ |

आधार: अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

## सामाजिक सुरक्षेच्या महत्त्वपूर्ण योजना

१०.१३४ राज्य सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजना राबविते. महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी व झालेला खर्च तक्ता १०.८७ मध्ये दिला आहे.

### तक्ता १०.८७ महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी व झालेला खर्च

| योजना                                          | २०१६-१७                    |               | २०१७-१८                    |               | २०१८-१९                    |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|                                                | लाभार्थ्यांची संख्या (लाख) | खर्च (₹ कोटी) | लाभार्थ्यांची संख्या (लाख) | खर्च (₹ कोटी) | लाभार्थ्यांची संख्या (लाख) | खर्च (₹ कोटी) |
| संजय गांधी निराधार अनुदान                      | ९.०५                       | ७०५.८७        | ८.९७                       | ७१६.१०        | १०.११                      | ८६५.६५        |
| श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन              | १९.८२                      | १,१७०.०८      | १९.६२                      | १,२११.८३      | २१.४७                      | १,३९६.४६      |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन | ११.७०                      | २८५.०२        | १०.८४                      | २८१.९५        | ११.६९                      | ३०२.२८        |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन      | ०.५१                       | १३.०७         | ०.५७                       | १४.६९         | ०.६८                       | १६.७१         |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन       | ०.०७                       | १.६८          | ०.०७                       | १.७९          | ०.०८                       | २.०२          |
| राष्ट्रीय कुटुंब लाभ                           | ०.०९                       | ३०.५६         | ०.०८                       | ३०.७०         | ०.०८                       | २८.३६         |

आधार : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन



## मानव विकास आणि शाश्वत विकास ध्येये

१०.१३५ मानव विकासाचा उद्देश अर्थव्यवस्था समृद्ध करणे नसून मानवी जीवन समृद्धी करणे आहे. मानव विकासाचा दृष्टीकोन लोकांना मिळणा-या संधी आणि निवडीवर केंद्रित आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानी प्रकाशित केलेल्या 'मानव विकास अहवाल अद्ययावत सांख्यिकी-२०१८ नुसार नॉर्वे (मानव विकास निर्देशांक (माविनि) ०.९५३) यादीत प्रथम स्थानावर, तर भारत (माविनि ०.६४०) १३० व्या स्थानावर आहे.

१०.१३६ भारत मानव विकास अहवाल-२०११ नुसार केरळ (माविनि ०.७९०) प्रथम स्थानावर असून महाराष्ट्र (माविनि ०.५७२) सहाव्या स्थानावर आहे.

१०.१३७ राज्याने प्रकाशित केलेल्या महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल-२०१२ नुसार राज्याचा माविनि ०.७५२ आहे. मुंबई (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे एकत्रित) (माविनि ०.८४१) पहिल्या क्रमांकावर, त्यापाठोपाठ पुणे (माविनि ०.८१४) तर, नंदुरबार (माविनि ०.६०४) शेवटच्या क्रमांकावर आहे. जिल्हानिहाय माविनि - २०११ परिशिष्ट १०.१५ मध्ये दिले आहे.

## महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम

१०.१३८ महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील अतिमागास १२५ तालुक्यांमधील ग्रामीण भाग व त्या तालुक्यातील 'क' वर्ग नगरपालिकांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्न यांचा स्तर उंचविणाऱ्या योजना राबविण्यात येतात. तालुक्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजांनुसार जिल्हा/तालुका विवक्षित योजना तयार करण्यात येतात. तालुक्यासाठी मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या २० टक्के निधी याकरिता राखून ठेवण्यात येतो. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ साठी ₹ ३०४ कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली असून ₹ २७९.९६ कोटी खर्च झाला. महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची भौतिक प्रगती तक्ता १०.८८ मध्ये दिली आहे.

### तक्ता १०.८८ महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची भौतिक व आर्थिक प्रगती

(संख्या)

| योजना                                                                                                                    | लाभार्थ्यांचा प्रकार               | भौतिक प्रगती      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                          |                                    | २०१६-१७           | २०१७-१८           | २०१८-१९           |
| <b>शिक्षण</b>                                                                                                            |                                    |                   |                   |                   |
| अ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील अभ्यासिका (२,८८९ अभ्यासिका )                                                        | विद्यार्थी                         | १,१६,४१८          | ९७,२५९            | ९२,१८६            |
| ब) ग्रामीण भागातील विद्यार्थीनींना मोफत बस सेवा (८६९ बस)                                                                 | विद्यार्थीनी                       | ९३,९८९            | ९७,७७४            | १,००,५९५          |
| क) बालभवन विज्ञान केंद्र (१२४ केंद्रे)                                                                                   | भेट दिलेले विद्यार्थी              | २,००,०६१          | १,९१,९५०          | २,३५,७९६          |
| ड) कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेची व्याप्ती इयत्ता १० वी पर्यंत वाढविणे (३९ शाळा)                                 | विद्यार्थीनी                       | १,९३४             | १,९३७             | २,०२९             |
| ई) इयत्ता आठवी ते बारावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या व शाळेपासून पाच किमी अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलीचे वाटप | विद्यार्थीनी                       | ३५,२८९            | २९,०४४            | ३१,२५२            |
| फ) अंगणवाड्यांचे बांधकाम                                                                                                 |                                    | ५२१ <sup>\$</sup> | ६३० <sup>\$</sup> | ६३० <sup>\$</sup> |
| <b>आरोग्य</b>                                                                                                            |                                    |                   |                   |                   |
| अ) गर्भवती महिला, स्तनदा माता व ० ते ६ महिने वयोगटातील बालकांकरिता आरोग्य शिबिरे                                         | गर्भवती महिला, स्तनदा माता व बालके | ७,१५,२५२          | ९,१४,६०६          | ९,७४,८९९          |
| ब) किशोरवयीन मुलींना आरोग्यविषयक प्रशिक्षण                                                                               | किशोरवयीन मुली                     | १,२६,६३८          | #                 | #                 |
| क) अजा, अज, दारिद्रय रेषेखालील गर्भवती महिलांना बुडीत मजूरी देणे                                                         | गर्भवती महिला                      | १,३९,६९९          | १,४६,६६६          | १,२५,८८५          |
| ड) आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम                                                                                           |                                    | १ <sup>\$</sup>   | २५ <sup>\$</sup>  | २७ <sup>\$</sup>  |
| <b>उत्पन्न निर्मिती</b>                                                                                                  |                                    |                   |                   |                   |
| अ) माती परिक्षण फिरती प्रयोगशाळा                                                                                         | मातीचे तपासलेले नमुने              | ४१,१३१            | ४७,७०४            | ४९,५००            |
| ब) गौण वनोपजे गोळा करणे/मत्स्य व्यवसायासाठी ग्रामसभेला बीज भांडवल देणे                                                   | ग्रामसभेचे प्रस्ताव                | ४५६               | १२५               | ३                 |

\$ योजनेच्या अंमलबजावणी पासून बांधकाम पूर्ण

# सन २०१६-१७ पासून योजना अंमलबजावणी बंद

आधार: आयुक्तालय, महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम

## शाश्वत विकास ध्येय

१०.१३९ सप्टेंबर, २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघानी 'आपल्या जगाचे परिवर्तन' (ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड) विकासाचा अजेंडा स्वीकारला आहे. या अजेंडानुसार सन २०३० पर्यंत १७ शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत १६९ उद्दिष्टे साध्य करावयाची आहेत व १९३ देशांनी शाश्वत विकास ध्येयाचा स्वीकार केला आहे. शाश्वत विकास ध्येय सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण आणि शांतता या चार आयामांमध्ये विभागण्यात आलेली आहेत. भारताने सन-२०३० च्या अजेंडाचा स्वीकार केला आहे. सदर बाब साध्य करण्यासाठी भारत कटीबद्ध आहे. सदर १७ ध्येयांतर्गत लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य यांची धोरणात्मक (दीर्घ-मॅक्रो), संस्थात्मक (मेसो) आणि स्थानिक (सूक्ष्म) स्तरावर सहयोग आणि ठोस कृती आवश्यक आहे.

## आराखडा

१०.१४० महाराष्ट्र शासनाने शाश्वत विकास ध्येयांच्या पूर्तीसाठी ठोस संस्थात्मक आराखड्यांतर्गत तळागाळातील शेवटच्या घटकापासून वरपर्यंत अशा दृष्टीकोनातून योजनेची संबंधित शाश्वत विकास ध्येयांशी जुळवणूक करणे, जिल्हा नियोजन समितीकडून कार्यरत असलेल्या संविधानिक नियमांमध्ये सुधारणा करणे, सर्व संबंधितांना प्रशिक्षण देणे, इ.अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. अतिमागास १२५ तालुक्यातील २७ निवडक तालुक्यांमध्ये आजीविका, गुणवत्ता शिक्षण आणि आरोग्य विषयक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी व प्रभावी आणि कार्यक्षम कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहकार्याने "अॅक्शन रूम टू रेडयूस पॉव्हर्टी" स्थापन केला आहे.

## सनियंत्रण प्रणाली

१०.१४१ ठोस सनियंत्रण प्रणाली शाश्वत विकास ध्येयांच्या संरचनेचे अभिन्न अंग आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळात विविध मंत्रालयांशी व राज्य शासनांशी सल्लामसलत करून ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये एक राष्ट्रीय निर्देशांक आराखडा (NIF) तयार केला आहे, ज्यामध्ये ३०६ निर्देशांकांचा समावेश आहे. तद्नंतर, नीतियोगाने १३ ध्येयांचा (ध्येय १२, १३, १४ आणि १७ वगळता) ६२ निर्देशांकांचा वापर करून, सर्व राज्यांसाठी एक मोजमाप निकष म्हणून शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांक तयार केला आहे. राज्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार चार श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले गेले असून 'साध्य करणारा' (१००), 'साध्यतेत आघाडीवर असणारा' (६५-९९), 'प्रगती करणारा' (५०-६४) आणि 'इच्छुक' (०-४९) असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

१०.१४२ शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांक पायाभूत अहवाल २०१८ नुसार भारताच्या ५७ गुणांच्या तुलेनेत महाराष्ट्र हा आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात आणि कर्नाटकासोबत ६४ गुणांसह (प्रगती करणारा) ४ व्या क्रमांकावर आहे. हिमाचलप्रदेश (६९ गुण) आणि केरळ (६९ गुण) प्रथम क्रमांकावर आहेत. राज्याची सर्वोत्तम कामगिरी ध्येय १५- म्हणजे जमिनीवरचे जीवन (८६ गुण) आणि किमान कामगिरी ध्येय ११- शाश्वत शहरे आणि समुदाय (३४ गुण) मध्ये आहे. तक्ता १०.८९ राज्याची चार श्रेणींमध्ये १३ ध्येयांमध्ये कामगिरी दर्शवितो.

### तक्ता १०.८९ राज्याचे १३ ध्येयांमधील कामगिरीनुसार वर्गिकरण

| कामगिरी            | कामगिरी            |                                                      |                                                |                                 |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    | साध्य करणारा (१००) | साध्यतेत आघाडीवर असणारा (६५-९९)                      | प्रगती करणारा (५०-६४)                          | इच्छुक (०-४९)                   |
| शाश्वत विकास ध्येय | निरंक              | ध्येय ४ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण                         | ध्येय ३ निरोगीपणा आणि क्षेमकुशल                | ध्येय १ गरिबी निर्मूलन          |
|                    |                    | ध्येय ६ स्वच्छ पाणी व स्वच्छता                       | ध्येय ९ उद्योग नाविण्यपूर्ण आणि पायाभूत सुविधा | ध्येय २ उपासमारीचे समूळ उच्चाटण |
|                    |                    | ध्येय ७ परवडण्यायोग्य आणि स्वच्छ उर्जा               |                                                | ध्येय ५ लिंग समभाव              |
|                    |                    | ध्येय ८ चांगल्या दर्जाचे (डिसेंट) काम आणि आर्थिक वाढ |                                                | ध्येय ११ शाश्वत शहरे आणि समुदाय |
|                    |                    | ध्येय १० विषमता कमी करणे                             |                                                |                                 |
|                    |                    | ध्येय १५ जमिनीवरचे जीवन                              |                                                |                                 |
|                    |                    | ध्येय १६ शांती, न्याय आणि सशक्त संस्था               |                                                |                                 |
|                    |                    |                                                      |                                                |                                 |

आधार: शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांक पायाभूत अहवाल २०१८

\* \* \* \* \*

## परिशिष्ट १०.१

## विभागनिहाय व शैक्षणिक स्तरनिहाय संस्था, पटसंख्या व शिक्षकांची संख्या

| बाब                                      | वर्ष    | विभाग   |         |         |          |         |         | एकूण     |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
|                                          |         | कोकण    | पुणे    | नाशिक   | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर  |          |
| (१)                                      | (२)     | (३)     | (४)     | (५)     | (६)      | (७)     | (८)     | (९)      |
| प्राथमिक (१ ली ते ८ वी)                  |         |         |         |         |          |         |         |          |
| शाळांची संख्या                           | २०१५-१६ | १८,८१५  | २०,२९५  | १६,९१९  | १९,५२७   | १०,६७४  | ११,९८९  | ९८,२१९   |
|                                          | २०१६-१७ | २०,४५९  | २१,९६८  | १७,७७५  | २०,८१०   | ११,३१३  | १२,६४५  | १,०४,९७० |
|                                          | २०१७-१८ | २०,७२१  | २२,१६३  | १७,९९८  | २१,२६७   | ११,५९२  | १२,८०५  | १,०६,५४६ |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| एकूण पटसंख्या<br>(हजारात)                | २०१५-१६ | ३,८६९.६ | ३,८८१.२ | २,८४२.० | ३,०७८.६  | १,५६४.३ | १,५०८.४ | १६,०४४.० |
|                                          | २०१६-१७ | ३,८४०.८ | ३,९९७.४ | २,८४८.१ | ३,०५७.०  | १,५४८.१ | १,४९४.४ | १५,९८५.७ |
|                                          | २०१७-१८ | ३,८६३.६ | ३,२११.५ | २,८२१.१ | ३,०१६.७  | १,५२४.३ | १,४७४.९ | १५,९१२.१ |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| मुलींची पटसंख्या<br>(हजारात)             | २०१५-१६ | १,८३२.१ | १,४७१.९ | १,३११.९ | १,४३८.६  | ७४०.२   | ७२४.७   | ७,५१९.३  |
|                                          | २०१६-१७ | १,८१७.१ | १,४८१.० | १,३१६.५ | १,४२४.२  | ७३२.२   | ७१९.०   | ७,४९०.०  |
|                                          | २०१७-१८ | १,८२९.४ | १,४८६.९ | १,३०४.१ | १,४०१.४  | ७२०.४   | ७०९.२   | ७,४५१.४  |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| शिक्षकांची संख्या<br>(हजारात)            | २०१५-१६ | १६१.८   | १५४.४   | ११५.८   | १४०.२    | ७६.२    | ८७.०    | ७३५.४    |
|                                          | २०१६-१७ | ११६.०   | १०९.७   | ८४.४    | १०४.८    | ५५.६    | ६०.०    | ५३०.५    |
|                                          | २०१७-१८ | ११९.२   | ११२.२   | ८६.५    | १०७.३    | ५६.३    | ६०.६    | ५४२.०    |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| विद्यार्थी शिक्षक<br>प्रमाण              | २०१५-१६ | ३४.८    | २९.९    | ३४.६    | ३०.३     | २८.८    | २५.३    | ३०.३     |
|                                          | २०१६-१७ | ३३.०    | २९.०    | ३३.६    | २९.०     | २७.७    | २४.८    | ३०.४     |
|                                          | २०१७-१८ | ३२.४    | २८.६    | ३२.६    | २८.१     | २७.१    | २४.३    | २९.४     |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (९ वी ते १२ वी) |         |         |         |         |          |         |         |          |
| शाळांची संख्या                           | २०१५-१६ | ५,०५२   | ५,१५९   | ३,९८०   | ४,८६८    | २,८६९   | ३,१०१   | २५,०२९   |
|                                          | २०१६-१७ | ५,१८८   | ५,३३६   | ४,०७०   | ५,०४४    | २,९४१   | ३,१५८   | २५,७३७   |
|                                          | २०१७-१८ | ५,५२१   | ५,५७२   | ४,२२९   | ५,२६३    | ३,०४१   | ३,२३१   | २६,८५७   |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| एकूण पटसंख्या<br>(हजारात)                | २०१५-१६ | १,५३१.८ | १,३२७.३ | १,०४१.७ | १,१२०.७  | ६७०.१   | ७३२.२   | ६,४२३.७  |
|                                          | २०१६-१७ | १,५६६.९ | १,३५८.४ | १,०६९.१ | १,१९२.४  | ६८८.०   | ७३९.८   | ६,६१४.७  |
|                                          | २०१७-१८ | १,५७०.८ | १,३७५.१ | १,०९१.५ | १,२१४.७  | ६७६.४   | ७१९.७   | ६,६४८.३  |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| मुलींची पटसंख्या<br>(हजारात)             | २०१५-१६ | ७२२.६   | ५९३.१   | ४५८.२   | ४८०.९    | ३११.९   | ३५७.४   | २,९२४.०  |
|                                          | २०१६-१७ | ७३६.८   | ६०८.६   | ४७१.७   | ५१८.३    | ३१८.९   | ३५८.६   | ३,०१३.०  |
|                                          | २०१७-१८ | ७४१.०   | ६१९.३   | ४८४.०   | ५३५.२    | ३१४.९   | ३४८.१   | ३,०४२.६  |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| शिक्षकांची संख्या<br>(हजारात)            | २०१५-१६ | ५०.५    | ४८.१    | ३३.६    | ३८.७     | २१.८    | २७.३    | २२०.०    |
|                                          | २०१६-१७ | ४७.४    | ४६.६    | ३३.१    | ३८.१     | २१.२    | २६.३    | २१२.७    |
|                                          | २०१७-१८ | ४८.७    | ४७.६    | ३४.०    | ३८.७     | २०.८    | २६.२    | २१५.८    |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |
| विद्यार्थी शिक्षक<br>प्रमाण              | २०१५-१६ | ३०.३    | २७.६    | ३१.०    | २९.०     | ३०.८    | २६.८    | २९.२     |
|                                          | २०१६-१७ | ३३.०    | २९.१    | ३२.२    | ३१.३     | ३२.५    | २८.१    | २८.१     |
|                                          | २०१७-१८ | ३२.३    | २८.९    | ३२.१    | ३१.४     | ३२.५    | २७.५    | ३०.८     |
|                                          | २०१८-१९ | उ ना    | उ ना    | उ ना    | उ ना     | उ ना    | उ ना    | उ ना     |

आधार : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई

उ.ना. — उपलब्ध नाही

## परिशिष्ट १०.२

सन २०१८-१९ मधील आरोग्य विज्ञान संस्थांची संख्या, प्रवेश क्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या

| विद्याशाखा                                | शासकीय |               |                     | शासन अनुदानित |               |                     | विना अनुदानित |               |                     | एकूण   |               |                     |
|-------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
|                                           | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
| (१)                                       | (२)    | (३)           | (४)                 | (५)           | (६)           | (७)                 | (८)           | (९)           | (१०)                | (११)   | (१२)          | (१३)                |
| <b>ऑलोपॅथी</b>                            |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | २२     | ३,१००         | ३,०८०               | १             | १००           | १००                 | १६            | १,९०८         | १,९०२               | ३९     | ५,१०८         | ५,०८२               |
| पदव्युत्तर                                | २०     | १,८६८         | १,७२५               | १             | ७२            | ५०                  | १५            | ४३५           | ३२१                 | ३६     | २,३७५         | २,०९६               |
| <b>आयुर्वेदीक</b>                         |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | ४      | ३५०           | ३५०                 | १६            | ८८०           | ८७९                 | ४९            | ३,११०         | ३,१०८               | ६९     | ४,३४०         | ४,३३७               |
| पदव्युत्तर                                | ४      | १९८           | १९०                 | ९             | १५७           | १५४                 | २५            | ९५६           | ८९२                 | ३८     | १,३११         | १,२३६               |
| <b>होमिओपॅथी</b>                          |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४८            | ३,७९५         | ३,३५८               | ४८     | ३,७९५         | ३,३५८               |
| पदव्युत्तर                                | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | १६            | ३४७           | २९५                 | १६     | ३४७           | २९५                 |
| <b>युनानी</b>                             |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | --     | --            | --                  | ३             | १८०           | १८०                 | ३             | १६०           | १६०                 | ६      | ३४०           | ३४०                 |
| पदव्युत्तर                                | --     | --            | --                  | १             | १७            | १६                  | ०             | ०             | ०                   | १      | १७            | १६                  |
| <b>दंतचिकित्सा</b>                        |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | ४      | २६०           | २४२                 | --            | --            | --                  | २५            | २,३५०         | २,२४६               | २९     | २,६१०         | २,४८८               |
| पदव्युत्तर                                | ५      | ७६            | ६९                  | --            | --            | --                  | २१            | ४३७           | ३७७                 | २६     | ५१३           | ४४६                 |
| <b>फिजीओथेरपी</b>                         |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | ४      | ९०            | ९०                  | --            | --            | --                  | ३३            | १,४९०         | १,४४७               | ३७     | १,५८०         | १,५३७               |
| पदव्युत्तर                                | ५      | ५०            | ५०                  | --            | --            | --                  | १७            | १९४           | १८०                 | २२     | २४४           | २३०                 |
| <b>ऑक्युपेशनल थेरपी</b>                   |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | ४      | ९०            | ९०                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४      | ९०            | ९०                  |
| पदव्युत्तर                                | ५      | ३२            | ३०                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ५      | ३२            | ३०                  |
| <b>ऑडीओलॉजी व स्पीच लॅंग्वेज पॅथोलॉजी</b> |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | १      | ४३            | ३८                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ४३            | ३८                  |
| पदव्युत्तर                                | २      | ३०            | २५                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | २      | ३०            | २५                  |
| <b>प्रोस्थेटीक्स व ऑर्थोटीक्स</b>         |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | १      | ३०            | २८                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ३०            | २८                  |
| पदव्युत्तर                                | १      | ४             | ४                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ४             | ४                   |
| <b>नर्सिंग</b>                            |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | ६      | २९०           | २६०                 | --            | --            | --                  | ८७            | ३,७२०         | ३,२८१               | ९३     | ४,०१०         | ३,५४१               |
| पदव्युत्तर                                | ३      | ४७            | ३५                  | --            | --            | --                  | २१            | ३१४           | २५०                 | २४     | ३६१           | २८५                 |
| <b>बी.पी.एम.टी.</b>                       |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                      | १५     | १,१४६         | ९२८                 | --            | --            | --                  | १             | ८०            | ३६                  | १६     | १,२२६         | ९६४                 |

आधार: महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९

## परिशिष्ट १०.३

सन २०१८-१९ मधील तंत्रशिक्षण संस्थांची संख्या, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या

| विद्याशाखा                                             | शासकीय |               |                     | शासन अनुदानित |               |                     | विना अनुदानित |               |                     | एकूण   |               |                     |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
|                                                        | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
| (१)                                                    | (२)    | (३)           | (४)                 | (५)           | (६)           | (७)                 | (८)           | (९)           | (१०)                | (११)   | (१२)          | (१३)                |
| <b>अभियांत्रिकी</b>                                    |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदविका                                                 | ४२     | १८,०३०        | १३,२३३              | १७            | ४,०५०         | २,९९३               | ३५२           | १,०१,४२९      | ३५,३२९              | ४११    | १,२३,५०९      | ५१,५५५              |
| पदवी                                                   | ९      | ३,२८०         | ३,०८४               | १२            | ३,३५७         | ३,०९७               | ३२६           | १,२३,७१९      | ६७,६८७              | ३४७    | १,३०,३५६      | ७३,८६८              |
| पदव्युत्तर                                             | ५      | ८५२           | ७२४                 | १२            | १,३५६         | ९४६                 | १९५           | १२,६४०        | ५,०७९               | २१२    | १४,८४८        | ६,७४९               |
| <b>वास्तुशास्त्र</b>                                   |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                                                   | --     | --            | --                  | ३             | १८७           | १८४                 | ८१            | ५,०९०         | ४,६४४               | ८४     | ५,२७७         | ४,८२८               |
| पदव्युत्तर                                             | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | १९            | ४८०           | ३३४                 | १९     | ४८०           | ३३४                 |
| <b>व्यवस्थापन शास्त्र</b>                              |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| एमएमएस / एमबीए                                         | १      | १२०           | १२०                 | १४            | १,२००         | ९१९                 | ३०८           | ३३,०२७        | २८,३०५              | ३२३    | ३४,३४७        | २९,३४४              |
| पीजीडीएम                                               | १      | ६०            | ६०                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ६०            | ६०                  |
| <b>हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान</b> |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदविका                                                 | २      | १२०           | ११७                 | --            | --            | --                  | १             | ६०            | ५८                  | ३      | १८०           | १७५                 |
| पदवी                                                   | --     | --            | --                  | १             | ४०            | २७                  | ८             | ४५०           | ४०८                 | ९      | ४९०           | ४३५                 |
| पदव्युत्तर                                             | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | १             | २४            | ७                   | १      | २४            | ७                   |
| <b>औषध निर्माणशास्त्र</b>                              |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदविका                                                 | ४      | २१०           | २०८                 | २०            | १,२४०         | १,२२२               | २९१           | १८,१३९        | १८,०३६              | ३१५    | १९,५८९        | १९,४६६              |
| पदवी                                                   | ४      | २२०           | २०८                 | ८             | ३९०           | ३७०                 | २१६           | १६,५७८        | १६,२४७              | २२८    | १७,१८८        | १६,८२५              |
| पदव्युत्तर                                             | ३      | ७३            | ७०                  | ६             | २६४           | २३५                 | ९७            | २,८९४         | २,३६१               | १०६    | ३,२३१         | २,६६६               |
| फार्मा. डी.                                            | २      | ६०            | ६०                  | --            | --            | --                  | ७             | २१०           | १९२                 | ९      | २७०           | २५२                 |
| <b>मास्टर इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन</b>                  |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| ४१७                                                    | ९३,०६० | ८७,४१७        | --                  | --            | --            | --                  | ५२५           | ४६,४११        | ३५,१०१              | ९४२    | १,३९,४७१      | १,२२,५१८            |
| <b>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था</b>                       |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |

आधार: १) तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई

२) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई

## परिशिष्ट १०.४

सन २०१७-१८ मधील कला, विज्ञान, वाणिज्य, इतर बिगर- कृषि अभ्यासक्रम, विधी, शिक्षणशास्त्र व ललित कला अभ्यासक्रमांकरीता एकूण संस्था, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या

| विद्याशाखा                     | शासकीय |               |                     | शासन अनुदानित |               |                     | विना अनुदानित |               |                     | एकूण   |               |                     |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
|                                | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
| (१)                            | (२)    | (३)           | (४)                 | (५)           | (६)           | (७)                 | (८)           | (९)           | (१०)                | (११)   | (१२)          | (१३)                |
| <b>कला</b>                     |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           |        | १,६०१         | १,१६९               |               | २,६६,५०२      | २,१३,१८५            |               | ९०,६५७        | ५६,९३१              |        | ३,५८,७६०      | २,७१,२८५            |
| पदव्युत्तर                     |        | १,६४८         | १,०२१               |               | ७९,५६५        | ३२,९२१              |               | ५,४०४         | २,३७९               |        | ८६,६१७        | ३६,३२१              |
| <b>विज्ञान</b>                 |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           |        | १,९८६         | १,८०८               |               | १,७४,१८९      | १,४६,१३७            |               | ७९,९७४        | ४९,५८३              |        | २,५६,१४९      | १,९७,५२८            |
| पदव्युत्तर                     |        | १,०००         | ९४२                 |               | २९,५३०        | २२,९२०              |               | ५,०५८         | ३,३८३               |        | ३५,५८८        | २७,२४५              |
| <b>वाणिज्य</b>                 |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १५     | १,६८१         | १,६३१               | १,०९०         | २,४२,०७५      | १,९५,९९९            | १,२०१         | १,२६,६७९      | ८२,९२६              | २,३०६  | ३,७०,४३५      | २,८०,५५६            |
| पदव्युत्तर                     |        | ५१७           | ५१५                 |               | ३४,७४५        | २६,७५९              |               | ५,०३०         | ३,३३१               |        | ४०,२९२        | ३०,६०५              |
| <b>नॉन-एआयसीटीई अभ्यासक्रम</b> |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           |        | १२०           | ११८                 |               | १७,४९१        | १३,४७२              |               | २४,४०९        | १४,९३१              |        | ४२,०२०        | २८,५२१              |
| पदव्युत्तर                     |        | --            | --                  |               | ६१५           | १००                 |               | १,३३०         | १८९                 |        | १,९४५         | २८९                 |
| <b>विधी</b>                    |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १      | ३००           | २९१                 | ४१            | ६,६९१         | ५,७५७               | ८३            | ६,५९३         | ५,३३४               | १२५    | १३,५८४        | ११,३८२              |
| पदव्युत्तर                     | --     | --            | --                  |               | १,६९६         | १,२४२               |               | ८५०           | ६२८                 |        | २,५४६         | १,८७०               |
| <b>शिक्षणशास्त्र</b>           |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| डी.एड                          | १६     | ८३९           | ५०५                 | ९७            | ४,५४५         | ३,०१४               | ७३६           | ५०,२६०        | १३,५७३              | ८४९    | ५५,६४४        | १७,०९२              |
| बी.एड                          | १२     | ६००           | ३९९                 | ३९            | २,६९९         | २,२९६               | ४९०           | २९,१८८        | २२,२७३              | ५४१    | ३२,४८७        | २४,९६८              |
| एम.एड                          |        | १५०           | ९                   |               | ४२५           | १३४                 |               | १,९४४         | ४०३                 |        | २,५१९         | ५४६                 |
| <b>दृश्यकला</b>                |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदविका                         | ३      | १४५           | १३०                 | ३१            | १,९३०         | १,७७३               | १७८           | ११,६००        | २,१९०               | २१२    | १३,६७५        | ४,०९३               |
| पदवी                           | ४      | ३००           | ३००                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४      | ३००           | ३००                 |
| पदव्युत्तर                     | ३      | ९५            | ६०                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ३      | ९५            | ६०                  |

आधार: १) उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे.

२) कला संचालनालय, मुंबई

३) महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे

## परिशिष्ट १०.५

सन २०१८-१९ मध्ये कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान अभ्यासक्रमांकरिता संस्था, त्यांची प्रवेशक्षमता व प्रथम वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या

| विद्याशाखा                     | शासकीय |               |                     | शासन अनुदानित |               |                     | विना अनुदानित |               |                     | एकूण   |               |                     |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|
|                                | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था        | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी | संस्था | प्रवेश क्षमता | प्रवेशित विद्यार्थी |
| (१)                            | (२)    | (३)           | (४)                 | (५)           | (६)           | (७)                 | (८)           | (९)           | (१०)                | (११)   | (१२)          | (१३)                |
| <b>कृषि</b>                    |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १७     | १,७६८         | १,७०६               | २             | २४४           | २४२                 | ७४            | ७,८९०         | ६,३७१               | ९३     | ९,९०२         | ८,३१९               |
| पदव्युत्तर                     | ११     | ८८५           | ८८०                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ११     | ८८५           | ८८०                 |
| आचार्य पदवी                    | ४      | १६८           | १२०                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४      | १६८           | १२०                 |
| <b>फलोत्पादन</b>               |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | ४      | २००           | १९२                 | --            | --            | --                  | १०            | ५६०           | ४४७                 | १४     | ७६०           | ६३९                 |
| पदव्युत्तर                     | १०     | १३४           | १२४                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १०     | १३४           | १२४                 |
| <b>वन संवर्धन</b>              |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | २      | ६४            | ६४                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | २      | ६४            | ६४                  |
| पदव्युत्तर                     | २      | २१            | ६                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | २      | २१            | ६                   |
| <b>मत्स्य विज्ञान</b>          |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १      | ४०            | ३८                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ४०            | ३८                  |
| पदव्युत्तर                     | १      | २८            | १६                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | २८            | १६                  |
| आचार्य पदवी                    | १      | ११            | २                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ११            | २                   |
| <b>अन्न तंत्रज्ञान</b>         |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १      | ६४            | ६१                  | --            | --            | --                  | २५            | १,५२०         | १,१८०               | २६     | १,५८४         | १,२४१               |
| पदव्युत्तर                     | १      | १५            | १५                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | १५            | १५                  |
| आचार्य पदवी                    | १      | ५             | ५                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ५             | ५                   |
| <b>जैव तंत्रज्ञान</b>          |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | २      | ८०            | ८०                  | --            | --            | --                  | १६            | १,०००         | ८६१                 | १८     | १,०८०         | ९४१                 |
| पदव्युत्तर                     | १      | ८             | ७                   | --            | --            | --                  | ३             | २४            | २४                  | ४      | ३२            | ३१                  |
| आचार्य पदवी                    | १      | ३             | २                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ३             | २                   |
| <b>कृषि अभियांत्रिकी</b>       |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | ४      | २४७           | २३८                 | --            | --            | --                  | १५            | ८८०           | ७२३                 | १९     | १,१२७         | ९६१                 |
| पदव्युत्तर                     | ४      | ७०            | ३६                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४      | ७०            | ३६                  |
| आचार्य पदवी                    | ४      | ३६            | ९                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ४      | ३६            | ९                   |
| <b>गृह/सामाजिक विज्ञान</b>     |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | १      | ४०            | २०                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ४०            | २०                  |
| पदव्युत्तर                     | १      | १२            | ५                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | १२            | ५                   |
| आचार्य पदवी                    | १      | २             | ०                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | २             | ०                   |
| <b>कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन</b> |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | १२            | ६००           | ४१७                 | १२     | ६००           | ४१७                 |
| पदव्युत्तर                     | १      | ३५            | २२                  | --            | --            | --                  | ३             | ९०            | ४९                  | ४      | १२५           | ७१                  |
| <b>पशुसंवर्धन शास्त्र</b>      |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | --     | --            | --                  | --            | --            | --                  | १             | ३०            | २३                  | १      | ३०            | २३                  |
| <b>काढणी पश्चात तंत्रज्ञान</b> |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदव्युत्तर                     | १      | ३०            | ६                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ३०            | ६                   |
| <b>पशुविज्ञान शास्त्र</b>      |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | ५      | ४०५           | ४०१                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ५      | ४०५           | ४०१                 |
| पदव्युत्तर                     | ६      | २४५           | १७३                 | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ६      | २४५           | १७३                 |
| आचार्य पदवी                    | ६      | ९१            | ० <sup>९</sup>      | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | ६      | ९१            | ० <sup>९</sup>      |
| <b>दुग्ध तंत्रज्ञान</b>        |        |               |                     |               |               |                     |               |               |                     |        |               |                     |
| पदवी                           | २      | ७६            | ६४                  | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | २      | ७६            | ६४                  |
| पदव्युत्तर                     | १      | ८             | ३                   | --            | --            | --                  | --            | --            | --                  | १      | ८             | ३                   |

आधार - १) महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद, पुणे. २) महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपुर.

\$ - प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

## परिशिष्ट १०.६

**राज्यातील उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा  
(सार्वजनिक, स्थानिक संस्था आणि विश्वस्थ संस्था रुग्णालये)**

| अ. क्र. | वर्ष | रुग्णालये (संख्या) | दवाखाने (संख्या) | उपकेंद्रे (संख्या) | प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (संख्या) | प्राथमिक आरोग्य पथके (संख्या) | क्षयरोग रुग्णालये आणि रुग्ण चिकित्सालये (संख्या) | संस्थांतील@@ खाटा (संख्या) | दर लाख @ लोकसंख्येमागे खाटा |
|---------|------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (१)     | (२)  | (३)                | (४)              | (५)                | (६)                              | (७)                           | (८)                                              | (९)                        | (१०)                        |
| १       | १९७१ | २९९                | १,३७२            | उ ना               | ३८८                              | १                             | ७२                                               | ४३,८२३                     | ८८                          |
| २       | १९८१ | ५३०                | १,७७६            | उ ना               | ४५४                              | ४००                           | ९०                                               | ७१,३८५                     | ११४                         |
| ३       | १९९१ | ७६८                | १,८९६            | उ ना               | १,६७२                            | ८१                            | १,९७७                                            | १,०९,२६७                   | १४४                         |
| ४       | २००१ | ९८१                | १,६२९            | उ ना               | १,७६८                            | १६९                           | २,५२०                                            | १,०१,६७०                   | १०५                         |
| ५       | २०११ | १,३६८              | ३,०१२            | १०,५८०             | १,८१६                            | १९१                           | २,५२०                                            | १,१८,११६                   | १०३                         |
| ६       | २०१२ | १,३९३              | ३,०८७            | १०,५८०             | १,८१६                            | १९३                           | २,५२०                                            | १,१९,३५५                   | १०६                         |
| ७       | २०१३ | १,३९५              | ३,०८७            | १०,५८०             | १,८११                            | १९३                           | ३,०६२ ##                                         | १,२०,५७६                   | १०७                         |
| ८       | २०१४ | १,४०२              | ३,०८७            | १०,५८०             | १,८११                            | १९३                           | ३,०६२ ##                                         | १,२१,०६६                   | १०८                         |
| ९       | २०१५ | १,४०२              | ३,०८७            | १०,५८०             | १,८११                            | १९३                           | ३,०६६ ##                                         | १,२१,१०८                   | १०८                         |
| १०      | २०१६ | १,४०२              | ३,०८७            | १०,५८०             | १,८११                            | १९३                           | ३,०९१ ##                                         | १,२१,१०८                   | १०८                         |
| ११      | २०१७ | १,४०२              | ३,०८७            | १०,६६८             | १,८१४                            | १९३                           | ५,३३७                                            | १,२३,७४२                   | १०९                         |

आधार - (१) राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

उ ना उपलब्ध नाही

(२) आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

(३) राज्य आरोग्य माहिती व जीवनविषयक आकडेवारी कार्यालय, महाराष्ट्र शासन

@@ फक्त सार्वजनिक, स्थानिक संस्था आणि विश्वस्थ संस्था रुग्णालयातील खाटांचा समावेश आहे. खाजगी रुग्णालयातील खाटांचा समावेश केलेला नाही.

@ संबंधित वर्षाच्या मध्याकरिता अंदाजित लोकसंख्येवर आधारित आहे.

## क्षयरोग रुग्णालये, केंद्रे, उपचार पथके, इ. सार्वजनिक आरोग्य संस्थांचा यात समावेश आहे.



## परिशिष्ट १०.७

## राज्याचे नमुना नोंदणी पाहणीवर आधारित जन्मदर, मृत्युदर, अर्भकमृत्युदर व एकूण जननदर

| वर्ष<br>(१) | जन्मदर         |                |                | मृत्युदर       |              |                | अर्भकमृत्युदर  |              |              | एकूण जननदर      |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
|             | ग्रामीण<br>(२) | नागरी<br>(३)   | एकूण<br>(४)    | ग्रामीण<br>(५) | नागरी<br>(६) | एकूण<br>(७)    | ग्रामीण<br>(८) | नागरी<br>(९) | एकूण<br>(१०) | ग्रामीण<br>(११) | नागरी<br>(१२)  | एकूण<br>(१३)   |
| १९७१        | ३३.७<br>(३८.९) | २९.०<br>(३०.१) | ३२.२<br>(३६.९) | १३.५<br>(१६.४) | ९.७<br>(९.७) | १२.३<br>(१४.९) | १११<br>(१३८)   | ८८<br>(८२)   | १०५<br>(१२९) | ४.९<br>(५.४)    | ३.९<br>(४.१)   | ४.६<br>(५.२)   |
| १९८१        | ३०.४<br>(३५.६) | २४.५<br>(२७.०) | २८.५<br>(३३.९) | १०.६<br>(१३.७) | ७.४<br>(७.८) | ९.६<br>(१२.५)  | ९०<br>(११९)    | ४९<br>(६२)   | ७९<br>(११०)  | ४.०<br>(४.८)    | ३.०<br>(३.३)   | ३.७<br>(४.५)   |
| १९९१*       | २८.०<br>(३०.९) | २२.९<br>(२४.३) | २६.२<br>(२९.५) | ९.३<br>(१०.६)  | ६.२<br>(७.१) | ८.२<br>(९.८)   | ६९<br>(८७)     | ३८<br>(५३)   | ६०<br>(८०)   | ३.४<br>(३.९)    | २.५<br>(२.७)   | ३.०<br>(३.६)   |
| २००१        | २१.१<br>(२७.१) | २०.२<br>(२०.३) | २०.७<br>(२५.४) | ८.५<br>(९.१)   | ५.९<br>(६.३) | ७.५<br>(८.४)   | ५५<br>(७२)     | २८<br>(४२)   | ४५<br>(६६)   | २.६<br>(३.४)    | २.२<br>(२.३)   | २.४<br>(३.१)   |
| २००७        | १८.७<br>(२४.७) | १७.३<br>(१८.६) | १८.१<br>(२३.१) | ७.३<br>(८.०)   | ५.७<br>(६.०) | ६.६<br>(७.४)   | ४१<br>(६१)     | २४<br>(३७)   | ३४<br>(५५)   | २.२<br>(३.०)    | १.८<br>(२.०)   | २.०<br>(२.७)   |
| २००८        | १८.४<br>(२४.४) | १७.२<br>(१८.५) | १७.९<br>(२२.८) | ७.४<br>(८.०)   | ५.६<br>(५.९) | ६.६<br>(७.४)   | ४०<br>(५८)     | २३<br>(३६)   | ३३<br>(५३)   | २.१<br>(२.९)    | १.७<br>(२.०)   | २.०<br>(२.६)   |
| २००९        | १८.१<br>(२४.१) | १६.९<br>(१८.३) | १७.६<br>(२२.५) | ७.६<br>(७.८)   | ५.५<br>(५.८) | ६.७<br>(७.३)   | ३७<br>(५५)     | २२<br>(३४)   | ३१<br>(५०)   | २.१<br>(२.९)    | १.७<br>(२.०)   | १.९<br>(२.६)   |
| २०१०        | १७.६<br>(२३.७) | १६.४<br>(१८.०) | १७.१<br>(२२.१) | ७.५<br>(७.७)   | ५.३<br>(५.८) | ६.५<br>(७.२)   | ३४<br>(५१)     | २०<br>(३१)   | २८<br>(४७)   | २.०<br>(२.८)    | १.७<br>(१.९)   | १.९<br>(२.५)   |
| २०११        | १७.३<br>(२३.३) | १५.८<br>(१७.६) | १६.७<br>(२१.८) | ७.३<br>(७.६)   | ५.१<br>(५.७) | ६.३<br>(७.१)   | ३०<br>(४८)     | १७<br>(२९)   | २५<br>(४४)   | १.९<br>(२.७)    | १.६<br>(१.९)   | १.८<br>(२.४)   |
| २०१२        | १७.४<br>(२३.१) | १५.५<br>(१७.४) | १६.६<br>(२१.६) | ७.३<br>(७.६)   | ५.०<br>(५.६) | ६.३<br>(७.०)   | ३०<br>(४६)     | १७<br>(२८)   | २५<br>(४२)   | २.०<br>(२.६)    | १.६<br>(१.८)   | १.८<br>(२.४)   |
| २०१३        | १७.२<br>(२२.९) | १५.४<br>(१७.३) | १६.५<br>(२१.४) | ७.१<br>(७.५)   | ५.०<br>(५.६) | ६.२<br>(७.०)   | २९<br>(४४)     | १६<br>(२७)   | २४<br>(४०)   | १.९<br>(२.५)    | १.६<br>(१.८)   | १.८<br>(२.३)   |
| २०१४        | १६.८<br>(२२.७) | १६.०<br>(१७.४) | १६.५<br>(२१.०) | ६.८<br>(७.३)   | ४.८<br>(५.५) | ६.०<br>(६.७)   | २७<br>(४३)     | १४<br>(२६)   | २२<br>(३९)   | १.९<br>(२.५)    | १.७<br>(१.८)   | १.८<br>(२.३)   |
| २०१५        | १६.६<br>(२२.४) | १५.९<br>(१७.३) | १६.३<br>(२०.८) | ६.६<br>(७.१)   | ४.७<br>(५.४) | ५.८<br>(६.५)   | २६<br>(४१)     | १४<br>(२५)   | २१<br>(३७)   | २.०<br>(२.५)    | १.६<br>(१.८)   | १.८<br>(२.३)   |
| २०१६        | १६.३<br>(२२.१) | १५.५<br>(१७.०) | १५.९<br>(२०.४) | ६.९<br>(६.९)   | ४.६<br>(५.४) | ५.९<br>(६.४)   | २४<br>(३८)     | १३<br>(२३)   | १९<br>(३४)   | १.९<br>(२.५)    | १.६<br>(१.८)   | १.८<br>(२.३)   |
| २०१७        | १६.०<br>(२१.८) | १५.४<br>(१६.८) | १५.७<br>(२०.२) | ६.६<br>(६.९)   | ४.६<br>(५.३) | ५.७<br>(६.३)   | २३<br>(३७)     | १४<br>(२३)   | १९<br>(३३)   | उ ना<br>(उ ना)  | उ ना<br>(उ ना) | उ ना<br>(उ ना) |

आधार - नमुना नोंदणी पाहणी पत्रिका, महानिबंधक, भारत सरकार, नवी दिल्ली

उ ना उपलब्ध नाही

टीप - (१) कंसातील आकडे भारताकरिता आहेत

(२) \* जम्मू व काश्मिर वगळून

(३) जन्मदर व मृत्युदर दर हजार लोकसंख्येमागे

(४) अर्भकमृत्युदर दर हजार जीवित जन्मांमागे आहेत

## परिशिष्ट १०.८

## काम करणाऱ्या लोकांची जनगणना २०११ नुसार आर्थिक वर्गवारी

(हजार)

| काम करणाऱ्यांची वर्गवारी | मुख्यतः / सीमांतिक / एकूण | महाराष्ट्र |          |          | भारत #   |          |           |
|--------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                          |                           | पुरुष      | स्त्रिया | एकूण     | पुरुष    | स्त्रिया | एकूण      |
| (१)                      | (२)                       | (३)        | (४)      | (५)      | (६)      | (७)      | (८)       |
| (अ) काम करणारे           |                           |            |          |          |          |          |           |
| १. शेतकरी                | मुख्यतः                   | ७,१८१      | ४,२९७    | ११,४७८   | ७३,०१८   | २२,८२३   | ९५,८४१    |
|                          | सीमांतिक                  | ४११        | ६८०      | १,०९१    | ९,६८९    | १३,१६३   | २२,८५१    |
|                          | एकूण                      | ७,५९२      | ४,९७७    | १२,५६९   | ८२,७०७   | ३५,९८६   | १,१८,६९२  |
| २. शेतमजूर               | मुख्यतः                   | ५,८४७      | ५,२२२    | ११,०६९   | ५५,२५५   | ३०,९१२   | ८६,१६७    |
|                          | सीमांतिक                  | ९२८        | १,४८९    | २,४१७    | २७,४८५   | ३०,६७८   | ५८,१६३    |
|                          | एकूण                      | ६,७७५      | ६,७११    | १३,४८६   | ८२,७४०   | ६१,५९०   | १,४४,३३०  |
| ३. घरगुती उद्योगातील     | मुख्यतः                   | ६०७        | ३८५      | ९९१      | ७,५४०    | ४,७९१    | १२,३३१    |
|                          | सीमांतिक                  | ८४         | १५०      | २३४      | २,२३६    | ३,७६९    | ६,००५     |
|                          | एकूण                      | ६९१        | ५३५      | १,२२५    | ९,७७६    | ८,५६०    | १८,३३६    |
| ४. इतर                   | मुख्यतः                   | १६,३५५     | ३,८७०    | २०,२२५   | १,३७,३३६ | ३०,७७१   | १,६८,१०७  |
|                          | सीमांतिक                  | १,२०४      | ७१८      | १,९२२    | १९,३०७   | १२,९७१   | ३२,२७८    |
|                          | एकूण                      | १७,५५९     | ४,५८८    | २२,१४७   | १,५६,६४३ | ४३,७४२   | २,००,३८५  |
| एकूण (अ)                 | मुख्यतः                   | २९,९८९     | १३,७७४   | ४३,७६३   | २,७३,१४९ | ८९,२९७   | ३,६२,४४६  |
|                          | सीमांतिक                  | २,६२८      | ३,०३७    | ५,६६५    | ५८,७१७   | ६०,५८०   | १,१९,२९७  |
|                          | एकूण                      | ३२,६१७     | १६,८११   | ४९,४२८   | ३,३१,८६६ | १,४९,८७७ | ४,८१,७४३  |
| (ब) काम न करणारे         | एकूण                      | २५,६२६     | ३७,३२०   | ६२,९४६   | २,९१,२५६ | ४,३७,५७० | ७,२८,८२६  |
| एकूण (अ + ब)             |                           | ५८,२४३     | ५४,१३१   | १,१२,३७४ | ६,२३,१२२ | ५,८७,४४७ | १२,१०,५६९ |

आधार - महानिबंधक व गणना आयुक्त, केंद्र शासन

# मणिपूर राज्याच्या सेनापती जिल्ह्यातील माओ-मारम, पाओमाटा आणि पुरुल हे उपविभाग वगळून

टीप - आकडे संक्षिप्तात दिल्याने बेरजा जुळतीलच असे नाही

**परिशिष्ट १०.९**  
**राज्यातील विविध उद्योगांतील सरासरी दैनिक रोजगार**

(शंभर)

| अ.क्र. | उद्योग गट                                         | सरासरी दैनिक रोजगार |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                   | १९७१                | १९८१          | १९९१          | २००१          | २०११          | २०१५          | २०१६          | २०१७          | २०१८          |
| (१)    | (२)                                               | (३)                 | (४)           | (५)           | (६)           | (७)           | (८)           | (९)           | (१०)          | (११)          |
| (अ)    | <b>ग्राहक वस्तू उद्योग</b>                        | <b>५,०२०</b>        | <b>५,१६८</b>  | <b>४,५३५</b>  | <b>४,५३३</b>  | <b>५,१६४</b>  | <b>५,७९१</b>  | <b>५,९३६</b>  | <b>६,३१४</b>  | <b>६,७०७</b>  |
| १.     | खाद्य उत्पादने, पेये व तंबाखूची उत्पादने          | ९२१                 | ९६५           | १,३३०         | १,६६२         | १,९९१         | २,४२७         | २,६१९         | २,८०४         | ३,०६४         |
| २.     | वस्त्रोद्योग (परिधान करण्याची वस्त्रे धरुन)       | ३,५१६               | ३,५५४         | २,५२७         | २,१६७         | २,१८२         | २,२९९         | २,४१३         | २,५५४         | २,६६२         |
| ३.     | लाकूड व लाकडाची उत्पादने                          | ७५                  | ७५            | १५२           | १५४           | २१७           | २२५           | २७५           | २८४           | ३०८           |
| ४.     | कागद, कागदाची उत्पादने, मुद्रण व प्रकाशन, इत्यादि | ४९४                 | ५४९           | ४९१           | ५२५           | ७३६           | ७८५           | ५६०           | ५८८           | ५८३           |
| ५.     | कातडी कमावणे व चामड्याची उत्पादने                 | १४                  | २५            | ३५            | २५            | ३८            | ५५            | ६९            | ८६            | ९१            |
| (ब)    | <b>मध्यम तयार माल उद्योग</b>                      | <b>२,४३५</b>        | <b>३,१९३</b>  | <b>३,४२१</b>  | <b>३,४६२</b>  | <b>६,६४८</b>  | <b>७,५५३</b>  | <b>४,७७३</b>  | <b>५,२४२</b>  | <b>५,४६१</b>  |
| ६.     | रसायने व रासायनिक उत्पादने                        | ७६०                 | १,०५९         | १,२१५         | १,२९९         | १,८०२         | २,०१०         | १,७६०         | १,८८३         | १,९३२         |
| ७.     | पेट्रोलियम, रबर, प्लास्टिक यांची उत्पादने         | ३४९                 | ४२१           | ४८२           | ५३५           | १,०८७         | १,२०६         | १,०७५         | १,१७०         | १,२५०         |
| ८.     | अधातू खनिज उत्पादने                               | ४०२                 | ४०३           | ४२३           | ३१७           | ४६५           | ४८५           | ४९५           | ५२६           | ५६०           |
| ९.     | मूलभूत धातू, धातूची उत्पादने                      | ९२४                 | १,३१०         | १,३०१         | १,३११         | ३,२९४         | ३,८५२         | १,४४३         | १,६६३         | १,७१९         |
| (क)    | <b>भांडवली वस्तू उद्योग</b>                       | <b>२,११०</b>        | <b>२,८९८</b>  | <b>२,७१२</b>  | <b>३,१४०</b>  | <b>५,०३३</b>  | <b>५,४४८</b>  | <b>३,२६२</b>  | <b>३,०३५</b>  | <b>३,०१८</b>  |
| १०.    | यंत्रे व यंत्रसामग्री (परिवहन यंत्रसामग्री वगळून) | १,३२२               | १,७८६         | १,६१४         | १,७२०         | २,४०७         | २,५३३         | १,४०१         | १,३५४         | १,३६७         |
| ११.    | परिवहन यंत्रसामग्री                               | ६०८                 | ९०३           | ८६७           | १,०२५         | १,७८५         | १,९७२         | ३९८           | ३८९           | ३५७           |
| १२.    | इतर वस्तुनिर्माण उद्योग                           | १८०                 | २०९           | २३१           | ३९५           | ८४१           | ९४२           | १,४६३         | १,२९२         | १,२९४         |
| (ड)    | <b>इतर</b>                                        | <b>४१२</b>          | <b>६६३</b>    | <b>१,०१६</b>  | <b>८७०</b>    | <b>१,३०१</b>  | <b>१,७९८</b>  | <b>१०,०६३</b> | <b>१०,९५७</b> | <b>११,६६४</b> |
|        | <b>एकूण</b>                                       | <b>९,९७७</b>        | <b>११,९२२</b> | <b>११,६८४</b> | <b>१२,००५</b> | <b>१८,१४६</b> | <b>२०,५९०</b> | <b>२४,०३४</b> | <b>२५,५४८</b> | <b>२६,८५१</b> |

आधार - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - (१) आकडे संक्षिप्तात दिल्याने काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत

(२) १९७४ पासून विडी कारखान्यांची नोंद वेगळ्या अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आली

## परिशिष्ट १०.१०

## राज्यातील कार्यरत कारखाने व त्यातील रोजगार

रोजगार (०००)

| वर्ष | बाब **  | कलम २ एम (i)                |                             |              | कलम २ एम (ii) व कलम ८५      |                             |              | सर्व कारखाने                |                             |                   |
|------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|      |         | ५० पेक्षा कमी कामगार असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार असलेले | एकूण कारखाने | ५० पेक्षा कमी कामगार असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार असलेले | एकूण कारखाने | ५० पेक्षा कमी कामगार असलेले | ५० किंवा अधिक कामगार असलेले | एकूण सर्व कारखाने |
| (१)  | (२)     | (३)                         | (४)                         | (५)          | (६)                         | (७)                         | (८)          | (९)                         | (१०)                        | (११)              |
| १९७१ | कारखाने | ६,३४१                       | २,७०१                       | ९,०४२        | ८५६                         | ३४३                         | १,१९९        | ७,१९७                       | ३,०४४                       | १०,२४१            |
|      | रोजगार  | १२३                         | ८२४                         | ९४७          | १५                          | ३६                          | ५१           | १३८                         | ८६०                         | ९९८               |
| १९८१ | कारखाने | १०,२३८                      | ३,१३२                       | १३,३७०       | ३,१५४                       | ७०                          | ३,२२४        | १३,३९२                      | ३,२०२                       | १६,५९४            |
|      | रोजगार  | १८३                         | ९८३                         | १,१६६        | २०                          | ६                           | २६           | २०३                         | ९८९                         | १,१९२             |
| १९९१ | कारखाने | १३,१३९                      | ३,१९९                       | १६,३३८       | ७,७४३                       | ३८                          | ७,७८१        | २०,८८२                      | ३,२३७                       | २४,११९            |
|      | रोजगार  | २१५                         | ९१०                         | १,१२४        | ४०                          | ४                           | ४४           | २५४                         | ९१४                         | १,१६९             |
| २००१ | कारखाने | १५,९७७                      | ३,९२९                       | १९,९०६       | ८,३९३                       | २५                          | ८,४१८        | २४,३७०                      | ३,९५४                       | २८,३२४            |
|      | रोजगार  | २६६                         | ८९१                         | १,१५७        | ४२                          | २                           | ४४           | ३०८                         | ८९३                         | १,२०१             |
| २००९ | कारखाने | १८,६६८                      | ६,११२                       | २४,७८०       | ९,२६३                       | १७                          | ९,२८०        | २७,९३१                      | ६,१२९                       | ३४,०६०            |
|      | रोजगार  | ३४५                         | १,१०३                       | १,४४८        | ५०                          | २                           | ५२           | ३९५                         | १,१०५                       | १,५००             |
| २०१० | कारखाने | १९,१७३                      | ६,५१७                       | २५,६९०       | ९,१८३                       | १५                          | ९,१९८        | २८,३५६                      | ६,५३२                       | ३४,८८८            |
|      | रोजगार  | ३६३                         | १,२३१                       | १,५९४        | ५२                          | १                           | ५३           | ४१५                         | १,२३३                       | १,६४७             |
| २०११ | कारखाने | १९,४१०                      | ७,३७३                       | २६,७८३       | ९,०६७                       | २६                          | ९,०९३        | २८,४७७                      | ७,३९९                       | ३५,८७६            |
|      | रोजगार  | ३६७                         | १,३९४                       | १,७६१        | ५१                          | ३                           | ५४           | ४१८                         | १,३९७                       | १,८१५             |
| २०१५ | कारखाने | १७,९१७                      | ७,९०८                       | २५,८२५       | १०,३७७                      | ८७                          | १०,४६४       | २८,२९४                      | ७,९९५                       | ३६,२८९            |
|      | रोजगार  | ४०४                         | १,५८४                       | १,९८९        | ६०                          | १०                          | ७०           | ४६४                         | १,५९५                       | २,०५९             |
| २०१६ | कारखाने | २०,८२३                      | ९,३१७                       | ३०,१४०       | ५,१५९                       | ४८                          | ५,२०७        | २५,९८२                      | ९,३६५                       | ३५,३४७            |
|      | रोजगार  | ४४९                         | १,९१०                       | २,३५९        | ४०                          | ४                           | ४४           | ४८९                         | १,९१४                       | २,४०३             |
| २०१७ | कारखाने | १६,८९३                      | ९,१०८                       | २६,००१       | ८,६९८                       | ७०                          | ८,७६८        | २५,५९१                      | ९,१७८                       | ३४,७६९            |
|      | रोजगार  | ४६६                         | २,०१४                       | २,४८०        | ६८                          | ८                           | ७६           | ५३३                         | २,०२२                       | २,५५५             |
| २०१८ | कारखाने | १८,६५५                      | ९,४३१                       | २८,०८६       | ७,८२४                       | ४५                          | ७,८६९        | २६,४७९                      | ९,४७६                       | ३५,९५५            |
|      | रोजगार  | ४६६                         | २,१५३                       | २,६१८        | ६२                          | ५                           | ६७           | ५२८                         | २,१५७                       | २,६८५             |

आधार - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - (१) अंदाजित रोजगारात प्रपत्र न पाठविणाऱ्या कारखान्यांतील दैनिक सरासरी रोजगारांचा समावेश आहे

(२) आकडेवारी १९४८ च्या कारखाना अधिनियमाखाली येणाऱ्या कारखान्यासंबंधी आहे

(३) रोजगाराचे आकडे संक्षिप्तात लिहिल्यामुळे काही ठिकाणी बेरजा जुळणार नाहीत

\*\* कारखाने - कार्यरत कारखान्यांची संख्या

रोजगार - रोजगाराची दैनिक सरासरी

१९७४ पासून विडी कारखान्यांची नोंद यातून काढून वेगळ्या अधिनियमाखाली समाविष्ट करण्यात आली आहे

## परिशिष्ट १०.११

राज्यातील कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नोंदणी झालेल्या  
व्यक्तींची संख्या, अधिसूचित केलेली रिक्त पदे व भरलेली पदे

(हजार)

| वर्ष | संदर्भ वर्षात नोंदणी<br>झालेल्या<br>व्यक्तींची संख्या | अधिसूचित केलेल्या रिक्त<br>पदांची संख्या | संदर्भ वर्षात भरलेल्या<br>पदांची संख्या | वर्ष अखेरीस चालू<br>नोंदवहीत असलेल्या<br>व्यक्तींची संख्या |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (१)  | (२)                                                   | (३)                                      | (४)                                     | (५)                                                        |
| १९९१ | ५९१.८                                                 | ६४.८                                     | ३०.३                                    | ३,१५९.८                                                    |
| १९९२ | ५९६.६                                                 | ५५.९                                     | २९.१                                    | ३,३२०.५                                                    |
| १९९३ | ५९९.७                                                 | ५५.४                                     | २४.१                                    | ३,३४९.६                                                    |
| १९९४ | ६३५.८                                                 | ५२.१                                     | २४.७                                    | ३,४३९.२                                                    |
| १९९५ | ७२०.१                                                 | ४९.७                                     | १८.७                                    | ३,६३४.३                                                    |
| १९९६ | ६८८.७                                                 | ५३.७                                     | २२.६                                    | ३,७८७.२                                                    |
| १९९७ | ६९२.८                                                 | ४७.४                                     | २२.९                                    | ३,९३३.१                                                    |
| १९९८ | ७२९.३                                                 | ३७.९                                     | १६.८                                    | ४,१०९.६                                                    |
| १९९९ | ८६१.१                                                 | ५०.९                                     | १६.२                                    | ४,१८३.८                                                    |
| २००० | ७५०.८                                                 | ४३.९                                     | १८.१                                    | ४,३४८.८                                                    |
| २००१ | ६२३.२                                                 | ३२.३                                     | १२.५                                    | ४,४१९.७                                                    |
| २००२ | ६२२.७                                                 | ३०.९                                     | ९.५                                     | ४,२०३.३                                                    |
| २००३ | ८१९.१                                                 | ५९.६                                     | १६.४                                    | ४,०४४.१                                                    |
| २००४ | ८८०.३                                                 | ४३.४                                     | १५.१                                    | ४,१०५.७                                                    |
| २००५ | ६४५.२                                                 | ४४.२                                     | १३.९                                    | ४,०००.३                                                    |
| २००६ | ६०८.१                                                 | ६८.३                                     | १४.८                                    | ३,६०८.५                                                    |
| २००७ | ६१६.७                                                 | ९७.५                                     | ९.२                                     | ३,२१३.८                                                    |
| २००८ | ७२१.५                                                 | ९९.२                                     | ११.८                                    | ३,००७.२                                                    |
| २००९ | ६९८.३                                                 | १७६.६                                    | १७.२                                    | २,८७५.९                                                    |
| २०१० | ८९२.९                                                 | ३७८.८                                    | ३५३.९                                   | २,६८२.४                                                    |
| २०११ | ७४७.५                                                 | ३४६.२                                    | १९१.०                                   | २,५९६.२                                                    |
| २०१२ | ६१२.३                                                 | २५९.२                                    | १३४.२                                   | २,४०४.०                                                    |
| २०१३ | ६३०.३                                                 | ११८.९                                    | ११४.६                                   | ३,०३४.८                                                    |
| २०१४ | ५३६.४                                                 | ८४१.१                                    | ८४.७                                    | ३,५७१.५                                                    |
| २०१५ | ४६१.९                                                 | ५७१.४                                    | ७०.४                                    | ३,४०१.५                                                    |
| २०१६ | ४६०.०                                                 | ५७६.८                                    | १४४.०                                   | ३,३५६.७                                                    |
| २०१७ | ५३९.३                                                 | ४१३.१                                    | २२२.६                                   | ३,८१९.६                                                    |
| २०१८ | ७२६.९                                                 | ७८५.३                                    | १९७.९                                   | ४,४०३.४                                                    |

आधार - कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## परिशिष्ट १०.१२

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रांच्या चालू नोंदवहीत ३१ डिसेंबर, २०१८  
अखेर असलेल्या व्यक्तींची संख्या

| अ.<br>क्र. | शैक्षणिक पात्रता                                  | एकूण व्यक्ती     | पैकी, स्त्रिया   | स्त्रियांची<br>टक्केवारी | एकूण बेरजेची<br>व्यक्तींची<br>टक्केवारी |
|------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| (१)        | (२)                                               | (३)              | (४)              | (५)                      | (६)                                     |
| १.         | माध्यमिक शालांत परीक्षेपेक्षा कमी (निरक्षर धरून ) | ८,११,७८४         | १,५८,८२८         | १९.६                     | १८.४                                    |
| २.         | माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण                  | ११,३७,५९१        | २,५८,४००         | २२.७                     | २५.८                                    |
| ३.         | उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण             | ११,५०,००६        | २,९४,५८८         | २५.६                     | २६.१                                    |
| ४.         | औ.प्र.सं. प्रशिक्षित व शिकाऊ उमेदवार              | २,३३,५१४         | २३,३५५           | १०.०                     | ५.३                                     |
| ५.         | पदविकाधारक                                        |                  |                  |                          |                                         |
| ५.१        | अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान                         | ७९,०२१           | १८,९२७           | २४.०                     | १.८                                     |
| ५.२        | वैद्यकीय, डी.एम.एल.टी. व औषधनिर्माण               | १८,७८४           | ६,८५९            | ३६.५                     | ०.४                                     |
| ५.३        | इतर                                               | १,३७,१३१         | १,१४,८८४         | ८३.८                     | ३.१                                     |
|            | <b>एकूण (५.१ ते ५.३)</b>                          | <b>२,३४,९३६</b>  | <b>१,४०,६७०</b>  | <b>५९.९</b>              | <b>५.३</b>                              |
| ६.         | पदवीधर                                            |                  |                  |                          |                                         |
| ६.१        | अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान                         | ८६,९४९           | २०,०५६           | २३.१                     | २.०                                     |
| ६.२        | वैद्यकीय                                          | २,७३९            | १,५८९            | ५८.०                     | ०.१                                     |
| ६.३        | इतर                                               | ६,२७,२९५         | २,१३,०३९         | ३४.०                     | १४.३                                    |
|            | <b>एकूण (६.१ ते ६.३)</b>                          | <b>७,१६,९८३</b>  | <b>२,३४,६८४</b>  | <b>३२.७</b>              | <b>१६.३</b>                             |
| ७.         | पदव्युत्तर पदवीधर                                 |                  |                  |                          |                                         |
| ७.१        | अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान                         | ३,६९०            | १,३७०            | ३७.१                     | ०.१                                     |
| ७.२        | वैद्यकीय                                          | २१३              | १०१              | ४७.४                     | ०.०                                     |
| ७.३        | इतर                                               | १,१४,७६६         | ३५,७९९           | ३१.२                     | २.६                                     |
|            | <b>एकूण (७.१ ते ७.३)</b>                          | <b>१,१८,६६९</b>  | <b>३७,२७०</b>    | <b>३१.४</b>              | <b>२.७</b>                              |
|            | <b>एकूण बेरीज</b>                                 | <b>४४,०३,४८३</b> | <b>११,४७,७९५</b> | <b>२६.१</b>              | <b>१००.०</b>                            |

आधार - कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

टीप - वरील तपशिलात एकापेक्षा जास्त शैक्षणिक पात्रता नोंदविलेल्या उमेदवारांची त्यांच्या प्रत्येक नोंदीनुसार स्वतंत्र गणना करण्यात आली आहे

## परिशिष्ट १०.१३

राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली  
घेण्यात आलेल्या विविध कामांच्या प्रकारानुसार संख्या व त्यावरील खर्च

| (₹ लाख)    |                                                                |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |           |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| अ.<br>क्र. | कामाचा<br>प्रकार                                               | २०१४-१५           |             | २०१५-१६           |             | २०१६-१७           |             | २०१७-१८           |             | २०१८-१९           |           |
|            |                                                                | कामांची<br>संख्या | खर्च        | कामांची<br>संख्या | खर्च        | कामांची<br>संख्या | खर्च        | कामांची<br>संख्या | खर्च        | कामांची<br>संख्या | खर्च      |
| (१)        | (२)                                                            | (३)               | (४)         | (५)               | (६)         | (७)               | (८)         | (९)               | (१०)        | (११)              | (१२)      |
| १          | ग्रामीण जोड<br>रस्ते                                           | ४,६९५             | ३९,६६९.३४   | ६,०१८             | ३२,७५६.९२   | ७,९७५             | २८,१४६.६१   | ६,३६५             | १२,२७१.०५   | ४,०७६             | १,१२६.९१  |
| २          | पूरनियंत्रण<br>व पूर<br>संरक्षण                                | २५४               | २,६५७.८१    | ३०८               | ४,१४७.४६    | ५९१               | ५,१३५.७३    | ७१५               | ४,१०१.०३    | ५६०               | १,२८३.५६  |
| ३          | जलसंधारण व<br>जलसंवर्धन                                        | १६,२२५            | २४,६३०.०९   | १९,८५६            | २७,२७८.७२   | २२,५३७            | २७,२७८.७२   | १४,९७९            | १६,१११.८८   | १७,७०७            | ८,७९६.४६  |
| ४          | दुष्काळ<br>प्रतिबंधक<br>काम                                    | १५,४८३            | २५,७१९.२४   | १७,१८३            | २०,०८२.८८   | २६,९३२            | १२,६३५.२८   | १७,१७८            | ९,८६०.१९    | ११,९५०            | १,९३४.०७  |
| ५          | सूक्ष्म<br>जलसिंचन                                             | ५८२               | ६११.६४      | ४६७               | १,१५७.११    | ३८७               | ७०८.८८      | २६७               | ४८३.८५      | २४३               | २३५.५९    |
| ६          | अनुसूचित<br>जाती /<br>जमाती व<br>भूधारकांना<br>सिंचन<br>सुविधा | २०,८२४            | २१,९२६.६२   | ३५,३०२            | ४३,१२५.९    | ४९,९६७            | ५४,७४६.९४   | १,३२,६१६          | ६१,८०५.११   | २,०१,४९१          | ४१,१७९.८४ |
| ७          | पारंपारिक<br>जलस्रोतांचे<br>नुतनीकरण                           | २,०२९             | ३,९०४.३१    | २,४२५             | ६,३६१.८८    | ३,३८९             | ५,८१२.३९    | २,०३४             | ४,१७६.२७    | २,३१६             | १,७९८.१४  |
| ८          | भूविकास                                                        | २,१७९             | ४,४३८.३८    | ४,३७७             | ५,८५४.६६    | ८,०८२             | ५,९१९.६५    | ३,७२०             | ३,४७४.१०    | २,८८३             | ९४५.७४    |
| ९          | राजीव गांधी<br>सेवा केंद्र                                     | ८१                | ७४८.८१      | १३३               | २७७.३२      | १८२               | ४११.८३      | ७३                | ६४.२८       | ६८                | २०.१५     |
| १०         | इतर कामे                                                       | ९९,१८४            | ७,१६९.३४    | २५,४२९            | २,२९९.९८    | ४५,५५२            | ५,०८९.४१    | ५७,९८१            | ७,१५७.८८    | ५३,१६६            | ३,८४४.५५  |
| एकूण       |                                                                | १,६१,५३६          | १,३१,४७५.५८ | १,११,४९८          | १,४३,३४२.८३ | १,६५,५९४          | १,४५,८८५.४४ | २,३५,९२८          | १,१९,५०५.६४ | २,९४,४६०          | ६२,१६५.०१ |

आधार - नियोजन विभाग, (रोहयो) महाराष्ट्र शासन

**परिशिष्ट १०.१४**  
**राज्यातील औद्योगिक विवाद\*\***

(भाग घेतलेले कामगार शंभरात व वाया गेलेले श्रमदिन लाखात)

| बाब<br>(१)                        | १९८१<br>(२) | १९९१<br>(३) | २००१<br>(४) | २०११<br>(५) | २०१४<br>(६) | २०१५<br>(७) | २०१६<br>(८) | २०१७<br>(९) | २०१८<br>(१०) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>१. कापड गिरण्या --</b>         |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या       | ६६          | १०          | १२          | ७           | ८           | ४           | १८          | १३          | ४            |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार            | ५६४         | ६१          | ८६          | २६          | २४          | ८९          | ७०          | १६          | ३५           |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन         | ४७.३६       | २.३७        | ४.५३        | १.७३        | ०.६         | २.३२        | १.८०        | ०.४१        | ०.८५         |
| <b>२. अभियांत्रिकी कारखाने --</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या       | ११९         | ५९          | २८          | ८           | ३५          | ५१          | ६०          | ४८          | ४            |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार            | ४१२         | ११०         | ६५          | ७१          | ४३७         | ४३८         | १४७         | १३८         | ८            |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन         | १६.२१       | १४.४६       | २५.७९       | १२.९०       | ११.३६       | १०.७५       | ३.८१        | ३.६५        | ३.५९         |
| <b>३. संकीर्ण --</b>              |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या       | ४५१         | १४८         | १९          | १८          | १४९         | १६०         | ६६          | ५७          | ३            |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार            | १,०३१       | ४२३         | ८५          | ३८          | ४९८         | ६६९         | ५०८         | ५०७         | २            |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन         | ३१.४९       | २९.६६       | १५.९०       | ७.८०        | १३.००       | १७.०३       | १५.६७       | १२.९८       | १३.८०        |
| <b>४. एकूण --</b>                 |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| (अ) संप व टाळेबंदीची संख्या       | ६३६         | २१७         | ५९          | ३३          | १९२         | २१५         | १४४         | ११८         | ११           |
| (ब) भाग घेतलेले कामगार            | २,००७       | ५९४         | २३७         | १३५         | ९५९         | १,१९६       | ७२५         | ६६०         | ४५           |
| (क) वाया गेलेले मनुष्यदिन         | ९५.०५       | ४६.४९       | ५२.३१       | २२.४३       | २४.९९       | ३०.१०       | २१.२९       | १७.०४       | १८.२५        |

आधार - कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन

टीप - (१) बाब क्रमांक ४ (ब) व ४ (क) समोरील आकडे संक्षिप्तात दिल्याने प्रत्यक्ष बेरजेशी जुळतीलच असे नाही

(२) \*\* राज्य औद्योगिक संबंध यंत्रणेखालील

(३) माहिती जानेवारी ते डिसेंबर पर्यंत



## परिशिष्ट १०.१५

## जिल्हानिहाय मानव विकास निर्देशांक २०११

| जिल्हा                  | एकूण साक्षरता दर (२०११) | एकूण पटसंख्या प्रमाण (२०११-१२) | अर्भक मृत्यु दर (२००७-०८) | दरदोई जिल्हा स्थूल उत्पन्न स्थिर किंमतीनुसार (१९९९-२०००) (₹) | मानव विकास निर्देशांक (माविनि) २०११ | माविनि स्थिती |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| (१)                     | (२)                     | (३)                            | (४)                       | (५)                                                          | (६)                                 | (७)           |
| नंदूरबार                | ६३.०                    | ६७.७                           | ७५                        | १९,१५६                                                       | ०.६०४                               | अल्प          |
| गडचिरोली                | ७०.६                    | ८०.७                           | ६३                        | १४,९१३                                                       | ०.६०८                               |               |
| वाशिम                   | ८१.७                    | ८८.०                           | ४६                        | १४,८८५                                                       | ०.६४६                               |               |
| हिंगोली                 | ७६.०                    | ७८.७                           | ५०                        | १८,२८६                                                       | ०.६४८                               |               |
| उस्मानाबाद              | ७६.३                    | ८१.९                           | ५०                        | १७,८४७                                                       | ०.६४९                               |               |
| नांदेड                  | ७६.९                    | ८०.३                           | ३०                        | १८,१५५                                                       | ०.६५७                               |               |
| जालना                   | ७३.६                    | ८३.७                           | ४८                        | २०,५६५                                                       | ०.६६३                               |               |
| लातूर                   | ७९.०                    | ९१.१                           | ५३                        | १७,६७४                                                       | ०.६६३                               |               |
| धुळे                    | ७४.६                    | ८३.७                           | ४४                        | २१,४४२                                                       | ०.६७१                               |               |
| बीड                     | ७३.५                    | ९०.४                           | ३३                        | २१,०१३                                                       | ०.६७८                               | मध्यम         |
| परभणी                   | ७५.२                    | ८६.३                           | ५१                        | २३,१४६                                                       | ०.६८३                               |               |
| बुलढाणा                 | ८२.१                    | ८७.६                           | ३४                        | १९,४८७                                                       | ०.६८४                               |               |
| यवतमाळ                  | ८०.७                    | ८४.९                           | ४७                        | २४,११८                                                       | ०.७००                               |               |
| गोंदिया                 | ८५.४                    | ८७.२                           | ६७                        | २३,०९१                                                       | ०.७०९                               |               |
| अमरावती                 | ८८.२                    | ८६.०                           | ५९                        | २१,८०४                                                       | ०.७०९                               |               |
| भंडारा                  | ८५.१                    | ८९.३                           | ६०                        | २५,७३५                                                       | ०.७१८                               |               |
| चंद्रपूर                | ८१.४                    | ८८.९                           | ७४                        | २८,७३०                                                       | ०.७१८                               |               |
| अहमदनगर                 | ८०.२                    | ८७.९                           | ४१                        | २७,३९२                                                       | ०.७२०                               | उच्च          |
| अकोला                   | ८७.६                    | ८५.६                           | २८                        | २४,०५५                                                       | ०.७२२                               |               |
| वर्धा                   | ८७.२                    | ८७.९                           | ६२                        | २६,१३०                                                       | ०.७२३                               |               |
| जळगाव                   | ७९.७                    | ८८.२                           | ४८                        | २८,९३९                                                       | ०.७२३                               |               |
| औरंगाबाद                | ८०.४                    | ८२.२                           | ४४                        | ३०,६९०                                                       | ०.७२७                               |               |
| सोलापूर                 | ७७.७                    | ८९.५                           | २३                        | २८,८२८                                                       | ०.७२८                               |               |
| रत्नागिरी               | ८२.४                    | ८९.०                           | २५                        | २७,६८५                                                       | ०.७३२                               |               |
| सातारा                  | ८४.२                    | ८५.७                           | २७                        | २९,९१६                                                       | ०.७४२                               |               |
| सांगली                  | ८२.६                    | ८७.९                           | ३३                        | ३३,७१३                                                       | ०.७४२                               | अति उच्च      |
| नाशिक                   | ८१.०                    | ८२.२                           | ४६                        | ३५,५४५                                                       | ०.७४६                               |               |
| सिंधुदुर्ग              | ८६.५                    | ८७.५                           | ३५                        | ३१,५६३                                                       | ०.७५३                               |               |
| रायगड                   | ८३.९                    | ८८.९                           | ३५                        | ३४,३७७                                                       | ०.७५९                               |               |
| कोल्हापूर               | ८२.९                    | ८८.४                           | १३                        | ३६,१७८                                                       | ०.७७०                               |               |
| नागपूर                  | ८९.५                    | ९२.६                           | ४०                        | ३७,९९५                                                       | ०.७८६                               |               |
| ठाणे \$                 | ८६.२                    | ७८.५                           | ३४                        | ५०,४०८                                                       | ०.८००                               |               |
| पुणे                    | ८७.२                    | ८८.२                           | २८                        | ५०,१५८                                                       | ०.८१४                               |               |
| मुंबई @                 | ९०.३                    | ८५.५                           | १८                        | ५८,८१८                                                       | ०.८४१                               |               |
| <b>महाराष्ट्र राज्य</b> | <b>८२.९</b>             | <b>८५.४</b>                    | <b>४४</b>                 | <b>३५,०३३</b>                                                | <b>०.७५२</b>                        |               |

आधार - महाराष्ट्र मानव विकास अहवाल २०१२

टीप - @ मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हे एकत्रित

\$ पालघरसह



૧૧  
વિશેષ અભ્યાસ





# ११. विशेष अभ्यास

## प्रास्ताविक

११.१ राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय, केंद्र शासन निरनिराळ्या सामाजिक व आर्थिक विषयांवर नियमितपणे देशव्यापी सर्वेक्षण घेते. राज्य या सर्वेक्षणात ग्रामीण भागात अनुरूप नमुना तत्वावर व नागरी भागात केंद्र नमुन्याच्या दीडपट नमुना तत्वावर सहभागी आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (रानपा) ७६ व्या फेरी अंतर्गत 'पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य व घरांची स्थिती' आणि 'दिव्यांग व्यक्तींची पाहणी' या विषयावर जुलै, २०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण घेण्यात आले.

११.२ सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे राज्य नमुन्याकरीता निवडलेल्या ग्रामीण भागातील ३९० गावे व नागरी भागातील ५८६ नागरी घटकांमधून गोळा केलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. 'पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य व घरांची स्थिती' या प्रपत्राकरिता ११,६६४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी ४,६४४ कुटुंबे ग्रामीण भागातील आणि ७,०२० कुटुंबे नागरी भागातील होती. 'दिव्यांग व्यक्तींची पाहणी' या प्रपत्राकरिता १०,६९४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी ५,४४६ कुटुंबे ग्रामीण भागातील आणि ५,२४८ कुटुंबे नागरी भागातील होती.

११.३ कुटुंबातील सदस्याने दिलेल्या तोंडी माहितीवरून या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. सांख्यिकीय पद्धतीनुसार नमुना निवड असली तरी नमुना निवड पद्धतीतील मूळ मर्यादा व त्रुटी, इत्यादीचा प्रभाव या निष्कर्षांमध्ये असू शकतो.

## पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य व घरांची स्थिती

११.४ घराचा प्रकार, मालकी, रचना व स्थिती, क्षेत्रफळ, घराचे वय इत्यादी गोळा करण्यात आलेल्या आकडेवारीवर आधारित काही निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत :

- ग्रामीण भागातील ९३ टक्के तर नागरी भागातील ६७ टक्के कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीचे घर होते. भाडेतत्वावर घेतलेल्या घरांची टक्केवारी ग्रामीण भागात ४.१ टक्के व नागरी भागात ३१.३ टक्के होती.
- सरासरी मासिक घरभाडे ग्रामीण भागात ₹२,०३५ व नागरी भागात ₹४,१६४ होते.
- ग्रामीण भागात घराचा वापर मुख्यतः निवासाकरीता (९७.५ टक्के) तर नागरी भागात ९० टक्के घरांचा वापर निवासी आणि १० टक्के घरांचा वापर निवासी व व्यापारी कारणासाठी होता.
- घरांच्या स्थितीनुसार सन २००२, २०१२ व २०१८ मधील कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता ११.१ मध्ये दिली आहे

## तक्ता ११.१ घरांच्या स्थितीनुसार कुटुंबांची टक्केवारी

(टक्के)

| क्षेत्र | रानपा ५८ वी फेरी<br>(जुलै- डिसेंबर, २००२) |            |      | रानपा ६९ वी फेरी<br>(जुलै- डिसेंबर, २०१२) |            |      | रानपा ७६ वी फेरी<br>(जुलै- डिसेंबर, २०१८) |            |      |
|---------|-------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|------------|------|
|         | चांगली                                    | समाधानकारक | वाईट | चांगली                                    | समाधानकारक | वाईट | चांगली                                    | समाधानकारक | वाईट |
| ग्रामीण | ३३.०                                      | ५५.०       | १२.० | ४७.६                                      | ४३.७       | ८.७  | ४४.३                                      | ४५.०       | १०.७ |
| नागरी   | ४९.८                                      | ४२.२       | ८.०  | ६३.१                                      | ३१.७       | ५.१  | ६१.९                                      | ३२.५       | ५.७  |
| एकुण    | ४०.२                                      | ४९.४       | १०.४ | ५४.३                                      | ३८.५       | ७.२  | ५२.८                                      | ३९.०       | ८.३  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- ग्रामीण भागातील २९ टक्के कुटुंबांची घरे १० ते २० वर्षे जुनी, २८ टक्के कुटुंबांची घरे २० ते ४० वर्षे जुनी आणि १२ टक्के कुटुंबांची घरे ४० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त जुनी होती. नागरी भागात ही टक्केवारी अनुक्रमे ३०, २६ व १० होती.
- स्वतंत्र घरात राहणाऱ्या कुटुंबांची टक्केवारी ग्रामीण भागात ८३.६ टक्के आणि नागरी भागात ४०.७ टक्के होती तर सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची टक्केवारी ग्रामीण भागात ५.१ टक्के व नागरी भागात ४१.७ टक्के होती.
- ग्रामीण व नागरी भागातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांच्या घरांमध्ये हवा खेळती राहण्याची व्यवस्था चांगली किंवा समाधानकारक होती.
- ग्रामीण भागातील ३३.१ टक्के कुटुंबांकडे आणि नागरी भागातील २२.६ टक्के कुटुंबांकडे स्वतंत्र स्वयंपाकघर नव्हते.
- ग्रामीण भागातील २४.३ टक्के कुटुंबांकडे आणि नागरी भागातील २.२ टक्के कुटुंबांकडे सांडपाण्याची व्यवस्था नव्हती.
- ग्रामीण व नागरी भागातील ९७ टक्क्यांपेक्षा जास्त कुटुंबांकडे घरगुती वापराकरीता वीज होती. विद्युतवाहक तार जोडणीच्या प्रकारानुसार कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता ११.२ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ११.२ विद्युतवाहक तार जोडणीच्या प्रकारानुसार कुटुंबांची टक्केवारी

(टक्के)

| क्षेत्र | घरगुती वापराकरीता वीज<br>असणारी कुटुंबे | विद्युतवाहक तार जोडणीचा प्रकार |                 |           |      |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------|
|         |                                         | पाईपाद्वारे                    | भिंतीवर लावलेली | तात्पुरती | एकूण |
| ग्रामीण | ९७.२                                    | ४३.०                           | २८.५            | २८.५      | १००  |
| नागरी   | ९९.३                                    | ६६.६                           | २७.७            | ५.७       | १००  |
| एकूण    | ९८.२                                    | ५४.५                           | २८.१            | १७.४      | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

#### कुटुंबांकडे असलेल्या राहणीमानाच्या सुविधा

- पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोताच्या उपलब्धतेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता ११.३ मध्ये दिली आहे.

#### तक्ता ११.३ पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोताच्या उपलब्धतेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी

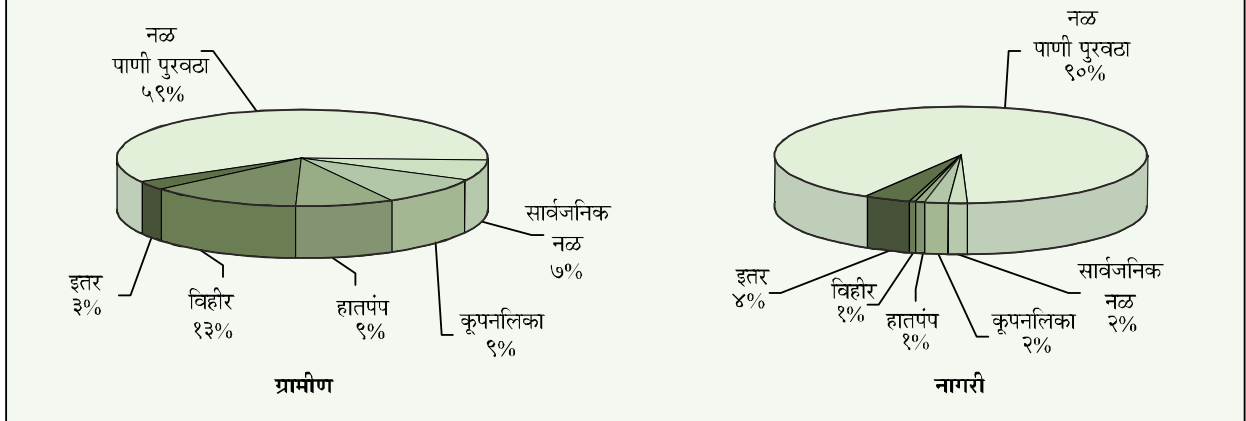
(टक्के)

| क्षेत्र | वैयक्तिक वापर | इमारतीमधील<br>कुटुंबांचा सार्वजनिक<br>वापर | शेजारील<br>स्रोत | सार्वजनिक वापर  |             | इतर | एकूण |
|---------|---------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----|------|
|         |               |                                            |                  | सार्वजनिक स्रोत | खाजगी स्रोत |     |      |
| ग्रामीण | ६३.४          | ८.३                                        | ३.४              | २१.२            | ०.५         | ३.२ | १००  |
| नागरी   | ७८.१          | १३.२                                       | २.५              | २.८             | ०.६         | २.८ | १००  |
| एकूण    | ७०.५          | १०.७                                       | २.९              | १२.३            | ०.६         | ३.० | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- ग्रामीण भागातील ७३.५ टक्के कुटुंबांकडे पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत घरामध्ये किंवा घराबाहेर परंतु घराच्या परिसरामध्ये होता, २१.५ टक्के कुटुंबांना ०.२ किमी पेक्षा कमी आणि पाच टक्के कुटुंबांना ०.२ किमी पेक्षा जास्त अंतरावरून पाणी आणावे लागत होते तर नागरी भागामध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ९४.५, ४.४ आणि १.१ टक्के होते.

**आलेख ११.१ : पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतांनुसार कुटुंबांची टक्केवारी**



- ग्रामीण भागातील ७०.३ टक्के आणि नागरी भागातील ७५.७ टक्के कुटुंबे पिण्याच्या पाण्यावर वापरापुर्वी प्रक्रिया करीत होते. ग्रामीण भागामध्ये पिण्याचे पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी साधारणपणे 'कापडाने गाळून' (४९.८ टक्के), 'वीजेवर आधारित शुद्धीकरण यंत्र' (७.१ टक्के) आणि 'तुरटी, ब्लीचिंग पावडर किंवा क्लोरीनच्या गोळ्या' (६.२ टक्के) वापरले जात होते. नागरी भागामध्ये पिण्याचे पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी साधारणपणे 'कापडाने गाळून' (३०.५ टक्के), 'वीजेवर आधारित शुद्धीकरण यंत्र' (२३ टक्के), 'उकळून' (९.१ टक्के) आणि 'वीजरहित शुद्धीकरण यंत्र' (६.५ टक्के) वापरले जात होते.
- पाणी पुरवठ्याच्या वारंवारतेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी तक्ता ११.४ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ११.४ पाणी पुरवठ्याच्या वारंवारतेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी**

(टक्के)

| क्षेत्र | पाणी पुरवठ्याची वारंवारता |                   |                   |                 |     | एकूण |
|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|------|
|         | दैनंदिन                   | दोन दिवसातून एकदा | तीन दिवसातून एकदा | आठवड्यातून एकदा | इतर |      |
| ग्रामीण | ५३.६                      | २२.८              | १५.९              | ७.१             | ०.६ | १००  |
| नागरी   | ७६.०                      | ९.०               | ७.४               | ६.८             | ०.८ | १००  |
| एकूण    | ६५.९                      | १५.२              | ११.२              | ७.०             | ०.७ | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

**स्नानगृह व स्वच्छतेची सुविधा**

- ग्रामीण भागातील ८७.८ टक्के व नागरी भागातील ९१.७ टक्के कुटुंबांना स्नानगृह सुविधा उपलब्ध होती. ग्रामीण आणि नागरी भागातील कुटुंबांचे स्नानगृहाच्या उपलब्धतेनुसार वर्गीकरण तक्ता ११.५ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ११.५ स्नानगृहाच्या उपलब्धतेनुसार कुटुंबांची टक्केवारी**

(टक्के)

| क्षेत्र | स्नानगृहाची उपलब्धता |                                      |                          |                           |     | एकूण |
|---------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------|
|         | वैयक्तिक वापर        | इमारतीमधील कुटुंबांचा सार्वजनिक वापर | विनाशुल्क सार्वजनिक वापर | शुल्कासहित सार्वजनिक वापर | इतर |      |
| ग्रामीण | ८०.९                 | ६.५                                  | ०.०                      | ०.०                       | ०.४ | १००  |
| नागरी   | ८५.१                 | ६.३                                  | ०.२                      | ०.१                       | ०.१ | १००  |
| एकूण    | ८२.९                 | ६.४                                  | ०.१                      | ०.०                       | ०.२ | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- ग्रामीण भागातील ७३.२ टक्के कुटुंबांकडे सेप्टीक टँक प्रकाराचे आणि १२.९ टक्के कुटुंबांकडे एक शोष खड्डा प्रकाराचे शौचालय होते. नागरी भागामध्ये ५३.९ टक्के कुटुंबांकडे मल निःस्सारण व्यवस्था असलेले आणि ४३.५ टक्के कुटुंबांकडे सेप्टीक टँक प्रकाराचे शौचालय होते.
- ग्रामीण भागातील ४.५ टक्के आणि नागरी भागातील ८.२ टक्के कुटुंबांनी शौचालयात किंवा शौचालयाजवळ पाण्याची व्यवस्था नसल्याचे सांगितले.

### सभोवतालच्या वातावरणातील सूक्ष्म घटक

- नागरी भागातील ७०.४ टक्के कुटुंबांनी घरगुती कचरा सार्वजनिक उकीरडयावर व १० टक्के कुटुंबांनी सार्वजनिक उकीरडया व्यतिरिक्त इतर जागेवर कचरा टाकल्याचे सांगितले. ग्रामीण भागातील १४.४ टक्के कुटुंबांनी घरगुती कचरा सार्वजनिक उकीरडयावर, २८.६ टक्के कुटुंबांनी स्वतःच्या जागेवरील उकीरडयावर आणि ३७.६ टक्के कुटुंबांनी सार्वजनिक उकीरडया व्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक जागेवर कचरा टाकल्याचे सांगितले.
- ग्रामीण भागातील २७ टक्के आणि नागरी भागातील ७५.७ टक्के कुटुंबांनी सार्वजनिक उकीरडयावरील कचरा दररोज उचलला जात असल्याचे सांगितले.
- ग्रामीण भागातील १४.५ टक्के कुटुंबांना आणि नागरी भागातील १२.२ टक्के कुटुंबांना घराभोवती साचलेल्या पाण्याचा त्रास सहन करावा लागला. तसेच ग्रामीण भागातील ८.७ टक्के कुटुंबांनी आणि नागरी भागातील ६.६ टक्के कुटुंबांनी घराच्या परिसरात मानवी विष्टा दिसत असल्याचे सांगितले.
- ग्रामीण भागातील ३०.४ टक्के कुटुंबांनी आणि नागरी भागातील २८.९ टक्के कुटुंबांनी माशा व डासांचा गंभीर उपद्रव होत असल्याचे सांगितले.
- नागरी भागातील झोपडपट्टीत राहणा-या नऊ टक्के कुटुंबांनी जमीन/ सदनिका वाटपाबाबतचा लाभ मिळाल्याचे सांगितले व २.६ टक्के कुटुंबांनी इतर लाभ मिळाल्याचे सांगितले.

### दिव्यांग व्यक्ती

११.५ 'दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायदा, २०१६' अन्वये दीर्घ काळापासून असलेल्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किंवा संवेदनांच्या कमतरतेमुळे समाजामध्ये इतर सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे वावरताना अडथळा येत असलेल्या व्यक्ती म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती होत. या सर्वेक्षणामध्ये 'दीर्घ कालावधी' हा १२ महीने किंवा त्यापेक्षा जास्त समजण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे अधिकार कायदा, २०१६ अन्वये दिव्यांगतेचे ढोबळ वर्गीकरण तक्ता ११.६ मध्ये दिले आहेत.

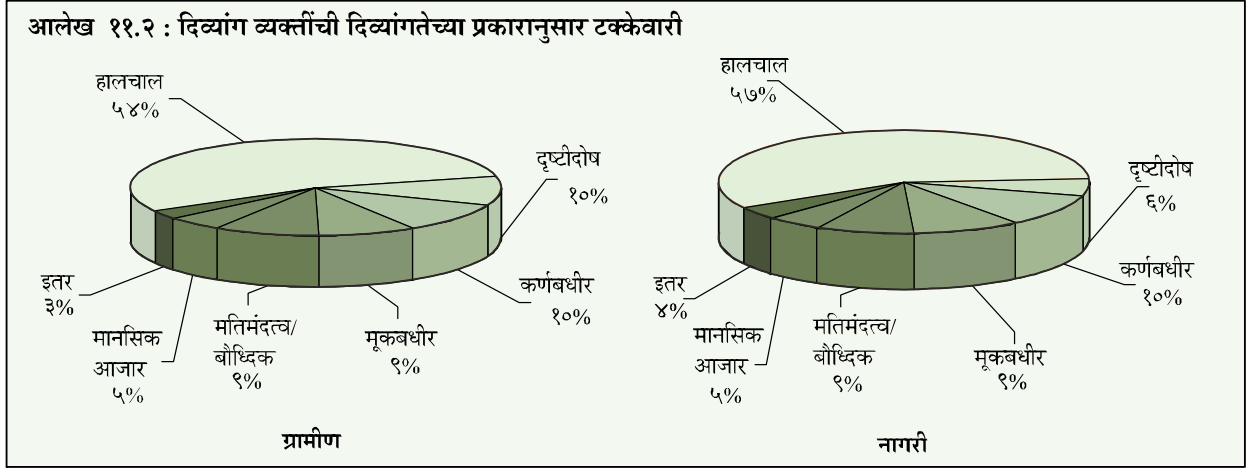
#### तक्ता ११.६ दिव्यांगतेचे वर्गीकरण

| विस्तृत गट         | दिव्यांगता                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हालचाल             | अॅसिड हल्ल्याने बाधित, कृष्ठरोग बरा झालेली व्यक्ती, पोलीओ, मेंदूसंबंधी आजार, बुटकेपणा, स्नायूंची विकृती, इतर हालचालीसंबंधी   |
| दृष्टीदोष          | अंधत्व, कमी दृष्टी                                                                                                           |
| कर्णबधीर           | कर्णबधीर                                                                                                                     |
| मूकबधीर            | मूकबधीर                                                                                                                      |
| मतिमंदत्व/ बौद्धिक | विशिष्ट गोष्टी शिकण्यासंबंधी दिव्यांगता, स्वमग्नता, इतर मानसिक / बौद्धिक                                                     |
| मानसिक आजार        | मानसिक आजार                                                                                                                  |
| इतर                | कंपवात, मेंदू आणि मज्जापेशींच्या न्हासामुळे होणारा रोग, इतर जुनाट मज्जातंतूविषयक आजार, थॅलासेमिया, हिमोफिलीया, सिकल सेल आजार |



११.६ कुटुंबातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीकरिता दिव्यांगता आल्याचे वय, घेतलेले उपचार, सार्वजनिक वाहतूक आणि सार्वजनिक इमारतींचा वापर करताना येणा-या अडचणी, दिव्यांगता प्रमाणपत्र असणे, नियमित काळजी घेण्याची व्यवस्था, शिक्षण आणि रोजगाराची स्थिती, इत्यादी दिव्यांगतेबाबतची तपशीलवार माहिती गोळा करण्यात आली. सर्वेक्षणावर आधारित काही निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत :

- कुटुंबात किमान एक दिव्यांग व्यक्ती असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी ग्रामीण भागामध्ये ६.८ टक्के आणि नागरी भागामध्ये ५.२ टक्के होती. ग्रामीण व नागरी भागातील दिव्यांग व्यक्तींची टक्केवारी अनुक्रमे १.७ टक्के आणि १.५ टक्के होती.



- ग्रामीण भागातील ३७ टक्के आणि नागरी भागातील २२ टक्के दिव्यांग व्यक्ती निरक्षर असल्याचे आढळले. ग्रामीण आणि नागरी भागातील पाच वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या दिव्यांग व्यक्तींची शैक्षणिक पात्रतेनुसार टक्केवारी तक्ता ११.७ मध्ये दिली आहे.

**तक्ता ११.७ पाच वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या दिव्यांग व्यक्तींची शैक्षणिक पात्रतेनुसार टक्केवारी**

(टक्के)

| दिव्यांगता                  | ग्रामीण |          |          |                          |      | नागरी   |          |          |                          |      |
|-----------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|------|---------|----------|----------|--------------------------|------|
|                             | निरक्षर | प्राथमिक | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक व त्यावरील | एकूण | निरक्षर | प्राथमिक | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक व त्यावरील | एकूण |
| हालचाल                      | ३१      | ३०       | १४       | २५                       | १००  | १९      | २४       | १४       | ४३                       | १००  |
| दृष्टीदोष                   | ४६      | ३०       | ११       | १३                       | १००  | ३२      | २५       | ११       | ३२                       | १००  |
| कर्णबधीर                    | ४८      | ३१       | ८        | १३                       | १००  | २३      | ३५       | ९        | ३३                       | १००  |
| मूकबधीर                     | ४२      | ४१       | ६        | ११                       | १००  | ३१      | ४३       | ९        | १७                       | १००  |
| मतिमंदत्व/ बौद्धिक          | ५४      | ३३       | ९        | ४                        | १००  | ४४      | ४२       | ६        | ८                        | १००  |
| मानसिक आजार                 | ४१      | ३१       | १३       | १५                       | १००  | २४      | २१       | १५       | ४०                       | १००  |
| इतर                         | ११      | ३६       | १०       | ४३                       | १००  | १२      | २६       | १०       | ५२                       | १००  |
| वरीलपैकी कोणतीही दिव्यांगता | ३७      | ३१       | १२       | २०                       | १००  | २२      | २८       | १२       | ३८                       | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- १२ ते ५९ वर्षे वयोगटातील दिव्यांग व्यक्तींपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक / तांत्रिक प्रशिक्षण मिळाले नव्हते.

- जन्मतः दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण ग्रामीण भागात ४२ टक्के आणि नागरी भागात ३२ टक्के होते. हे प्रमाण मतिमंदत्व/बौद्धिक दिव्यांग व मूकबधीर यांचेमध्ये जास्त होते.
- पूर्वी उपचार घेतलेल्या / उपचार घेत असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींचे दिव्यांगतेच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण तक्ता ११.८ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ११.८ पूर्वी उपचार घेतलेल्या / उपचार घेत असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींची दिव्यांगतेच्या प्रकारानुसार टक्केवारी**

(टक्के)

| दिव्यांगता          | ग्रामीण       |                  |                                   |                                    |      | नागरी         |                  |                                   |                                    |      |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|
|                     | उपचार घेतलेले | उपचार घेत असलेले | विशेष शाळा/विशेष उपचार घेत असलेले | कोणतेही उपचार न घेतलेले/घेत नसलेले | एकूण | उपचार घेतलेले | उपचार घेत असलेले | विशेष शाळा/विशेष उपचार घेत असलेले | कोणतेही उपचार न घेतलेले/घेत नसलेले | एकूण |
| हालचाल              | ६५            | २०               | ०                                 | १५                                 | १००  | ४९            | ४०               | ०                                 | ११                                 | १००  |
| दृष्टीदोष           | ६५            | ११               | ५                                 | १९                                 | १००  | ५९            | २३               | ०                                 | १८                                 | १००  |
| कर्णबधीर            | ५९            | १२               | १                                 | २८                                 | १००  | ६२            | १५               | १                                 | २२                                 | १००  |
| मूकबधीर             | ६३            | १४               | ०                                 | २३                                 | १००  | ५१            | २२               | ७                                 | २०                                 | १००  |
| मतिमंदत्व / बौद्धिक | ७०            | १८               | ०                                 | १२                                 | १००  | ४९            | ३४               | ७                                 | १०                                 | १००  |
| मानसिक आजार         | ४४            | ३९               | ०                                 | १७                                 | १००  | ३०            | ६०               | ०                                 | १०                                 | १००  |
| इतर                 | ३०            | ६०               | ०                                 | १०                                 | १००  | २२            | ७५               | ०                                 | ३                                  | १००  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- ग्रामीण भागातील २२ टक्के हालचाल दिव्यांग, २० टक्के दृष्टीदोष असलेले दिव्यांग, २१ टक्के कर्णबधीर दिव्यांगांनी संसाधने अधिग्रहीत केली होती. नागरी भागात हे प्रमाण अनुक्रमे ३६,३४ व ४७ होते. तसेच ग्रामीण व नागरी भागातील १५ टक्के कर्णबधीर दिव्यांगांनी संसाधने 'खरेदी करण्यास असमर्थ' असल्याने संसाधने अधिग्रहीत केली नसल्याचे सांगितले.
- दृष्टीदोष व मतिमंदत्व/बौद्धिक दिव्यांगता असलेल्या ५० टक्केपेक्षा जास्त व्यक्तींना दैनंदिन कामासाठी सतत मदतनीसाची आवश्यकता होती. राहण्याच्या सुविधेनुसार तसेच दैनंदिन कामासाठी सतत मदतनीसाची आवश्यकता असलेल्या ग्रामीण आणि नागरी भागातील गंभीर दिव्यांग व्यक्तींचे वर्गीकरण तक्ता ११.९ मध्ये दिले आहे.

**तक्ता ११.९ राहण्याच्या सुविधेनुसार आणि दैनंदिन कामासाठी सतत मदतनीसाची आवश्यकता असलेल्या गंभीर दिव्यांग व्यक्तींची टक्केवारी**

(टक्के)

| दिव्यांगता        | ग्रामीण      |                            |                                       | नागरी        |                            |                                       | दैनंदिन कामासाठी सतत मदतनीसाची आवश्यकता असलेल्या गंभीर दिव्यांग व्यक्ती |       |
|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   | एकटे राहणारे | केवळ जोडीदारा-सोबत राहणारे | जोडीदार किंवा इतर व्यक्तीसोबत राहणारे | एकटे राहणारे | केवळ जोडीदारा-सोबत राहणारे | जोडीदार किंवा इतर व्यक्तीसोबत राहणारे | ग्रामीण                                                                 | नागरी |
| हालचाल            | ३.३          | ९.७                        | ८७.०                                  | ६.१          | ६.२                        | ८७.७                                  | २५.६                                                                    | २८.२  |
| दृष्टीदोष         | ११.७         | ९.८                        | ७८.५                                  | ५.०          | ९.२                        | ८५.८                                  | ५४.३                                                                    | ५१.४  |
| कर्णबधीर          | ९.४          | १०.७                       | ७९.९                                  | १०.४         | ५.८                        | ८३.८                                  | -                                                                       | -     |
| मूकबधीर           | ६.५          | ५.०                        | ८८.५                                  | १४.६         | २.४                        | ८३.०                                  | -                                                                       | -     |
| मतिमंदत्व/बौद्धिक | ०.६          | ०.०                        | ९९.४                                  | १३.६         | १.०                        | ८५.४                                  | ५६.९                                                                    | ६७.१  |
| मानसिक आजार       | ४.३          | ८.४                        | ८७.३                                  | १.०          | ३.२                        | ९५.८                                  | ४२.८                                                                    | ३५.१  |
| इतर               | ०.५          | ४.४                        | ९५.१                                  | १.९          | ४.५                        | ९३.६                                  | १३.४                                                                    | २४.९  |

आधार : अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन

- ग्रामीण भागातील ८१.६ टक्के आणि नागरी भागातील ७३.१ टक्के दिव्यांग व्यक्तींकडे नियमित मदतनीस उपलब्ध होता. ग्रामीण भागातील १.६ टक्के व नागरी भागातील एक टक्का दिव्यांग व्यक्तींना मदतनीसाची आवश्यकता असूनदेखील मदतनीस उपलब्ध नव्हता.
- ग्रामीण आणि नागरी भागातील ६० टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्तींकडे दिव्यांगतेचे प्रमाणपत्र नव्हते.
- १५ वर्षे व त्यावरील वयाच्या दिव्यांग व्यक्तीपैकी २९.२ टक्के दिव्यांग व्यक्ती अपंगत्व येण्याआधी काम करीत होत्या, अपंगत्वामुळे काम गमावलेल्या दिव्यांगांची टक्केवारी ५३.६ टक्के होती व अपंगत्वामुळे कामाच्या प्रकारामध्ये बदल झालेल्या दिव्यांगांची टक्केवारी १७.१ टक्के होती.
- ग्रामीण भागातील ७८.३ टक्के दिव्यांग श्रमशक्तीबाहेर, २०.७ टक्के दिव्यांग रोजगार असलेले व एक टक्का दिव्यांग बेरोजगार होते. नागरी भागात हे प्रमाण अनुक्रमे ७९.६, १९.४ व १ होते.
- पायऱ्या किंवा जिना असल्याने तसेच उतरण, उद्वहन, खरबडीत फरशी उपलब्ध नसल्याने हालचाल दिव्यांगता असलेल्या ५५.९ टक्के दिव्यांगांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करताना व ५७.१ टक्के दिव्यांगांनी सार्वजनिक इमारतीत वावरताना अडचण येत असल्याचे सांगितले. हे प्रमाण दृष्टीदोष दिव्यांगांमध्ये अनुक्रमे २८.६ व ३५.३ टक्के होते.

\* \* \* \* \*



## व्याख्या सूची

### लोकसंख्या

**बालकांमधील मुलामुलींचे प्रमाण (०-६ वर्षे) :** लोकसंख्येतील '० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलींची त्याच वयोगटातील दर १००० मुलांच्या तुलनेत असलेली संख्या' अशी बालकांमधील मुलामुलींच्या प्रमाणाची व्याख्या करण्यात आली आहे.

$$\text{बालकांमधील मुलामुलींचे प्रमाण (०-६ वर्षे)} = \frac{\text{० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलींची संख्या}}{\text{० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांची संख्या}} \times १०००$$

**संस्थात्मक कुटुंब :** 'संस्थात्मक कुटुंब' म्हणून अशी संस्था विचारात घेतली जाते, ज्या संस्थेत सामायिक स्वयंपाकगृहातील भोजन घेणा-या परस्पर असंबंधित व्यक्तींचा समूह वास्तव्य करतो. या प्रकारच्या कुटुंब संस्थेत बोर्डिंग गृह, खानावळी, वसतिगृहे, हॉटेल्स, बचाव गृहे, निरीक्षण गृहे, भिक्षेकरी गृह, कारागृह, आश्रम, वृद्धाश्रम, पाळणाघरे, अनाथालये, इत्यादींचा समावेश होतो.

**कुटुंब प्रमुख :** जनगणनेच्या हेतूने, कुटुंबप्रमुख म्हणजे कुटुंबाकडून कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून ओळखली जात असलेली व्यक्ती होय. कुटुंबाच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने मुख्य जबाबदारी घेते तसेच कुटुंबाच्या वतीने निर्णय घेते अशी व्यक्ती असते. 'कुटुंबप्रमुख' हा सर्वात वयस्कर पुरुष सदस्य किंवा कमविणारा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही, तर स्त्री किंवा तरुण-तरुणीपैकी कोणताही सदस्य असू शकतो.

**मुख्य कामगार :** संदर्भ कालावधीत ६ महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस (१८० दिवस) काम केलेल्या कामगारांना मुख्य कामगार असे संबोधतात.

**सीमांतिक कामगार :** संदर्भ कालावधीत ६ महिन्यांपेक्षा कमी दिवस (१८० दिवस) काम केलेल्या कामगारांना सीमांतिक कामगार असे संबोधतात.

**कामाच्या शोधात/कामासाठी उपलब्ध व्यक्ती :** ज्या व्यक्तीकडे काम नाही, काम केलेले नाही तथापि, रोजगार विनिमय केंद्र, मध्यस्थ, मित्र अथवा नातेवाईक यांच्यामार्फत किंवा संभाव्य नियोक्त्यांना अर्ज करून सद्यःस्थितीतील उपलब्ध काम व त्याचा मेहनताना विचारात घेऊन कामाची मागणी करीत आहे, काम करण्याची इच्छा किंवा कामासाठी उपलब्धता दर्शविली आहे, अशी व्यक्ती

**श्रमशक्ती :** काम करणाऱ्या (रोजगारीत असलेल्या) व कामाच्या शोधात किंवा कामासाठी उपलब्ध असणाऱ्या (बेरोजगार) व्यक्ती मिळून श्रमशक्ती तयार होते.

**कार्यशक्ती (रोजगार असलेले) :** कोणत्याही आर्थिक कार्यात गुंतलेल्या (रोजगारीत असलेल्या) व्यक्ती मिळून कार्यशक्ती तयार होते.

**कार्य सहभाग दर :** एकूण काम करणाऱ्यांचे (मुख्य + सीमांतिक) (जनगणना २०११ नुसार) एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी म्हणजे कार्य सहभाग दर होय.

$$\text{कार्य सहभाग दर} = \frac{\text{एकूण काम करणारे (मुख्य + सीमांतिक)}}{\text{एकूण लोकसंख्या}} \times १००$$

**श्रमशक्ती सहभाग दर :** दर हजार व्यक्तींपैकी श्रमशक्तीतील (काम करणारे व बेरोजगार या दोन्हींचा समावेश असतो) व्यक्तींची संख्या म्हणजे श्रमशक्ती सहभाग दर होय.

$$\text{श्रमशक्ती सहभाग दर} = \frac{\text{(काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या + बेरोजगार व्यक्तींची संख्या)}}{\text{एकूण लोकसंख्या}} \times १०००$$

**काम करणान्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण :** दर हजार व्यक्तींपैकी काम करणान्या व्यक्तींची संख्या म्हणजे काम करणान्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण होय.

$$\text{काम करणान्यांचे लोकसंख्येशी प्रमाण} = \frac{\text{काम करणा-या व्यक्तींची संख्या}}{\text{एकूण लोकसंख्या}} \times १०००$$

(श्रम केंद्र, भारत सरकार यांनी वापरलेल्या संज्ञेनुसार)

**बेरोजगार दर :** श्रमशक्तीतील दर हजार व्यक्तींमधील बेरोजगार व्यक्तींची संख्या म्हणजे बेरोजगार दर होय.

$$\text{बेरोजगार दर} = \frac{\text{बेरोजगार व्यक्तींची संख्या}}{(\text{काम करणा-या व्यक्तींची संख्या} + \text{बेरोजगार व्यक्तींची संख्या})} \times १०००$$

**नित्य मुख्य कार्य स्थिती :** पाहणीच्या दिवसापूर्वी मागील ३६५ दिवसात एखादी व्यक्ती तुलनेने ज्या कार्यस्थितीवर जास्त वेळ कार्यरत असते त्यास नित्य मुख्य कार्य स्थिती असे संबोधले जाते.

## लोकवित्त

**प्राथमिक तूट :** प्राथमिक तूट म्हणजे राजकोषीय तूटीमधून व्याजप्रदाने वगळल्यावर येणारी रक्कम होय.

## जन्म-मृत्यु सांख्यिकी

**जन्म दर :** दर हजार व्यक्तींमागे त्या वर्षातील जीवित जन्मांची संख्या

**मृत्यू दर :** दर हजार व्यक्तींमागे त्या वर्षातील मृत्यूंची संख्या

**अर्भक मृत्यू दर :** दर हजार जीवित जन्मांमागे अर्भकांच्या (एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा लहान) मृत्यूंची संख्या

**नवजात मृत्यू दर :** चालू वर्षातील जीवित जन्मांमागे २९ दिवसांपेक्षा कमी वय असलेल्या नवजात शिशूंच्या मृत्यूंची संख्या

**५ वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर :** दर हजार जीवित जन्मांमागे ५ वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूंची संख्या

**माता मृत्यू :** कोणत्याही स्त्रीचा मृत्यू गरोदरपणात किंवा गरोदरपणाची समाप्ती झाल्यानंतर ४२ दिवसांच्या आत, गरोदरपणाच्या कालावधीचा व गर्भधारणेची जागा याचा विचार न करता गरोदरपणाशी संबंधित कारणाने किंवा ज्याची गरोदरपणामुळे किंवा त्याच्या व्यवस्थापनामुळे तीव्रता वाढेल अशा कारणाने अपघाती किंवा प्रासंगिक कारणे वगळून झालेला मृत्यू होय.

**माता मृत्यू प्रमाण :** संबंधित वर्षामध्ये गरोदरपणाची गुंतागुंत किंवा प्रसुती दरम्यान गुंतागुंत निर्माण झाल्यामुळे प्रति १,००,००० जीवित जन्मांमागे त्या वर्षातील स्त्रियांच्या मृत्यूंची संख्या

$$\text{माता मृत्यू प्रमाण} = \frac{\text{एका ठराविक कालावधीमध्ये झालेले एकूण माता मृत्यू}}{\text{त्याच कालावधीमध्ये झालेले एकूण जिवंत जन्म}} \times १,००,०००$$

**एकूण जनन दर :** स्त्रीच्या संपुर्ण प्रजनन कालावधीमध्ये स्त्रीला होणारी सरासरी मुले

## शिक्षण

एकूण पटसंख्येचे प्रमाण =  $\frac{\text{विशिष्ट शैक्षणिक स्तरामधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या}}{\text{विशिष्ट शैक्षणिक स्तराकरिता अधिकृत वयोगटातील लोकसंख्या}} \times १००$

स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक =  $\frac{\text{मुलींच्या एकूण पटसंख्येचे प्रमाण}}{\text{मुलांच्या एकूण पटसंख्येचे प्रमाण}}$

**विशेष गरजा असलेली मुले :** विशेष गरजा असलेली मुले म्हणजे दृष्टीदोष, श्रवणदोष, हालचाल दोष, आकलनदोष, सेरेब्रल पाल्सी किंवा मतिमंदत्व यांसारख्या रोगाने पिडीत असलेली सर्व मुले होय.

**गळतीचे प्रमाण :** संदर्भित शैक्षणिक वर्षात एखाद्या शाळेच्या पटावर नोंद झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व त्यापुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये त्या शाळेच्या पटावर अद्याप नोंदणी न झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यांचे प्रमाण म्हणजे गळतीचे प्रमाण होय.

### शिक्षण विकास निर्देशांक परिगणित करण्याकरीता वापरलेले चल

| घटक                   | निर्देशक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>उपलब्धता</b>       | <p>दर दहा चौ. किमी मागील शाळांची घनता</p> <p>दर हजार मुलांच्या संख्येमागे शाळांची उपलब्धता</p> <p>प्राथमिक शाळांचे उच्च प्राथमिक शाळांशी/तुकड्यांशी प्रमाण</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>पायाभूत सुविधा</b> | <p>विद्यार्थी-वर्गखोल्या यांचे प्रमाण : प्राथमिकसाठी ३० पेक्षा जास्त आणि उच्च प्राथमिकसाठी ३५ पेक्षा जास्त असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>वर्गखोल्या-शिक्षक यांचे प्रमाण : १:१ असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>मुलांसाठी स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>मुलींसाठी स्वच्छतागृहे असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>दिव्यांगांसाठी उतार आवश्यक व उपलब्ध असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>स्वयंपाकघर असलेल्या शाळांची टक्केवारी (शासकीय/अनुदानित शाळा)</p>                                                                                                                                                                      |
| <b>शिक्षक</b>         | <p>शिक्षिका असलेल्या शाळांची टक्केवारी (दोन किंवा अधिक शिक्षक असलेल्या शाळांमध्ये)</p> <p>विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण : प्राथमिकसाठी ३० पेक्षा जास्त आणि उच्च प्राथमिक ३५ पेक्षा जास्त असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>एकच शिक्षक असलेल्या शाळांची टक्केवारी</p> <p>व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता नसलेले शिक्षक</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>फलनिष्पत्ती</b>    | <p>सरासरी अध्यापन दिवसांची संख्या</p> <p>शिक्षकांचे सरासरी शिकवणी तास</p> <p>शासकीय शाळांतील मागील वर्षाच्या तुलनेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांमधील शेकडा बदल पटसंख्येचे प्रमाण</p> <p>अनुसूचित जातींच्या मुलांचा सहभाग : अनुसूचित जाती लोकसंख्येची टक्केवारी (२०११ जनगणनेनुसार)- अनुसूचित जाती पटसंख्या टक्केवारी</p> <p>अनुसूचित जमातींच्या मुलांचा सहभाग : अनुसूचित जमाती लोकसंख्येची टक्केवारी (२०११ जनगणनेनुसार)- अनुसूचित जमाती पटसंख्या टक्केवारी</p> <p>मुस्लिम मुलांचा सहभाग : मुस्लिम लोकसंख्येची टक्केवारी (२०११ जनगणनेनुसार)- मुस्लिम पटसंख्या टक्केवारी</p> <p>मुलींच्या पटसंख्येचे मुलांच्या पटसंख्येशी प्रमाण</p> <p>गळतीचे प्रमाण</p> <p>प्राथमिक स्तरामधून उच्च प्राथमिक स्तरामध्ये संक्रमण दर</p> |

## आर्थिक

**देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न :** कोणत्याही भौगोलिक सीमांकित क्षेत्रातील विशिष्ट कालावधीमध्ये (साधारणपणे एक वर्ष) निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांचे (द्विरुक्ती टाळून) मूल्याच्या स्वरूपात केलेले मोजमाप. सर्वसाधारणपणे भौगोलिक क्षेत्र म्हणजे देश. जर भौगोलिक क्षेत्र राज्य असेल तर त्यास स्थूल राज्य उत्पन्न आणि जर भौगोलिक क्षेत्र जिल्हा असेल तर त्यास स्थूल जिल्हा उत्पन्न असे संबोधले जाते.

**देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (बाजार किंमतीनुसार) :** प्रत्येक उद्योगापासून तयार करण्यात आलेल्या मूळ किंमतीनुसार स्थूल मूल्यवृद्धि + आयात शुल्कांसह उत्पादनावरील कर वजा उत्पादनावरील अनुदान

निव्वळ उत्पन्नाची जसे देशांतर्गत निव्वळ उत्पन्न, निव्वळ राज्य उत्पन्न व निव्वळ जिल्हा उत्पन्न परिगणना करतांना संबंधित स्थूल उत्पन्नातून स्थिर भांडवलाचा घसारा वजा करण्यात येतो.

**स्थूल मूल्यवृद्धि (मूळ किंमतीनुसार) :** कर्मचार्यांची भरपाई + व्यवस्थापन अधिक्क / मिश्र उत्पन्न + स्थिर भांडवलाचा घसारा + उत्पादन कर वजा उत्पादन अर्थसहाय्य

**स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न :** देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात विदेश व्यवहारातील देवाण-घेवणातील फरकाचा समावेश करून स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यात येते.

**निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न :** स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नामधून स्थिर भांडवलाचा घसारा वजा करून निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न परिगणित करण्यात येते. यास राष्ट्रीय उत्पन्न असेही संबोधले जाते.

**दरडोई उत्पन्न :** राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्न, राज्य दरडोई उत्पन्न आणि जिल्हा दरडोई उत्पन्न हे संबंधित भौगोलिक क्षेत्राच्या निव्वळ उत्पन्नाला मध्यावधी लोकसंख्येने भागून परिगणित करण्यात येते.

**आगाऊ अंदाज** म्हणजे उपलब्ध अनुरूप/प्रतिनिधिक निर्देशक वापरून केलेले अंदाज.

**ग्राहक वस्तू :** स्वतःच्या व कुटुंबाच्या वापरासाठी ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तू.

**मध्यम तयार माल :** दुसऱ्या वस्तू तयार करण्याकरिता वापरात येणाऱ्या वस्तू.

**भांडवली वस्तू :** वस्तू तयार करण्यात येणारी यंत्रे, इत्यादि.

**स्थूल उत्पादन :** लेखा वर्षात उत्पादित झालेली उत्पादने व उप उत्पादने यांचे प्रत्यक्ष करविरहित मूल्य (म्हणजे विक्रीवरील कर व शूलक वगळून आणि असल्यास अनुदान समाविष्ट करून) आणि अर्ध निर्मित वस्तूंचे मूळ मूल्य, स्वतःसाठी केलेल्या बांधकामाचे मूल्य, पूरविण्यात आलेल्या औद्योगिक व बिगर-औद्योगिक सेवांमुळे प्राप्त जमा, प्रकल्प यंत्रसामग्री व इतर स्थायी मालमत्ता यांचे भाडे, मुळ स्थितीत खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीद्वारे मिळणारी निव्वळ शिल्लक आणि निर्माण करून विक्री केलेल्या विजेचे मूल्य यांचा स्थूल उत्पादनामध्ये समावेश होतो.

**निव्वळ मूल्यवृद्धि :** स्थूल उत्पादनातून एकूण निविष्टी मूल्य व घसारा वजा केल्यावर निव्वळ मूल्यवृद्धि प्राप्त होते.



## सर्वसाधारण

**ग्रामीण विद्युतीकरण** (विद्युतीकरण केलेले खेडे) : ज्या खेड्यात (१) वस्ती असलेल्या भागात तसेच दलित वस्ती/ वाडी अस्तित्वात असल्यास तेथे वितरण रोहित्र आणि वितरण तारमार्ग यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरविल्या असल्यास, (अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे विद्युतीकरणासाठी वितरण रोहित्राची आवश्यकता असेलच असे नाही); (२) शाळा, पंचायत कार्यालय, आरोग्य केंद्रे, दवाखाने, समाजमंदिर, इत्यादि सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी वीज पुरविली असल्यास आणि (३) गावातील एकूण कुटुंबांच्या संख्येपैकी वीजपुरवठा केलेल्या कुटुंबांची संख्या किमान १० टक्के इतकी असल्यास; त्या खेड्यास विद्युतीकरण झालेले खेडे घोषित करता येईल.

(उर्जा मंत्रालय, भारत सरकारने ग्रामीण विद्युतीकरण धोरण-२००६ अंतर्गत निश्चित केलेली व्याख्या)

**दरडोई विजेचा अंतिम वापर** : विजेच्या अंतिम वापरास मध्यावधी लोकसंख्येने भागून परिगणित करण्यात येते

विजेचा अंतिम वापर म्हणजे ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेली वीज (किंवा ग्राहकांना विकलेली वीज) होय.

**उर्जा - एकके :**

१ मे.वॅ. = १ मेगावॅट = १,००० किलोवॅट = १०,००,००० वॅट

१ युनिट = १ किलो-वॅट-तास

१ दशलक्ष युनिट्स = १०,००,००० युनिट्स = १०,००,००० कि.वॅ.तास

१ एमव्हीए = १ दशलक्ष व्होल्ट अॅम्पिअर

**वाहन उत्पादकता** : प्रति वाहनाने वाहतूक केलेले प्रतिदिन सरासरी किलोमीटर.

**चालक वाहक उत्पादकता** : चालक व वाहकांनी किलोमीटरमध्ये केलेले प्रतिदिन सरासरी काम.

$$\text{लोड फॅक्टर टक्के} = \frac{\text{प्रत्यक्ष प्रवासी उत्पन्न}}{\text{अपेक्षित प्रवासी उत्पन्न}} \times १००$$

**राज्य व जिल्हा मानव विकास निर्देशांक मापनासाठी पद्धती (राज्य मानव विकास अहवाल-२०१२) :**

आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न या घटकांचे निर्देशांक खालील सूत्राने परिगणित करण्यात आले आहेत.

$$I_x = 'X' \text{ घटकाचा निर्देशांक} = \frac{\text{प्रत्यक्ष मूल्य (value) - लघुत्तम मूल्य}}{\text{महत्तम मूल्य - लघुत्तम मूल्य}}$$

शिक्षणाच्या निर्देशांकाची परिगणना साक्षरतेला दोन-तृतीयांश व पटनोंदणी दराला एक-तृतीयांश भारांक (weight) देऊन करण्यात आली आहे.

घटक निर्देशांक काढल्यानंतर जिल्ह्यांच्या मानव विकास निर्देशांकासाठी घटक निर्देशांकाची साधी सरासरी घेण्यात आली आहे.

घटक निर्देशांक अनुमानित करण्यासाठी खाली दिल्याप्रमाणे महत्तम व लघुत्तम मूल्ये ठरविण्यात आली.

| घटक                                                    | महत्तम   | लघुत्तम |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|
| अर्भक जीवितत्व दर                                      | १,०००    | ०       |
| साक्षरता दर                                            | १००      | ०       |
| स्थूल पटसंख्या प्रमाण                                  | १००      | ०       |
| दरडोई निव्वळ अंतर्गत उत्पन्न<br>(चालू किंमतीनुसार) (₹) | १,५०,००० | १०,०००  |

टीप : अर्भक जीवितत्व दर = १,००० — अर्भक मृत्यू दर, उत्पन्नासाठी लॉग ट्रान्स्फॉर्मेशन वापरला आहे.

**पिकांची सघनता :** एकूण पिकांखालील क्षेत्राचा निव्वळ पेरणी क्षेत्राशी दर

**दूरध्वनीची घनता :** संदर्भ क्षेत्रामधील दर शंभर लोकसंख्येमागे दूरध्वनी जोडण्यांची संख्या

**स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळचे सरासरी वय :** दिलेल्या संदर्भ वर्षामध्ये लग्न केलेल्या स्त्रियांचे अंदाजित सरासरी वय

### पाणी पुरवठा व स्वच्छता:

**खुली हगणदारी मुक्त गाव :** अनुसूचित/घोषित खुली हागणदारी मुक्त गाव म्हणजे असा परिसर / गाव, जेथे दृश्य स्वरूपात विष्टा आढळली नाही आणि प्रत्येक कुटुंब, सार्वजनिक आणि सामुदायिक संस्था विष्टेची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा पर्याय वापरत आहेत.

**खुली हगणदारी मुक्त शहर :** खुली हगणदारी मुक्त असे अनुसूचित / घोषित केलेले शहर / प्रभाग, जेथे दिवसाच्या कोणत्याही वेळी एकही व्यक्ती उघड्यावर शौच करीत असलेली आढळली नाही.

**खुली हागणदारी मुक्त + शहर :** खुली हागणदारी मुक्त+ असे घोषित अनुसूचित केलेले शहर / प्रभाग, जेथे दिवसाच्या कोणत्याही वेळी एकही व्यक्ती उघड्यावर शौच / लघवी करीत असलेली आढळली नाही, जेथे सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक व सुस्थितीत आहेत.

\* \* \* \* \*

# भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक



## क. भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                       | भौगोलिक क्षेत्र<br>(लाख चौ.<br>किमी.) | लोकसंख्या<br>(लाख) | लोकसंख्येची<br>घनता<br>(प्रति चौ.<br>किमी.) | नागरी<br>लोकसंख्येची<br>एकूण<br>लोकसंख्येशी<br>टक्केवारी | राज्याच्या<br>लोकसंख्येची<br>भारताच्या<br>लोकसंख्येशी<br>टक्केवारी | लोकसंख्येतील<br>दशवर्षीय<br>वाढ<br>(टक्के) | स्त्री -पुरुष<br>प्रमाण | बालकांमधील<br>मुलामुलींचे<br>प्रमाण<br>(०-६ वर्षे<br>वयोगट) | एकूण कुटुंबे<br>(लाख) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| संदर्भ वर्ष किंवा<br>दिनांक | (२०११)                                | (२०११)             | (२०११)                                      | (२०११)                                                   | (२०११)                                                             | (२००१-११)                                  | (२०११)                  | (२०११)                                                      | (२०११)                |
| (१)                         | (२)                                   | (३)                | (४)                                         | (५)                                                      | (६)                                                                | (७)                                        | (८)                     | (९)                                                         | (१०)                  |
| आंध्र प्रदेश                | २.७५                                  | ८४५.८१             | ३०८                                         | ३३.३६                                                    | ७.००                                                               | १०.९८                                      | ९९३                     | ९३९                                                         | २१०.२३                |
| तेलंगणा ^                   | --                                    | --                 | --                                          | --                                                       | --                                                                 | --                                         | --                      | --                                                          | --                    |
| अरुणाचल प्रदेश              | ०.८४                                  | १३.८४              | १७                                          | २२.९४                                                    | ०.११                                                               | २६.०३                                      | ९३८                     | ९७२                                                         | २.७१                  |
| आसाम                        | ०.७८                                  | ३१२.०६             | ३९८                                         | १४.१०                                                    | २.५८                                                               | १७.०७                                      | ९५८                     | ९६२                                                         | ६४.०६                 |
| बिहार                       | ०.९४                                  | १,०४०.९९           | १,१०६                                       | ११.२९                                                    | ८.६०                                                               | २५.४२                                      | ९१८                     | ९३५                                                         | १८९.१४                |
| झारखंड                      | ०.८०                                  | ३२९.८८             | ४१४                                         | २४.०५                                                    | २.७२                                                               | २२.४२                                      | ९४९                     | ९४८                                                         | ६२.५५                 |
| दिल्ली                      | ०.०१                                  | १६७.८८             | ११,३२०                                      | ९७.५०                                                    | १.३९                                                               | २१.२१                                      | ८६८                     | ८७१                                                         | ३४.३६                 |
| गोवा                        | ०.०४                                  | १४.५९              | ३९४                                         | ६२.१७                                                    | ०.१२                                                               | ८.२३                                       | ९७३                     | ९४२                                                         | ३.४४                  |
| गुजरात                      | १.९६                                  | ६०४.४०             | ३०८                                         | ४२.६०                                                    | ४.९९                                                               | १९.२८                                      | ९१९                     | ८९०                                                         | १२२.४८                |
| हरियाणा                     | ०.४४                                  | २५३.५१             | ५७३                                         | ३४.८८                                                    | २.०९                                                               | १९.९०                                      | ८७९                     | ८३४                                                         | ४८.५८                 |
| हिमाचल प्रदेश               | ०.५६                                  | ६८.६५              | १२३                                         | १०.०३                                                    | ०.५७                                                               | १२.९४                                      | ९७२                     | ९०९                                                         | १४.८३                 |
| जम्मू व काश्मीर             | २.२२                                  | १२५.४१             | १२४                                         | २७.३८                                                    | १.०४                                                               | २३.६४                                      | ८८९                     | ८६२                                                         | २१.२०                 |
| कर्नाटक                     | १.९२                                  | ६१०.९५             | ३१९                                         | ३८.६७                                                    | ५.०५                                                               | १५.६०                                      | ९७३                     | ९४८                                                         | १३३.५७                |
| केरळ                        | ०.३९                                  | ३३४.०६             | ८६०                                         | ४७.७०                                                    | २.७६                                                               | ४.९१                                       | १,०८४                   | ९६४                                                         | ७८.५४                 |
| मध्य प्रदेश                 | ३.०८                                  | ७२६.२७             | २३६                                         | २७.६३                                                    | ६.००                                                               | २०.३५                                      | ९३१                     | ९१८                                                         | १५०.९३                |
| छत्तीसगड                    | १.३५                                  | २५५.४५             | १८९                                         | २३.२४                                                    | २.११                                                               | २२.६१                                      | ९९१                     | ९६९                                                         | ५६.५१                 |
| <b>महाराष्ट्र</b>           | <b>३.०८</b>                           | <b>१,१२३.७४</b>    | <b>३६५</b>                                  | <b>४५.२२</b>                                             | <b>९.२८</b>                                                        | <b>१६.००</b>                               | <b>९२९</b>              | <b>८९४</b>                                                  | <b>२४४.२२</b>         |
| मणिपूर                      | ०.२२                                  | २८.५६              | १२८                                         | २९.२१                                                    | ०.२४                                                               | २४.५०                                      | ९८५                     | ९३०                                                         | ५.५८                  |
| मेघालय                      | ०.२२                                  | २९.६७              | १३२                                         | २०.०७                                                    | ०.२५                                                               | २७.९५                                      | ९८९                     | ९७०                                                         | ५.४८                  |
| मिझोराम                     | ०.२१                                  | १०.९७              | ५२                                          | ५२.११                                                    | ०.०९                                                               | २३.४८                                      | ९७६                     | ९७०                                                         | २.२३                  |
| नागालँड                     | ०.१७                                  | १९.७९              | ११९                                         | २८.८६                                                    | ०.१६                                                               | -०.५८                                      | ९३१                     | ९४३                                                         | ३.९६                  |
| ओडिशा                       | १.५६                                  | ४१९.७४             | २७०                                         | १६.६९                                                    | ३.४७                                                               | १४.०५                                      | ९७९                     | ९४१                                                         | ९६.३८                 |
| पंजाब                       | ०.५०                                  | २७७.४३             | ५५१                                         | ३७.४८                                                    | २.२९                                                               | १३.८९                                      | ८९५                     | ८४६                                                         | ५५.१३                 |
| राजस्थान                    | ३.४२                                  | ६८५.४८             | २००                                         | २४.८७                                                    | ५.६६                                                               | २१.३१                                      | ९२८                     | ८८८                                                         | १२७.११                |
| सिक्कीम                     | ०.०७                                  | ६.११               | ८६                                          | २५.१५                                                    | ०.०५                                                               | १२.८९                                      | ८९०                     | ९५७                                                         | १.२९                  |
| तामीळनाडू                   | १.३०                                  | ७२१.४७             | ५५५                                         | ४८.४०                                                    | ५.९६                                                               | १५.६१                                      | ९९६                     | ९४३                                                         | १८५.२५                |
| त्रिपूरा                    | ०.१०                                  | ३६.७४              | ३५०                                         | २६.१७                                                    | ०.३०                                                               | १४.८४                                      | ९६०                     | ९५७                                                         | ८.५६                  |
| उत्तर प्रदेश                | २.४१                                  | १,९९८.१२           | ८२९                                         | २२.२७                                                    | १६.५०                                                              | २०.२३                                      | ९१२                     | ९०२                                                         | ३३४.४८                |
| उत्तराखंड                   | ०.५३                                  | १००.८६             | १८९                                         | ३०.२३                                                    | ०.८३                                                               | १८.८१                                      | ९६३                     | ८९०                                                         | २०.५७                 |
| पश्चिम बंगाल                | ०.८९                                  | ९१२.७६             | १,०२८                                       | ३१.८७                                                    | ७.५४                                                               | १३.८४                                      | ९५०                     | ९५६                                                         | २०३.८०                |
| <b>भारत<sup>§</sup></b>     | <b>३२.८७</b>                          | <b>१२,१०८.५५</b>   | <b>३८२</b>                                  | <b>३१.१४</b>                                             | <b>१००.००</b>                                                      | <b>१७.७०</b>                               | <b>९४३</b>              | <b>९१८</b>                                                  | <b>२,४९५.०२</b>       |

§ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट

^ विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| स्त्री कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे (लाख) | शेतकऱ्यांची संख्या (लाख) | पिण्यायोग्य / स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांची टक्केवारी | अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | दिव्यांग लोकसंख्येची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | झोपडपट्टीतील लोकसंख्येची (सर्व शहरे) नागरी लोकसंख्येशी टक्केवारी | मुख्यतः काम करणाऱ्यांची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी | कृषि विषयक काम करणाऱ्यांची एकूण काम करणाऱ्यांशी टक्केवारी | काम करणाऱ्या स्त्रियांचा सहभाग दर |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (२०११)                                    | (२०११)                   | (२०११)                                                                    | (२०११)                                                                    | (२०११)                                          | (२०११)                                                           | (२०११)                                             | (२०११)                                                    | (२०११)                            |
| (११)                                      | (१२)                     | (१३)                                                                      | (१४)                                                                      | (१५)                                            | (१६)                                                             | (१७)                                               | (१८)                                                      | (१९)                              |
| ३१.२७                                     | ६४.९२                    | ९०.५                                                                      | २३.४१                                                                     | २.६८                                            | ३६.१०                                                            | ३९.०६                                              | ५९.५१                                                     | ३६.१६                             |
| --                                        | --                       | --                                                                        | --                                                                        | --                                              | --                                                               | --                                                 | --                                                        | --                                |
| ०.३५                                      | ३.०३                     | ७८.६                                                                      | ६८.७९                                                                     | १.९३                                            | ४.९०                                                             | ३४.६०                                              | ५७.६७                                                     | ३५.४४                             |
| ८.५३                                      | ४०.६२                    | ६९.९                                                                      | १९.६०                                                                     | १.५४                                            | ४.४८                                                             | २७.८४                                              | ४९.३५                                                     | २२.४६                             |
| १९.७५                                     | ७१.९६                    | ९४.०                                                                      | १७.२०                                                                     | २.२४                                            | १०.५३                                                            | २०.५२                                              | ७३.५५                                                     | १९.०७                             |
| ६.८२                                      | ३८.१५                    | ६०.१                                                                      | ३८.२९                                                                     | २.३३                                            | ४.७०                                                             | २०.६७                                              | ६२.९९                                                     | २९.१०                             |
| ३.९५                                      | ०.३३                     | ९५.०                                                                      | १६.७५                                                                     | १.४०                                            | १०.११                                                            | ३१.६१                                              | १.३०                                                      | १०.५८                             |
| ०.८०                                      | ०.३१                     | ८५.७                                                                      | ११.९८                                                                     | २.२६                                            | २.८९                                                             | ३२.६४                                              | १०.०७                                                     | २१.९२                             |
| १२.३५                                     | ५४.४८                    | ९०.३                                                                      | २१.५०                                                                     | १.८१                                            | ६.५३                                                             | ३३.७०                                              | ४९.६१                                                     | २३.३८                             |
| ५.६६                                      | २४.८१                    | ९३.८                                                                      | २०.१७                                                                     | २.१६                                            | १८.८०                                                            | २७.६७                                              | ४४.९६                                                     | १७.७९                             |
| ३.०५                                      | २०.६२                    | ९३.७                                                                      | ३०.९०                                                                     | २.२६                                            | ८.९०                                                             | ३०.०५                                              | ६२.८५                                                     | ४४.८२                             |
| २.०४                                      | १२.४५                    | ७६.८                                                                      | १९.२८                                                                     | २.८८                                            | १९.२८                                                            | २१.०८                                              | ४१.४८                                                     | १९.११                             |
| २२.६९                                     | ६५.८१                    | ८७.५                                                                      | २४.१०                                                                     | २.१७                                            | १३.९३                                                            | ३८.३०                                              | ४९.२८                                                     | ३१.८७                             |
| १९.८३                                     | ६.७०                     | ३३.५                                                                      | १०.५५                                                                     | २.२८                                            | १.२७                                                             | २७.९३                                              | १७.१५                                                     | १८.२३                             |
| १५.०४                                     | ९८.४४                    | ७८.०                                                                      | ३६.७१                                                                     | २.१४                                            | २८.३५                                                            | ३१.२६                                              | ६९.७९                                                     | ३२.६४                             |
| ७.३५                                      | ४०.०५                    | ८६.३                                                                      | ४३.४४                                                                     | २.४५                                            | ३१.९८                                                            | ३२.२६                                              | ७४.६८                                                     | ३९.७०                             |
| <b>३१.३६</b>                              | <b>१२५.६९</b>            | <b>८३.४</b>                                                               | <b>२१.१७</b>                                                              | <b>२.६४</b>                                     | <b>२३.३२</b>                                                     | <b>३८.९४</b>                                       | <b>५२.७१</b>                                              | <b>३१.०६</b>                      |
| ०.८३                                      | ५.७४                     | ४५.४                                                                      | ४४.२९                                                                     | १.८९                                            | लागू नाही                                                        | ३३.२६                                              | ५२.८१                                                     | ३९.८८                             |
| १.२७                                      | ४.९५                     | ४४.७                                                                      | ८६.७३                                                                     | १.४९                                            | ९.६४                                                             | ३१.०६                                              | ५८.४५                                                     | ३२.६७                             |
| ०.३७                                      | २.३०                     | ६०.४                                                                      | ९४.५४                                                                     | १.३८                                            | १३.७४                                                            | ३७.८३                                              | ५५.७६                                                     | ३६.१६                             |
| ०.५३                                      | ५.३८                     | ५३.८                                                                      | ८६.४८                                                                     | १.५०                                            | १४.४२                                                            | ३७.४६                                              | ६१.६६                                                     | ४४.७४                             |
| १२.०२                                     | ४१.०४                    | ७५.३                                                                      | ३९.९८                                                                     | २.९६                                            | २२.२८                                                            | २५.५१                                              | ६१.८२                                                     | २७.१६                             |
| ७.९६                                      | १९.३५                    | ९७.६                                                                      | ३१.९४                                                                     | २.३६                                            | १४.०४                                                            | ३०.४६                                              | ३५.५९                                                     | १३.९१                             |
| ११.७७                                     | १३६.१९                   | ७८.१                                                                      | ३१.३१                                                                     | २.२८                                            | १२.१३                                                            | ३०.७२                                              | ६२.१०                                                     | ३५.१२                             |
| ०.१७                                      | १.१७                     | ८५.३                                                                      | ३८.४३                                                                     | २.९८                                            | २०.४३                                                            | ३७.७३                                              | ४६.५३                                                     | ३९.५७                             |
| २९.६५                                     | ४२.४८                    | ९२.५                                                                      | २१.११                                                                     | १.६४                                            | १६.६१                                                            | ३८.७३                                              | ४२.१३                                                     | ३१.८०                             |
| १.२१                                      | २.९६                     | ६७.५                                                                      | ४९.५९                                                                     | १.७५                                            | १४.५४                                                            | २९.३२                                              | ४४.२०                                                     | २३.५७                             |
| ४०.०७                                     | १९०.५८                   | ९५.१                                                                      | २१.२७                                                                     | २.०८                                            | १४.०२                                                            | २२.३४                                              | ५९.२५                                                     | १६.७५                             |
| ३.९३                                      | १५.८०                    | ९२.२                                                                      | २१.६६                                                                     | १.८४                                            | १६.००                                                            | २८.४६                                              | ५१.२३                                                     | २६.६८                             |
| २६.१५                                     | ५१.१७                    | ९२.२                                                                      | २९.३२                                                                     | २.२१                                            | २२.०६                                                            | २८.१४                                              | ४४.०४                                                     | १८.०८                             |
| <b>३२७.८३</b>                             | <b>१,१८८.०९</b>          | <b>८५.५</b>                                                               | <b>२५.२७</b>                                                              | <b>२.२१</b>                                     | <b>१७.३७</b>                                                     | <b>२९.९४</b>                                       | <b>५४.६१</b>                                              | <b>२५.५१</b>                      |

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                    | मानव विकासाबाबतचे मूलभूत निर्देशक  |          |        |                                       |           |         |           |                              |                                                 | मानव विकास निर्देशांक |
|--------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | साक्षरतेची टक्केवारी <sup>††</sup> |          |        | जन्माच्या वेळेची आयुर्मर्यादा (वर्षे) |           | जन्म दर | मृत्यु दर | अर्भक मृत्यू दर <sup>@</sup> | चालू किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न <sup>*</sup> (₹) |                       |
|                          | पुरुष                              | स्त्रिया | एकूण   | पुरुष                                 | स्त्रिया  |         |           |                              |                                                 |                       |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०११)                             | (२०११)   | (२०११) | (२०१२-१६)                             | (२०१२-१६) | (२०१७)  | (२०१७)    | (२०१७)                       | (२०१७-१८)                                       | (२०११)                |
| (१)                      | (२०)                               | (२१)     | (२२)   | (२३)                                  | (२४)      | (२५)    | (२६)      | (२७)                         | (२८)                                            | (२९)                  |
| आंध्र प्रदेश             | ७४.८८                              | ५९.१५    | ६७.०२  | ६८.०                                  | ७१.४      | १६.२    | ७.२       | ३२                           | १,४३,९३५                                        | ०.४७३                 |
| तेलंगणा <sup>^</sup>     | --                                 | --       | --     | -                                     | -         | १७.२    | ६.६       | २९                           | १,८१,१०२                                        | --                    |
| अरुणाचल प्रदेश           | ७२.५५                              | ५७.७०    | ६५.३८  | उ ना                                  | उ ना      | १८.३    | ६.१       | ४२                           | १,३५,१६५                                        | उ ना                  |
| आसाम                     | ७७.८५                              | ६६.२७    | ७२.१९  | ६४.४                                  | ६६.८      | २१.२    | ६.५       | ४४                           | उ ना                                            | ०.४४४                 |
| बिहार                    | ७१.२०                              | ५१.५०    | ६१.८०  | ६८.९                                  | ६८.५      | २६.४    | ५.८       | ३५                           | ३८,८६०                                          | ०.३६७                 |
| झारखंड                   | ७६.८४                              | ५५.४२    | ६६.४१  | ६७.८                                  | ६८.०      | २२.७    | ५.५       | २९                           | ६३,७५४                                          | ०.३७६                 |
| दिल्ली                   | ९०.९४                              | ८०.७६    | ८६.२१  | ७२.७                                  | ७५.९      | १५.२    | ३.७       | १६                           | ३,२८,९८५                                        | ०.७५०                 |
| गोवा                     | ९२.६५                              | ८४.६६    | ८८.७०  | उ ना                                  | उ ना      | १२.५    | ६.२       | ९                            | ४,२०,३८३                                        | ०.६१७                 |
| गुजरात                   | ८५.७५                              | ६९.६८    | ७८.०३  | ६७.४                                  | ७१.८      | १९.९    | ६.२       | ३०                           | उ ना                                            | ०.५२७                 |
| हरियाणा                  | ८४.०६                              | ६५.९४    | ७५.५५  | ६७.२                                  | ७२.०      | २०.५    | ५.८       | ३०                           | २,०३,३४०                                        | ०.५५२                 |
| हिमाचल प्रदेश            | ८९.५३                              | ७५.९३    | ८२.८०  | ६९.४                                  | ७५.५      | १५.८    | ६.६       | २२                           | १,६०,७१२                                        | ०.६५२                 |
| जम्मू व काश्मीर          | ७६.७५                              | ५६.४३    | ६७.१६  | ७१.६                                  | ७६.२      | १५.४    | ४.८       | २३                           | उ ना                                            | ०.५२९                 |
| कर्नाटक                  | ८२.४७                              | ६८.०८    | ७५.३६  | ६७.६                                  | ७०.७      | १७.४    | ६.५       | २५                           | १,८३,७३७                                        | ०.५१९                 |
| केरळ                     | ९६.११                              | ९२.०७    | ९४.००  | ७२.२                                  | ७७.९      | १४.२    | ६.८       | १०                           | १,७९,५२३                                        | ०.७९०                 |
| मध्य प्रदेश              | ७८.७३                              | ५९.२४    | ६९.३२  | ६३.७                                  | ६७.२      | २४.८    | ६.८       | ४७                           | ८२,९४१                                          | ०.३७५                 |
| छत्तीसगड                 | ८०.२७                              | ६०.२४    | ७०.२८  | ६३.६                                  | ६६.८      | २२.७    | ७.५       | ३८                           | ८९,८१३                                          | ०.३५८                 |
| महाराष्ट्र               | ८८.३८                              | ७५.८७    | ८२.३४  | ७०.८                                  | ७३.७      | १५.७    | ५.७       | १९                           | १,७६,१०२                                        | ०.५७२                 |
| मणिपूर                   | ८२.२७                              | ७२.३७    | ७९.२१  | उ ना                                  | उ ना      | १४.६    | ५.३       | १२                           | ६२,६४०                                          | उ ना                  |
| मेघालय                   | ७५.९५                              | ७२.८९    | ७४.४३  | उ ना                                  | उ ना      | २२.८    | ६.१       | ३९                           | ७८,९७६                                          | उ ना                  |
| मिझोराम                  | ९३.३५                              | ८९.२७    | ९१.३३  | उ ना                                  | उ ना      | १५.०    | ४.०       | १५                           | १,२९,०५७                                        | उ ना                  |
| नागालँड                  | ८२.७५                              | ७६.११    | ७९.५५  | उ ना                                  | उ ना      | १३.५    | ३.६       | ७                            | १,१३,५४९                                        | उ ना                  |
| ओडिशा                    | ८१.५९                              | ६४.०१    | ७२.८७  | ६६.२                                  | ६९.१      | १८.३    | ७.४       | ४१                           | ८०,९९१                                          | ०.३६२                 |
| पंजाब                    | ८०.४४                              | ७०.७३    | ७५.८४  | ७१.०                                  | ७४.२      | १४.९    | ७.०       | २१                           | १,४१,५५२                                        | ०.६०५                 |
| राजस्थान                 | ७९.१९                              | ५२.१२    | ६६.११  | ६६.१                                  | ७०.७      | २४.१    | ६.०       | ३८                           | ९८,०७८                                          | ०.४३४                 |
| सिक्कीम                  | ८६.५५                              | ७५.६१    | ८१.४२  | उ ना                                  | उ ना      | १६.४    | ४.५       | १२                           | २,९७,७६५                                        | उ ना                  |
| तामीळनाडू                | ८६.७७                              | ७३.४४    | ८०.०९  | ६९.५                                  | ७३.४      | १४.९    | ६.७       | १६                           | १,६६,९३४                                        | ०.५७०                 |
| त्रिपूरा                 | ९१.५३                              | ८२.७३    | ८७.२२  | उ ना                                  | उ ना      | १३.०    | ५.२       | २९                           | १,०५,०४४                                        | उ ना                  |
| उत्तर प्रदेश             | ७७.२८                              | ५७.१८    | ६७.६८  | ६३.९                                  | ६५.६      | २५.९    | ६.७       | ४१                           | ५५,४५६                                          | ०.३८०                 |
| उत्तराखंड                | ८७.४०                              | ७०.०१    | ७८.८२  | ६८.५                                  | ७४.८      | १७.३    | ६.७       | ३२                           | १,७३,८२०                                        | ०.४९०                 |
| पश्चिम बंगाल             | ८१.६९                              | ७०.५४    | ७६.२६  | ६९.८                                  | ७१.९      | १५.२    | ५.८       | २४                           | ९५,५६२                                          | ०.४९२                 |
| भारत <sup>§</sup>        | ८०.८८                              | ६४.६३    | ७२.९८  | ६७.४                                  | ७०.२      | २०.२    | ६.३       | ३३                           | १,१४,९५८                                        | ०.४६७                 |

§ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट

<sup>^</sup> विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

\* अस्थायी

उ ना उपलब्ध नाही

<sup>††</sup> साक्षरतेची टक्केवारी सात वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येची आहे

@ छोट्या राज्यांचे व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्भक मृत्यु दर हे २०१५-१७ या तीन वर्षांच्या कालावधीवर आधारित

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| वित्तविषयक निर्देशक                    |                                                                                |                                         |                                               |                                                     |                                                                                    |                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्याची<br>दरडोई महसूली<br>जमा<br>(₹) | एकूण महसूली<br>जमेतील राज्याच्या<br>स्वतःच्या कर<br>महसूलाचा हिस्सा<br>(टक्के) | केंद्रीय करांतील<br>दरडोई हिस्सा<br>(₹) | केंद्राकडून<br>प्राप्त दरडोई<br>अनुदान<br>(₹) | एकूण खर्चातील<br>विकास खर्चाचा<br>हिस्सा<br>(टक्के) | महसूली तूट (+) /<br>आधिक्य (-) ची<br>राज्यांतर्गत<br>स्थूल उत्पन्नाशी<br>टक्केवारी | वित्तीय<br>तूट (+)/आधिक्य (-)ची<br>राज्यांतर्गत<br>स्थूल उत्पन्नाशी<br>टक्केवारी | राज्य शासनाच्या<br>थकित दायित्वांची<br>राज्यांतर्गत<br>स्थूल उत्पन्नाशी<br>टक्केवारी |
| (२०१७-१८)                              | (२०१७-१८)                                                                      | (२०१७-१८)                               | (२०१७-१८)                                     | (२०१७-१८)                                           | (२०१७-१८)                                                                          | (२०१७-१८)                                                                        | (३१-३-२०१८)                                                                          |
| (३०)                                   | (३१)                                                                           | (३२)                                    | (३३)                                          | (३४)                                                | (३५)                                                                               | (३६)                                                                             | (३७)                                                                                 |
| २५,८७५                                 | ४२.८                                                                           | ५,०७९                                   | ६,८५५                                         | ७०.४                                                | ०.५                                                                                | ३.४                                                                              | २८.१                                                                                 |
| -                                      | ५६.७                                                                           | -                                       | -                                             | ७३.६                                                | -०.२                                                                               | ३.१                                                                              | २०.३                                                                                 |
| १,१७,९०३                               | ४.७                                                                            | ७०,३५३                                  | ३६,७१२                                        | ६७.२                                                | -१८.४                                                                              | २.९                                                                              | २७.६                                                                                 |
| १६,९३१                                 | १७.५                                                                           | ६,७५४                                   | ५,२७८                                         | ६६.८                                                | उ ना                                                                               | उ ना                                                                             | उ ना                                                                                 |
| १२,५८८                                 | २४.०                                                                           | ६,१५५                                   | ३,१३७                                         | ७०.४                                                | -०.३                                                                               | ७.२                                                                              | ३०.०                                                                                 |
| १९,२२८                                 | २७.९                                                                           | ६,६२०                                   | ३,९६६                                         | ७२.६                                                | -३.०                                                                               | २.७                                                                              | २९.२                                                                                 |
| १८,०८१                                 | ९०.९                                                                           | उ ना                                    | १,२७९                                         | ७४.१                                                | -०.६                                                                               | ०.३                                                                              | ५.०                                                                                  |
| ५३,२६८                                 | ४४.४                                                                           | १२,४११                                  | ३,२८६                                         | ६७.९                                                | -०.४                                                                               | ४.९                                                                              | २६.०                                                                                 |
| २०,५७२                                 | ५९.३                                                                           | ३,२५०                                   | २,४७२                                         | ६५.४                                                | उ ना                                                                               | उ ना                                                                             | उ ना                                                                                 |
| २४,९४५                                 | ६३.८                                                                           | २,९८०                                   | २,१४९                                         | ६८.५                                                | १.३                                                                                | २.८                                                                              | २६.५                                                                                 |
| ३९,००३                                 | २६.३                                                                           | ६,६८३                                   | १९,०७३                                        | ६१.६                                                | १.९                                                                                | ५.४                                                                              | ३६.९                                                                                 |
| ४३,८३४                                 | १८.३                                                                           | ९,३५४                                   | २२,१७३                                        | ६७.६                                                | उ ना                                                                               | उ ना                                                                             | उ ना                                                                                 |
| २३,०९६                                 | ५८.६                                                                           | ५,०२२                                   | ३,४५८                                         | ७२.४                                                | नगण्य                                                                              | २.७                                                                              | १७.१                                                                                 |
| २४,५२७                                 | ५५.३                                                                           | ४,६९४                                   | ३,००७                                         | ४९.९                                                | १.९                                                                                | ३.३                                                                              | ३१.२                                                                                 |
| १६,९६७                                 | ३४.३                                                                           | ६,३८८                                   | ३,५६३                                         | ७०.६                                                | -०.१                                                                               | ३.३                                                                              | २४.४                                                                                 |
| २६,०११                                 | २९.५                                                                           | ९,६७९                                   | ५,७४५                                         | ७८.४                                                | -१.१                                                                               | ३.४                                                                              | १८.७                                                                                 |
| <b>२१,०५४</b>                          | <b>६४.०</b>                                                                    | <b>३,०४१</b>                            | <b>२,७५९</b>                                  | <b>६४.३</b>                                         | <b>०.६</b>                                                                         | <b>१.९</b>                                                                       | <b>१८.२</b>                                                                          |
| ४५,६५५                                 | ५.३                                                                            | १७,१२१                                  | २५,१६८                                        | ६४.०                                                | -७.५                                                                               | ३.६                                                                              | ४०.७                                                                                 |
| ३९,९२९                                 | १३.८                                                                           | १५,३३०                                  | १७,२६५                                        | ७३.०                                                | -२.१                                                                               | ३.९                                                                              | ३३.८                                                                                 |
| ८२,८७०                                 | ५.४                                                                            | २८,६७६                                  | ४६,७७५                                        | ७१.६                                                | -७.७                                                                               | ४.२                                                                              | ४०.७                                                                                 |
| ४३,७६०                                 | ५.४                                                                            | १३,८५६                                  | २६,३४१                                        | ५९.०                                                | -०.१                                                                               | ६.७                                                                              | ३९.८                                                                                 |
| २०,८६०                                 | २९.६                                                                           | ७,२७२                                   | ५,३२६                                         | ७३.३                                                | -२.१                                                                               | ३.५                                                                              | २०.४                                                                                 |
| १९,२६२                                 | ६२.४                                                                           | ३,५९६                                   | १,९२०                                         | ४८.२                                                | ३.०                                                                                | ४.४                                                                              | ४१.२                                                                                 |
| १८,०७९                                 | ३८.५                                                                           | ४,९७०                                   | ३,९१८                                         | ६९.७                                                | २.४                                                                                | ३.५                                                                              | ३३.८                                                                                 |
| ९२,९९८                                 | ११.५                                                                           | ३७,६०३                                  | ३७,६०३                                        | ६८.७                                                | -५.६                                                                               | ३.३                                                                              | २४.१                                                                                 |
| २२,२८४                                 | ५८.६                                                                           | ४,९३६                                   | २,७५५                                         | ५९.४                                                | १.३                                                                                | २.९                                                                              | २२.४                                                                                 |
| २६,४०१                                 | १४.३                                                                           | १०,७९७                                  | १०,६९७                                        | ६०.३                                                | २.१                                                                                | ७.८                                                                              | २९.३                                                                                 |
| १३,६५०                                 | ३१.१                                                                           | ५,४३३                                   | ३,१८४                                         | ६२.४                                                | -१.३                                                                               | ३.०                                                                              | २४.३                                                                                 |
| २७,४८०                                 | ४५.२                                                                           | ६,५३८                                   | ६,२४८                                         | ५५.३                                                | नगण्य                                                                              | २.६                                                                              | २३.५                                                                                 |
| १४,०३४                                 | ३४.२                                                                           | ५,७०७                                   | ३,१९४                                         | ६०.१                                                | १.१                                                                                | २.९                                                                              | ३५.५                                                                                 |
| <b>लागू नाही</b>                       | <b>लागू नाही</b>                                                               | <b>लागू नाही</b>                        | <b>लागू नाही</b>                              | <b>लागू नाही</b>                                    | <b>लागू नाही</b>                                                                   | <b>लागू नाही</b>                                                                 | <b>लागू नाही</b>                                                                     |

उ ना उपलब्ध नाही

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                    | अनुसूचित वाणिज्यिक बँका                       |                     |                   |                             |                                                                             | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना    |                          | वार्षिक कर्ज योजना #<br>(₹ कोटी) | वार्षिक पर्जन्य (मिमी) | वहितीचे सरासरी क्षेत्र*<br>(हेक्टर) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                          | दर लाख लोकसंख्येमागे बँक कार्यालयांची संख्या@ | दरडोई ठेवी @<br>(₹) | दरडोई कर्ज<br>(₹) | कर्ज-ठेवी प्रमाण<br>(टक्के) | प्राधान्य क्षेत्राच्या पत-पुरवठ्याचा एकूण पतपुरवठ्या-मधील हिस्सा<br>(टक्के) | खात्यांची संख्या<br>(हजारात) | वितरीत रक्कम<br>(₹ कोटी) |                                  |                        |                                     |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (३१-०३-२०१८)                                  | (३१-०३-२०१८)        | (३१-०३-२०१८)      | (३१-०३-२०१८)                | (३१-०३-२०१८)                                                                | (२०१८-१९)                    | (२०१८-१९)                | (२०१८-१९)                        | (२०१७)                 | (२०१५-१६)                           |
| (१)                      | (३८)                                          | (३९)                | (४०)              | (४१)                        | (४२)                                                                        | (४३)                         | (४४)                     | (४५)                             | (४६)                   | (४७)                                |
| आंध्र प्रदेश             | १३.४                                          | ७७,७०६              | ८४,३००            | १०८.५                       | ३७.६                                                                        | ७८३                          | १०,६६९                   | १,०१,५६४                         | ८६८.३                  | ०.९४                                |
| तेलंगणा ^                | --                                            | --                  | --                | --                          | --                                                                          | ९८२                          | ७,६६१                    | ५८,०६३                           | ८१५.७                  | १.००                                |
| अरुणाचल प्रदेश           | ११.४                                          | ९९,३०५              | २४,७६९            | २४.९                        | २७.३                                                                        | १४                           | ११४                      | ८५                               | २,७४५.३                | ३.३५                                |
| आसाम                     | ७.०                                           | ४०,५९७              | १७,२७९            | ४२.६                        | ५२.६                                                                        | २,४२३                        | ९,७९८                    | १४,५७३                           | २,३९८.३                | १.०९                                |
| बिहार                    | ६.३                                           | २९,८६४              | ९,५५९             | ३२.०                        | ६१.६                                                                        | ६,०००                        | २३,०६८                   | ६०,०००                           | १,११२.०                | ०.३९                                |
| झारखंड                   | ८.५                                           | ५७,८४७              | १५,८४५            | २७.४                        | ५१.८                                                                        | १,४३७                        | ६,७००                    | ८,३३७                            | १,१६५.८                | १.१७                                |
| दिल्ली                   | १५.८                                          | ५,०८,६८८            | ४,७५,०६९          | ९३.४                        | ११.६                                                                        | ७३८                          | ५,६३४                    | ९,३३४                            | ५३३.७                  | १.३९                                |
| गोवा                     | ३२.८                                          | ३,१९,५८३            | ८५,२५९            | २६.७                        | ३७.६                                                                        | ४५                           | ४७७                      | ९८४                              | २,७७२.६                | ०.८१                                |
| गुजरात                   | १२.२                                          | १,००,२३८            | ७५,१७३            | ७५.०                        | ३९.७                                                                        | १,८२६                        | १२,९८४                   | ७१,०८०                           | ८१५.०                  | १.८८                                |
| हरियाणा                  | १७.०                                          | १,३०,०२६            | ७७,२७९            | ५९.४                        | ४४.४                                                                        | १,०८२                        | ७,२८२                    | ७५,७७३                           | ४१७.०                  | २.२२                                |
| हिमाचल प्रदेश            | २१.३                                          | १,१९,००३            | ३६,७४६            | ३०.९                        | ६०.४                                                                        | १२०                          | २,१९२                    | १०,६९७                           | १,१८२.२                | ०.९५                                |
| जम्मू व काश्मीर          | १४.१                                          | ८२,४७८              | ३५,३८८            | ४२.९                        | ५२.१                                                                        | १३३                          | ३,३२१                    | ९,२८६                            | १,२७८.९                | ०.५९                                |
| कर्नाटक                  | १५.७                                          | १,३२,४८६            | ९२,४९५            | ६९.८                        | ३५.१                                                                        | ५,८०७                        | २९,३४५                   | ९८,६५५                           | १,१११.६                | १.३५                                |
| केरळ                     | १७.४                                          | १,२२,११२            | ७८,०२८            | ६३.९                        | ५०.१                                                                        | २,१२१                        | ११,९६७                   | ६४,८८३                           | २,६६४.९                | ०.१८                                |
| मध्य प्रदेश              | ८.१                                           | ४२,४९२              | २७,६७५            | ६५.१                        | ५४.९                                                                        | ३,२८३                        | १६,७९२                   | १,०९,२६४                         | ७९९.९                  | १.५७                                |
| छत्तीसगड                 | ९.४                                           | ५०,२३७              | ३१,४६८            | ६२.६                        | ४१.८                                                                        | १,२०२                        | ५,५६७                    | १५,०८२                           | १,१२४.४                | १.२५                                |
| <b>महाराष्ट्र</b>        | <b>१०.०</b>                                   | <b>१,८६,२३४</b>     | <b>१,९५,६२७</b>   | <b>१०५.०</b>                | <b>३०.९</b>                                                                 | <b>४,३८६</b>                 | <b>२५,७४२</b>            | <b>८५,४६४</b>                    | <b>१,१२९.६</b>         | <b>१.३४</b>                         |
| मणिपूर                   | ६.६                                           | ३३,९०८              | १५,१०८            | ४४.६                        | ३६.७                                                                        | ८६                           | ३४४                      | २७३                              | १,७८०.०                | १.१४                                |
| मेघालय                   | १२.१                                          | ७६,५१५              | २०,६२४            | २७.०                        | ३२.५                                                                        | ३६                           | २६३                      | ८२७                              | ४,४७२.४                | १.२९                                |
| मिझोराम                  | १७.४                                          | ७८,०८८              | २७,८९८            | ३५.७                        | ५५.७                                                                        | १६                           | २१६                      | ३१०                              | ३,८६५.८                | १.२५                                |
| नागालँड                  | ६.६                                           | ४१,३४६              | १४,२७३            | ३४.५                        | ३१.६                                                                        | १७                           | १५२                      | २०२                              | १,७२२.०                | ५.०६                                |
| ओडिशा                    | ११.१                                          | ६२,८३५              | २३,३३६            | ३७.१                        | ४७.३                                                                        | ४,१६४                        | १५,२८५                   | ३८,३७८                           | १,३४४.५                | ०.९५                                |
| पंजाब                    | २१.७                                          | १,१८,२९८            | ७४,७३०            | ६३.२                        | ४८.५                                                                        | १,१८३                        | ७,९७६                    | १,२०,५०१                         | ४९७.५                  | ३.६२                                |
| राजस्थान                 | ९.६                                           | ४४,९७९              | ३३,९७०            | ७५.५                        | ६०.१                                                                        | २,७२८                        | १७,००७                   | १,१३,४६२                         | ४९३.३                  | २.७३                                |
| सिक्कीम                  | २०.८                                          | १,३०,४५०            | ३५,१३७            | २६.९                        | २६.०                                                                        | २७                           | २०२                      | २४१                              | २,८७३.७                | १.१३                                |
| तामीळनाडू                | १५.३                                          | १,०३,६१८            | १,११,९४९          | १०८.०                       | ४४.३                                                                        | ७,४४१                        | ३३,८०८                   | १,२४,५१९                         | ९७०.९                  | ०.७५                                |
| त्रिपूरा                 | ११.६                                          | ५६,७८०              | २२,९९३            | ४०.५                        | ६५.५                                                                        | ४४१                          | १,८२६                    | २,४३९                            | ३,३२६.८                | ०.४९                                |
| उत्तर प्रदेश             | ७.५                                           | ४२,६०३              | १७,४३१            | ४०.९                        | ५२.२                                                                        | ४,९७६                        | २४,८८९                   | १,५८,४२६                         | ६५२.१                  | ०.७३                                |
| उत्तराखंड                | १८.७                                          | १,१३,३८३            | ४१,०३०            | ३६.२                        | ६४.७                                                                        | ३०३                          | २,८४५                    | १०,६८१                           | १,४७६.०                | ०.८५                                |
| पश्चिम बंगाल             | ८.३                                           | ७५,९८६              | ३८,३२०            | ५०.४                        | ९३.१                                                                        | ५,८५६                        | २५,८९२                   | ६४,०७१                           | १,८३०.०                | ०.७६                                |
| <b>भारत<sup>१</sup></b>  | <b>१०.८</b>                                   | <b>८८,४३५</b>       | <b>६६,८९०</b>     | <b>७५.६</b>                 | <b>३७.६</b>                                                                 | <b>५९,८७०</b>                | <b>३,११,८११</b>          | <b>१४,३०,५५५</b>                 | <b>१,१२७.०</b>         | <b>१.०८</b>                         |

\$ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट

^ विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

@ १ मार्च, २०१८ रोजीची प्रक्षेपित लोकसंख्या

# कृषी व संलग्न कार्ये याकरिता लक्ष्य

\* अस्थायी

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१८-१९



## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| प्रति हेक्टर उत्पादकता (किलोग्रॅम)      |                  |                    |                 |             |           | दरडोई<br>अन्नधान्यांचे<br>उत्पादन<br>(कि.ग्रॅ) | दर हेक्टर<br>पिकांखालील<br>क्षेत्रामागे<br>खतांचा वापर<br>(कि.ग्रॅ) | एकूण सिंचित<br>क्षेत्राची<br>पिकाखालील<br>एकूण क्षेत्राशी<br>टक्केवारी | प्रति शेतकरी<br>निव्वळ पेरणी<br>क्षेत्र (हेक्टर) | निव्वळ पेरणी<br>क्षेत्राची एकूण<br>भौगोलिक<br>क्षेत्राशी<br>टक्केवारी |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| एकूण<br>तृणधान्ये                       | एकूण<br>कडधान्ये | एकूण<br>अन्नधान्ये | एकूण<br>तेलबिया | कापूस (रुई) | ऊस (टन)   |                                                |                                                                     |                                                                        |                                                  |                                                                       |
| त्रैवार्षिक सरासरी (२०१४-१५ ते २०१६-१७) |                  |                    |                 |             |           | (२०१६-१७)                                      | (२०१४-१५)                                                           | (२०१४-१५)                                                              | (२०१४-१५)                                        | (२०१४-१५)                                                             |
| (४८)                                    | (४९)             | (५०)               | (५१)            | (५२)        | (५३)      | (५४)                                           | (५५)                                                                | (५६)                                                                   | (५७)                                             | (५८)                                                                  |
| ३,४८६                                   | ८०६              | २,६०९              | ६९७             | ५४४         | ७५        | २१२.३                                          | २२६.१                                                               | ५०.५                                                                   | १.६                                              | ३८.३                                                                  |
| ३,०१०                                   | ६४१              | २,५३८              | १,२५२           | ३८१         | ७६        | -                                              | २२१.५                                                               | ४७.६                                                                   | --                                               | ३९.०                                                                  |
| १,७२१                                   | १,०९६            | १,६८३              | १,०१७           | -           | २१        | २५९.७                                          | ०.०                                                                 | १८.७                                                                   | ०.७                                              | २.७                                                                   |
| २,०२८                                   | ७४७              | २,००९              | ६६९             | -           | ३७        | १५१.६                                          | ७०.२                                                                | ९.२                                                                    | ०.७                                              | ३६.०                                                                  |
| २,३२८                                   | ८८०              | २,०८६              | १,१०२           | -           | ५४        | १५८.०                                          | १७५.४                                                               | ६८.७                                                                   | ०.७                                              | ५६.१                                                                  |
| २,०११                                   | ९६४              | १,७०९              | ६९२             | -           | ६९        | १६७.०                                          | ७३.८                                                                | १४.३                                                                   | ०.४                                              | १७.४                                                                  |
| ३,७३८                                   | २६९५             | ३,७७९              | १,२५४           | -           | -         | ५.१                                            | २४२.४                                                               | ८२.१                                                                   | ०.७                                              | १४.८                                                                  |
| २,८०९                                   | ९०१              | २,६५६              | २,१२६           | -           | ६६        | ५९.८                                           | २८.७                                                                | २४.६                                                                   | ४.१                                              | ३४.९                                                                  |
| २,२६०                                   | ९२४              | २,००८              | १,७५७           | ६१४         | ६२        | ११७.३                                          | १३१.८                                                               | ४७.१                                                                   | १.९                                              | ५२.५                                                                  |
| ३,६६१                                   | ७५०              | ३,५३८              | १,६२५           | ४९६         | ७५        | ६१९.३                                          | १९९.४                                                               | ८९.१                                                                   | १.४                                              | ७९.७                                                                  |
| २,१०९                                   | १,५८५            | २,००९              | ५१७             | -           | १८        | २४४.२                                          | ५७.८                                                                | २१.०                                                                   | ०.३                                              | ९.९                                                                   |
| १,६६४                                   | ५२०              | १,५८६              | ६०२             | -           | १         | १२९.६                                          | ९३.४                                                                | ४२.८                                                                   | ०.६                                              | ३.४                                                                   |
| १,९९८                                   | ५३०              | १,५२१              | ६३५             | ४३८         | ८१        | १५६.२                                          | १४९.६                                                               | ३४.२                                                                   | १.५                                              | ५२.४                                                                  |
| २,७२३                                   | १,०८३            | २,७८९              | ७४२             | -           | १०२       | १२.३                                           | ७९.८                                                                | १७.९                                                                   | ३.०                                              | ५२.६                                                                  |
| २,५१७                                   | ९०८              | १,८९८              | १,०३७           | ५५६         | ४८        | ४२३.०                                          | ७५.५                                                                | ४३.३                                                                   | १.६                                              | ४९.८                                                                  |
| १,७१७                                   | ७६२              | १,४०४              | ५५७             | -           | १५        | ३५७.७                                          | १०५.७                                                               | ३१.२                                                                   | १.२                                              | ३४.६                                                                  |
| <b>१,१७८</b>                            | <b>६३४</b>       | <b>८८४</b>         | <b>८०४</b>      | <b>३५४</b>  | <b>८०</b> | <b>१२६.८</b>                                   | <b>११९.९</b>                                                        | <b>उ ना</b>                                                            | <b>१.४</b>                                       | <b>५६.४</b>                                                           |
| १,६३८                                   | ९६५              | १,४८७              | ८५६             | -           | ५८        | २०१.३                                          | ३९.५                                                                | १८.०                                                                   | ०.८                                              | १७.१                                                                  |
| २,३६५                                   | १,४३१            | २,५४३              | १,०७१           | नगण्य       | ३         | ९३.२                                           | ०.०                                                                 | ३७.१                                                                   | ०.६                                              | १२.८                                                                  |
| १,६३१                                   | १,३७६            | १,६०१              | १,१२३           | नगण्य       | ३२        | ७०.३                                           | ०.०                                                                 | १४.५                                                                   | ०.६                                              | ६.९                                                                   |
| १,८४९                                   | १,१४९            | १,८३६              | १,०४९           | नगण्य       | ४४        | २२४.२                                          | ५.२                                                                 | २१.२                                                                   | ०.७                                              | २३.२                                                                  |
| १,८६३                                   | ५२८              | १,५३४              | ६६०             | ४७४         | ६६        | २१२.३                                          | ९६.६                                                                | २८.७                                                                   | १.१                                              | २८.७                                                                  |
| ४,२४८                                   | ८९९              | ४,१६२              | १,३२३           | ५४६         | ७७        | ९७५.१                                          | २१८.६                                                               | ९८.७                                                                   | २.१                                              | ८१.८                                                                  |
| १,८१०                                   | ५६६              | १,४५९              | १,२४२           | ५००         | ७७        | २६३.२                                          | ५३.६                                                                | ४२.०                                                                   | १.३                                              | ५१.२                                                                  |
| १,६३१                                   | ९४७              | १,५४३              | ९०६             | -           | -         | १५५.६                                          | ०.०                                                                 | ८.९                                                                    | ०.७                                              | १०.९                                                                  |
| २,९५७                                   | ६७६              | २,८९२              | २,१७८           | ४९८         | ९८        | ५९.५                                           | १६९.३                                                               | ५६.६                                                                   | १.१                                              | ३७.१                                                                  |
| २,८७५                                   | ७८१              | २,७७९              | ७९३             | -           | ५२        | २२३.२                                          | ३९.६                                                                | २४.०                                                                   | ०.९                                              | २४.४                                                                  |
| २,४०८                                   | ७०१              | २,०८५              | ७४८             | -           | ६५        | २२६.७                                          | १६३.४                                                               | ८०.२                                                                   | ०.९                                              | ६८.९                                                                  |
| २,०६७                                   | ८३७              | १,९००              | ९८९             | -           | ६४        | १७४.९                                          | १५५.३                                                               | ४९.५                                                                   | ०.४                                              | १३.१                                                                  |
| २,८३८                                   | ९५९              | २,७५८              | १,१५९           | -           | १०४       | १८२.३                                          | १५१.४                                                               | ५८.८                                                                   | १.०                                              | ५९.०                                                                  |
| <b>२,४१६</b>                            | <b>७२३</b>       | <b>२,०३४</b>       | <b>१,०७९</b>    | <b>४६३</b>  | <b>७०</b> | <b>२१५.३</b>                                   | <b>१२८.९</b>                                                        | <b>४८.६</b>                                                            | <b>१.२</b>                                       | <b>४२.६</b>                                                           |

उ ना उपलब्ध नाही.

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                    | पिकांची सघनता | वनाच्छादित क्षेत्राची +<br>एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी | झाडांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राची ++<br>एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी | वार्षिक उद्योग पाहणी * |               |                                    |                                         | रोजगारी व्यक्तींची टक्केवारी # |           | बेरोजगारीचा दर @ |            |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|
|                          |               |                                                              |                                                                         | कारखान्यांची संख्या    | कामगार ('०००) | प्रति कामगार स्थूल उत्पादन (₹'०००) | प्रति कामगार निव्वळ मूल्यवृद्धी (₹'०००) | ग्रामीण                        | नागरी     | ग्रामीण          | नागरी      |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०१४-१५)     | (२०१७)                                                       | (२०१७)                                                                  | (२०१६-१७)              | (२०१६-१७)     | (२०१६-१७)                          | (२०१६-१७)                               | (२०१५)                         | (२०१५)    | (२०१५)           | (२०१५)     |
| (१)                      | (५९)          | (६०)                                                         | (६१)                                                                    | (६२)                   | (६३)          | (६४)                               | (६५)                                    | (६६)                           | (६७)      | (६८)             | (६९)       |
| आंध्र प्रदेश             | १२३.३         | १७.३                                                         | २.३                                                                     | १६,२४६                 | ४५७           | ५,८१८                              | ५७१                                     | ६७                             | ४३        | ३.८              | ४.४        |
| तेलंगणा ^                | १२१.५         | १८.२                                                         | २.४                                                                     | १५,०२८                 | ६०६           | ३,३६३                              | ५८६                                     | ६२                             | ४६        | १.३              | ६.२        |
| अरुणाचल प्रदेश           | १३२.८         | ८०.०                                                         | १.०                                                                     | १२५                    | ३             | ४,४५७                              | ७८६                                     | ५१                             | ३८        | ९.३              | ५.२        |
| आसाम                     | १४४.४         | ३५.८                                                         | १.९                                                                     | ४,१५४                  | १८१           | ३,४७५                              | ७०८                                     | ४६                             | ४५        | ५.५              | १०.१       |
| बिहार                    | १४५.४         | ७.८                                                          | २.४                                                                     | ३,५३१                  | ९९            | ४,८२६                              | ५५०                                     | ४६                             | ४०        | ५.९              | ७.४        |
| झारखंड                   | ११२.२         | २९.५                                                         | ३.७                                                                     | २,८५८                  | १४५           | ८,५२१                              | १,४६६                                   | ४९                             | ४०        | ७.३              | ९.४        |
| दिल्ली                   | १६१.५         | १३.०                                                         | ७.६                                                                     | ३,५०७                  | ७५            | ८,९२३                              | ८२५                                     | ४५                             | ४०        | ४.५              | ३.३        |
| गोवा                     | १२२.०         | ६०.२                                                         | ८.७                                                                     | ६४७                    | ४५            | ९,८७३                              | ३,०६७                                   | ४४                             | ४५        | १५.०             | ५.८        |
| गुजरात                   | १२४.०         | ७.५                                                          | ४.१                                                                     | २५,९६६                 | १,२४७         | ९,८०६                              | १,३२७                                   | ५२                             | ४२        | १.०              | ०.७        |
| हरियाणा                  | १८५.६         | ३.६                                                          | ३.२                                                                     | ८,५०३                  | ६५०           | ७,६९८                              | १,०३०                                   | ४३                             | ३९        | ४.३              | ५.७        |
| हिमाचल प्रदेश            | १६७.०         | २७.१                                                         | १.५                                                                     | २,७२१                  | १४२           | ७,६६०                              | १,९९८                                   | ४०                             | ४३        | ११.७             | २.३        |
| जम्मू व काश्मीर          | १५५.३         | १०.५                                                         | ३.५                                                                     | १,०१६                  | ५९            | ५,१४१                              | १,१७८                                   | ३६                             | ३८        | ८.३              | ३.६        |
| कर्नाटक                  | १२१.९         | १९.६                                                         | ३.०                                                                     | १,३३,४४                | ८२७           | ६,०६६                              | १,००१                                   | ५८                             | ५०        | १.३              | १.९        |
| केरळ                     | १२८.५         | ५२.३                                                         | ७.६                                                                     | ७६,९७                  | २५०           | ५,७२९                              | ७९७                                     | ४४                             | ४३        | १२.५             | १२.६       |
| मध्य प्रदेश              | १५५.१         | २५.१                                                         | २.६                                                                     | ४४,९४                  | २८०           | ७,१९६                              | ९८४                                     | ४६                             | ३७        | ४.४              | ४.०        |
| छत्तीसगड                 | १२२.४         | ४१.१                                                         | २.८                                                                     | ३१,०९                  | १४७           | ७,४१५                              | ७७७                                     | ७२                             | ४५        | १.१              | ६.८        |
| <b>महाराष्ट्र</b>        | <b>१३५.३</b>  | <b>१६.५</b>                                                  | <b>३.२</b>                                                              | <b>२७,०१०</b>          | <b>१,३६५</b>  | <b>७,८७७</b>                       | <b>१,५३०</b>                            | <b>६०</b>                      | <b>३९</b> | <b>२.०</b>       | <b>२.३</b> |
| मणिपूर                   | १००.०         | ७७.७                                                         | १.०                                                                     | १८८                    | ७             | ५२३                                | १०६                                     | ५१                             | ४८        | ४.९              | ७.०        |
| मेघालय                   | १२०.०         | ७६.४                                                         | २.९                                                                     | १२०                    | ११            | ३,७५८                              | २७२                                     | ६०                             | ५१        | २.८              | १३.४       |
| मिझोराम                  | १००.०         | ८६.३                                                         | २.२                                                                     | उ ना                   | उ ना          | उ ना                               | उ ना                                    | ६९                             | ५४        | १.५              | ४.९        |
| नागालँड                  | १३०.३         | ७५.३                                                         | २.३                                                                     | १९२                    | ५             | १,०१३                              | २४५                                     | ६२                             | ४६        | ६.९              | १४.१       |
| ओडिशा                    | ११५.६         | ३३.०                                                         | २.६                                                                     | ३,०५१                  | २२३           | ६,७८२                              | ८२९                                     | ४८                             | ४२        | ५.१              | ४.७        |
| पंजाब                    | १९०.८         | ३.६                                                          | ३.२                                                                     | १२,४८९                 | ५३२           | ३,५६०                              | ४६७                                     | ४०                             | ३९        | ५.९              | ६.२        |
| राजस्थान                 | १३८.३         | ४.८                                                          | २.४                                                                     | ९,०२६                  | ४१३           | ६,५५४                              | १,००८                                   | ४८                             | ३८        | ७.७              | ४.३        |
| सिक्कीम                  | १७६.०         | ४७.१                                                         | ०.५                                                                     | ७१                     | १३            | १२,६२६                             | ७,३०४                                   | ४६                             | ४६        | १८.४             | १६.८       |
| तामीळनाडू                | १२४.४         | २०.२                                                         | ३.६                                                                     | ३७,२२०                 | २,००४         | ३,८२०                              | ५८८                                     | ६३                             | ४५        | ४.५              | ३.६        |
| त्रिपूरा                 | १८९.३         | ७३.७                                                         | २.१                                                                     | ५८५                    | २४            | ५७६                                | १४१                                     | ४५                             | ४७        | २०.३             | १७.२       |
| उत्तर प्रदेश             | १५७.५         | ६.१                                                          | ३.१                                                                     | १५,२९४                 | ७८४           | ६,३२५                              | १,१५५                                   | ४३                             | ३६        | ७.६              | ६.७        |
| उत्तराखंड                | १५६.७         | ४५.४                                                         | १.४                                                                     | २,९८७                  | ३४४           | ६,१०२                              | १,४३८                                   | ४४                             | ३९        | ८.१              | ३.२        |
| पश्चिम बंगाल             | १८५.०         | १९.०                                                         | २.४                                                                     | ९,५८७                  | ४९८           | ५,७८८                              | ५८३                                     | ५०                             | ४४        | ४.७              | ५.६        |
| <b>भारत<sup>§</sup></b>  | <b>१४१.६</b>  | <b>२१.५</b>                                                  | <b>२.९</b>                                                              | <b>२,३४,८६५</b>        | <b>११,६६२</b> | <b>६२२८</b>                        | <b>९७९</b>                              | <b>५०</b>                      | <b>४१</b> | <b>५.१</b>       | <b>४.९</b> |

§ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट

^ विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

उ ना उपलब्ध नाही

\* अस्थायी

+ मालकी व विधीचा दर्जा लक्षात न घेता १० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाडांच्या छाताच्या घनतेसहोत एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन (फळबाग, बांबू व पाम समाविष्ट).

++ किमान नकाशाच्या क्षेत्रापेक्षा (१ हे.) कमी व वन क्षेत्राव्यतिरिक्त अभिलिखित वनक्षेत्राबाहेरील झाडांचे पट्टे.

# रोजगार-बेरोजगार पाहणी अहवाल-२०१५-१६, श्रम व रोजगार मंत्रालय, श्रम केंद्र, भारत सरकार यावर आधारित, केंद्रीय नमुना. एकूण लोकसंख्येची टक्केवारी (नित्य मुख्य कार्य स्थिती)

@ रोजगार-बेरोजगार पाहणी अहवाल- २०१५-१६, श्रम व रोजगार मंत्रालय, श्रम केंद्र, भारत सरकार यावर आधारित, केंद्रीय नमुना. एकूण श्रमशक्तीची टक्केवारी (नित्य मुख्य कार्य स्थिती)

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| श्रमशक्ती सहभाग दर # |        | आर्थिक गणना                             |                                                      |                                       |       | दर लाख लोकसंख्येमागे विजेची स्थापित क्षमता (मेगावॉट) | दरडोई विद्युत निर्मिती (किलो वॉट तास) | पारेषण व वितरण हानी (टक्के) |
|----------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                      |        | दर लाख लोकसंख्येमागे आस्थापनांची संख्या | दर लाख लोकसंख्येमागे आस्थापनांमधील रोजगारांची संख्या | वार्षिक चक्रवाढ वृद्धीदर (टक्के)      |       |                                                      |                                       |                             |
| ग्रामीण              | नागरी  |                                         |                                                      |                                       |       | आस्थापना                                             | रोजगार                                |                             |
| (२०१५)               | (२०१५) | सहावी आर्थिक गणना                       | सहावी आर्थिक गणना                                    | (पाचवी आर्थिक गणना-सहावी आर्थिक गणना) |       | (३१-०३-२०१८)                                         | (२०१७-१८)                             | (२०१७-१८)                   |
| (७०)                 | (७१)   | (७२)                                    | (७३)                                                 | (७४)                                  | (७५)  | (७६)                                                 | (७७)                                  | (७८)                        |
| ६९.२                 | ४४.८   | ७,४८४                                   | १६,७०३                                               | ६.११                                  | ३.५२  | ३६.६१                                                | १,०८२.२८                              | १६.०७                       |
| ६२.५                 | ४९.१   | --                                      | --                                                   | --                                    | --    | --                                                   | --                                    | १८.२६                       |
| ५५.८                 | ४०.३   | २,६३२                                   | ७,८७३                                                | ३.६७                                  | ३.५४  | ८.२०                                                 | ०.५२                                  | ४८.३२                       |
| ४९.०                 | ४९.७   | ६,५०५                                   | १२,६६९                                               | ९.५९                                  | ८.३१  | १.३९                                                 | ४५.२२                                 | २४.६०                       |
| ४९.०                 | ४३.१   | १,६४०                                   | ३,११६                                                | ४.३९                                  | ५.२६  | ०.९८                                                 | ३.३०                                  | ३०.२९                       |
| ५२.८                 | ४४.५   | १,९३६                                   | ४,४०६                                                | ३.५६                                  | ४.१०  | ३.९४                                                 | १९४.७०                                | १६.२७                       |
| ४७.३                 | ४१.६   | ५,२१४                                   | १७,९८८                                               | १.८७                                  | -१.४७ | ११.६०                                                | ३९२.२०                                | १७.३८                       |
| ५१.५                 | ४७.२   | ६,६२२                                   | १९,७९२                                               | ३.६३                                  | ३.९६  | २.३७                                                 | ०.००                                  | १७.२१                       |
| ५२.६                 | ४२.१   | ६,५७३                                   | १५,८९७                                               | ६.५७                                  | ६.५३  | ४२.७६                                                | १,३७६.९६                              | १७.९०                       |
| ४४.९                 | ४१.१   | ४,५९५                                   | १२,७६७                                               | ४.४४                                  | ५.५२  | २३.१०                                                | १,०३८.६९                              | २८.२४                       |
| ४५.०                 | ४४.१   | ६,००५                                   | १४,२३५                                               | ६.०५                                  | ६.९८  | ४६.२५                                                | १,६१६.२०                              | २१.७८                       |
| ३९.१                 | ३९.७   | ४,००२                                   | ८,७३५                                                | ५.९०                                  | ६.७१  | १२.५२                                                | ४६१.४०                                | ४५.४७                       |
| ५८.२                 | ५०.८   | ४,७१५                                   | ११,६९६                                               | १.७६                                  | २.२९  | ३६.६९                                                | ७३६.१८                                | १३.२५                       |
| ५०.७                 | ४९.३   | १०,०४३                                  | २०,७११                                               | २.३७                                  | २.९८  | ७.०६                                                 | १६७.२२                                | १५.७६                       |
| ४८.०                 | ३८.८   | २,९६४                                   | ६,२६२                                                | ३.०४                                  | २.७३  | १९.०६                                                | ७४७.८२                                | २६.७५                       |
| ७२.९                 | ४७.८   | ३,०२९                                   | ७,२८६                                                | २.७४                                  | ३.५१  | ६३.२१                                                | २,४१७.७१                              | २३.९७                       |
| ६१.६                 | ३९.७   | ५,४६२                                   | १२,९१४                                               | ५.००                                  | ४.०९  | ३२.११@                                               | १,०२६.२४\$                            | १७.८५                       |
| ५३.५                 | ५१.६   | ८,९४२                                   | १५,९३६                                               | १०.४२                                 | ८.६१  | १.५७                                                 | ०.०६                                  | ३६.४१                       |
| ६१.५                 | ५९.२   | ३,५५८                                   | ९,७५५                                                | ३.३२                                  | ४.७१  | १२.४७                                                | ४२९.३७                                | ३५.०८                       |
| ७०.१                 | ५६.८   | ५,२३९                                   | ११,१४०                                               | २.६८                                  | ४.८८  | ३.३८                                                 | ५०.६२                                 | २४.२३                       |
| ६६.१                 | ५३.२   | ३,०८०                                   | ८,१७९                                                | ७.५२                                  | ३.९१  | १.३०                                                 | ३७.६०                                 | १९.६७                       |
| ५०.३                 | ४४.१   | ४,९७७                                   | १०,२८७                                               | १.८४                                  | २.७९  | १४.९९                                                | ४६३.८३                                | ३८.११                       |
| ४२.६                 | ४१.८   | ५,४५४                                   | १३,१४५                                               | ४.५३                                  | ४.६७  | ३९.२८                                                | १,५४१.२१                              | १७.५२                       |
| ५१.७                 | ३९.५   | ४,२२३                                   | ९,१३६                                                | ५.२५                                  | ५.७४  | २२.९९                                                | ७९१.८१                                | २८.६६                       |
| ५६.०                 | ५५.७   | ६,०९६                                   | १४,९५०                                               | ९.०६                                  | ७.१४  | १२२.९०                                               | ४,०३८.५२                              | ३५.५४                       |
| ६५.८                 | ४६.८   | ६,९७१                                   | १६,२१०                                               | १.८३                                  | २.५७  | ३१.२६                                                | ७९२.१५                                | १५.९४                       |
| ५६.०                 | ५६.५   | ६,४४५                                   | १०,९९७                                               | ३.१०                                  | २.४८  | ४.७५                                                 | १६२.१६                                | २९.८९                       |
| ४६.६                 | ३८.०   | ३,३४५                                   | ७,०६६                                                | ६.६५                                  | ७.६२  | ७.२२                                                 | ३२९.४७                                | २३.१९                       |
| ४७.८                 | ४०.५   | ३,९०८                                   | १०,४१६                                               | २.६८                                  | ५.७३  | २८.२८                                                | १,०७७.०३                              | २५.००                       |
| ५२.६                 | ४६.२   | ६,४७०                                   | १३,०४१                                               | ४.४२                                  | २.७३  | ९.५३                                                 | ४१९.१६                                | २२.२०                       |
| ५३.०                 | ४३.५   | ४,८३२                                   | १०,८४६                                               | ४.४६                                  | ४.१२  | २६.७६                                                | १,०१२.०६                              | २१.०४                       |

# रोजगार-बेरोजगार पाहणी अहवाल-२०१५-१६, श्रम व रोजगार मंत्रालय, श्रम केंद्र, भारत सरकार यावर आधारित, केंद्रीय नमुना. एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी (नित्य मुख्य कार्य स्थिती)

@ महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि.(महानिर्मिती), टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/अदानी वीज,, महावितरण, महाऊर्जा, केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण / डब्ल्युआरपीसी

\$ महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी लि. (महानिर्मिती), टाटा पॉवर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर/ अदानी वीज, महावितरण, केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण/ डब्ल्यु आरपीसी

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                       | वार्षिक दरडोई विजेचा अंतिम वापर (किलो वॉट तास) |               |               |               | ग्रामीण<br>विद्युतीकरणाची<br>टक्केवारी ! | दर लाख<br>लोकसंख्येमागे<br>मोटर<br>वाहनांची<br>संख्या | प्रति शंभर<br>चौ. किमी.<br>क्षेत्रामागे<br>एकूण<br>रस्त्यांची<br>लांबी<br>(किमी.) | प्रति शंभर<br>चौ.कि.मी.<br>क्षेत्रामागे<br>लोहमार्गाची<br>लांबी<br>(किमी) |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             | एकूण                                           | घरगुती        | औद्योगिक      | कृषि          |                                          |                                                       |                                                                                   |                                                                           |
| संदर्भ वर्ष<br>किंवा दिनांक | (२०१७-१८)                                      | (२०१७-१८)     | (२०१७-१८)     | (२०१७-१८)     | (२०१७-१८)                                | (३१-३-२०१६)                                           | (३१-३-२०१६)                                                                       | (३१-३-२०१८)                                                               |
| (१)                         | (७९)                                           | (८०)          | (८१)          | (८२)          | (८३)                                     | (८४)                                                  | (८५)                                                                              | (८६)                                                                      |
| आंध्र प्रदेश                | १,१४२.७८                                       | २६९.३०        | ३२९.१७        | ३६४.२४        | १००.००                                   | १९,७९७                                                | १०७                                                                               | २.३४                                                                      |
| तेलंगणा ^                   | -                                              | -             | -             | -             | -                                        | --                                                    | ११०                                                                               | १.६३                                                                      |
| अरुणाचल प्रदेश              | ३२७.३२                                         | १२८.४९        | ९८.२०         | ०.०३          | ९५.७६                                    | २०,२७५                                                | ३७                                                                                | ०.०१                                                                      |
| आसाम                        | २१३.९१                                         | ११५.२०        | ४४.५८         | १.०५          | १००.००                                   | ८,७२४                                                 | ४२०                                                                               | ३.१४                                                                      |
| बिहार                       | १७६.९७                                         | ८५.९१         | २६.२२         | ४.५४          | १००.००                                   | ५,३००                                                 | २१९                                                                               | ३.८८                                                                      |
| झारखंड                      | ५८१.३८                                         | १५८.४०        | ३५४.७६        | ५.९०          | १००.००                                   | ७,४०२                                                 | ८४                                                                                | ३.२४                                                                      |
| दिल्ली                      | १,२७९.७२                                       | ६६९.८५        | १४५.१८        | १.४९          | १००.००                                   | ४६,१५९                                                | उ ना                                                                              | १२.३५                                                                     |
| गोवा                        | १,७६४.८४                                       | ४५७.९२        | १०६१.९३       | १४.६०         | १००.००                                   | ५८,६३३                                                | ४३४                                                                               | ४.७४                                                                      |
| गुजरात                      | १,४१८.६६                                       | २२९.०७        | ८३७.०३        | २१४.७४        | १००.००                                   | ३२,५६५                                                | ९१                                                                                | २.६९                                                                      |
| हरियाणा                     | १,३६०.०७                                       | ३११.१९        | ४४७.५२        | ३५८.२९        | १००.००                                   | ३१,६०२                                                | ११०                                                                               | ३.८७                                                                      |
| हिमाचल प्रदेश               | १,१६९.९०                                       | २७६.९९        | ६७०.३४        | ८.६६          | १००.००                                   | १६,६२९                                                | १००                                                                               | ०.५३                                                                      |
| जम्मू व काश्मीर             | ६६५.३१                                         | २७२.८५        | १३४.८६        | २४.९२         | ९८.९६                                    | ११,०४४                                                | २२                                                                                | ०.१३                                                                      |
| कर्नाटक                     | ९३६.८६                                         | १९७.७६        | २१५.६४        | ३३८.१०        | १००.००                                   | २६,२१८                                                | १८०                                                                               | १.९६                                                                      |
| केरळ                        | ५९३.३५                                         | २९५.५५        | १२२.३४        | १०.३४         | १००.००                                   | २८,५७४                                                | ५१७                                                                               | २.६९                                                                      |
| मध्य प्रदेश                 | ६५९.७८                                         | १५१.४२        | १२७.८४        | २३२.०५        | ९९.९९                                    | १४,३९२                                                | ९४                                                                                | १.५७                                                                      |
| छत्तीसगड                    | ७७२.३०                                         | १९०.५९        | २८८.५३        | १८३.२४        | ९९.८३                                    | १८,६८३                                                | ७१                                                                                | ०.९०                                                                      |
| <b>महाराष्ट्र</b>           | <b>१,०२०.९९</b>                                | <b>२२८.४१</b> | <b>३२०.१७</b> | <b>२४७.७०</b> | <b>१००.००</b>                            | <b>२३,३२०</b>                                         | <b>१९९</b>                                                                        | <b>१.९९</b>                                                               |
| मणिपूर                      | २१४.०४                                         | १३४.६३        | १०.७४         | ०.८०          | १००.००                                   | ११,८६०                                                | १११                                                                               | ०.०६                                                                      |
| मेघालय                      | ३७७.२१                                         | १६१.४१        | १३६.८३        | ०.०४          | १००.००                                   | २०,२१०                                                | ९७                                                                                | ०.०४                                                                      |
| मिझोराम                     | ३६६.४५                                         | २१७.७२        | १२.३५         | ०.००          | १००.००                                   | १६,१६३                                                | ३८                                                                                | ०.०१                                                                      |
| नागालँड                     | २७४.२६                                         | १५६.२९        | २७.०९         | ०.००          | १००.००                                   | १६,०४१                                                | २१८                                                                               | ०.०७                                                                      |
| ओडिशा                       | ४११.९४                                         | १५८.७२        | १५१.९५        | ९.९८          | ९९.९९                                    | १३,७७७                                                | १८५                                                                               | १.६८                                                                      |
| पंजाब                       | १,५९२.८०                                       | ४६२.०४        | ५२७.३७        | ४१६.४१        | १००.००                                   | ३१,२४४                                                | २१५                                                                               | ४.५१                                                                      |
| राजस्थान                    | ७१९.७०                                         | १६१.०५        | १४६.३२        | ३०६.४९        | १००.००                                   | १८,७८६                                                | ७४                                                                                | १.७३                                                                      |
| सिक्कीम                     | ५२३.०९                                         | १५०.२६        | २७२.२५        | ०.००          | १००.००                                   | ७,६०९                                                 | ११६                                                                               | ०.००                                                                      |
| तामीळनाडू                   | १,२३९.२२                                       | ३६९.१८        | ४८०.५९        | १६०.९९        | १००.००                                   | ३४,९५०                                                | २०१                                                                               | ३.१०                                                                      |
| त्रिपूरा                    | २३८.५६                                         | १३०.७६        | १२.४१         | ९.९०          | १००.००                                   | ८,३७५                                                 | ३७५                                                                               | २.०६                                                                      |
| उत्तर प्रदेश                | ४०४.५२                                         | १७१.३६        | ८३.९८         | ७९.४०         | १००.००                                   | ११,०४५                                                | १७५                                                                               | ४.२९                                                                      |
| उत्तराखंड                   | १,०३४.४५                                       | २५२.९८        | ५६८.४५        | ४०.३३         | ९९.९२                                    | १७,८४७                                                | ११४                                                                               | ०.६४                                                                      |
| पश्चिम बंगाल                | ४७९.७५                                         | १५७.४४        | १८५.६६        | १३.१९         | १००.००                                   | ६,९६२                                                 | ३५७                                                                               | ४.६६                                                                      |
| <b>भारत<sup>§</sup></b>     | <b>७५३.०६</b>                                  | <b>२११.६८</b> | <b>२४६.३३</b> | <b>१५४.१९</b> | <b>९९.९४</b>                             | <b>१८,२१४</b>                                         | <b>१४३</b>                                                                        | <b>२.१०</b>                                                               |

§ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट

^ विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

! गावांची संख्या जनगणना २०११ नुसार

उ ना उपलब्ध नाही

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| दूरध्वनीची घनता |              | एकूण खनिज उत्पादनाच्या किंमतीमधील राज्याचा हिस्सा | दर हजार लोकसंख्येमागे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील पटांवरील विद्यार्थ्यांची संख्या | स्थूल पटसंख्येचे प्रमाण                              |           |           | स्त्री-पुरुष असमानता निर्देशांक                     |                                     |                                     |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 |              |                                                   |                                                                                     | प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता १ ली ते ८ वी ) |           |           | प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता १ ली ते ८ वी) | माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी व १० वी) | उच्च माध्यमिक स्तर (११ वी ते १२ वी) |
| तारी            | बिनतारी      |                                                   |                                                                                     | मुले                                                 | मुली      | एकूण      |                                                     |                                     |                                     |
| (३१-१२-२०१८)    | (३१-१२-२०१८) | (२०१७-१८)                                         | (२०१६-१७)                                                                           | (२०१६-१७)                                            | (२०१६-१७) | (२०१६-१७) | (२०१६-१७)                                           | (२०१६-१७)                           | (२०१६-१७)                           |
| (८७)            | (८८)         | (८९)                                              | (९०)                                                                                | (९१)                                                 | (९२)      | (९३)      | (९४)                                                | (९५)                                | (९६)                                |
| १.५८            | ९६.६६        | १.९०                                              | १४३                                                                                 | ८३.८०                                                | ८१.२१     | ८२.५४     | ०.९७                                                | १.०२                                | १.०७                                |
| -               | -            | ०.९२                                              | -                                                                                   | ९४.३२                                                | ९३.९३     | ९४.१३     | १.००                                                | १.०३                                | १.१६                                |
| १.७६            | ९५.९५        | ०.००                                              | २५०                                                                                 | ११०.२६                                               | ११०.५४    | ११०.४०    | १.००                                                | ०.९७                                | १.०२                                |
| ०.३६            | ६४.९९        | ०.०८                                              | २००                                                                                 | १००.९५                                               | १०६.६०    | १०३.७१    | १.०६                                                | १.१५                                | १.०७                                |
| ०.११            | ६०.४६        | नगण्य                                             | २४०                                                                                 | ९४.५५                                                | १०५.८२    | ९९.८७     | १.१२                                                | १.२१                                | १.०३                                |
| ०.३४            | ६६.९८        | ३.५३                                              | १९७                                                                                 | ९४.००                                                | ९६.१६     | ९५.०४     | १.०२                                                | १.१०                                | १.०४                                |
| १३.५२           | १६०.२६       | ०.००                                              | १७२                                                                                 | १११.१०                                               | १२१.८८    | ११५.८९    | १.१०                                                | १.११                                | १.१६                                |
| ५.०२            | १२९.२४       | १.८७                                              | १२१                                                                                 | ९८.२९                                                | १०१.३३    | ९९.७२     | १.०३                                                | १.०१                                | १.१९                                |
| १.८७            | १०७.६०       | १.१६                                              | १७०                                                                                 | ९४.१२                                                | ९७.८६     | ९५.८३     | १.०४                                                | ०.८५                                | ०.९३                                |
| १.१८            | ११७.६२       | ०.००                                              | १७१                                                                                 | ९१.७७                                                | ९७.०६     | ९४.०८     | १.०६                                                | १.०१                                | ०.९९                                |
| १.६३            | १४४.८८       | ०.४०                                              | १६७                                                                                 | ९९.०४                                                | १००.६९    | ९९.८२     | १.०२                                                | ०.९९                                | १.०१                                |
| ०.८३            | ९०.१७        | ०.०६                                              | १६०                                                                                 | ७२.४६                                                | ७३.६७     | ७३.०३     | १.०२                                                | ०.९६                                | ०.९१                                |
| ३.३९            | १०७.४७       | १३.९५                                             | १६२                                                                                 | ९९.८९                                                | ९९.४२     | ९९.६६     | १.००                                                | १.०१                                | १.१४                                |
| ५.२६            | १२०.३१       | ०.०६                                              | १४१                                                                                 | ९४.२०                                                | ९४.९४     | ९४.५६     | १.०१                                                | १.००                                | १.१४                                |
| ०.९२            | ६९.११        | ३.६५                                              | १९०                                                                                 | ९०.७५                                                | ९१.८०     | ९१.२५     | १.०१                                                | ०.९८                                | ०.९५                                |
| ०.६७            | ७८.४६        | १५.६६                                             | २०३                                                                                 | ९८.११                                                | ९८.८१     | ९८.४५     | १.०१                                                | १.०६                                | १.०६                                |
| ३.५५            | १०४.६२       | २.१०                                              | १६३                                                                                 | ९७.३७                                                | ९८.६०     | ९७.९४     | १.०१                                                | ०.९५                                | ०.९७                                |
| ०.७६            | ८४.५७        | ०.००                                              | २०८                                                                                 | ११९.३२                                               | १२१.०५    | १२०.१६    | १.०१                                                | १.००                                | ०.९४                                |
| ०.६३            | ७७.०४        | ०.४८                                              | २९३                                                                                 | १२५.५२                                               | १३२.१२    | १२८.७६    | १.०५                                                | १.१७                                | १.१५                                |
| १.२८            | ११२.९२       | ०.००                                              | २२३                                                                                 | १२०.८९                                               | ११७.५३    | ११९.२५    | ०.९७                                                | १.०४                                | १.०९                                |
| ०.४१            | ६६.२३        | ०.००                                              | १४४                                                                                 | ८२.९४                                                | ८६.०२     | ८४.४२     | १.०४                                                | १.१०                                | १.०२                                |
| ०.५५            | ७६.३५        | ३४.२६                                             | १७५                                                                                 | ९९.२४                                                | ९६.९९     | ९८.१४     | ०.९८                                                | ०.९९                                | ०.९७                                |
| २.०६            | १२५.०४       | ०.००                                              | १६३                                                                                 | ९५.७८                                                | १०२.४८    | ९८.७१     | १.०७                                                | १.००                                | १.०४                                |
| ०.७२            | ८७.७३        | १८.७९                                             | १९७                                                                                 | ९६.०३                                                | ९५.४५     | ९५.७६     | ०.९९                                                | ०.८९                                | ०.८१                                |
| १.०१            | ११७.५२       | ०.००                                              | १८५                                                                                 | १०८.१६                                               | १०५.६२    | १०६.९१    | ०.९८                                                | १.१०                                | १.२४                                |
| ३.०८            | ११५.७७       | १.०१                                              | १६३                                                                                 | ९७.८७                                                | ९९.३०     | ९८.५६     | १.०१                                                | १.०६                                | १.२२                                |
| ०.५१            | ७७.६०        | ०.००                                              | १७७                                                                                 | १०८.९८                                               | १११.१२    | ११०.०२    | १.०२                                                | १.०५                                | ०.९४                                |
| ०.३०            | ७१.१५        | ०.१०                                              | १८९                                                                                 | ७७.५८                                                | ८७.३७     | ८२.०९     | १.१३                                                | ०.९७                                | ०.९५                                |
| ०.९०            | ११७.२४       | ०.०२                                              | १९३                                                                                 | ९२.३४                                                | ९३.१८     | ९२.७४     | १.०१                                                | १.०१                                | १.०५                                |
| ०.९९            | ८८.४७        | ०.००                                              | १५४                                                                                 | ९३.९७                                                | ९८.७६     | ९६.३०     | १.०५                                                | १.२७                                | १.१६                                |
| १.६७            | ८९.७८        | १००.०                                             | १७९                                                                                 | ९१.४२                                                | ९५.९४     | ९३.५५     | १.०५                                                | १.०२                                | १.०२                                |

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| राज्य                    | विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण@@             |                                             |                                         |                                               | गळतीचे प्रमाण@@                        |             |                                             |             |                                         |              |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
|                          | प्राथमिक स्तर<br>(इयत्ता १ ली ते ५ वी) | उच्च प्राथमिक स्तर<br>(इयत्ता ६ वी ते ८ वी) | माध्यमिक स्तर<br>(इयत्ता ९ वी ते १० वी) | उच्च माध्यमिक स्तर<br>(इयत्ता ११ वी ते १२ वी) | प्राथमिक स्तर<br>(इयत्ता १ ली ते ५ वी) |             | उच्च प्राथमिक स्तर<br>(इयत्ता ६ वी ते ८ वी) |             | माध्यमिक स्तर<br>(इयत्ता ९ वी ते १० वी) |              |
|                          |                                        |                                             |                                         |                                               | मुले                                   | मुली        | मुले                                        | मुली        | मुले                                    | मुली         |
| संदर्भ वर्ष किंवा दिनांक | (२०१६-१७)                              | (२०१६-१७)                                   | (२०१६-१७)                               | (२०१६-१७)                                     | (२०१६-१७)                              | (२०१६-१७)   | (२०१६-१७)                                   | (२०१६-१७)   | (२०१६-१७)                               | (२०१६-१७)    |
| (१)                      | (९७)                                   | (९८)                                        | (९९)                                    | (१००)                                         | (१०१)                                  | (१०२)       | (१०३)                                       | (१०४)       | (१०५)                                   | (१०६)        |
| आंध्र प्रदेश             | २३.००                                  | २६.५२                                       | १९.३४                                   | उ ना                                          | १.९१                                   | १.९०        | ०.६४                                        | १.१६        | @                                       | @            |
| तेलंगणा ^                | ३०.३५                                  | २१.९३                                       | २१.६०                                   | ३९.५१                                         | ७.४५                                   | ७.७६        | ५.६५                                        | ५.५९        | २३.४५                                   | २१.५०        |
| अरुणाचल प्रदेश           | १४.३३                                  | १३.९७                                       | २०.७२                                   | ३०.३८                                         | २३.६५                                  | २२.८२       | ११.४५                                       | १४.१५       | ३१.६३                                   | २८.११        |
| आसाम                     | २४.१०                                  | १५.९०                                       | १३.७७                                   | १९.४२                                         | ६.२१                                   | ४.९८        | २.७९                                        | २.२५        | २६.३८                                   | २८.७५        |
| बिहार                    | ४४.६५                                  | ४५.७७                                       | ६४.४६                                   | ४३.९५                                         | १०.२६                                  | ८.७८        | १३.६५                                       | १२.७५       | ३८.४९                                   | ४०.९८        |
| झारखंड                   | ३०.५२                                  | ३५.१८                                       | ५४.१९                                   | ६०.९४                                         | १५.५४                                  | १५.९०       | १९.२२                                       | १९.९९       | ३६.१७                                   | ३७.१२        |
| दिल्ली                   | ३३.०५                                  | ३१.३३                                       | ३१.१३                                   | १९.९४                                         | -                                      | -           | ०.७५                                        | ०.६५        | १२.६३                                   | ८.५९         |
| गोवा                     | २७.५६                                  | २४.४०                                       | १२.७६                                   | १८.९३                                         | १.७१                                   | २.२२        | -                                           | १.२७        | १८.७३                                   | १२.९९        |
| गुजरात                   | २९.५२                                  | २९.१४                                       | ३४.०१                                   | २७.३९                                         | ०.९२                                   | १.०४        | ५.०१                                        | ८.३३        | २५.६०                                   | २१.९१        |
| हरियाणा                  | २६.३०                                  | ३०.४९                                       | १४.६१                                   | १३.५६                                         | -                                      | -           | -                                           | ०.९२        | १२.०७                                   | १२.२८        |
| हिमाचल प्रदेश            | १५.३७                                  | १३.०९                                       | १५.६२                                   | १२.६०                                         | ०.६६                                   | १.०३        | ०.७४                                        | १.०४        | ७.६५                                    | ६.३२         |
| जम्मू व काश्मीर          | १३.३९                                  | १०.१८                                       | १३.२७                                   | २५.८०                                         | १३.४४                                  | १४.९२       | ८.७२                                        | ११.७८       | २३.३२                                   | २५.५३        |
| कर्नाटक                  | ३२.५१                                  | २३.५६                                       | १६.५१                                   | ०.९७                                          | ०.८५                                   | १.९६        | २.९३                                        | ४.६५        | @                                       | @            |
| केरळ                     | २६.२६                                  | २१.४९                                       | १५.९२                                   | २०.६४                                         | ०.११                                   | ०.०४        | -                                           | ०.०४        | १५.५९                                   | ९.७८         |
| मध्य प्रदेश              | २३.६७                                  | २६.९८                                       | ३५.०९                                   | ३८.३४                                         | ४.५८                                   | ४.४४        | ६.४९                                        | ८.९१        | २३.७०                                   | २३.८३        |
| छत्तीसगड                 | २१.७०                                  | २२.१६                                       | २९.५१                                   | २६.८३                                         | ३.४२                                   | ३.०७        | ७.०५                                        | ५.२९        | २६.११                                   | २२.३९        |
| <b>महाराष्ट्र</b>        | <b>२९.५१</b>                           | <b>३०.२७</b>                                | <b>२५.०६</b>                            | <b>४४.९५</b>                                  | <b>०.६६</b>                            | <b>०.७५</b> | <b>०.७०</b>                                 | <b>१.८७</b> | <b>११.४३</b>                            | <b>११.१०</b> |
| मणिपूर                   | १५.२७                                  | १४.३५                                       | ११.२३                                   | १७.०६                                         | १५.६९                                  | १७.९२       | १२.६७                                       | १२.८६       | २१.१४                                   | २०.९६        |
| मेघालय                   | १९.८१                                  | १३.१५                                       | ११.१६                                   | १९.३९                                         | १८.०१                                  | १७.३७       | १७.९६                                       | १७.२५       | २८.३३                                   | २७.८५        |
| मिझोराम                  | १६.०६                                  | ६.३९                                        | ८.०९                                    | १३.५७                                         | १५.२४                                  | १५.४९       | १०.६३                                       | ९.०६        | ३२.४७                                   | २८.८७        |
| नागालँड                  | १२.०६                                  | १०.५३                                       | १०.९९                                   | १९.८७                                         | २०.४७                                  | २१.४४       | १८.६५                                       | १७.९०       | ३१.५१                                   | ३१.०४        |
| ओडिशा                    | २०.७८                                  | २५.५४                                       | १९.७८                                   | ३९.७४                                         | ४.०५                                   | ४.४४        | ५.१६                                        | ४.९४        | २८.९०                                   | २८.८३        |
| पंजाब                    | २३.९२                                  | १९.६२                                       | १६.०४                                   | २३.६९                                         | २.९९                                   | २.६४        | २.९२                                        | २.८४        | ९.१४                                    | ७.८८         |
| राजस्थान                 | २७.९४                                  | १९.४७                                       | २१.१६                                   | २७.६७                                         | ६.९४                                   | ७.०६        | ३.६५                                        | ५.१७        | १५.१४                                   | १५.२५        |
| सिक्कीम                  | ६.२३                                   | ११.१८                                       | १५.७९                                   | १४.१४                                         | ६.०६                                   | ४.०९        | ७.५५                                        | ७.७३        | २५.७३                                   | २२.७०        |
| तामीळनाडू                | २३.४२                                  | २३.३८                                       | २१.३६                                   | २४.९४                                         | ०.१२                                   | ०.८१        | १.५२                                        | १.१५        | १३.६५                                   | ६.२६         |
| त्रिपूरा                 | १४.६५                                  | १६.०८                                       | २५.३५                                   | १०.२१                                         | ४.३३                                   | ४.४४        | ५.९१                                        | ४.७७        | २९.२०                                   | ३०.३२        |
| उत्तर प्रदेश             | ३५.५६                                  | ३३.५०                                       | ५३.४८                                   | ९०.४०                                         | ११.४४                                  | १०.८५       | ०.६४                                        | ७.१३        | १२.५४                                   | १२.९०        |
| उत्तराखंड                | १९.९१                                  | २५.५९                                       | १५.९०                                   | २३.५६                                         | ५.६८                                   | ५.४६        | २.९६                                        | ३.१८        | ९.९४                                    | ८.१५         |
| पश्चिम बंगाल             | २४.०१                                  | २९.३९                                       | ३७.५४                                   | ५५.८५                                         | ८.२२                                   | ७.८८        | ११.३३                                       | ६.७१        | २६.५३                                   | २७.२७        |
| <b>भारत<sup>§</sup></b>  | <b>२८.२५</b>                           | <b>२६.५७</b>                                | <b>२६.४८</b>                            | <b>३३.०४</b>                                  | <b>६.४०</b>                            | <b>६.३०</b> | <b>४.९७</b>                                 | <b>६.४२</b> | <b>१९.९७</b>                            | <b>१९.८१</b> |

§ केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट  
उ ना उपलब्ध नाही

^ विवक्षितपणे नमूद केले नसल्यास आंध्र प्रदेशमध्ये समाविष्ट

@@ शाळेच्या स्तरावर आधारित

@ अंदाजित केले नाही

## भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक

| प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावरील संयुक्त शैक्षणिक विकास निर्देशांक | शिक्षकांची प्रति शाळा सरासरी संख्या | स्त्री शिक्षकांची टक्केवारी | संपूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांची टक्केवारी | स्त्रियांचे लग्नाच्या वेळेचे सरासरी वय | एकूण जनन दर | माता मृत्यु प्रमाण # | महिलांवरील अत्याचार (संख्या) | बालकांवरील अत्याचार (संख्या) | दर लाख रास्त भाव धान्य / शिधावाटप दुकानांची संख्या | दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (२०१४-१५)                                                            | (२०१६-१७)                           | (२०१६-१७)                   | (२०१५-१६)                                  | (२०१६)                                 | (२०१६)      | (२०१४-१६)            | (२०१६)                       | (२०१६)                       | (३१-०३-१९)                                         | (२०११-१२)                                 |
| (१०७)                                                                | (१०८)                               | (१०९)                       | (११०)                                      | (१११)                                  | (११२)       | (११३)                | (११४)                        | (११५)                        | (११६)                                              | (११७)                                     |
| ०.५७८                                                                | ५.०                                 | ४८.२९                       | ६५.३                                       | २१.९                                   | १.७         | ७४                   | १६,३६२                       | १,८४७                        | ५१                                                 | ९.२०                                      |
| ०.५८५                                                                | ५.८                                 | ५०.४७                       | ६८.१                                       | २२.१                                   | १.७         | ८१                   | १५,३७४                       | २,९०९                        | -                                                  | -                                         |
| ०.५७३                                                                | ५.६                                 | ४३.२०                       | ३८.२                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | ३६७                          | १३३                          | १४४                                                | ३४.६७                                     |
| ०.४९२                                                                | ४.६                                 | ३६.७१                       | ४७.१                                       | २२.२                                   | २.३         | २३७                  | २०,८६९                       | ३,९६४                        | ११४                                                | ३१.९८                                     |
| ०.४९८                                                                | ६.०                                 | ३५.५७                       | ६१.७                                       | २१.५                                   | ३.३         | १६५                  | १३,४००                       | ३,९३२                        | ३९                                                 | ३३.७४                                     |
| ०.४८५                                                                | ३.९                                 | ३४.७६                       | ६१.९                                       | २१.५                                   | २.६         | -                    | ५,४५३                        | ७१७                          | ६९                                                 | ३६.९६                                     |
| ०.७१६                                                                | २४.६                                | ७२.७६                       | ६६.४                                       | २३.४                                   | १.६         | उ ना                 | १५,३१०                       | ८,१७८                        | १०                                                 | ९.९१                                      |
| ०.६११                                                                | ७.८                                 | ८०.४७                       | ८८.४                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | ३७१                          | २३०                          | २२                                                 | ५.०९                                      |
| ०.६८१                                                                | ७.४                                 | ५६.५५                       | ५०.४                                       | २२.०                                   | २.२         | ९१                   | ८,५३२                        | ३,६३७                        | २७                                                 | १६.६३                                     |
| ०.६३६                                                                | ९.६                                 | ५७.३४                       | ६२.२                                       | २२.३                                   | २.३         | १०१                  | ९,८३९                        | ३,०९९                        | ३३                                                 | ११.१६                                     |
| ०.६९६                                                                | ५.४                                 | ४७.९३                       | ६९.५                                       | २३.३                                   | १.७         | उ ना                 | १,२२२                        | ४६७                          | ६८                                                 | ८.०६                                      |
| ०.५४४                                                                | ५.६                                 | ४५.१०                       | ७५.१                                       | २४.७                                   | १.७         | उ ना                 | २,८५०                        | २२२                          | ५१                                                 | १०.३५                                     |
| ०.६९६                                                                | ५.२                                 | ६०.३१                       | ६२.६                                       | २२.५                                   | १.८         | १०८                  | १४,१३१                       | ४,४५५                        | ३१                                                 | २०.९१                                     |
| ०.६६१                                                                | १५.१                                | ७८.३६                       | ८२.१                                       | २३.१                                   | १.८         | ४६                   | १०,०३४                       | २,८७९                        | ४०                                                 | ७.०५                                      |
| ०.४८६                                                                | ३.९                                 | ४३.९६                       | ५३.६                                       | २१.६                                   | २.८         | १७३                  | २६,६०४                       | १३,७४६                       | ३०                                                 | ३१.६५                                     |
| ०.५६४                                                                | ४.३                                 | ४३.९२                       | ७६.४                                       | २१.६                                   | २.५         | -                    | ५,९४७                        | ४,७४६                        | ४६                                                 | ३९.९३                                     |
| <b>०.६५५</b>                                                         | <b>६.८</b>                          | <b>४२.००</b>                | <b>५६.३</b>                                | <b>२२.४</b>                            | <b>१.८</b>  | <b>६१</b>            | <b>३१,२७५</b>                | <b>१३,५९१</b>                | <b>४२</b>                                          | <b>१७.३५</b>                              |
| ०.६०२                                                                | ८.०                                 | ४९.८५                       | ६५.८                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | २५३                          | १३४                          | १००                                                | ३६.८९                                     |
| ०.५३७                                                                | ३.४                                 | ५५.३९                       | ६१.५                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | ३७२                          | २४०                          | १६६                                                | ११.८७                                     |
| ०.६३५                                                                | ६.१                                 | ४७.२८                       | ५०.५                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | १२०                          | १८८                          | ११४                                                | २०.४०                                     |
| ०.५४८                                                                | ११.२                                | ५१.१०                       | ३५.७                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | १०५                          | ७८                           | ६९                                                 | १८.८८                                     |
| ०.५९८                                                                | ४.७                                 | ४३.७८                       | ७८.६                                       | २२.१                                   | २.०         | १८०                  | १७,८३७                       | ३,२८६                        | २९                                                 | ३२.५९                                     |
| ०.६७४                                                                | ९.०                                 | ७४.१५                       | ८९.१                                       | २३.३                                   | १.७         | १२२                  | ५,१०५                        | १,८४३                        | ५७                                                 | ८.२६                                      |
| ०.५८८                                                                | ६.३                                 | ३५.४७                       | ५४.८                                       | २१.५                                   | २.७         | १९९                  | २७,४२२                       | ४,०३४                        | ३५                                                 | १४.७१                                     |
| ०.६७९                                                                | ११.८                                | ५४.६४                       | ८३.०                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | १५३                          | ११०                          | २१३                                                | ८.१९                                      |
| ०.६८९                                                                | ९.८                                 | ७४.२३                       | ६९.७                                       | २३.०                                   | १.६         | ६६                   | ४,४६३                        | २,८५६                        | ४९                                                 | ११.२८                                     |
| ०.५९६                                                                | ९.६                                 | २९.३२                       | ५४.५                                       | उ ना                                   | उ ना        | उ ना                 | १,०१३                        | २७४                          | ४६                                                 | १४.०५                                     |
| ०.४६३                                                                | ४.४                                 | ४०.५६                       | ५१.१                                       | २२.३                                   | ३.१         | २०१                  | ४९,२६२                       | १६,०७९                       | ३६                                                 | २९.४३                                     |
| ०.६२५                                                                | ४.७                                 | ४८.४७                       | ५७.७                                       | २२.३                                   | १.९         | -                    | १,५८८                        | ६७६                          | ९०                                                 | ११.२६                                     |
| ०.५१४                                                                | ५.९                                 | ४२.९७                       | ८४.४                                       | २१.२                                   | १.६         | १०१                  | ३२,५१३                       | ७,००४                        | २२                                                 | १९.९८                                     |
| -                                                                    | ५.७                                 | ४८.२८                       | ६२.०                                       | २२.२                                   | २.३         | १३०                  | ३,३८,८४१                     | १,०५,९९०                     | ४१                                                 | २१.९२                                     |

उ ना उपलब्ध नाही # झारखंड, छत्तीसगड व उत्तराखंड या राज्यांसाठी माता मृत्यु प्रमाण पूर्वोक्त्या अविभाजित राज्यांमध्ये दर्शविले आहे







